

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

आधुनिक राजनीतिक संविधान

[MODERN POLITICAL CONSTITUTIONS]

उनके इतिहास एवं वर्तमान रूप के तुलनात्मक अध्ययन की भूमिका

देखक

, सी० एफ० स्ट्रॉग, बी. बी. ई, एम ए पी-एच. डी



ग्यानप्रसाद एण्ड सन्स, आमरा

हिन्दी में . द्वितीय बार 1969

Translation of C F Strong

MODERN POLITICAL CONSTITUTIONS

© Sidwick & Jackson Ltd , London

अनुवादक

बो० के० पाडे, वी० ए०, एल० ए० बी०

अनुवाद-संशोधक

डॉ० द्र० न० मेहता, एम० ए०, पी०-एच० डौ०
अध्यक्ष, इतिहास एव राज्य विज्ञान विभाग, बलवन्त राजपूत कॉलेज, आगरा



दी एन्केशनल प्रेस, आगरा-३ से मुद्रित एव
गायाप्रसाद एण्ड सन्स, बाके विलास, आगरा से प्रकाशित ।

प्रस्तावना

यह पुस्तक ऐतिहासिक अध्ययन को विशिष्ट शाखा के रूप में साविधानिक राजनीति का अध्ययन प्रारम्भ करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता, अर्थात् एक उपर्युक्त प्रारम्भिक पाठ्य पुस्तक वी आवश्यकता की पूर्ति करने वे निमित्त लिखी गयी थी। राज्य विज्ञान वे प्रारम्भिक अध्ययन की कठिनाइया का अनावश्यक घटवाहट के पिना सामना करने भ विद्यार्थियों को सहायता करना अनेक बर्पों से मेरा मुख्य वार्य रहा है। उनदे माथ भुजे जो अनुभव हुआ है उसका आशिक परिणाम इस पुस्तक के रूप भ प्रवर्त हुआ है और यदि मैं इस पुस्तक को किसी को समर्पित करूँगा तो वे मेरे विद्यार्थी ही होंगे जिन्होंने कक्षाओं मे मेरे भाषणों वे प्रति अपनी अनवरत साधना से इस कठिन विन्तु आवर्पक विषय को तैयार और प्रस्तुत करने के भारी परिश्रम को हलवा कर दिया।

राज्य विज्ञान एक साविधानिक इतिहास के पूर्वकालीन महान् दिग्गजों—सर्वथी डायसी, मेटलैण्ड, गिब्रिर, लावेल, ब्राडस आदि—वे प्रति तो मैं आभारी हूँ ही और जा महानुभाव उनकी श्रेष्ठ हृतियों से परिचित है वे इस बात वो भली भाँति समझ सकत है। विन्तु मेरी यह पुस्तक उपर्युक्त ग्रथकारा की हृतिया वा कोई सक्षिप्त सस्वरण नहीं, बल्कि एक भौलिक, पठनीय तथा बोधगम्य रूप मे विषय को प्रस्तुत करने का प्रयत्न है, जैसा कि प्रत्येक ग्रथकार कर सकता है। इस पुस्तक की रचना वेबल इसी दृष्टि से नहीं की गई है कि यह शिक्षकों से पढ़ने वाले छात्रों को ही लाभ पहुँचा सके, बल्कि इस दृष्टि से भी कि यह अन्य विद्यार्थियों और सामान्य पाठ्यों के लिए भी लाभकारी हो सके। मुझे आशा है कि प्रत्येक अध्याय के अन्त मे दी गयी विशिष्ट एवं अधिक अध्ययन के लिए पुस्तकों की सूचियाँ और निवन्धों के विषय और भी अधिक अनुसधान एवं चिन्तन को प्रोत्साहित करेंगे।

इस पुस्तक के प्रथम प्रकाशन को तीस वर्ष से अधिक हो चुके हैं। इस काल मे साविधानिक राज्यों की आन्तरिक सरचना और दूसरे राज्यों वे साथ उनदे सम्बन्धों को नियन्त्रित करने वाले उपकरणों मे अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। इन परिवर्तनों के कारण विषय-वस्तु के पुनरीकाश का तथा उसे अद्यतन बनाने का काम अत्यन्त कठिन हो गया है। यह ऐसा वार्य है जिसे वारम्बार करना अवश्यक है। इस कठिन वार्य को पूरा करने की धात तो दूर, मैं उसकी कल्पना भी शायद ही

वरता यदि मुझ यह जान न हुआ होता तिं विग्न काल में यह पुस्तक अपने मूल हृप में अनेक व्यक्तियों को उपयोगी सिद्ध हुई है और भविष्य में भी यह अपने नये रूप में अन्य व्यक्तियों के लिए उसी प्रकार लाभप्रद होगी। इस पुस्तक के छठे और सातवें सस्करण की तैयारी करने में पुस्तक का बहुत सा अश दुवारा लिखा है और उसमें ऐसी बहुत सी नई सामग्री का भी समावेश किया है जिसका सम्बन्ध उन व्यापक साविधानिक आन्दोलनों से है जो द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद से जोर पकड़ रहे हैं। विशेष अध्ययन के लिए दी हुई पुस्तकों की सूचियों में से मैंने बहुत सी निकाल दी है और यिन्हें वर्षों में प्रकाशित पुस्तकों में से कुछ नई पुस्तकों के नाम जाड़ दिये हैं।

इस पुस्तक की कमज़ोरिया और कमियों की जिम्मेदारी तो पूरी मुझ पर है, जिन्हुंने अपने उन मित्रों और सहयोगियों को धन्यवाद दिये चिना नहीं रह सकता, जिन्हान इसके विभिन्न संस्करणों की तैयारी में मुझे सहायता दी। स्वर्गीय प्रोफेसर एफ सी जे हर्नंगा, स्वर्गीय श्री किलिप गदाला, और स्वर्गीय प्रोफेसर एच जे लास्टी का, जिन्होने इस पुस्तक की रचना के प्रारम्भ में अपने अनुपम ज्ञान और अनुभव से स्वेच्छापूर्वक मेरी सहायता की, प्रोफेसर हरमेन फाइनर का, जिन्होने द्वितीय सस्करण की भूमिका को पड़ा और उसकी आलोचना की, परिचयी आस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय के विधि विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर एफ आर बीसले का, जिन्हान आस्ट्रेलिया के सविधान के प्रबन्धन पर मेरा पथ-प्रदर्शन किया, श्री जे हेम्पडन जेकमन का, जिन्होने फिल्मेंड से सम्बन्धित कई बातों पर मुझे सही जानकारी दी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी हार्वर्ड स्कूल में तुलनात्मक विधि के प्राध्यापक श्री जॉन जी लेव्सा का, जिन्होने अनेक सविधानों के मूल पाठ पर विस्तृत टिप्पणियाँ मुझे भेजी, यूनाइटेड स्टेट्स इन्फॉर्मेशन सर्विस के अधिकारियों, ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल के देशों के उच्चायुक्तों, लन्दन स्थित अनेक विदेशी दूतावासों के साझकिन सहचारियों (Attachments) जिन्होने मुझे बहुत सी ऐसी दस्तावेज़ी सामग्री दी जो अन्यथा कठिनाई से ही प्राप्त होती, टौटनहेय स्थित पवित्र साइ-ब्रेरियो के डाइरेक्टर श्री ए. डब्ल्यू. मेक्वेलन बेनिसाटन के मुद्दा साइ-ब्रेरियन श्री एस सो हॉलिडे तथा उनके सहयोगिया का, जिन्होने पुस्तकों देकर उदारतापूर्वक मेरी सहायता की, अपने प्रबन्धकों का, जिन्होने सदैव सौजन्यता प्रकट की और मुझे प्रोत्साहन दिया और अन्त में अपनी धर्मपत्नी का, जो विं मेरी दीवातम और अत्यन्त उपयोगी आलोचिता रही है, मैं विशेष हृप से आमारी हूँ।

विषय-सूची

प्रथम खण्ड ऐतिहासिक उपायम् अध्याय 1

राजनीतिक सविधानवाद का अर्थ

1

विषय प्रवेश (1) — समाज (2) — राज्य (3) — विधि और रुढ़ि (4) — प्रभुत्व (5) — शासन (6) — विधानमण्डल (7) — बायंपालिका (7) — न्यायपालिका (8) — सविधान (9) — राष्ट्रीय लोकतन्त्रात्मक राज्य (10)

अध्याय 2

सविधानी राज्य की उत्पत्ति और उसका विकास

13

विषय-प्रवेश (13) — गूनानी सविधानवाद (14) — रोमन सविधान (16) — मध्यकाल मे सविधानवाद (21) — मुनर्जिगण चालीन राज्य (25) — इमलैण्ड मे सविधानवाद (27) — अमेरीकी और फ्रांसीसी क्रातियों का साविधानिक प्रभाव (32) — राष्ट्रवाद और उदारवादी सुधार (37) — उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराधि में राष्ट्रीय सविधानवाद (40) — सविधानवाद और प्रथम विश्वयुद्ध (42) — युद्धों के अतर्काल मे सविधानी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया (45) — द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणाम (49) — सारांश (52)

द्वितीय खण्ड

तुलनात्मक सविधानी राजनीति

अध्याय 3

सविधानों का वर्गीकरण

57

अखंतू तथा अन्य विद्वानों द्वारा किया गया वर्गीकरण, वर्गीकरण (57) — आधुनिक वर्गीकरण के आधार (60) — राज्य का स्वरूप,

जिसे सविधान लागू हाता है (61) — स्वयं सविधान का स्वरूप (क) असिखित अववा विवित — एक मिथ्या भेद (64) — (ख) नम्य अववा अनम्य (65) — विधानमडन का स्वरूप (67) — (द) निवाचित प्रणाली — (1) भनाधिकार के प्रकार (68) — (2) निवाचित थोक के प्रकार (69) (ख) — द्वितीय सदन के प्रकार (70) — (ग) प्रत्यक्ष लाक-वियक्ति (70) — कार्यपालिका वा स्वरूप — (समीक्षा अववा अनमीक्षा) (71) — न्यायपालिका वा स्वरूप — (विधि का शामन अववा प्रशासनिक विधि) (74) — सारांश (75)

बध्याय 4

एकात्मक राज्य

77

बाल्निक तथा बाह्य प्रभुत्व (77) — राज्य के समावलन की प्रतिया (79) — एकात्मक राज्य की सारभूत विशेषता (81) — एकात्मक राज्य के ह्य में — यूनाइटेड विणडम का विकास (83) — न्यूजीलैण्ड का एकात्मक राज्य (89) — आयर (90) — दलिणी अफ्रीका (92) — प्राम का एकात्मक राज्य (94) — इटली का राज्य तथा गणतन्त्र (96)

बध्याय 5

सधराज्य

100

सधराज्य का सारभूत लक्षण (100) — गच्छीय रूप के भेद (102) — अमरीका के सयुक्त-राज्य की सध प्रणाली (105) — मिट्ट्सरलैण्ड का कॉन्फ्रेडरेशन (111) — आस्ट्रेलिया की कॉमनवेल्थ (114) — हनाडा की हॉमिनियन का स्पालरित सधवाद (118) — जर्मन सधवाद (121) — सोवियन हन और युगो-स्लाविया में सधवाद (126) — नैटिन-अमरीका में सधीय राज्य (129)

बध्याय 6

नम्य सविधान

132

माध्यात्म विवेचन (132) — विधि वा स्वरूप (135) — नम्य सविधान का वास्तविक स्वरूप (137) — ग्रेट ब्रिटेन के नम्य सविधान का विवाम (140) — अवहार में ब्रिटिश सविधान (143) — न्यूजीलैण्ड का नमीक्षा सविधान (146)

अनम्य सविधान

साविधानिक विधि-निर्माण के लिए विशेष यत्र (149)—फ्रासीसी गणतन्त्र का अनम्य सविधान (152)—इटली के गणतन्त्र का अनम्य सविधान (155)—आयर तथा दक्षिणी अफ्रीका में साविधानिक सशोधन (157)—कनाडा और आस्ट्रेलिया में अनम्य सविधान (159)—स्विट्जरलैण्ड के सविधान की अनम्यता (161)—अमेरिका में संयुक्तराज्य का अनम्य सविधान (162)—जर्मन सविधानों की अनम्यता (165)

अध्याय 8

विधान मडल (1) मताधिकार और निर्वाचन-क्षेत्र

विषय-प्रवेश (168)—राजनीतिक लोकतन्त्र का विकास (169)—मताधिकार और तत्संबंधी अन्य प्रश्न (171)—एकल-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र (176)—बहु-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र (180)—सिद्धात और व्यवहार में आनुपातिक निर्वाचन (185)—प्रतिनिधिक प्रणाली से सम्बन्धित समस्याएं (188)

अध्याय 9

विधान मडल : द्वितीय सदन

द्विसदनीय सविधानवाद सम्बन्धी सामान्य विचार (191)—हाउस ऑफ लॉंग्स पूर्वकालीन और वर्तमान (193)—कनाडा का नाम निर्देशित द्वितीय सदन (200)—अशत निर्वाचित उच्च-सदन (क) दक्षिणी अफ्रीका में सिनेट (201)—(ख) आयर की सिनेट, (203)—(ग) स्पेन की पुरानी सिनेट (205)—दो एकात्मक राज्यों में निर्वाचित द्वितीय सदन (205)—(क) फास (206)—(ख) इटली (208)—दो सधीय राज्यों में निर्वाचित सिनेट (209) (क)—संयुक्त राज्य (210)—(ख) आस्ट्रेलिया (212)—स्विट्जरलैण्ड और जर्मनी में द्वितीय सदन (213)—(क) स्विस कॉनफेरेशन (213)—(ख) जर्मन गणराज्य (214)—सोवियत संघ गणतन्त्र सभा और युगोस्लाविया के सधीय गणराज्य की विशेष स्थितियाँ (215)—निष्कर्ष (217)

अध्याय 10

विद्यान मठल (3) प्रत्यक्ष लोक नियन्त्रण

218

प्रचलित प्रथा की पृष्ठभूमि (218)—वर्तमान में जनमत संग्रह (221)—उपऋग्र और प्रत्याह्रान (223)—इन साधनों के पक्ष और विपक्ष में दखीले (226)

अध्याय 11

सप्तदीय कार्यपालिका

229

कार्यपालिका दृष्टि और वास्तविक (229)—शक्तियों के पूर्यवर्त रण का सिद्धांत (231)—द्रिटेन में मतिमङ्गलीय प्रणाली का इतिहास और उसका वर्तमान स्वरूप (233)—डॉमिनियन पद और केविनेट शासन (239)—मेड्च गणतन्त्र में मतिमङ्गल (242)—इटली के गणतन्त्र में मतिमङ्गलीय प्रणाली (247)—सप्तदीय कार्यपालिका पर दोनों विश्वव्युद्धों के प्रभाव (249)

अध्याय 12

अ—सप्तदीय या स्थायी कार्यपालिका

254

सामान्य विचार (254)—संयुक्त राज्य में सिद्धांत का प्रयोग (256)—स्विस बैनफेडरेशन की विलक्षण कार्यपालिका (262)—तुर्की का रोचक उदाहरण (264)—सप्तदीय और स्थायी कार्यपालिकाओं के तुलनात्मक लाभ (267)

अध्याय 13

न्यायपालिका

270

न्यायिक विभाग की शासन से स्वतन्त्रता (270)—न्यायपालिका और विद्यान मठल (273)—विधि का शासन (277)—प्रशासनिक विधि (280)—दोनों प्रणालियों के अधीन न्यायपालिकाओं की तुलना (282)

तृतीय खण्ड

राष्ट्रीयता और अतर्राष्ट्रीयता

कुछ अन्य विषय

अध्याय 14

उदोपमान राष्ट्रीयता

289

विषय प्रवेश (289)—मध्य-यूरोप में राष्ट्रीयता (290)—एशिया से परावर्तन (293)—(ब) फ्रिटेन और भारतवर्ष (294)

—(आ) ब्रिटेन और गलाया (304)—(इ) प्रान्त और इण्डो-चीन (304)—(ई) नेदरलैण्ड्स और इण्डोनेशिया (305)—
 (उ) यूनाइटेड स्टेट्स और किलिप्पीन्स (306)—अफ़्रीका में
 ओपनिवेशिक प्रान्ति (306)—(अ) ब्रिटिश अफ़्रीका में परिवर्तन (307)—(आ) कान्स और अल्जीरिया (310)—(इ) वेल्जियम और कागो (311)—केरिवियन में सधीय प्रयोग (312)—उप-निवेशवाद और न्यासित्व (313)

अध्याय 15

राज्य का आर्थिक संगठन

316

लोकतान् राजनीतिक एव आर्थिक (316)—आर्थिक परियदें और सोवियतों (319)—निगम-राज्य (322)—योरोपीय आर्थिक मण्डल (325)

अध्याय 16

संयुक्त राष्ट्र का चार्टर

329

अन्तर्राष्ट्रीयता की योजनाएँ (329)—राष्ट्रसभा (331)
 —संयुक्त राष्ट्र के अवयव (336)—(1) महासभा (339),
 (2) सुरक्षापरिषद (340),—(3) आर्थिक और सामाजिक परिषद (341),—(4) न्यास परिषद (342),—(5) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (343),—(6) सचिवालय (343)—संयुक्त राष्ट्रसभा के कार्य (344)

अध्याय 17

संविधान वाद का भवित्व

348

निवध के विषय

357

पाठ्य ग्रन्थ

369

अनुक्रमणिका

प्रथम खण्ड

वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक विवेचन

राजनीतिक संविधानवाद का अर्थ

१ विषय-प्रवेश

राजनीतिक संविधानों का अध्ययन राज्य विज्ञान अथवा राज्य के विज्ञान का एक अग्र है। राजनीतिक समुदायों के गठन और शासन का विज्ञान होने के नाते राज्य-विज्ञान एक विशेष दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन है और इसी कारण अन्य सामाजिक विज्ञानों से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। सामाजिक विज्ञानों को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-

- १ समाजशास्त्र, जो मानव-सदास के सभ्य और असभ्य सभी स्वरूपों का अध्ययन है।
- २ अर्थशास्त्र, जो मनुष्य के भौतिक कल्याण का विज्ञान है।
- ३ नीतिशास्त्र, जिसमें यह विवेचना की जाती है कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए और वैसा क्यों होना चाहिए।
- ४ सामाजिक मनोविज्ञान, जो सामाजिक सम्बन्धों में मानव-प्राणी के व्यवहार का विज्ञान है।

राज्य-विज्ञान इन सभी से कुछ-न-कुछ ग्रहण करता है। उसका सम्बन्ध एक विशिष्ट प्रकार के मानव सदास से है, इसलिए आशिक रूप में समाजशास्त्र का उसमें समावेश है, राज्य के सदस्यों के भौतिक हितों से सम्बन्ध रखने के कारण आशिक रूप में अर्थशास्त्र उसके अतर्गत है, चूंकि राज्य के कार्यों के नैतिक आधार और प्रभाव से वह सम्बन्धित है, अतः आशिक रूप में नीतिशास्त्र का भी उससे सम्बन्ध है, और व्यक्तियों के, चाहे वे शासक हों या शासित, मस्तिष्कों की क्रियाओं से सम्बन्ध रखने के नाते वह आशिक रूप में मनोविज्ञान से भी सबद्ध है।

किन्तु यह सब होते हुए भी राज्य विज्ञान स्पष्टत एक पृथक् विज्ञान है जिसकी अपनी सामग्री और अपने आधार-तथ्य हैं। ये राज्यों के इतिहास और उनके वर्तमान रूपों में मिलते हैं। राज्य वैज्ञानिक का सम्बन्ध राज्य की उत्पत्ति और विकास, उसके स्वरूप और सगठन, उसके प्रयोजन और कृत्यों से तथा राज्य के सिद्धात और उसके सम्भाव्य रूपों से है। राजनीतिक संविधानों के विद्यार्थी का इस विषय के इन सभी पहलुओं से कुछ सीमा तक सम्बन्ध रहता है। उसकी

अभिरचनि मुख्य रूप से उन सम्भाओं में है जिनका राज्य अपनी जाति और प्रगति के लिए निर्माण करता है और जिनके बिना राज्य अपना अस्तित्व उसी प्रकार कायम नहीं रख सकता। जिस प्रकार राज्य के दिना समाज अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता। अतएव, यहाँ हम अपने विषय को उन चार भागों में विभाजित कर सकते हैं जिनको हमने अभी समर्पित रूप में राज्य विज्ञान का अग बताया है। उन्हें हम संक्षेप में ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक और संदोषित वर्तमान सम्भालते हैं।

हम कुछ आधुनिक राज्यों को लेंगे और उनकी सम्भाओं का अध्ययन करेंगे, जो समर्पित रूप में संविधान कहलाती है। अध्ययन की जिस पद्धति का हम अनुकरण करेंगे वह माध्यारणतया तुलनात्मक पद्धति कही जाती है, अर्थात् जिन संविधानों का अध्ययन करना है उनके इतिहास और वर्तमान रूप से उत्पन्न होने वाली कुछ समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर हम उनके वर्गीकरण का प्रयास करेंगे। किन्तु ऐसा करने से पूर्व दो बातें आवश्यक हैं—जिन मुख्य शब्दों का हमने प्रयोग करना हांगा उनकी परिभाषा करना और राजनीतिक संविधानवाद के भावान्य इतिहास की व्याख्या प्रस्तुत करना।

2 समाज

राज्य के किसी भी पहलू का अध्ययन समाज की परिभाषा से प्रारम्भ होना चाहिए, व्यापक राजनीतिक रूप से समर्पित समाज ही राज्य है। समाज को मानव प्राणियों की कोई सम्म्या कहकर परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में यदि अंगरेजों या फ्रांसीसियों जैसे लोगों में देखा जाय तो पता चलेगा कि उनमें स्त्रियां एवं पुरुषों के बीच सम्बन्धों की एक विशाल व्यवस्था है, जिसके प्रत्यक्षरूप के मामाजिक दृष्टि से ऐसे समूहों में विभक्त हैं जो उनके राजनीतिक समूहों से किसी भी तरह मेल नहीं खाते। कभी-कभी, समूह राज्य से बहुत छोटा होता है और ऐसा बहुधा होता है, किन्तु अक्सर वह राजनीतिक सीमा को पार कर जाने विकल्प जाना है, वाणिजिक सम्बन्धों में यह गिरिति विशेष रूप में पाई जाती है।

यह बहा जा सकता है कि सामाजिक, न कि राजनीतिक, दृष्टि से किसी भी न समाज के मद्दत्या के सवाम वी मूल इवाइयों तोन होनी हैं। इनमें से मर्वंप्रथम 'परिवार' नामक वह सम्या है जिसमें मनुष्य पैदा होते हैं। दूसरी इकाई सवाम का वह रूप है जिसमें मम्मिलिन हान के लिए लाग आविष्क हिन वयवा सामाजिक उपयोगिना जैसे किसी प्रबल प्रलोभन से बाह्य होते हैं, उदाहरणार्थ, थमिक मध्य या व्यावसायिक सम्पत्ति। तीसरी इकाई को ऐच्छिक सम्या वहा जो सकता है, जैसे वोई कवच अवश्या (कम-मे-कम आधुनिक परिस्थितियों में) अचं अवश्या

धार्मिक समुदाय। यद्यपि यह मत्य है कि इस प्रकार की संस्थाओं में गतिय रूप से हस्तोप करने में लिए राज्य सामान्यतया अपनी शक्ति वा प्रयोग नहीं करता, किर भी वास्तविकता यह है कि सामाजिक स्वास्थ्य जयवा राजनीतिक औचित्य की दृष्टि से वह शक्ति वा प्रयोग कर सकता है और उभी न भी ऐसा बरने के लिए मजबूर भी हो जाता है। जहाँ एवं और उपर्युक्त प्रकार वे समुदाय राज्य ने कामों को प्रभावित और निरूपित करने में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं, वहाँ दूसरी ओर यह भी मत्य है कि उनमें से बहुत से उन वातों ने विना जीवित नहीं रह सकते जिनका प्रबल्तन राज्य-हृषी माध्यन पर ही निर्भंग है, जैसे विवाह-सम्बन्धी विधियाँ, सम्पत्तिगम्यन्यायी अधिनार, राजिदागम्यन्यायी विधियाँ आदि।

3 राज्य

विन्तु यह सब होते हुए भी राज्य को परिवारों वा समूह मात्र अथवा व्यावसायिक संगठनों का समुच्चय अथवा जिन ऐच्छिक समुदायों को वह विद्यमान रहने देता है उनमें विरोधी हितों को सतुलित रखने वाला स्वास्थ्य मात्र ही नहीं वहा॒ जा सकता। समुचित रूप से संगठित राजनीतिक समुदाय में राज्य समाज के लिए होता है न कि समाज राज्य के लिए, विन्तु सामाजिक दृष्टि से लोग वितने ही उन्नत क्षणी न हो, किर भी परिवारों, बलबों, धार्मिक समुदायों, श्रमिक संघों आदि से निर्मित जिस समाज का वे निर्माण करते हैं, उन पर यह भरोसा नहीं विया जा सकता कि वह शक्ति के विना, जो कि अतिम निर्णायक होती है, अपने को वायन रख सकेगा।

सभी समुदाय अपने सचालन के लिए नियम-विनियम बनाते हैं। जब समुदाय का एवं राजनीतिक होता है तब ये नियम विधि (कानून) रहताते ह, जिनका निर्माण करने की सत्ता राज्य का विशेषाधिकार होती है, जिसी अन्य समुदाय की नहीं। इस प्रकार, प्रोफेसर मेकाइवर वे व्यवनानुसार “राज्य सामाजिक व्यवस्था के पोषण एवं विकास की आधारभूत संस्था है और इस प्रयोजन के निमित्त उसकी वैन्द्रीय संस्था तो समाज की संयुक्त शक्ति प्राप्त रहती है।” विन्तु इस परिभाषा के अन्तर्गत चलावानी या पशुचारी समाज भी आ सकता है जिसमें कुल पिता अथवा परिवार का मुखिया एवं ता का सूक्त होता है और वह एवं तरह से शासन की शक्तियों का प्रयोग भी करता है। लेकिन ऐसे समाज में पास प्रदेश नहीं होता जो वास्तविक राजनीतिक संगठन के लिए अनिवार्य है। इस पर प्रोफेसर हैदरिंगटन ने भी बल दिया है। उसके बनुसार “राज्य वह संस्था अथवा संस्थाओं का कुलक (set) है जो जीवन के व्यवस्थाएँ ग्रातंभिक समान प्रयोजनों एवं परिस्थितियों को गुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिसी स्पष्टरूपेण निरूपित प्रादेशिक क्षेत्र के निवासियों को एवं सत्ता के अधीन

मगठित करता है।” किन्तु उपर्युक्त प्रथम परिभाषा में बणित ‘समाज की संयुक्त शक्ति’ और द्वितीय परिभाषा में उल्लिखित ‘एक सत्ता’ का क्या अर्थ है? यह विधि (कानून) के निर्माण की शक्ति या प्राधिकार है। अब हम बुझो विस्तर द्वारा की गई परिभाषा पर पहुँच गए हैं जो इस प्रकार है “एक निश्चित प्रदेश के भीतर विधि के निमित्त संगठित लोग ही राज्य हैं।”

4 विधि और रुद्धि

अतः, अन्य प्रकार के समुदायों से भिन्न राज्य का मूल तत्त्व उसके सदस्यों द्वारा विधि का पालन है। चकि, राज्य, शासक और शासितों में विभक्त, एक प्रादेशिक समाज है, अतः, हम विधि की यह परिभाषा उद्भूत कर सकते हैं कि ‘विधि उन नियमों का सामान्य निकाय है, जो किसी राजनीतिक समाज के शासकों द्वारा उस समाज के सदस्यों को सम्बाधित किए जाते हैं और जिनका साधारणतया पालन किया जाता है,’ अथवा “विधि कुछ निश्चित प्रकार के कार्यों को करने का या करने से विरत रहने का आदेश है, जो किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा, निकाय के रूप में कार्य करते हुए, दिया जाता है और जिसमें स्पष्ट या लक्षित रूप में यह घोषणा होती है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दड़ित किया जाएंगा, यह पहले से ही मान लिया जाता है कि दड़ वी घोषणा करने वाले व्यक्ति या निकाय में दड़ देने की शक्ति है और उसका अभिप्राय भी ऐसा ही है।”

विधि के पीछे बल सदा से ही सामाजिक बल रहा है। किन्तु सामाजिक बल अपने-आप में बेवल रुद्धि ही है। जहाँ कहीं भी कोई समाज विचारान है, भले ही वह कौसी ही प्राथमिक अवस्था में हो, वहाँ सामाजिक वार्यकलाप के लिए रुद्धियों का चिकास अवश्य होगा। अनेकानेक रुद्धियों बन जाती हैं और वे एक प्रकार की अलिखित सहिता का रूप धारण कर लेती हैं, जिनके अनुकूल आचरण पैदॄक या धार्मिक सत्ता अथवा सम्बद्ध समुदाय के लोकमत जैसे किसी दबाव के कारण होता है। इनमें से कुछ रुद्धियों की सार्वजनिक रूप्याण के लिए इतनी व्यापक उपयोगिता होती है कि उनका सार्वजनिक रूप में पालन कराने के लिए बेवल सामाजिक सत्ता या लोकमत जैसे दबाव से कहीं अधिक शक्तिशाली दबाव वी आवश्यकता होती है। ऐसी अवस्था में ये रुद्धियाँ सामाजिक न रहकर राजनीतिक—वास्तव में विधियाँ—बन जाती हैं, जिनका पालन संगठित शासन द्वारा बराया जाता है।

यह हुई विधि जो, आहे वह किसी भी तरीने से स्थापित हो, राज्य द्वारा समूचिन-रूपेण गठित व्याधालयों में प्रवर्तित वी जाती है। इमें निम्न-लिखित भोत हो सकते हैं —(1) रुद्धि—अर्थात् अलिखित विधि जो निरतर

प्रयोग रो प्रवर्त्तनीय हो जाती है, (2) पहले के न्यायाधीशों के लिखित निर्णय—अर्थात् वह जिसे कभी-कभी निर्णय विधि (Case-Law), न्यायाधीश-निर्मित विधि अथवा सोब विधि (Common-Law) कहा जाता है, (3) सविधि—अर्थात् राज्य के विधानमंडल या संसद् के अधिनियम।

5 प्रभुत्व

हमने ऊपर कहा है कि अन्य समुदायों द्वारा तुलना में राज्य का विशेष गुण विधियों बनाने और उनको दमन के ऐसे सब साधनों द्वारा, जिन्हें वह प्रयुक्त करता चाहे, प्रवर्त्तित करने वीं शक्ति है। यह शक्ति 'प्रभुत्व' कहलाती है। यह एक बहुत ही विवादास्पद शब्द है और इसके विषय में हमे आगे बहुत-कुछ बहना है। यहाँ पर इसे इसके दुहरे—आतंरिक और बाह्य—पहलू में परिभाषित कर देना पर्याप्त होगा। आतंरिक दृष्टि से प्रभुत्व वा तात्पर्य राज्य में एक व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय की, उसके क्षेत्राधिकार के अन्दर व्यक्तियों या व्यक्तियों के समुदायों पर सर्वोच्चता है। बाह्य रूप से प्रभुत्व का अर्थ है अन्य सब राज्यों के सम्बन्ध में एक राज्य की पूर्ण स्वतंत्रता। व्युत्पत्ति की दृष्टि से 'प्रभुत्व' शब्द का अर्थ केवल प्रधानता है, जिन्हुंना राज्य वे सम्बन्ध में प्रयुक्त करने पर इसका अर्थ एक विशिष्ट प्रकार की प्रधानता होता है अर्थात् ऐसी प्रधानता जिसमें विधि-प्रचालन अर्थात् विधि-निर्माण की शक्ति उपलक्षित है। किसी भी राज्य में प्रभुत्व-शक्ति वहाँ स्थित है, इस बात का पता लगाने के लिए यह आवश्यक है कि जिन तीन रूपों में इस शब्द का प्रयोग होता है उनमें विभेद कर लिया जाय। इसका तात्पर्य हो सकता है—(1) राज्य वा नामधारी प्रभु; जैसे यूनाइटेड किंगडम में महारानी, (2) वैध प्रभु—अर्थात् वह व्यक्तियों वे व्यक्ति जो देश की विधि के अनुसार विधि-निर्माण-कार्य करते हैं और शासन का सचालन करते हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम में रासद् सहित महारानी, (3) राजनीतिक या सविधानी प्रभु—अर्थात् व्यक्तियों का वह निवाय जिसमें शक्ति अन्ततः निवास वार्तो है; जिसे कभी-कभी 'सामूहिक प्रभु' कहा जाता है और जिसका निवास आधुनिक सविधानी राज्य में निर्वाचिक-मंडल अथवा मतदाती जनता में होता है। अभी हमारा सम्बन्ध प्रभुत्व वे इन पहलुओं में से केवल दूसरे पहलू से है, यद्यपि तीसरे पहलू का कार्य, जैसा कि हम बाद में देखेंगे, आधुनिक राज्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है।

जेम्स ब्राइटर ने एक अंगरेज के विषय में लिखते हुए किसी भी राज्य में प्रभु का पता लगाने की प्रक्रिया का एक उत्तम उदाहरण दिया है। उसने लिखा है: "एक नगरपालिका में किसी गृहस्वामी से 'सड़क-कर' की माँग की जाती है। वह उसका कारण पूछता है। उसका ध्यान 'कर' आरोपित करने वाली नगर-परिषद्

के प्रस्ताव की ओर आवश्यित विषय जाता है। इसके पश्चात् वह पूछता है कि परिपद् को कर लगाने का क्या अधिकार है? उत्तर में ससद् के उस अधिनियम का उल्लेख किया जाता है जिससे परिपद् को उम्मी शक्तियाँ प्राप्त होते हैं। यदि वह यृहस्यामी अपनी जिज्ञासा को और आगे बढ़ाना चाहता है और पूछता है कि इन शक्तियों को प्रदान करने का ससद् को क्या अधिकार है, तो वर-सप्राहृत यही उत्तर दे सकता है कि यह बान सर्वेविदित है कि इगलैड में ससद् विधि बनाती है और विधि के अनुसार कोई भी अन्य सत्ता ससद् की इच्छा की अभिव्यक्ति वा अतिक्रमण या उसमें किसी प्रकार वा हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सभी अन्य सत्ताओं से ससद् सर्वोच्च है, अथवा, दूसरे शब्दों में, ससद् ही प्रभु है।"

बाद में हम देखेंगे कि प्रभुत्व का पता लगाना इतना आसान नहीं है जितना कि उपर्युक्त उदाहरण में दिखाई दना है। किन्तु यदि हम यह याद रखें कि राज्य में व्यक्तियों के जिस नियाय के अदेशों का अभ्यस्त रूप से पालन किया जाता है—और इसमें राज्य के सशम्भव बल का नियन्त्रण भी उपलक्षित है—वह नियाय ही प्रभुसत्ता है, तो हमें अगली परिभाषा की ओर अप्रसर होने में किसी कमी वा अनुभव नहीं होगा।

6. शासन

विधिया वा निर्माण करने और उन्हें प्रवर्तित करने के लिए राज्य के पास एक सर्वोच्च सत्ता होनी चाहिए। यह सत्ता 'शासन' कहलाती है। शासन राज्य का यत्र है, उसके बिना राज्य का अस्तित्व नहीं रह सकता, क्योंकि 'शासन, अनितम विश्वेषण में, सगठित बल है।' अतएव शासन "वह सरथा है जिसमें... प्रभुसत्ता के प्रयोग का अधिकार निहित है।" जब हम, उदाहरणार्थं येट निटेन में मन्त्रिमंडल को शासन कहते हैं, साधारण बौलचाल की भाषा में शासन का जो अर्थ हम ग्रहण करते हैं, व्यापक दृष्टि से शासन का अर्थ उससे बहुत बड़ा है। व्यापक अर्थ में शासन पर राज्य की भीतरी और बाहरी शाति एवं सुरक्षा बनाए रखने का भार रहता है। इसलिए उसके पास लक्ष्यसे पहले सैनिक शक्ति जर्यात् सशम्भव बल का नियन्त्रण, दूसरे, विधान-शक्ति, अर्दात् विधि-निर्माण के साधन, तीसरे, कितीय शक्ति अर्दात् राज्य की रक्षा करने के और उस विधि को, जिसका वह राज्य की ओर से निर्माण करता है, प्रवर्तित करने के व्यय को पूरा करने के हेतु जनता से पर्याप्त धन बमूल करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। सध्येष में, उसके पास विधान शक्ति, कार्यकारी शक्तियाँ तथा न्यायिक शक्ति होनी चाहिए। इन्हें हम शासन के तीन विभाग कह सकते हैं।

7 विधानमंडल

शासन के जिन तीन विभागों का अभी हमन बयान किया है व सब आधुनिक राज्य में प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग में भाग लेते हैं। उनका एक-दूसरे से सदा ही घनिष्ठ सबध रहता है, जिन्हीं राज्यों में अधिक और जिन्होंमें वस, जिन्हें किर भी के सभी राज्यों में पृथक् होते हैं। विधानमंडल शासन का वह विभाग है, जिसका सबध विधि के निर्माण से है जहाँ तर पि विधि के लिए साविधिक वस आवश्यक है। तर्क भी दृष्टि से, विधि को क्रियान्वित करने में पहले उसका निर्माण होता है। अतः, प्रथम दृष्टि में विधानमंडल वार्य-पालिका स, जो विधि को कार्यान्वित करती है अथवा न्यायपालिका में जो उसका उल्लंघन करन वाला को दण्ड देती है, वही अधिक महत्वपूर्ण है। जिस्तु सदा ही ऐसा नहीं होता, क्योंकि, जैसा पि हम बाद में देखेंगे, विधानमंडल को अन्य दाना विभाग पर नियन्त्रण रखने की शक्तियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। किर भी हम उस अपरीक्षन अधिकारी से सहमत हो सकते हैं जिसन विधान-वार्य को प्रत्यक्ष स्वतंत्र शासन में एक महान् और सर्वोपरि शक्ति वहा है।

आधुनिक संविधानी राज्यों में विधान शक्ति संसद के हाथा में होती है। इसके साधारणतया दो सदन होते हैं जिनमें से एक या दाना ही जनता द्वारा निर्वाचित विए जा सकते हैं। अतः, आधुनिक राज्य में विधानमंडल के गठन से निर्वाचन-समूह के स्वरूप बा, जिरो हम राजनीतिक प्रभु कह चुके हैं, घनिष्ठ सबध होता है। आधुनिक समाज दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक जटिल होता जा रहा है और उसके कलस्वरूप विधि-निर्मात्री रात्ता में वह सामाजिक वल्याण के हेतु अधिकाधिक मांग बरता है। ज्यो-ज्यो यह जटिलता बढ़ती जाती है, त्यो-त्या उसी अनुपात में विधानमंडल के कृत्यों में भी बढ़ि होती जाती है। सभी राज्यों में विधानमंडल के कार्य पर समाज वा स्वरूप ही अप्रत्यक्ष रूप से यह दबाव डालता है, कुछ राज्यों में एक सजीव निर्वाचन-प्रणाली के द्वारा अधिक प्रत्यक्ष रूप में ऐसा होता है तथा कुछ राज्यों में विधि निर्माण का उपत्रयण करने की अथवा संसद् द्वारा विधि पारित किए जाने के पश्चात उसे अनमोदित या अनुगोदित करने की जनता की संविधानी शक्तियों द्वारा और भी अधिक प्रत्यक्ष रूप से दबाव पड़ता है। जैसा पि हम बाद में देखेंगे, आधुनिक विधानमंडलों की ये विभिन्नताएँ वर्तमान राज्यों के वर्गीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करती हैं।

8 कार्यपालिका

‘कार्यपालिका’ शब्द का प्रयोग प्राय वडे अनिश्चित ढंग से किया जाता है।

कभी-कभी उसका वेवल मुख्य सर्वी अथवा प्रमूख (उदाहरणार्थ, संयुक्तराज्य के राष्ट्रपति) से तात्पर्य होता है, कभी-कभी संनिक और असंनिक सभी प्रकार के लाक सेवकों को उसके अन्तर्गत शामिल कर लिया जाता है, जिस अर्थ बो प्रबढ़ करन के लिए 'प्रशासन' शब्द अधिक उपयुक्त है। यहाँ 'वार्यपालिका' शब्द से हमारा तात्पर्य शासन के प्रमूख और उसके मत्रियों से है, जिन्हे साधारणतया 'मंत्रिमण्डल' बहा जाता है। इसरे शब्दों में, वर्यपालिका से हमारा तात्पर्य राज्य में उस निकाय से है जिसे संविधान विधानमण्डल बो स्वीकृति प्राप्त विधि बो वार्यान्वित बरन की सत्ता प्रदान करता है। यद्यपि प्राविधिक दृष्टि से यह सच है कि नीति वा उप क्रमण विधानमण्डल करता है, किन्तु आवृहारिक रूप में आजकल हाता यह है कि पहले उसके अधिकार का निरूपण कार्यपालिकावरती है और तब उसे विधानमण्डल वा अनुप्रोद्देश के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत करती है।

विसी भी राज्य के लिए ऐसा निकाय अनिवार्य है किन्तु आधुनिक राज्य के संबंध में यह वात विशेष रूप से लागू होती है, यथाकि वह एक विशाल राष्ट्रीय समुदाय हाता है और इसीलिए यह आवश्यक है कि उसके मुख्य मत्रियों के पास व्यापक शक्तियाँ हों। विधानमण्डल और वार्यपालिका के गठन में बड़ा अतर संघर्ष का है। विधानमण्डल एक बड़ा निकाय है और कार्यपालिका (जिस अर्थ में हम यहाँ उसका प्रयोग कर रहे हैं) छोटा। ऐसा होना आवश्यक भी है क्योंकि विधानमण्डल विचार-विमर्श करने वाली सभा है जिसका कार्य सार्वजनिक विषयों पर धार विवाद करता है, और कार्यपालिका विभागों के सचिवीय प्रधानों का निकाय है जिसका कार्य तत्परता और दृढ़ता के साथ नाम करना है। कही-कही, जैसा कि हम धार में देखेंगे, कार्यपालिका पर विधानमण्डल का नियन्त्रण होता है, अन्यत वह उससे पृथक् होती है और यह अतर हमारे वर्गीकरण का एक मुख्य आधार है।

9 न्यायपालिका

न्यायपालिका भासन का वह विभाग है जिसका सम्बन्ध विधि वा उल्लंघन बरने वाला का दण्डित करन से है, विधि विधानमण्डल द्वारा पारित संविधियों के रूप में हा सकती है अथवा वह विधानमण्डल बो इच्छा से विचारात हा सकती है। जैसा एक अधिकारी न कहा है, न्यायपालिका का वर्तन्य "वैयक्तिक" मामला में विचारात विधि के प्रयोग का विनिश्चय बरना है।" ऐसी न्यायिक शक्ति शासन वा मूल तत्त्व है जो, जैसा कि हम पहले वह चुक हैं, स्वभाव से ही दमनकारी होता है। न्यायपालिका सदा ही न्यायाधीशों का एक निकाय होता है, जो बेन्द्र में और राज्य के दूर-नूर के छोटा में वैयक्तिक या सामूहिक रूप में काम करते हैं। न्यायाधीशों की शक्तियाँ अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग

तरह वी होती हैं। कुछ राज्यों में, जैसे श्रिटेन में, न्यायाधीश विधानमण्डल द्वारा पारित कियी भी विधि को लागू करने के लिए वाप्त होते हैं, चाहे ऐसी विधि न्यायालयों के पिछले निर्णयों वो समाप्त ही क्यों न कर दे, वास्तव में नई विधि पिछले निर्णयों को समाप्त करने के लिए ही पारित वी जाती है। अन्य कुछ राज्यों में, जैसे संयुक्त राज्य में न्यायाधीशों का मर्बोन्च न्यायालय कियी भी विधि वो विन्ही मामला में लागू रखने से इम आधार पर इनकार कर सकता है ति उस विधि ना निर्माण माविधानिक दृष्टि से विधानमण्डल की शक्ति के बाहर है और इम प्रकार वह विधानमण्डल के अधिनियमों को रद्द कर सकता है।

अधिकार राज्यों में शासन का न्याय-विभाग न्यूनाधिक भावा में एक सूजनात्मक शक्ति होती है जो सर्वद, विशेषवर आगल-भेवमन देशा में, उस विधिनिकाय में, जिसके अधीन आधुनिक समुदाय शासित होते हैं, अपने कार्य के सिलसिले में महत्वपूर्ण तत्वों का विकास करती रहती है। विधि, मधी स्थानों में, विशेषज्ञों ना क्षेत्र है और इसी बारण साधारणतया न्यायाधीशों का पदावधि की सुनिश्चितता और शासन के अन्य दोनों विभागों के हरतथोप से स्वतन्त्रता उपलब्ध होती है। यह उनके लिए बड़ा गूल्यवान अधिकार और समाज के लिए वास्तव में अत्यधिक महत्व की चात है। इसके साथ ही कार्यपालिका के पास भी कुछ न्यायिक शक्तियाँ रहती हैं, जिनका मुख्य रूप से क्षमादान और प्रविलम्बन अर्थात् प्राणदण्ड के स्थगन तथा सशस्त्र सेनाओं और भामान्यतया अ-सैनिक सेवाओं में अनुशासन के प्रवर्तन से सबध होता है, यद्यपि ये कार्य अन्तत विधानमण्डल के नियन्त्रणाधीन होते हैं, जो वि इन सेवाओं के पोषण के लिए धन के अनुदान अधिकार नियंत्र की अपनी शक्ति द्वारा नियन्त्रण करता है।

10 संविधान

शासन के इन तीनों विभागों के गठन एव पारस्परिक सबध के भेदों से ही राज्यों में अतर होता है। आधुनिक सविधानों राज्य, जिससे अब आगे हमारा सबध रहेगा, ऐसा राज्य है जिसने शासन के इन तीन कार्यों के परिपालन के लिए नियमों एव रुढियों के एक स्वीकृत निकाय का विकास किया है। जेम्स ब्राइस ने सविधान की परिभाषा इस प्रकार की है—सविधान 'विधि से और उसके द्वारा सामग्रित राजनीतिक समाज का एक ढाँचा है अर्थात् ऐसा समाज जिसमे विधि ने निश्चित अधिकारों और स्वीकृत कृत्यों वाली रक्षापी रक्षाओं वी स्थापना की है।' सविधान को उन सिद्धातों का सकलन भी कहा जा सकता है, जिनके अनुसार शासन वी शक्तियों, शासितों के अधिकारों और इन दोनों के बीच सबधों का समायोजन विया जाता है। सविधान विचारपूर्वक विख्यत रखना हो सकती है, वह किसी एक दस्तावेज में हो सकता है, जो स्वयं समय और प्रगति की माँग के

अनुसार परिवर्तित और सशोधित निया जाता है, या वह पृथक् विधियों का एक समग्र भी हो सकता है, जिन्हें संविधान भी विधियों के रूप में विशेष सत्ता प्रदान की गई हो, अथवा हो सकता है कि संविधान के आधार एवं या दो मूल विधियों में निश्चित कर दिए गए हों और शेष संविधान अपनी मत्ता के लिए प्रथा (Custom) के बल पर निर्भर हो।

यह सब है, जैसा कि आइवर जेनिस अपनी 'केबिनेट गवर्नमेंट' नामक पुस्तक में बहता है कि, 'विधियों और संविधानों (Conventions) के बीच का अतर वास्तव में भौतिक महत्व का अन्तर नहीं है, क्योंकि संविधान वितना ही पूर्णरूपण सिखित क्या न हो, उसके सशोधन के लिए किए गए प्रत्यक्ष उपायों के अतिरिक्त संविधानों और प्रथाओं का विकास धीरे धीरे उसके रूप में निश्चय ही परिवर्तन कर देगा। इमें अतिरिक्त, जैसा कि जेनिस ने आगे लिखा है, संविधान आवश्यक रूप में मौन सम्भवि पर आधारित रहता है ताकि वह जनमन-सम्बन्ध (Referendum) द्वारा या मौन अनुमोदन द्वारा स्थापित हो अथवा बल द्वारा ही स्थापित क्यों न हो। यदि संगठित जनमत उसे अनिष्टकर समझता है तो वह निश्चय ही उलट दिया जाएगा, और यदि, जैसा कि उपर्युक्त लेखक अपने कहता है, लुई नेपालियन, भुसालिनी या हिंटलर जैसा वाई व्यक्ति यह समझता है कि वह सोगों को परिवर्तन के प्रति सम्भवि प्रबल वारन के लिए बाध्य बर सकता है या फूमला सकता है तो वह उसे उलटने में इम कारण नहीं हिचकिचायगा कि उसका विधि के रूप में अधिनियमन किया गया है। किन्तु संविधान का स्वरूप कैसा भी हो, वास्तविक संविधान में निम्नलिखित घटने स्पष्ट रूप से अवित हानी पहली, विभिन्न अभिकरण (Agencies) किस प्रकार संगठित किए गए हैं, दूसरी, इन अभिकरणों को क्या शक्ति दी गई है, और तीसरी, ऐसी शक्ति का प्रयोग किस रीति से किया जाना है। जिस प्रकार मानव-शरीर का विभिन्न अवयव युक्त गठन होता है, जिनकी क्रियाएँ शरीर की स्वस्थ दशा में सामर्जस्यपूर्ण होती हैं और जरीर के स्वस्थ न होने पर अ-सामर्जस्यपूर्ण, ठीक उसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि राज्य या राजनीतिक निकाय वा उस समय एक संविधान होता है जब विं उसके व्यवस्था और उनके कृत्य निश्चितरूपण सुव्यवस्थित होते हैं और विसी निरकुश शामक वो सनक जैसी विसी बात के अधीन नहीं होता। सधेष में, संविधान का उद्देश्य शासन के मनमाने कार्यों को सीमित करना, शामिलों के अधिकारों को सुनिश्चित करना, और प्रभुसत्ता के कार्यों को मर्यादा का निष्पत्ति करना है।

11 राष्ट्रीय लोकतंत्रात्मक राज्य

उपर्युक्त बातों से हम सार्वजनिक राज्य को पहचानने में सहायता मिलेगी।

राजनीतिक सविधानवाद को जड़े पारम्परात्म सासार के इतिहास की गृहराई में जमी हुई है, और जिस रूप में राज्य वो आज हुग जानते हैं उसने विवाग में कुछ स्थानों में सविधानिक गिरावा वा अभ्युदय भेनन संयोजन शक्ति के रूप में राष्ट्रवाद के उदय अथवा गामगिक राजनीतिक रायंशम के रूप में लोकतंत्र के प्रादुर्भाव से बहुत पूर्व ही हो गया था। किंर भी यह निश्चित है कि आधुनिक सविधानी राज्य की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय और प्रवृत्ति लोकतंत्रीय है। राजनीतिक शब्दावली में राष्ट्रीयता शब्द की परिभाषा करना गम्भीर बहित है, जिसु हम निश्चिन्तना से वह सरते हैं कि आधुनिक रूप में राष्ट्रीयता नमान अर्थीत याते और नमान भविष्य की बाबना रखन वाले लोगों की मिलनर कार्य बरत थी भावना है जो अपने-आपको राजनीतिक रूप में सागठित परन के लिए प्रयास करती है। सविधानी राज्य के विवाग में यह हा गवता है कि राष्ट्रीय एवं वो यह भावना प्रारम्भ में नमाज के सदस्यों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राप्ति की अपेक्षा समूह की स्वतंत्रता की स्थापना के लिए प्रयत्नजील हा, जिसु अन्त वह जनता के अधिकारों की प्राप्ति के निमित्त चालर शक्ति का सूजन करती है।

'लोकतंत्र' शब्द भी विभिन्न प्रकार से प्रयुक्त विया जाता है, वभी उगवा मततंत्र शासन के रूप से होता है और वभी उगवा प्रयोग नमाज की अपस्थापित वो व्यक्ति बरते के लिए रिया जाता है। जिसु नमालीन सासार में जिस प्रवार राष्ट्रीयता अनिवार्यतं राजनीतिक लोकतंत्र वा आधार बन गई है उसी प्रवार लोकतंत्रात्मक राजनीतिक सागठन नमानिक प्रणति का साधन बन गया है। यहौ पर हमारा विषय राजनीतिक लोकतंत्र है, जिसवा आशय यह है कि शासन नामितों की नममति पर आधारित होगा अर्थात् जनता की सम्मति या असम्मति निर्वाचनों, सभामच्चा, समाजसंघो आदि साधनों द्वारा वास्तविक रूप में अभिव्यक्त हो सेगी। अनएट, इम अर्थ में लोकतंत्र में हमारा तात्पर्य ऐसी शासन-प्रणाली रो है जिसमें राजनीतिक समुदाय दे वपस्त्र सदस्या की बहुराज्या एवं ऐसी प्रनिनिधित्व-प्रणाली के द्वारा भाग लेती है जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि शासन अपने कार्यों के लिए अन्तत उस बहुराज्या के प्रति उत्तरदायी होगा। दूसरे शब्दा में, नमालीन सविधानी राज्य लोकतंत्रात्मक प्रतिनिधित्व की ऐसी प्रणाली पर आधारित होना चाहिए जिससे जनता की प्रभुता मुक्तिश्वत हुज लाती है।

यह परिभाषा अभिनव सत्तावादी या रामग्रवादी राज्यों वो, जाहे उनवा रूप पारिस्ट हो या मार्किस्ट, वही तर लागू होती है, यह विद्यादास्पद विषय है। वम से वम इतना कहा जा गवता है कि नमालीन सासार में इस प्रवार के प्रत्येक राज्य की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय है, यथापि मार्किस्ट निचारधारा वा, जो साम्यवादियों के राजनीतिक सागठन को अनुप्राप्ति वरती है, उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय है। इसके

आधुनिक राजनीतिक संविधान

अतिरिक्त उनमें से प्रत्येक का एक प्रकाशित दस्तावेजी संविधान है जिससे उनके राजनीतिक व्यवहार का सही-सही परिचय मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है। साम्यवादी संविधानों में उनके शासन के स्वरूप को लोग गणतन्त्र (पीपुल्स डेमोक्रेसी), लोक-गणराज्य (पीपुल्स रिपब्लिक) और प्रजातत्त्वीय गणराज्य (डेमोट्रेटिक रिपब्लिक) आदि नामों द्वारा वर्णन किया जाता है। एक उदारवादी को यह शब्दों का दुररप्योग मालूम हो सकता है। किंतु भी सत्य बात तो यह है कि विश्व की वर्तमान स्थिति में तुलनात्मक राजनीति के किसी भी अध्ययन में, यदि वह अध्ययन यथार्थवादी होता है, इन संविधानों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्योंकि उनको प्रेरित करने वाले सिद्धान्तों के विषय में हमारे विचार कैसे भी बयो न हो, वे सिद्धान्त प्राचीन पाश्चात्य परम्परा के संविधानबाद को अनुप्राणित करने वाली धारणाओं के लिए, जिनकी उत्पत्ति एवं जिनके विकास का हम अब संक्षिप्त रूप में वर्णन करेंगे, एक निर्मेय चुनौती है।

2

संविधानी राज्य की उत्पत्ति और उसका विकास

1 विषय-प्रवेश

संविधानी राज्य का अम्बुदय सारत एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है और इस विषय के विद्यार्थी को अपनी मुष्ट्य सामग्री इतिहास में मिलेगी। यह सामग्री स्वयं संस्थाओं के अपने इतिहास में ही नहीं बल्कि राजनीतिक विचारों के इतिहास में भी मिलती है, जिन्होंने इन संस्थाओं के विकास को प्रोत्साहित किया है, अपवा जो स्वयं भी उनके विकास से स्फूर्ति प्राप्त करते रहे हैं, क्योंकि जो अभिप्रेत था, उस पर विचार करना प्राय उतना ही महत्वपूर्ण होता है, जितना कि जैसा वास्तव में हुआ, उत पर विचार करना। यह बात उन संस्थाओं के बारे में और भी अधिक लागू होती है जिनका अब हम अध्ययन कर रहे हैं और जिनका आज के हमारे ही युग में संस्कार और पुनर्संस्कार हो रहा है। भूतकाल में ही नहीं, बल्कि वर्तमान में भी विद्यमान शासनपद्धति का उसके मुधार की दृष्टि से विवेचन अथवा विद्यमान संगठन का उसकी परिभाषा वी दृष्टि से विश्लेषण ही अधिकाश राजनीतिक दर्शन का आधार बनता है।

हमने संविधान की यह परिभाषा भी है कि वह विधि से और उसके हारा रागित राजनीतिक समाज का एक ढाँचा है, जिसमें विधि ने निश्चित अधिकारों और स्वीकृत कृत्यों वाली स्थायी संस्थाओं की स्थापना की है, और संविधानी राज्य हमारी परिभाषा के अनुसार वह राज्य है जिसमें शासन की शक्तियों, शासितों के अधिकारों और इन दोनों के बीच में सबधों का समायोजन किया जाता है। इस प्रकार का राज्य एक साथ ही अत्यन्त प्राचीन और अत्यन्त नवीन है। यह उतना ही प्राचीन है जितना कि पुरातन यूनान और उतना ही नवीन है जितनी कि बीसवीं शताब्दी। इसका प्राचीनतम् रूप, जिसका हमारे पास लिखित प्रमाण है, यूनानियों और रोमनों के प्राचीन सत्तार में पाया जाता है, किन्तु वह आज के रूप से बहुत भिन्न था। आधुनिक संविधानवाद, जैसा कि हमने कहा है, राष्ट्रवाद और प्रतिनिधिक लोकतत्त्व के दोहरे आधार से विवसित हुआ है। किन्तु सापेक्ष दृष्टि से राष्ट्रवाद हाल ही की उत्पत्ति है। राष्ट्रीय संविधानी राज्य प्राचीन विश्व की भूमि में उत्पन्न नहीं हो सकता था। व्याव-

हाँस्व राजनीतिक वार्षिक के स्पष्ट में राष्ट्रवाद का विवाह राज्य के उस ढंगे के भीतर हुआ है जिसका योरोप में पन्द्रहवीं शताब्दी में आविर्भाव हुआ। योरोप की आधुनिक राज्य प्रणाली का आरम्भ परिवर्तन के उस महान् युग में हुआ, जिसे हम पुनर्जन्म (Renaissance) कहते हैं। माहित्य, कला, विज्ञान, सामुद्रिक विद्याएँ तथा और राजनीति के क्षेत्र में ही नातियों के महत्व के समर्थने का मर्कोलम उत्थाय थह है कि हम राज्य पर उनके प्रभावों का अध्ययन करें। यहाँ 'पुनर्जन्म' शब्द की व्युत्पत्ति से हमें अप्रिक महायन नहीं मिलेगी, क्योंकि इस युग में विद्या के क्षेत्र में तो ग्राचीन आदर्शों का पुनर्जन्म हुआ, विन्तु राजनीति के क्षेत्र में ऐसा बहुत कम हुआ। इस क्षेत्र में तो बहुत बड़े वर्षे में ग्राचीन की मृत्यु और नवीन का जन्म हुआ। उस समय वास्तव में जिसका आविर्भाव हुआ वह था बादा प्रभुता का मिहान जिससे तात्वालिक और दूरस्थ भूतकाल से मम्बन्ध विच्छेद हो गया जिसका बहुत ही अधीर राजनीतिक महत्व है, जैसा कि हम अब देखेंगे।

2 पूनानी संविधानवाद

यह भव्य है कि ग्राजनीतिक पृथक्त्व मूनानी जीवन का एक विशिष्ट लक्षण रहा है। वास्तव में स्वाधत्तना अथवा समूह-स्वातन्त्र्य के मिहान के अति यूनानियों की धार्मिक प्राय अद्वा न ही अन्त में उन्हें डुबो दिया। किन्तु उन्हें नगर-राज्य का यही ज्ञान था जिसका क्षेत्रफल मामान्यनका त्रिटेन के आज के एक जिले से अधिक नहीं था और जनमन्या त्रिटेन के आधुनिक नगर से कम ही थी। यूनानियों का ग्रनुण राजनीतिक दृष्टिकोण इसी तथ्य में निर्धारित होता था, यही नव कि यूनान ने जिन भेदाद्वी राजनीतिक दार्शनिकों को जग्म दिया, वे भी राज्य की इस राजलयना से आगे नहीं जा सके। अरस्तू ने आदर्श राज्य की भीगोलिक भीमा निश्चित करते हुए मह विचार अवश्य प्रकट किया कि राज्य का क्षेत्र हतना बड़ा होता नहीं है कि वह आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सके और इतना छोटा होता नहीं है।

नागरिक के चार में इस प्रवार की कल्पना से फट अनुमान किया जा सकता है कि हमारे आधुनिक मविश्वासाद के दूसरे मिहान-लोकनक्त—की धारणा यूनानियों में किन्तु भिज ची। हमारे राष्ट्र-राज्य ने तो अपने लोकनक्त के विवाह में प्रतिनिधित्व के मिहान को अनिवार्य जग्म दिया, विन्तु यूनानी ऐसे मिहान वो विवकूल ही नहीं जानते थे। यूनानी नागरिक वास्तव में और स्वयं एक मैनिक, व्यापारीज और जामक-सभा का मदम्य मधीं कुछ था। स्पष्ट है कि प्रदेश और संघ्या को मीमित किए गिया, जैसा कि यूनानी नगर-राज्य में उपराजित था, नागरिक के हृत्या का इस प्रवार का व्यक्तिगत पात्र अपनव था। इसके अनि-

रिक्त इम व्यक्तिगत रोका के माथ एवं और गल्या अर्द्धन् दासता पूर्ववित्पित थी, जिसे आपुनिक गम्भीरता की आत्मा कभी भी स्वीकार नहीं पर मनतो। प्राचीन यूनानी एक सक्रिय नागरिक होने के लिए स्वतंत्र था, क्योंकि मामान्यतया जीवन के साधनों का उत्पादन दासों के द्वारा निया जाता था जो विनागरितता की परिधि के बाहर थे।

यूनानी के लिए राज्य ही उसकी सम्पूर्ण सदाचार-चोजना थी। वह ऐसा नगर था जिसमें उसकी भीतिव और आध्यात्मिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। अरस्तू ने जब 'राज्य' शब्द का प्रयोग किया, तो उसमें उसने उन सब वातों को गम्भीरता कर लिया जिन्हे हम राज्य ममाज, आधिक सगठन और यहीं तक कि घर्मे आदि शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। उम्मे लिए राज्य एवं आध्यात्मिक वधन था न कि शासनों यत्र मात्र। अरस्तू ने बहा है कि राज्य जीवन को सम्भव बनाने के लिए ही नहीं बल्कि जीवन को सुन्दर बनाने के लिए है। अफलातून और अरस्तू जैसे यूनानी दार्शनिकों के लिए व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं था। इसके विषयत, उनके विचार में व्यक्ति के सर्वोत्तम सक्षयों की प्राप्ति के लिए राज्य ही उसका एकमात्र माधन था और उनकी दृष्टि में व्यक्ति उस समय तक अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता था जब तक वि वह अच्छा नागरिक भी न हो।

ऐसे विचारकों के लिए अच्छी नागरिकता की क्सोटी विधियों अर्थात् संविधान का पालन करना था। विधि एक निश्चित सार्वलौकिक वल्याण का प्रतीक मानी जाती थी, जो वैयक्तिक स्वेच्छाचार के विरुद्ध रक्षा-व्यवच वे समान थी। अपने आदर्श संविधानों का प्रतिपादन करने में अफलातून और अरस्तू दोनों ने राजनीतिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि शिक्षित नागरिकता के द्वारा ही राज्य को अराजकता से बचाया जा सकता है। अफलातून और अरस्तू दोनों के विचार में एथेस में लोकतंत्र के अनियन्त्रित विकास से ही अराजकता पैदा हुई, और एथेस वी स्वतन्त्रता ने पतित होकर जिस उच्चृत्खलता का रूप धारण कर लिया था उसकी आलोचना ने ही राजनीतिक दर्शन के सर्वोत्कृष्ट प्रयो—अफलातून के 'रिपब्लिक' और अरस्तू के 'पोलिटिकम'—के लिए अवसर प्रदान किया। अफलातून का हस्त था उसकी 'रिपब्लिक' में बणित राजनीतिक मनी-पियों का अभिजाततत, जिससे आशय था ऐसे सरक्षकों का एक निकाय जो प्रशिक्षण की एक ऐसी कड़ी प्रणाली के द्वारा शासन करने के धोग्य बनाए गए हो, जिसके द्वारा एक आदर्श राज्य की सृष्टि हो सके। अरस्तू ने अव्यवस्थित जन-गमूह के निरकुशतत से उस वाल्पनिक व्यवस्था में आशय लिया, जिसे वह 'पॉलिटी' कहता था और जिससे उसका तात्पर्य एक प्रकार के ऐसे मध्यवर्गीय शासन से था जो 'अप्राप्य नहीं तो नम-से-नम अस्थायी गर्वोत्तम' (शासन) और 'असहनीय

निहृष्ट' (शासन) के बोच वा शासन स्थापित कर मते।

विनु इन दोनों में से कोई भी वलना माकार रूप प्राप्त नहीं कर सकती, इमलिए उनको यह प्रदर्शित करने का अवमर नहीं मिला कि उनमें यूनानी नगर-राज्य को विनाश से बचाने की सामर्थ्य थी या नहीं। मग्नूण यूनान की स्वतंत्रता को चिरस्थायी बनाने का एकमात्र उपाय था व्यापक राजनीतिक समोग की स्थापना। यह मार्ग यूनानी विचारकों को खूब ही नहीं, यद्यपि व्यावहारिक रूप में उन्हें शृण करने का प्रयत्न एक बार किया गया था। इस प्रयत्न में एथेन्स न सर्वप्रथम समान राज्यों वा एक समूह बनाया जिसका नाम 'डेलोस का संघ' (Confederacy of Delos) था, विनु जब बाद में एथेन्स ने इसे 'एथेन्स साम्राज्य' के रूप में परिवर्तित करने की चेष्टा की, जिसमें अन्य समस्त राज्यों का नेतृत्व स्वयं उनके हाथों में होता, तो स्पार्टा के नेतृत्व में बहुत-से राज्य उनके विद्वद उठ सड़े हुए क्याकि इसमें उनके मतानुसार स्वतंत्र राज्य के आधार की ही नहीं बल्कि मच्चे मुख के एकमात्र आधार को खनरा उत्पन्न हो गया था। उनके फलम्बन द्वारा उन्हें गृहयुद्ध (गिर्णां पोनिगियन महायुद्ध 431-404 ई पू.) में यूनानियों ने जपते-अपर ही अपनी जो क्षति की उसमें वे संभल नहीं मते और अन्न में द्विनीय क्षिलिप तथा मिकन्दर महान् के अधीन भवहृनिया के आक-मण्डारियों ने उन्हें भरलना से अपने कब्जे में कर लिया।

यूनानी राजनीतिक संविधानवाद में जिम बात का अभाव या वह, जैसा कि हम बाद में देखेंगे, इस प्रकार के राज्य के निरतर अस्तित्व के लिए अत्यावश्यक है और वह बात है समय के परिवर्तन के साथ-साथ चलने की और नई आवश्यकताओं की, जैसे-जैसे वे प्रकट होती हैं, पुनि करने की योग्यता। विनु यद्यपि यूनानियों वा राजनीतिक संविधानवाद इस प्रकार लुप्त हो गया, स्तिर भी उनका राजनीतिक आदर्जवाद जीवित रहा। यह ममलना कठिन है कि इस प्राचीन प्रतिष्ठित उदाहरण द्वारा प्राप्त प्रेरणा के अभाव में हमारा वर्तमान राजनीतिक मग्नूण वैसा ही हो सकता या जैसा कि वह आज है।

3 रोमन संविधान

महृदूनिया द्वारा विजित कर लिए जाने के पश्चात् पुनर्जगित यूनान तथा मिकन्दर द्वारा स्थापित मास्त्राज्य दर अधिकनर भाग, ये दोनों ही, अन्न में, बढ़ने हुए रोमन मास्त्राज्य की सीमा के अन्दर मम्मिनित कर रिये गए। अनेक राजनीतिक संविधानवाद के इनिहाम की खोज में हमें लब गंभ की ओर बढ़ना चाहिए। रोम भी प्रारम्भ में एक नगर-शास्त्र था, विनु चूंकि वह आरम्भ से ही विरोधी राज्यों में पिरा हुआ था और उनमें उमे खनरा बना रहा था इस बारण वह विस्तार की नीति पर चलने के त्रिं वास्त्र हो गया, जो तब तक जारी

रही जब तक कि रोमन साम्राज्य की सीमा सम्य ससार से मिल नहीं गई। संविधानवाद के इतिहास में रोम का महत्व इस बात के बारण है कि पुरानी दुनियाँ में उसके संविधान ने बैसा ही बायं चिया जैसा कि आज की दुनियाँ में त्रिटिका संविधान ने चिया है। जेम्स ब्राइस ने लिखा है कि "टाइवरन्टटस्थ नगर-गणराज्य से, जिसके चारों ओर का ग्राम्य क्षेत्र सरे पां रोड टापू से बड़ा नहीं था, एक विश्व-साम्राज्य का विकास हुआ। इस माम्राज्य के ढाँचे में उसके अन्त तक उन स्थाओं के चिह्न विद्यमान रहे जिनमें आधार पर उम छोटे-रो गणराज्य का अभ्युदय हुआ था। इगलेंड में, पहले एवं द्वितीय और तत्परमात् सामतीय एकत्र का अस्त्यन्त छोटे आवार से धीरे-धीरे एक विलकुल ही भिन्न प्रकार के द्वितीय विश्व-साम्राज्य में विकास हुआ, जब कि इसके साथ ही शासन के प्राचीन स्वरूप का, ऐसे प्रयत्नों एवं सघर्षों द्वारा जिनका प्रयोजन पूर्णस्पैष्ण स्पष्ट नहीं था, धीरे-धीरे एक ऐसी प्रणाली में विकास हुआ जो नाममात्र के लिए ही एकत्रीय थी।" किन्तु, जैसा कि जेम्स ब्राइस ने आये वहा है, जहाँ रोम अशत् अभिजाततत्त्वात्मक और अशत् लोकतत्त्वात्मक गणराज्य से निर्खुशत्व में विकसित हुआ, वहाँ दूसरी ओर ट्रिटेन का विकास इसके विलकुल विपरीत हुआ, अर्थात् एक शक्तिशाली एकत्र से शासन के ऐसे रूप में जो व्यावहारिक रूप में अशत् लोकतत्त्वात्मक और अशत् धनिकतत्त्वात्मक गणतन्त्र है।

रोम का संविधान प्रारम्भ में शासन का एक विलकुल निश्चित संविधान था, किन्तु फिर भी वह लिखित रूप में नहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता था। ट्रिटेन के संविधान की तरह वह लोगों की स्मृतियों में सुरक्षित या लिखित गूर्वदृष्टातों के, वकीलों अथवा राजनीतिज्ञों की उक्तियों के, "शासन की पद्धतियों को निर्धारित करने वाली रुदियों प्रथाओं, समझौतों और विश्वासों के समूह एवं बहुत-सी संविधियों" से निर्मित था। प्रारम्भ में रोम एक एकत्र था, किन्तु बाद में राजाओं को नियमान्वयन दिया गया और 500 ई पूर्व के लगभग गणराज्य स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगा। तदुपरान्त वर्गों (पेट्रोशियनों तथा प्लेवियनों) वे बीच एक दोषकालीन युद्ध आरम्भ हुआ, जिसके फलस्वरूप अन्त में (300 ई पूर्व के लगभग) प्लेवियनों के लिए समान अधिकारों की स्थापना हुई जिनकी देख-रेख इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से चुने गए पदाधिकारियों—ट्रिब्यूनों—के द्वारा की जाती थी। इस गणतन्त्रीय संविधान में शासन के तीन तत्त्व थे जो एक-दूसरे पर नियत्रण रखने वाले और आपस में सतुलन रखने वाले समझे जाते थे। इनमें से प्रथम तत्त्व—एकत्रीय तत्त्व—(प्रारम्भिक राजाओं से स्थानान्तरित) था, जो दो कागुतों के रूप में प्रकट हुआ जिनका वार्षिक निर्वाचन होता था और जिनको एक दूसरे के विश्व नियोधाधिकार प्राप्त था। दूसरा तत्त्व, अभिजात तन्त्रीय सिनेट में समाविष्ट था, जो एक सभा थी, जिसे एक समय बड़ी विधायिनी

शक्तियाँ प्राप्त थीं। तीसरा अर्थात् लोकतान्त्रीय तत्त्व भूमि या जनना वे विभागों के अनुमार तीन प्रवार की जन ममाओं (कपूरीज, सेच्युरीज अथवा ट्राइम्स) में विद्यमान था। शक्तियों के इस तिहरे विभाजन का मिदात तो मान्माज्य में पन्न तक विद्यमान रहा, किन्तु रोम वे विस्तार वे साथ स्वयं इमवा तथ्य के ह्य में अनिवायत लोप हो गया।

रोमन राज्य एक अर्थ में बाईम शताविद्यों तक (रोम नगर की स्थापना की परपरागत तिथि—753ई पूर्व से मन् 1453 में कुस्तुल्नुनिया की विजय तब रहा और इस द्वीरान में उसके संविधान में कई परिवर्तन हुए। यह स्मरण रखना चाहिए कि रोमन संविधान एक नगर-राज्य का संविधान था, इसलिए जब रोम नगर राज्य न रहा और (तत्कालीन सम्यक्ता की परिधि के अन्तर्गत) विश्व-राज्य बन गया तब उसका गणतान्त्रिक स्वरूप वास्तविकता से असंगत हो गया। यूनान की तरह हम यहीं भी आधुनिक संविधानवाद की दोनों अनिवार्य शर्तों अथवा पूर्वाधारणाओं अर्थात् प्रतिनिधित्व लोकतात्त्व और राष्ट्रवाद का अभाव देखते हैं। रोम वा लोकतात्त्व यूनान के नगर राज्यों की ही तरह प्रत्यक्ष या प्राय मिल लोकतात्त्व था और प्रतिनिधित्व वा मिदात जैसे यूनानियों के लिए वैसे ही रोमनों वे लिए भी अपरिचिन था। स्पष्ट है कि इस प्रत्यक्ष अर्थ में नागरिकता वो बनाये रखना और इसके साथ ही उन जन-समूहों को, जिनको रोम उत्तरोत्तर अन्तर्लौंन करता गया उसम समिभतित करना सभव नहीं था। इसके अतिरिक्त रामन सासार का निर्माण बरते बाले बेसेल और दिभिन्न जातीय जन-समूहों में से एक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता था। रोमन पद्धति अपरिक्वच स्थानीय भावना को नष्ट करने और फूट डालकर न्यासासन करते थीं थी। वह राष्ट्री को जीवित नहीं रहने देती थी क्योंकि अधीनस्थ प्रजाजनों को शासन-व्यवस्था में हिस्सा देना तब तक सभव नहीं था जब तक कि प्रतिनिधित्व के मिदात वा समा राज्य न बिश्या जाना और ऐसा उसने बभी नहीं बिया।

इस प्रकार प्राचीन गणतान्त्रिक संविधान अप्रचलित हो गया और एकत्र-द्वीय, अधिकात्तद्वीय एवं लोकतात्त्वीय शक्तियों के एक मुन्दर संतुलन के ह्य में उसके बारे में जो धारणा थी वह ईसा-पूर्व की दूसरी शताब्दी के महान् पूर्वीय चिस्तार वे पश्चात् जीवित नहीं रह सकी, यद्यपि उस शताब्दी के मध्य में भी रोम में घटक के रूप में रहने वाले यूनानी पोलीसियस ने इस संतुलन को ही रोमन शामन वो स्पिरता का बराण बताया और इस बात का परवर्ती राजनीतिक मिदान और कुछ हद तक संस्थाओं पर भी महस्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। किन्तु वास्तव में इस समय से रोमन गणराज्य सिनेट वे शासन से अधिक कुछ नहीं रहा। किन्तु किर भी यह मिदान बना रहा कि समस्त शक्तियाँ अन्दर जनता से प्राप्त होती हैं। रोमन संविधान में सहटकाल में अस्थायी अधिनायकत्व वो स्थापना

के लिए सदा ही व्यवस्था थी और ईसा-पूर्व की अन्तिम शताब्दी में, जब कि इटली में गृहयुद्ध जोरो पर था, मारियस और सुल्ला जैसे कुछ विजयी सैनिक व्यादरों के निरकुश कार्यों को सांविधानिक चोले के अन्दर छिपाने के लिए प्राप्त इम कार्यसाधक व्यवस्था का सहारा लिया जाता था। अन्त में जब जूलियन सीजर ने ई पू. 48 में पोम्पी को कुचल डाला तो अपनी अशक्तता को स्वीकार करते हुए सिनेट ने उसे जीवन भर के लिए अधिनायक बना दिया। इग प्रकार यदि नाम से नहीं तो वास्तविक रूप में सर्वोच्च राजा (Imperium) ना जन्म हुआ।

रोमन साम्राज्यिक शक्ति के सिद्धान्त को हम सम्राट् जस्टीनियन (मन 538-565) के इन्स्टीट्यूट्रा और डाइजेस्ट से भली प्रकार समझ सकते हैं। सम्राट् जस्टीनियन रोमन विधि का महान् सहिताकार था जो अपने आपको विश्व का शासक कहता था, यद्यपि कुछ समय को छोड़कर सदा ही उसका वास्तविक शासन रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग तक ही सीमित था जिसका केन्द्र बुस्तु न्तुनिया था। रोमन विधि की इस सहिता के अनुसार सर्वोच्च विधायिनी शक्ति तब भी रोम की जनता के ही पास थी (यद्यपि उसने पौच शताब्दियों से अधिक काल से उसका प्रयोग नहीं किया था)। सम्राट् के अधिकार जनता के प्रत्यायोग (Delegation) के परिणाम थे। यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि यह प्रत्यायोग सदा के लिए नहीं होता था, बरन् यह कल्पना कर ली जाती थी कि यह त्रिया प्रत्येक नये पदधारी के प्रतिष्ठित होने पर दोहराई जाती थी। साम्राज्य के इतिहास के किसी भी काल में जनता की शक्तियाँ औपचारिक रूप से कभी समाप्त नहीं की गईं, किन्तु वे धीरे-धीरे विरगृत हो गईं। यह रोमन संविधान का विचित लचीलापन था, जिसके कारण प्रत्यायोग की यह बल्पना सम्भव हो सकी। इस कल्पना के अनुसार सम्राट् प्रथम (आँगस्टस, ई पू. 31—सन् 14) से ही केवल भजिस्ट्रेट (दण्डनायक) थे, जिनके हाथों में पुराने गणतन्त्र के विभिन्न पद एकत्र थे। यह ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि गणराज्य के महान् युग में रोमन दण्डनायकों (कान्सुल, प्रीटर आदि) के हाथों में संविधान के अनुसार बहुत बड़ी शक्ति थी। अतएव, एक बार यह मान लेने पर कि उनकी सब शक्तियाँ एक व्यक्ति में विनिरुद्ध हैं और उस व्यक्ति के कार्यकाल की कोई सीमा नहीं है, सम्राट् का गढ़ सभी पुराने गणतन्त्रीय दण्डनायक-पदों के एकीकरण से अधिक कुछ प्रतीत नहीं हुआ, जिसे रोमन लोकतन्त्र के अधिकार भी समर्पित कर दिये गये थे। सिनेट की भी बैठकें होती रही, जिससे गणतन्त्रात्मक स्वरूपों के जारी रहने का दिखावा बना रहा। परन्तु साम्राज्य के पारबर्ती दिनों भ सिनेट विलकुल ही अशक्त हो गई और सम्राट् की इच्छा को स्वीकार करने वाली सभा मात्र के रूप में रह गई।

इस प्रकार रोमन संविधान वा आरम्भ एकत्रात्मक, अभिजाततन्त्रात्मक

और लोकतन्त्रमव लेत्वों के एक सुन्दर मम्मित्रण के रूप में और उभवा अन्त एवं अनुत्तरदायी निरकुशत्व के हप में हुआ। फिर भी यह स्पष्ट है कि मान्मान्य के विकास के माथ भाथ ऐमा होता अनिवार्य था। उमके विस्तृत क्षेत्र, विभिन्न जनममूँहों और विविध प्रवार के हितों के लिए ऐसे साधन की आवश्यकता थी, जो शोधता और कुशलता के माथ कार्य कर सकता और जिमकी पूर्ति एवं व्यक्ति के हाथों में यम्पूर्ण प्रभुत्व सौंप देने से ही हो सकती थी। जैसा कि हम इसके पूर्व वह चुके हैं, इससे भिन्न विसी भी पद्धति के अनुसरण से रोमन समार बहुत पहले विघटित हो गया होता और राज्यों की जो विविधता हम आज देख रहे हैं, उमका कई शताव्यियों पूर्व प्रादुर्भाव हो गया होता।

रोमन मान्मान्य की निरपेक्ष सत्ता ऐसे विधारों से भी सीमित नहीं थी जिनसे हम के जारा और प्रश्ना के बादशाहों जैसे आधुनिक निरकुश शासकों की शक्ति का क्षेत्र सीमित था, क्योंकि आखिर रूप तथा प्रश्ना के शासक जिन लोगों पर शासन करते थे उनमें निश्चय ही बहुत-कुछ सजातीयता अर्थवा समानता थी। रोमन मान्मान्य में राष्ट्रीय भावना का विलकूल ही अभाव था। ऐसे सविधान के अधीन, जो रादा से ही नगर का सविधान था, अधीनस्थ प्रजाजनों को रोमन गणतन्त्र के लोगों के अधिकारा का कुछ भी पता नहीं था और इस बात से निरकुशत्व का विकास और भी आमान हो गया। मान्मान्य-बाल में भी गणतन्त्र के बने रहने की व्यवस्था और पूर्ववर्ती मान्मान्य के लिए बड़े सघर्ष हुए, क्योंकि मान्मान्य के पद का कोई सविधानी आधार नहीं था। किन्तु गणतन्त्रबाद से मान्मान्यबाद में परिवर्तन के ममय जो 'वस्तुन' प्रभुमता थी अर्थात् मान्मान्य—वह अन्त में 'अधिकारिता' अर्थवा विधिन प्रभुमता मानी जान लगी और जस्टीनियन के ये शब्द कि 'नरेश की खुण्डि में ही विधि का बल है' उमके ममय तक अदारण और स्वीकृत मत्य बन गए, यद्यपि उम विधि का अधिकार-क्षेत्र, पौच्छी शताव्दी में पश्चिमी साम्राज्य के छिप-भिन्न होने से पूर्व के दिनों के क्षेत्र से बहुत सकृचित था।

तो फिर रामन सविधानबाद ने क्या स्थायी प्रभाव ढाले? सबसे पहले तो रामन विधि का महाद्वीपीय याराप के विधि-इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। पश्चिमी मान्मान्य के ट्यूटनजानीय आक्रमणकारियों द्वारा लाई गई विद्याएँ और विधियाँ रामन सहिता में, जो उन्हे वहाँ मिली, धूल मिल गई और इस मम्मित्रण से उन विधिप्रणालियों का जन्म हुआ जो आज पश्चिमी महाद्वीपीय योग्यों ने प्रचारित हैं। दूसरे, रोमनों की व्यवस्था और इनका के प्रति प्रेम इनका प्रबन्ध था कि मध्ययुग के लोग विघटनबारी शक्तियों के होने हुए भी

विश्व वो राजनीतिक एकता की धारणा से आविष्ट थे। आधुनिक विश्व के उदार विचारक आज जो यह स्वप्न देख रहे हैं कि शायद अन में युद्ध के निवारण के लिए एक अतर्याप्तीय अथवा अनिराधीय सत्ता वी स्थापना की जा सकेगी, उसका मूल, एकता के लिए रोमनों के उत्कृष्ट प्रेम और मध्यकाल में एक आदर्श के रूप में बनी हुई उसकी प्रतिष्ठा भ पाया जा सकता है। तीनरे, मस्त्राट के बैंध प्रभुत्व के बारे में दुहरी धारणा—एक ओर यह कि नरेण वी युशी में ही विधि का बल है और दूसरी ओर यह कि उसकी शक्तिर्यां अन्तत जनता से प्राप्त होती है—कई शताब्दियों तक बनी रही, और इसी में शासक और शासित के रावधों के बारे में दो पृथक् मध्यकालीन विचारधाराओं का जन्म हुआ। मध्यकाल के प्रारम्भ में इसके पलस्तहप लोगों ने मता वा औचे मूँद कर स्वीकार कर लिया, किन्तु उस काल के अन्तिम दिनों में इस विचारधारा वा जन्म हुआ कि प्रारम्भ में सम्मान को शक्ति प्रत्यापुक्त करने वाली जनता उसे उचित रूप से पुन अपने हाथों में ले सकती है। जिस लोकनव से जायुनिक युग का मनारम्भ हुआ, उसका दार्शनिक आधार यही तर्व था।

4 मध्यकाल में संविधानवाद

नीरी और पौचवी शताब्दियों में रोमन मास्त्राज्य के पश्चिमी अर्द्धांश में बर्बरों के प्रबल आक्रमणों से रोमन राजनीतिक व्यवस्था भग हो गई। किन्तु पूर्वीय अर्द्धांश में यह व्यवस्था बनी रही, जहाँ मस्त्राटों ने कुम्नुत्तुनिया के चारों ओर दिन-प्रनिदिन पठते हुए धोके में अनिश्चित शासन बनाए रखा। यह परवर्ती रोमन (अथवा वाइजेटाइन) साम्राज्य विस्तार में अधिकाधिक छोटा एवं एकाकी राज्य बनना गया, यहाँ तक कि अन्त में पाश्चात्य योरोप से सपर्वहीन अवस्था में इस पर तुकों ने सन् 1453 में उसकी राजधानी पर अधिकार करके कब्जा कर लिया। बर्बरों द्वारा रोमन विधि की सांवधीमिन्जा भग कर दिए जाने के पश्चात् पश्चिम में बास्तविक एवं असम्भव हो गई किन्तु विश्व-साम्राज्य का बैंध सिद्धात सदा ही बना रहा और इसी मिद्दान से पवित्र रोमन मास्त्राज्य का विकास हुआ।

इस साम्राज्य की नीव सन् 800 में महान् चाल्मे ने डाली थी परन्तु यह मूल रोमन साम्राज्य से बहुत भिन्न प्रकार का समटन था। यह प्रादेशिक, प्रजातीय, सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इस सीमा तक स्पात्तरित रोमन साम्राज्य था कि पुराना रोमन संविधानवाद विलकुल ही लूप्त हो गया। निर्जीव रोमन पिण्ड वो पुनर्जीवित करने के लिए ट्यूटोनिक तत्त्व प्रत्यक्षन पर्याप्त शक्तिशाली थे और वैयोलिक चर्च वो जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के परवर्ती दिनों में शक्तिशाली होने लग गया था, अपने विकास से पुराने रोमन

केन्द्रीय शासन के विघटन की अवस्था में सर्वभौमिक शक्ति के ऐसे दबे दरने का प्रात्साहन मिला जिससे कि लोकिक सत्ता का खनरा पैदा हो गया। समुचित सविधान का विकास बरने के लिए अवसर प्राप्त हान से पूर्व ही महान् चाल्स का साम्राज्य पहले तो फ़ेँक़ जाति की उत्तराधिकार विधियों के अनुसार उसके उत्तराधिकारियों में बैठ गया और उसके बाद नवी तथा दसवी शताब्दियों के नासं लोगों के आक्रमण के परिणामस्वरूप विघटित हो गया। इसके उपरान्त पवित्र रोमन साम्राज्य फिर से बैसा न बन सका जैसा कि वह शार्लमेन (Charlemagne) के अधीन था। वह जर्मनी तक ही सीमित रह गया, हाँ, इटली पर उसके कुछ अस्पष्ट और न्यूनाधिकार प्रभुता के अधिकार बने रहे।

इसके उपरान्त समस्त योरोप में सामतवाद का विकास बड़ी द्रुत गति से पैदा। यह एक प्रकार का मध्यकालीन सविधानवाद था, क्योंकि यह सामाजिक और राजनीतिक सम्बन्ध के माध्यरणतया स्वीकृत हृष में कुछ हृद तक व्यवस्थित था। इसका मूल लक्षण भूमि का छाटी इकाइया में विभाजन था, जिसका सामान्य मिद्दान यह था कि 'प्रत्यक्ष व्यक्ति का एक स्वामी होना चाहिए।' इस व्यवस्था ने मध्यकालीन साम्राज्य के नामनाम के दावों में सारत कोई वृद्धि किए विना हो उसे कुछ बन दिया, क्यारि अब वास्तविकता की जाँच की आवश्यकता के बिना एक ऐसे योरोपीय समाज की एक नूप के हृष में कल्पना करना सभव हो गया जिसके शिवर पर सम्राट् का स्थान था जो कि स्वयं भी 'ईश्वर वा साम्राज्य' नमज्ञा जाना था। सामतवाद की बुराई इस बात में थी कि उसके अलगाव मामतों को अमाधारण शक्ति प्राप्त थी और उनकी शक्ति के अनुपान में ही एक एकीकृत राज्य के आविर्भाव का दिन टलना गया। इमलिए, हम देखते हैं कि मध्यकाल के शक्तिशाली राजा के ये जिन्हें शक्ति का अपने हाथों में बेन्द्रित करने और इस प्रकार एक केन्द्रीय नियन्त्रण को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जो बात सामतीय प्राधान्य के तिए निश्चय ही अनिष्टवारी थी।

इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि पूर्व मध्यकालीन युग की अध्यवस्था और आधुनिक राज्य की अध्यवस्था के बीच वी छाई का पाटने के लिए पुर वे हृष में मामलतवाद का विकास अनिवार्य था। केन्द्रीयवरण के ये पहले बड़े प्रयत्न यारोप के पश्चिमी छोर में हुए। क्योंकि हृष से इगरैण्ड और फ्रान्स में और उससे कुछ कम हृद तक मैन म, म्यारह्बी शताब्दी से गजाऊ ने शक्ति को अपने हाथों में बेन्द्रित करने और विश्वास सापतीय जागीरों को नियन्त्रित और अन्त में भ्राम्पत बरत वी नीति अपनाई। ये ही वे देश हैं जिनमें हम उन दो मिद्दानों के उदय का अस्पष्ट आभास देख सकत हैं जिनको हमने आधुनिक सविधानवाद के विकास की आवश्यक शर्तें बत्रा हैं, यर्थानु अप्प्रावाड और प्रतिरिहित लोडवर्कवाड। इसरैण्ड कमी भी पवित्र रोमन साम्राज्य की सीमा के अन्दर नहीं रहा और शार्लमेन

के राज्य के लिंग-भिन्न हो जाने के पश्चात् न प्राप्त हो उसके अन्तर्गत रहा। जहाँ तक पोप की सत्ता का प्रयत्न है, इन दोनों में इतनी पर्याप्त स्वतंत्रता का विकास हुआ कि वे, वास्तव में, एक राष्ट्रीय चर्च की स्थापना कर सकें। इन दोनों देशों की सीमाभार्ता के अन्तर्गत बैचल अगाधारण मध्यमा में ही पोप का कोई वास्तविक प्रभाव होना था। इसके अतिरिक्त मामतीय जागीरदारा (बैरनो) में छोटे वर्गों के प्रतिनिधियों का समाविष्ट करने वाली सभाएँ सर्वप्रथम इन्हीं दा दशा में प्रकट हुईं। इगलैंड में पहली समद जिसमें शायरों के नाइट (Knights of the Shire) और नगरों के प्रतिनिधि भूमिलिए हुए मन् 1265 में और फ्राम में 1302 में बुलाई गईं। फ्राम में ता वह पाप के इस दायें के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में आमतित की गई कि पादरिया को नागरिक वर्ग में छूट होनी चाहिए। इन राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना को गतवर्षीय युद्ध (मन् 1337-1453) से और प्रालंगाहन मिला, जिससे प्रत्यक्ष राज्य के प्रजाजनों का अपन-आनंद हिता की समानता का ज्ञान हुआ। जान आंव आंव का नारा फ्राम फामीमियों के लिए भी हो सकता था जब कि ऐंगरेज अपन दण की उन दुर्घटनाओं का, जो अधिकाश में उम युद्ध से पैदा हुई थी, दूर करने की आर अपना ध्यान बेन्द्रित करने के लिए बाध्य हो गए।

स्पेन में राष्ट्रीयता की भावना इससे भिन्न प्रकार की परिस्थितिया में पैदा हुई। वहाँ आठवीं शताब्दी में मुसलमान मूरों ने देश के अधिकाश को अपने अधीन कर लिया था। विर्सियों को निकाश के लिए आपसी एकता स्थापित करना का भार उत्तर में बचे हुए छोटे-छोटे ईमार्इ ममुदायों पर पड़ा। नीदृष्टी शताब्दी तक इस प्रायद्वीप में पश्चिम में पुरुंगाल और दक्षिणी-पूर्वी कोन में अवशिष्ट मूर प्रदेश (ग्रेनेडा) को छोड़कर बेवल दो बड़े राज्य रह गए थे। वे एरागान और कैस्टिल थे। इन दोनों में सभाएँ (cortes) होनी थी जिनमें पादरिया और सामन्तों के अतिरिक्त ग्राम्य और शहरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी होते थे। पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त में ये दोनों ग्राम्य विवाह-बधन में बैधकर एक हो गए जिसके कलस्वरूप स्पेन राज्य का जन्म हुआ।

दूसरी ओर, जर्मनी और इटली में, जहाँ पवित्र रोमन राज्य की धारणा कहीं अधिक व्यापक रूप में मान्य थी, उपर्युक्त तीन पश्चिमी राज्यों के मुकाबले में वही अधिक दिनों तक सामतीय अराजकता जारी रही। इसके अतिरिक्त यह अराजकता पोपसत्ता और साम्राज्यसत्ता के निरतर समर्थ से और भी जटिल हो गई, जो कि ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य से और भी तीव्र हो गया। अभियेक विवाद (Investiture Controversy) (मन् 1056-1125) से पैदा हुई दुर्गंति और सीजर-समर्थकों तथा सीजर-विरोधियों पोप समर्थकों और पोप-विरोधियों के विपक्षी दावों से उत्पन्न पूट से होने वाली अधोगति के फलस्वरूप

ये दोनों महान् मध्यवालीन समस्थाएँ तेरहवीं शताब्दी के अंत तक इतनी दूर्वल हो गईं कि वे अपनी पिछली शक्ति को पिर कभी प्राप्त नहीं कर सकी। पारस्परिक सघर्ष के इस लच्चे युग में साविधानिक महत्व की केवल एक ही बात उत्तम हुई—अर्थात् वह प्रयोग जो 'परिषदीय आदोलन (Conciliar Movement) वहलाता है। यह उम महान् फूट-काण्ड (Great Schism) (मन् 1378-1417) के बाद हुआ, जिसके कारण पाश्चात्य योरोप अलग-अलग पोंयों के प्रतिनिधि युक्त दो भागों में विभाजित हो गया। चक्रि कोई द्विनीय शार्लमेन उत्तर नहीं हुआ जो कि इस जशोभनीय क्षमत्व को बलपूर्वक समाप्त कर देना, इससिए इस वराजवता से बचने के लिए चर्च के शामन के लिए एक प्रूर्ववर्ती समस्था अर्थात् सामान्य परिषद् (जनरल कौन्सिल) के पुनरुत्थान का प्रयास किया गया ताकि पाप को इस परिषद् के समझ जुबने के लिए वाध्य किया जा सके। इस भिलमिले में पिसा की परिषद् (मन् 1409) के पश्चात् कौस्टोन की परिषद् (सन् 1414-18) हुई, जिसमें चर्च के पादियों और सामान्य लोगों—दोनों—के प्रतिनिधि पहुंचे और जिसन पाप पर स्थायी परिषदीय नियन्त्रण का सिद्धान्त स्थापित किया। इन्हुंने उसने जो संविधान बनाया वह अगली परिषद्—वेसल की परिषद् (सन् 1431-49)—में क्रियान्वित न हो सका और उम समय से चर्च के जामन की एक पढ़ति के स्पष्ट में परिषदीय प्रणाली का लोप हो गया।

यद्यपि परिषदीय आदोलन स्वयं अमफन रहा, पिर भी संविधानवाद के इतिहास में दा तरह से उमसा काढ़ी महत्व है। पहला यह कि इन परिषदों के समर्थन तथा उनकी वार्यप्रणाली से योरोप के उन राष्ट्रीय विभागों को स्वीकृति प्राप्त हो गई जिनमें योरोप उम समय विभाजित होने लगा था। कौस्टोन में, जहाँ बास्तव में राष्ट्रों द्वारा मन देने की प्रणाली स्वीकार की गई, ऐसे पाँच भूमूह—अर्थात् इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, अग्ल और स्पेनिश—मान्य किए गए। इस प्रकार जहाँ एक ओर इस प्रकार की सर्वदेशीय समा दुलाने के लिए मध्यवालीन एकता की भावना पर्याप्तरूपेण सजग थी, वहाँ दूसरी ओर उसे आमत्रित करने से उसी शक्ति को बल मिला जा उस नप्ट कर रही थी। दूसरे, परिषदीय आदोलन के परम्पराएँ इस बान पर काढ़ी विचारविमर्श आरम्भ हुआ कि महापरिषद् का चर्च के धर्माधिकारियों से भिन्न समस्त धर्मानुयायियों के विचारों का प्रतिनिधित्व करने के यात्रा बनाने के लिए बौन-मा माध्यन अनाम्या जाय। इस प्रकार चर्च के शामन के निमित्त एक प्रभावपूर्ण मगठन की स्थापना के साधना की खोज के प्रयत्न से पन्द्रहवीं शताब्दी म पाड़ुआ के मासीनियों, ओक्स के विलियम, जॉन गेरमन, क्यून के निहोरम आदि के लेखा में एक विजद राजनीति दर्शन की उत्पत्ति हुई जिसमें प्रभुत्व, राष्ट्रवाद, प्रतिनिधित्व और एकत्र के परिमीमन जैसी राजनीतिक समस्याओं का पथप्रदर्शक स्पष्ट में विवेचन हुआ और इस प्रकार

नागरिक युग के सांविधानिक विकास का पूर्वभाग प्राप्त हुआ।

इस प्रकार मध्ययुग के अत में हम समस्त पश्चिमी योरोप में राजनीतिक चिन्तन का बड़ा जोर देखते हैं, जिसका प्रेरणास्रोत क्योंकि नवं की बुराइयों में था और जिसका उद्देश्य उस चर्चे को एक नया संविधान देना था। परन्तु जहाँ इस प्रकरण में वह चिन्तन कोरे अस्पष्ट गिरावंत और अमफ्ल प्रयोग से आगे न बढ़ सका वहाँ तीना अधिक पश्चिमपर्ती देखा, व्यांत्रिक्टिन, फाम और स्पेन की भारतीय राजनीति में इम समय आधुनिक गांविधानिक राज्य का वास्तविक बोनारोपण हुआ, क्योंकि इन राज्यों में व्यावहारिक राजनीति वैध सिद्धान्तों से वही आगे बढ़ चुकी थी और पवित्र रीमन मास्ट्राज्य का भूत सदा के लिए गाड़ दिया गया था। जर्मनी और इटली पर वह कई वर्षों तक सवार रहा।

5. पुनर्जागरणकालीन राज्य

मध्यकालीन संस्थाओं के विघटन की जिस प्रतिया का हम अभी तक बर्णन करते रहे हैं उसे पन्द्रहवीं शताब्दी में प्राचीन सस्त्रिति के उस महान् पुनर्जागरण से प्रबल प्रेरणा मिली जिसे उसके सब परिणामों के साथ दिलेता (पुनर्जागरण) रहा जाता है, क्योंकि उस युग के विचारका को प्राचीन यूनानी लेखकों की कृतियों में जो राजनीतिक तथ्य और विचार मिले के मध्यकाल की मान्यताओं से जो वास्तविक परिस्थितियों में स्वयं भी अप्रतिष्ठित होने लगी थी, गेल नहीं खाते के। इस सबका सामान्य परिणाम एक साथ ही विघटन और सङ्गठन के रूप में प्रकट हुआ, इससे मध्यकालीन ममार के दुबड़े-दुबड़े हो गये जिन्हुंने साथ ही पृथक्-पृथक् राज्यों का एकीकरण भी हुआ। ग्रिटेन, फ्रास और स्पेन में राज्यों का राष्ट्रीय आधार पर और भी घनिष्ठ रूप में एकीकरण हुआ। जर्मनी और इटली में भी ऐसी बात हुई, जिन्हुंने वहाँ यह प्रतिया अपेक्षाकृत सभीरं प्रदेशों तक सीमित रही, जिसके फलस्वरूप इन देशों में अनेक छोटे छोटे राज्य पैदा हो गए। जिन्हुंने यह सब होते हुए भी कुछ दूर तक पुनर्जागरण से यह अच्छा कार्य समाप्त हो गया जो कि तीना पारचात्य राज्यों में चल रहा था।

पुनर्जागरणकालीन राज्य के लोकतन्त्रात्मक होने की बात दूर रही वह सच्चे अर्थों में संविधानी राज्य भी नहीं था। उसकी सारभूत विशेषता, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, बाहु प्रभुता थी जिसमें अपना अस्तित्व, हर सभव उपाय से बनाये रखने वाली एक शक्तिशाली केन्द्रीय सत्ता उपलक्षित थी। मुख्य कर राज्य को अपने समस्त पड़ोसियों के विरुद्ध शक्तिशाली बनाने की दृष्टि से निश्चय ही पुनर्जागरण काल के राजनीतिज्ञ प्राचीन राजनीति दर्शन की मूल भावना को समझ नहीं सके, क्योंकि जहाँ यूनानी स्वायत्तता की धारणा जैसा हम देख चुके हैं अक्ति के लिए अच्छा जीवन सुनिश्चित भरने के एकमात्र साधन के रूप में की गई

थी वहाँ पुनर्जागरण काल की प्रभुता का व्यक्ति के अधिकारों से लेनिव भी सम्बन्ध नहीं था। सधेप भै, पुनर्जागरणवालीन शामकों का राजनीति से मनवत रहना था, नैतिकता से जरा भी नहीं, जब कि प्राचीन विश्व के दर्शन में इन दोनों का घनिष्ठ मम्बन्ध था। इस बात की मवाई का प्रमाण इस युग के एकमात्र राजनीतिसिद्धान्ती मिक्षियाविली की है जो मव भी पुनर्स्त्वान काल की ही उपज था। चूँकि उस ममय मिक्षियाविली का देश इटली पुनर्जागरणवालीन प्रभुत्वमम्पन राज्य में परिवर्तित नहीं हा पाया था, इसनिए उनका उद्देश्य यह अपील करना था जि कोई इटली के लिए वही काम कर दे जो कि परिवर्ती देशों के लिए दिया गया था। सन् 1513 म प्रकाशित उम्ही पुन्तक 'प्रिन्स' का यही विषय था, जिसमें उमन इस वर्य में अपने देश के उद्धारक के उदय की इच्छा प्रवक्ट की है। इस पुन्तक का महत्व इस बात में है कि वह राज्य के सवध में प्रयुक्त 'बनेनिक्ता' के मिदान का उल्लेख करत हुए और उसे एक नय दर्शन का रूप देने हुए इस युग की विजेपना को स्पष्टन प्रवक्ट करती है। इस मिदान के अनुसार राजनीति विभी प्रकार के नैनिव विचारों में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐमा करने से आज के समार म, जहाँ प्रभुता ही मव कुछ है, राज्य की प्रभुता कमज़ार पड़ जाएगी। मिक्षियाविली को इटली का उद्धारक नहीं मिला किन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब अन में उच्चीमवी शतान्त्री के मध्य में वह उद्धारक—कावूर—वास्तव में प्रवक्ट हुआ तब उमने इटली के एकीकरण-आनंदोत्तन के सकटन्कार में अपने मव के आवरण के विषय में ये शब्द कहे "हम देश के लिए जो कुछ कर रहे हैं, यदि वैसा ही अपन निए करें तो हम वहे नीच होंगे।"

मालहर्दी शतान्त्री के धर्मसुधार-आदोत्तन का राजनीतिक प्रभाव पुनर्जागरण-वालीन राज्य को ईश्वरीय स्वीकृति प्रदान करना था। त्यूफर के धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण म, जैसा वह सर्वश्रेष्ठ सन् 1517 में प्रकट हुआ, तार्किक दृष्टि से धार्मिक विचारों के प्रति पूर्ण महिष्मुना उपराजित थी। उस ममय के सधर्य से वैयालिक समार में, जिसमें रक्षा प्राप्त करन के निमित्त त्यूफर ने एक राजनीतिक शामक का आमरा निया यह बात मध्यव नहीं थी। इसी प्रकार सेवनी के द्वेषकट्टर ने राजकीय चर्चे की स्थापना की। इस चर्चे के लिए भी उनका ही अनन्द और अयहिष्णु हाना अनिवार्य था जिनका इस चर्चे के लिए था जिमका स्थान उमन प्रट्टन कर निया था। इस प्रकार पोपगाही पर त्यूफर के मैदानिक आक्रमण का राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि समार का और भी अधिक विषट्टन हुआ और पुनर्जागरण वालीन प्रभु के विशेषाधिकार के बन्दर्गंत प्रजाजनों के शर्तिष्ठ लात्तर पर विषद्वष भी शर्मिल हुए रखा। यह जल किंतु ने कहन ही शर्ट रूप में दिखाई देनी है, जहाँ अप्तम हेतरी और प्रथम एनिजारें वी

धार्मिक सर्वोच्चता के बाद प्रथम जेम्स ने ईरास्टियनवाद (Erastianism) की प्रतिष्ठा की, अर्थात् राज्य बो चर्च में ऊपर स्थान दिया।

इस प्रकार पुनर्जागरणकालीन प्रभुता पनपी और उसने उस संविधानिक दीज बीज, जो मध्ययुग के अत में पाश्चात्य योराप में बड़ी आशा से बोया गया था। फसल बो सफलतापूर्वक विलम्बित कर दिया। महाद्वीप में उसका विकास उस प्रकार वे एकत्र वे रूप में हुआ जिसे प्रबुद्ध निरकुशवाद नहा गया है, जो लगभग सन् 1660 से 1789 तक रहा। पास प्रशा और आरिद्या में निरकुशवाद चरम अवस्था बो प्राप्त हो गया। पास में पुनर्जागरण के समय से स्टेट्स-जनरल (गामान्य सभा) के अधिकेशन कम होते गए और सन् 1614 के पश्चात तो सन् 1789 की आति के पहले तब उसका एवं भी अधिकेशन नहीं हुआ। इस प्रकार के निरकुशवाद की दो मुख्य विशेषताएँ व्यावसायिक सेना और व्यावसायिक नौकरशाही थीं जिनमें अधिकतर मध्यवर्ग या दुर्जुवा वर्ग वे लोग नियंत्रित होते थे। इस तरह जब सामतवाद के पतन की प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई तो एकता साने बाली एवं भाव शक्ति राजा ही रह गया जिसने किसी प्रतिनिधिक सभा से कोई सहायता नहीं ली और इसलिए समुचित रूप से गठित राजनीतिक सभा के अध्ययन कार्य ढारा सुदृढ़ होने वे बजाय अनुपयोग के भारण धोन हो गए। यही नारण है कि महाद्वीप में संविधानवाद का पूर्ण विकास उभीसाथी शताब्दी तक विलम्बित हो गया और अत में जब उसकी प्रतिष्ठा हुई तो वही आतिथों के फलस्वरूप हुई। वेवल इगलैण्ड ही ऐसा देश था जहाँ पुनर्जागरणकालीन एकत्र को अनियंत्रित निरकुशत्र नहीं बनने दिया गया। इसलिए, संविधानवाद के अबोध विकास का अध्ययन करने वे लिए अब हमें विटेन वे इतिहास पर दृष्टि डालनी चाहिए।

6 इगलैण्ड में संविधानवाद

पुनर्जागरण काल में इगलैण्ड को भी कुछ काल तक निरकुशता वा अनुभव बरना पड़ा, किन्तु वहाँ वो विशिष्ट परिस्थितियों ने उसे वहाँ शक्तिशाली और स्थायी नहीं होने दिया जैसा कि वह महाद्वीप में हो गया। इगलैण्ड उस प्रकार वे राज्य बीज, जिसे हमने पुनर्जागरण कालीन राज्य कहा है, अस्थायी स्थापना से बच नहीं सका क्योंकि मध्ययुगीन व्यवस्था के सर्वव्यापी विषट्टन से उत्पन्न कठिनाइयों के अतिरिक्त उसकी स्वयं अपनी विशिष्ट कठिनाइयाँ भी थीं। पास वे साथ होने वाले उसने सभी संघर्ष से उसके सभी साधन समाप्त हो चुके थे और इसके पश्चात् होने वाले गृहयुद्ध (गुलाबी वे युद्ध) ने विषट्टन का कार्य पूरा कर दिया। जैसा कि हम देख चुके हैं, प्रथम सराव की बैठक, जिसमें वाडलिंग्टों और नगरों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे, सन् 1265 में हुई। सन् 1295 से जो प्रथम एडवर्ड

वो 'आदर्श ससद्' का वर्ण था, ससद् को बैठकें अनियन्त्रित हृष से होती रही जिनका मुख्य उद्देश्य राजा के लिए धन का अनुदान करना होता था। किन्तु चौदहवीं शताब्दी के अन्त में उसके अस्तित्व को एक नया आधार मिल गया। सन् 1399 में द्वितीय रिचर्ड को राजगढ़ी से उतार दिया गया और तृतीय एडवर्ड वश की एक छोटी शाही लकास्ट्रियन ने राजगढ़ी पर बलात् अधिकार कर लिया। सच्चा रक्त सबधी दावा न होने के कारण चतुर्थ हेनरी और उसके उत्तराधिकारी अपने समर्थन के लिए ससद् पर निर्भर हो गए। किन्तु कास के विरुद्ध अमरपलता और पछ हेनरी की, जो गुलाबों के युद्ध (वार ऑंड रोजेज) में फलस्वरूप राज्यच्युत कर दिया गया था अयोग्यता वे कारण उनकी स्थिति की कमजूरी और भी बढ़ गई। उसके बाद गढ़ी पर बैठने वाले चतुर्थ एडवर्ड को युद्ध जारी रखना पड़ा जिसका अन्त बौसबर्थ की लडाई में हुआ, जिसमें सन् 1485 में हेनरी ट्यूडर ने उसके भाई तृतीय रिचर्ड को पराजित कर दिया। इसी अवसर पर उस राजतंत्र की स्थापना हुई जिसे प्राय 'ट्यूडर निरक्षणता' कहा जाता है।

किन्तु इस पद का स्पष्टीकरण आवश्यक है। ट्यूडर निरक्षणता में शासन के तीन अंग थे जिनमें केवल एक ही ऐसा था जिसकी तुलना उस उच्च कोटि वी प्रशिक्षित नौकरशाही से की जा सकती है, जो कि जैसा कभी वहा जा चुका है महाद्वीप के निरक्षण शासन की विशेषता बन गई थी। हमारा तत्पर परिपद (कौशिल) से है, जो कि कार्यपालिका विभाग में राजा का साधन बन गई थी। उसकी साधारण शक्ति पर अन्य दो अंगों अर्थात् ससद् और शाति-न्यायाधीशो (Justices of the Peace) के अस्तित्व से गेक लगती थी। यह सच है कि परिपद वी सहायता से तंयार की हुई राजा की योजनाओं को ससद् सामान्यतया किसी प्रकार वी आपत्ति के बिना स्वीकार कर लेती थी, किन्तु महत्वपूर्ण बात सो यह है कि उसकी बैठके निरन्तर हाती रही और वह विधि एवं वर सबधी सब प्रस्तावों का अनुमोदन करती रही। इसमें सदैह नहीं कि ट्यूडर काल की ससद् अधिकार आजाकारिणी थी, किन्तु इसका कारण यह था कि ट्यूडर वश के पाँच राजाओं में से कमन्सेन्स की तीन राष्ट्र की इच्छा को व्यक्त करते थे। अन्त में जब राजा उस इच्छा के प्रतीक नहीं रहे तब ससद् ने, जिसके समस्त साधन तंयार थे, विद्रोह कर दिया। शाति-न्यायाधीश केन्द्रीय सरकार वी नीति को कार्यान्वित करने वाले स्थानीय प्रशासन थे, परन्तु वे महाद्वीप में वेन्द्रीय सत्ता के बेतन भोगी पेशेवर एजेंटों के समान स्थानीय प्रशासन नहीं बल्कि जमीदार समाज से लिए गए जर्वेतनिक वर्षंचारी थे।

विटेन अपनी हीपीय स्थिति के कारण बिदेशी आक्रमण के विरुद्ध सशस्त्र रक्ता वी निरन्तर आवश्यकता से मुक्त और महाद्वीपीय निरक्षणता को बल प्रदान करने वाली शक्तियों से अलग था। इसी स्थिति वे कारण वर्हा राजा वी निरक्षण

का स्थानीय और केन्द्रीग स्व-शासन के मूलबद्ध सिद्धात के साथ मेल चिठाया जा सका। राज्य के पृथक्कर्त्ता ने राष्ट्रीयता की भावना वो भी बत दिया और टचूड़र वाल की दो बड़ी घटनाओं में उसकी अभिवृद्धि हुई। इनमें पहली घटना धर्मसुधार आनंदोलन था जिमन चर्च वा आधिपत्य पोप से ब्रिटेन के राजा वो हस्तान्तरित कर दिया और इस प्रवार उसे पोपशाही वे हस्तक्षेप से पूरी तरह बचा लिया। दूसरी बड़ी घटना स्पेन के जगी बेडे (आमेडा) वी पराजय थी। ब्रिटेन की इम विजय न उस भय के भूत को मदा के लिए भगा दिया जो सोलहवी शताब्दी के प्रारंभ से स्पेन के एक मार्गाञ्जिव शक्ति के रूप म प्रकट होने के दिन से अंगरेजों पर सवार था। जगी बेडे की पराजय ने सारांश को उस अधीनतता की स्थिति से तुरत ही मुक्त कर दिया जिसने वि उच्च नीति के विषयों पर उसका मुँह विलकुल बदल कर रखा था और जब सन् 1603 म स्टुअर्ट ब्रथ ना प्रथम जेम्स सिहासनालड हुआ तो उस लम्बे सधर्य का थीगणेश हुआ जो तब तक समाप्त नहीं हुआ जब तक कि ससद् न राज मूकुट (Crown) अर्थात् राजा पर पूरी विजय प्राप्त न कर ली।

प्रथम जेम्स के शासन में जो एक विवाद मात्र था, उसने उसके पुत्र के समय में मशरूम सधर्य का रूप धारण कर दिया। गृहगुद (सन् 1642-49) ने इगलैण्ड में, महाद्वीप में जिरा प्रकार का प्रबुद्ध निरक्षणतत तेजी से बढ़ता जा रहा था, उसकी स्थापना की सभावना विलकुल ही समाप्त कर दी और यद्यपि कॉमनवेल्य वाल के पश्चात् और पुन स्थापन के साथ ही द्वितीय चाल्स और द्वितीय जेम्स के अधीन स्टुअर्ट निरक्षणता ने फिर से सिर उठाने का प्रयत्न किया किन्तु सन् 1688-89 की न्याति ने उसे इतनी दुरी तरह कुचल दिया कि भविष्य में राजकीय शक्ति को पुनर्जीवित करने के प्रयत्न की सफलता वी आशा विलकुल नष्ट हो गई। इस परिवर्तन की हम बाद में फिर चर्चा करेंगे। यहाँ पर सन् 1688 की न्याति से सबद्ध दो मुख्य बातों पर ही जोर देना आवश्यक है। उनमें पहली बात यह है कि काम-कान का नियन्त्रण प्रभावकारी रूप में राजा से ससमद् राजा ('King in Parliament') के हाथों में चला गया। दूसरी बात यह है कि इस परिवर्तन को बैध आधार प्राप्त हो गया। इसके पूर्व वास्तव में संविधान की कोई विधि नहीं थी, रूढ़ियी और रिवाज थे, क्योंकि मेन्काकार्टी को विधि कहना ठीक नहीं होगा और उसके अधिकार उपवध उसे उत्पन्न करने वाले सामने युग के गुजर जाने के साथ ही अप्रचलित हो गए थे, हालांकि लोकसभा (हाउस ऑफ कॉमन्स) पूर्वदृष्टात के रूप में उसका हवाला देती रहती थी। सन् 1628 के अधिकार-याचिका (पिटीशन ऑव राइट्स) न, राजा की सहमति प्राप्त हो जाने पर, सच-मूल ही विधि का रूप धारण कर लिया, किंतु उसके उपवधो का कभी पालन नहीं किया गया और राजपद के परिसीमन का सारा प्रश्न पूरिटन न्याति की उथल-

पुथल में विलुप्त हो गया। कॉमनवेल्थ और प्रोटेक्टोरेट के समय में पूर्ण स्वेच्छा सिद्धित संविधान प्रस्तुत बिए गए, जिन्होंने युन स्थापन के मामले लुप्त हो गए। युन स्थापन से सबधिन त्रुटि वित्तीय उपचारों को माविधिक बन प्राप्त था, जिन्होंने किसी भी वे सामान्य आनिकारी व्यवस्था के अन्तर्गत थे।

सन् 1688-89 की श्राति के समय पारित विभिन्न संविधियों ने ब्रिटिश राज्य की प्रभुता को अपरिवर्तनीय रूप में समदृष्टि के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि अधिकार विधेयक (बिल ऑव राइट्स) और सेनेक विद्रोह अधिनियम (न्यू-टिनो एक्ट) से सेना वा नियन्त्रण समदृष्टि को प्राप्त हो गया, और, सेना के पोषण के लिए धन के वार्षिक अनुदान की सरल रीति से, यह नियन्त्रण निरक्षुणता के निवारण के लिए प्रभावकारी सिद्ध हुआ। जिन्होंने यह एक प्रबारह वा विधान-सबधी साधारण पर्यंतेक्षण मात्र था, समदृष्टि कार्यपालिका सबधी वृत्तियों को राजा और उसके मन्त्रियों के हाथों में छोड़वर सतुर्प्त हो गई। जिन्होंने यह एक प्रबारह वा विधान-सबधी साधारण पर्यंतेक्षण मात्र था, समदृष्टि कार्यपालिका सबधी वृत्तियों को राजा और उसके मन्त्रियों के हाथों में छोड़वर सतुर्प्त हो गई। जिन्होंने यह एक प्रबारह वा विधान-सबधी साधारण पर्यंतेक्षण मात्र था, समदृष्टि कार्यपालिका सबधी वृत्तियों को राजा और उसके मन्त्रियों के हाथों में छोड़वर सतुर्प्त हो गई। जिन्होंने यह एक प्रबारह वा विधान-सबधी साधारण पर्यंतेक्षण मात्र था, समदृष्टि कार्यपालिका सबधी वृत्तियों को राजा और उसके मन्त्रियों के हाथों में छोड़वर सतुर्प्त हो गई।

इसी बीच, राज्य के वैधानिक इतिहास में 'विधि के शासन' (रूल ऑव लॉ) का मिदान्त स्थापित हो गया था, जिसका यह अर्थ है कि विधि के समक्ष सभी नागरिक बराबर हैं, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हो। बन्दी प्रत्यक्षीवरण (Habeas Corpus) (गन् 1679) तथा व्यवस्था-अधिनियम (Act of Settlement, 1701) जैसी संविधियां ने एक और नागरिक को अन्यान्य कारावास से और दूसरी ओर न्यायाधीश को राजा के हस्तक्षेप से मुक्ति प्रदान कर दी थी। इसके अतिरिक्त, जॉन विल्केस (John Wilkes) (सन् 1763) के जैसे मुकदमों के सबध में बिए गए न्यायिक निर्णयों से नागरिक को गवत गिरफ्तारी से उन्मुक्ति प्राप्त होने के माय ही माय राजा के मक्की भी विधि की माधारण प्रक्रिया के अधीन हो गए। यह विधि वा शासन ममस्त उपनिवेशों में भी प्रचलित कर दिया गया। इसी कारण सभी ब्रिटिश स्व शामिल अधिराज्यों और अमरीका के सद्युतराज्य में आज विधिव्यवस्था वा मूर्न आधार यही मिदान्त है।

इस प्रबारह दूसरे देखते हैं कि बठारह वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक ब्रिटेन एवं साविधानिक राज्य दन यथा था, हालांकि वह लोकतात्त्वात्मक नहीं था। खिलाड़ों के विकास से और कई संविधियों के प्रत्यक्षीवरण उग्रवंश शासन के तीन विभाग—विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका—समुचित रूप से गठित और ऐसी रीति में सबधिन हो गए कि निरक्षुणता की समावता ही नहीं रही। इस

ध्यावस्था के मूल में प्रतिनिधित्व का गिरावट दृढ़ता भे विचारणा था, पिछु मता-पिकार के विस्तार की धारणाएँ अभी व्यावहारिक राजनीति में हग में मान्य गही हुई थी। इसमें पिए ब्रिटेन को प्रासीसी और औद्योगिक नातियों में सामूहिक परिणामों की प्रतीक्षा परनी पड़ी जिनकी फि इस बाद में पर्याप्त हो रही थी। पिछु यह निवियाद है फि अठारहवीं शताब्दी में मध्य में समस्त राज्यों में ऐसा ब्रिटेन ही एक गाविधानिक राज्य था। इसमें विस्तार के साथ उसके इतिहास का पर्याप्त वर्णन का ओचित्य यही है यदोंकि जैसा कि एक विद्वान् ने कहा है, 'अमरीकी और प्रासीसी नातियों में होते से पहले ब्रिटिश व्यावस्था का (ब्रिटेन में लाल उमेरे अधीनस्थ गोरे प्रदेशों में) इतिहास बास्तव में विश्व में स्व-सामाजिक एवं इतिहास है। अतः यह बात अनिवार्य थी कि यह व्यावस्था अन्य राज्यों में परवर्ती गाविधानिक विरासत में रिए आदर्श था जाए।

ब्रिटिश संविधान का विचार धीमा और रीति-स्थितियों से हुआ था। यह इसी सिद्धान्त से परास्त्वहण जान-बूझपार रहे गए उन अन्य संविधानों की तारह नहीं था, जिनका हम अध्ययन करेंगे। यद्यपि उसका विचार इसी सिद्धान्त अध्ययन सिद्धान्तों का परिणाम नहीं था, पिर भी यह उसके राजनीतिक जितान वा आरभ हुआ जो कि तात्पर्यी और अठारहवीं शताब्दियों की विशेषता थी। यदि एकमात्र विचारणा गाविधानिक राज्य ब्रिटेन ही था और यदि लोग गहावीण में जगे हुए निरनुशासन को विचार करने में साधनों की घोज कर रहे थे तो यह स्वाभाविक ही था कि वे आगे युग में इस अनुपम यत्ता की जैव और उसमें विशेषण का प्रयार करें। विन्तु उस यत्ता का निर्माण विचार-प्रतिक्रिया में ढारा हुआ था और प्रण यह उठा कि उसका प्रयोग उक्त नातितारी परिस्थितियों में विस प्रकार दिया जाय, जिस परिस्थितियों में ही अब परिवर्तन सभव प्रतीत होता था। इस प्रण का उत्तर ही यह तुंगी है जिससे ब्रिटिश संक्षिप्तान और उन संविधानों के धीर वा सारभूत अतार गमना जा सकता है, जो कि उसकी नवार गाय ही हो सकते थे। नवा संविधानयाद, जिसके आधिकारिय का हुग अध्ययन करेंगे, एक दस्तावेज़ में हग में था, जिसमें कई शताब्दियों में विचार से आगे गाविधानयाद का निर्माण करने वाले राज्य में अनुभव के परिणामों को एक साथ ही संगृहीत करने का प्रयत्न किया गया। इस अर्थ में पाश्चात्य संविधानवाद के विभिन्न स्थलों पर सम्मिलन और सम्मिलक्षण हुआ जिसमें गुराने नये लो प्रभावित किया और नये से पुराना प्रभावित हुआ। परंतु, यकि ब्रिटिश संविधान का इतना विचार ही पुरा था, अतएव मुख्य रूप से इसी धारण यह आगे-आपको नई अवस्थाओं में अनुभूत था सा, और विचारणा संविधान को गूरा रूप में परिवर्तित किए जिना ही उसमें उग नये सत्यों का गमनवेश कर राता जो परमार्थी दस्तावेजी संविधानों ढारा पैदा किए गए थे।

7. अमरीकी और फ्रांसीसी क्रांतियों का सांविधानिक प्रभाव

पुनरुत्थान द्वारा पैदा की गई राजनीतिक निरकुशता ने और धार्मिक असहिष्णुता के दृढ़ाग्रह ने, जिसका दमन करने के लिए धर्मसुधार-आदोलन ने कुछ भी नहीं किया, राज्य की उत्पत्ति के सबै में एक ऐसी व्याख्या को जन्म दिया जो उत्तीर्णी शताब्दी के आरम्भ तक प्रभावशाली बनी रही। इसे साधारणतया सामाजिक संविदा का सिद्धान्त कहा जाता है। आधुनिक काल में इसका प्रथम प्रतिपादन फ्रांस में हूँजूनेंट लोगों (Huguenots) ने और स्पेन के अत्याचारों से पीड़ित नीदरलैण्ड के निवासियों ने किया, क्योंकि राजनीतिक निरकुशता और धार्मिक असहिष्णुता के कुप्रभाव से सबसे अधिक वे ही दुखी थे। किन्तु यह कोई नया सिद्धान्त नहीं था। ज्लेटो की 'रिपब्लिक' में इसका प्रतिपादन किया गया है और मध्ययुग में साम्राट् और पोप के सघर्ष के दौरान में यह सिद्धान्त फिर सामने आता है। सधेप में, सामाजिक संविदा ना सिद्धान्त यह है कि राज्य की उत्पत्ति अमहनीय प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से एकत्रित जन समूह के बीच एक समझौते के परिणामस्वरूप हुई। इस समझौते से लोग अपने कुछ प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग कर देते हैं, किन्तु केवल उन्हीं अधिकारों का जो समाज में राजनीतिक अवस्था वी स्थापना के लिए आवश्यक होते हैं। अतएव, राजनीतिक समाज का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों के इन अधिकारों की जिनका उपर्युक्त रीति से परित्याग नहीं किया गया है, निरन्तर गारण्टी से बने रहें। यदि शासन वी स्थापना का आधार संविदा है तो इमवा यह अर्थ हुआ कि जब शासन निरकुश हो जाता है तब वह संविदा को भग करता है और इसलिए राज्य के नागरिकों को ऐसे शासन को हटा देने का अधिकार है। हूँजूनो लोगों और नीदरलैण्ड के निवासियों वी तरह के जो लोग निरकुशताके उन्मूलन को न्यायसंगत प्रभागित करना चाहते थे उनके लिए इससे अधिक उपर्युक्त सिद्धान्त और कौन-सा हो सकता था जिसके द्वारा कि अन्तत उनको विद्रोह का अतिम अधिकार प्राप्त होता था।

इस सिद्धान्त के अनेक समर्थकों के द्वारा इसमें बहुत-से परिवर्तन हुए। यह सच है कि उनके सर्वप्रथम और सर्वाधिक विष्वात् व्याख्याकारों में से एक ऑगरेज व्याख्याकार डॉमस हॉस्ट ने अपने ग्रन्थ लेवियेन (सन् 1651) में इस सिद्धान्त के द्वारा राज्य की निरकुशता को इस आधार पर न्यायसंगत मिळ करने का प्रयत्न किया कि संविदा के अनुसार प्रतिष्ठित शासन संविदा वा एक पक्ष नहीं था, अर्थात् संविदा उनके माध्य नहीं हुई थी, अतएव वह उसको भग नहीं कर सकता था। किन्तु जहाँ इस सिद्धान्त के अधिकतर समर्थक अत्याचारी शासक वी हृत्या को न्यायोचित ठहराना प्रयाप्त कर रहे थे वही ब्रिटेन के गृहयुद्ध (सन् 1642-

४९) की दुर्ब्यवस्थाओं के तुरन्त पश्चात् लिखनेवाला हॉम अमल में अराजपता से बचने के लिए दार्शनिक आधार की लोज बर रहा था। दूसरे अगरेज विचारक जॉन लॉक ने, जिसका अठारहवीं शताब्दी में महाद्वीप की विचारधारा पर बड़ा गहरा प्रभाव रहा, इस मिदान्त को अपने ग्रन्थ ट्रीटिजेज ऑफ सिविल गवर्नमेंट (सन् १६९०) में विटेन की सन् १६८८-८९ की भाँति वो न्यायोचित मिद्द कर्म में प्रयुक्त किया। यह ग्रन्थ उदारवादियों (हिंगो) का आविष्टन (Manifesto) या जिसमें जेम्स द्वितीय का राजगढ़ी से उतारन और अधिकार विधेयक (विल ऑफ राइट्स) को पारित करने वाले दल के पक्ष का समर्थन किया गया था। लॉक ने विचार में सविदा प्रजा और राजा के बीच की गई थी और इसका उद्देश्य मनुष्य के अधिकारों की, जिम रूप में वे राजनीतिक अवस्था की स्थापना से पूर्व विद्यमान थे, व्याह्या करते तथा उन्हें त्रियान्वित करने के निमित्त एक मामान्य घर स्थापित करना था। इस मामान्य मिदान्त को लॉक ने सन् १६८८ की विशिष्ट परिस्थितियों पर आमानी से लागू कर लिया। वास्तविकता तो यह है कि जेम्स द्वितीय को राजगढ़ी से हटानेवाले सन् १६८९ के मन्मेलन वे प्रस्ताव में यह सिद्धान्त पहले से ही समाविष्ट न रख लिया गया था। इन प्रस्ताव में वहा गया था कि राजा ने “राजा और प्रजा के बीच में ही मूल सविदा को भग करते हुए राज्य के सविदान को नष्ट करने का प्रयत्न करने के कारण शासन के अधिकार को त्याग दिया है और इसके फलस्वरूप राजगढ़ी खाली है।” इस प्रकार जब तीन वर्ष के कुशासन के पश्चात् जेम्स द्वितीय पदच्युत किया गया तब यह मान लिया गया कि विलियम ऑफ ऑरेंज और मेरी को ग्रिटेन के राजसिंहासन पर बिठाने के लिए एक नई सविदा की गई। हिंग लोगों ने स्टुअर्ट वंश के राजाओं के देवी अधिकार के मिदान्त का इस भाँति उत्तर दिया।

किन्तु जहाँ एक और हॉम्स ने सविदा के पक्ष को पूर्णस्पेन समाप्त करने की सुनिधानक किन्तु तर्कहीन पढ़ति ड्वारा—अर्थात् निरकुशता के मिदान्त को प्रमाणित करने के निमित्त सब-कुछ बलिदान करने—स्वतंत्रता और सत्ता में भेल करा दिया, वही दूसरी और लॉक ने प्रभुत्व की कठिन समस्या को उसकी उपेक्षा करके टाल दिया। यदि भाँति न्यायोचित हो तो उसके निष्पादन के लिए उचित अवसर का निश्चय करने वाली सत्ता कौन है?—लॉक ने इस आधारभूत प्रश्न का कभी उत्तर नहीं दिया, किन्तु पृष्ठभूमि में शक्ति के वरिष्ठ मूर्ति के रूप में ‘जनता’ की अस्पष्ट कल्पना से अपने आपको ततुष्ट कर लिया। तिस पर भी यह मानना बेकार होगा कि वह भाँति जिसने जेम्स द्वितीय को पदच्युत फरके विलियम और मेरी को राजसिंहासन पर बिठाया, जनता ने की थी। वह तो वास्तव में एक अभिजात वर्ग का बाम था जिनका जेम्स द्वितीय के प्रति विरोध अधिकार विधेयक (विल ऑफ राइट्स) के रूप में प्रबट हुआ, जो एक ऐसी

निवान प्रनिनिधित्वहीन समद्वा द्वारा पारित किया गया था जिसके गठन में, मन् १२९५ में उमरी स्थापना के बाद से, कई भी ठोक सुधार नहीं हुआ था। प्रभुता और लोकतन्त्र में ऐसे विद्याने की विट्ठि समस्या वो ही करने का प्रयत्न अत मे प्रसिद्ध फासीसी विचारक रुसो ने किया। अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ सोशल कट्टाइ (मन १७६२) में रुसो ने लॉक वे मिदान का हॉब्म की पढ़नि से प्रतिशादन करते हुए लोकतन्त्र के पक्ष का तर्वपूर्ण ही नहीं, अग्रिम अखड़नीय समर्थन प्रस्तुत करने का साहसपूर्ण प्रयास किया। रुसो ने कहा कि यदि मनुष्य स्वतन्त्रता के निमित्त पैदा होते हुए भी सर्वत्र वधन में हैं तो ऐसी दामता को वैध हृष देने वा एकमात्र साधन यह है कि प्रभुता उन लोगों के हाथों में ही रहनी चाहिए जिन्होंने व्यक्तिया के एक समूह को समाज का हृष देने वाली सविदा की थी। सविदा के द्वारा प्रत्यक्ष व्यक्ति मे अपने आपको सबके प्रति समर्पित करते हुए, विसी के भी प्रति समर्पित नहीं किया और इसलिए उससे समानता उपलब्ध हुई। लौक प्रभुता के इस मिदाने ने, जिस हृष में रुसो ने इमक़ा प्रतिपादन किया, उन गवितया के लिए दुन्दुभी का कार्य किया जिन्होंने अन मे योरोप मे पुरानी व्यवस्था का उन्नट दिया, क्याकि रुसो के विवारों के वर्वभाव्य हो जाने पर प्रबुद्ध निरकृशतन्त्र के लिए उसके मुकाबले म प्रभावकारी यथा रहना सम्भव नहीं हो सकता था।

रुसो का 'सोशल कट्टाइ' कदाचित् सबसे महान् युगान्तरकारी ग्रन्थ था। स्वयं उसमे तो कोई ऐसी यत्न नहीं थी, परन्तु प्रवर्ती संविधान निर्माण-कार्य पर जो प्रभाव उसना पक्ष उसे देखते हुए वह वास्तव मे एक युगान्तरकारी ग्रन्थ था। रुसो ने मामान्य इच्छा (General will) के अपने मिदान के आधार पर लोकतन्त्र को दार्शनिक और्ध्वत्य प्रदान करने के उन्मत्त प्रयत्नों से अपने आप को तर्ह के दलदल मे फ़मा लिया और राज्य के स्वीकार्य मिदान के हृष मे सामाजिक सविदा का मिदान अन मे रुसो के जर्मन उत्तराधिकारियों कांट, किटटे और हीगल के आदर्शवादी दण्ड द्वारा पैदा किए गए जनुभवानीन धूम्य मे विनुप्न हो गया। रुसो न स्वयं प्रनिनिधिक नोक्तव्र की धारणा का अन्विरोधी कहकर उसका उपहार किया और उसो के शमन ने आदर्श प्रत्यक्ष या प्रारम्भिक सोक्तमन्त्र भी प्राचीन धारणा पर आधारित होने के बारण उमड़े युग मे यिनकूल अन्यवहार्य था। किन्तु उमड़े जिव्य उनके हृष्टानी नहीं थे और यह बात मचाई के माय कही जा सकती है कि रुसो के बाद विकसित हुने वाली प्रनिनिधिक सम्प्रता म जाने-अनजाने उमड़ अन्तिम मिदान को व्यावहारिक हृष देने का प्रयास किया गया है।

उमो की पुस्तक सोशल कट्टाइ वास्तव म इन दो महान् वानियों की गाहित्याकृ पूर्वगमी थी, जो अद्यारहबी जनान्दी वे अन मे अमरीका और फ्रांस

म हुइ। अमरीका की शानि स्वतंत्रता-युद्ध (मन् 1775-83) तक ही सीमित नहीं थी। उस ऋणि ने तेरह उपनिवेशों में प्रत्यक्ष भ जनर नाइन्टेन्टेम्प्स परिवर्तन का और उत्तर राज्य-संविधानों के आनेद्वय का रूप धारण किया जितना कि सन् 1781 में सर्वकल और प्रकाशन दिया गया। इन सर्वकल का प्रामोजी भाषा म अनुवाद हुआ और उसने प्राम के नाइन्टेन्टेम्प्स मंविधान नियम पर काफी प्रभाव डाला। किन्तु आधुनिक संविधानवाद के इनिहाम पर स्वयं अमेरीकी स्वतंत्रता-संघर्ष तथा उसके परिणाम का प्रभाव और भी अधिक मार्क दा था। यह संग्राम एसी आर्थिक व्यवस्था के परिणामस्वरूप हुआ था जिस अमरीका ने उपनिवेशवासी लोग अत्याचारपूर्ण समझत थे। उनके 'प्रतिनिधित्व नहीं तो करताधान भी नहीं' नारे भ जतत मात्रभूमि के विरुद्ध विद्रोह की भावना उप रमित थी क्योंकि फ्रासीमियों के विरुद्ध उपनिवेशों की रक्षा म लड गए सप्त वर्षों युद्ध (सन् 1776-83) के ब्यय को पूरा करने के लिए विमीन विसी प्रकार वा कर आटोपिन बरना निनान आवश्यक तो था किन्तु वस्टर्मिस्टर की सप्तद में अमरीकी उपनिवेशों वा प्रतिनिधित्व उस समय स्पष्टत अमम्बव था। इसलिए अमरीकी स्वतंत्रता वा संग्राम छिड गया जिसके परस्वरूप अन भ 'अमरीका के सद्युक्तराज्य नाम स जात एव नए राज्य की न्यायता हई जिसपा आधार सन् 1787 म प्रव्याप्ति संविधान था और जो सन् 1789 म प्रवर्तित हुआ।

इस संविधान में स्वतंत्रता की प्रोप्रणा (1776) म निरूपित मिहान्त समाविष्ट हैं। इसम स्पष्टता वहा गया है कि सब मनुष्य जाम से भमान उत्पन्न होते हैं कि उनके यष्टा न उनको निषेध अविच्छय अधिकारा से विभूषित किया है कि इन अविकारा को मुराडित करने के लिए मनुष्या म नान स्पष्टित किए जाते हैं जिनको अपनी न्यायाचिन शक्तिया शासन वा सम्भवि से प्राप्त होती हैं, कि जब कभी काह शासन इन उद्देश्यों को नष्ट करन उगता है तो जनता वा यह अधिकार हो जाता है कि वह उसे परिवर्तित या समान्त जर दे और एव नया शासन स्थापित कर जिसकी नीव एस सिद्धाता पर आधारित है और जिसकी शक्तिया एसे रूप म सगठित हो जिनसे उन्ह अपनी सुख्या एव अपना सूख मूनि शिखन करने की मर्वाधिक सभावना जान पड़।

आधुनिक दस्तावेजी संविधानवाद वा वातविक भारम्भ यही है। राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या के रूप भ सामाजिक संविदा वा गिदान्त एतिहासिक पद्धति के अन्तर्भूमी प्रकाश म भले हा निराधार जान पड़ निन्तु किमी भी प्रका० की शोध या युक्ति इस तथ्य का नष्ट नहा कर सबती वि अमरीकिया न सन् 1789 म निश्चय ही एक नये राज्य की रचना की और उसके अधिकारों वा एव दस्ता वेज म प्रतिष्ठित कर दिया जा अमरीका के सद्युक्तराज्य के संविधान के रूप ग

उम्म देश मे आज भी सर्वोच्च सत्ता के स्थ पे विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, उम्म नए राज्य को गठित करने वाले विभिन्न भमूहो को सत्युष्ट करने योग्य राजनीतिक समझन के स्वरूप के निर्माण-कार्य मे अमरीकियो ने एक प्राचीन राजनीतिक पद्धति अर्थात् सधवाद को पुनर्जीवित किया जिमका कि परवर्ती राजनीति पर अत्यधिक प्रभाव होना निश्चित था। इस विषय पर वाद के एक अध्याय मे हमें बहुत-कुछ कहना होगा।

कदाचित् इस बात को निश्चयपूर्वक कहना सम्भव नहीं होगा कि अमरीकियो ने हमो के प्रभाव का प्रत्यक्ष अनुभव किया। माम्भवत यह कहना सत्य के अधिक निकट होगा कि अमरीकी सविधान के निर्माता भी उसी भावना से प्रेरित थे जिसने हिं रसो के राजनीतिक दर्शन को प्रेरणा दी थी। किन्तु प्राप्तीसी क्रति के प्रारंभिक हमचनो का नेतृत्व करने वालो को रसो ने प्रत्यक्षरूपेण प्रभावित किया। घटनाओ के इस महान् चक्र के बारे मे यही पर इतना ही कहना आवश्यक है कि सन् 1789 ई मे जब काम के दिवालिया शामन ने एस्टेट्स-जनरल को, जिसका सन् 1614 से कोई अधिकेशन नहीं हुआ था, किर से जीवित करने के उपाय का आसरा लिया तब उसने हमो और उसके अनुवायियो के समस्त आदर्शवादी मतो को सभास्थल तक पहुँचा दिया और इस प्रकार राजनीतिक सविधान के प्रबोधन के साथ उनका व्यावहारिक संबोध करा दिया। इस तरह सन् 1789 की राष्ट्रीय भभा ने सविधान निर्माण के अपने वास्तविक कार्य को आरंभ करने से पहले “मनुष्य के और नागरिक के अधिकारों की घोषणा” तयार की। यह दस्तावेज राज्य की सविदातमक उत्पत्ति के, लोकप्रभुत्व के और वैधिकिक अधिकारो के सिद्धान्तो से परिपूर्ण था, जैसा कि निम्नलिखित उद्धरणो से प्रकट है —

“मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और अधिकारो मे समान है ”

“प्रत्येक राजनीतिक सत्ता का उद्देश्य मनुष्य के ऐसे अधिकारो का रक्षण है जो व्यावहारिक है और जो विश्वभोगजन्य है। ये अधिकार हैं स्वतंत्रता, समति, सुरक्षा एव दमन का प्रतिरोध ”

“स्वतन्त्रता से कोई भी ऐसी बात करने की शक्ति अभिप्रैत है जो दूसरो को हानि भही पहुँचाती, इसके अनुमार प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारो के प्रयोग की सीमाए बेवल वे ही हैं जिनसे ममाज वे अन्य मदस्या द्वारा वैसे अधिकारो का उपयोग सुनिश्चित होना है। ये सीमाए विधि द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं ”

“विधि सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है ”

“विसी को उम्मे मन के लिय छेडा नहीं जाना चाहिये ।”

“इकादा एव सत्तो का व्यवस्थित व्यापार प्रकार मनुष्य के समस्त व्यवस्थ अधिकारो मे से एक है ।”

इसके पश्चात् सन् 1791 में जो संविधान बना, और जिसमें यह घोषणा भूमिका के रूप में जोड़ी गई थी, वह स्थायी न रह सका, क्योंकि उसने जित संविधान सभा का जन्म दिया वह कात्री की भीतरी अराजकता और बाहरी युद्धावस्था से निपटने में असमर्थ रही। फिर भी यह आधुनिक दस्तावेजी संविधानवाद के विकास में दूररो बड़ी मजिल थी जैसे अमरीकी शान्ति पहली मजिल थी। मद्यगी क्रासीसो शांति के प्रारंभिक वर्षों के संविधानवाद को पहले आतकराज की अराजकता से और तदुपरान्त उसकी भस्म से उत्पन्न नेपोलियन के राज्य की निरक्षणा से पराजय स्वीकार करनी पड़ी, फिर भी इस शांति ने राजनीतिक स्वतंत्रता की एक ऐसी ज्योति जगा दी जो फिर कभी भी स्थायी रूप से बुझाई न जा सकी। जैसा कि एक विद्वान् ने कहा है— कास वा स्व-शासन पा आदर्श प्रथव ऐसी संगठित सरकार में लिए जिसने जनता की प्रभुता भो र्वीकार और रामाचिष्ट नहीं किया, एक चुनौती बन गया—जैसा कि वह अपने आगे ही नहीं बल्कि अमरीकी रूप में भी नहीं बन सका था।

8 राष्ट्रवाद और उदारवादी सुधार

यद्यपि बात उलटी और अतिरिक्ती जान पड़ती है, किन्तु इस सबध में आगे का कार्य नेपोलियन के शासन और यारोप में उनके परिणाम से हुआ। चूंकि लोकतन्त्र के सिद्धान्त वा योरोप में पर्याप्त सीमा तब समारभ हो चुका था (और अपने सैनिकवाद के बावजूद नेपोलियन स्वयं दृग नातिकारी चीज का बोने वाला था), अत संविधानवाद के प्रसार को प्रभावतूर्ण बनाने के लिए केवल यही अपेक्षित था कि विभिन्न दलित समुदायों में, जिनको वह सर्वोधित किया गया था, अचेतनता लाने वाली राष्ट्रीयता की भावना का पर्याप्त सचार हो। नेपोलियन के अधीचित्यहीन सीमा निर्धारण के कार्यों ने, विशेषकर इटली और जर्मनी में, उस अपरिवर्त भावना को छोट पूँचाई जिसका अस्तित्व तब तक मान्य नहीं हुआ जब तक नि वह इस तरह भड़ककर कियाशील नहीं हो गई। योरोप के राज्यों का एक समुक्त योरोपीय राज्य बनाने के अपने प्रयत्नों में नेपोलियन को केवल यही सफलता मिली कि उसने उनको उस सीमा तक अलग-अलग कर दिया कि उत्तर के कारण स्वयं उसका ही विनाश हो गया। पुनरत्थान के सबध में हमने जिस राष्ट्रवाद की चर्चा की थी वह एक अस्पष्ट और अधिकतर अचेतन विकास था। नेपोलियन की योरोप-विजय की असफलता के पश्चात् का राष्ट्रवाद एक भयकर ज्वाला थी, जिसने पहले तो स्वयं प्रज्वलनकर्ता को ही भस्म कर दिया और फिर तब तक भीतर ही भीतर मुलगती और समय-समय पर पुन विज्वलित होती रही जब तक कि उसने पुरानी व्यवस्था के भवन के प्रत्येक अवशेष को भस्मीभूत नहीं कर लिया। लाइप्जिंग के युद्ध को 'राष्ट्रो' वा 'युद्ध' कहना निरर्थक नहीं था,

हालांकि सन् 1814-15 की सधिया करने वाले राजवशोग्य और अभिजानवर्गीय राजनेतृज्ञ उस आदोलन के बास्तविक अभिप्राय को नहीं समझ सके जिसने कि बोलापाट्ट की महत्वाकांक्षाओं को निगल लिया था।

इन सधियों ने अधिकतर देश में प्राचीन निरकृशतत्रों को पुनर स्थापित कर दिया, जिन्हे उलटने का त्रानि ने प्रथम किया था। इसके अनिरिक्त अधिकतर राज्यों की सीमाएँ युद्ध से पूर्व जैसी यीं बैसी ही कर दी गईं। जहाँ ऐसा नहीं किया गया था, वहाँ मनमाने तौर पर इप्र०-उधर के क्षेत्रों और जन-समूहों को पुराने राज्यक्षेत्रों से अलग करने के अधीन रख दिया गया और इनमें त्रानि द्वारा फैलाए गए विचारों का नहीं बरन् विजेता के अधिकार या उसकी नीति अद्वा शक्ति का ही ध्यान रखा गया। इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय सर्वेधानिक राज्य का सार्वभौमिक आविर्भाव स्थगित हो गया, यद्यपि उसका पूर्ण परित्याग अब सम्भव नहीं था। इसका दूसरा परिणाम यह हुआ कि मुद्घार-वादी युन दृष्टि से बायं करने के लिए वाध्य हो गए और उनका उत्त्वाह अब यदाद-कदा विद्रोह के दृष्टि में प्रवट होने लगा। इससे यह खराबी दूर्दि कि राष्ट्रवाद और उदारवादी मुद्घर की समस्याओं के सम्बन्ध में आनिं उत्पन्न हो गई हालांकि दाना को एक ही हाना चाहिए था। जो राजनेतृज्ञ योगोप की शानि के रक्षक मान जाते थे उन्हे इस अप्रतिकारी भावना को, जहाँ भी वह प्रवट हुई, कुचलने की ही चिना रहने लगी। चिन्तु यमय के साथ-साथ उनकी शक्ति क्षीण होनी गई और मन् 1830 में महाद्वीप के अधिकतर राज्यों में गम्भीर त्रानि हुई। यदा की तरह यह भी प्राप्ति में वारस्त हुई, जहाँ पुनर स्थापित बूरबो वश का तहत उलट दिया गया और सुई पिलिष्य के अधीन और भी अधिक सीमित राजनत्र की प्रतिष्ठा हुई। चिन्तु उस यमय सफल होना बाला वह एकमात्र आदोलन था। इसका एक अपवाद बेलजियम था जहाँ सर्वेधानिक राजनत्र के अधीन एक नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। सन् 1848 म आतियों के एक दूसरे सिलसिले ने जो मन् 1830 में कही अधिक गम्भीर था, यह बहुत फिर निर्द बन दी कि केवलमात्र उदारवादी आदोलन, जो राष्ट्रीय एकता पर आधारित न हो, किन्तु दुर्बल होना है। उम्मे से पहला जर्बान् फ्रान्स का सविग्रान मन् 1852 में मुझे नेपोलियन के अधीन दिनीक साम्राज्य की स्थापना में क्रीघ हो ममात्त हो गया और दूसरा जर्बान् सार्टीनिया का सविग्रान जियिलका से तब तक चलना रहा जब तक कि वह छठलों में एक्स्ट्रा के आदोलन में मचड़ नहीं हो गया।

जर्बान्, मन् 1848 की अपराजनाओं के पश्चात् उदार मुद्घार्वादियों की आवाजाना का रूप नई दिशा की ओर हो गया। यह तो स्पष्ट ही हो गया था कि

प्रातिकारी मार्ग असफल रहा। किन्तु इसके माथ ही राजनीतिक समस्या के शास्त्रियों समाधान की दिशा में एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व काम कर रहा था। यह तत्त्व उन व्यापक परिवर्तनों का परिणाम था जिन्हे हम 'ओद्योगिक ज्ञाति' कहने हैं। यह ज्ञाति अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इंग्लैण्ड में एक-बे-वाद-एक यत्न सम्बन्धी आविष्कारा से प्रारम्भ हुई जिसके फलस्वरूप ओद्योगिक उत्पादन की प्रक्रियाओं में शक्ति का प्रयोग होने लगा। इसके विकास से कारबाना-प्रणाली तथा आधुनिक पूजीवाद की नीति पड़ी और अत में सामाजिक शक्तिया पूर्ण रूप से बदल गई और राजनीतिक सत्तुलत में आधारभूत परिवर्तन हो गया। जब यह आर्थिक ज्ञाति इंग्लैण्ड में क्रियान्वित होनी प्रारम्भ हुई तो यह अनिवार्य था कि उसका राजनीतिक स्थिति पर मध्यीर प्रभाव पड़े। इसने समाज में कृषि से सम्बद्ध वर्गों का भारी महत्व मदा के लिए ममार्य कर दिया और एक नए मध्यम वर्ग—पूजीवादी वर्ग को जन्म दिया, जो राजनीतिक मान्यता के लिए अपनी मार्ग पर वर्ष प्रतिवर्ष अधिकाधिक आग्रह करने लगा।

इस वर्ग को सन् 1832 के सुधार अधिनियम द्वारा मुक्ति प्रदान हुई। इस अधिनियम ने शताब्दियों से सचित दुराइयों को दूर किया। जिन धोनों का पुराना राजनीतिक महत्व समाप्त हो गया था, उनका प्रतिनिधित्व समाप्त भरने के लिए संसदीय स्थानों का पुनर्वितरण किया गया और ओद्योगिक परिवर्तनों से विकसित नए शहरी धोनों वो संसद में प्रतिनिधित्व दिया गया। ऐसा भरने में इसने नए पूजीवादियों को मताधिकार प्रदान किया। यद्यपि इससे लोकतंत्र की पूर्ण व्यवस्था का आरम्भ नहीं हुआ, तिन्तु यह उग्र दिशा की ओर आनिकारी प्रगति के विपरीत संविधानिक प्रगति के सही मार्ग में उठाया गया पहला कदम था क्योंकि शासन की विद्यमान पद्धतियों में आतिकारी परिवर्तन किए बिना ही यह सुधार करना सम्भव हा सका। मध्यम वर्ग को मताधिकार प्रदान करने से वास्तव में मतिमडलीय प्रणाली अर्थात् संसद द्वारा कार्यपालिका के नियन्त्रण को दूरता प्राप्त हुई, जिसकी कि अठारहवीं शताब्दी के दौरान में पक्की नीव ढाल दी गई थी। मतिमडलीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने का यह वार्ष मध्यम वर्ग के मताधिकार के फलस्वरूप राजनीतिक गुरुत्वाकर्पण केन्द्र के सामने-सदन (हाउस ऑफ लॉड्ज स) से हटकर लोक-सदन (हाउस ऑफ कॉमन्स) में पहुँच जाने से और दलों के जित पर वास्तविक मतिमडलीय प्रणाली का काम रहना निशंर होता है, एक नए विभाजन के अस्तित्व में आ जाने से हो सका।

ओद्योगिक ज्ञाति से उद्भूत यह महान् आन्दोलन अनिवार्यत महादीप में फैल गया और अपने चिस्तार वे साथ-साथ यह ऐसे परिणामों तो लाया जिनसे संविधानिक मार्ग द्वारा परिवर्तन की प्रवृत्ति को बल प्राप्त हुआ, क्योंकि इससे विद्यमान शासनों और नए पूजीवादियों में बेल हो गया जो कि सब बातों से अधिक-

शांति और व्यवस्था के बहमना करते थे। इसके अतिरिक्त, इसकी प्रवृत्ति आर्थिक संरक्षण की नीति को प्रोत्साहित करके धीरे धीरे राष्ट्रीयता को विद्यमान भावना को तीव्र करने की ओर थी, क्योंकि जिन देशों में औद्योगीकरण नहीं हुआ था वे उन देशों का, जिनमें औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप अपना माल बहुत सस्ता बेचने की सामर्थ्य थी, मुकाबला तभी कर सकते थे जब वे आर्थिक संरक्षण की नीति पर चलकर औद्योगिक देशों के विरुद्ध कर की दीवार खड़ी करें, और इस प्रकार उन उद्योगों का पोषण करें जिनका वे अपने साथनों के कारण उत्पादन बर सकते थे।

किन्तु इन औद्योगिक परिवर्तनों के फलस्वरूप नगरों में बेतनमोगी भजदूरों के विश्वाल समूदाय उत्पन्न हो गए और अब वे भी राजनीतिक अधिकारों को मांग करने लगे। इगलैंड में इसके परिणामस्वरूप पहले एक भजदूर आनंदोलन—चार्टिज्म (सन् 1837-48) का आरम्भ हुआ, जिसका उद्देश्य शासन पर और औद्योगिक व्यापार के साथ-साथ मताधिकार-सम्बन्धों मुधार बरने के लिए दबाव ढालना था, और जब यह असफल रहा तो सन् 1867 और 1884-85 के दो मुधार अधिनियम बने, जिसका सामान्य प्रभाव नगरों में किराएदारों तथा खेतिहार भजदूरों का मताधिकार देना था। किन्तु अधिकतर देशों में, शासनतत्व ऐसे अधिकारों के प्रदान के निमित्त समायोजित हो सकें इसके पूर्व ही ब्रातिकारी सिद्धान्तों का प्रचार होने लगा था, जिसका उद्देश्य विद्यमान शासनों को उत्पन्न और एक नए प्रकार के समाज की स्थापना था। इनमें मुख्य सिद्धान्त उस प्रकार का समाजवाद या जिससे कार्त मार्क्स का नाम से सम्बन्ध है और जिसके 'कम्यूनिस्ट मेनिफेस्टो' (सन् 1848) फ्रेडार्क एगिल्स के महोग से 1848 में प्रकाशित और बाद के घयों में व्यक्त विचारों ने सरदीय संस्थाओं के सर्वोच्चिक विकास पर ही नहीं, बरत राष्ट्रीयता की समस्त धरणों पर भी तुठाराघात किया। अब प्रश्न यह था कि क्या राष्ट्रीय संविधानवाद इस ब्रातिकारी सिद्धान्त के विरुद्ध सफलनापूर्वक संघर्ष बरने के लिए पर्याप्त रूप में ढटा रहा सकता है? उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के इतिहास ने इस प्रश्न का आणिक रूप में उत्तर दिया।

9 उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में राष्ट्रीय संविधानवाद

उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध दस्तावेजी संविधानों के उत्पर्य का युग था। इगलैंड और अमरीका के सिवाय दिसी भी देश का विद्यमान संविधान उन्नीसवीं शताब्दी से पुराना नहीं है और उस शताब्दी के पूर्वार्द्ध में जो संविधान विद्यमान थे उनमें से अधिकतर तब भे या हो लूप्त हो गए और उनके स्थान पर नए संविधान आ गए हैं या उनमें इतने मौलिक सशाधन एवं परिवर्तन बर दिए गए हैं जिन्हें वास्तव में नए हो गए हैं।

सविधानवाद की यह लहर इटली और जर्मनी के एकता-आदोलनों से उत्पन्न हुई। सन् 1870 के युद्ध के बाद फ्रांस में जिस गणतन्त्रात्मक सविधान पा प्रख्यापन हुआ उसकी जिम्मेदारी भी अधिकतर इन्ही आनंदोलनों पर थी। इटली में साईंनिया का सविधान, जैसा कि हम बता चुके हैं उन तीन सविधानों में था जो सन् 1848 की विपत्ति से बच सके थे। इटली अब भी ग्रात राज्यों में विभाजित था, इन्तु यह परिवर्तित अधिक गम्भीर तरह नहीं रह सकती थी। सन् 1859 से तेरह 1870 तक वे दोरान में अनेक विद्रोहों और युद्धों में पानस्वरूप य विभिन्न राज्य साईंनिया के साथ सम्मिलित हो गए। ज्यो या प्रत्येक राज्य इस संयोग में सम्मिलित होना गया त्योन्त्यो साईंनिया का सविधान उसको लागू होता गया और इस प्रबार अत में इटली का राज्य स्थापित हुआ। इधर जर्मनी में सन् 1848 की असफलता के पश्चात पूर्ववालीन व्यवस्था पुनर स्थापित की गई। विन्तु सन् 1864 और 1871 के बीच तीन युद्धों के परिणामस्वरूप जिन्हे विरामावधि प्रतिभा ने भटकाया था और जिनका उसी न सचालन किया था, डेनमार्क को परास्त होनेर श्लेस्विग (Schleswig) और होल्स्टीन (Holstein) की डचिया (Duchies) छोड़नी पड़ी, आस्ट्रिया जर्मन-राज्यमण्डल से निकाल दिया गया, और फ्रांस में द्वितीय साम्राज्य का तट्ठा पस्ट दिया गया। इस प्रबार चार नए सर्वधानित राज्यों का अभ्युदय हुआ। डेनमार्क में सन् 1864 में राजा की सरदीय व्यवस्था स्वीकार बरने के लिए वाध्य किया गया, आस्ट्रिया और हगरी में सन् 1869 में नए सविधान तैयार हुए जिनमें दोनों के लिये एक ही राजा रखने की व्यवस्था की गई, जर्मनी में सन् 1871 में जर्मन साम्राज्य स्थापित हुआ, और फ्रांस में अन्तत सन् 1875 में तृतीय गणतन्त्र की स्थापना हुई।

इन सविधानों में से प्रत्येक ने सासदीय संस्थाओं को अपनाया, जो मूलाधिक संशोधित रूप में ब्रिटिश सविधान की नकले थी। इनमें से प्रत्येक में लोकतात्त्वीय तत्त्व समाविष्ट थे, विन्तु सासद की शक्तिया अभी ऐसी नहीं थी जिनसे उदारवादी सुधार की समस्त मार्ग पूरी हो सकती। इसने अतिरिक्त राष्ट्रवाद वेवल एक सीमा तक ही विजयी हो सका था। इटली का एकीकरण तो ही चुका था परन्तु ट्रियस्ट (Trieste) और ट्रेटिनो (Trentino), जिनमें कई इटली वासे रहते थे, आस्ट्रिया की प्रभुसत्ता के अधीन, उसकी राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर थे। आस्ट्रिया-हगरी, उसमें अनेक अधीनस्थ प्रदेश होने के कारण निश्चय ही एक राष्ट्रीय राज्य नहीं बहा जा सकता था। जहाँ तरह जर्मनी का सबध है, यद्यपि वह आस्ट्रिया हगरी की अपेक्षा कही अधिक राष्ट्रीय था, किंतु भी उसकी सीमा ने अन्दर बहुत-से पोल जाति के लोग थे और उगाने सन् 1871 में अपनी विजय के पानस्वरूप अलसास और लारेन के प्रातों को फांस से छीन लिया था।

इन घटनाओं के बाद के वर्षों में राष्ट्रवाद वाल्कन प्रायद्वीप के सोगो का

नारा बन गया, जो कि अब भी तुर्की के अधीन और उसके अत्याचारों से पीड़ित थे। हस और तुर्की के बीच की लड़ाई और बलिन कायेस में इम समस्या में बड़ी शक्तियों की दिलचस्पी के फलस्वरूप सन् 1878 में दो नए राज्यों, अर्पात् सर्विया और ख्मानिया की स्थापना हुई और मॉण्टीनीयों, जो शताव्दियों से अपनी स्वतंत्रता कायम रखे थे, अकार में दुगना हो गया। यूनान तो सन् 1832 में ही स्वाधीनता प्राप्त कर चुका था और उसका शासन सन् 1864 में अतिम रूप में लागू किए गए एक संविधान के अनुसार ही रहा था। इस प्रकार केवल बलगेरिया, जो बलिन संघ की व्यवस्थाओं के फलस्वरूप आशिक रूप में ही स्वतंत्र हुआ था, और स्वयं तुर्की ही रह गए। डितीय अब्दुलहमीद ने सन् 1876 में ही समस्त ऑटोमन साम्राज्य के लिए एक संविधान की घोषणा की थी, किन्तु वह दो वर्ष के अदर ही रद्द कर दिया गया था। सन् 1908 में 'युवक तुर्क' दल ने इस संविधान को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया, अब्दुलहमीद को राजगद्दी से उतार दिया और तुर्की को सर्वेधानिक गजतत्र बना दिया। तुर्की की इस उथल-पुथल से लाभ उठाते हुए बलगेरिया ने उसी वर्ष अपनी पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कर दी।

इस प्रवार पाश्चात्य उदारवाद से प्रभावित होकर योरोप के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र ने, जो अब तक तुर्की की निरक्षणा से पीड़ित था, बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक तक कम-से-कम राजनीतिक संविधानवाद के रूपों को तो अपना ही लिया था। प्रत्येक अवस्था में राष्ट्रीयता के आधार पर एक नए राज्य की स्थापना हुई, राष्ट्रीयता का यह सिद्धात मुविन के साधन के रूप में जान-बूझकर अपनाया गया था। यह सच है कि किसी भी अवस्था में राष्ट्रीय आकाशाओं की पूति पूर्णरूप से नहीं हुई और इसी कारण सन् 1912 और 1913 में बाल्कन युद्ध हुए। पिर भी उच्चीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में बाल्कन प्रायद्वीप वा समस्त इतिहास इस बात का साक्षी है कि यह आशा कितनी व्यापक हो गई थी कि कदाचित् प्रगलिशील सर्वेधानिक राज्य के निर्माण का सर्वाधिक सतोषप्रद आधार राष्ट्रीय सोक्तव्र ही सिद्ध हो सकेगा।

10 संविधानवाद और प्रथम विश्वयुद्ध

इस प्रवार हम देखते हैं कि सन् 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध से पहले हस वा सिवाय योरोप के प्रत्येक राज्य में विसी-न-विसी रूप में राष्ट्रीय संविधानवाद वा प्रयोग किया जा रहा था। रूप में संविधानवाद के प्रयत्न आशिक रूप में निर्वाचित सभा (ड्यूमा) नीं स्थापना से आगे नहीं बढ़ सके थे और यह सभा भी सन् 1906 में अपने आरम्भ से ही शक्तिशाली होने के चायां बमजौर होती गई थी। किन्तु संविधानवाद योरोप, ब्रिटेन के साम्राज्य के स्व-शासित अधिराज्यों

और यूनाइटेड स्टेट्स नहीं हो सकता रहा। यह सगार के दूर-दूर के स्थानों, जैसे दक्षिणी अमरीका, जापान और चीन तक में भी पहुँच गया। आधुनिक साम्राज्यवाद की जड़ें और औद्योगिक कानिंहे आर्थिक परिणामों के द्वारा विश्व के योरोपीयकरण के माथ-साथ प्रानीन ममार वे राजनीतिक मिदानों का प्रचार हुआ और उम्मीदों राजनीतिक कार्यप्रणालियों वा भी व्यापक प्रयोग हुआ। इस संविधानवाद का स्पष्ट सदा ही या तो त्रिटिश नमून पा यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा अभीकृत उम्मीदों परिवर्तन न्यूरूप के अनुमार था। दूसरे शब्दों में, इसने प्रानीनिधिक सम्पत्तियों की स्थापना की और गढ़ का राज्य का आधार बनाया। उन स्थानों में भी जहां राष्ट्र का अभिन्नत्व नहीं था जैसे चीन में, संविधानवाद की प्रवृत्ति न राष्ट्रवाद के विकास को प्रत्याहित किया और उसे एवं राजनीतिक आधार के स्पष्ट में प्रयुक्त किया।

गश्यपि योरोप में राजनीतिक संविधानवाद वापी प्रगति कर नुक्ता था तो भी अधिकतर स्थानों में प्रानीनिधिक लोकत्व और राष्ट्रवाद के मामला में उसे और भी आगे बढ़ना था। प्रास का अपन खोए हुए प्रान आर इटली को पराधीन इटालियन भाषा-भाषी क्षेत्र पुनः प्राप्त बरने थे। जर्मनी में कुछ गैर-जर्मन लोग —उत्तर में डेन और पूर्व में पोल जानि के लोग—अप्रीनता की अवस्था में थे। आरिंडिया-हगरी को, जिसमें जर्मन, मेम्फार, दक्षिणी न्यूज़ीलैंड, धेन, पोल और रूमानियन जानियों के लोग थे, 'जर्जर माम्राज्य' (Ramshackle Empire) कहना उपयुक्त ही था। इस का पश्चिमी भाग पिनो, इम्पोनियनो, सेटो, लिथुएनियना, पोलो और रूमानियना का मिश्रित जन समूह था। तुर्की के योरोपीय प्रदेश को बाल्कन प्रदेश के लोग अपनी राष्ट्रीयता पर बलाकार समझते थे। यदि इतिहास यह सिद्ध न रखता था, जैसा यि प्रतीत हो रहा था, कि संविधानिक अधिकारों का एकमात्र दृढ़ आधार राष्ट्रवाद था तो प्रश्न यह था कि क्या राष्ट्रीय एकता का अव तत्व का अधूरा स्वप्न जातियूणों उपायों द्वारा साकोर किया जा सकता है या इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई विश्वसात्मक घटना आवश्यक होगी। चाहे ऐसी विश्वसात्मक घटना आवश्यक थी या नहीं, किन्तु सन् 1914 में युद्ध के छिड़ने पर वह घटित हो ही गई। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे राज्य भी थे जिनमें संविधान तो था जिन्हुंने उनके राजनीतिक संगठनों को लोकत्वात्मक नहीं कहा जा सकता था, विशेषकर इस कारण कि वहाँ कार्यपालिका पर लोकनिगतण का अभाव था। यह बात जर्मनी के बार में विशेष स्पष्ट से लागू होती थी।

बुड़ों विल्सन के भतानुसार यह युद्ध विश्व को लोकत्व के लिए सुरक्षित बनाने के निमित्त लड़ा गया था। अतएव, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उससे पैदा हुई परिवर्भवितयों ने संविधानवाद की बाढ़ आ गई। विजेताओं ने इस बात

पर जोर दिया गया विभिन्न लोगों के आत्मनिर्णय के आधार पर ही स्थायी शाति की नीब डाली जा सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित जातियों को जहाँ तक सम्भव हो, राष्ट्रीय आधार पर स्वतन्त्र राज्य के रूप में संगठित हो जाना चाहिए। इस शिक्षणत को सागृ करने से चार बड़े साम्राज्यों—जर्मनी, आस्ट्रिया, रूस और तुर्की—का पूर्ण अधिकार आशिक विघटन होता था। यह कार्य बहुत मुश्ल युद्ध ने ही कर दिया था। नई स्वतन्त्रता के अधीन भ्रष्ट और मध्यपूर्वी योरोप छोटे-छोटे राज्यों का पुज बन गया जब कि पहले वहाँ केवल तीन राज्य थे। शाति-संघियों ने फिनलैंड, इस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, पोलैंड और वेको-स्लोवाकिया जैसे नए राज्यों का सृजन किया, जर्मनी और आस्ट्रिया जैसे राज्यों का अगभग कर दिया और सर्विया (जो बांदित रूप में युगोस्लाविया कहलाया) तथा रूमानिया जैसे राज्यों के क्षेत्रों का विस्तार कर दिया।

प्रत्येक अवस्था में, इन परिवर्तनों के फलस्वरूप नए दस्तावेजी संविधान वा प्रादुर्भाव हुआ, जिनके नए राज्यों में प्रभुत्वसम्पन्न शासन की कोई पद्धति विद्यमान नहीं थी और पुरानो में शाति के फलस्वरूप युद्धपूर्व के शासन नष्ट हो गए थे। वैयक्तिक स्वतन्त्रता, लोकसत्ता और राष्ट्रीयता, इन सब राज्यों के संविधानों की विशेषताएँ थीं और इन सभी ने विना किसी अपवाद के कार्यपालिका पर सखदीय नियन्त्रण की विद्यिग योजना को खोड़-बहुत फेर पार के साथ अगीकार किया, यद्यपि इनमें से बहुत से सार्वनौकिक मताधिकार के मामले में उससे भागे बढ़ गए। जहाँ तक कागजी अधिकार पत्रों की सफलता वा संवाल था, लोकतत्त्व निश्चय ही विजयी हो चुका था। आर्थिक स्थिरता और युद्ध-नीति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विचारा जाए तो यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीयता भी विजयी हो चुकी थी। यह सच है कि कई देशों में विशेषकर इटली में आस्ट्रियन-जर्मनों, और विस्तृत रूमानिया में मेगयारो जैसे गैर-राष्ट्रीय अल्पसंख्यक लोग भी ये परन्तु पहले के बराबर दिलकुल नहीं।

प्रथम विश्वयुद्ध के फलस्वरूप संविधानवाद वा और भी विकास राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) की स्थापना के रूप में हुआ। संघियों पर हस्ताक्षर करने के साथ राष्ट्रसंघ की प्रसविदा पर भी हस्ताक्षर बरना अनिवार्य बना दिया गया था। यह इतिहास में पहला अवसर पा जब कि निश्चित रूप से गठित नियमों के एक निवाय और मुव्यवस्थित संस्थाओं के अधीन अनेक राज्यों का एक संगठन दृष्टिगोचर हुआ। राष्ट्रसंघ एक साथ ही आनुभविक और प्रयोगात्मक संगठन था, जो अपने निर्माता राज्यों की सर्वेधानिक प्रथा पर यथासम्भव अनुरूपता वे साथ आधारित था और जिसमें उसके स्वरूप के ही कारण ऐसे विस्तार और सशोधन हो सकते थे जो अनुभव द्वारा अपेक्षित और परिस्थितियों के अनुसार सम्भव हो। हम उसे सर्वेधानिक प्रयोग इसलिए बहते हैं इसलिये नहीं कि वह

बोई प्रभुमत्तात्मक स्थनन्त्र निराय था (वर्षों से ऐसा वह निश्चय ही नहीं था) बल्कि इमलिए कि उसका उद्देश्य उन प्रभुमत्तात्मक राज्यों के बीच, जो कि इसके मद्देन्य थे, संघर्षों को रोकना या उनका जातिपूर्ण निपटारा करना था और इस कारण वह उस संविधानिक प्रगति के अनुरूप या जा डें समय तक अधिकतर पश्चिमी राज्यों में हो चुनी थी।

11 युद्धों के अन्तर्काल में संविधानी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया

युद्ध के तुरन्त बाद के वर्षों में ऐसा प्रतीत होता था मानो मनुष्य के अधिकारों और विधि के लाभ को लगभग सार्वत्रिक विजय के निमित्त राष्ट्रवाद और प्रान्तिनिधित्व लोकतन्त्र मिल गए हैं और राजनीतिक संविधानवाद के अनुभवों का अत में विश्वशाति की समस्याओं को हस्त करने से मफलतापूर्वक प्रयोग किया जाएगा। किन्तु द्विर्गम्यवश मह बात शीघ्र ही बड़ी तीव्रता के साथ स्पष्ट होनी थी कि राजनीतिक अधिकार-स्वतंत्र स्वन काफी नहीं होने और जिनके लाभ के लिए वे निर्मित किए जाते हैं यदि उन लोगों में उन्हें वियान्वित करने की इच्छाशक्ति नहीं है तो उन्हें रह करने के लिए असंवेद्यानिक तरीकों का अपनाया जाना अनिवार्य है। यही हुआ भी। प्रथम विश्वयुद्ध के निपटारे के बाद के वर्षों में कई योरोपीय राज्यों में लोकतन्त्रात्मक संविधानवाद के विरुद्ध सत्तावादी प्रतिक्रिया हुई।

राजनीतिक संविधानवाद का, जिसके विकास का हम यहाँ वर्णन करते आ रहे हैं, सर्वप्रथम परित्याग करने वाले रूसी लोग थे। सन् 1917 की रूसी नाति दो अवस्थाओं में से होकर मुजरी, इनमें पहली मार्च की राजनीतिक या उदारवादी नाति थी, जिसने जार की निरक्षणता समाप्त करके ससद् (द्यूमा) और भविमडल सहित एक गणतन्त्रात्मक संविधान की स्थापना की जो मोटे तौर से कासीसी ढंग का था। दूसरी अवस्था नदम्वर की सामाजिक या बोल्शेविक नाति थी, जिसने द्यूमा को नष्ट करके मजदूर गणराज्य (Workers Republic) स्थापित कर दिया। बीच के आठ महीनों में सोवियत अर्यात् मजदूर परिषदें, द्यूमा के भाष्य-साध विद्यमान थीं, किन्तु नए जलदीय प्रयोग को अपनी उपयोगिता प्राप्त करने का रामय मिलने से पूर्व ही लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने रूस को सोवियतों का गणतन्त्र घोषित कर दिया। यह गणतन्त्र प्रारम्भ में मुख्य रूप तक ही सीमित था किन्तु इसके बाद पुराने रूसी साम्राज्य के अन्य योरोपीय और पश्चिमाई भागों में भी इसी प्रकार की कातिया हुई और सन् 1923 में इन विभिन्न नए राज्यों ने सघबद्ध होकर सोवियत समाजवादी गणतन्त्रों का सम्पर्क (U S S R) की स्थापना की।

सन् 1918 में लेनिन ने एक संविधान प्रस्तुत किया था, जिसकी भूमिका

में 'श्रमिक और शोषित जनों के जर्जियारों की घोषणा' थी। यह अब्दावली पाइचात्य सविधानवाद के माय न्म के सम्बन्धविच्छेद का स्वरूप स्पष्ट कर देती है। मार्कस के गिद्धान्तों के प्रयोग के न्य में हम की नई व्यवस्था का उद्देश्य बहुमत्यका के संवैधानिक ग्रामन की स्थापना नहीं, बरन् मर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना था, जिसे लेतिन के मूल गिद्धान्तों की विस्तृत व्याख्या करते हुए वाद में स्नातिन ने मर्वहारा वर्ग का पथप्रदर्शन करने वाली शक्ति के हप में सारन माम्यवादी दल का अधिनायकत्व बनाया। बिन्दु, जैसा कि हम वाद में देखेंगे, मन् 1936 में स्टार्टिन द्वारा प्रवर्तित नए सविधान में पाइचात्य विचारों का भी कुछ ममावेग था। इम्हे अतिरिक्त उक्त आति ने एक नई सामाजिक व्यवस्था का सूझन किया जिसमें पहले के सम्पत्तिमामियों के वर्ग को सम्पत्तिविहीन वर दिया गया और सभी प्रकार की न्याति पर ममाज का स्वाम्य हो गया। इम प्रकार मन् 1917 की आति में उत्पन्न सम की मोविष्ट व्यवस्था में दो बानें ऐसी थीं जिनमें उमका संवैधानिक राज्य में जैसा हम उसे ममन्तते हैं स्पष्ट भेद प्रकट होता था। एक तो, अन्य दोनों नो अतग रखने हुए वेवर एक दल के प्राधान्य द्वारा राजनीतिक और नायिक, और दूसरे, एक समाप्तवादी व्यवस्था जो राजनीतिक यत्र का, जाथिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के प्रत्यक्ष पहलू को नियंत्रित और सचानिन करने के लिए, प्रयोग करती थी।

अप्रिनायकत्व और मर्वीधिकारवाद के यही लक्षण इटली में मुमोर्तिनी के ग्रामन और जर्मनी में हिटलर के तृतीय मारक्याज्य में भी, जो वाद के वर्पें में स्थापित किए गए थे, विशिष्ट थे, वर्तमि हस्ती आति के धूर्व की अद्यत्याएँ और उसके परिणाम फामिस्ट विद्रोह और नाजी विज्ञव में वट्टन भिन्न थे। यह बान मर्वीकार वरनी पढ़ेंगी कि लेतिन और बोल्झीविकों ने एक निरकुशत्व को नष्ट करने का काम पूरा किया और उसके भज्यावश्यों पर एक नई सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया जिसमें एक विजात जन-ममुदाय थो, जो उसमें पहरे घोर अज्ञान और अशीतना की अवस्था में पड़ा हुआ था, मनाहिकार प्रदान किया। इसके विपरीत फामिस्ट और नातियम न स्थापित ममदीय व्यवस्था पर चोट की और उसके म्बान पर एक धोर अत्याचारी ग्रामन की स्थापना की जिसमें लाला देशवामिया थो उन अप्रिकारा में बचिन वर दिया, जिनका वे उसमें पहले उपमोग करते थे।

नक्कुदर मन् 1922 में, जब फामिस्ट ममम्ब्र स्वयमेवक दल रोम की ओर कूच कर रहा था, इटली के बादगाह न गृहन्द्र सो टानें के उद्देश्य में मुमोर्तिनी को मत्रिमडल बनाने के लिए जामकिन किया। मत्रिमडल के निर्माण के पश्चान् चेम्पर अफ डिग्नीज (लोरनभा) न अपन-आपका तुरन्त ही भग किए जाने में बचाने के लिए मुमोर्तिनी को बिलोर एस्ट्रियर, प्रदर्श, वर रहे। दूसी यात्रा में

मुसोलिनी ने अपने आपको 'दूची' (Duce) 'नेता' की आडम्बरपूर्ण उपाधि से विभूगित करके उम संविधानिक व्यवस्था को नष्ट कर दिया जो इटली में अद्य-शताब्दी में भी अधिक समय से चली आ रही थी। निर्वाचनविधि को इस प्रकार रूपान्तरित कर दिया गया जिसमें समाज में वृत्तिम फासिस्ट-वटुस्ट्वा उपलब्ध हो जाए। शीघ्र ही और मव दल दवा दिए गए और 'दूची' की इच्छा को व्यक्त करने वाली फासिस्ट महापरिषद (Fascist Great Council) शामन की एकमात्र प्रभावी स्थाया बन गई इसके माय ही मुसोलिनी ने मामाजिन, राजनीतिक और सास्कृतिक सभी प्रकार की उन संस्थाओं को जो फासिस्ट गिरावट और व्यवहार को नहीं मानती थी समाज कर दिया। इस प्रकार मुसोलिनी ने लोकराजात्मक सरचना को बरतून नष्ट कर दिया और अनेक उपायों द्वारा, जिनमा हम बाद में विशेषण करेंगे उसके स्थान पर निगम-राज्य (Corporate State) स्थापित किया जो उम्में शब्दों में राष्ट्रीय रिडीकेतिजम पर आधारित था। सन् 1939 में लोकमण्डा (Chamber of Deputies) जो पहले ही अशक्त हो चुकी थी, विलूप्त हो गई और उसका स्थान एक नई सभा ने ले लिया जो फेसिओ एवं निगमो की सभा (Chamber of Fascios and Corporations) वह-लाई। इस समय अब इटली के संविधान का, जैसा कि उमका लगभग एवं शताब्दी के दौरान में सन् 1848 की मार्डीनियन संविधि से विकास हुआ था, राजा के अलावा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं रहा और वह भी इसलिए कि सपूर्ण गौरव एवं प्रनिष्ठा से वचित होकर भी वह फासिजम के प्रयोजन के मिद्द करने में सतुष्ट था।

जर्मनी में जनवरी सन् 1933 में हिटलर और राष्ट्रीय समाजवादियों ने सत्ता अपने हाथों से ले ली। यहाँ भी समक्षीय व्यवस्था को उलटने की योजना को प्रारम्भ में संविधानिक जावरण दिया गया। उस समय तक जर्मनी सन् 1919 में स्थापित वेमर (Weimar) गणराज्य के संविधान द्वारा जासित हो रहा था और हिटलर ने गणराज्य के राष्ट्रपति से धान्सिलर अर्थात् प्रधान मंत्री का पद स्वीकार किया। हिटलर ने विरोधी सभी समय उस संविधान की निर्दा नहीं की किन्तु जर्मन लोकसभा (Reichstag) द्वारा अनुदत्त और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसने राष्ट्रियन राज्य के मूल आधारों को शोध ही नष्ट कर दिया। उसने राष्ट्रीय समाजवादियों के मिवाय और सभी दलों को बलपूर्वक भग कर दिया और केवलमात्र नात्सी-सभा के रूप में जर्मन लोकसभा तथा पप्रेर (हिटलर) के आवेशपूर्ण भागणों को सुनने के लिए समय-समय पर होनेवाली सभा के अनिरिक्त कुछ नहीं रह गई। जनवरी सन् 1934 में सौ से भी कम शब्दों की एक अज्ञप्ति निकालकर हिटलर ने जर्मनी में एक हजार कर्प से चल रही संघ-व्यवस्था को एक ही प्रहार में समाप्त कर दिया और इस प्रकार एक सधीय लोकतंत्र को हिटलर

के सीधे नियन्त्रण के अधीन एक केन्द्रित नियन्त्रणताव से बलपूर्वक परिवर्तित कर दिया गया। उसी वर्ष अगस्त में राष्ट्रपति हिंडनवर्ग की मृत्यु पर हिटलर ने राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री (Chancellor) दोनों पदों को स्वयं सम्भालने वे अपने इरादे की घोषणा की, जिसका बाद में एक जनमत संग्रह में जनता ने भारी समर्थन किया। इस प्रकार धीरे-धीरे वे मव संवैधानिक सुरक्षण जो वेमर गणराज्य द्वारा सुनिश्चित थे, नष्ट कर दिए गए और अब में नियन्त्रण अधिनायक की सक्त ही एकमात्र राजनीतिक शक्ति रह गई।

हिटलर के अधिनायकत्व में भारी वैयक्तिक और सामाजिक अधिकार भी राजनीतिक सुरक्षणों की तरह समाप्त हो गए। कोई भी व्यक्ति या परिवार गुप्त पुलिस (Gestapo) के हस्तक्षेप से मुक्त नहीं था और प्रत्येक युवक को नात्सी युवक आनंदोलन (Hitler Jugend) में बलपूर्वक भरती किया जाता था। नाजी संगठनों के सिवाय और कोई भी संगठन जीवित नहीं रह सकते थे। अनेकानेक मालिकों की सस्थाएँ और मजदूर संघ भग कर दिये गये और उनकी जगह तथाकथिन थम मोर्चे (Labour Front) ने ले ली। भभी स्वतन्त्र विचारों का दमन किया जाने लगा और समाचारपत्रनाल्सी पार्टी के हृथियार बन गए। ऐसे शासन को प्रामाणिकता देने के लिए हिटलरी जर्मनी की समस्त व्यवस्था का राज्य के एक मिथ्या दर्शन द्वारा प्रतिपदन किया गया, जिसका तर्क यह था कि नात्सी दल जर्मन राष्ट्र का ही पर्याय है, दोनों एक हैं और पारचाल्य लोकत्व एक विस्ता पिटा पथ है। किन्तु बास्तव में, नाजीवाद, हिटलर के एक दलत्यागी अनुयायी के बाद में, 'एक मिलातहीन शून्यवाद' से अधिक कुछ नहीं था। उसके अत्याचारों को मौन सम्मति प्रदान करने के कारण जर्मनी और विश्व को अत्यधिक क्षति सहन करनी पड़ी।

इटली और जर्मनी में अधिनायकत्व की सफलता का पड़ोसी राज्यों के राजनीतिक संविधानवाद पर बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ा। वह बात स्पेन के बारे में विशेष रूप से सही थी, जहाँ सन् 1932 में, अर्थात् हिटलर के शक्ति प्राप्त करने से केवल एक वर्ष पूर्व, एक नए संविधान का प्रख्यापन किया गया था। सन् 1924 तक स्पेन सन् 1876 के संविधान के अधीन शासित होता आ रहा था। सन् 1924 में वह संविधान स्थगित कर दिया गया और आगामी सात वर्षों तक अलफोसो तेरहवें ने एक निर्देशक-मण्डल (Directory) के द्वारा शासन किया, जिसका प्रधान प्रारम्भ में जनरल मिसो डी रिवेरा (Marques de Estella) था और बाद में जनरल बेरेन्युअर हुआ। किन्तु सन् 1931 में नगरपालिका के निर्वाचित हुए जिनमें गणतान्त्रवादियों की भारी वहुमत से विजय हुई। इसके फलस्वरूप एक गणतान्त्रमक अस्थायी शासन की स्थापना की गई और राजा देश छोड़कर चला गया। इसके पश्चात् संविधान-सभा के लिए निर्वाचित हुए

जिसने सन् 1932 के संविधान की रचना की। मन् 1936 में जनरल फाको ने इस संविधान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और तीन वर्ष तक स्पेन में गृहयुद्ध चलता रहा। फाको ने अत में सन् 1939 के बमल्त में गणतन्त्रादियों को कुचल दिया और अपना अधिनायकत्व स्थापित कर लिया।

योरोप महाद्वीप के लगभग प्रत्येक राज्य में नाजी प्रचार थे और अनिश्चित शांति के उन योड़े-ने दर्पों में केवल वेलजिम और नीदरलैंड्स, डेन-मार्क और चेकोस्लोवाकिया जैसे राज्य बड़ी बठिनाई से अपनी संसदीय सत्त्वाओं को बनाए रख सके। अधिकतर अन्य राज्य हिटलर की शक्ति के आगे दूर गए या उसके द्वारे-बहुतावे में आ गए और किसी-न-किसी प्रकार के अधिनायकत्व के हारा उन्होंने अपने संवैधानिक सुरक्षणों को नष्ट हो जाने दिया। इसके पश्चात् हिटलर ने खुले आक्रमणों का सिलसिला प्रारम्भ किया, जिसके फलस्वरूप 1939 में पाश्चात्य लोकतन्त्रीय राज्य शस्त्र लेकर हिटलर के विरुद्ध अप्रसर हुए और द्वितीय विश्वयुद्ध का आरम्भ हुआ।

12. द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणाम

द्वितीय विश्वयुद्ध के राजनीतिक परिणाम प्रथम विश्वयुद्ध के परिणामों से भी अधिक जटिल एवं विषट्ठनकारी सिद्ध हो रहे हैं। अच्छा यह होगा कि हम यहाँ दोनों युद्धों के इकट्ठे परिणामों को जर्जर करें। जैसा हम अब देखते हैं, इन युद्धों के परिणामस्वरूप विश्व शक्ति के केन्द्र विलकुल बदल गये हैं। नियतण पश्चिमी और मध्य-योरोप के हाथों से निकलकर दो अतिशक्तियों, यूनाइटेड स्टेट्स और रूस, के हाथों में पहुँच गया, जैसी कि 'डेमोक्रेसी इन अमेरिका' के लेखक एलेविसस डी टॉकविल ने एक शताब्दी से अधिक पहले भविष्यवाणी की थी। इस नई स्थिति में गार्के के संवैधानिक परिवर्तन हो चुके हैं और अब भी होते जा रहे हैं।

योरोप में, जर्मनी और इटली की पराजय से नात्सी और फासिस्ट शासन-व्यवस्थाएँ समाप्त हो गईं, यद्यपि उससे वह विचारधारा समूल नष्ट न हो सकी जिसके आधार पर उनका निर्माण हुआ था और उससे स्पेन एवं पुर्तगाल की सात्ताबादी व्यवस्थाओं पर भी कोई अनिष्टकारी प्रभाव नहीं पड़ा। पूर्व और पश्चिम को ओर से बड़नेवाली विजयी सेनाओं द्वारा नात्सी-अधिकृत देशों के उद्धार को महाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े विचित्र रूप में विभिन्न प्रभाव पड़े। पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में उसके परिणामस्वरूप फास में (गृह्णे चतुर्थ गणतन्त्र के अधीन और बाद में पचम गणतन्त्र के रूप में परिवर्तित), इटली में (जहाँ राजतंत्र का स्थान गणतन्त्र ने ले लिया), नीदरलैंड्स, वेलजिम, नॉर्वे और डेनमार्क में (जहाँ राजकीय परिवार पुनर्स्थापित कर दिये गये) संसदीय प्रजातन्त्र

बाजार (Common Market) है जिसमें उनके राजनीतिक एवं संविधानिक प्रभाव हैं जिनका विवेचन बाद में किया जायगा।

विश्व की नई स्थिति में एक और महत्वपूर्ण बात इस पारण पैदा हो गई है कि पश्चिमी योरोप ने जिन राज्यों ने ममुद्र पार गांधार्य स्थापित किया थे वे दोनों युद्धों के परिणामस्वरूप इनका निर्वन्द छोड़ दिया था तो हट गया है या निरन्तर हटना जा रहा है। इनका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन, फ्रांस, हार्नेंड और बेल्जियम एशिया और अफ्रीका से हट गये हैं और उन दोनों महाद्वीपों तथा बैरियन सागर में अपने-अपने राजनीतिक संविधानों के साथ नये स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया है या भीम ही होगा। पश्च-पूर्व के लागत के मामरिक राष्ट्रीयतावाद से प्रेरित हलचलों के साथ-साथ यह हलचल एक जल्दी-जल्दी बदलन वाले समार म अचिन्तनीय महत्व के संविधानिक तत्व उत्पन्न कर रही है।

यही बात मुद्रर पूर्व के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। जापान की पराजय तो मार्सिक महत्व के तात्कालिक परिणाम हुए। प्रथम, उससे जापान में यूनाइटेड स्टेट्स का बड़ा प्रभाव जम गया। वहाँ अमेरिका के सरकार के अन्तर्गत एक नया प्रजातंत्रीय संविधान प्रव्यापित हुआ। द्वितीय, उससे चीन में माम्यकादी चान्ति की सफलता सुनिश्चित हो गई। वहाँ 1949 में चीनी नेता माओ-त्से-तुग ने इस के संविधान के नमूने पर एक संविधान प्रत्यापित किया और राज्य का नाम 'चीन लोर्ड-गणराज्य (People's Republic of China)' रखा।

प्रथम विश्वयुद्ध ने बाद अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में संविधानिक तरीके अपनाने का प्रयत्न द्वितीय सर्वश्राह युद्ध रोकने में असफल रहा था। द्वितीय विश्वयुद्ध के अन्त से विजेताओं को एक स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा विश्व शान्ति एवं सुरक्षा कादम नहीं के साधन दूनने का प्रयत्न करने का एक नया अवसर मिला। इस सम्बन्धों में भी हमें दोनों युद्धों के इकट्ठे परिणामों की दृष्टि से विचार करना चाहिये। संयुक्त राष्ट्र (United Nations) का प्रयत्न (चार्टर) बहुत कुछ अंश में राष्ट्र-संघ की संविदा से प्रेरित था। इसके साथ ही, जैसा हम बाद में देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के जन्मदाता नपे संगठन को अधिक जकिशाली बनाकर राष्ट्र-संघ की स्पष्ट कमज़ोरियों का निराकरण करने की आशा बरते थे। अब तक के अपने उत्तार-चालावपूर्ण जीवन में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी शादीय सज्जा दुणी कर ली है और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्र-संघ से नहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है। और जम से कम इतना तो निश्चित है कि यदि राष्ट्र-संघ की असफलता बड़ी मह़गी पड़ी है तो संयुक्त राष्ट्र की असफलता घातव होगी क्योंकि जिस न्यूक्लीयर पुग में हम रह रहे हैं उनकी अक्षम्यात्रा में सभ्य समाज तीसरे सर्वनाशी मूढ़ में से निश्चय ही जीवित नहीं बच सकेगा।

13. सारांश

बब हमें यह देखना है कि इस ऐतिहासिक रूपरेखा से यथा निष्पर्यं निकलता है। सबसे पहला निष्पर्यं यह है कि सावेधानिक राजनीति उसके इतिहास है अध्ययन के बिना नहीं समझी जा सकती। ग्रत्येक युग ने, जिस पर हमने दृष्टि डाली है, विद्यमान स्वरूप के विकास में योग दिया है। थूमनी भविधानवाद ने राजनीतिक दर्शन को प्रेरणा दी और पद्रहवी शताब्दी में प्राचीन विद्या के पुनर्स्त्वान के दौरान में लोगों का ध्यान राजनीतिक सगटन के उच्च प्रयोगों की ओर आकर्षित किया। रोमन सविधानवाद ने पाश्चात्य सभार को विधि की बास्तविकता और एकता का आदर्श प्रदान किया। सामतवाद ने पश्चिम में नेमन माझाज्य के पतन के पश्चात की अराजकता और आधुनिक राज्य के उदय के बीच वीर खाई को पाठने का काम किया। अध्ययुग में इगलैड, प्रास और स्पेन में राजा के द्वारा बेन्द्रीयकरण की प्रगति भामतवाद की बुराईयों को समाप्त करने और एक राष्ट्रीय नीति की नीति ढालने के लिए आवश्यक थी। दूसरी ओर इन्हीं देशों में अशत प्रातिनिधिक संस्थाओं के विकास से पश्चिमी योरोप में पहले-पहल लोकतात्त्वक राज्य के आरम्भ की प्रथम धूमित आभा दृष्टिगोचर हुई। और परिषदीय आंदोलन (Councilular Movement) ने योरोप के नवोदित अपरिपक्व राष्ट्रों के महत्व को स्वीकार किया।

पुनर्जागरण के युग ने योरोप के पश्चिम में बेन्द्रीयकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और वहाँ राष्ट्रवाद के बीज को और भी सुरक्षित रूप में बो दिया। धर्मसुधार आन्दोलन ने धार्मिक सहिष्णुता के आदर्श को जन्म दिया और इसके माध्यम ही राजनीय चर्च के विकास के द्वारा राजा की शक्ति बढ़ा दी और लोगों में यह विश्वास पैदा करके कि धार्मिक स्वतत्त्वसा का मार्ग राजनीतिक सगटन है, उग्ने धार्मिक असलोप को राजनीतिक विद्राह का रूप दे दिया। त्रिटिश सविधानवाद ने उदार संस्थाओं को अनेक शताब्दियों के दौरान निरन्तर जीवित रखा जबकि वे अन्यत्र मृत हो गई थीं या उन्हीं विद्यमान ही नहीं थीं, अपनी संस्थाओं को दिश्व के भभी भागों के उन समुदायों में विवित हान दिया, जिनकी उत्पत्ति स्वयं इगलैड से हुई थी और जब उन्होंने नए मुकुन समाज को सविधान-निर्माण की आवश्यकता हुई तो उमन सविधान का एक नमूना प्रस्तुत किया। अठारहवी शताब्दी में प्रचलित विश्वासा एवं विचारा के विरोधी मिदाता न लोकतात्त्व के आधुनिक मिदात की नीति रखी। अमरीकी और प्राचीनी भारतीयों ने आधुनिक विश्व को दस्तावेजी सविधानना के पहले नमून दिए और इस प्रवार स्वतत्त्वना तथा गता, मनुष्यों के अधिकारा तथा मानवित शामन के बीच में विठाने का तात्परतिक मार्ग कुछ निकाला। इसके अनिरिक्त यूनाइटेड स्टेट्स ने सविधान के द्वारा

विश्व को ऐसी राजनीतिक एकता का पाठ पढ़ाया जिसमें स्थानीयता वो भावना नष्ट नहीं होती, प्रासीसी व्राति न यद्यपि वह स्वयं अमपत्त हो गई, उन्नीसवी शताब्दी को अपनी विरासत के रूप में स्वतंत्रता, समता और बन्धुत्व के आदर्श प्रदान किए जो आगे चलकर उनके मूल प्रेरकों द्वारा स्थिर आधार से अधिक स्थायी आधार पर प्रतिष्ठित हुए। नेपोलियन वीं विजय न क्राति के आदर्शों का प्रचार किया और इसके साथ ही विजित लोगों में राष्ट्रीयता की प्रसुप्त भावना वो चेतन और सक्रिय बना दिया।

उन्नीसवी शताब्दी में उदारवादी सुधार और राष्ट्रवाद की मान्यता के लिए सघष्प हुआ और उन्हें राजनीतिक स्वरूप प्राप्त वरन में आशिक सप्तलता भी प्राप्त हो गई। औद्योगिक व्राति न मात्रमें वग को मताधिकार दिलाया और मजदूरों के एक नए वग को जिमन राजनीतिक अधिकारों के उपभोग की अधिकाधिक माग की, जन्म देवर आधुनिक लाकृति की रक्षा के मुदृढ़ साधन वा निर्माण किया। औद्योगिक व्राति ने आर्थिक सरक्षण को नीति के पोषण द्वारा और तत्पश्चात् मताधिकार के विस्तार एवं राष्ट्रवादी दला के संगठन के द्वारा राष्ट्रवाद तथा संविधानिक सुधार दोनों में सीध्रता ली दी। प्रथम विश्व-युद्ध ने अनुदार सरकारों को समाप्त करके तथा तब तक वीं दलित जातियों में से नए राज्य बनावर और इस प्रवार इन दोनों को राष्ट्रवादी और लाकृति के आधार पर संविधान स्थापित करने के लिए प्रतिक्रिया करके, और अन्त में राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) की स्थापना से संविधानिक तरीका सं अन्तर्राष्ट्रीय शानि स्थापित करने की इच्छा की सृष्टि करके संविधानवाद को भारी प्रेरणा दी। किंतु इसके पश्चात् के वर्षों में राजनीतिक संविधानवाद के विस्तर हिसात्मक प्रतिक्रिया हुई और सन 1917 की रूसी विप्लव हुआ और स्पैन में गणतंत्रवादियों पर फाको की विजय हुई और इराके साथ ही नाती और फासिस्ट प्रभाव में आकर पूर्वी योरोप के राष्ट्रों को सामान्य प्रवृत्ति उन संविधानिक सुरक्षणों का परित्याग करने की हो गई जिन्हें उन्होंने कुछ ही समय पूर्व प्राप्त किया था। इस प्रकार स्थापित अधिनायकत्व और सम्प्रवादी प्रणालियों से अनिवार्यत बाह्य आनंदमणा का थीमणेश हुआ जिसके फलस्वरूप अत में सन 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया। इस युद्ध ने परिवर्म के राष्ट्रीय लोकतंत्रात्मक संविधानवाद के लिए एक बहुत ही जटिल और खतरे की स्थिति पैदा कर दी जिसे केवल साम्यवाद की चुनीती का ही नहीं, फासिज्म के पुनरुत्थान के खतरे का और उदीयमान एको ऐशियाई राष्ट्रवाद के अचिन्तनीय परिणामों का भी मुकाबला करना है। फिर भी, संयुक्त राष्ट्र इन सब लोगों को, यदि वे उसे स्वीकार करने के लिये तैयार हों, इस न्यूक्लीय युग में विश्वशान्ति को कायम और सुरक्षित रखने के लिये संविधानिक तरीका

के प्रयोग का मार्ग सुनाए करता है।

इस हपरदा वा दूसरा निष्पत्ति यह तथ्य है कि यद्यपि राष्ट्रीय लोकतात्मक संविधानधार का प्रारभ बहुत पहले हुआ था, तथापि वह अब भी प्रयोग की स्थिति में है और मग्दि उसे शासन की अधिक व्यापकतारी पद्धतियों के मुकाबले में जीवित रहना है तो हमको उसे आधुनिक समाज की निरन्तर परिवर्तनशील अवस्थाओं के अनुकूल बनाए रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। आखिर राजनीतिक संविधान वा मूल प्रयोजन सभी स्थानों में समान है अर्थात् सामाजिक शांति और प्रगति मुनिश्चित करना, वैयक्तिक अधिकारों को सुरक्षित करना और राष्ट्रीय कल्याण की वृद्धि करना। अब हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाएँ गए विभिन्न साधनों का अध्ययन करना है। इसके लिये आधुनिक राजनीतिक संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन और उनकी समानताओं एवं विभिन्नताओं का विश्लेषण अपेक्षित है। अब हम यही करेंगे।

द्वितीय खण्ड

तुलनात्मक संविधानी राजनीति

३

संविधानों का वर्गीकरण

१ अरस्तू तथा अन्य विद्वानों द्वारा किया गया अप्रचलित वर्गीकरण

राजनीतिक संविधानों के या राज्यों के वर्गीकरण का प्रयास भूतमाल में प्राप्त निया गया है, जिन्हुंने ऐसे ढंग से नहीं जिससे आधुनिक विद्यार्थी को सहोप हो। वर्गीकरण के ऐसे सप्तसे पुराने प्रयत्नों में हम अरस्तू द्वारा किए गए वर्गीकरण पर विचार नहीं तरतत हैं। इस विषय का अरस्तू ने अपने आचार्य अफलातून की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तारपूर्वक विवेचन किया है। इस विषय में अफलातून के विचार बहुत शामल हैं क्योंकि उन्होंने अपनी रचना 'रिपब्लिक में वर्गीकरण का एक आधार और दूसरी रचना 'पालिग्रिम' अथवा 'स्टेट्समैन' में उससे विस्तृत भिन्न आधार अपनाया है। अरस्तू न संविधानों को पहले दो बड़े वर्गों में बांटा है, अर्थात् उत्तम और निहृष्ट अथवा मुक्त और विष्टृत। इस वर्गीकरण में उसकी पक्षीयों शासन की भावना है। इन दोनों बड़े वर्गों में से प्रत्येक में उसे इस आधार पर कि शासन एक व्यक्ति ने हाथों में है अथवा अत्यजन के या बहुजन के, तीन प्रकार के शासन दृष्टिगत्वर हुए।

अरस्तू ने इस वर्गीकरण को सर्वाङ्गीन्यमूर्ण तथा अनन्य माना है क्योंकि वह धूनानिया तथा वर्षों के अपने समय में उपनग्ध संविधानों का, जिनकी समया १५४ से कम नहीं थी, पूर्ण अनुसधान करते (इस अनुसधान के विवरणों काली पुस्तक अभिनवश पो चुप्पी है) इस निष्पत्ति पर पहुँचा कि समस्त राज्यों को एक जाति जक से गुजरना पड़ा है। उसका वर्थन है कि राज्य यथासम्भव सर्वोत्तम प्रकार के शासन से प्रारम्भ होता है, जो एक ऐसे व्यक्ति का शासन है जो राजनीतिक सत्ता की दृष्टि से सर्वसद्गुणसम्पन्न व्यक्ति होता है। यह एकतत्त्व या राजनात्म है। कुछ समय के पश्चात् ऐसा सर्वसद्गुणसम्पन्न व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो सकता था, जिन्हुंने पिर भी एक व्यक्ति का शासन करना रहा और उसकी सत्ता बल के आधार पर बायम रही। इस प्रकार के शासन को अरस्तू अत्याचारीतत्व या रिकुशनत्व नहीं था। परन्तु अत्याचारी शाराक वो आगे चलकर सर्वस्त्रिय व्यक्तियों से समूह के विरोध का शामना करना पड़ा, जिसने उसको अपदस्थ

एक विशिष्ट वर्ग के राज्य हैं तथा ब्रिटेन, नॉर्थेंग्लैंड और लोदरलैंड्स दूसरे विशिष्ट वर्ग के हैं। ऐसा करना नामन्वरण वो अत्यधिक महत्व देना होगा। बत्तमान युग में आइए तो हम देखते हैं कि आधुनिक जर्मन लेखक ब्लून्ट्स्क्ली (Bluntschli) ने अरस्तू के त्रिविधि विभाजन को ही उसमें एक चीज़े प्रकार के राज्य को जोड़कर, जिसे उसने विचारत्व (Ideocracy) अथवा धर्मतत्त्व (Theocracy) कहा है, बढ़ाने की चेष्टा की है। ऐसे राज्य में सर्वोच्च शासक के रूप में ईश्वर की अधिकारी अतिमानवीय भावना या विचार की कल्पना भी गई है जैसा कि प्रारंभिक यहूदी राज्य तथा मुस्लिम देशों में देखा जाना है। परन्तु यह विभाजन वास्तविक और विद्यमान समताओं तथा विप्रमताओं के आधार पर राज्यों के वर्गीकरण के प्रयत्नों में हमें आगे नहीं बढ़ाता। अनेक, हमें स्पष्ट ही अपने आधार को अन्यत्र खोजने का प्रयास करना चाहिए।

2. आधुनिक वर्गीकरण के आधार

तब तो यह है कि प्रत्येक राज्य को सम्पूर्ण रूप से दारी-वारी से लेते पर राज्यों को वर्गों में विभाजित करना असम्भव है, वयोंकि अभी राज्यों की शक्तियों का समुच्चय सर्वत्र ममता है अर्थात् प्रत्येक राज्य प्रभुत्वसम्पद राज्य है। जो समुदाय ऐसा नहीं है उसे राज्य नहीं कहा जा सकता। एक अमरीकी लेखक विलोबी का वक्तव्य है “राज्यों के भेद प्रदर्शित करने का एकभाल तरीका शासन-संगठन की सरचना-सम्बन्धी विशेषताओं के अनुसार भेद करना ही है।” पूर्ववर्ती अध्याय में आधुनिक संविधानवाद के जिस विकास का हमने चिन्हित किया है, यदि उसको ध्यान में रखकर हम इस विषय पर विचार करना प्रारंभ करें तो एक सजीव वर्गीकरण हमारे मामने अपने-आप उपस्थित होने लगता है। हम देख चुके हैं कि पश्चिमीय जगत् के ममस्त समुदाय किस भावित न्यूनाधिक रूप में समान प्रकार की बातों से प्रभावित हुए हैं और इसी कारण उनमें समानताओं का दृष्टिगोचर होना अवश्यम्भावी है। इमें विपरीत, पूर्धवकरण के लिये राष्ट्रीयता की भावना की शक्ति भी इनकी प्रबल सिद्ध हुई है कि उनके बीच के भेद भी समान रूप से स्पष्ट हैं। अनेक, वर्गीकरण करते भगव उन लक्षणों को मालूम कर लेना चाहिए जो ममस्त आधुनिक संविधानिक राज्यों में समान रूप से विद्यमान हैं, और राज्यों को उनकी गणनासंबंधी विशिष्टताओं के अनुसार वर्गों में विभाजित करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमें इन लक्षणों की एक-एक करके परीक्षा करनी चाहिए और उनके माध्य राज्यों की अनुकूलता के आधार पर उन्हें वर्गों में विभाजित करना चाहिए।

हम ऐसे सामान्य लक्षणों की चर्चा प्रथम अध्याय में कर चुके हैं जहाँ हम देख चुके हैं कि प्रत्येक संविधानिक राज्य के शासन के तीन पूर्धव विभाग होते

हैं विद्यानमडल, वार्षिकानिका तथा न्यायपालिका। अन वर्गीकरण का आधार निम्नलिखित पांच श्रीरंगों में ही मिलता चाहिए

- (1) राज्य का स्वरूप, जिसे संविधान लागू होता है,
- (2) न्यय संविधान का स्वरूप,
- (3) विधानमडल का स्वरूप
- (4) कार्यपालिका का स्वरूप,
- (5) न्यायपालिका का स्वरूप।

उम वर्गीकरण का दाप यह है कि इसमें प्रत्येक बार एक नक्षण के मम्बन्ध में विचार करने की आवश्यकता के बारे प्रत्येक राज्य का नई बार विवेचन करना पड़ता है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि यदि कोई राज्य प्रथम नक्षण में 'ख' राज्य के मध्ये है, तो वह द्वितीय नक्षण में भी उसमें मिलता हुआ होगा। अर्थवा यदि 'ग' राज्य तीसरे नक्षण में घ राज्य में भिन्न है, तो वह जोधे नक्षण में भी उस राज्य से भिन्न होगा। वास्तव में यही यह सत्य है जो इस प्रकार के वर्गीकरण को ही विद्यमान अपम्याथा के अनुकूल बनाता है और यह इनका बड़ा लाभ है कि वर्गीकरण की इस पद्धति के जो भी दोष हैं उनकी हम उपेक्षा कर गकते हैं।

यह वर्गीकरण, जिस पर हम रिस्लाम्पूर्वक विचार करते, उन अनेक मुझबाबों पर आधारित है जो विभिन्न आधुनिक संविधान-विशेषज्ञों ने प्रस्तुत किए हैं, यद्यपि उनमें से किसी ने भी यहाँ अपनाई गई योजना के अनुभाव उनको विद्यान्वित नहीं किया। हमारा वर्गीकरण सर्वान्तरपूर्ण होते का दाया नहीं करता, क्योंकि तुतनात्मक संविधानिक राजनीति की विषयनम्बुजा वट्टन-मा भाष ऐसा है जिसवा वर्गीकरण किया ही नहीं जा सकता। किर भी यह वर्गीकरण विद्याविद्यों को इस विषय का परिचय कराने के लिए प्रयोग है। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर जो कि इस वर्गीकरण के द्वेष में बाहर रह जाते हैं, उस पूस्तक के तीसरे भाग में विचार किया जाएगा। तब तक हमें अपने वर्गीकरण पर अधिक ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए।

3. राज्य का स्वरूप, जिसे संविधान लागू होता है

एकात्मक अथवा सघीय

प्रत्येक आधुनिक संविधानिक राज्य—एकात्मक अथवा सघीय इन दो बड़े वर्गों में किसी एक का होता है, और इसी में एक प्राथमिक महत्व का भेद स्थापित हो जाता है। एकात्मक राज्य वह है जिसका सम्बन्ध एक वैन्द्रीय शासन के अधीन होता है, अर्थात् वैन्द्रीय शासन के द्वारा प्रशासित पुरे द्वेष के भीतर विभिन्न जिला यों जो भी शक्तिया होती है, वे उस शासन के विवेक पर निर्भर होती हैं और वैन्द्रीय मत्ता मम्मूर्ण द्वेष में वर्णित होती है तथा उस पर उसके

भागी को विशेष शक्तिया देने वाली विसी विधि वा विसी प्रबार का प्रतिबन्ध नहीं होता। डायसी ने राजनीतिक अर्थ में 'एकात्मकवाद' की इन शब्दों में बड़ी सुन्दर व्याख्या की है कि वह सर्वोच्च विधायी अधिकार हा एक बेन्द्रीय सत्ता द्वारा अभ्यस्त प्रपोग है। यूनाइटेड विंगडम, प्राम तथा बेल्जियम एकात्मक राज्य के उदाहरण हैं। इनमें से विसी भी देश में ऐसा कभी हो ही नहीं सवता कि राज्य के विसी लघुतर भाग वी बोई विधिनिर्माणी सत्ता बेन्द्रीय सत्ता की शक्ति वो सीमित कर सके। जहाँ, उदाहरणार्थ यूनाइटेड विंगडम में, स्थानीय शासन मुद्रू है, वहाँ भी बेन्द्रीय सत्ता पर बोई प्रतिबन्ध नहीं है, क्योंकि वह स्थानीय अधिकारियों को दवा सकती है, चूंकि आजकल बेन्द्रीय सत्ता ही उन समस्त शक्तियों को, जो कि स्थानीय प्राधिकारियों के पास है, प्रदान करती है इसलिय, वह उन शक्तियों में सशोधन भी कर सकती है अथवा उन्हें दापत भी ले सकती है। वास्तविकता तो यह है कि ब्रिटेन में स्थानीय प्राधिकारी विधिनिर्माण करने वाले नहीं, उपविधि अथवा उपनियम निर्माण करने वाले हैं।

सधीय राज्य वह है जिसमें अनेक ममकदी राज्य कुछ मामान्य प्रयोजनों के हेतु मिल जाते हैं। डायसी के शब्दों में "सधीय राज्य एक ऐसी राजनीतिक युक्ति है, जिसका उद्देश्य राज्य के अधिकारों वा राष्ट्रीय एकता एवं शक्ति के साथ सामर्जस्य स्थापित करना है। हमें एकात्मक राज्य में के स्थानीय शासन और सधीय राज्य के अलगते राज्यशासन के अन्तर के स्पष्ट वर लेना चाहिए। सधीय राज्य में बेन्द्रीय अथवा सधीय सत्ता की शक्तिया उन इवाइयों को, जो मामान्य प्रयोजनों के लिए इवटी हुई है, प्राप्त वित्तियों शक्तिया से सीमित होती है। इस भावि हम देखते हैं कि सधीय राज्य में सधीय सत्ता तथा सध वा निर्माण करते वाली इवाइयों की सत्ताओं की शक्तियों में एक अल्प होता है। ऐसी दशा में ऐसी बोई विशिष्ट सत्ता स्वयं मविधान होती है। सधीय मविधान वा स्वहप सधि के स्वहप जैमा है। यह हमें कुछ राज्यों के बीच में वो गई व्यवस्था है, जो कुछ अधिकारों वो अपने पास रखता चाहते हैं। अत मविधान में उन सब अधिकारों का जिन्हें सधनिर्माण करने वाली इवाइया अपने पास रखती है अथवा उन अधिकारों वा जिन्हें सधीय सत्ता प्रदृश करती है, उल्लेख रहता है। दोनों ही दणाओं में यह म्पष्ट है कि न तो राज्यों के माधारण मविधानमडनों वो और न सध के मविधानमडल की ही ऐसी बोई शक्ति प्राप्त हो मरती है, जिससे वह मविधान में सध निर्माण करने वाले मदम्यों के मन वो जानने के लिए ऐसी विशेष माध्यन में करम लिए रिना बोई परिवर्तन कर मचे। एक सब्जे सधीय राज्य में इन माध्यनों वो मविधान में निश्चिन स्पष्ट में उल्लिखित रिया जाता है। माय ही ऐसी भी बोई-न-जोई गता होनी चाहिए जो मध तथा राज्य के बीच के विवादों

के, यदि वभी ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाए, निपटा गये। ऐसी मत्ता सामान्यतया एक सर्वोच्च न्यायालय होनी है।

इस प्रकार, पूर्णरूपेण विकसित सपवाद में तीन स्पष्ट लक्षण होते हैं— प्रथम, सपव की स्थापना करने वाले संविधान की सर्वोच्चता, त्रिनीय, संघराज्य तथा उसका निर्माण करने वाले नमूनकी राज्यों के बीच शक्तियाँ वा वितरण और तृतीय, तिन्हीं भी ऐसे विवादों पा, जो वि संघीय तथा राज्यमत्ताओं में उत्पन्न हो जाएं, निपटान वाली कोई गर्वान्न मत्ता। ऐसे मधीं राज्य जो वि संघराज्य नहीं होते हैं, विकृत ऐसे ही नहीं होते। वास्तव में पूर्णता तथा यथार्थता की दृष्टि से मधीं के बहुत ही है। तेसे राज्यों वो जो वि पूर्णतया संघीय राज्य से नहीं मिलते, संघीयवत् राज्य (Quasi-federal) कहा जा सकता है। हम आगे के एक अध्याय में इन भेदों का विधिवाचार्यान्वयन विवेचन करेंगे। विधानसभा नियम के अनुहृष्ट है, अर्थात् इनमें से प्रत्यक्ष ऐसा जनरल छोटे-छोटे राज्यों से बना है, जो संघीय चाहते हैं परन्तु एकता नहीं चाहते, अर्थात् मम्मिलिन होना तो नाहने हैं परन्तु अपना अस्तित्व मिटाकर यिल्कुल एक हो जाना नहीं चाहते।

इस बात पर ध्यान गया होगा कि हमने संघीय राज्य का उल्लेख किया है, परन्तु इसके साथ ही हमने सपव में मम्मिलिन होने वाली इकाइयों का भी राज्यों के नाम से उल्लेख किया है। इसका एकमात्र कारण भाषा की वभी है। जैसे ही अनेक राज्य एक सपव बना लेते हैं, वैसे ही वे संघीय राज्य के निर्माणकर्ता अग बन जाने हैं और पूर्ण अर्थों में राज्य नहीं रहते, क्योंकि वे राज्य के उम आवश्यक तत्व के कुछ भाग का त्याग वर नहुते हैं, जिम पर हमने पहले जोर दिया है, अर्थात् प्रभुत्व। इस प्रकार वे पचास राज्य जिनमें अब¹ अमरीका का सपव निर्मित है वास्तविक राज्य नहीं है, सम्पूर्ण सपव ही वास्तविक राज्य है। तो भी राज्यों के पास विस्तृत विधायी शक्ति है और उनके विधानमंडलों को अद्वैत-प्रभुत्वसपव विधान सभाएँ कह सकते हैं। इसी भावना, आस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्ट के छह राज्यों में से कोई भी वास्तविक राज्य नहीं है। कॉमनवेल्ट ही एक राज्य है, और विटिश राष्ट्रमंडल का, जिसको रखना में विसी भी संघीय तत्व का समावेश नहीं है, एक अग होने हुए भी वह राज्य है। एक अगले अध्याय में हम इसके सबध में अधिक विस्तार के साथ विचार करेंगे।

जो कुछ ऊपर कहा जा चुका है उमसे यह स्पष्ट है कि हमारे पास जाधुनिक

¹ 1950 से जब एलास्का और हवाई सपव में प्रविष्ट हुए।

सर्वेधानिक राज्यों के बर्गोकरण के लिए यह एक मुद्रृ आधार है। यद्यपि, जैसा कि आगे चलवार बताया जाएगा, एकात्मक राज्यों के अनेक रूप हैं, और इसी भावनि संघरणज्ञ भी अनेक प्रकार के हैं, फिर भी आज का बोई भी सर्वेधानिक राज्य इन दो बाटियों में से बिलकुल ही बाहर का नहीं हो सकता।

इसी शीर्षक के अधीन हम बर्गोकरण के एक सहायक आधार का भी उल्लेख कर सकते हैं। राज्य का बेन्द्रीयकृत अथवा स्थानीयकृत होना अर्थात् राज्य में स्थानीय शासन का प्रबन्ध तत्व है अथवा नहीं। उदाहरणार्थ, ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय शासन समाज के राजनीतिक जीवन में बड़ा भाग लेता है। इसके विपरीत प्राचीन में स्थानीय मत्ताओं को बम उत्तरदायित्व सीपा हुआ है और उनकी अक्षिया बेन्द्रीय शासन के अधिकारी वीं जो कि 'प्रिकेवट' बहलाता है, उपस्थिति ड्वारा सीमित है। यद्यपि यह प्रश्न अनेक प्रकार से अत्यन्त महत्व का है, फिर भी यह हम इस पर अधिक विचार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हम अपने मुख्य विषय से बहन दूर चले जाएंगे। हम यहाँ पर इसकी चर्चा स्थानीय शासन तथा (संघ के भीतर के) राज्य शासन के बीच के भेद पर जोर देने के लिए कर रहे हैं। यह भेद इस बात से स्पष्ट है कि पास में, जो कि एकात्मक राज्य है, स्थानीय शासन मन्द है, जबकि अमरीका से संयुक्तराज्य का, जो कि एक संघराज्य है, निर्माण करने वाले राज्यों में से हर एक का स्थानीय शासन बड़ा सत्रिय है जिसका उसे बड़ा गौरव एवं अभिमान है।

4 स्वयं संविधान का स्वरूप

(क) अलिखित अथवा लिखित—एक मिश्या भेद

प्राय संविधानों को अलिखित तथा लिखित में विभाजित किया जाता है, परन्तु वास्तव में यह एक मिश्या भेद है क्याकि ऐसा होई भी संविधान नहीं है जो कि पूर्णरूप में अलिखित हो और न ऐसा ही होई संविधान है जो पूर्णरूपेण लिखित हो। साधारणतया लिखित कहा जान वाला संविधान एक दस्तावेज के रूप में होता है जो विशेष प्रवित्र समझा जाता है। साधारणतया अलिखित बहलान वाला संविधान लिखित विभिन्नीय द्रष्टावर प्रथाओं के आधार पर विकसित होता है। परन्तु वभी-कभी तथाकथित लिखित संविधान इनका पूर्ण लिखित (Instrument) होता है जिसमें संविधान के निर्माताओं ने उसके प्रबन्धन में घटित हो गवाने वाली प्रत्यक्ष आवश्यकता के लिये व्यवस्था बनाने का प्रयत्न लिया है। अन्य अवस्थाओं में लिखित संविधान अनेक मूलभूत विधियों में पाया जाता है जिनका निर्माण या अभीरक्षण संविधान निर्माता इस दृष्टि से करते हैं कि उस प्रकार प्रमुख दाने के अन्दर भविधान के विद्यम वे लिए मान्यता विधि निर्माण की प्रक्रिया नौ यथामम्बव अधिक-से-अधिक गुजाइश हो।

ग्रेट ब्रिटेन का संविधान अलिखित वहा जाता है, परन्तु वहाँ ऐसी कुछ लिखित विधियाँ हैं जिन्होंने संविधान में बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया है। उदाहरणार्थ, अधिकारों का विधेयक (विल ऑव राइट्स) (सन् 1689) संविधान भी ही विधि है, इसी भाँति उनीसंबी शातांशी और बीमंशी शान्तिया वे चिभित मनाधिकार सब्रधी अधिनियम और विशेषतया सन् 1911 तथा 1949 के गगदीय अधिनियम हैं, जो लोक-मदन द्वारा पारित विधेयकों को संशोधित अथवा रद्द करने वी साँड़-मभा (हाउस ऑफ साँड़) की शक्ति को दम करते हैं। दूसरी ओर संयुक्तराज्य अमरीका का संविधान ममस्त संविधानों में सर्वाधिक पूर्णरूप में लिखित संविधान है। फिर भी निमित्य अलिखित परम्पराएँ अथवा रुद्धियाँ, स्वयं संविधान में इस निमित्य किसी वास्तविक संशोधन के बिना ही, संविधान के निर्माताओं वी इच्छा के विरुद्ध उत्पन्न हो गई हैं। इस सबघं में उदाहरण-स्वरूप संविधान के अनृच्छेद 2 धारा 1 (वारक्रो संशोधन के सहित) को प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके अनुसार यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति वे निर्वाचित वे लिए जनता निर्वाचितों वा चुन, जो एकत्रित होकर बहुमत से उस व्यक्ति का निर्वाचन करे, जिसे वे चाहें। परन्तु व्यावहारिक रूप म, जैसा कि हम बाद में नतायेंगे, ऐसा नहीं होता।

अतएव, हम फिर कह देना चाहते हैं कि संविधान का इस आधार पर वर्गीकरण भ्रमात्मक है कि वह अलिखित है अथवा लिखित। निस्सदेह, कभी-कभी तथाकथित लिखित और तथाकथित अलिखित संविधान में भेद करना आवश्यक हो जाता है और जब कभी हमें ऐसा करने वी आवश्यकता होगी, तो हम पहले को दस्तावेजी तथा दूसरे को गैर-दस्तावेजी संविधान करेंगे।

(क) नम्य अथवा अनम्य

स्वयं संविधान के स्वरूप को देखते हुए संविधानों के वर्गीकरण का वास्तविक आधार यह है कि वह नम्य है अथवा अनम्य। बहुधा यह समझा जाता है कि यह विभाजन वैसा ही है जैसा कि दस्तावेजी अथवा गैर-दस्तावेजी संविधान वा। परन्तु यह धारणा लुटिपूर्ण है। इस बात के होते हुए भी कि गैर-दस्तावेजी संविधान नम्य ही हो सकता है, यह सभव है कि दस्तावेजी संविधान अनम्य न हो। तब वह कौन-सी बात है जिससे संविधान अनम्य अथवा नम्य बनते हैं। यहाँ दोनों के बीच के भेद का आधार यही है कि संविधानिक विधियों के निर्माण की क्रिया तथा साधारण विधि के निर्माण की क्रिया एक सी है अथवा नहीं। जो संविधान किसी विशेष प्रणाली के बिना बदला अथवा संशोधित किया जा सकता है, वह नम्य संविधान है। जिस संविधान को बदलने या संशोधित करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, वह अनम्य संविधान है।

उदाहरणस्वरूप, ग्रेट ब्रिटेन में सर्वदा ठीक एवं-सी ही विधायी प्रक्रिया का

अनुमरण किया जाता है, जहाँ उम पारित किए जान वाले विधेयक का सबधा जानवरों को खेल करना मिथान बाना की पढ़ति पर नियन्त्रण रखने से अथवा लाइंगभा (हाउस ऑफ लाइंग) की शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन करने से हो। यूनाइटेड किंगडम में बास्टर में चिंगिज संविधानिक विधि जैसी कोई चीज नहीं है। जनएव यूनाइटेड किंगडम का संविधान नह्य है। इन्हीं के पिछे राज्य के सम्बन्ध में यही बात थी। यद्यपि एकत्रता के अधीन इटनी में दस्तावेजी संविधान था, परन्तु उसको बदलने के लिए संविधान में कोई विशेष प्रतिया निर्दर्शित नहीं थी। बास्टर म, उक्त संविधान नन् 1848 का मूल सार्वजनिक संविधान (स्टेटुओ) था जो कि साधारण विधायी प्रतिया हारा एक बदले हुए राज्य तथा अधिक प्रगतिशील राजनीतिक समाज की आवश्यकता आ की पूर्ति के अनुकूल बना लिया गया था। वह सचमुच इतना नह्य था कि अपनी अधिनायकता के प्रारम्भिक वर्षों में मुसोलिनी द्वारा संविधान को भग लिए बिना ही उसकी भावना की हत्या करने में समर्थ हो सका। यह भग इटरी में अब बदल चुकर है क्योंकि सन् 1947 का इसका गणनक्तीय संविधान, जिसका हम आगे चर्चकर विस्तार के माध्य विवेचन करेंगे, अत्यधिक अनम्य है। उसमें उन तरीकों के बारे में, जिनसे कि उसमें संशोधन किया जा सकता है, अत्यन्त विस्तार के साथ निर्देश दिए गए हैं।

इस मौति हम एक तरह से एक विचित्र विरोधाभास की स्थिति पर पहुँचते हैं। कोई संविधान अत्यधिक निखित प्रकार का हो, अर्थात् वह पृष्ठ-पृष्ठ संविधियों का एक बड़ा समूह हो, किर भी वह नह्य हो सकता है। यह तथ्य ही कि वह विभिन्न समयों पर पारित अनेक विधियों का बना हुआ है, उसकी नम्यता वा प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि जहाँ संविधानिक संशोधन के लिए एक विशेष प्रणाली का कार्यान्वयन करना पड़ता हो, वहाँ संशोधन घटुत बड़ी मश्या में नहीं हो सकते। इन विरोधाभास का एक और उदाहरण तृतीय फैंच जनतत्र का संविधान है। वह अत्यल्प निखित विलेख होते हुए भी अनम्य था, क्योंकि उसकी मूलभूत विधियों में परिवर्तन करने के लिए एक विशेष प्रतिया अवैधित ही। सन् 1946 में प्रख्यापित द्वन्द्यों प्रैंच गणराज्य वा संविधान भी यदि अधिक नहीं तो समान रूप में ही प्रतम्य था, यद्यपि उसमें तथा तृतीय गणराज्य के संविधान के हप में विभिन्नता थी, क्योंकि वह एक पूर्ण एवं विशद दम्नावज था। पचम गणतत्र का संविधान भी इसी प्रकार अनम्नीय है, हालाँकि उसमें प्रैमिडेण्ट की प्रतिया सम्बन्धी कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। समुक्तराज्य का संविधान भी अनम्य है, क्योंकि विशेष प्रणाली को कार्यान्वयन किए बिना इसमें संशोधन नहीं किए जा सकते। संयुक्त राज्य के सामले में यह निश्चय ही आवश्यक हो जाता है क्योंकि संविधान में राष्ट्र-मरक्कर नों दो गर्दे गक्कियों दो निश्चित रूप से निर्दर्शित किया

गया है, और यदि वह उनमें आगे बढ़ती है, तो वह संविधान की नमाता नहीं, भग चरना होगा। सद्वेष में, हम यह पह गते हैं कि जो गविधान भग रिए विना नमाया न जा सके, वही अनम्य संविधान है।

5 विधानमंडल का स्वरूप

आधुनिक संविधानों का सबसे महत्वपूर्ण भाग विधानमंडल अथवा विधिसिर्ता निराय है। इस आधार पर राज्यों का वर्गीकरण ऐसे के विभिन्न तरीके द्वारा हैं, परन्तु उनमें से अधिकतर विशेष साभदायर नहीं है। उदाहरणार्थ, आधुनिक विधानमंडलों को एक गदनी अथवा डिगदनी वोटिंग में विभाजित करना अधिक सारपूर्ण नहीं है, क्यांति यदि संयुक्त राज्य, आम्ट्रेनिया और पश्चिमी जर्मनी वो गठबाद के डिगदनी विधानमंडला की आवश्यकता है तो ब्लूजीन्ड डेमार्स और फिनलैंड जैसे एकात्मक राज्य देखते हैं कि उनके विधान-गम्भीरी रामस्त प्रयोजन एवं सदनी समाज से ही पूर्णतया गिर हो सकते हैं। क्योंकि इससे गमस्त महत्वपूर्ण राज्य एक रोटि में तथा वह महत्व के रामस्त अन्य राज्य, उदाहरणस्वरूप फिनलैंड और शुर्की, दूसरी वोटिंग में आ जायेगे। इससे अतिरिक्त समाजीय प्रतियोगी की विभिन्नताओं के आधार पर विधानमंडलों के वर्गीकरण का प्रयत्न भी हमें इस अध्ययन में बहुत आगे नहीं ले जा सकता। इस विषय में अधिक महत्व की बात तो उन तरीकों की जौन परना है, जिनसे विधानमंडलों की चाहे वे एक गदनी हा या डिगदनी रचना होती है। एक और महत्वपूर्ण बात देखने की यह है कि जनता अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन के कार्य के अतिरिक्त जनमत सप्रह (Referendum) और उपन्रम (Initiative) जैसे उपायों द्वारा विधायी प्रतियों में वितना भाग लेती है।

इस प्राचार विधानमंडल के दृष्टिरौप से संविधानों का वर्गीकरण तीन प्रकार से भी भर सकते हैं। प्रथम, हम उग निर्वाचन-गद्दति के आधार पर, जिसके अनुमार मतदाता निम्न रादन के या एक गदनी विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, विधानमंडलों को वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। इस शीर्षक के अस्तीत मताधिकार और निर्वाचन-क्षेत्र के प्रण आते हैं। द्वितीय, हम (डिगदनी व्यवस्था में) उच्च रादन के स्वरूप के आधार पर अर्थात् यह देखने कि यह गैर-निर्वाचित है या निर्वाचित (या आशिर रूप में निर्वाचित), उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तृतीय, हम इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि अनेक समसारीन संविधान निर्वाचनमण्डल हो, विभिन्न परिस्थितियों में, विधान-मंडल के कार्य पर प्रत्यक्ष लोक-नियन्त्रण की शक्ति प्रदान करते हैं और तर्दे राज्यों में निर्वाचकमण्डल को के अधिकार प्राप्त नहीं है।

(क) निर्वाचन-प्रणाली

(1) मताधिकार के प्रकार—निर्वाचन-प्रणाली के आधार पर मतदाता गत्य भाग्यान्वयन दो भागों में बँटते हैं। एवं वे जिनमें वयस्क मताधिकार होता है, और दूसरे वे जिनमें मजनूर मताधिकार होता है। वयस्क मताधिकार में नाम्यवं निश्चिन आयु के ऊपर के यमस्क मिक्षो एवं पुम्या वो ममान श्य में विना किसी अपेक्षित याप्त्यना के प्रतिवर्त्त वे मताधिकार में हैं। इनमें बैवल ऐसे यन्त्रिय का अपवर्जन होता है, जो अपग्राही और पागड़ आदि है। वयस्क-मताधिकार में मामान्यनाया विद्वानमट्टन के अदम्य के श्य में निर्वाचन के लिए खड़े होने का अधिकार जामिन होता है, जो उम्मीदवारी के लिए बायु मनदान के अधिकार के लिए निर्धारित आयु म वभी-नभी उच्ची होती है।

कुछ राज्यों में पूर्ण वयस्क मताधिकार की ओर प्रगति घीमी और अभिव रही। उदाहरणार्थ, ब्रिटेन में 1832 के मुशार अधिनियम (Reform Act) में आरम्भ का 1928 के नाक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) के पासित होन तक इस प्रक्रिया में एवं जनान्दी में अधिव उग गया जिसमें ब्रिटेन आण्ड्र पुरुष-मताधिकार की अवस्थाओं म ने हावर पूर्ण पुरुष मताधिकार की अवस्था म और आण्ड्र महिला मताधिकार की अवस्था म य हावर महिलाओं और पुम्या की भमानना वो अवस्था में पहुँच गया है। अन्य देशों में, उदाहरणार्थ प्रथम विश्वयुद्ध के परिणामस्वरूप निर्मित अधिकार नय राज्यों में, इनके पृष्ठे भविधानों में ही एवं दम पूर्ण वयस्क मताधिकार स्वीकृत कर दिया गया। कहीं-नहीं, यूद्ध जनित याप्त्या के परिणामस्वरूप मजनूर पुरुष मताधिकार एवं दम पूर्ण वयस्क मताधिकार में परिणत हो गया। इन्हीय विश्वयुद्ध के परिणामस्वरूप जापान में यही हुआ। वहाँ यूद्ध-पूर्व के भविधान म मनदाना के लिए मालग्ना की याप्त्यना निर्धारित थी और उसे मन-वर पर उम्मीदवार का नाम विक्षना पड़ता था। परन्तु 1947 के भविधान वे अनुभार 20 वर्ष और उसमें अधिक वी बायु वाले यमस्क पुम्या एवं महिलाजो को पूर्ण एवं भमान मताधिकार मिल गया।

बास्तव म, अधिकार गत्य के भविधान महिलाओं और पुम्यों का भमान निर्वाचन-अधिकार प्रदान वर्तते हैं, इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपवाह मिश्र-उर्मीड़ ३ जहाँ महिला-मताधिकार भी भी विवाद वा विषय बना हुआ है। वहाँ कुछ वेष्टना म महिलाओं व केष्टन मध्यमधीय पालनों म मताधिकार प्राप्त कर दिया है परन्तु अभी तक उनकी भमान मधीय अधिकारों की सीधे वा विशेष होना रहा है। ऐसे भी गत्य दर्ते हैं जिनमें वयस्क मताधिकार हास्त हुआ भी, मत देने के अधिकार के लिए कुछ विशिष्ट शर्तें रखी गई हैं। उदाहरणार्थ,

द्राजील में अठारह या अधिक वर्ष की आयु वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, यदि उसमें लिखने की योग्यता है, मत देन का अधिकार है। पुतंगाल में जहाँ भतदान की आयु 21 वर्ष है, पुरुषों के लिए साक्षरता की और महिलाओं के लिए शिक्षा-सम्बन्धी योग्यता निर्धारित है, परन्तु निरक्षर होते हुए भी कोई भी पुरुष, यदि वह एक निश्चित न्यूनतम से अधिक कर देता है तो, मत देने का सक्षम है और एक निर्धारित न्यूनतम से अधिक कर देती है तो, मत द सकती है। इन समस्याओं पर हम आगे के एक अध्याय में विस्तार से विचार करेंगे।

(2) निर्वाचन-क्षेत्र के प्रकार—निर्वाचन-प्रणाली के इटिकोण संविधान संविधानिक राज्या में भेद बरन का एक और आधार निर्वाचन-क्षेत्र का स्वरूप भी है। यह भेद उन राज्यों के, जिनमें निर्वाचन-क्षेत्र से एक (अथवा अधिक-से-अधिक दो) और उन राज्यों के बीच है जिनमें निर्वाचन-क्षेत्र से वई सदस्य निर्वाचित होते हैं, इनमें दूसरी बात साधारणतया प्रजातन्त्र की उस नवीन प्रणाली से सम्बद्ध है, जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के हलाती है, जिसका उद्देश्य उन अल्पसङ्ख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है जिनको उसके अभाव में निर्वाचित मडल में आवाज नहीं पहुँचती। परन्तु यह सदस्य-निर्वाचन क्षेत्र में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त का पालन अनिवार्य नहीं है। उदाहरण ये लिए फ्रांस में सन् 1919 और 1927 के बीच निर्वाचन-क्षेत्र निर्माणपत्रों, तथा पहले के पृथक्, निर्वाचन क्षेत्रों का सगूह गान्न होता था। सन् 1919 से पहले फ्रांस के लोग एरॉनडीजमेंट्स (Arrondissements) अर्थात् ज़िला के आधार पर मतदान करते थे और उसके पश्चात् आठ वर्ष तक उन्होंने डिपार्टमेंट्स (Departments) अर्थात् प्रांतों के आधार पर स्कूलिन दि लिस्ट (Scrutin 1/2 Liste) के नाम से शाल पद्धति द्वारा मतदान किया। वास्तव में तृतीय गणराज्य की स्थापना के बाद से फ्रांस ने बारी-बारी से दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया है। तृतीय गणराज्य के अन्तिम वर्षों में उसने पुनः एकल सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र की पद्धति को अपनाया था, किन्तु इसके पश्चात् ही उसने अस्थायी सभा के निर्वाचन के लिए, जिसने चतुर्थ गणराज्य के संविधान का प्राप्त तंयार किया, सामृहिक भतदान की प्रणाली को पुनः आरम्भ किया और सन् 1951 में होने वाले साधारण निर्वाचित के लिए दलभौंकों की अतिक्रिय प्रणाली का सूक्ष्मपात्र किया। पचम गणराज्य में फ्रांस ने एकलसदस्य निर्वाचन-क्षेत्र प्रणाली फिर से स्वीकार कर ली, परन्तु उसमें द्वितीय भतदान की शर्त रखी गई है।

हम इस विषय पर बाद के एक अध्याय में अधिक विस्तार के साथ विचार करेंगे। यहाँ पर केवल यही बहुता आवश्यक है कि इस विषय से आधुनिक संविधानी राज्यों को दो मोटी कोटियों में बांटने में सहायता मिलती है। कुछ

राज्यों में एकलसदस्य निर्वाचन-क्षेत्र का निम्नसदन के निर्वाचिनों के लिए और बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र का उच्चसदन के निर्वाचिन के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरणस्वरूप आस्ट्रेलिया में ऐसा ही होता है। त्रिटिंग मनदाताओं के लिए भावी लोकतात्र में इस अर्थ में निर्वाचन क्षेत्रों की पुनर्व्यवस्था के सभावित लाभा पर विचार करना एकिकर होगा।

(ख) द्वितीय सदन के प्रकार

द्वितीय सदन के प्रकारों के अनुसार विभाजन से आधुनिक संविधानबाद के एक बहुत ही दिलचस्प तुलनात्मक अध्ययन के लिए आधार प्राप्त होता है। इस शीर्षक के अधीन मुख्य विभाजन दो हैं द्वितीय सदन निर्वाचित होता है अथवा अनिर्वाचित। इन दोनों प्रकारों के बीच हमें आशिक रूप में निर्वाचित और आशिक रूप में गैर-निर्वाचित द्वितीय सदनों के कुछ वर्तमानकालीन एवं भूतकालीन बड़े दिलचस्प उदाहरण भिलते हैं। उदाहरणार्थ, गणतात्र से पूर्व के स्पेन में, युद्ध से पहले के जापान में, मिस्र के पूर्ववर्ती राज्य में यही बात थी और आयर (आयरलैण्ड के गणतात्र) तथा दक्षिण अफ्रीका (पहले के स्वशासी अधिराज्य की तरह नवीन गणतात्र में थी) में अब भी यही बात है। किंतु यह मोठा विभाजन द्वितीय सदनों की समस्या का अध्ययन करने का अच्छा ढंग है।

निर्वाचित उच्च सदनों में विशेष रूप भें अध्ययन करने योग्य संयुक्त राज्य, ऑस्ट्रेलिया, कानून और इटली की सीनेट, स्विट्जरलैंड में राज्य (अर्थात् बैष्टन) परिषद (Council of States), जर्मनी के सघीय गणतात्र में बुन्डेस्फ्राट (Bundesrat) और जापान में (1946 से) पार्वें-भवन (House of Councillors) है, हालांकि इन द्वितीय सदनों के निर्वाचित की पढ़तियाँ सभी राज्यों में एक सी नहीं हैं। अनिर्वाचित द्वितीय सदनों के ऊलेखनीय उदाहरण फ्रेट ट्रिटेन की सामन्त सभा (हाउस ऑफ लॉंड-स) तथा कनाडा की सिनेट हैं। साधारणतया जहाँ द्वितीय सदन निर्वाचित होता है, वहाँ यह, जैसी कि आशा की जानी चाहिए, अनिर्वाचित द्वितीय सदन की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है। इस भौति, उदाहरणस्वरूप, जबकि संयुक्तराज्य अमरीका की सिनेट कानेस के दोनों सदनों में अधिक प्रभावशाली है, वहाँ फ्रेट ट्रिटेन में सामन्तमभा (हाउस ऑफ लॉंड-स) विधान कार्य को प्रभावित करने में लगभग शक्तिहीन हा गई है।

(ग) प्रत्यक्ष लोक-नियंत्रण

प्रत्यक्ष लोक नियंत्रण में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला जनमत-सप्तह (Referendum) जिसे लोक नियंत्रण (Plebiscite) भी कहा जाता है। आधु-

निव्र युग में उसका इतिहास तो यड़ा लम्बा है परन्तु उसका व्यापक प्रयोग हान ही के बर्पों में विशेषज्ञ बुद्ध नय संविधानों का अनुगार होन जाता है। मोटी तौर से जनसत्ता सप्रह वा अथ निरा गरवारी प्रस्ताव गर निर्वाचित मण्डल की राय जानने की प्रक्रिया है। परन्तु जिन दण्ड से और जिन परिस्थितियों म संविधान के अनुसार विसी बान को निर्वाचित वा अनुमोदन या उनकी अस्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जा सकती है उनमें बड़ी विभिन्नताएँ हैं। निर्वाचित वे समझ एसा निवेदन किसी साधारण विल के सम्बाध में किया जा सकता है या उसका सम्बाध संविधान में प्रस्तावित संशोधन से हा सकता है। यह एचित्र अथवा अनिवार्य हो सकता है। इसका प्रयोग स्विट्जरलैण्ड में दाना प्रवार में समझ काफ़डरेशन (राज्य) के एवं वैयक्तिक रूप में वर्णनों के मामला के सम्बाध में व्यापक रूप से होता है। इसके विपरीत अमरीका के संयुक्त राज्य में सधीय संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं है। ग्रिटन में कभी-कभी विनकुल स्थानीय भागों का छोड़ और विसी भी मामले में उसका प्रयोग नहीं होता।

लोक नियवण वा दूसरा तरीका उपक्रम बहलाता है। जिसके अनुसार निर्वाचित मण्डल को विल का प्रस्ताव करन और संविधानिक संशोधन का मुद्दाव देने का अधिकार प्राप्त होता है। इस विषय में भी विभिन्न राज्यों में वाय प्रणा सिया बड़ी विभिन्न है। स्विट्जरलैण्ड में उपक्रम वा प्रस्ताव दाना काफ़डरेशन और केस्टन दोनों में सामाय विधि निर्माण और संविधानिक संशोधन दोनों में प्रयो जनों के लिए होता है। अमरीका के संयुक्त राज्य में सधीय संविधान में उपक्रम की व्यवस्था नहीं है परन्तु वई व्यक्तिगत राज्यों में उसका प्रयोग होता है और कुछ राज्यों में तो संविधानिक एवं वैयक्तिक दोनों प्रवार के प्रस्तावों के लिए होता है। इटली के गणतन्त्रीय संविधान में भी उपक्रम की व्यवस्था है।

अन्त में एक और तरीका है जो प्रत्याह्रान (Recall) या वापस बुलाना नहोता है। इससे निर्वाचितों का असन्तोषजनक प्रतिनिधि वो और कुछ अवस्थाओं में निर्वाचित अधिकारियों को वापस बुलाने का अधिकार मिलता है, परन्तु आज उसका प्रयोग पहले की अपेक्षा कम हो गया है और अमरीकी संघ के कुछ राज्यों में ही रह गया है। इन लोक नियक्रणों का विस्तृत अध्ययन हम दसवें अध्याय में करें।

6 कार्यपालिका का स्वरूप

संसदीय मर्यादा असंसदीय

विभाजन का चौथा आधार कार्यपालिका का स्वरूप है। जैसा कि हमने पहले कहा है वायपालिका या यह वाय है जि वह नीति वा निर्माण करे तथा उस नीति को तब नार्याचित वरे जब जि उसे विधानमण्डल के माध्यम से विधि का

स्वीकृति प्राप्त हो जाए। समस्त सर्वेधानिक राज्यों में कार्यपालिका की शक्ति पर प्रतिवन्ध होते हैं, अर्थात् कार्यपालिका सदृश ही किसी-न-किसी के प्रति उत्तरदायी होती है। निःसंवेद, यह कहना ठीक होगा कि आधुनिक परिस्थितियों में कार्यपालिका सदैव ही अन्त में जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, परन्तु क्योंकि यह बात सभी जगह लागू होती है, अतः इससे वर्गीकरण में सहायता नहीं मिलती। यहाँ हम जिस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, वह तो यह है कि तात्कालिक उत्तरदायित्व किस के प्रति है। इस प्रश्न का उत्तर हमें सर्वेधानिक राज्यों को दो बढ़े वर्गों में विभाजित करने का आधार प्रदान करता है; क्योंकि अब्दहार-रूप में कार्यपालिका या तो ससद् (अर्थात् विधानमंडल) के प्रति उत्तरदायी होती है, जो उसे उस समय हटा सकती है जब फि वह उसका विश्वास खो दे अथवा नार्यपालिका नियतकालिक राष्ट्रपति-निर्वाचन जैसे अधिक दूरवर्ती नियत्वण के अधीन होती है। तात्कालिक रूप से ससद् के प्रति उत्तरदायी होने की अवस्था में उसे समझौत कार्यपालिका कहा जाता है। परन्तु यदि वह निश्चित अवधि पर किसी अधिक विस्तृत निकाय के प्रति तात्कालिक रूप से उत्तरदायी हो और समझौत कार्यदाती द्वारा नहीं हटाई जा सकती हो तो उसे असमझौत अथवा स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है।

इस भेद से आधुनिक सर्वेधानिक राजनीति में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विभार उत्पन्न होता है। विशेष रूप से यही हम एकत्र तथा गणतन्त्र जैसे शब्दों पर आधारित विभाजन को निर्धारित पाते हैं। येट ड्रिटेन तथा इटली को ही लीजिए। इस आधार पर विचार करने से हम इस अम में पड़ जायेंगे कि प्रथम उदाहरण में रानी तथा दूसरे में राष्ट्रपति ही कार्यपालिका है, इनमें से कोई भी बात ठीक नहीं है। इसके विपरीत, इन दोनों अवस्थाओं में ही कार्यपालिका मत्रिमंडल है, क्योंकि रानी और राष्ट्रपति दोनों में सर्विधान के अनुसार ससद् के प्रति उत्तरदायी मत्रिमंडल के माध्यम से कार्य करने के लिए बाध्य हैं।

अतः यह स्पष्ट है कि वे समस्त राज्य जिनमें कार्यपालिका निर्वाचित सभाओं के प्रति उत्तरदायी हैं, एक विशिष्ट कोटि के होते हैं। इस प्रकार वी सरकार या तो मत्रिमंडलीय सरकार बहलाती है, क्योंकि ऐसे सभी राज्यों में कार्यपालिका न्यूनाधिक रूप में इस मत्रिमंडल वे नमूने की होती है जिसका रूप इगलेंड में अठारहवीं शताब्दी में धीरे-धीरे स्पष्ट होता जा रहा था, अथवा वह उत्तरदायी सरकार बहलाती है।

इस शब्द का प्रयोग सामान्यतया त्रिटिय वैमनवेत्य के स्वशासी अधिराज्यों में ही होता है जहाँ मत्रिमंडलीय शामन की स्थापना उस प्रतिया वे मिलसिले में हुई है जिसके द्वारा त्रिटिय सरकार ने अधिराज्यों में सम्बन्ध में अपने मत्रियों ना उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अधिराज्य की निर्वाचित सभा को सोंपा था। अभी

हाल ही में, इसी प्रकार का हस्तान्तरण अफीका, एशिया तथा केरिवियन सागर में नये कॉमनवेल्थ-दशा में, जिन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है, हुआ है।

इम सबमें महत्वपूर्ण सोकृतवीय राज्य जिसकी कार्यपालिका अमरीका अथवा स्थायी है, अमरीकन पॉमनवेल्थ (अमरीका का संयुक्तराज्य) है। पिछले जर्मन माझाज्य में भी कार्यपालिका स्थायी ही थी, यद्यपि वह अमरीका वो कार्यपालिका से विलकुल भिन्न प्रकार की थी। माझाज्यवादी जर्मनी में स्वप्न मझाट वहे मन्त्रे अर्थे म कार्यपालिका था, क्याकि वह इम्पीरियल चामलर (प्रधान मंत्री) के माध्यम से कार्य करता था, जिसे वह अपनी इच्छा से नियुक्त अथवा पदच्युत कर सकता था। जैमा 1890 के चातक का परित्याग (Dropping the pilot) वे मुप्रिमिद प्रकार में स्पष्ट हो गया था, जब नि-कैसर, विलहेल्म द्वितीय ने विस्माकं को पदच्युत कर दिया था। परन्तु यह निस्सदेह ही जर्मनी का पुराना युग था। वेमर गजनद (सन् 1919) के संविधान के अधीन कार्यपालिका समवीय प्रकार की थी। जर्मनी म इस महान् मुधार का कारण राष्ट्रपति वित्तन की यह मार्ग थी कि गन् 1918 में जर्मनी के गाय अपनी संधिसंबंधी बाती करते मध्य उन्हें यह आश्वासन हो डि वे एक सोकृतवीय सरकार के माय बात कर रहे हैं। हिट्लर के अधिनायकनन्त्र में कार्यपालिका स्पष्टता समसीय नहीं थी, परन्तु वह शासन किसी भी दशा में सबै-प्रानिक राजनीति के अन्तर्गत नहीं था। इटली के फासिस्ट शासन के सबूत में भी यही बात थी। सभी साम्यवादी देशों में भी कार्यपालिका (जो एक विशिष्ट प्रकार की है और परिवर्मी सबै-प्रानिक राज्यों के सामान्य बर्गोकरण में नहीं आती) को इस अर्थ में स्थायी मानना चाहिये कि वह किसी न किसी प्रकार से उन राज्यों की विशिष्ट सोवियत या सोवियन-प्रकार की विधान मभाओं के प्रति उत्तरदायी नहीं है।

संयुक्तराज्य में कार्यपालिका के अन्तर्गत राष्ट्रपति तथा उसके मत्रिगण होने हैं। परन्तु मविगण का कार्यपालिका (समूह) की इच्छा के अधीन होना तो दूर रहा, उन्हें प्रनिनिधिभवन अथवा मिनेट में बोलने अथवा मत देने की भी अनुमति नहीं है। कार्यपालिका तथा विधानमंडल में धैयक्सिक संपर्क राष्ट्रसभा को सबोधित राष्ट्रपति के सदैश के माध्यम से ही होता है जो वर्ष में एक बार सबोधित किया जाता है (अपना अधिक बार भी किया जा सकता है यदि असाधारण परिस्थितियों में विशेष सत्र की आवश्यकता हो)। वहाँ कार्यपालिका पर वेवल यही नियन्त्रण है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है जो प्रति चार वर्ष में होता है। परन्तु एक बार निर्वाचित हो जाने पर राष्ट्रपति अपन मत्तियों को मिनेट के अनुमोदन के अनुकूल चुन तथा पदच्युत कर सकता है। राष्ट्रपति को उसके पद की निश्चिन अवधि के बीच में ऐसे वास्तविक दुराचरण के मिलाय बन्य किसी

कारण स भी नहीं हटाया जा सकता, जिसके लिए उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, अर्थात् कांग्रेस द्वारा उस पर अभियोग चलाया जा सकता है और अपने हायकाल के अन्त में वह बना रहे अथवा न रहे, यह केवल जनता की इच्छा पर, जैसी वि वह निर्वाचन में अभियक्षण होती है, निर्भर है। चूंकि कार्यपालिका का यह प्रबार जिसे हमने असासदीय या स्थायी कहा है, इस तरह अमरीकी राष्ट्रपति के पद से घनिष्ठ रूप से सबढ़ है, अतः उसे मदिमडल-सरकार के मुकाबले में राष्ट्रपति-सरकार भी कहा जाता है।

7 न्यायपालिका का स्वरूप

विधि का शासन अथवा प्रशासनिक विधि

वर्गीकरण का हमारा अन्तिम आधार शासन के तीन विभागों में से तीसरे अर्थात् न्यायपालिका से सबधित है आर जिस विषय पर हमने अभी विचार किया है उसी से इसका विवेचन आवश्यक हा जाता है। संविधानी राज्यों में विधान-मण्डल के समान ही न्यायपालिकाओं का वर्गीकरण करने के भी अनेक सभवतरीके हैं जिन्हुंने उनमें बहुत-से उस विषय के अन्दर ही आ जाते हैं जिस पर हमने अभी विचार किया है और आगे बढ़ेगे। उदाहरण के लिए हम उनका इस प्रकार वर्गीकरण कर सकते हैं—वे न्यायपालिकाएँ जो विधानमण्डलों के अधिनियमों पर आपत्ति कर सकती हैं तथा उनका निर्वचन अथवा व्याख्या कर सकती है, जैसा सम्युक्तराज्य अमरीका में होता है, तथा वे न्यायपालिकाएँ जो विना कोई आपत्ति किए ऐसे अधिनियमों को लागू करने का बाध्य हैं, जैसे येट्रिटेन में। परन्तु यह ऐसा अल्पर है जिसकी हम राज्य के तथा संविधान के स्वरूपसवधी अधिक विस्तृत व्याख्या में मीमांसा नहीं। यहाँ पर वास्तविक महत्वपूर्ण अन्तर न्यायपालिका का कार्यपालिका से संबंध के बारे में है।

अधिकार महाद्वीपीय राज्यों में विधि की एक विशेष प्रणाली है, जिसके अनुसार राज्य के कर्मचारियों की उनके शासकीय कर्तव्यों के समादर के समय रक्षा की जाती है, यदि वे उन कर्तव्यों के करने के कारण ऐसे कार्यों के दोषी होते हैं, जो यदि वे शासकीय व्यक्तियों के द्वारा किए जाते, तो अवैध होते। हम प्रणाली का जन्म प्राप्ति से हुआ था, जहाँ इसे प्रशासनीय विधि (ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव) के नाम से पुकारा जाता है। महाद्वीप के अनेक राज्य जिन्हें विद्युत नमून पर अपनी कार्यपालिका प्रणालिया के बनाने में जन्य रूप से सहाय हुआ है, प्रशासनिक विधि को अग्रीहृत करने में आगले सेवन में भावना में विनकुल हो गए हैं, क्यांत्रि विटेन भी तथा उन समुदायों में, जो प्रत्यक्ष रूप में उनसे उत्पन्न हुए हैं, और जो उनकी वैधिक प्रणाली का अपनाए हुए हैं, भले ही उन गवाने उसकी नविधानी प्रणाली का न अपनाया हो, शासकीय कार्यपालिका

वो रक्षा के लिए प्रशासनिक विधि की कोई विशेष प्रणाली नहीं है। यूनाइटेड किंगडम, स्वशासी अधिराज्य आदि विधान देशों तथा अवशिष्ट औपनिवेशिक प्रदेशों में सयुक्तराज्य में और वस्तु से कम उनके सविधानों में अनुसार लेटिन-अमरीकी गणनायों में (जो वि प्राय सयुक्तराज्य अमरीका के नमून पर बने हैं) एक सभी विधि की दृष्टि में ठीक उसी स्थिति में है जिसमें वि अ-शास-वीय नागरिक और न्यायपालिका राज्य-न्यायालिकारियों की ओर से विए गए ऐसे वायों के सम्बन्ध में जिनसे प्रजाजनों की रक्षतत्त्वता का उत्पन्न होता ही, राज्य की आवश्यकता की युक्ति का स्वीकार नहीं वर सतती। शासवीय वर्भ-चारियों की यह अनुन्मुक्ति ही विधि का शासन बहलाती है।

यह अन्तर विधिप्रणालियों के अन्तर के कारण है। इगलैण्ड की देश विधि (Common Law) जो अपने प्रारम्भ तथा विकास में महाद्वीप के राज्यों की विधिसहिताभा से इतनी भिन्न है, विधि के शासन की आधार शिखा है, जो शास-वीय वर्भ-चारियों को इस प्रकार अरक्षित छोड़ देती है। दसरी ओर, महाद्वीप में विधिसहिता-निर्माण की अधिक औपचारिक पद्धतियों में अन्तर्गत विशिष्ट प्रशासनिक न्यायालय (जो वि विधिसहिता के बाहर कार्य करते हैं) के द्वारा राज्य के वर्भ-चारी की रक्षा की जाती है और ये न्यायालय उसे नागरिक के मुकाबले में विधि के समक्ष विशेषाधिकार प्रदान करते हैं।

हम राज्यों को दो खोटिया में विभाजित करके इस भेद को संक्षेप में इस भाँति व्यक्त कर सकते हैं (1) दश विधि वाले राज्य जिनमें वार्यपालिका, विधि के शासन के अधीन रहने से, अरक्षित रहती है, और (2) विशेषाधिकार वाले राज्य जिनमें प्रशासनिक विधि की एक विशिष्ट प्रणाली से वार्यपालिका की रक्षा प्रदान की जाती है।

8 सारांश

निम्नलिखित सारणी की परीक्षा करते समय पाठ्यक्रम को यह स्मरण रखना चाहिए कि काई भी एक राज्य जिसे वह परीक्षण के लिए चुने, अपनी समस्त विशिष्टताभा में आवश्यक रूप से एक ही प्रकार का अनुरूप नहीं होता। प्रत्येक राज्य को विभाजन के प्रत्येक आधार पर पृथक् रूप से देखना चाहिए। उदाहरण ने लिए, फ्रिटेन और सयुक्तराज्य को ही लीजिए। फ्रिटेन प्रथम आधार पर प्रधम प्रकार वा है, द्वितीय आधार पर भी प्रथम प्रकार वा है, तृतीय आधार (1) (व) पर प्रथम प्रकार वा है, तृतीय आधार (1) (स) पर प्रथम प्रकार वा है, तृतीय आधार (2) पर प्रथम प्रकार वा है, तृतीय आधार (3) पर दूसरी प्रकार वा है, चतुर्थ आधार पर प्रथम प्रकार वा है तथा पचम आधार पर भी प्रथम प्रकार वा है। संक्षेप म, फ्रिटेन नम्य राजिधान, वयस्य मताधिकार के

आधार पर निर्वाचित विधानमंडल, एकलसदस्य-निर्वाचित-क्षेत्रों, अ-निर्वाचित द्वितीय सदन वाला विधानमंडल पर प्रत्यक्ष लोक-नियन्त्रण से रहित तथा विधिशासन के अधीन समझीय कार्यपालिका से युक्त एक एकात्मक राज्य है। दूसरी ओर, संयुक्तराज्य प्रथम आधार पर द्वितीय प्रकार का, द्वितीय आधार पर द्वितीय प्रकार का, तृतीय आधार (1) (३) पर प्रथम प्रकार का, तृतीय आधार (1) (४) पर प्रथम प्रकार का, तृतीय आधार (2) पर द्वितीय प्रकार का, तृतीय (3) आधार पर (समझीय प्रयोजनों के लिए हिन्दू आवश्यक रूप में राज्यों के प्रयोजन के लिए नहीं) द्वितीय प्रकार का, चतुर्थ आधार पर द्वितीय प्रकार का तथा पचम आधार पर प्रथम प्रकार का है। दूसरे शब्दों में, संयुक्तराज्य अनम्य सविधान, वयस्क-मताधिकार पर निर्वाचित विधानमंडल, एकलसदस्य-निर्वाचित-क्षेत्र, निर्वाचित द्वितीय सदन वाला समझीय विधानमंडल पर प्रत्यक्ष लोक-नियन्त्रण से रहित तथा विधि के शासन के अधीन असमझीय कार्यपालिका से युक्त एक संघराज्य है।

अपना वर्णन संक्षेप में निम्नलिखित सारणी में प्रकट किया जा सकता है —

आधुनिक सविधानी राज्यों का वर्णकरण

विभाजन का आधार	प्रथम प्रकार	द्वितीय प्रकार
1 उस राज्य का स्वरूप जिससे सविधान लागू होता है।	एकात्मक	समझीय अथवा समझेत्र
2 स्वयं सविधान का स्वरूप	नम्य (आवश्यक रूप से अलिखित नहीं)	अनम्य (आवश्यक रूप से पूर्णरूप में लिखित नहीं)
3 विधानमंडल का स्वरूप	(1) (२) वयस्क-मताधिकार (४) एकलसदस्य निर्वाचित-क्षेत्र	मण्डल वयस्क-मताधिकार वहसदस्य निर्वाचित-क्षेत्र
4 कार्यपालिका का स्वरूप	(2) गैर निर्वाचित द्वितीय सदन	निर्वाचित या आणिक रूप में निर्वाचित द्वितीय सदन
5 न्यायपालिका का स्वरूप	(3) प्रत्यक्ष लोक-नियन्त्रण	ऐसे नियन्त्रण का अभाव ऐसे नियन्त्रण का अभाव
	समझीय	असमझीय
	विधि के शामन के अधीन (देश विधि वाले राज्यों में)	प्रशासनिक विधि के अधीन (विशेषाधिकार वाले राज्यों में)

अब हम संवेधानित राज्यों के इन लक्षणों में से प्रत्येक के पूर्णनर विवेचन की ओर अग्रसर होगे।

एकात्मक राज्य

१ आन्तरिक तथा बाह्य प्रभुत्व

हम कह चुके हैं कि एकात्मक राज्य वह राज्य है जिसमें हम “सर्वोच्च विधायी शक्ति का एक बेन्द्रीय सत्ता द्वारा अभ्यस्त प्रयोग” पाते हैं, जब कि सधराज्य “एक ऐसी राजनीतिक योजना है जिसवा उद्देश्य राज्य के अधिकारों का राष्ट्रीय एक्य तथा शक्ति वे साथ सामग्रस्य रूपापित करना है,” अर्थात्, सभेप में, ऐसा शासन जिसमें विधायी सत्ता बेन्द्रीय अधिकारा सधीय शक्ति और ऐसी लघुतर इकाइयों में विभाजित रहती है जो अपनी शक्ति की पूर्णता के अनुसार कभी-कभी राज्य अथवा केष्टन और कभी-कभी प्रात भी कहलाती हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए हमें प्रभुत्व के विषय पर अपने प्रारंभिक विवरण का कुछ और विस्तार करना चाहिए। प्रभुत्व की समस्या एक अत्यत बठिन समस्या है। राजनीतिक दार्शनिकों और वैधिक सिद्धान्तकारों ने अपनी पुस्तकों के असच्च पृष्ठों में इसके विवेचन का प्रयत्न किया है, फिर भी यह आज की राजनीति का प्रभुत्व प्रश्न बना रुआ है। जैमा कि हम पहले भी देख चुके हैं, प्रभुत्व के आन्तरिक तथा बाह्य दो पहल हैं। हमने आन्तरिक प्रभुत्व की परिभाषा यह कह कर की है कि वह राज्यों में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय का उसके क्षेत्राधिकार के अन्दर व्यक्तियों या व्यक्तियों नी सत्याओं पर प्राप्तान्य है और बाह्य प्रभुत्व की परिभाषा एक राज्य की अन्य सब राज्यों के मुकाबले में पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में की है।

जहाँ तक कि आत्मिक प्रभुत्व नी बात है, मारा प्रश्न ‘राज्य’ शब्द के अर्थ पर केन्द्रित है। एक बार यह मान लेने पर कि राज्य, अपने अन्दर के व्यक्तियों के, राजनीतिक रूप में सघटित सम्पूर्ण समाज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, रूसों के इस निदान्त के तर्क की आप प्रश्नमा किए विना भी रह सकते कि प्रभुत्व लौकिक, अविभाज्य तथा अविच्छेद्य होता है। यद्यपि यह कहा जाता है कि प्रभुता शासन में निहित होती है, तथापि अतत यह शासितों की शक्ति में ही होती है। किसी भी समय का अल्पस्त निरकुश शासन भी इस सत्य के बल पर अपनी निरकुशता में सीमित रहता है कि जैसा डेविड हाम ने बहुत पहले कहा या, शक्ति सदा ही शासितों के पक्ष में रहती है जो विद्रोही विचारों से अत्यधिक विचलित

होने पर शामन को उठाए देने के लिए आनि कर सकते हैं। जैसे जैसे हम निरक्षुण राज्या से माविधानिक राज्या की ओर अप्रमर होते हैं, वैसे ही वैसे यह मर्यादा और अधिक स्पष्ट हो उठती है। लेस्ली स्टीफेन न निखा है कि यदि कोई विधानमंडल यह निश्चय करे कि नीली आँखों वाले मर्भी शिशुओं का बध वर दिया जाय तो नीनी आँखों वाले शिशुओं का मरक्षण अवैध होगा, परन्तु ऐसी विधि पारित वरने वाले विधायक पहले से ही पागल होने चाहिये और ऐसी विधि को मानने वाले प्रजाजन पहले से ही विवेकशूल्य होने चाहिये।”

हम वैध प्रभु तथा राजनीतिक प्रभु के भेद को बना चुके हैं और उदाहरण-स्वरूप यह भी कह चुके हैं कि, उदाहरणार्थ, ग्रेट ब्रिटेन में ‘समदू महित रानी वैध प्रभु है तथा निर्वाचित मंडल राजनीतिक प्रभु है जो वैध प्रभु को अपनी इच्छा के अनुकूल बना सकता है। यदि आप कहे कि व्यावहारिक स्प में ऐसा दिखाई देना बड़ा बलिन है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप जनता की राजनीतिक प्रभुता वी वास्तविकता से इनकार वर रहे हैं, आप बेवल इतना ही सकें वर रहे हैं कि लाल-इच्छा वी अभिव्यक्ति का माध्यम अच्छी प्रकार बायं नहीं कर रहा है। कम-से-कम यह कहना उचित ही होगा कि आधुनिक प्रतिनिधि-शासन, जहाँ तक कि समार अब तक पट्टौंच मवा है, वैध तथा राजनीतिक प्रभुओं में उभ सीमा तक एक स्वरूपता स्थापित वर मक्क है, जहाँ तक वैमा वर सहना सम्भव है। ऐसे प्रतिनिधि शामन की स्थापना रिवाज और विधिया के द्वारा अयवा विस्तीर्ण दस्तावेज के द्वारा होती है और ये दोनों मंविधान जहाँ गते हैं। एक दूस्तिकौश से संविधान शासन तथा शासिता के बीच के संवधा को परिभासित करने का एक प्रयाम है। इस भाँति, जहाँ निष्ठात में वैध प्रभु की प्रभुता का परिसीमन नहीं किया जा सकता तथा जनता की प्रभुता अविच्छेद्य रहती है, वहाँ व्यावहारिक स्प में एक भी प्रभुता पर्याप्त स्प से सीमित रहती है और दूसरे की प्रभुता का सामाजिक शाति तथा राजनीतिक सामजस्य के हेतु एवं बहुत बड़ी सीमा दक्ष त्याग वर दिया जाता है।

इस प्रकार संविधानी राज्य विस्तीर्ण विशिष्ट शासन का अधिकार-भेद है जिसमें कृत्या का निरूपण उस राज्य के संविधान में किया जाना है। इस भाँति संविधान राज्य की आनंदित तथा बाह्य दोनों सीमाओं का निरूपण करता है और राज्य की सीमाएँ उसमें बाह्य संबंधों पर विचार करते समय अत्यन्त मद्दत्वपूर्ण थन जाती हैं। आनंदित प्रभुता के समान ही बाह्य प्रभुता भी निष्ठान-स्प में अतीमित है, परन्तु व्यवहार में यह या तो संवधित ममुदाय की शाति की इच्छा में अयवा किसी ठोस साभ की दृष्टि से निश्चयात्मक स्प में अयवा विस्तीर्ण पड़ोमी राज्य की उभ ममुदाय का तुचन ढानने वी शक्ति वे भय से निरोग्यात्मक स्प में सीमित रहती है। इन दोनों में किसी भी अवस्था का यह परिणाम

हो सकता है विं वह राज्य अन्य राज्यों के साथ अपनी परिस्थिति के अनुसार न्यूनाधिक रूप में बास्तविक सयोग स्थापित कर सके। ऐसे सयोग का सबसे सरल रूप सम्बंध (Alliance) है जो या ता प्रतिरक्षात्मक (अर्थात् विसी भी गदरय-राज्य पर आक्रमण होने की अवस्था में उसे सशस्त्र सहायता देना) या आक्रमणात्मक (अर्थात् उसके विसी एक मदस्य के आक्रमणकारी होने पर भी उसे सशस्त्र सहायता देना) हो सकता है। यह प्रभुता पर कोई औपचारिक मर्यादा नहीं है, क्योंकि मध्यय का कोई भी मदस्य, जब भी वह चाहे, अपनी शर्तों का त्याग करने के लिए स्वतंत्र है, भले ही सम्बंध की शर्तों में कोई अवधि निर्धारित क्यों न हो। इसका एक उदाहरण वह घटना है जब ति इटली ने जर्मनी तथा आस्ट्रिया के साथ हुई त्रिमंडी से सन् 1914 का महायुद्ध छिड़ने पर अपने को अलग बर लिया और अगले बर्पं ही अपने पूर्व मित्रों के शवुओं के साथ मिलता न र ली। ऐसा ही पक्ष परिवर्तन इटली ने सन् 1943 में भी किया था।

कोई राज्य करिपय घटनाओं में अवसर पर वित्तिपय वार्यों को करने अवका न करने की प्रतिज्ञा करते हुए भी अन्य राज्यों के साथ सयोग स्थापित कर सकता है। परन्तु, जैसा ति हम सन् 1914 में वेल्जियम पर जर्मनी के द्वारा किए गए आक्रमण में देख चुके हैं, यह भी प्रभुता पर वास्तविक प्रतिवध नहीं है। इससे भी आगे बढ़कर वह कदम है जब ति कोई वैयक्तिक सयोग स्थापित होता है, जब दो या अधिक राज्य के बीच इस माने में समुक्त होने हैं कि उनके ऊपर एक ही राजा राज्य करता है। इसका एक उदाहरण सन् 1714 से लेकर 1837 तक प्रिटेन तथा हेनोवर का सबधू है। इस भाँति दो या अधिक राज्य, जो वश के आधार पर समुक्त होते हैं, आगे बढ़कर राजनयिक इकाई के रूप में विश्व के सामने आ सकते हैं, जैसे सन् 1867 से 1918 तक वे आस्ट्रिया तथा हुगरी और सन् 1815 से 1905 तक के नार्वे तथा स्वीडेन ने किया। परन्तु केवल मैत्री कर लेना, एक ही राज्यप्रमुख का एक से अधिक दार राज्याभिषेक करना, राजनयिक इकाई के रूप में समान के सामने आना—ये सब ऐसे बार्य नहीं हैं जिनसे पहले के दो या अधिक राज्य समुक्त होकर एक नया राज्य बन सकें, क्योंकि राज्य के पास आनंदिक तथा बाह्य प्रभुता होती है और उस प्रभुता का औपचारिक परिसीमन ही वास्तव में उसके राज्यत्व में कमी कर सकता है।

2. राज्य के समाकलन की प्रक्रिया

राज्य का स्वरूप उराकी प्रभुता से निर्धारित होता है। आज हमारी जान में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसके बहाने का निर्माण समाकलन अथवा एकत्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा न हुआ हो। यह बात पूरी तरह सत्य है चाहे हम प्रेट प्रिटेन और पास जैसे राज्यों पर, जिनकी जड़े बहुत प्राचीन हैं, या चेचोस्लो-

वाकिया और युग्मोस्ताविया जैसे अपेक्षाहृत नवीन राज्यों पर विचार करें, नयोकि समाजन के प्रारम्भ और उसके विकास की परिमितियों के अनुगार उनकी प्रतिया भी धीमी अवधा तीव्र हो सकती है। समाजलन की प्रतिया का निश्चय युद्ध के द्वारा हो सकता है, जहाँ वि एक स्थानीय इकाई दूसरी पर विजय प्राप्त करके उसे अपने में सम्मिलित कर लेती है। रोम, इग्नेंड तथा प्रास के प्रारम्भिक इतिहास में यही हुआ अवधा पुढ़ की सभावनाओं से अनेक पड़ोसी इकाइयाँ एक साथ स्वाधीन हो सकती हैं, जिनके सामने उस सबट के कारण से ही अपने सामान्य लाभ की दृष्टि से किसी भी प्रकार का सघ स्थापित करने की समस्या उपस्थित हो गई है। ऐसा सन् 1873 में अमरीकी उपनिवेशों तथा सन् 1918 में सर्ब, न्यूज तथा स्लोवेन लोगों के साथ हुआ। इमहे अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि विभिन्न विषयों पर इकाइयाँ किसी भी ऐसे सबट के कारण, जिसके अस्तित्व की तब तक सभावना भी नहीं हुई हो, एवं सघ के निर्माण की आवश्यकता का अनुभव करें। उनीसबी शताब्दी के अत म आस्ट्रेलिया की परिस्थिति ऐसी ही थी।

परन्तु किसी भी दशा में, समाजलन के प्रश्न के उठने पर, सबधित समाजों को यह निश्चित वरना इडता है कि उनका समाजलन सघ के निर्माण द्वारा होगा अथवा पारस्परिक वित्त के द्वारा। यदि समाजलन सघनिर्माण के द्वारा होता है तो इम-से-कम व्यवहार में प्रभुता का विभाजन हो जाता है, उसका कुछ अश सघनिर्माणकारी इकाइयाँ अपने पास रख लेती हैं और कुछ अश वे उस बेन्द्रीय समस्या को समर्पित वर देते हैं जिसकी उन्होंने स्थापना की है। यह स्वीकार वस्त्रा पड़ेगा वि सघनिर्माण की दशा में, समस्त व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए प्रभुता विभक्त रहती है। जैमा कि हम पहले वह चुके हैं, यह भव है कि मिदान्त रूप में प्रभुता अविभाज्य है किन्तु तघीय व्यवस्था की विचित्र इटिनाई का सामना करने का एक मान तर्ब सगत उपाय यह मान लेना ही है कि सघवद्ध होने वाले राज्य पहले जिस प्रभुता को बैयकितव रूप में धारण करते थे वह दो सत्ताओ—सघ की और राज्यों की—में विभाजित हो जाती है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह सथिय से विलकृत भिन्न व्यवस्था है। सघवद्ध होने वाली इकाइयाँ अपनी बहु प्रभुता का बेन्द्रीय सत्ता के पक्ष में पूर्णहप से त्याग वर देती हैं, और उनकी आन्तरिक प्रभुता वैवल भव्य रूप में उनके पाम रहती है, यदोकि कुछ ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं जिनका प्रयोग पहले प्रत्येक इकाई की सरकार अपन प्रत्येक नागरिक पर बरती थी परन्तु अब उनका प्रयोग वैवल सघ-सरकार ही कर सकती है।

बन्तनोगत्या, वास्तव में प्रभुता का विभाजन नहीं होता। सघ-व्यवस्था में वैष्ण प्रभु स्वयं संविधान है जो सघ तथा राज्य की मत्ताओं में शक्तियाँ का

विभाजन नहरता है। जब अनेक राज्य गष्ठ द्वारा समाहित होने हैं तो वे गविधान में निर्धारित गतीया का स्वीकार करते हैं। गविधान एक सधि है, परन्तु यह एक विशिष्ट पवित्रतापूर्ण सधि है, जिसमा अतिशमण बोर्ड भी गविदावारी पक्ष उनमे उत्तिवित प्रतिशया का अनुगमण किये विना नहीं रख सकता। अताएव, गष्ठ व्यवस्था के अन्तर्गत राज्या या उल्लेख गोण प्रभुत्वपूर्ण निराया वे रूप में करना ढीक ही हागा।

इसरे विपरीत यदि समावलन विलोनीशरण का रूप लेना है तो समावलित होने वाली इराइया वे पास वाई भी शक्ति नहीं रह जाती। वे पृथक् रूप से दा या अधिक प्रभुत्वपूर्ण शक्तिया हाती है परन्तु वेचन एवं सधि वर्त्ये आपम में मिलरर एक हो जाने के लिए। सभी शक्तियों पारम्परिक रूप से त्याग रखे एवं समान उपकरण (Origin) का सोप दी जाती है, जो सधीय नहीं बल्कि वेन्द्रीय सरकार होनी है। उम अवस्था म आन्तरिक तथा बाह्य दामा प्रभुत्वाएँ पूर्ण रूप में वेन्द्रीय सरकार के पास रहती हैं तथा इन व्यवस्था के बल पर यह गोण प्रभुत्वपूर्ण निरायों का स्वीकार नहीं वरनी। यही एकात्मक राज्य है।

3. एकात्मक राज्य की सारभूत विशेषता

हम यह बहु चुके हैं कि सधीय राज्य के सबध में व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए हम विभाजित प्रभुता की बात कर सकते हैं। एकात्मक राज्य की सारभूत विशिष्टता यह है कि उसमें प्रभुता अविभाजित हानी है अर्यात् वेन्द्रीय सरकार की शक्तियों अप्रतिवन्धित होती है, क्योंकि एकात्मक राज्य का सविधान वेन्द्रीय विधान भावा के अतिरिक्त इसी भी विधिनिर्माणवारी निराय वो स्वीकार नहीं वरता। यदि वेन्द्रीय भावा लपुत्र निरायों वो—अले ही के स्थानीय भावाएँ हो अथवा औपनिवेशिक सत्ताएँ—अधिकार वा प्रत्यायोजन (Delegation) सुविधाजनक समझती है तो वह ऐसा नहीं है, जिन्हु स्मरण रहे कि यह नियोजन यह अपनी शक्ति की पूर्णता के बारण वरती है, इसलिए नहीं नि सविधान के अनुसार उसे ऐसा करना चाहिए अथवा इसलिए कि राज्य के विभिन्न भागों की पृथक् सत्ता है जिसे उन्होंने वृहत्तर निराय में सम्मिलित होने से पूर्व ही विसी सीमा तक अपने पास रख लिया है। इसका तात्पर्य गोण विधिनियन्ता निरायों पा अभाव नहीं है, परन्तु इसका तात्पर्य यह है कि वे वेन्द्रीय सत्ता की इच्छानुसार विधान रहते हैं और समाप्त भी किए जा सकते हैं। अताएव, इसका यही तात्पर्य है कि इन शब्दों के अर्थ की खीचतान कर इन महायक निरायों को गोण प्रभुत्वपूर्ण निराय नहीं बहा जा सकता और अन्त में इसका यह तात्पर्य है कि वेन्द्रीय तथा स्थानीय भावाओं के बीच ऐसा वाई विद्याद उठन की सभावना ही नहीं रहती जिसका निष्ठारा करने की वैधिक शक्ति वेन्द्रीय सरकार के पास न हो।

अतः (1) बेन्द्रीय समद की सर्वोच्चता, और (2) महापक्ष प्रभुत्वपूर्ण निकायों का अभाव, य दानो वाते एकात्मक राज्य की मारभूत विशेषताएँ कहे जा सकती हैं।

(1) बेन्द्रीय समद की सर्वोच्चता—जहाँ वही भी हम एकात्मक राज्य देखते हैं वहाँ हमें बेन्द्रीय समद की सर्वोच्चता भी दिखाई देती है। यहुधा, जैसा कि हम अधिनियम होते हैं जिन्हे संविधान कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थिति में साधारण बेन्द्रीय विधानमंडल नो पारित करने का अधिकार नहीं देता। परन्तु संघराज्य की बेन्द्रीय समद पर इसकी अपेक्षा अधिक पूर्ण रूप में ऐसा बरने पर प्रतिबन्ध होता है। इसका बारण यह है कि संघीय संविधान, संविधान में परिवर्तन करने के माध्यमों को ही नियन्त्रण नहीं बरना बरन यह भी चाहक बरता है कि संघीय सत्ता की या संघनिर्माणकर्त्ता द्वारा दृष्टियों की क्या शक्तियाँ हैं। अतः संघराज्य में दो प्रकार के विधानमंडल होते हैं—संघ के तथा राज्यों के—जिनमें से प्रत्येक का अपना क्षेत्र होता है और उनमें से कोई भी सर्वव्यापी रूप में सर्वोच्च नहीं होता। इसके विपरीत एकात्मक राज्य ये बेबल एवं ही प्रकार का विधानमंडल होता है, जो भर्दा और पूर्णरूप में सर्वोच्च होता है।

(2) गोण प्रभुत्वपूर्ण निकायों का अभाव—यह एकात्मक राज्य का दूसरा लक्षण है। गोण विधिनिर्माणा निकायों तथा गोण प्रभुत्वपूर्ण निकायों के बीच में जो अनर हमन प्रकट किया है वह एकात्मक राज्य की स्थानीय सत्ताओं और संघराज्य के राज्यसत्ताओं के बीच का अंतर है। संघ में राज्यसत्ता का संविधान के सबध में विचार करने की वजाय संघसत्ता के सबध में विचार करने पर यह अंतर स्पष्ट हो जाता है। राज्यसत्ता वो कुछ अधिकार होते हैं जिन्हे संघसत्ता बढ़ाने अथवा घटाने में अनुर्धव है। ऐसा बरने वाली एकभाव जिन्हे संघसत्ता ही है जब जि उनमें इस दृष्टि से संशोधन किया जाता है और यह ऐसी किया है जिसकी पूर्ति संघ का निर्माण करने वाले विभिन्न गण्डों की इच्छा जानकर ही हो भवती है। इस प्रकार, 'अमरीका ना संयुक्तराज्य' बहलाने वाले संघ में वर्जीनिया राज्य को ही लोगिए। इसे मविधान के हारा कुछ विषयों में पूर्ण अधिकार प्राप्त है। संघीय विधानमंडल (कांग्रेस) का कोई भी अधिनियम वर्जीनिया वो उम्मे अधिकारों से वहिन नहीं कर सकता जब तक कि संविधान में इस प्रयोजन से परिवर्तन न हो जाए (और अबेली कांग्रेस में ऐसा बरने की शक्ति नहीं है)। इमरी, एकात्मक राज्य में स्थानीय मत्ता नया बेन्द्रीय विधानमंडल के सबधों में तुलना कीजिए। 'यूनाइटेड किंगडम' कहलाने वाले एकात्मक राज्य में लदन-वाडटी कीमिन वो कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं, परन्तु ये मविधान के द्वाग त दी जाकर बेट्टमिस्टर में स्थित समद के अधिनियम द्वाग दी गई हैं।

बेस्टगिस्टर में मिथन ममद् विसी भी समय अपन स्वयं के अधिनियम से लदन बाड़ी कौमिल रा इन शक्तियों में समस्त या कुछ में वचित रह मरती है। अतर यही है कि अमरीका के संघवागज्ज्ञ भी प्राप्तेम पिन्ही भी परिस्थितिया में वर्जीनिया राज्य का समाप्त नहीं रह मरती, परन्तु यूनाइटेड किंगडम की समस्त लदन काड़ी कौमिल का विसी भी उच्चतर शक्ति से पूछे गिना ही तोड़ मरती है।¹

मक्केप में, यदि बेन्द्रीय मत्ता के अधीन काई ऐसी मत्ताएँ हैं जिनमें वह (संविधान में निर्धारित मार्ग से भिन्न रूप में) केवल विधिनिर्माण की माध्यारण प्रतिवाआ से हस्तदेष परन्तु भ शक्तिहीन है, तो वह बेन्द्रीय मत्ता संघीय मत्ता है और वह राज्य, जिस पर उम्का ऐसा सीमित अधिकार है संघीय राज्य है। इसके पिरीत यदि बेन्द्रीय मत्ता के अधीन ऐसी मत्ताएँ हैं जिन्हें वह अपनी डच्छा से स्थापित अथवा समाप्त कर रखती है तो वह गवर्नर्च मत्ता है, और वह राज्य, जिसके भीतर उका ऐसा असीमित अधिकार है एकात्मक राज्य है। अब हम आधुनिक विश्व के कुछ महत्वपूर्ण एकात्मक राज्यों का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

4. एकात्मक राज्य के रूप में यूनाइटेड किंगडम का विकास

यूनाइटेड किंगडम का विकास ऐसे एकात्मक राज्य के विकास का एक उत्तम उदाहरण है जिसमें समावलत की प्रक्रिया सध के माध्यम से न होकर विलीनीकरण के माध्यम से हुई है। विलीनीकरण वी यह प्रक्रिया अत्यन्त प्राचीन काल से देखी जा सकती है। ट्र्यूटॉनिक आक्रमण के प्रथम वेग के पश्चात् तुरत ही इगलैंड में जितने लुटेरो के शुड थे उतने ही छोटे-छोटे राज्य बन गए तथा उन झुटा में जिनने गुड़िया थे उतने ही राजा बन गए। जैसे-जैसे ये आक-मण्डारी बढ़ते गए, व्यक्ति की निष्ठा वैयक्तिक भी जगह प्रादेशिक हो गई, और गोमन-कैलिक प्रिटेन की विजय की वास्तविक किया समाप्त होने से गूचे ही लघुतर राज्यों को बड़े राज्य अपने में मिलाने लग गए थे। मन 613 तक चेस्टर के पतन के साथ, जब वि हम इस विजय को पूरा हुआ समय सकते हैं,

¹ सन् 1960 में 'बृहत्तर लदन में स्थानीय शासन के लिए राजकीय आयोग (Royal Commission on Local Government in Greater London) ने उस क्षेत्र में बरो (Boroughs) के पुनर्गठन, सन्दर्भ काउण्टी कौसिल की समाप्ति और बृहत्तर लदन की कौसिल की स्थापना की सिफारिश की। सन् 1962 में सरकार ने इस योजना को समाविष्ट करते हुए एक विल प्रस्तुत करने के अपने इरादे की घोषणा की जो 1962 में विधि बन गया और 1965 में बता पर अमल हुआ।

आंतरिक दुर्व्यवस्था में से सात राज्यों (Heptarchy) का उदय हो चुका था और ब्रिटनों के साथ हुए वाह्य मध्यवर्ष का स्थान आवश्यकारियों के सात राज्यों के पारस्परिक आंतरिक संघर्ष ने ले लिया। बहुत ग्रीष्म ही यह सप्त-राज्य तिराज्य में बदल गया। इसके पश्चात् डेनो कर आवश्यक हुआ, परन्तु विलीनीकरण की त्रिया को रोकने के लिए यह भी पर्याप्त नहीं था। इन भी यही वम गए और अन्य लोगों की भाँति ऐसेकम वश के राजाओं के अधीन एक संयुक्तराज्य (United Kingdom) में समा गए।

नार्मनों की विजय से भी इंग्लैंड के राज्य के एकात्मवाद को बल प्राप्त हुआ, और वह लम्बे प्रक्रिया, जिसके पश्चात्वरूप इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड का एकीकरण हुआ, प्राप्त हुई। वेल्स को प्रथम एडवर्ड ने जीता था तथा वेल्स-संविधि (सन् 1283) ने निश्चिन रूप में उस देश को उसके बड़े निकटवर्ती देश में विलीन कर लिया। सन् 1603 में टच्यूडर वश की समाप्ति तथा स्टुअर्ट वश के, जिसका वश-संवध सीधा मस्तम हेनरी से था, राज्यासीम होने पर प्रेट्रिटेन का समस्त हीप एक राजा के अधीन संयुक्त हो गया। परन्तु इससे एकात्मक राज्य का निर्माण नहीं हुआ था। अधिक-से-अधिक वह एक बैयकितव एकीकरण था जो कि दोनों के लिए एक ही राजा के रूप में प्रबन्ध हुआ था। इसके उपरान्त सन् 1707 के ऐक्य अधिनियम (Act of Union) ने इन दो राज्यों को एक पूर्ण इकाई में परिवर्तित कर दिया। इन दो राज्यों ने एक संधि की, परन्तु इस संधि द्वारा प्रत्येक ने दूसरे को आत्मसात् कर लिया। उनकी राज्यों के रूप में पृथक् सत्ता उसी समय से मिट गई। यह इंग्लैंड की (जिसमें वेल्स भी सम्मिलित था) तथा स्कॉटलैंड की समझों का एकीकरण नहीं बल्कि एक नई समृद्ध की स्थापना थी जिसके अन्तर्गत दोनों राज्य थे। ऐक्य अधिनियम, संधि तथा संविधि दोनों ही था। ज्योही दोनों समझों ने इसे स्वीकार कर लिया, संविदावर्त्ता पक्ष विद्यमान नहीं रहे और इसलिए इस संधि का अन्त हो गया। यह प्रेट्रिटेन के राज्य की संविधि-संहिता (Statute Book) में एक मान्य अधिनियम बना रहा।

सन् 1800 में इसी प्रकार वा विलीनीकरण प्रेट्रिटेन तथा आयरलैंड में हुआ। आयरलैंड संदीनित रूप से बाह्यवी जनाददी में द्वितीय हेनरी के दिनों से तथा बास्तव में पन्द्रहवी जनाददी के अन्त में मध्यम हेनरी के बाल से अंगरेजी राजमत्ता के अधीन एक प्राप्त था। सन् 1872 में आयरलैंड को विधायी स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, परन्तु यह अवस्था टूट गई और सन् 1800 में द्वितीय ऐक्य अधिनियम पारित हुआ। यही भी कुछ समय के लिए दो राज्य संधि करने के लिए मिले और पिर पृथक् मत्ताओं के रूप में लुप्त हो गए। इस भाँति सन् 1800 से प्रेट्रिटेन तथा आयरलैंड वा संयुक्त राज्य विद्यमान रहा है और इसके विवाह

वी प्रतिया में जरा-मा भी सधीय तत्त्व नहीं रहा। न इगलैंड, न स्वाफ्टलैंड और न आयरलैंड किसी की भी, अन्यीहुन राज्य में भी, प्रभुमता नहीं रही, इनमें से प्रत्यक्ष एक स्थापक राज्य में बिलीन हा गया।

यह मत्य है कि स्वाफ्टलैंड तथा आयरलैंड की विशिष्ट विधियाँ जो कि यूनियन के पूर्व दाना देशा भ जारी थीं, विद्यमान रही चिन्तु बेदत उसी सीमा तक जिस तक कि वे यूनियन के निवन्धनों के अनुरूप थीं और उस समय तक जहाँ तक कि उनका संयुक्त राज्य को समद् न—और यह एक महत्वगूण बात है—निरमन नहीं कर दिया। और यह भी मत्य है कि उग समय के उपरान्त यूनियन समद् द्वारा पारित कुछ अधिनियमों में स्वाफ्टलैंड तथा आयरलैंड का विशेष रूप से उनका धोका स पर रखा गया है और कुछ अधिनियम उन दशा में स हर एक को पृथक् रूप से लागू हुए हैं। परन्तु यूनियन के दाना अधिनियमों के निमानाजा की यदि यह इच्छा रही भी हा कि इन अधिनियमों के उपरान्त अपरिवर्तनीय रहे तो वह परीक्षण करने पर विवक्षुल न्यायक मिद्द हुई है और इन अधिनियमों द्वारा आगामी सप्तदो को वाय्य बरते लिए, परिवर्तन अपरिवर्तन रहा भी हा तो वह अमफल ही रहा है, क्याकि इन दोना देशों में धर्म में गमध रम्भन बाले अधिनियम, जिन्हे स्थायी रखना अभियेत था, तज में निरमिन अवदा मणोधिन कर दिए गए हैं। वह एकमात्र मार्ग, जिसके द्वारा संयुक्त समद् का इन एक अधिनियमों में निर्दृष्टक्षेप मुनिष्ठित विया जा सकता था, ऐस किसी विशेष निकाय को कायम रखना हा सबना या जा कि उनकी रक्षा अवदा उनमें परिवर्तन कर सकना, परन्तु ऐसी अवस्था में विटिश समद् की प्रभुता की पूर्णता भ की हो जाती और तब यह संयुक्त राज्य एकात्मक राज्य नहीं रहता बलि सधराज्य बन जाता। सन् 1922 में आयरिश स्वतन्त्र राज्य और 1927 में आयरिश गणतान्त्र भी स्थापना से संयुक्त राज्य का धोका कट गया, परन्तु इससे उम्मे राजनीतिक स्वरूप पर मूलभूत रूप से काई प्रभाव नहीं पड़ा, क्याकि जो कुछ शेष रहा वह प्रेट क्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड के संयुक्त राज्य के नाम से एक एकात्मक राज्य बना रहा।

विटिश मान्यता तथा राष्ट्रमण्डल के विकास तथा राजनीतिक संगठन में भी सधाराद के सिद्धान्त का इसी प्रकार अभाव है। कामनबेल्य के सविधान जैसी वस्तु की चर्चा अमम्भव है, क्योकि ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है। यूनाइटेड किंगडम का एक सविधान है और इसी भाँति प्रत्यक्ष कामनबेल्य-देश का भी अपना-आपना सविधान है। उननिवेश को स्वशामन का प्रत्यक्ष अनुदान सप्तद् के अधिनियम से हुआ है, ठीक उसी प्रकार जैसे राज्य के अन्दर एक काउण्टी या वरों की स्थानीय मत्ताएँ दी गई हैं। पुराने स्वशारी अधिराज्यों की परम्परागत मियति भी यही थी क्याकि उनके सविधान प्राविधिक दृष्टि से विटिश पार्लमेण्ट

के अधिनियमा द्वारा प्रदत्त थे। एसलू वास्तव में, अधिराज्य (डॉमिनियन) पद विभिन्न अधिराज्यों में राष्ट्रीयता की बद्धमान भावना का आदर बरते हुए प्रदान किया गया था और इस तरह इस पद को प्रदान करने वाले अधिनियम का, प्रत्यक्ष अवस्था में, स्वरूप संविधि की अपेक्षा सन्ति का अधिक था।

बनाड़ा, आस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अफ्रीका के विषय में जो बात उपलक्षित थी, वह आपरिश फ्री हेट के सबध में स्पष्ट थी। इस राज्य का संविधान वास्तव में एक ऐसी संधि पर आधारित था जिसने गृहगृह की स्थिति को समाप्त किया और जो सन् 1922 में चेट ग्रिटेन तथा दक्षिणी आफ्रिकैंड (जिसे सन् 1937 में नया संविधान के प्रदानाने के उपरान्त से सरकारी तौर पर आपर या आपरसेंड गणनव कहा जाता है) क बोच में हुई और जिसका विटिश संसद् तथा आपरिश संविधान सभा ने अनुमोदन किया। इस संविधान की प्रस्तावना में पहुँचति है कि—

'यदि उक्त संविधान का बोई उपबंध अवश्य उत्तरका बोई संयोगन अवश्य तदर्थित निश्चित कोई विधि किसी भी रूप में अनुसूचित संधि के किसी भी उपबंध के विरुद्ध हो तो वह केवल ऐसी विरुद्धता की सीमा तक पूर्णरूप से शून्य तथा अप्रवर्त्तनीय होगी।'

इस राष्ट्रीयता की माँग को पूरा करने के केवल दो ही सम्भव मार्ग थे। इनमें पहला मार्ग यह था कि सम्पूर्ण साम्राज्य को एक संघ बना दिया जाय जिसके समस्त बग द्वारा बराबर हो। आपर के संविधान में निश्चित रूप से स्थापित स्थिति उस विवाद वी चरम सीमा थी जो वास्तव में सन् 1783 में अमरीकी उपनिवेशों के पृथक् हो जाने से प्रारम्भ हुआ था। प्राचीन साम्राज्य के उस विघटन के अधीक्षत ने पहले एवं ऐसे पराजयवादी तर्क बो जन्म दिया जो कि 'पके फल का सिद्धान्त' कहलाया, अर्थान् उपनिवेशों का अपने मूल देश से वही सबध है, जो फल का वृक्ष से है, जब वे एवं जाने हैं तो प्रहृति के नियमानुसार गिर ही जाते हैं। प्रत्येक साम्राज्यसंघी संकट के समय यह सिद्धान्त बुद्ध राजमर्मज्ञों तथा विचारकों के महिलाओं में बराबर उठता रहा है। सन् 1870 में समाधान का यह तरीका अपनी चरमसीमा पर पहुँच गया और तब उसके स्थान पर संघ के लिए एक जोरदार आन्दोलन चल पड़ा, जो शनाव्दी के अत तक विसी-न-विसी रूप में चलना रहा। दूसरा रास्ता वही था जो कि वास्तव में अपनाया गया। यह मार्ग, वास्तव में, राज्यमण्डल (कॉमनवेल्थ) के विभागों वाला वो मिलाफ़र एंड मानप्रिय संघर्ष स्थापित करने का था जो एवं सामान्य राजनीतिक राय से उत्पन्न आदर्शों एवं हिंतों वी गमानना से प्रेरित है, राजपद के प्रति सामान्य निष्ठा के बारण दृढ़ है, और जो यदा-न-दा होने वाले मामाजिव गम्भेलनों तथा नुच्छ दिनों से कॉमनवेल्थ के प्रशान्त मत्रियों की ममता-ममता पर होने वाली गालियों द्वारा बायम

रहा जा रहा है। परन्तु यह मथुर रियाँ भी इस ने एक राजनीति द्वारा इस निर्माण नहीं करती, व्यापिक व्यापक देश का अपनी परवान्धनीया एवं प्रतिरक्षण-ध्यानस्था पर पूर्ण अधिकार है जहां विदेश में आज ऐसे के प्रतिनिधि रहता है और हर एक वीं गयुन राष्ट्र में पूर्व सदस्याओं हैं।

आपरिश निधि के पश्चात् घटनाकालीन तीव्र गति के पक्षमत्त्व डामिनियन पद (Dominion Status) का स्वाक्षरता दृजा और गत् 1926 के माझ्या जियर गम्भेलन में डामिनियन के अधिकारों का इन शब्दों में स्पष्टतापूर्वक प्रस्तुत किया गया 'य (डामिनियन) विशिष्ट गांधारी एवं प्रतांगी स्वायत्तशासी सामाजिक है, जो गम्भान देखिया करता है जल यदृच्छा वाहनी सामना में रियाँ भी हैं एवं इस दूसरे के अधीनस्थ नहीं हैं यद्यपि य राजपद (Crown) के प्रति रामान्य निष्ठा के द्वारा समृद्ध है और विशिष्ट राष्ट्रमहत के सदस्यों के स्वयं में दोषित हैं।' इसके अतिरिक्त गत 1926 के माझ्याजिह गम्भेलन के पक्षमत्त्वप कियी भी डामिनियन में गम्भार जनरल विटिंग गम्भार (विटिंग मविष्टडन) का प्रतिनिधि नहीं रहा और बामनां भारत गम्भार अधिकारी की तरह एक उच्चायुक्त (हाई विमिनर) नियुक्त रहना आवश्यक हा गया। इन स्थ-शासी डामिनियनों ही पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करने वाले इन विदेश का गत् 1931 में वेस्टर्नफिल्टर की गविधि के द्वारा गविधीय जिति प्रदान ही गई।

इस गविधि का 'गत 1926 तथा 1930 में हुआ माझ्याजिह गम्भेलनी द्वारा स्वीकृत राजिय परम्पराओं को प्रभावी बनाने वाले गांधारी गम्भूं के अधिनियम' कहर बोलने किया गया है। इस गविधि की प्रभावीता में गम्भित डामिनियनों का नाम दिया गया है। इनम बनाडा का डामिनियन, आरट्रेलिया की बामनवेल्य, न्यूजीलैंड ता डामिनियन शामिल हैं।¹ प्रभावीता में और बातों के गाथ यह भी रहा गया है कि "राजपद विटिंग राष्ट्रमहत के सदस्यों के स्वतन्त्र संघोंग ता प्रतीक है", 'वे राजपद के प्रति गांधान्य निष्ठा द्वारा समृद्ध है' और "यह बात स्थापिता साक्षात्कारिता परम्परा के जु़ूम है" कि यूनाइटेड रिग्नटम की गराद के द्वारा नियमित पार्टी भी विधि तय तर उस डामिनियनों में से किसी को उस डामिनियन की विधि के भाग के स्वयं में लागू नहीं होगी जब तक कि उस डामिनियन जिन तरह तो प्रारंभना न करे तथा इसके लिए सम्मति न दे।"

¹ उस समय इनमें स्थानियन ऑक्स राज्य अफ्रीका, तथा आपरिश, की रहें (ये दोनों आगे घलवर गणतन्त्र बन गये और फॉस्मनवेल्य से हट गया। और न्यूफ़ाउण्डलैण्ड भी शामिल थे। गत् 1919 में न्यूफ़ाउण्डलैण्ड बनाडा के डामिनियन में शामिल होकर उसका बराबरी प्राप्त बन गया।

इस संविधि की दूसरी, तीसरी तथा चौथी धाराएँ इतनी महत्वपूर्ण तथा स्पष्ट हैं कि वे पूर्ण रूप से उद्भृत किए जाने योग्य हैं —

‘ 2 (1) औपनिवेशिक विधि मान्यीकरण अधिनियम (1865) (Colonial Laws Validity Act) इस अधिनियम के प्रारंभ हात के पश्चात् किसी भी डॉमिनियन की संसद् के द्वारा निर्मित किसी विधि को लागू नहीं होगा ।’

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ हाने के पश्चात् किसी भी डॉमिनियन की संसद् द्वारा निर्मित कोई भी विधि और किसी भी विधि का कोई भी उपयोग इस आधार पर गूच्छ या अप्रवर्त्तनीय नहीं होगा तिं वह इंगलैंड की विधि के अथवा यूनाइटेड रिंगडम की संसद के किसी विविध अथवा भावी अधिनियम के अथवा ऐसे अधिनियम के अधीन निर्मित किसी आदान, नियम या विनियम के विरुद्ध है और किसी भी डॉमिनियन की संसद की शक्तियां के अन्तर्गत ऐसे अधिनियम, आदेश, नियम या विनियम वो निरसित या सशाधित करने की शक्ति उस सीमा तक है जहाँ तक तिं वह उस डॉमिनियन की विधि का भाग है ।’

3 इसके द्वारा यह घोषित तथा अधिनियमित किया जाता है कि डॉमिनियन की संसद् को राज्यक्षेत्रातीत प्रवर्त्तन वाली विधियाँ बनाने की पूरी सत्ता है ।

4 इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् पारित यूनाइटेड रिंगडम की संसद् का काई भी अधिनियम उक्त डॉमिनियन का तब तक उक्त डॉमिनियन की विधि के रूप में लागू नहीं होगा अथवा लागू हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक तिं उस अधिनियम में यह स्पष्टतया घोषित न हो कि डॉमिनियन न उसके अधिनियमन के लिए प्राप्तना की है तथा सम्मति दी है ।’

उपनियम धारा भे डॉमिनियन तथा उपनिवेश के बीच के भेद का यह कठवर स्पष्ट किया गया है कि ‘इस अधिनियम के प्रारंभ हो जाने के पश्चात् यूनाइटेड रिंगडम की संसद् के किसी भी “अधिनियम में उन्निखित ‘उपनिवेश’ शब्द के अन्तर्गत काई डॉमिनियन या उस डॉमिनियन का काई प्राप्त या राज्य नहीं होगा ।”

इस मत्रमें यह स्पष्ट हो जाना है कि राजपद ही एक्य स्थापित करने वाली एकमात्र सत्ता है और डॉमिनियन का गवर्नर-जनरल प्रत्यक्ष रूप से रानी का प्रतिनिधि है और डॉमिनियन वीं गमदू वे समझ उन्हीं स्थिति ठीक बैठी ही है जैसी तिं यूनाइटेड रिंगडम वीं संसद् के समझ रानी वीं है । ‘यूनाइटेड रिंगडम

में हर मेजेटी की सरकार', 'ननाडा के डामिनियन में हर मेजेटी की सरकार' आदि इन औपचारिक अभिव्यक्तियों वा यही अर्थ है। इस तरह यूनाइटेड विगडम की तरह भाँमनवेत्त्व ने प्रत्येक देश का अपना-अपना संविधान है। अवगिष्ठ तीन श्वेत स्वशासी डामिनियनों में से न्यूजीलैंड एक एकात्मक राज्य है, औस्ट्रेलिया और कनाडा सधीय राज्य है (इनका बर्णन अगले अध्याय में किया जायगा)। अभी हम पहले न्यूजीलैंड का बर्णन करेंगे और पिछे योरोपीय महाद्वीप के दो प्रमुख एकात्मक राज्यों का बर्णन करने के पहले आपर और दक्षिणी अफ्रीका की स्थिति देखेंगे जो अब ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं रहे।

5 न्यूजीलैंड का एकात्मक राज्य

ब्रिटिश अधिपत्त्व में न्यूजीलैंड का इतिहास भन् 1840 से प्रारम्भ होता है जब वि यह धैर्य हृषि से ग्रेट ब्रिटेन में मिला लिया गया था और मावरियों से सधि न कर ली गई थी जिसमें उन्हे अपनी भूमि पर कब्जा बनाए रखने की गारटी दी गई थी। भूमिस्वामित्वसंवधी मावरियों के मुद्द सन् 1870 में समाप्त हो गए और उसने उपरात से मावरी लोग गोरे के साथ मिलकर रह रहे हैं तथा अब वे उनके विनेपाधिकारों के भी भागी हैं। मावरी अवने में से चार व्यक्तियों को प्रतिनिधि-सभा में सदस्य बनाकर भेजते हैं और कुछ वर्षों से यह भी परम्परा हो गई है कि कम-से-कम एक मावरी मतिमंडल का भी सदस्य होता है। साम्राज्यिक ससद् के दो अधिनियमों के द्वारा पहले (सन् 1853 में) एक निर्वाचित विधानमंडल और इसके उपरात (सन् 1856 में) उसके प्रति उत्तरदायी मतिमंडल की स्थापना हुई। इन अधिनियमों ने वैधानिक हृषि से उस प्रथा को नहीं छोड़ा जो कि वहाँ कुछ वर्षों से चालू थी, जिसके अनुसार शासन के बहुत-से कृत्य प्रातीय परिपदों के द्वारा सम्पादित होते थे। ऐसी परिपदे एक प्रात में एक होती थी। पहले ये सभ्या में दृह थी, परन्तु बाद में नी हो गई, और चूंकि संविधान में संशोधन करने की शक्ति सम्पूर्ण हृषि से (साम्राज्यिक ससद् की शक्तियों के साधारण सुरक्षण के सहित) विधानमंडल में निहित थी, अतः, डामिनियन की स्थित ही यह निश्चित करना था कि क्या वह प्रातीय प्रणाली को कायम रखकर संघराज्य के हृषि में अपना विकास करेगा।

जैसा कि अत में हुआ, सन् 1853 के अधिनियम के द्वारा स्थापित तथा तीन वर्षों के उपरान्त द्वितीय अधिनियम द्वारा दूँकीदृढ़त ससद् वेन्ड्रीयक रूप करने वाली ऐसी प्रबल शक्ति सिद्ध हुई कि सन् 1876 तक प्रातीय पद्धति सम्पूर्ण हृषि से रामाप्त हो गई और न्यूजीलैंड निश्चित हृषि से एकात्मक राज्य बन गया जिसकी केन्द्रीय सरकार किसी भी अधीनस्थ प्रभुत्वपूर्ण निकाय को स्वीकार नहीं करती। न्यूजीलैंड का राजनीतिक भविष्य विभेद हो सकता था, क्योंकि वास्तव में उसका

नाम आस्ट्रेलिया की कॉमनवेल्थ की स्थापना वरने वाले मूल विधेयक में उल्लिखित था। उस समय कामनवेल्थ के भाग होने वाले उपनिवेशों के रूप में 'राज्य' शब्द की परिभाषा करते हुए विधेयक की धारा 6 म न्यूज़ीलैंड का यह सिखकर समिलित किया गया था कि यदि यह किसी भी समय कामनवेल्थ का भाग हो या हो जाय। परन्तु यह योजना अन्त में, कार्यान्वित नहीं हुई और न्यूज़ीलैंड का एक एकात्मक राज्य का रूप म पृथक् अस्तित्व बना रहा।

6. आयर

आयर एकात्मक राज्य का एक दिलचस्प उदाहरण है। यद्यपि यह एक राजनीनिवृत्त इकाई है तथापि उसकी सीमा आयरलैंड कहलाने वाली भौगोलिक इकाई की सीमा से नहीं दिननी। ग्रेट ब्रिटेन के भाग आयरलैंड के कई जनाधिकारों के सम्पर्क में (इसे आयरिश लोग निस्सदैह अधीनता कहेंगे), यह सदा ही एक इकाई के रूप में भगवा गया और समद व समस्त विधेयकों तथा अधिनियमों में, जिनमें उसका उल्लेख था उस देशा ही भाना गया। आयरिश समस्या को हल करने में जो अगफनना मिली उसके कारण से देश निस्सदैह यह भी एक धू, क्याकि ऐसा करना बलह के अत्यन्त गभीर ऐतिहासिक कारणों की उपेक्षा बरना था। यह कलह उत्तरी आयरलैंड (या अल्स्टर) तथा जैप आयरलैंड के बीच जानि, घटने तथा जादर्णा से सवधित मूलभूत मतभेद के कारण था। ब्रिटिश हीप्रस्ताव हूँ वो आलरिक शानि के मागे भे डपम्यत इस शासकत वादा पर विजय प्राप्त करने का प्रत्यक्ष प्रयत्न इस लघुतर द्वीप के इन दोनों भागों के विराध के कारण विफल हुआ। ग्लास्टन व प्रशासनों के समय के गृहणानन विधेयक (Home Rule Bills) वभी भी अधिनियम का रूप प्रहण न कर सके और जन् 1914 म जैसे-सैस करने एक विधेयक पारित हुआ जो मन् 1912 में प्रस्तुत विदा गया था, और जो समर्दीय अधिनियम हारा सामना (लॉइंग) की शक्ति कम होने पर पारित हो सका था], ता यह भी प्रथमत अल्स्टर के विरोध के कारण तथा द्वितीयत प्रथम विश्वयुद्ध के अवस्थान् छिड जान के कारण प्रभावहीन ही रहा।

उस महायुद्ध के समाप्त हान पर ही ब्रिटेन को आयरलैंड को एक के बजाय दो इकाई समझन की आवश्यकता का अनुभव हुआ, जिनु अब बहुत विलम्ब हा चुका था, क्याकि इस महायुद्ध के दोसान में नया इग्ने परवान् दिलिणी आयरलैंड की अगानि लदा विद्रोह के कारण शुरानी पढ़नि वाला गृहणानन स्पष्टत पुराना पड़ गया था और इसी कारण विश्वुत ही अस्तीतार्थ हा गया था। तथापि गन् 1920 में एक अधिनियम पारित हुआ, जिन प्रथम वार आयरलैंड को दो भागों म बोट दिया। इस अधिनियम का बेबत उत्तरी आयरलैंड न स्वीकार

विधा और इसके उपचारों के अनुसार वह भाग जब भी शासित हो रहा है। एक पिनाशनारी गृहयुद्ध के पश्चात् दक्षिणी आयरलैंड जिस एकमात्र हल को स्वीकार करने को तैयार था वह डाक्मिनियन गृहयासन था। यह सन् 1922 ने उस अधिनियम के अनुसार प्रदान किया गया जो युद्ध समाप्त करने वाली संधि के बाद पारित हुआ और उस प्रकार आयरिंग पी स्टेट की स्थापना हुई। इस संधि में, जिसके आधार पर इसकी स्थापना हुई, उत्तरी आयरलैंड को यह अधिकार भी दिया गया कि वह आयरिंग फी स्टेट म मम्मिलिट होन स इनकार बर संवेगा तथा सन् 1920 के अधिनियम के अधीन शामिल रह सकेगा। ऐसा ही उसने किया भी। इस भौति आयरलैंड न ऐसे दा भागा मे विभाजित हान का विचित्र उदाहरण प्रस्तुत किया जिनम से एक भाग कनाडा अथवा आस्ट्रेलिया का समान स्वतंत्र है और हमारा अपनी स्वयं की इच्छा स स्थानीय स्वायतता भाव का भोग रहा है और अब भी वेस्टमिस्टर स्थित सम्बद्ध मे सदस्य भेज रहा है।

आयरिंग स्वतंत्र राज्य के लिए, जिसका नया नाम आपर हुआ, एक नया संविधान जिसे विगत जुलाई मे जनमत संग्रह हारा जनता न स्वीकार कर लिया था 21 दिसम्बर सन् 1937 को प्रवृत्त हुआ। इस नय संविधान ने गवर्नर-जनरल के पद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर आयरलैंड (आयर) के प्रेसीडेंट के पद वी प्रतिष्ठा भी, यद्यपि उस समय प्रिंटेन का राजा उपलक्षित रूप मे तब तब आयरलैंड का राजा भी भाग्य किया गया जब तब कि वह 'साथी डॉक्मिनियनों द्वारा उनके महायोग वी प्रतीक' स्वीकार किया जाता रहे। ऐसा समझा जा सकता था कि इस सोमा तक आयर विटिंश राष्ट्रमंडल से अपना संबंध बनाए हुए है परन्तु द्वितीय महायुद्ध मे, जब कि परीक्षण का समय आया वह अनेकनामन से नहीं बरच कड़ाई के साथ तटस्थ रहा। यह भी एक तथ्य है कि रान् 1937 के संविधान की भाषा ऐसी थी कि वह एक स्वाधीन भणतंत्र के लिए लागू होती थी। थी दी० बेलरा ने इस पर हुए बाद विवाद के अवसार पर कहा भी था कि यदि आयरलैंड को गणतंत्र घोषित करना हो तो इसमे एक विरामचिह्न के परिवर्तन की भी आवश्यकता नहीं होगी। उनके शब्द भविष्यवाणी के समान सिद्ध हुए, क्योंकि अक्तूबर सन् 1948 मे आयर के प्रधान मंत्री न बैद्यशिक संबंध अधिनियम को निरसित करने की साधारण प्रविधि के द्वारा प्रिंटिंश राष्ट्रमंडल से अतिम औपचारिक संबंध तोड़ने के बारे मे अपनी सरकार के द्वारा की घोषणा थी। यह एक ऐसा नदम था जिससे सन् 1949 मे स्वतंत्र आयर गणतंत्र की स्थापना हुई। इस संविधान की शाब्दिक रचना अन्त मे "भमस्त राष्ट्रीय राजग्रहेत के पुन समाक्षन" भी आशा मे इस प्रकार की गई थी कि वह एक एकात्मक राज्य के रूप मे समरूप आयरलैंड को लागू होता था।

७. दक्षिणी अफ्रीका

दक्षिणी अफ्रीका का यूनियन एकात्मक राज्य का कुछ ऐसा विचित्र उदाहरण है जिसके राजनीतिक संगठन वे कुछ पहलुओं में सधीय रूप दिखाई पड़ता है। वास्तव में इसमें सघवाद की मादा इतनी न्यून है कि उसे सघवत राज्य भी कहना विलकुल गलत होगा। दक्षिणी अफ्रीका के उम्मीदों लिए तथा वाद-विवाद, के, जिसके पलस्वरूप सन् १९१० में इम यूनियन की स्थापना हुई, आधार पर कोई भी यह अनुमान लगा सकता था कि वहाँ बनाडा अथवा आस्ट्रेलिया जैसे किसी नमून की सधीय प्रणाली का अपनाया जाएगा और उस समय कुछ दक्षिणी-अफ्रीकी राजमर्यादा ने ऐसी सधीय प्रणाली की निरसदेह बल्यता भी की थी। किन्तु वहाँ की राष्ट्र जातिया तथा प्रजातिया के बीच के सघर्षों की सीवता से उत्पन्न शासकीय कठिनाइयों के खारण उसके संविधान का मसोदा तैयार करने वाले सम्मेलन को बेन्द्रीय शामन को मध्यसंघ शक्तिशाली बनाने वाला संविधान निर्मित करने के लिए बाल्य होना पड़ा। जैसा कि अब तक स्पष्ट हो जाना चाहिये बेन्द्रीय शामन, सघीय प्रणाली की अपेक्षा, एकात्मक प्रणाली में बहुत अधिक शक्तिशाली होना है।

अब, दक्षिणी अफ्रीका का यूनियन उन चार रिभिन्स प्रदेशों का बना होने पर भी, जिनमें कुछ ही समय पूर्व परस्पर युद्ध चल रहा था, वास्तव में एकात्मक राज्य है, जिसके बेन्द्रीय शामन पर किसी प्रकार के अधीनस्थ नियंत्रण के अस्तित्व के द्वारा काई प्रतिबंध नहीं हैं। चारों मूल उपनिवेशों में से अत्यवधि—जो कि यूनियन निर्माण करने वाले अधिनियम के द्वारा प्रात बने और वैष आदि गुड होप, नेटाल, ट्रास्ट्रील तथा ऑरेंज प्री स्टेट कहलाए—एक प्रातीय परिपद है, जिसकी शक्तिशाली संविधान में उल्लिखित हैं, किन्तु उल्लेख के उपरान्त ही यह कथन भी है कि—

“प्रातीय परिपद के द्वारा बनाया गया कोई भी अध्यादेश प्रान्त में तथा उसके लिए तभी तक और वहाँ तक ही प्रभावी रहेगा जब तक और जहाँ तक वह (यूनियन की) समूद्र के अधिनियम के प्रतिबूल न हो।”

इस भाँति दक्षिणी-अफ्रीकिया ने केन्द्रियनों और आस्ट्रेलियनों का अनुमरण न करते हुए सन् १९०७ में अंगरेज नायर स्कॉट्स ने जैसा किया था, उसी का अनुमरण किया। सघवाद की कुछ अल्प मिनट में दिखाई देनी हैं जिनके सदस्य (नाम निर्दिष्ट मदस्यों को छोड़कर) प्रत्यक्ष प्रान्त में निर्वाचित होते हैं। परन्तु ये मदस्य उम्मीदों का प्रतिनिधित्व नहीं करते जैसे मध्यूक्तराज्य अमरीका में मिनेटट क्षमता रखते हैं। इसकितर लगे यह है कि इस प्रश्नोऽपन के लिए दक्षिणी अफ्रीका के प्रान्त केवल निर्वाचित-सौन्दर्मात्र हैं।

एकात्मक राज्य के रूप में दक्षिणी अफ्रीका के यूनियन में ऐसी अनेक जटिलताएँ हैं जिनका यूरोपीय देशों का तथा बनाड़ा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रवेत स्वशासी डॉमिनियनों को कोई अनुभव नहीं है। ये जटिलताएँ प्रजातीय गमस्याओं तथा यूनियन के धोर के अन्दर तथा उसके उत्तर में जो प्रदेश ग्रिटन के अधीन हैं उनके दर्जे से सबधित सदेहों से उत्पन्न हुई हैं। उदाहरण के लिए यूनियन में जातिभेद के सिद्धात पर अमान बिया जाता है यद्यपि इसके धोर के अन्तर्गत स्वजीलैंड का सुरक्षित प्रदेश और व्यूटोनैंड का प्रदेश है और बिल्कुल उत्तर में लगा हुआ वेचुआनालैंड का सरक्षित प्रदेश है। इन गवर्ना नियमण वेस्टमिस्टर रो एक हाई कमिशनर द्वारा होता है जो इग गणतंत्र में ग्रिटिंग राजदूत भी है। इसने अतिरिक्त पिछले जर्मन उपनिवेश—दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका—की स्थिति का भी प्रण रहा है, जिसके लिए उसने यूनियन, सीग और नश्नम के मूल प्रादेश के अधीन उत्तरदायित्व स्वीकार किया था। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् यूनियन सरकार की नीति संयुक्त राष्ट्र की अमानत (Trusteeship) की योजना के होते हुए भी इस प्रदेशाधीन प्रदेश को यूनियन में मिलान की हो गई। इस नीति का अनुसरण करते हुए उसने अपना दावा सन् 1946 में हेग-स्थित अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रस्तुत किया, परन्तु वह उस योजना के सबध में उत्तर न्यायालय का निरपेक्ष अनुमोदन प्राप्त नहीं कर सका। इस नियंत्रण के बावजूद, यद्यपि उसने दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका को विधिपूर्वक अपने में नहीं मिलाया, मिर भी वह उसे हाजर और असेम्बली (मध्या-भवन) सिनेट में स्थान देकर यूनियन की समसदीय प्रणाली में समाविष्ट करने को अप्रसर हुआ, और सन् 1950 में दोनों सदनों के नये सदस्य तादनुसार निर्वाचित भी किए गए। दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के अन्तिम दर्जे की समस्या का हल नहीं हुआ और 1965 तक दक्षिणी अफ्रीका उसे गणतंत्र में शामिल करने के अपने दावे पर जोर दे रहा था।

दोनों रोडेशियाओं ने भविष्य से सबधित सदेह ने यूनियन के लिए एक और चिन्ता उत्पन्न कर दी। किसी समय यह सोचा गया था कि दक्षिणी रोडेशिया, जो सन् 1924 में एक स्वशासी उपनिवेश बन चुका था, यूनियन में विलीन होने नहीं और अप्रसर हो रहा था, परन्तु वास्तव में वह उपनिवेश दूसरी दिशा में, उत्तरी रोडेशिया और न्यासालैंड के साथ साथ का निर्भय बरने की ओर जुका। यह सब वास्तव में 1953 में अस्तित्व में आ भी गया। जिन परिस्थितियों में इस सघ का निर्माण हुआ उनका बर्णन अध्याय 14 में बिया जायगा।

किन्तु सर्वाधिक उप्र समस्याएँ उस प्रजातीय पृथक्करण (Apartheid) की नीति से उत्पन्न हुई है जिसे यूनियन बड़ी निर्दयतापूर्वक बायान्वित कर रहा है। ऐसे पुग में जब नि अफ्रीका में राष्ट्रीयता की भावना उमड़ रही है और अफ्रीका के अनेक सोगों ने स्वतन्त्रता दी जा रही है, ऐसी नीति, सामाज्य रूप में

विश्वमत को आपात पहुँचाने के साथ ही, जटिल सर्वधानिक समस्याएँ विशेष रूप से विटिंग राष्ट्रमंडल के लिए उत्पन्न करती हैं। यह बात अलग है कि बॉमनबेल्य के प्रधानमंत्रियों में ही अप्रीकी प्रधान मंत्री भी हैं।^१ अत मध्ये सम्बन्धित पक्षों के लिए एक बड़ी भारी परेशानी पैदा करने वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पर यूनियन मरकार न निश्चय दिया कि इस भमस्या का एकमात्र हृत कामन-बेल्य का परित्याग है। अपने इस निश्चय के अनुमति उम्मन 1960 में इवते-भत्तदानाओं का जनमत समझ किया। जिसमें एक बहुत ही छोटा बहुमत (52 प्रतिशत) गणतन्त्र के पक्ष में रहा और इसके फलस्वरूप 1961 में यूनियन राष्ट्र-मंडल से अलग होकर गणतन्त्र बन गया। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका अब एक स्वतंत्र गणतन्त्र है और राष्ट्रमंडल का गदर्स्य नहीं है।

स्थिति वे इस परिवर्तन का गत् 1961 में 'दक्षिणी अफ्रीका' वा गणतन्त्र के गठन के लिए अधिनियम द्वारा साविधिक रूप दिया गया। और राजपद एवं गवर्नर जनरल के पद के स्थान में एक निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था भी गई तथा यस समय स दक्षिणी अफ्रीका सरकारी तौर पर यूनियन भी जगह गणतन्त्र (Republic of South Africa) कहलाने लगा। किन्तु नये अधिनियम से राज्य की आन्तरिक सरचना में काई परिवर्तन नहीं हुआ। वह सारभूत रूप में एकात्मक बना हुआ है। वास्तव में, बत्तमान प्रवृत्ति ज्ञासकीय सत्ता के वर्धमान बेन्द्रीयकरण की ओर दिखाई देती है।

४ फ्रांस का एकात्मक राज्य

एकात्मक राज्य राजनीतिक संगठन का ऐसा स्वरूप है जो प्राप्त निवालियों में, उनके इतिहास तथा भावना, द्वारा ही भी भूत, गहराई के साथ जमा हुआ है। प्रेंच राजतन्त्र व अत्यन्त प्राचीन समय से ही वहाँ के राजा भी, जिसकी प्रादेशिक शक्ति उसके अधीनस्थ सामनों के मुकाबले में पहले बहुत कम थी, नीति उन प्रदेशों को जो उसके अधीन नहीं थे, जीतवार अपने राज्य में मिला लेने, अर्थात् वास्तव में सामतवाद द्वारा पैदा की गई परिस्थिति द्वारा समाप्त कर देने, की थी। यह प्रक्रिया तब तक चल रही जब तक कि सामतगण राजनीतिक दृष्टि से अत्यन्त निर्बल नहीं हुए और चौदहवा लुई अधिक अतिशयोक्ति के बिना यह कह सका या कि 'राज्य में हूँ।' समस्त राजनीतिक शक्ति राजा में विनिर्दित थी, ऐसी स्थिति में इसे समाप्त करने वाली आनि का केंगा प्रलयकारी प्रभाव

¹ जुलाई 1961 में लम्दन में हुए बॉमनबेल्य के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में बॉमनबेल्य के 18 देशों के प्रतिनिधि आये थे और उनमें से बेवल तीन—प्राचा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड—मूल शब्द स्वशासी इंग्लिशन थे।

हुआ होगा इसे हम समझ सकते हैं। नये राज्य के आधार बनने वाले शक्तिशाली स्थानीय सम्प्रदायों का अभाव था। गण्डू ही एकमात्र नियम था। आत्म न बेन्द्रीयवाद की परम्परा तथा व्यक्तिगत अधिकारा और जनना वी प्रभुमत्ता पर जोर देने वाली विचारधारा वे अतिरिक्त काढ़ बात नहीं छाड़ी। इन परम्परा तथा विचारधारा का कभी भी अन्त नहीं हुआ और यही बाणी है वि जैमा एवं प्रेस्च लेखक न कहा है—फ्रांस की समस्त राजनीतिक प्रणालियाँ मदा स्वत ही और शोध्रता के गाय शक्तियाँ वी एवना एवं समरूपता की ओर आवश्यित होनी हैं।¹

ये समस्त मिदान्त तृतीय गणतन्त्र के समग्र में जो मन् 1875 से 1940 तक कायम रहा निहित थे। यद्यपि इम गणतन्त्र न समद पर जार देते हुए कुछ सीमा तक जनना वी प्रभुता को अम्पटना कर दिया था और प्रेसीडेट के निर्वा चन के लिए जनमत के प्रयाग को—जो प्रथा शक्ति म बहुत प्रचलित रही—अप्रचलित कर दिया था, तथापि उसने कालीसी राज्य को विवेन्द्रित नहीं किया। वह वास्तव मे राजनीतिक एकात्मता का पूर्णनम उदाहरण बना रहा। शामन की समस्त शक्तियाँ परिम म स्थित विधानमडल तथा कार्यपालिका के पास रही। कोई भी अधीनस्य प्रभुत्वपूर्ण निकाय नहीं थे। फ्रांस डिपार्मेंटा तथा वर्म्यूनो, एरानडाइजमेंटा एवं केटना (इनम से अतिम दो बेवल निर्वाचन-क्षेत्र मात्र थे) मे विभाजित था, परन्तु उनके रूप तथा उनकी सीमाएँ पूर्ण रूप से संविधियों पर अबलम्बित थी। ऐसी कोई रथानीय गता तथा ऐसा कोई प्रादेशिक विभाग नहीं था जिसे बेन्द्रीय सरकार अपनी इच्छानुसार ममाप्त न कर सकती थी। समस्त स्थानीय पदाधिकारियों की शक्तियाँ राष्ट्रीय विधि द्वारा निर्धारित थीं और उनके प्रत्येक कार्य वा बेन्द्रीय सरकार के एक प्रतिनिधि ग्रिफेट द्वारा पर्यवेक्षण होता था।

दोना विश्वयुद्धों के बीच के वर्षों मे फ्रांस मे गणतन्त्र वी राजनीतिक सम्प्रदायों के कार्य के सम्बन्ध मे पर्याप्त भावा मे सदेह तथा असतोष फैला हुआ था और असतोष की इन भावनाओं मे राज्य वी अतिवेन्द्रीयता की दमनकारिता की भावना भी थी। इसके फलस्वरूप सुधार भी विभिन्न योजनाओं मे एक प्रादेशिक चाव का आन्दोलन भी था, जिमका उद्देश्य फ्रांस को स्थानीय इकाइयों मे विभाजित करना और उन्ह वास्तविक रूप मे स्थानीय स्वायत्ता प्रदान करना था जिससे पि बेन्द्रीय सरकार को अपने अनेक भाँति के कार्यों मे मे कुछ से मुक्ति मिल सके। परन्तु उन असह्य समस्याओं के कारण जिनम फ्रांस की सरकार प्रयम विश्वयुद्ध के पश्चात फौंस गई थी, यह आन्दोलन सरकारी रूप मे अधिक प्रगति नहीं कर सका और द्वितीय महायुद्ध के पश्चात भी यह पुनर्जीवित नहीं हुआ। यह सच है वि अक्टूबर मन् 1946 मे हुए जनगत-राष्ट्रह द्वारा स्वीकृत चतुर्थ मण्डल के

संविधान में कुछ सीमा तक वैन्द्र की शक्ति को कम करने स्थानीय संस्थाओं को शक्ति देने की आवश्यकता वह न्तीय गणतन्त्र की अपेक्षा अधिक ध्यान रखा गया था। इस नये संविधान के दमके अध्याय में यह वहां गया है कि यद्यपि गणतन्त्र एवं तथा अविभाज्य हैं तो भी वह कम्यूनों तथा डिपार्टमेंटों के अस्तित्व को स्वीकार करता है, और सांविधानिक विधियों द्वारा उन्हें उन स्वतंत्रताओं के विस्तार वा, जिन्हें उन्होंने पूर्व में भोगा था आश्वासन देता है। परन्तु वास्तव में इससे बेबल यही मालूम होता है कि यह फ्रांस के स्थानीय शासन को मजबूत करने और राज्य के विभागों तथा स्थानीय प्रशासन की इकाइयों के बीच अधिक समन्वय सुनिश्चित करने के द्वारा ऐसे अधिक कुछ नहीं था। संविधान में समुद्र पार के अधीनस्थ प्रदेशों का मुक्त फ्रांस (Metropoliton France) से फ्रेंच संघ (French Union) नामक एक नये निकाय द्वारा सम्बन्ध जोड़ने की भी व्यवस्था की थी, परन्तु इससे भी पञ्च राज्य के सारभूत एकात्मक लक्षण में बोई अन्तर नहीं पड़ा।

उसके एकात्मक स्वरूप में पचम गणतन्त्र की स्थापना से भी, जिसका सितम्बर 1958 में जनसत्त समझौते में एक विजात बहुमत ने अनुमोदन किया था, बोई आधार-भूत प्रभाव नहीं पड़ा। जैसा हम आगे¹ देखेंगे, इस नये संविधान ने शासन-व्यवस्था में, विशेषकर कार्यपालिका के लिए भी, महत्वपूर्ण परिवर्तन किये और फ्रेंच संघ (French Union) का फ्रेंच समुदाय (French Community) के नाम से पुर्णगठन किया। परन्तु प्रेसिडेंट दगाल, यदि फ्रांस की राष्ट्रीय एकता का अद्यम समर्थक नहीं था तो कुछ नहीं था, हालांकि योरोपियन आयिक समाज (European Economic Community) की उभकी सदस्यता का को अध्य अन्तर्राष्ट्रीयता एक सष्ठ वा सदस्य होना था।²

9. इटली का राज्य तथा गणतन्त्र

एक स्वतन्त्र एवं संयुक्त इटली की स्थापना के लिए संघर्ष की गाथा एवं अर्थ में उत्तीर्ण पुरानी है जितना हि आस्ट्रोगोर्य शियोडोरिक का शासन (सन् 493-526) और दूसरे अर्थ में वह उत्तीर्ण ही नहीं है जिनने द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणाम। पश्चिम में रोमन साम्राज्य के दिघटन के पश्चात् एकीकरण का वास्तविक प्रयत्न बरते बाला पहला शासक शियोडोरिक था। इस सम्बन्ध में उम्मी नीति उम्मीसबी शताब्दी के मध्य में बाबूर के समय तक भी और विसी भी नीति से अधिक सफल रही। शियोडोरिक के पश्चात् जौदह शताब्दी तक भी यह संघर्ष चालू रहा जब ति इटली के लोगों ने प्रासिस्ट अधिनायक वाद के अधकार

¹ अध्याय 9 और 11 देखिये।

² अध्याय 15 देखिये।

तथा नाजी आधिपत्य की फौसी में अपने बो एक साथ मुक्त करने के लिए सघर्ष किया। इटली ने पश्चिम में रोमन माओराज्य के पतन से नेवर उम्मीदवी शताब्दी के इटालियन देशभक्तों—मेजिनी, वावूर, गेरीबाल्डी, राजा द्वितीय बिकटर इमेन्यूएल—वे उदयभाव नव के लम्बे अन्कालि में न तो अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और न एकता ही। उसने मन् 1815 में नेपोलियन के पतन से भी कुछ लाभ नहीं उठाया और इसके कुछ वर्षों के बाद भी उम्का अत्यन्त कुश्यात् दमनवर्ती खेटरनिक उसे 'एक अंगोलिक' प्रदेश ही बहता रहा। मन् 1848 में इटली के आठ राज्यों में से सात के जासकों को अपनी प्रजा को संविधान प्रदान करने को वाध्य होना पड़ा, परन्तु इसके पश्चात् की प्राति के विरह द्वारा बहुत प्रतिक्रिया में एक भाव सार्डीनिया ही अपने संविधान को जैसे-तैसे कायम रख भवा। वाकी सबको पुनरुज्जीवित आस्ट्रिया न बड़ी बड़ोरता से कुचल दिया।

सन् 1848 के सार्डीनिया के संविधान (Statute) का जीवित रहना, उस शताब्दी के मध्य की असफलनाओं के पश्चात् होने वाले राष्ट्रीय पुनरुत्थान (Il Risorgimento) और राजनीतिक एकीकरण के समय बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। सन् 1859 में सार्डीनिया ने फ्रास की सहायता सेकर आस्ट्रियनों को लोबार्डी से निकाल कर उस प्रदेश को सार्डीनिया में शामिल कर लिया। आगामी वर्ष में टुस्कनी और ऐन्ड्र की डिचियो ने उत्तरी भाग के साथ अपने संयोग की पोषणा की और उन्हे शामिल पर रिया गया। इसी समय गेरीबाल्डी, सिसिली तथा नेपल्त का, अत्याचारी चूर्कों बश से मुक्त वर रहा था, और सन् 1861 में दक्षिणी भाग उत्तरी भाग से मिल गया और प्रथम इटालियन सराद का ट्यूरिन में अधिवेशन हुआ। इस समय भी वैनिस तथा पोप के राज्य इस संयुक्त राज्य के बाहर थे। इनमे से पहला राज्य सन् 1870 के आस्ट्रिया-प्रश्ना युद्ध के परिणामस्वरूप और दूसरा राज्य सन् 1870 के फ्रास प्रश्ना युद्ध के दबाव के कारण रोम से फ्रासीसी सेना के बापस हटने से शामिल हो गया। इम भाँति उस समय द्रियस्ट तथा उसके उपरात-स्थान और ट्रेटीनों वे प्रदेश के मियाय व्यावहारिक स्पष्टी का एकीकरण पूर्ण हो चुका था। द्रियस्ट तथा ट्रेटीनों के प्रदेशों को इटली के लोग 'अ-मुक्त इटली' (Italia Irredenta) कहते थे। ये प्रदेश प्रथम विश्वयुद्ध के अन्त तक आस्ट्रिया के आधिपत्य में बने रहे और युद्ध के उपरान्त इटली के राज्य में शामिल हुए।

एकीकरण की यह त्रिकांग प्रक्रिया सब का रूप धारण कर सकती थी। प्रत्येक क्षेत्र कुछ अधिकारों नो अपने पास रख सेता तथा शेष अधिकारों को सामान्य लाभ के लिए सभीय सत्ता को समर्पित कर देता। निस्मन्देह, बहुत-से इटली-वासियों ने, जिनमे कावूर भी सम्मिलित है, एक समय सभ वी स्पापना करने का विचार भी किया था और तभी से कुछ लेखकों वा यह भी मत है कि इटली के

विभिन्न भागों के बीच विद्यमान इतिहास तथा परिस्थितियों की अनुकूलता को दृष्टि में रखते हुए यदि वहाँ भविष्य व्यवस्था स्थापित की जाती तो एकीकरण के बाद से उम्रवा जैसा इनहास रहा है उसमें अधिक शात और व्यवस्थित होता। बिन्दु इसके बजाय जैसे ही सार्वनिया राज्य विस्तृत हो कर इटली राज्य बना उम्रवा सविधान विस्तृत राज्य में लागू कर दिया गया। इटली थाले भी, यदि चाहते तो, वैसी ही प्रविधि का अनुमरण कर सकते थे जैसी कि सद्युक्तराज्य अमरीका तथा ब्रिटेन ने अपने परिवहनी विस्तार के मानवन्ध में अपनाई जिनके अनुमार के बृद्धि की आवश्यकतानुसार ही सघ में नये राज्यों को मिलाते गए। परन्तु इसके बजाय इन्होंने ब्रिटेन के संयोग अधिनियमों के दृष्टान्तों वा अनुमरण किया और विभिन्न भागों को सघ के रूप में समिति बनाने के बजाय एक राज्य में विलीन कर दिया।

हल ही के जानिकारी परिवर्तनों के दौरान में भी राजनीतिक एकात्मकता इटली राज्य की एक मारभूत विशेषता रही है। मुसोलिनी ने तो अपने अधिनायकत्व की सफलता के लिए इसे मूलभूत मिदान के रूप में उत्तमाह के माध्यम रखा और वह अब भी इटली के नये सविधान में भी, यद्यपि कुछ मशोधित रूप में, प्रकट होता है। जून १९४६ में, इटली के निकायियों के एक जनसत् समझ में, जिसमें पहली बार स्त्रियों सम्मिलित भी और १०० प्रतिशत निर्वाचितों ने मनदान किया था, जापेक दृष्टि से बहुत घोटे बहुमत से सेवाय वश को, नी णताब्दी तक राज्य करने के पश्चात्, मत्ताहीन कर दिया और अब में उन गणतान्त्रीय मिदानों को अपनाया जिनके लिए राष्ट्रीय पुनर्स्थान के दिनों में मेजिनी ने निष्पत्ति संघर्ष किया था। परिणामस्वरूप मन् १९४७ के गणतान्त्रीय सविधान ने, राजतन्त्र के आधारों को तथा मुसोलिनी की समप्रवादी प्रणाली के प्रत्येक अवशेष को उखाड़ फेंकते हुए भी इटली के एकात्मक राज्य के आवश्यक स्वरूप को बनाए रखा, जैसा कि सविधान के अनुच्छेद ५ में निश्चित रूप से पृष्ठ पोषित किया गया है कि इटली का गणतन्त्र 'एवं तथा अविभाज्य' है।

तो भी नये सविधान में कुछ सीमा नक्क विवेन्द्रीकरण की व्यवस्था है जो कि मूल सविधान में विलकुल नहीं थी। बास्तव में अनुच्छेद ५ में, जिसमें कि अभी ही हमने उद्धरण दिया है, यह भी बहा गया है कि "गणतन्त्र 'भानीय स्वायत्तता' को मानना है तथा उम्रवा उत्तर्प चाहता है।" इसके बाद ऐसे कई अनुच्छेद (114-133) हैं जो प्रादेशिक समिति के रूप तथा, उसके वृत्तों को निर्धारित करते हैं। उनीम प्रदेशों के नाम गिनाए गए हैं और इनमें से पीच को, जिसमें गिम्बो तथा सार्वनिया भी गम्भितिन हैं, विशेष दर्जा दिया गया है। प्रत्येक प्रदेश में एवं लोक-निर्वाचित परिषद् होनी चाहिये, जो एवं बार्यफलिका नमिनि (La grunità regionale) नया प्रभिडेण्ट को निर्वाचित करती है। इन

प्रादेशिक निकायों की शक्तिया तथा छत्यों को मूर्चिया में उल्लेख किया गया है, परन्तु साधारणतया वे निटेन की बृहत् स्थानीय सत्ताओं (वाउटी तथा बड़ी बगो) की शक्तियों से अधिक व्यापक नहीं हैं और यद्यपि इटली के इन नये प्रदेशों के अधिकार संविधान की विधि के भाग के रूप में सुरक्षित हैं परं भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनसे शासन के गठन में संघीय तत्व का ममावेश होता है। अतएव यह कहना ठीक ही होगा कि इटली का नया गणतन्त्र राज्य की नामभाव की प्रमुखता को वशानुगत राजतब से निर्वाचित राष्ट्रपतितब में परिवर्तित करते हुए भी इटली में राजनीतिक एकता की अस्ती वप पुरानी परम्परा को मूल रूप से नहीं छोड़ता।

संघराज्य

1. संघराज्य का सारभूत लक्षण

राजनीतिक सविग्रानवाद के विद्यार्थी वे लिए सघवाद के महत्व पर जिनना जोर दिया जाय थोड़ा है। सघवाद वी जड़ें किसी-न-किसी रूप में प्राचीन काल में भी विद्यमान थीं, क्याकि प्राचीन यूनान के नष्ट-राज्य इससे अपरिचिन नहीं थे। तदुपरान्त मन्त्रधूग म इटली वे कुछ नगरों में भी इमारी जलक मिलती है और तेरहवीं शताब्दी के स्विट्जरलैंड वे कॉनफ्रेडेशन (Confederation) के विकास से इसका इन्हाम अविकल रहा है। इस सघ का जन्म मन् 1291 में हुआ जब कि वर्ही के तीन फ्रिंस्ट वेण्टन (प्रदेश) अपनी रक्षा के लिए आपम में मिल गए। जब जनेव राज्यों के जो परिस्थिति और परम्परा वी दृष्टि से इन्हें विभिन्न हैं जिन्हें कि युग्मस्वाविया, सयुक्तराज्य अमरीका, अमेरिका और आस्ट्रेलिया, राजनीतिक संगठन का आधार सघवाद ही है और यदि आज भारत अनराष्ट्रीय अराजकता से, जिसमें कि हम अब तक परिचिन हैं, निकल कर एक विश्वराज्य के रूप में संगठित होता है तो यह निश्चिन है कि ऐसा भधीय आधार यह ही हो सकेगा। अनीन और वर्तमान में निश्चिन रूप में और भविष्य में सम्भव रूप में इन्हें गहन तथा ध्यापक प्रभाव रखने वाले राजनीतिक प्रयोग की मूल्य छानदीन किसी भी गम्भीर कागरिक वे निए आवश्यक हैं और उन्हाँ गहन अध्ययन लाभश्रद ही होंगा।

सघवाद के स्थान-स्थान पर और समय-समय पर अनेक रूप रहे हैं। अपने शिथिलतम रूप में यह कुछ राज्यों वा एक समूह भाक्त है जिसमें वान्नव में राज्य का नियांग विनकुर नहीं होता। इन्हाम इस भाविति के शिथिल संगठन के उदाहरणों में भग पड़ा है किन्हें हम किसी अधिक उपयुक्त नाम के अभाव में प्राय कॉनफ्रेडेशन (राज्यमण्डल) कहते हैं। बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, नेपोलियन के पन्न पर मन् 1815 में स्थापित जमंतो वे कॉनफ्रेडेशन को ही नीजिए, जो कि इस भाविति के संगठन का एक उदाहरण है। जमंत भाषा में ऐसे दो शब्द हैं—‘स्टाट’ (Staat) जिसका अर्थ गज्य है तथा ‘बंद’ (Bund) जिसका अर्थ सघ है। इन दोनों शब्दों की मन्त्रिय में हमें यह जानने में मद्दायन।

मिल सकती है कि तथाकथित कॉनफेरेशन और वास्तविक सघ में यथा अतर है। सन् 1815 से 1866 तक विद्यमान रहने वाले जर्मनी के कॉनफेरेशन को जर्मन लोग हमेशा 'बन्द' (Bund) के नाम से ही पुनारा करते थे और फेकफोट में स्थित राज्य परिपद (Diet), जो कि इसकी एकमात्र केन्द्रीय संस्था थी, वास्तव में इस संगठन के विभिन्न राज्यों के राजदूतों की सभा से अधिक कुछ भी नहीं थी। जर्मन लोग राज्यों के इस संगठन को 'राज्यसघ' (Staatenbund) कहते थे जिसमें राज्यों की बहुतता पर ही जोर है। ऐसी अवस्था में इस भाँति के संगठन तथा मुद्रृ भेदी के बीच में किंचित् मात्र भी अन्तर नहीं रह जाता। इसमें प्रत्येक राज्य की आन्तरिक प्रभुसत्ता पूर्ण रहती है और उसकी वास्तव प्रभुसत्ता भी बहुत ही कम अंश में सीमित होनी है।

राज्यसघ (Staatenbund) उसके सदस्यों को सामान्यतया अधिक समय तक रातोपजनक नहीं रही और वे कुछ समय में ही या तो पुन अलग हो गए अथवा एक वास्तविक संयोग के रूप में अधिक घनिष्ठता के साथ जुड़ गए। इस वास्तविक संयोग को जर्मनों ने संघराज्य (Bundesstaat) कहा। यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें 'राज्य' (Staat) शब्द एक बचन हो जाता है। यह वास्तव में राज्यों का सघ (Staatenbund) नहीं बरत्त एक संघीय राज्य (Bundesstaat) है। ऐसा संगठन, संघनिर्माणकर्ता इकाइयों के बीच आपस में हुई सधि पर तथा इसके उपरात इनके नामरिकों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में स्वीकृत संघीय संविधान पर आधारित होता है। यह आवश्यक रूप में एक कॉनफेरेशन से इस बात में विभिन्न है कि इसकी एक केन्द्रीय (अथवा संघीय) कार्यपालिका होती है जिसके हाथों में सम्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त नामरिकों के ऊपर शासन करने की वास्तविक शक्ति होती है। यह ऐसे राज्यों का संयोग मात्र (जिससे वास्तव में राज्य का निर्माण नहीं होता) नहीं है बरत् ऐसे लोगों का संयोग है जिनके ऊपर केन्द्रीय शक्ति को निश्चित मात्रा में प्रत्यक्ष सत्ता प्राप्त होती है। अतः, निष्कर्ष यह निकलता है कि वारतविक संघराज्य के निर्माण के लिए दो बातों की आवश्यकता है, और इनमें से किसी एक के भी अभाव में संघ का निर्माण नहीं हो सकता। इनमें पहली शर्त यह है कि संघ की निर्माणकर्ता इकाइयों में राष्ट्रीयता की भावना हो। यह बात इतनी वास्तविक है कि हम साधारणतया यह पाते हैं कि आधुनिक संघराज्य संघीकरण से पूर्व या तो कॉन्फेरेशन के रूप में शिथिल रूप से संयुक्त थे, जिसका उदाहरण जर्मनी है, अथवा एक ही प्रभुसत्ता के अधीन थे जिसके उदाहरण संयुक्तराज्य, स्विट्जरलैंड (जहाँ दोनों बातें मौजूद थीं), आस्ट्रेलिया और कनाडा हैं। दूसरी बात यह है कि संघनिर्माणकर्ता इकाइयों संयोग (Union) चाहते हुए भी एकत्व (Unity) नहीं चाहती, यदोकि यदि वे एकत्व चाहती हो तो वे संघराज्य का निर्माण न करते

हुए एवं अत्मवा राज्य बनायेगी।

अतः स्पष्ट है कि संघीय संविधान, राष्ट्रीय प्रभुता तथा राज्य-प्रभुता के स्पष्टत विरोधी दावों के बीच स्पष्टत सामजिक पैदा करने का प्रयत्न करता है। इस सामजिक की मुख्य शक्तियाँ भी स्पष्ट हैं, यद्यपि, जैसा नि हम बाद में देखेंगे, व्यौरे की बातों में संघीय संविधान एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। समूहों राष्ट्र से सम्बन्ध रखने वाली सब बातें राष्ट्रीय अद्यवा संघीय सत्ता को सौंप दी जाती हैं, और व्यक्तिगत रूप से राज्यों से सम्बन्ध रखने वाली तथा सामान्य हित के लिए मूलत महत्वपूर्ण न होने वाली सब बातें राज्यों के शासन के नियंत्रण में रहती हैं। शक्तियों का यह विभाजन, चाहे वह आधुनिक विश्व के अनेक संघों में व्यौरे की बातों में विसी भी तरह त्रिपान्वित व्यों न दिया जाय, संघराज्य का विशिष्ट लक्षण है।

2. संघीय रूप के भेद

चलि संघराज्य का अत्यावश्यक गुण संघीय सत्ता और संघनिर्माणवर्ती इकाइयों के बीच शासन वी शक्तियों का विभाजन है, अतः हमें ऐसे तीन प्रकार वृद्धिगोचर होते हैं जिनमें संघराज्य एक-दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। प्रथम, संघीय तथा राज्यीय सत्ताओं में शक्तियों के विभाजन के द्वारा अन्तर हो सकता है; द्वितीय, उस सत्ता के स्वरूपों में जो कि संघीय एवं राज्यीय सत्ताओं पर, यदि उनमें आपस में कोई विवाद उठ सड़ा हो, संविधान वी सर्वोच्चता की रथा करती है, भेद हो सकता है और तृतीय, संविधान में परिवर्तन वी आवश्यकता होने पर उसमें परिवर्तन करने वाले साधन भिन्न हो सकते हैं।

शक्तियों का विभाजन दो प्रकार से हो सकता है—या तो संविधान में यह लिखा होना है नि संघीय सत्ता के पास क्या-क्या शक्तियाँ रहेंगी और शेष शक्तियाँ संघनिर्माणी इकाइयों के पास रह जाती हैं अथवा इसमें यह उल्लेख रहता है कि संघनिर्माणी इकाइयों को बोन-बोन सी शक्तियाँ होंगी और शेष शक्तियाँ संघीय सत्ता के पास रह जाती हैं। यह अवशेष सामान्यतया 'रक्षित शक्तियाँ' (Reserve of Powers) कहलाता है। शक्तियों का उल्लेख करने का उद्देश्य उनका नियंत्रण करना और इस भाँति उन्हें परिसीमित करना है। अतः, यह बात मान ली जानी चाहिए कि जहाँ संघीय संविधान में संघनिर्माणी इकाइया वी शक्तियों का नियंत्रण होता है, जिसका उदाहरण कनाडा की डिमिनियन है, वहाँ लध्य संघ की पृथक-पृथक् इकाइयों को दबावर संघीय सत्ता का बलशास्त्री बनाना होता है। कनाडा के विषय में यह बात इनी मत्य है कि वहाँ संघनिर्माणी इकाइयों को राज्य के बजाय प्रान्त कहा जाना है। इन भाँति जहाँ 'रक्षित शक्तियाँ' संघीय सत्ता के पास होती हैं वहाँ संविधान उम्म व्यवस्था वी अपेक्षा जहाँ के राज्यों के

पास होती है, एकात्मक राज्य के अधिक समीय होता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा राज्य स्वरूप में कम सधीय होता है।

जहाँ सविधान सधीय सत्ता की शक्तियों को निरुपित करता है, जैसा कि सयुक्तराज्य अमरीका और आस्ट्रेलिया में है, वही इनका सध्य सविनिर्मात्री इकाइयों के मुकाबले में सधीय सत्ता की शक्ति को मर्यादित करना होता है। ऐसी सधीय इकाइयों अपनी अधिक-से-अधिक उनकी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहती है जितनी कि सध की सुरक्षा रो अवगत न हो। वे वास्तविक शक्ति से युक्त एक ऐसा संघराज्य चाहती है, जिसके द्वारा वे अपनी समाज राष्ट्रीयता को प्रकट कर सके, परन्तु इसके साथ वे यह भी चाहती है कि जहाँ तक मम्भव हो सके वे राज्य के रूप में अपने व्यक्तिगत स्वरूप को बनाए रखें। जितना अधिक वे अपना व्यक्तिगत स्वरूप बनाए रखना चाहेगी उनकी ही मादा में वे सधीय शक्तियों को निरुपित करना चाहेगी और उनकी ही अधिक रक्षित शक्तियाँ वे अपने पास रखना चाहेगी। अतः, राज्यों वे पास रक्षित शक्तियाँ जिसका सविधान सधीय सत्ता की शक्तियों को निरुपित करता है, उस राज्य की अपेक्षा जिसका सविधान सधनिर्मात्री इकाइयों की शक्तियों को निरुपित करता है, कम देन्द्रीयकृत होता है।

शक्तियों के इस विभाजन में, भले ही वह इन दोनों रीतियों में से किसी भी रीति से कार्यान्वित हो, यह उपलब्धित होता है कि सध का तथा सविनिर्मात्री इकाइयों में से प्रत्येक ना विधानमठत, दोनों ही अपने-अपने धोत्र में सीमित हैं और उनमें से कोई भी रावौच्च नहीं है। उन दोनों के ऊपर भी कोई चोज है। यह सविधान है, जो कि एक निश्चित सविदा, एक ऐसी सधि है जिसमें सविदाकर्ता पक्ष अपने सयोग वीं शर्तों को लेखबढ़ कर लेते हैं। सधीय सविधान वास्तव में सधीय तथा राज्यीय सत्ताओं के अधिकारों एक कर्तव्यों का एक प्रपत्र (चार्टर) है। इन अधिकारों और कर्तव्यों को उनके उचित अनुपातों में रखा जाना चाहिए। किसी भी सत्ता के द्वारा प्रयुक्त अधिकार और एक सत्ता से दूसरे के द्वारा अपेक्षित कर्तव्य सविधान में निर्धारित अनुसूची से बाहर नहीं होने चाहिए। वास्तविक संघराज्य में इस सतुलन को बनाए रखने की शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की जाती है, जिसका कर्तव्य महं देखना है कि उस सविधान का उस सीमा तक सम्मान किया जाय जहाँ तक कि वह सविदाकर्ता पक्षों और सधीय सत्ता के बीच जिसको वे सविदा द्वारा स्थापित करते हैं, शामनीय शक्तियों का वितरण करता है।

ऐसे न्यायालय के अधिकारों के परिणाम के माध्यम से संघराज्यों में भेद है।

पूर्णपूर्ण सघीय राज्य भे, जिमका सयुक्तराज्य सर्वोत्तम उदाहरण है, सघीय सत्ता और राज्यीय सत्ता के बीच विवाद हो जाने की दशा में निर्णय दने के लिए न्यायालय अपनी शक्ति में पूर्णरूपेण सर्वोच्च है। अन्य सघराज्यों में इस न्यायालय की शक्तियाँ कुछ दूसरी सत्ताओं को इम विषय में प्रदत्त अधिकारों के द्वारा सीमित हैं। सघीय राज्य में सर्वोच्च न्यायपालिका की शक्तिया के इस प्रकार परिसीमन का सर्वोत्तम उदाहरण स्विट्जरलैंड में प्राप्त है जहाँ राज्यीय तथा सघीय सत्ताओं के बीच समस्त विवादों की अतिम निर्णायक सघीय सभा (Federal Assembly) है न कि सघीय न्यायालय, और सघीय न्यायालय सघीय सभा के द्वारा पारित अधिनियमों की साविधानिकता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं बर सकता। किन्तु इस अवस्था में, जैसा कि हम बाद के अध्याय में बतायेंगे, सघीय न्यायालय के हाथ में ऐसी शक्तियाँ होना भी निरर्थक है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में प्रभुत्वपूर्ण जनता के पास अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करने का अत्यन्त सीधा साधन है।

इन दोनों चरम स्थितियों के बीच, सघीय एवं राज्यीय सत्ताओं के बीच के विवादों के निर्णय के मामलों में अनेक भेद हैं। आस्ट्रेलिया सयुक्तराज्य के जो इस क्रियता पूर्णतम उदाहरण है, सबसे निवाट है। इन दोनों देशों के बीच यह अतर है कि आस्ट्रेलिया के संविधान में ऐसी कुछ धाराएँ हैं जो वहाँ की राष्ट्रीय समसद् के द्वारा किसी अन्य सत्ता की अनुमति के बिना बदली जा सकती है और निश्चय ही ऐसे मामलों में राज्य के अधिकारों के उत्तराधिकार को दोई प्रश्न ही नहीं उठाता। जमीनों के पिछले वेमर गणतंत्र में सर्वोच्च सघ-न्यायालय से राज्य तथा सघ अधिकार स्वयं राज्यों के बीच के आपस के कुछ ही मामलों में उत्पन्न विवादों का निपटारा कराया जाता था। कनाडा में विवाद के प्रश्न कभी-भी उठते हैं, हालांकि वहाँ प्रान्तों की शक्तियाँ उल्लिखित हैं। ऐसे प्रश्नों के उड़ने पर कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दे सकता है।¹

इस भाँति समस्त सघराज्यों में विधि की ऐसी प्रतिष्ठा (Legalism) है जो नि अधिकार एकात्मक राज्यों में नहीं है। इस बात से यह प्रश्न उठता है कि संविधान में परिवर्तन कैसे किया जाय। हम इस सम्बन्ध में विस्तार से बातें कहेंगे। यहाँ पर इतना कहना पर्याप्त हागा कि सघीय संविधान का स्वरूप निश्चय ही दस्तावेजी हाता है, क्यांकि यह बात बत्यना से पर है कि इस भाँति उत्तम रीति

¹ उपर न्यायालय की शक्तिया आरम्भ से लन्दन-स्थित फ्री कौसिल की जुहिश्यल कमिटी के समझ अधीकार के अधीन थीं, परन्तु यह अधिकार सन् 1951 में इन दोनों न्यायालयों का पुराना सवध समाप्त हो जाने पर सुन्न हो गया।

म सतुलित शक्तियों को उनके बने रहने के लिए वेवल परम्पराओं अथवा प्राचीन अधिनियमों पर छोड़ दिया जाय। इसलिए सधीय संविधान अनम्य होता है अर्थात् वे शर्तें जिनके अनुसार संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है या तो स्पष्ट होती है या उपलक्षित। यदि वे स्पष्ट हैं अर्थात् यदि संशोधन की शर्तें निश्चित रूप से निर्धारित की जा चुकी हैं तो वह स्पष्टतया अनम्य हैं। यदि वे अभिन्यवन नहीं की गई हैं तो संविधान की अनम्यता उपलक्षित है यद्यपि या तो संविधान वेद साधना से अपरिवर्तनीय है अर्थात् उसमें परिवर्तन बरन का एकमात्र मार्ग यही है नि समस्त भूल संविदावर्ती पक्ष ऐसा परिवर्तन बरन का सहगत हा, और ऐसी अवस्था में वे परिणामस्वरूप एक नई संधि पर हस्ताक्षर न करेंगे और उस सीमा तक एक नय संविधान बो प्रद्यापित करेंगे।

सधीय संविधान में परिवर्तन की पद्धतियाँ की विस्तार की बातों का हम अनम्य संविधान बाल बाद के अध्याय के लिए छोड़ते हैं। इस अध्याय के शेष भाग में हम बत्तमारा सारांश के संघराज्य के अधिक महत्वपूर्ण उदाहरण पर विचार करेंगे।

3 अमरोका के संयुक्तराज्य की संघप्रणाली

संयुक्तराज्य का संविधान सारांश का पूर्णतम सधीय संविधान है। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें राष्ट्रवाद की तीनों आवश्यक विधेयताएँ अर्थात् संविधान की सर्वोच्चता शक्तियों का वितरण, और सधीय न्यायपालिका की सत्ता, दृष्टान्त वे रूप में अत्यात स्पष्ट हैं में विवरण है। यह अपनी उस अवस्था से जिसमें प्रारंभिक तेरह संघनिर्माता राज्य उपनिवेशों के रूप में शिटेन के अधीन थे, दो बदमों में अपनी पूर्णावस्था में पहुँचा है। पहला बदम उस समय उठाया गया जब सन् 1781 में कानफेडरेशन की धाराआ (Articles of Confederation) वो अगीकार किया गया, जिसके अनुसार यह वास्तविक संघ नहीं बरत एक बौन-फेडरेशन—एक शिखिल संघ बना अथवा बुड़ा विलसन के शब्दों में ‘एक बालू की रसी’ जिससे बोई भी नहीं बौधा जा सकता था। द्वितीय बदम सन् 1787 ने तब उठाया गया जब फिलाडेलिफिया के सम्मेलन में बत्तमान संविधान तैयार किया गया जो कि तेरहों राज्यों द्वारा अगीहृत होकर सन् 1789 से प्रभावकारी हुआ। अब यह वास्तविक रूप में संघ बन गया वयोःकि इसके द्वारा अत्यन्त निश्चित अधिकारों से सम्पन्न एक वेन्ड्रीय कायपालिका की स्थापना हुई। साथ ही इसके द्वारा सम्पूर्ण राज्य को जहाँ तक कि सम्भव था सधीय रूप दिया गया अर्थात् इस संविधान ने इस राज्य को इतनी बड़ी मात्रा में एकात्मक रखा जितना कि शक्तिशाली सधीय शासन की आवश्यकता वा ध्यान में रखते हुए सम्भव

या, जो उन कठिनाइयों से सिद्ध हो चुकी थी जिससे वि कॉनफरेंसेन को लगभग एक दशव तक असहाय है मे संघर्ष करना पड़ा था।

जहाँ तक कि शक्तियों के विभाजन का प्रश्न है, संयुक्तराज्य वा संविधान दुहरा विभाजन करता है, प्रथम वह सरकार को तीन विभागो—व्यवस्थापिका, वार्षिकालिका, तथा न्यायपालिका—मे विभाजित करता है तथा उन्हें एक-दूसरे से विलकुल पृथक् कर देता है। इसके बारे मे हम आगे चलकर कुछ कहेंगे। दूसर, यह शक्तियों को संघीय तथा राजीय सत्ताओं मे इस रीति से बाटवा है जिससे कि संघनिमित्ती इकाइयों को ऐसे भमत्त अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जिनकी संघीय सत्ता का सामान्य राष्ट्रीय लाभ वे हेतु अनिवार्य है से आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भम्पूर्ण संयुक्तराज्य वी शक्तिया स्पष्टतापूर्वक निरूपित हैं और राज्यों के लिए पृथक् है से छोड़ी हुई शक्तिया निरूपित नहीं है, अर्थात् यह संविधान एक सुस्पष्ट सूची मे उन शक्तियों का उल्लेख करता है जिनका प्रयोग संघीय सत्ता को करना है। इसमे ऐसी शक्तियों वी भी एक सूची है जिनका प्रयोग संयुक्तराज्य (संघ-सरकार) के लिए निर्धारित है और साथ ही इसमे ऐसी शक्तियों वी भी एक सूची है जिनका प्रयोग करना राज्यों के लिए निर्धारित है। इसके साथ ही इस अधिप्राय से वि दुर्घटनाके लिए कही गुजाइश ही न रहे, संविधान वे दसवे संघोंदन मे जो सन् (1791 मे पारित हुआ और मूल संविधान वे प्रध्यापन के थांडे ही समय बाद पारित होने से बास्तव मे मूल संविधान का ही एक भाग समझा जाता है) यह बहा गया है कि “वे शक्तिया जो संविधान वे द्वारा संयुक्तराज्य का नहीं सौंपी गई हैं, अथवा जो इसके द्वारा राज्य के लिए निर्धारित नहीं है, राज्यों अथवा जनता के लिए सुरक्षित रखी गई है।” इस संकान निर्धारित हुआ कि संघीय सरकार ऐसी किसी शक्ति के लिए दावा नहीं वर सबसे जो उसे संविधान न प्रदान न की हो, परन्तु राज्य के बल उन शक्तियों को छोड़ कर जिससे उनको संविधान ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष है से विचित वर दिया है। किसी भी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जो एक स्वतंत्र प्रभुत्वपूर्ण राज्य को प्राप्त होती है।

जहाँ तक विधान-विभाग वा सम्बन्ध है संविधान ने दो सदनो—सिनेट (Senate) तथा प्रतिनिधि-सभा (House of Representatives) वाले एक विधानमंडल (काप्रेस) की स्थापना की है। इन दोनों सदनो मे से उच्च सदन मे संविधान ने सम्पूर्ण राज्य को समीक्षा को सुरक्षित रखा है तथा इसे अपरिवर्तनीय विधि बना दिया है। जहाँ तक कार्यपालिका का सम्बन्ध है, यह एक चतुर्वर्षीय राष्ट्रपति-इकी स्थापना करता है तथा इस पद के निर्वाचित की यद्यनि का विस्तृत विवेचन करता है। वह राष्ट्रपति की शक्तियों का निरूपण करता है और उसकी राजनीतिक शक्तियों को (संघि करना, राजदूती की नियुक्ति

आदि) उनके प्रयोग के लिए सिनेट के अनुमोदन की आवश्यकता द्वारा नियकित करता है। इमका हेतु यह है कि वह वास्तु प्रभुसत्ता, जिसे राज्यों ने समर्पित कर दिया है, अब भी अन्ततः उस सदन के द्वारा नियकित की जाती है जिसमें उन राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। जहाँ तक धार्यिक विभाग वा सबध है, सविधान ऐसे सधीय न्यायालयों की स्थापना करता है, जिनका अधिकार-क्षेत्र सविधान से उल्लंघन गमस्त बादों तक विस्तृत है और उनमें वे सब बाद भी सम्मिलित हैं जो अन्तर्गत्वीय स्वरूप के हैं, जाहे वे सयुक्तराज्य के विभिन्न राज्यों के बीच ही अथवा सयुक्तराज्य और सासार के किसी अन्य राज्य के बीच हो। सविधान एक ऐसे सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना करता है जो अभी तक उल्लिखित सभी भाँति के बादों के लिए अतिम अपीलीय न्यायालय है। इस प्रकार वह सविधान की अन्तिम रूप से व्याख्या करने वाला बन जाता है और न्याय विभाग की स्थिति प्रत्येक विधानमंडल से (सविधान के अन्तर्गत), भले ही वह सधीय हो अथवा राज्यीय, ऊपर हो जानी है।

अतएव, यह सविधान राज्यों को, जो कि सध वा निर्माण करते हैं, विस्तृत मात्रा में शक्तियाँ प्रदान करता है। बुड्डो विल्सन ने बताया है कि उच्चीसवी शताब्दी में ब्रिटिश सम्राट् ने जिन एक दर्जन महान् विधान-सम्बन्धीय योजनाओं को पारित किया, उनमें से केवल दो ही ऐसी थीं जो अमरीका के सधीय विधि-निर्माण क्षेत्र में आ सकती थीं। उदाहरण के रूप में वह कैथोलिक मुक्ति, रासदीय गुधार, दासत्व-उन्मूलन, दरिद्र-नियमों का राशोधन, नगरपालिका-मुधार, अन्त-विधियों (Corn Laws) का निरसन, यूरोपियों का ससद् गे प्रवेश, आयरलैंड के चर्च का विस्थापन, आयरलैंड की भूमि-सवधी विधियों के परिवर्तन, राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना, बैलट पद्धति का सूचपात और दण्ड विधि के मुधार को लेता है। उसका कहना है कि इनमें से केवल काँतंविधियाँ और दासत्व ही सधीय विनियमन के विषय होते, और इन दोनों में से भी दूसरा सधीय कार्यवाही के अंतर्के तब तक बाहर रहा जब तक कि गृहयुद्ध (सन् 1861-1865) के बाद सशोधन के द्वारा उसे राज्यों की शक्तियों में से निकाल नहीं लिया गया। ये तथ्य वास्तव में, केन्द्रीय विधानमंडल की सर्वोच्चता के अध्यस्त अंगरेजों जैसे प्रेक्षकों द्वारा वही प्रभावित करने वाले हैं। सयुक्त राज्य में, निस्सदेह, सधीय सविधान तब तक निरर्थक है जब तक राज्यों के सविधानों को उसके साथ शामिल न किया जाय; क्योंकि ये सविधान उसमें केवल जोड़ी हुई उपयोगी वस्तुएँ ही नहीं वरन् उसके अनिवार्य पूरक हैं।

अत उन समस्त बातों से सम्बन्धित बानूनी विवादों में जिनका सविधान में इस रूप में उल्लेख नहीं है कि वे सधीय सरकार की है, कानूनी विवादों में सयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं होती। परन्तु उन सब मामलों में

जो सविधान के अनुसार सध है, सर्वोच्च न्यायालय की सत्ता पूर्ण है और सधीय सत्ता उसके निर्णयों का कार्यान्वित करने के कारण्य को टाल नहीं सकती। यह भेद दा आधुनिक उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। सन् 1925 में देशी राज्य में एक शिक्षक पर स्कूल म विकास के मिलान्त की शिक्षा देने के लिए जिससे उस राज्य की विधि का उल्लंघन होता था अभियांग चलाया गया। इस मामले न केवल स्वानीय भावनाओं की ही नहीं उभाड़ा, अपितु समग्र राष्ट्र का ध्यान अवधित किया, अत यह अपेक्षा की जाती थी कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में जायगा परन्तु वास्तव म वह सर्वोच्च न्यायालय की क्षमता से बाहर या क्याकि शिक्षा के विषय का सविधान म उल्लेख नहीं है और इस कारण वह पूरा रूप म राज्य सत्ता के लिए रक्षित है। इसके विपरीत सन् 1962 में जब मिसिसिपी विश्वविद्यालय न गवर्नर और राज्य की सशस्त्र पुलिस के समर्थन के बल पर, सर्वोच्च न्यायालय ने, जिसन पृथक्करण को अद्यधि घोषित कर दिया था, निर्णय की अवहनना करते हुए एक नीत्रो विद्यार्थी को भरती बरन से इन्कार कर दिया, तो राष्ट्रपति ने विधि का कार्यान्वित करने के लिए सेना भेजी और विद्यार्थी सशस्त्र सैनिकों की रक्षा म भरती किया गया।

राज्य को सविधान द्वारा इस भाँति सुरक्षा दिए जाने पर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सयुक्तराज्य की स्थापना के काल से ही राज्य-सरकार के विलाप सध-सरकार की शक्ति अद्यक्ष रूप से बढ़ रही है। यह शक्ति केवल मानविधानिक सशास्त्र से ही नहीं बल्कि उन विभिन्न निर्णयों से भी बढ़ी है जिनमें सध-न्यायालय ने सविधान की व्याख्या की है। विशेष रूप से जिसी भी राज्य के लिए सध से पृथक् हो जाना विलकुल अमम्भव हा गया है। इस तथ्य का समस्त निविदाद रूप में सिद्ध बरन के लिए आधुनिक वाल का सबसे भयानक गृहयुद्ध हुआ। यह गृहयुद्ध अबवा पृथक्करण-युद्ध (War of Secession) (सन् 1861-65), जैसा कि वह विशिष्ट रूप में कहा जाता है, उन सात दक्षिणी राज्यों के (जो कि बाद में व्यारह हा गए थे) सयुक्तराज्य से सम्बन्ध ताड़कर अपना स्वयं एक सध स्थापित करने के प्रयत्न का परिणाम था। जहाँ तब राष्ट्रपति लिवन वा सबध था, वह युद्ध दामत्व को समर्प्त करने के लिए ही नहीं—यद्यपि दामत्व का प्रयत्न ही उपवा बारण था और दामत्व वा उन्मूलन इसके द्वारा हुआ भी—बरन् एकत्व के मिलान की रक्षा के लिए लड़ा गया था। ऐसा बरन म अग्रह्य निवन ने अमरीकी जनता की राष्ट्रीय भावना के ग्रनि अपौर दी थी। उन्हन बहा था कि “नैतिक रूप से जिसी भी राष्ट्र के लिए, यदि वह अपनी सीमा के अन्तर्गत एक ही गमय में स्वतन्त्रता और दामत्व इन दोनों चरम विराधी मिलाना वा पनपन दे, जोविन रहना अमभव है” और “राजनीतिक रूप में सध चिरस्थायी है।” उन्होंने यह भी कहा कि यह निश्चया-

तमके रूप से कहा जा सकता है कि "किसी भी उचित शासन ने आज तक अपने संविधान में स्वयं अपनी ही समाजिक विभिन्नता को निमित्त कोई उपबन्ध नहीं रखा।"

इस गृहयुद्ध में उत्तरी राज्य की विजय ने यूनियन की रक्षा करके उसे बल-शाली बनाया। आज संयुक्तराज्य का कोई भी राज्य पृथक् होने का सम्भवता विचार भी नहीं कर सकता। अवेद्या कोई भी राज्य इस बात में सफल होने की विस्तृत आशा कर सकता है जब कि पहले ग्राहरू राज्य मिलकर भी इस भाति स्पष्ट रूप से असफल हो चुके हैं? उग्रर से देखने में नहीं, परन्तु बास्तव में पृथक्करण-युद्ध ने अमरीकी संविधान को महान् स्तर में परिवर्तित कर दिया। यद्यपि उसने एकात्मक राज्य को जन्म नहीं दिया, तथापि उसने यह मिल कर दिया कि अन्तिम विश्लेषण में अमरीकी संघ विघटन से अधिक नहीं तो उतना सुरक्षित तो अवश्य है जितना कि कोई भी एकात्मक राज्य हो सकता है, क्योंकि संयुक्तराज्य की यह विशिष्ट सफलता है कि उसने यह समझ लिया है कि पचास राज्यों के बीच, उन्हें उन समस्त अधिकारों से वचित किए जिना जो कि उनके राजनीतिक तथा सामाजिक नियन्त्रण के लिए परमावश्यक है, मिलकर बायं करने के लाभों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्रोप में, अमरीका ने सासार को यह बता दिया है कि राजनीतिक संगठन के माध्यम से शांति विस भाति प्राप्त की जा सकती है।

आधुनिक काल में और विशेषकर राष्ट्रपति फ़ैकलिन रूजवैल्ट के प्रथम दो राष्ट्रपतित्व-कालों (सन् 1933-41) के दौरान में संयुक्तराज्य के मतदाताओं के कुछ वर्गों में यह भावना थही कि अमरीकी आर्थिक तथा सामाजिक जीवन की घटाती हुई जटिलताओं का सामना करने के लिए, जिसके लिए उस नियन्त्रण तथा नियंत्रण की अवधारणा जो कि संविधान के अधीन सभीय सत्ता के पास था अधिक केन्द्रीय नियन्त्रण तथा नियंत्रण की आवश्यकता है, राज्यों की शक्ति को घटाकर सभीय शासन को मजबूत बनाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, संयुक्तराज्य में भायानक रूप से फैले हुए हिसात्मक अपराधों तथा गुडागर्दी आदि को रोकने में अधिकारियों की असमर्थता का कारण यह बताया जाता था कि संघ में अड़तालीस (उस समय) राज्य थे जिनकी अलग-अलग दण्ड-विधियाँ थीं और अपराधी व्यक्ति एक राज्य की पुस्तिके चयन से दूसरे राज्य में भाग कर आसानी से निकल सकता था। इस खतरे का सामना करने के लिए अमरीकी समाज को एकमात्र आत्मरक्षा के उद्देश्य से विवश होकर सधीय पुलिस-बल ('G' Men) जो विशिष्ट सधीय विधि के अधीन मध्य-नियेध के प्रबत्तन के लिए पहले से मौजूद था, उपयोग करने की अनुमति देने को बाध्य होना पड़ा। परन्तु जब प्रेसीडेंट रूजवैल्ट ने उस मदी से, जो कि सन् 1929 में प्रारम्भ हुई और उसके इस पद पर प्रतिष्ठित होने के समय पर अपनी चरम सीमा पर रहनें गई थी, उत्तर गम्भीर आर्थिक तथा सामाजिक कठिनाइयों पर प्रहार करने के लिए सधीय अधिकारों के

उपयोग वा प्रयत्न किया ता मम्पूर्ण साविधानिक द्वाचे को एक अत्यन्त गम्भीर परीक्षण का मामना करना पड़ा।

हजारेल्ट वे प्रस्तावों मे जो कि सक्षिप्त हप मे 'नव-व्यवस्था' (न्यू डील) कहलाने थे उत्पन्न माविधानिक मिथनि उम रीनि के, जिसमे अमरीकी सविधान कार्य करता है, दृष्टाल्क के हप मे अबलोकनीय है। इमें राष्ट्रपति का उद्देश्य मम्पूर्ण अमरीकी मध के माधनो को पृथक्-पृथक् राज्यो के उन कट्टा को दूर करने मे उपयोग करने का था जिनका वे राज्य स्वयं ऐसी विषम मिथनि मे निवारण करने मे अमर्य हे। अतएव, उमने बाह्रेम को मुद्रा तथा साम्व वे बैन्ड्रीय नियन्त्रण, कृषि के राष्ट्रव्यापी विनियमन, राष्ट्रीय औद्योगिक पुनर्हस्तान, सधीय आपान महायना, जिसम लोकनिर्माण की बृद्धि तथा सधीय रोजगार-कार्यालय खोलना भी सम्मिलित था, और नामाजिक सुरक्षा की सामन्त्य प्रणाली की स्थापना के लिए, जिसम नेत्रम रहित व्यक्तियों का बीमा तथा बृद्धावस्था के लिए निवृत्ति-वेतन भी सम्मिलित थ, अधिनियम पारित करने के लिए राजी किया। इन कामो कर एसे व्यक्तियों न कड़ा विरोध किया किन्तु इसम वर्च हृन बाली बहुत बड़ी सार्वजनिक धनराशि के व्यय के सबध मे और इन अधिनियमों द्वारा बैयक्तिक एव आयिक स्वतन्त्रता वा तथा राज्यीय अधिकारा के अनुचित उत्तराधन पर आपत्ति भी। इसके विरुद्ध, नार्यप्रालिका तथा विधानमठल की राय थी कि सविधान एसे अधिकारों के प्रयाग की अनुमति देता है, क्योकि सधीय भत्ता, सविधान के अनुमार राष्ट्र के कल्याण के लिए उत्तरदायी है और बाह्रेम को अन्तर्राजिक बाणिज्य पर कार लगान तथा उमका विनियमन करने का अधिकार है।

यह एक ऐसा सधर्य था जिसे केवल मर्वोच्च न्यायालय ही निपटा सकता था। इस नव-व्यवस्थामन्त्यी विधान स उत्तर अनव मामले मन् 1935 और 1936 मे उम न्यायालय के भमक्ष प्रस्तुत हुए, और जहाँ उमने एक और शामन की वित्तीय नीति का ममर्यन किया वहाँ दूसरी और सम्पूर्ण 'इंडियन समायोजन अधिनियम' (Agricultural Adjustment Act) को इन आधारो पर अमान्य घहरा दिया कि "उमम सधीय मरकार की कराधान जक्कियो वा अनुचित उपयोग" उपराधित है, और "यह योजना अलग-अलग राज्यो के अधिकारा का उन्नाधन भरती है।" जब अग्ने वर्द मर्वोच्च न्यायालय ने 'राष्ट्रीय औद्योगिक पुनर्हस्तान अधिनियम' (National Industrial Recovery Act) की अनिम हप से अ-नाविधानिक घणित कर दिया तो राष्ट्रपति ने फरवरी मन् 1937 की बाह्रेम को सबोधित एक मदेज म सम्पूर्ण सधीय न्यायप्रालिका के पुनर्गठन की सामान्यता सम्पूर्ण मांग थी। अत्यन्त महत्वपूर्ण एव मम्पवनया ऐनिहायिक उपमहार के हप मे, जो कि एक बाक्य मे ही मविधानवाद थे गार का निचोड प्रवृत्तुन बरता है, राष्ट्रपति ने कहा "राष्ट्रीय महायमा ने विधि का अधिनियमन कर दिया है,

वार्षिकीनिरा न उम पर हस्ताक्षर कर दिया है और प्रशासनीय उपचारण वार्ष बजते की प्रतीक्षा म है इन्हु शायामनिरा पार जनिरिक वार्ष वा प्रह्लण कर रही है और गढ़ीय रिधानेमहन के पार रियर द्वारा दीर्घ-दीर्घ नथा मद स्थ गे वार्ष बजत थांते नृतीय नदन वे स्थ म आगे यह रही है ।

उम गल्यारगाँड़ वी परिस्थिति ने पार गान वी दृष्टि गे गाल्पनि ने यह प्रमाण रिया ति जर राई भी सधीय न्यायाधीश गत वर्ष वी जापु का हान पर भी छह महीन वी अभिधि के भीतर गमनियून न हो ना राल्पनि पार अनिरिक न्यायाधीश वी नियुक्ति कर मोगा । परन्तु उम पर गर्वैन्च न्यायानय को अनुरूप आदधिया ने भग्न वा प्रयत्न बजन वा आगाय नगाय गया और गिरेट न जल मे दम विधेयक वो अस्तीकार कर दिया । इम भानि डाप्रेम ते हारा पागित नव-ज्यवन्धा (न्यू बीर) रिधान गर्वैन्च न्यायानय के कार्य से अधिकाण म नियरु हा गया । यह एवं ऐसी मारिधानिस्त मियति थी जा एस्टमेन्ट राज्य मे उल्पन नही हा मवती थी । र्जवैल्ट नृतीय और चतुर्थ गार भी राल्पनि वा वाय बजता रहा परन्तु इम भान्ते वा और परीक्षण हान मे पूर्व ही मयुरनगर्ज्य द्विनीय विश्वपुद्ध वे भान्त म फैम गया, जिमप जधिक जनिवार्य नाल्दीय एवा-प्रान वी जावश्यता थी । इम भन्दह नही रिया जा गतना ति मामाजिर मुग्हर के गाधन वे स्थ म राधीय उत्तररण वा उत्तराय बजन के र्जवैल्ट के प्रयत्न न बहन-मे अमरीकी नोगा वे दिमाग म प्रत्यक्ष ऐसी गान ते प्रति स्थायी अधिकाण गैदा तर दिया जा ति दूर मे भी गमटिकाद मे मिती-जुती दियाई देती हा, और जैपरमन वा जीवन स्वत्वता और मुरु वी प्राप्ति वा अमरीकी 'मूल' नर्तमान परिस्थितिया मे सधीय अधिकाण वी उत्तरातर नृदि से भिन्न अन्य विनी उपाय ने मम्भर है या नही यह प्रश्न मयुरनगर्ज्य मे एवं यहे विवाद वा विषय बना हुआ है ।

१ स्विट्जरलैण्ड का कॉनफेडरेशन

स्विट्जरलैण्ड वा कॉनफेडरेशन विभ्रान मधीय राज्यो मे गमरो पुगना है । ऐमा नाम होने हुए भी, तर यह कॉनफेडरेशन न रह्या, जिमसा अर्थ शक्तिशाली पेन्द्रीय नता मे रिहीन राज्या ता एवं ग्रिधित सधोग है, वास्तविक नृप मे एवं गप बन गया है । परन्तु यह नदा हो ऐमा नही या । तेग्हबी जनादी मे आम्लिया वे प्राधान्य ते विश्वपरिस्ट वैफन नाम ते तीन जिता वे नाफ्त मध्यर्य वे फैनस्वहप न्यापित होरर, उसम तेग्ह राज्य हा गा । जिम मध्य उसे गन् 1648 वी वैस्त्येनिया वी मधि ते अनुमार म्पत्त एवं प्रभुत्वमान्म भान्य रिया गया उस मध्य कॉनफेडरेशन मे गज्या वी गही गज्या थी । तर यह नरशानी पेन्द्रीय नता मे रहित गज्यो वा एवं ग्रिधित गयोगमात्र था और जर ता यह पागीगी

क्राति एव नेपोलियनकालीन योरोप के तूफानो और अव्यवस्थाओं के बीच में से हीकर गुजरता रहा तब तक इसी अवस्था में वना रहा यहाँ तक कि सन् 1815 में भी गई योरोपीय सामान्य व्यवस्था में भी इसे अपने स्थायित्व का अतिम आधार न मिल सका। वह तब भी अत्यन्त शिथिल था, जैसा कि सन् 1847 में प्रारंभ हुए छोटेसे गृहयुद्ध से प्रवृट हुआ। इस युद्ध का आरम्भ मान रोमन वैयोलिक बैण्टो ने (जो कि सोन्डरबन्द (Sondurbund कहराते थे) विया था, जिहोने सयुक्तराज्य के सन् 1861 के दक्षिणी राज्यों के समान ही सामान्य बॉनफेरेशन से पृथक् होने का प्रयत्न किया था। इन पृथक् होने की इच्छा करने वाले जिलों की परायत्य के पश्चात् तुरन्त ही संविधान का संशोधन हुआ और सन् 1848 के संविधान ने इस पुराने बॉनफेरेशन (Staatenbund) को संघीय राज्य (Bundesstaat) में बदल दिया। सन् 1848 के संविधान का सन् 1871 में अमृत संजोधन किया गया और उस वर्ष का संविधान ही, जिसमें कुछ बातों में बाद में भी संशोधन किए गए, वह संविधान है जिसके अनुसार आज स्विट्जरलैंड शासित होता है।

संघवाद कहे जाने वाले राजनीतिक उपाय के द्वारा, राज्य के अस्तित्व को समाप्त किए बिना ही राज्य के विरोधी हितों में किस प्रकार सामजिक स्थापित किया जा सकता है, इसका कुछ बाता में सयुक्तराज्य से भी अधिक आकर्षक उदाहरण स्विट्जरलैंड के बॉनफेरेशन में मिलता है। स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीयता की परिभाषा करने वाले समस्त प्रयत्न व्यर्द हो जाते हैं। यद्यपि स्विट्जरलैंड बासी एक राष्ट्र है, उनका एक संगठन है, जिसने छह शानांशियों से भी अधिक बाल के द्वारान में उन विभिन्न प्रयत्नों का विशेष किया जो कि उसे नष्ट करने के लिए किए गए, तथापि उनका न तो कोई एक सामान्य धर्म है और कोई सामान्य भाषा ही अब तक रही और न अब भी है, यहाँ तक कि उनमें पहाड़ों से भी एक ऐसा घेरा नहीं बनता जिससे नैसर्गिक सीमा का निर्माण हो सके। वहाँ की दो तिहाई जनसम्पद जर्मन बोलती है, ग्रेह का अधिकाश माग मेंचभाषी है तथा अविलम्ब लोग इटालियन भाषा (अथवा 'रोमेन्श' नामक एक बोली) बोलते हैं। इन भाषा-संदर्भी भेदों को संघीय विधानमंडल में शामलीय रूप से मान्य किया गया है, जहाँ कोई भी सदस्य जर्मन, फ्रेंच, या इटालियन भाषा में बोल सकता है। केवल यहाँ बात नहीं, अपने इतिहास में वहाँ के बैण्टो ने भी अत्यन्त प्रगतिपूर्ण जनताव से लेवर अत्यन्त प्रतिक्रियावादी अभिजाततत्त्व तत्त्व राजनीतिक संस्थाओं ही आश्चर्यजनक विभिन्नता भी प्रवृट की है। यद्यपि अब ये विभिन्न तार्ह समाप्त कर दी गई हैं और स्विट्जरलैंड के समस्त बैण्टो में लोकतत्व वा ही किसी-न किसी प्रकार का रूप मिलता है, तथापि उभ प्रबंड देशभक्ति ने जिसने बॉनफेरेशन को जीवन प्रदान किया, और जो इसे स्वस्थ और शक्तिमान बनाती रही है, स्थानीय स्वायत्त शामन वे प्रति उस अनुराग को नष्ट नहीं किया दे-

जिसने दिना सप्त, जेगा कि वह अज है, विद्यमान नहीं रहना। वास्तव में, वही आधुनिक सधीय प्रणाली का निर्माण मानविधानिक मिडान्टा अयवा विदेशी उदाहरण से उद्भूत मिडान्टा के प्रयोग की अपेक्षा प्रान्तीय अभ्यास और अनुभव से हुआ है।

तो भी स्विट्जरलैंड तथा अमरीकी प्रणालियों के कुछ मोटे पहलुओं से सादृश्य का कारण मन् 1848 तथा 1874 से मुद्यारकों की ओर से जानन्युज़वर किया गया अनुकरण है, यद्यपि उनका उद्देश्य अपनी सत्थाओं का अमरीकी बनाना नहीं था और स्विट्जरलैंड का कानपेडरेशन अनेक विदितताओं के कारण रूपरूप रूपरूप है। उदाहरणस्वरूप सविधान में स्विट्जरलैंड ने राष्ट्र कहा गया है, जो ऐसा शब्द है जो अमरीकी मविधान में कही नहीं मिलता परन्तु इसके माय ही यह अधिकारों का विभाजन उम प्रकार करता है जिससे कि राजिन शक्तियाँ केष्टनों के पास रह जाती हैं। फिर भी कुछ बातां म इसमें अपूर्ण राष्ट्रीय-करण तथा अपूर्ण सप्त दोनों एक माय दिखाई देते हैं। एक ओर सविधान के अनुच्छेद 3 से यह कहा गया है कि केष्टन उस सीमा तक प्रभुता-सम्पन्न हैं जहाँ तक कि उनकी प्रभुता सधीय सविधान द्वारा सीमित नहीं बो गई है और ऐसी अवस्था में वे उन गमत अधिकारों का प्रयोग करते हैं जो कि सधीय सत्ता को समर्पित नहीं किए गए हैं। यह अनुच्छेद जिस अनुपात में प्रभुता का विभाजन करता है उसी अनुपात में राष्ट्रीय एकता को बम करता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 5 और 6 के अनुसार प्रान्तीय सविधान सधीय शक्ति की गारण्टी पर निर्भर हैं और इस तरह वे उतने सुरक्षित नहीं हैं जितन कि समुक्तराज्य में राज्यों के सविधान हैं। उस अनुपात में जिसमें कि प्रादेशिक सविधान स्वयं (सप्त के) सविधान वो अपेक्षा जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों दे द्वारा होती है और जिसका उदाहरण समुक्तराज्य है, सधीय सत्ता पर निर्भर रहते हैं, सपूर्ण रूप में राज्य कम सधीहूत है।

परन्तु स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय एक राज्यीय दोनों ही पकार के अधिकारों की सुरक्षा है जो समुक्तराज्य में सधीय प्रयोजनों के लिए बिलकुल नहीं है। यह सुरक्षा जनमत सम्बन्ध की व्यवस्था है। हम आगे चलकर इसके विषय में विस्तृत रूप से विचार करेंगे। यहाँ पर तो केवल इतना जान लेना आवश्यक है कि जहाँ स्विट्जरलैंड के सविधान का अनुच्छेद 6 केष्टनों के सविधानों के लिए सधीय सत्ता की गारण्टी आवश्यक समझता है, वहीं यह यह भी कहता है कि यदि केष्टन के लोग सविधान वो स्वीकार कर लेते हैं, तो यह गारण्टी अवश्य दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि जनता का बहुमत समोद्धन की भाँग करे तो समोद्धनों वा अनुसमर्थन नहीं रोका जा सकता। कॉनफ़ेडरेशन के उच्च मदन में, जो कि 'राज्य-परिषद' (Standerat) के नाम से पुनारा जाता है, राज्यों नी एक ता-

कुछ ही पहले गठित भागन व्यवस्था के माध्यम से विश्व के अत्यन्त विभिन्न नामाजिव जनताओं में से एक में बन गया।

उन विचित्र परिस्थितियों के कारण, जिनमें पृथक् पृथक् उपनिवेशों की स्थापना हुई, और अपनी राष्ट्रीय एवं रूपता की भावना के पारण इन राज्यों की पहले अपने मूल देश के तथा इनके उपरान्त सन् 1900 के सधीय संविधान के प्रति सामान्य निष्ठा सरन हा गई। परन्तु मह संविधान ऐसे क्षेत्र की लागू होता था जो क्षेत्रफल में योरोप के क्षेत्रफल से कुछ ही कम था और उसे इतनी जनता ने जिसकी सम्भावना तब लदन की जनसंख्या से कम थी। राजनीतिक भविष्य की व्यवस्था बरनी थी। इन भीनिक तथ्यों न—अर्थात् उस प्रदेश के विस्तार ने जिस पर ये उपनिवेश पैले हए थे और उस भवानक दूरी ने जिमन उन्हें एक ऐसे देश में अलग-अलग कर दिया था जिसके आवागमन के साधन तब अविक्षित थे, अनिवार्य रूप से पृथक्करण तथा स्थानीय भावना के विकास को प्रोत्तमाहित किया। पैदोनों वाले ऐसी थी जिन पर बड़ी साक्षात्कारी से विचार बरने की आवश्यकता थी। यही उस समय अपनाय गए संप्रवाद के विशिष्ट हृष का रहस्य है। य संघ-निर्माणकर्ता छह उपनिवेश ऐसा नभी नहीं करते, यदि उन्हें जापानिया की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के खतरे ना, जो विगत शताब्दी के अतिम बार्फों तक भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता था, परन्तु जो द्वितीय विश्वयुद्ध में आस्ट्रेलिया के निवासियों के लिए भयवर हृष से वास्तविक बन गया, सामान्य हृष से ज्ञान न हुआ होता। अतः इन उपनिवेशों का उद्देश्य एक सुदृढ़ वेदित राज्य की स्थापना की अपेक्षा ऐसे संयोग (Union) के निर्माण का साधन खोजना था जो संप्रवद्ध होने वाले निकायों को उद्देश्य सिद्ध की आवश्यकताओं का प्र्याय खोजते हुए, उनकी वैयक्तिक सत्ता से कम से कम बचाता करे।

इसके साथ ही एक साधारण भावना यह भी थी कि ओर्डोंगक तथा सामाजिक विकास के लिए संघ से पहले विद्यमान निसी सत्ता की अपेक्षा अधिक शक्तियों वाली सत्ता की आवश्यकता है और साथ ही एक सर्वोच्च गणिक सत्ता की भी स्थापना होनी चाहिए जिससे लदन स्थित प्रिवी कौमिल में मामले ले जाने के बारण होने वाले व्यय तथा विलम्ब से बचा जा सके। इसके पलस्वरूप संघ, सामान्य प्रतिरक्षा के लिए एक संयोग से बहुत-कुछ अधिक बन गया और उस सामाजिक विधि निर्माण को, जिसमें आस्ट्रेलिया-निवासी दृष्टापूर्वक विश्वास करते हैं, आगे बढ़ने में एक मक्कम साधन मिछ हो सका।

इस संविधान में कॉमनवेल्थ (वेन्ड्रीय) सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और शेष शक्तियाँ राज्यों के लिए छोड़ दी गई हैं। इन परिमित शक्तियों की गूची सम्बो है, फिर भी राज्यों के लिए पर्याप्त स्वतन्त्रता छोड़ दी गई है। संविधान ने एक सधीय नायंपालिका की स्थापना की है—नाममात्र

के लिए तो सपरिषद् गवर्नर जनरल परन्तु जो वास्तव में मिनट तथा प्रतिनिधि-मंसा से यूक्त डिमदनों मधीय विप्रानमडन के प्रति उत्तरदायी होता है। मिनेट भें राज्या वा मानन प्रतिनिधित्व प्राप्त है—प्रत्यक्ष राज्य के दस मदस्य होते हैं। प्रतिनिधि-भाभा (House of Representatives) में राज्या का प्रतिनिधित्व जनमन्दा के जापार पर है। प्राप्तमें मविधान ने राज्या को ममदृ के निर्वाचन के लिए अपनी इच्छानुमार व्यवस्था करने की स्वतन्त्रता है दी थी, परन्तु ये उपवध उन अनेक उपवधों में थे जिन्हें मधीय विधानमडन किसी भी माविग्रानिक परिवर्तन के बिना बदल सकता था। मधीय विधि के जनुमार जाज व्यवस्था यह है कि यापूण कामनबेल्य म प्रतिनिधि-भाभा के लिए निर्वाचन एक-जनमदस्य निर्वाचन-ओवर म, परन्तु मिनटरों का निर्वाचन प्रत्यक्ष राज्य में उनमें एक ही निर्वाचन-ओवर मानवर होता है परन्तु ये दोनों निर्वाचन अधिकारीय (Preferential) भवदान प्रणाली के जनुमार होते हैं। इस प्रणाली की विवेचना दाद म की जायगी।

इसके अनिरिक्ष, मविधान मर्वोच्च न्यायालय में यूक्त एक मधीय न्याय-पात्रिका की भी स्थापना करता है। मयूक्तराज्य के मदृग यद्दा के मर्वोच्च न्यायालय का मविधान की व्याख्या करन तथा राज्यों के दीच के अथवा किसी राज्यविजेप और मधीय मना के बोच के विवाद के मामता वा निपटान की जकित प्राप्त है। जाम्टेनिया का मर्वोच्च न्यायालय मयूक्तराज्य के मर्वोच्च न्यायालय में इस बने म भिन्न है कि जहाँ विशुद्ध राजीय विधियों के आधार पर होने वाली राज्या की अपीलों को मयूक्तराज्य का मर्वोच्च न्यायालय प्रहण नहीं वह मवना, वहाँ जाम्टेनिया का मर्वोच्च न्यायालय ऐसी अपीलों को प्रहण वर मवना है और करता भी है।

जैसा कि इस बना चुके हैं, आम्टेनिया की बॉमनबेल्य के बास्तविक रूप में मधीय होने के बाब्ज वहाँ राज्यों का अपना स्वय का बास्तविक अभिन्नत्व है। जैसा कि इस कह चुके हैं, उन्हें मिनेट में नमान प्रतिनिधित्व प्राप्त है और उनमें में प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर भी है, जिसकी नियुक्ति कराडा के मानन मधीय मना नहीं करनी और न जो मयूक्तराज्य की मौति जनना द्वारा ही निर्वाचित होता है, बन्ति जिसकी नियुक्ति प्रत्यक्षरूपण राजा या गनी के द्वारा अर्थात् व्यावहारिक रूप में गव्य खो विद्यमान भवदार की महमति से (ग्रिटेन की) गृह-भवदार के द्वारा होती है। मविधान म राज्यों वो मह भी अनुमति प्राप्त है कि वे, यदि चाहें तो, राज्यमध्यभी विशुद्ध मामता के बारे में विधान बनाने के लिए मधीय ममदृ की महायना ने ने। इसके अनिरिक्ष मन् 1929 में, बॉमन-बेल्य न ममल राजीय कल्पा का भार प्रहण वर निया और वह स्वय ही एकमात्र कृष्ण नन शाली मना द्वन गई। इन उपवधों में मधीय तथा राज्यमना के दीच

समुक्तराज्य की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध उपलक्षित है।

अत मेरे इस सविधान मेरे एक संघीय प्रदेश (Federal district) की भी व्यवस्था की गई है ताकि आगे चलकर वहाँ किसी भी राज्य से स्वतंत्र रूप मेरे संघीय सरकार अपनी राजधानी स्थापित कर सके, यह क्षेत्र 'केन्द्रोरा' नाम से पुकारा जाता है। इसका क्षेत्रफल 900 वर्गमील के लगभग है और न्यू साउथ वेल्स ने इसे कॉमन-वेल्यू को सौंप दिया है। यह तिडनी और मेलबोर्न के बीचोबीच स्थित है। सन् 1927 मेरे संघीय सरकार की वहाँ स्थापना हुई।

अभी हाल ही के वर्षों मेरे समुक्तराज्य की भानि आस्ट्रेलिया मेरी संघीय सत्ता और राज्यों के कार्यक्षेत्रों के सम्बन्ध मेरे विवाद उत्पन्न हो गया है। विशेष रूप से संघीय सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यापारिक कम्पनियों के सचालन, औद्योगिक विवाद, बेकारी, कृषि तथा मत्स्योद्योग और उद्योग के नियन्त्रण जैसे जनसाधारण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों के बारे मेरे समस्त कॉमनवेल्यू के आधार पर कार्यवाही करने मेरे साविधानिक रूप से असमर्थता का अनुभव हुआ है। 22 नवम्बर सन् 1938 को प्रतिनिधित्वभा मेरे सरकार ने सविधान मेरे संशोधन करने के लिए सन् 1939 मेरे एक विशेष अधिवेशन करने के अपने अभिप्राय की पोषणा की। सदन के दोनों ही पक्षों ने इस पोषणा का स्वागत किया। विरोधी दल का नेता तो पहले ही कह चुका था कि आस्ट्रेलिया वा शासन निर्वाचकों के बहुमत से न होकर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के बहुमत से होता है जो "विधियों को उनके गुण-दोषों के आधार पर नहीं बल्कि दूसरा आधार पर अपान्य कर देते हैं कि लिखित सविधान के अनुसार शक्तिवाह्य (Ultra Vires) है।" उसने कहा कि "प्रत्येक राज्यीय सकट मेरे आस्ट्रेलिया के हाथ साविधानिक हथकड़ियों से जकड़े हुए रहते हैं, जिसका परिणाम होता है निपटिक्यता, विलम्ब और संसदीय प्रणाली का उपहास।" उसने कहा कि "कोई भी प्रभुसत्तात्मक एकता ऐसी स्थिति मेरे प्राप्त नहीं हो सकती जिसमे सात प्रभुसत्तात्मक संसदें हो जो व्यावहारिक रूप से समान पदवी वी हो जिनमे तेरह सदन 600 से अधिक सदस्य और 70 सदस्य हो, और जिनमे गम्भीरार कार्य करने वाले पृथक् प्रतिनिधि और पृथक् सेवाएँ हो।"

ऐसी परिस्थिति मेरे, जब कि राज्यीय विधानमंडल अपने भौजूदा अधिकारों का त्याग करने को तैयार नहीं थे, यह निश्चित किया गया कि इस मामले को निपटाने के लिए जनता का विर्य प्राप्त किया जाय। परन्तु इस प्रश्न का जनमत संग्रह के द्वारा समाधान करने से पूर्व ही द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया। सन् 1944 मेरे संघीय तथा राज्यीय प्रतिनिधियों के सम्मेलन मेरे किरचर्चा प्रारम्भ हुई। परन्तु बाद के जनगत संग्रह मेरे राज्यीय शक्तियों मेरे भौलिक कमी कर देने वाली योजना विफल हो गई। किरचर्चा सन् 1947 मेरे रूप से निश्चित

बनियप्रवादी की संघीय अधीकार पर व्यवहर्या बरते थाएँ योजना का जनता न उत्साह के साथ समर्थन किया। जिन्तु इसके विपरीत मन् 1951 म वामपन्थेल्य मनद की ऐसी साम्प्रदाद विराधी विधियों का जनाने का, जिन्हें वह अभीष्ट समझे अधिकार देने के प्रस्ताव पर जनमत संग्रह म सरकार की हार हो गई। इसम यह प्रतीन हाला है कि जनता ऐसे विसर्दी सशोधन का अनुमोदन बरतन स अनिच्छुक है जो शब्दों मे उल्लिखित न किया गया हो तथा जिसका मुख्य राजनीतिक दल समर्थन न बरते हो।

पिछल बर्पों मे राजनीतिक पुर्नविस्तोकन (Constitutional Review) के नियम सीनेट और प्रतिनिधि-सभा की एक गयुत समिति संघीय तथा राज्य राजाभार के सम्बन्धों के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई थी। समिति ने 1958 और 1959 मे दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किय जिन्तु 1965 तक उन पर कार्ड अमल नहीं हो पाया था।¹

6 कनाडा की डॉमिनियन का रूपांतरित संघवाद

कनाडा की डॉमिनियन उन तीना देशों की अपेक्षा, जिनसी हमने अभी तक परीक्षा नहीं की है कभी संघीय है व्याकि समुक्तराज्य, स्वट्टरलैड और आस्ट्रेलिया म ता रक्षित शक्तिया राज्यों के पास है, जिन्तु कनाडा मे व संघ के पास है। इसी बारण हमने कनाडा को सघराज्य का रूपांतरित नमूना कहा है। वास्तव म कनाडा की सघनिमाणकर्त्त्व इकाइयाँ मञ्चों लप्त मे राज्य नहीं हैं। वे प्रात कहनाती है हालाहि वे इगरेंड की स्थानीय सत्ताओं अधिकारों की अपीक्षा वे यूनियन के चारा प्राती वी अपेक्षा बहुत अधिक शक्तिशाली है। यद्यपि कनाडा यूनियन संघीयत राज्य नहीं है, तथापि वह येट ब्रिटेन, फ्रान्स या न्यूजीलैंड जैसे एकात्मक राज्य से बहुत भिन्न है। जिन्तु कनाडा के तथा इस अध्याय मे वर्णित अन्य राज्यों के सघवाद मे घडे महत्वपूर्ण अन्तर है।

यद्यपि कनाडा आम उपनिवेशों मे प्राचीनतम नहीं है—यह मम्मान न्यू फाउडलैड को प्राप्त है—पर भी वह ब्रिटेन के स्व शासी डॉमिनियन म सबसे पुराना है, व्याकि वह डॉमिनियन-पद अर्थात् उत्तरदायी स्वायत्त शासन प्राप्त करन वाला मे सर्वप्रथम है, और वहा उसके सप्तल प्रयाग के कारण ही याद के वर्षों म इसका भामान्यतया अगीकरण किया गया है। हम उत्तरदायी शासन के प्रश्न

¹ अन्यकर्ता लाइन-स्थित, ऑस्ट्रेलिया हाउस के लावर्सेरिक्षन का इन महत्व-पूर्ण दस्तावेजों को कुछ समय के लिये उपलब्ध करने के लिये जूनी है। जहाँ तक इन प्रतिवेदनों का सम्बन्ध साविधानिक सशोधन की प्रक्रिया के गुधार से है, उनका हकाता एन अध्याय 7 मे दिया गया है।

पर याद म विचार करें। यहाँ पर हम बनाडा रा मधीय प्रणाली रा अवनाम भरना ह जा उत्तरदायी शामन क मिदान म रितकुल विभिन्न ह। किन्तु उग वाल म भी बनाडा अस्त्रिया म गृहत आग रहा ह क्याकि उगरी सचाय प्रणाली की स्थापना सन् 1867 क शिक्षण उन्होंने जमीनी जर्धनियम र द्वारा हैद। प्रारम्भ म इसम ओस्ट्रिया क्यूबर नारास्तागिया और न्यू लैनियर नामर राग प्राप्त थ। रिन्तु वाद म शोध हा इस सध म गान त्राण हा गा जाए तर दग ह। बनाडा सध की पश्चभूमि जास्त्रिया की अपेक्षा निक्ष ह। वही प्रणाली रास्त की जपक्षा आन्तरिक जर्धि का परन्तु उग शिक्षण स्पष्ट क तिंजिम बनाडा क सध न ग्रहण किया जान्तरिक जार यात्प दाना हा प्रसार क बाग्य थ। अस्त्रिया क शिक्षीत परन्तु दक्षिणी अफ्रीका क ममान बनाडा फच तंग शिक्षण राष्ट्र जातिया क सधप म दिशीण हा रहा था जिमर राग गृहत दिना न चढ आ रहे थ।

वही एक शक्तिशाली बन्द्रोय शामन का बड़ी जावश्यकता था जार मन 1840 क जर्धनियम र वाद एकात्मक राज्य की प्रणाली का अपनान का प्रयत्न भी किया गया था जा सप्त नहीं हुआ। एक जार राजिनार्दि पर हृषि कि यह अधिनियम बवन क्यूबर आर जीरगिया का नाम् था जर कि दा या तीन जन्य राज्या न भी उन दाना राज्या क साथ मिरसर शामन का गामाय याजना म भाग लन की इच्छा प्रकर की। इन प्राता क द्वीप का शिखिन मध्यम—एक बालाङ्डरणन मात्र का निष्पाण—निष्पाण स भी तुरा होना उगम बाद भी गमस्त्या हृत नहीं होती। उमर शिक्षीत एकात्मक राज्य न्यूहाय स्पष्ट म मिढ हान की सभावता नहीं था। उगर नाथ ही एक जय बात क वारण भी कि बनाडा का एक बच विस्तृत भाग जर भी अविवागित दशा म पड़ा था इस परिस्थिति म न तो पहरी आर न दूसरी प्रणाली ही टीक पैठ रही था। एक जार शिखिन बाँसाङ्डरणन क रास्त बाद म सधर्पी का होना जनियाय था, दूसरी जार एकात्मक प्रणाली भर ही यह उम समय विद्यमान प्रान्तर का नाम् कर दी जाती, हाताकि एका हा नहीं गरना था—तूणहृषण विसित प्रान्ता क हंतु उपपुक्त हृति द्वा भी एस प्रान्ता क तिंज जा तर तक अस्तित्व म नहीं आय थ जनूपयुक्त मिढ हा गरती थी।

ता फिर बनाडा न सयुक्तराज्य अमीरा की भानि का सध (फेझरण) क्या नहीं बनाया? इसम उत्तर मन् 1864 67 का समय था जर बनाडा म सधनिर्माण के सम्बन्ध म गम्भीर चत्ता चत रही थी। जमीनी क गृहयुद न, जा मन् 1861 65 ता चता बहुता का और विशेष पर बनाडा निवासिया का जा कि उम इतन गमीप से दख रहे थे, सधगाद क उत्तर स्प की जार स जा कि सयुक्तराज्य म तर तक क्रियान्वित हा चुका था, निराश बर दिया था। प्रत्यक्ष

रूप से गठबाद टूट चुका था। इसी विश्वास में कनाडा के प्रमुख राजमंडलों ने एक समाधान निकाला जो कि वास्तविक संघीय प्रणाली में, जो बदनाम हो चुकी थी, और एकोत्तर प्रणाली के बीच जो कनाडा के निवासियों की आवश्यकता आ के अनुकूल नहीं थी एक समझौता था। यह समझौता एक संघीय संयोग (Federal Union) था जिससे गम्भीर संघर्ष की सम्भावनाएँ बढ़-से-ज्ञाम हो सकती थीं।

इस भावित कनाडा-यद्विनि के अधीन शक्तियों के वितरण का सिद्धात, सामान्य रूप में, उस सिद्धात का उल्टा था जिसका समुक्तराज्य में प्रयोग हुआ था। कनाडा में प्राता की शक्तिया परिणित वीर्ग है और 'रक्षित शक्तिया' संघीय सत्ता के लिए छाड़ दी गई है। संघीय सत्ता की शक्तिया की मूर्ची सन् 1867 के मूर्त अधिनियम में वास्तव में दी ता गई है, जिन्हे इसका एकमात्र उद्देश्य उनम अधिकाधिक स्पष्टता लाना था, न कि संघीय शक्ति को कम करना। प्रातों को प्रदान की गई शक्तिया पर्याप्त है, और इनमें से विषय भी सम्मिलित है जो साधारणत खानानीय सरकारों के पास नहीं हात, जैसे जपन संविधान का सशोधन (लिफ्टिनेट गवर्नर के पद की समानिति का छोड़कर), प्रात के भीतर प्रत्यक्ष वराधान दण्ड तथा व्यवहार सम्बन्धी न्याय व्यवस्था तथा प्रात के भीतर नगर शासन का नियंत्रण।

आस्ट्रेलिया के समान ही कनाडा में गवर्नर जनरल की नियुक्ति नाममात्र में राजा या रानी के द्वारा परन्तु वास्तविक रूप में डामिनियन की सरकार की सहभागी से विटिंश सरकार द्वारा होती है। परन्तु आस्ट्रेलिया के विपरीत, वहां संघीयनियमित्री इकाइया में से प्रत्यक्ष में राज्य-सरकार के द्वारा नियुक्त गवर्नर न होकर डामिनियन सरकार के द्वारा नियुक्त लिफ्टिनेट गवर्नर होना है। जब हम आस्ट्रेलिया के राज्यों के विभिन्न भूमिकाओं की तुलना करते हैं तो कनाडा में राज्यों के विभिन्न भूमिकाओं के एक और अभाव सिनेट में दिखाई देता है जिसके सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते बल्कि जीवन भर के लिए नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं और यह नाम निर्देशन भी प्रात के द्वारा न हांकर, जैसे जैस स्थान रिक्त हात जाते हैं, डामिनियन सरकार के द्वारा चिया जाता है। इसके अतिरिक्त कनाडा का गवर्नर जनरल डामिनियन सरकार के परामर्श से प्रातीय संसद के अधिनियम का नियोग कर सकता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो आस्ट्रेलिया के गवर्नर-जनरल के हाथों में वहीं के राज्यों की समदा के अधिनियमों के विषय में नहीं है।

न्यायपालिका के सम्बन्ध में कनाडा में एक मर्कोच्च न्यायालय है, परन्तु उस संविधान की ध्यान्या बरन की शक्ति नहीं के बराबर है। एसा काई कारण नहीं दिखाई देता जिसमें कनाडा में एसी शक्ति हा, व्याप्ति (1) 'रक्षित शक्तिया'

संघीय सत्ता के पास है, और (2) संघीय सत्ता के पास, संविधान के अधीन, प्रान्तीय विधियों को नियिद्ध करने का अधिकार है।

आस्ट्रेलिया और कनाडा के सघबाद के अन्तरों का इस भाति संक्षेप में प्रबल किया जा सकता है कि (1) आस्ट्रेलिया के संविधान में संघीय सत्ता की शक्तियों का निरूपण किया गया है और रक्षित शक्तिया राज्यों के पास छोड़ दी गई हैं। इसके विपरीत, कनाडा के संविधान में राज्यों की शक्तियों को परिणित किया गया है और शेष संघीय सत्ता के पास छोड़ दी गई है। (2) आस्ट्रेलिया में राज्यों के गवर्नरों की नियुक्ति के प्रश्न वो संघीय हस्तक्षेप से पृथक् छोड़ दिया गया है। इसके विपरीत कनाडा में प्रातों के लेपिटनेट गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार डामिनियन की सरकार का सौपा गया है। (3) आस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ शासन को राज्य के विधि-निर्माण में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, जब कि कनाडा में डॉमिनियन शासन को प्रातों विधिया पर नियेधाधिकार प्राप्त है। (4) आस्ट्रेलिया का सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या कर सकता है, परन्तु कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसी शक्ति अत्यन्त अल्प मात्रा में है। (5) आस्ट्रेलिया की सिनेट में राज्यों से सदस्य समान संख्या में निर्वाचित होते हैं, जब कि कनाडा की सिनेट के सदस्य आजीवन डामिनियन शासन के हारा नाम निर्दिष्ट होते हैं। अतः, सामान्यतया आस्ट्रेलिया की कॉमनवेल्थ कनाडा की डॉमिनियन की अपेक्षा कही अधिक संघीय है। अथवा अन्य रीति से यह कहा जा सकता है कि आस्ट्रेलिया की अपेक्षा कनाडा एकात्मक कह जाने वाले प्रकार वे राज्य के बहुत अधिक समीप हैं। इस भाति यद्यपि कनाडा संयुक्तराज्य के समीप और आस्ट्रेलिया बहुत दूर है, फिर भी कनाडा की अपेक्षा आस्ट्रेलिया के सघबाद में संयुक्तराज्य के सघबाद से प्रत्येक बात में बहुत अधिक सादृश्य है।

7. जर्मन संघबाद

जर्मनी में सघबाद का बड़ा पुराना इतिहास है। सन् 814 में महान् चाल्स की मृत्यु के पश्चात् उसके साम्राज्य के टुकड़े-टुकड़े हो गए और जब उसके जर्मन भाग का पुनरुद्धार हुआ तो वह कभी भी उस भाति केन्द्रित न हो सका जैसा कि वह पहले था। सामन्तवाद ने जर्मनी में बड़ा विनाश किया। पवित्र रोमन साम्राज्य का इतिहास, विघटन अथवा कम-से-कम विकेन्द्रीकरण के तथ्यों को निर्वाचित साम्राज्यशाही के आवरण से ढकने के प्रयत्न की एक लम्बी वहानी है। संघीय साम्राज्य प्रतीत होने वाले प्रदेश की सीमा के अन्दर वास्तव में दो बड़े प्रतिस्पर्द्धी राज्य—आस्ट्रिया और प्रशा बन गये। मध्य योरोप के विघटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले नेपोलियन के पतन के पश्चात् भी ये अपने मतभेद

दूर न कर सके और उम समय स्थापित जमन कानपर्सन कहनान वाला सभ योता उनका बीच म हृते वाल जन्तिम संघरण के लिए कबल प्रस्तावना मात्र ही सिद्ध हुआ। सन 1867 म जास्टिया प्रश्ना युद्ध म अपनी सफलता के पश्चात विस्माव न अस्थिया का निवार बाहर किया और उत्तरी जमन कानपर्सन की स्थापना की जिम्मे भास प्रश्ना युद्ध के द्वारा न म दिल्ली जमन के राज्य भा सम्मिलित हो गए। सन 1871 म जमन साम्राज्य की जयद्यापक उद्घाषणा के साथ युद्ध समाप्त हुआ। यह साम्राज्य प्रधम विश्वयद के जन्तिम दिना तक बायम रहा।

यह पर हम विस्माव के जमन साम्राज्य के जथवा बमर गणतन्त्र (सन 1919) के जिस हिटलर न समाप्त कर दिया संविधान पर विस्तारपूर्वक विचार नहा बरग। परन्तु हम ममानता तथा विभिन्नता की कुछ मामाय वाला का सम्बन्ध रहा है। सन 1871 म स्थापित साम्राज्य का संघवार के एक जनावर प्रवार वा संघवार था। वह संघनिमित्ती द्वाइया का जा कुछ वर्षों से प्रश्ना के नतव म जमन सामाजिक संयाग (Zollverein) के आधिक नामा का उपयाग कर रहा थी स्वच्छाद इच्छा के द्वारा उत्पन्न होना मात्रम होता था। किन्तु बास्तव म जिस बात न उह प्रश्ना का प्रभुत्व-स्वाक्षर बरन के लिए प्रतित किया वह राजनीतिक संयोग का इच्छा की अपेक्षा विस्तार का प्राधार था। साम्राज्य के संविधान के जधीन बशानगत जमन मान्दन प्रश्ना का भा बशानगत राजा था। ऐसे बान का कई अधिक भूमि नही होता जिसनु जमन म मान्दन का शक्ति नाम भाव का न होवर बास्तविक यो और जब तक यह धोन था तब तक प्रश्ना मर्वोच्च था और यह सर्वोच्चता बेवन साम्राज्यिक विधानमहान के दाना म उसके सम्मिलित हो दिया स ही नहा थी। इसक अनावा राष्ट्रस्टाग (Reichstag) के शाम जा कि जनता के प्रतिनिधिया के मन्दन था बास्तविक शक्ति नहा थी। बास्तविक विधाय शक्ति ता बड़स्टाट (Bundestat) नामक मन्दन के पाम थी जिम्मे राज्या के दून भाग रते थे और उम्म प्रश्ना का प्रवन प्रभाव था। इस भागि प्राचान जमन साम्राज्य न लो बास्तविक रूप म संघाय हो था और न नावतन्रीय हो। यथोक्ति इसी भा बास्तविक संघाय प्रणाला म एक राज्य का प्रबलना नहा होना जार इसी भा बास्तविक नावतन्रीय राज्य म विप्रि निर्माण का काय जनता के प्रतिनिधित्व न बरन कान मन्दन के हाय म नहा होना। परन्तु इस भी यह मान्दन एक बास्तविक संयाग (यूनियन) था। संघाय मत्ता का शक्तिया निश्चिन था और गाया की अ निहपित। संघाय मत्ता का विनियन शक्तिया वडी विस्तार था जार बवित्रि न का जब नक कि चाहन्ह निष्पद्धामन भन न हो माधारण विश्वाया प्रक्रिया म दूना जा महना था। एक मर्वोच्च याय यो था जा संघोय सत्ता जार राज्यु के दीच झड़का हो रहज्या

के बीच के विवादों को निपटाता था। परन्तु बड़ेसाट (Bundesrat) अथवा राज्यों की समिति ही यह सर्वोच्च न्यायालय थी और जूनि इराम प्रश्ना की प्रमुखता थी और सआद् प्रश्ना का प्रायः निरकृश राजा भी था अतः यह समझना कठिन न हासा कि प्रथम विष्वयुद्ध के पूर्ण जमन साम्राज्य में सच्चा सधावाद वित्तना प्रभावहीन था।

प्रथम विष्वयुद्ध ने प्रश्ना की शक्ति का ही नहीं बल्कि जमन साम्राज्य में सधबद्ध समस्त राज्यों के राजवशा को भी नष्ट कर दिया। अतएव, जमन राज्य के समूर्ण आधार के पुनर्निर्माण ने लिए परिस्थिति दुगानी अनुपूल बन गई। चूंकि अब प्रशिक्षा से डरने की बात तो रही नहीं थी, अतएव, एकात्मक राज्य के निर्माण के लिए सशक्त प्रयत्न किया गया परन्तु वडे बाद-विवाद तथा अनवृ ममोद घनान के पश्चात् एक ऐसे नये सव द्वीप स्थापना का निश्चय किया गया जिसमें प्रबल सधीय सत्ता और निर्वाचित राष्ट्रपति की जिसका पद किसी भी जमन नागरिक के लिए खुला रखा गया, व्यवस्था थी। बुद्ध सीमा सम्बन्धी पुनर्गठन भी हुआ और प्रत्यक्ष नभ राज्य (Lander) को लात्तवात्मक संविधान वा निर्माण करने को बिबरण हाना पड़ा।

वेमर गणतंत्र के संविधान में सधीय सरकार की शक्तिया परिगणित की गई थी, जिन्हुंने दो मूर्चियां थीं। प्रथम मूर्ची (अनुच्छेद 6) एकमात्र रूप में सधीय मत्ता की शक्तियों की मूर्ची थी। दूसरी मूर्ची (अनुच्छेद 7) ऐसी शक्तियों की भी भूमि थी जिसका सधीय सरकार राज्यों के माथ माथ प्रयोग करती थी। अनुच्छेद 12 में यह उल्लेख किया गया था कि “जब तक और जहाँ तक सधीय सरकार अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग नहीं करती, वह शक्ति राज्यों के पास रहगी।” यह बात सधीय मत्ता की (अनुच्छेद 6 में परिगणित) अनन्य विधायी शक्तियों को लागू नहीं होती थी। सधीय विधि राज्यविधि से अधिक मान्य थी। राज्यविधि सधीय विधि से अविद्य है या नहीं, इस प्रकार के प्रयत्न पर मतभेद होने की अवस्था में सधीय विधि की अधिक यथार्थ व्याख्या के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करनी होती थी। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सर्वोच्च न्यायालय अब उच्च सदन नहीं बल्कि एक वास्तविक न्यायालय था।

राइखस्टाग वास्तविक विधि-निर्मात्री सभा बन गई। उच्च सदन (राइखस्टाग) ने सदस्य अब भी राज्य-सरकारों के दूत होते थे, परन्तु उसकी शक्ति बहुत कम कर दी गई थी। वह संयुक्तराज्य और आस्ट्रेलिया की सिनेट रो, जहाँ यद्यपि सदस्य राज्यों से आते हैं परन्तु उनका लोकतात्त्वीय रूप से निर्वाचित होता है और जहाँ समस्त राज्यों को गमान रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त है, बिलबुल भिन्न थी। गणतंत्रीय शासनपरदाति ने अन्य राज्यों के ऊपर प्रश्ना वे सख्तात्मक प्राधान्य पर बोई प्रभाव नहीं डाला, क्योंकि राइखस्टाग में किसी भी राज्य के प्रत्येक दस-

लाल्य निवासियों के लिए एक सदस्य होना था। किन्तु चक्रिक इसकी शक्तिया अत्यन्त सीमित थी और चक्रिक प्रशासन तथा साम्राज्य इन दाना का बायंपालिका में तादात्म्य लुप्त हो चुका था, इस बारण बेमर गणतान्त्र के अधीन और पुराने साम्राज्य के अधीन प्रशासन की शक्ति में वास्तविक अन्तर था। संविधान के आर्थिक व्याख्याकार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की रचना से सधाराद के असली तत्त्व का समावश हो गया। इसमें भी आग बढ़कर जनमत संघर्ष के मिहात के संविधान में अवाधि रूप से स्थान दिया गया जिसकी माग शामन अथवा स्वयं जनता दाना ही के हारा और माधारण विधि निर्माण के माथ ही संविधान में प्रस्तावित संशोधना के प्रश्ना के सम्बन्ध में भी की जा सकती थी।

इस प्रवार बेमर गणतान्त्र के जमनी में सधाराद की ये तीना आवश्यक विशेष-ताएँ-संविधान की सर्वोच्चता शक्तिया का वितरण, और शक्तिया को आपस में विभाजित करने वाली सत्ताओं के बीच विवाद की अवस्था में इसकी व्याख्या करने के लिए न्यायालय-मौजूद थी। परन्तु फिर भी एक सधीय राज्य के रूप में जर्मनी में कुछ अद्वितीय विशेषताएँ थीं। प्रथम, शक्तिया के पूर्ण विभाजन के बजाय जिसमें या तो सधीय मत्ता की शक्तिया अथवा सधनिमात्री इकाइया की शक्तिया निःप्रित की जाती हैं, उसमें शक्तियों का त्रिविधि विभाजन किया गया था। प्रथम दे शक्तिया जा अनन्य रूप से सधीय सत्ता के पास थी, द्वितीय, व शक्तिया जिनका प्रयाग सधीय मत्ता राज्य के साथ-साथ कर सकती थी, और तृतीय, वे शक्तिया जिनका उल्लेख नहीं है (परन्तु यहाँ भी सधीय विधि राज्यविधि कर रहे कर सकती थी)। दूसरी विशेषता यह थी कि उच्च सदन को, जो कि समस्त जनता के हितों स पृथक् राज्या के हितों का प्रतिनिधि होता है, समस्त राज्यों का समान रूप से प्रतिनिधि बनाने का व्याय, जैसा कि आज का समस्त अन्य महत्वपूर्ण राज्य में होता है, जनसंघों के आधार पर संभिति किया गया, जिसके बारण प्रणा का उससे दूसरे नम्बर के बृहत्तम राज्य (बवरिया) के मदस्या की सह्या के द्वारा से भी अधिक सदस्य प्राप्त हुए। तीसरी विशेषता यह थी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनमत से होता था (इस बात में गणतान्त्रीय जर्मनी संयुक्तराज्य के समान किन्तु स्विट्जरलैंड से भिन्न था), परन्तु उसे विधानमंडल के प्रति उत्तर-दायी मत्रिमण्डल के माध्यम से बायं करना होता था (इस बात में जर्मनी कनाडा और जास्ट्रेलिया के समान किन्तु संयुक्तराज्य से भिन्न था)।

टमन यहाँ बेमर गणतान्त्र के संविधान का सधीय रूप पर कुछ अधिक विस्तार से विचार किया है, क्याकि यहाँ वह संविधान था जिस हिटलर ने समाप्त कर दिया था और द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त अधिकारकर्ता शक्तिया का इसी संविधान का अनिवार्य रूप से यह विचार करने के लिए आधार बनाना पड़ा कि जर्मना का प्रभिक रूप में अपने दण का गणनीतिक नियन्त्रण सबसे अच्छी तरह किस

भाति पुन दिया जा गवता है। उम प्रवार की एकात्मक प्रणाली, जिसे हिट्लर ने सध्वाद के प्रत्येक अवशेष को नष्ट करने के पश्चात आरोपित किया था, स्पष्टत ऐसी नहीं थी जिसे जर्मनी का उदार तत्व पुन स्थापित करना चाहता अथवा जिसे अधिकारकर्त्ता शक्तिया महन कर सकती। निस्मदेह, मन 1947 के प्रारम्भिक महीनों में मौस्त्रों में पर-गट्ट मत्रियों के सम्मेलन में जो विचार-विभाग हुआ उससे यह स्पष्ट था कि चारों शक्तियों (निटेन, सयुक्तराज्य, सोवियत रूस और पास) ने अतन एक सघीय समाधान को प्रसन्न किया था, यद्यपि पश्चिमी शक्तियों ने हम की अपेक्षा एवं अधिक शिखित रूप का सुजाव दिया था। हमियों को डर था कि बेन्द्र में सबल सघीय शागत के अभाव से विसी ऐरो भावी विस्तार्व या हिट्लर के उदय के लिए मार्ग खुला रह जाएगा जो राष्ट्रीय एकता की अग्ना नारा बना सके।

परन्तु किसी भी अनावश्यक विलय के बिना जर्मन जामन की पुन स्थापना की इच्छा से प्रेरित होकर तीनों पश्चिमी लोकतांत्रीय राज्यों को सोवियत रूस से स्वतन्त्र रूप में कार्य करना पड़ा और मितवर मन 1948 में जर्मन राज्यों के सघ के लिए सविधान वा प्रथम मसौदा, जिसे विशेषज्ञों वी एक नमिति ने तैयार किया था, बॉन-स्थित जर्मन सविधान मभा म प्रस्तुत किया गया। यद्यपि इस सघीय योजना की रचना ऐसी की गई थी कि वह अन्त मे समरत जर्मनी को लागू हो गके परन्तु प्रारम्भ मे वह ग्यारह¹ पश्चिमी राज्यों (Lender) तक ही सीमित रहा जिसकी जनसंख्या मध्यूर्ण जर्मन जनसंख्या की तीन-चौथाई के लगभग थी। इस नबीन गण तत्व मे जिसका आरम्भ मितवर मन 1949 मे हुआ, दो मदनो का विद्यानमछल है सघीय मभा (Bundestag) जो निम्न सदन है और सघीय परिषद् (Bundesrat) जो उच्च सदन है। उसका अध्यक्ष राष्ट्रपति है जिसका निर्वाचन दोनों मदनो के सघीय-सम्मेलन (Federal Convention) दे हारा होता है और वह उनके प्रति मत्तिमछल के माध्यम से उत्तरदायी है।

सघीय गणतत्व के सविधान मे जो अब भी मूल निधि (Basic Law) नह-लाता है, दो लम्बी सूचियों मे उन विषयों को परियणित किया गया है। एक सूची मे वे विषय उल्लिखित है जिन के सम्बन्ध मे विधि निर्माण की शक्ति अनन्य रूप मे सघीय सरकार को प्राप्त है और दूसरी सूची मे वे विषय है जिन के सम्बन्ध मे सघीय एवं राज्यीय दानों सरकारों को समर्वती शक्तियाँ प्राप्त है। सघीय सूची के विषय मे सविधान य यह उल्लेख है कि राज्य को, जहाँ तक मूल विधि

¹ उस समय के बल उस ही राज्य थे। सन 1951 और 1956 मे स्वीकृत राज्यों के पलस्तवरूप कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ जिसमे सारलैण्ड के नये राज्य का गठन हुआ।

विद्यायी सत्ता संघ को नहीं देती, विधि-निर्माण का अधिकार है। आगे वहा गया है कि जो विषय संघ की अनन्य विद्यायी मत्ता के अधीन हैं, उनके सम्बन्ध में राज्य को विधि-निर्माण का अधिकार होगा परन्तु केवल उसी मिथनि में जब जि और उसी सीमा तक जहाँ तक किसी सचिव विधि ने उन्हे विधि-निर्माण का स्पष्ट हप में अधिकार दिया हो। समवर्ती सूची के विषय में गज्य को 'जप तब संघ अपनी विद्यायी जनियों का प्रयोग नहीं करता' तब तक विधि-निर्माण का अधिकार होगा। इस सीमा तक, हालांकि यह बड़ी सदृचित है, रक्षण जनियों राज्यों के पास है। सविधान ने एक संघीय सविधानी न्यायालय की भी मूल विधि वी व्याख्या के सम्बन्ध में निर्णय देने तथा संघ एवं राज्यों के बीच उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के सम्बन्ध में तथा संघीय पर्यवेक्षण के प्रयोग के सम्बन्ध में मतभेदों का निपटारा करने के लिये स्थापना की है। इस प्रकार यह एक लाक्षणिक संघीय राज्य है जिसमें सविधान की मर्वोच्चना, शक्ति-वितरण तथा संघीय और राज्यीय सत्ताओं के बीच के विवादों का निपटारा करने के लिये एक मर्वोच्च न्यायालय—य तीनों विशेषताएँ दृष्टान्त के हप में सौजन्य हैं।

8. सोवियत् रूस और युगोस्लाविया में संघवाद

यद्यपि जैसा कि इस ऐनिहामिक अध्याय में देख चुके हैं, सोवियत् रूम ने, अपनी राजनीतिक सत्त्याओं की स्थापना में पश्चिमी सविधानवाद पद्धतियों को वस्त्रोत्तर दिया है पिर भी सोवियत् रूम एवं सभराज्य है और मन् 1936 के स्टालिन-सविधान के संघीय पहलुओं में, कमन्स-वर्म लिखित हप में, उन सविधानों में से, जिनका हम इस अध्याय में परीक्षण वर चुके हैं, कुछ ऐं भाष्य भावें का सदृश्य है। यही बात मन् 1946 के युगोस्लाविया के संघीय जनतानीय गणतंत्र के सविधान के सम्बन्ध में भी मही है जिनका निर्माण माटे हप से सोवियत् रूम के सविधान के नमूने पर हुआ था, हालांकि उसका बहुत कुछ हप-न्यायालय हो चुका है। पिर भी इन नए और अधिक आनिकारी सविधानों की पुराने संघों के सविधानों में तुलना वरना रचिकर होगा।

मन् 1918 का नेतिन का मूल सोवियत् सविधान केवल योरोप में मिथन मुख्य हप को लागू था, जो उस समय तक 'सोवियत्-संघीड़त समाजवादी गणतंत्र (Russian Soviet Federated Socialist Republic)—संघोप में आर एम एम आर—के नाम में जान था। मन् 1923 में पहले यूरेन के भड़िन तीन अन्य देशों के, जिन्होंने मोवियत् त्रानि कर्वी थीं, हमी सोवियत् संघीड़त समाजवादी गणतंत्र में स्वेच्छा से सम्मिलित होने से सोवियत् समाजवादी गणतंत्रमध (Union of Soviet Socialist Republics) की स्थापना हुई और उसके पश्चात् ऐं अन्य सोवियत् गणतंत्रों ने, जो योरोप और एशिया दोनों ही में प्राचीन

सभी गांधारज्य के विभिन्न भागों में स्थापित हो चुके थे गम्भिर हानि से दूर कर धीरे-धीरे बिनार हुआ। उस सविधान से सधीय गता की शक्तियाँ रा विशिष्ट स्थल में निर्माण किया गया था और अतिशिष्ट शक्तियाँ रा नवनिर्माण गणनवा के पास छाट दिया गया था। तेविन रे गविधान रा स्वान न्दारिन द्वारा संयोग किया गा गविधान न तिथा जिसे गांधा म गाविधन की अद्वित-सधीय लाप्रेग ने गन् 1936 म अगोड़त किया था।

गन् 1936 के गविधान ने दूसरे अध्याय में गजयमगठन का वर्णन की। इसों अनुच्छेद 13 में वहा गया है कि मार्गियन् ममाजवादी गणतवमध (यू.एम.एम.पर.) एक सधीय गज्य है जिससा निर्माण प्यारह मार्गियन् ममाजवादी गणनवा (सभी मार्गियन्-मवीकृत ममाजवादी गणनव यूप्रेन, अनेत इम, जर्जिया जार्भीनिया आदि) के गिनम रुद्र ए मुख्य गज्य के अनिवित स्वायत्तशासी गणतव तथा स्वायत्तशासी प्रश्न भी है स्वन्दा म गम्भिर हो जाने रे आधार पर हुआ है। सधीय गता की शक्तिया का अनुच्छेद 14 म अप्य स्थ में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15 में वहा गया है कि इन परिभीयाओं में बाहर माइ वा प्रत्यक्ष गणतव अपनी गजयगिरि वा स्वतवतापूर्वक ध्योग उन्नता है। इगमें आगे रे अनुच्छेदा में रहा गया है कि सध के प्रत्यक्ष गणतव का अपना मविधान है (अनुच्छेद 16) सध के प्रत्यक्ष गणतव का सोरियन् ममाज-परदी गणतवमध ने स्वतवतापूर्वक पूर्यह हो जाने का अधिकार है।" (अनुच्छेद 17), और 'सध के गणतवों की सीमाएं उनरी गम्भिरि के गिना परिवर्तित नहीं की जा गरेगी।" (अनुच्छेद 18)

अनुच्छेद 47 (1947 मे मर्गोधित स्थ गे) गदना के बीच मनषेद वी अनुस्था मे, गमजीता-गणोग (Conciliation Commission) की स्थापना उत्ता है, यदि इम व्यवस्था मे गमजीता न हो सरे और गदनों के बीच भी कोई समनोता न हो तो नए निर्वाचन रिए जाने है।

इग समय सधीउत सोवियत् गणतवों की सद्या पन्द्रह है इन्हे गियाय शार्टर स्वायत्तशासी गणतव भी है। इन पन्द्रह गणतवों मे इन्टोनिया, लैटिया और नियुआनिया के गणतव भी है जो गन् 1940 मे शामिन रिए गए हे। ये चालिटर गज्य प्रथम गियवपुद के बाद स्वतव गज्या के स्थ मे स्थापित किए गए थे, परन्तु दो बलगान् पडोसी गज्या के बीच उनवा अस्तित्व गदा ही अस्थिर रहा। रिन्तु गन् 1939 मे रूम-जेम्बन शान्ति ममजीते मे इन पर समियों का नियत्रण गान्य किया गया था, यद्यपि इम के जर्मनी के गाथ हुए युद्ध के प्रारम्भिक दिनों मे जर्मनी ने इम पर कब्जा कर लिया था। बाद मे रूसी परिवमी अभियान मे के पर यार किर सभी प्रभुत्व मे आ गए। परन्तु युद्ध की समाप्ति के बाद से सोवियत् स्थ ने उन्हे सध (यूनियन) मे पूर्यह होने की डजाजन देने का कोई भी

इरादा प्रकट नहीं किया। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य सोवियन् संघ की सधीय नम्यता है, जिसके करण शायद किसी भी पड़ासी राज्य को अपने सधीय स्वरूप में गडबड ढाले बिना वह अपने अन्दर बिलीन कर सकता है। सोवियन् समाजवादी गण-तत्त्व संघ का साविधानिक मिहान्त ऐसा ही है जो कि उसके सत्तावादी व्यवहार से भिन्न है।

युद्धोत्तर युगोस्लाविया माम्यवादी राज्य बन गया। परन्तु उसके प्रथम संविधान में सोवियत रूस का प्रभाव स्पष्ट होते हुए भी वह रूस का पिछलगू नहीं बना। उसकी स्थापना प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् सर्विया के मूल राज्य के साथ कुछ आसपास के क्षेत्रों को जो कि अधिकाश में प्राचीन आस्ट्रिया-हगरी साम्राज्य के पूर्ववर्ती प्रान्त थे, मिलाकर की गई थी। इस राज्य के निवासी अत्यधिक भिन्नवारीय थे जिनमें से अधिकाश मर्बे, श्रोट और स्लोवोनिया के मिले राज्य तथा बोमनिया, हर्जीगोविना, ओशिया, डेलमेशिया, स्लावोनिया के जिले जा पहले आस्ट्रिया-हगरी के थे तथा युद्धपूर्व बलगारिया की एक पश्चिमी पदी सम्मिलित थे। ऐसे क्षेत्रों और लोगों के झगेल से एक मशक्त संयुक्त राज्य बनाने की आज्ञा व्यर्थ ही थी, तो भी उसी के लिए प्रयत्न किया गया। यदि कभी भी एक नए राज्य की स्थापना के पूर्व की किसी भी परिस्थिति में सधीय प्रयोग का परीक्षण आवश्यक था तो वह यही थी। तो भी उसके लिए एवात्मक प्रणाली का ही निश्चय किया गया।

द्वितीय विश्वयुद्ध के अत वे माथ, यह सधीय राज्य जो पहले की परिस्थितियों में बाल्फीय था, अस्तित्व में आया। मन् 1945 के अन में एक संविधान सभा ने एकतत्र को समाप्त बनने तथा सधीय लोकगणराज्य की स्थापना करने का निश्चय किया। यह संविधान 31 जनवरी मन् 1946 को नार्यान्वित हुआ। उसके अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि युगोस्लाविया गणतंत्री हृष का सधीय लोकराज्य है, ऐसे लोगों का समुदाय है जिन्हाँने एक सधीय राज्य में भाष्य-भाष्य रहने की इच्छा प्रकट की है। अनुच्छेद 2 में सध बनाने वाली इकाइयों का इस प्रकार वर्णन है-

“युगोस्लाविया का सधीय लोकगणराज्य, सर्विया के लोकगणराज्य, ओशिया के लोकगणराज्य, स्लोवोनिया के लोकगणराज्य, बोमनिया-हर्जीगोविना के लोकगणराज्य, बेसीडोनिया के लोकगणराज्य, तथा भोटीनीयों के लोकगणराज्य से मिलकर बना है।” अनुच्छेद 44 की लम्बी मूर्ची में सधीय सत्ता की शक्तिया परिणित है। इन शक्तियों में रक्षा तथा राजनय से सबढ़ सामान्य कृत्यों के असामान्य अप्य सामाजिक खेल, और सहकारी संस्थाओं, वित्त, अदालत तथा सामाजिक व्यवाय से सम्बन्धित सौनित विधिनिर्माण भी मिलते हैं। रक्षित

जनिता संघतिमन्त्री डाक्टरों के नाम है। मध्यीय संघीय सभानमित्र (Federal Assembly) में दो सदन थे—गण्डुजानि-परिषद (Council of Nationalities) जो अम्ब इराइयों के मुकाबले में गवर्नर इराइ के हिता रा प्रनिनिधित्व रखती थी और संघीय परिषद (Federal Council) जो गमगत नागरिकों के हितों का प्रनिनिधित्व करती थी। यह 1953 में प्रश्नापिता नवे संविधान में बन्दीयत्व की ओर प्रवृत्ति दिखाई देती थी योगि उगम गवीय परिषद का रायम गवाने हुए राष्ट्रजनिपरिषद के स्थान पर उत्पादन परिषद की व्यवस्था की गई थी और दोनों परिषदों के निवाचित गवीय व्यवस्था गावकीता भवाधिकार के आधार पर की गई थी।

यह 1963 में एक नव संविधान न गमगत में मीठिक परिवर्तन पर दिया। राज्य का नाम राष्ट्र—जूगोस्लाविया रा गमाजपादी संघीय गणतंत्र और पिछली दोनों परिषदों के स्थान पर शेष नदानों की स्थापना की गई जो प्रमुख संघीय गमाना और व्यवस्था शिक्षा गामानिया व्यवाण और राजनीतिक गमगत को नवारथा करते हैं। इसे वित्तिरक्त राष्ट्र जातियों का एक सदन भी है जो इसी नाम की एक विद्युती संस्था रा गुनर्वीचित रूप है। इसके गाथ, इन विचित्र मदनों के बीच गिरा होने वाले वृलासम्बन्धी विवादों पर विचार करने के निये एक नवे संविधानी न्यायालय की भी स्थापना की गई।

९. लैटिन-अमरीका में संघीय राज्य

लैटिन-अमरीका एक ऐसा क्षेत्र है जिसका अभी बेवक्त अशिक्ष रूप में ही पिनास हो गया है और शारान भी यहां में वह जो भी कुछ हमें शिक्षा दे सकता है, वह वर्तमान तथा भूा की अपेक्षा भविष्य भी यात हो गती है। ऐसी भी व्यक्ति दक्षिणी अमरीका के राज्यों को लोगोतङ्क के लाभप्रद भार्याविया के अथवा दस्तावेजी संविधानों से प्राप्त किए जाने वाले लाभों के उदाहरणों के रूप में प्रत्युष नहीं होंगे। अधिरक्तम प्रेदानों ने तो इन्हे उम दुर्गति का भयानक उदाहरण माना है जो स्वायत्त शासन की बला के अनुभव से रहित होने हुए भी अपने प्राचीन रथवों में नाता लोडने वालों की हो सकती है, और निश्चित रूप से दक्षिणी अमरीका गे राजनीतिक संस्थाओं की अस्थिरता इन वेतावनियों के औचित्य को सिद्ध करती दिखाई देती है। तो भी, जैसा कि श्राइस ने कहा है, सोन (और पुर्तगाल) की अधीनता के जुए को उतार पैंचने के बाद की एक शताब्दी के विवात के दौरान में दक्षिणी और मध्य अमरीका के राज्यों की उत्तर-फेर और उन्होंने अनुभवों ने, "राजनीति के क्षेत्र में मानव-स्वभाव के कुछ पहलुओं पर पर्याप्त प्रभाव डाला है। हमारी दिलचस्पी तो उस रीति में है जिसमें वे, उन क्षेत्रों में भी, जो कि उनित हग रो परिवर्त नहीं हुए हैं, पाश्चात्य संविधानवाद और विशेषज्ञ

सम्युक्तराज्य के संविधानबाद के प्रभाव को प्रकट करते हैं। जब ये लैटिन अमेरिकन उपनिवेश स्वतंत्र हो गय, तो उनमें स प्रत्येक का अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल शामन के स्वरूप की खोज करनी पड़ी। कुछ ने सधीय ढग का सगठन प्रस्तु दिया परन्तु उन राज्यों में जिन्होंने उसे अपनाया, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि संघबाद ने वह राजनीतिक स्थिरता मुनिष्चित करदी है जो ऐसी संविधानी प्रणाली के सफल वार्डन्वेन्यन के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

मध्य तथा दक्षिणी अमरीका के बीम गणतन्त्रों में चार —अर्जेन्टाइना, ब्रेजील, बेनेजुएला और मेक्सिको—मधीय राज्यों के दिलचस्प उदाहरण हैं। इन चार राज्यों ने स्पेन तथा पुर्तगाल के विश्व विद्रोह के महान् युग (सन् 1810-30) के दौरान में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। अर्जेन्टाइना का जिसने 1853 में सम्युक्तराज्य के नमून पर एक संविधान प्रस्तावित किया दूसरा नाम राज्यों की लास्टेटा के सम्युक्तशास्त्र में था। इन राज्यों अबका प्रानों के हाथों में रक्षित शक्तिया हैं, परन्तु बेन्द्र के अधिनायकों ने राजनीतिक वाक्छल द्वारा उनके अधिकारों का सामान्यतया दुर्घट्योग किया है। जिन्होंने निरन्तर होने वाली रक्षा नीतिक उचलपुथल के बावजूद अर्जेन्टिना अधिक दृष्टि से उन्नति करता रहा है और वह लैटिन-अमरीका के अत्यन्त सम्पन्न राज्यों में से एक है।

ब्रेजील ने सन् 1822 में अपने-आपको पुर्तगाल से स्वतंत्र घोषित कर लिया था, परन्तु वह सन् 1889 तक द्वितीय डॉम पेर्डो नामक भास्त्राद् के द्वारा जास्तिहोना रहा। मरन से दो वर्ष पूर्व जब कि उसने राजपद को त्यागा था, ब्रेजील एक सधीय गणराज्य घोषित किया गया। इसमें राज्य-सरकारों के पास वडी मात्रा में रक्षित शक्तिया थीं, जिन्हें वे कुछ काल तक भागती रही। विन्तु वर्तमान शताब्दी में अनेक विद्रोह और संविधानी परिवर्तन हुए हैं जिनकी प्रवृत्ति अधिक एवारमक राज्य तथा नेताबादी व्यवस्था की ओर है। इसी बीच, ब्रेजील में वडा आधिक विकास हुआ है और मूल रूप में गणतन्त्र का सधीय सगठन उस पर हानि-वाले प्रहरों को लह कर जीवित बना दुआ है।

बेनेजुएला में (सरकारी तौर पर इसका नाम बेनेजुएला के सम्युक्त राज्य है) 1830 म प्रस्तावित प्रथम संविधान के द्वारा एक सधीय ढग का शामन स्थापित किया गया था, जिसमें सघ का निर्माण करने वाले राज्यों को वासी शक्तियाँ प्राप्त थीं। इस संविधान को कई कठिनाइयों का मामना करना पड़ा और उसमें कई परिवर्तन हो चुके हैं। 1947 में एक नये संविधान ने राज्यी के अविच्छिन्न अस्तित्व को स्वीकार किया और अधिक उदार प्रजातन्त्रीय प्रणाली के स्वरूपों का आरम्भ किया, फिर भी 1960 तक गणतन्त्र का कोई भी प्रजातन्त्रीय ढग से निर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद पर एक वर्ष पूरा नहीं कर सका।

मेक्सिको ने एक शताब्दी पूर्व सम्युक्तराज्य के नमूने पर एक सधीय योजना

को अनानादा था। सन् 1917 में प्रदृशापिन एक नये संविधान के अधीन, जिसमें 1929 के बाद वही संग्राम हो चुके हैं घोषणा की गई विभिन्नको 28 राज्यों का एक संघीय गणतंत्र है जिनमें से प्रत्येक को अपने स्थानीय मामलों की व्यवस्था करने का अधिकार है भेक्षिकों में वही व्यानियां हृदृहि परन्तु पिछों कुछ वर्षों से रिवोल्यूसनरी इन्स्टीट्यूशन न पार्टी नामक एक राजनीतिक गुट के निरन्तर बने हुए प्राधार्य के द्वारण राजनीतिक स्थिति पहले से अधिक स्थिर हो गई है।

इन सब बातों से यहीं परिणाम निकाला जा सकता है कि संघवाद एवं ऐसा आदर्श है जिसको तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उभयों द्वच्छा को उसे प्राप्त करने में दृढ़ सकला का सहारा न मिले। इसका नात्यर्थ यह है कि यदि आवश्यक हो तो संघनिमित्ती इकाइया के सम्मिलिन बल का भी प्रयोग विया जाय। विसी भी अन्य संविधानिक रूप की अपेक्षा संघवाद के लिए जनभत के बल की अधिक स्पष्ट और तात्कालिक आवश्यकता है और जहाँ कहीं भी राजनीतिक अनुभव का अभाव है—और यह उक्ति दक्षिण-अमरीकियों की अपार बहुसंख्या में विसी भी भाति की शिक्षा के अथाह अभाव को बर्णन करने का विनाश तरीका है—संघवाद कदापि सफल नहीं हो सकता। निस्सदैह सभी दक्षिण-अमरीकी राज्यों में बल ना वेभी अभाव नहीं रहा है, परन्तु इसका प्रयोग कलह-पूर्ण, पश्चापातपुक्त और निरकुश रहा है। इसका नियर्थ स्पष्ट है। जैसा द्वादस ने कहा है, “इम रोंगे दिश्वास के बल पर कि जब माधन प्राप्त होंगे तो वे उनका प्रयोग करने वालों को कुशल भी बना देंगे, जनता को वे सस्थाएं मन दो जिनके वे अपोग्य हैं।” पिर भी अधिक समुन्नत राज्यों में से एक या दो में वास्तविक प्रगति दिखाई देने लगी है और यदि यही त्रम जारी रहा तो संविधानवाद फिर भी कुछ सफलता प्राप्त कर लेगा। अब भी संघवाद ही ऐसा रास्ता हो सकता है जिसके सहारे जब लोग यह अनुभव करने लगेंगे कि त्विरता के बिना सैटिन-अमरीका के किंतृत आधिक साधनों का वभी भी पूर्णरूपेण विकास नहीं किया जा सकता, राजनीतिक स्थिरता कायम रखी जा सकेगी।

नम्य संविधान

१ साधारण विवेचन

पहले अध्याय में हमने संविधान की जो मर्वोत्तम परिभाषा दी थी, वह स्वर्गीय लॉर्ड ब्राइस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि संविधान “विधि से और उसके द्वारा सगठित राजनीतिक समाज का एक हाता है, अर्थात् ऐसा जिसमें विधि ने निश्चिन अधिकारों और स्वीकृत कृतयों वाली स्थायी स्थापना की है। जब हम यह देखते हैं कि संविधानों के दो वटे वर्गों के बीच के अन्तर को व्यक्त करने के लिए 'नम्य' (Flexible) और 'अनम्य' (Rigid) ये दो शब्द भी हमें उसी लेखन से मिलते हैं, तब हम इस बात पर फिर जोर देते हैं कि लिखित और अलिखित, अथवा, जैसा कि हमने कहा है, दस्तावेजी और पीर-दस्तावेजी संविधानों के बीच कभी-कभी जो अन्तर प्रकट किया जाता है वह मिथ्या है, क्योंकि भले ही विसी संविधान को दस्तावेज रूप में प्रस्तुत न किया जाय, तो भी वह संविधान ही है। इसे अस्वीकार करना अमरीकी लोकतंत्र के महान् भासीकी भाष्यकार डी० टोक्सिल की गलती धुहराना होगा, जिसने इस कारण ने नि वह द्रिटेन का कोई संविधानी दस्तावेज न प्राप्त कर सके, पह वहाँ कि झेंगरेजी संविधान का अनित्य ही नहीं है।

दस्तावेजी संविधान उन ममुनत राजनीतिक चेतना की अभिव्यक्ति है जो शामन की विद्यमान पद्धतियों की प्रथार्थता के प्रति मज़बूत हो गई है। यदि हम ब्राइस के अध्यन का विवेचन करें, तो हम वह सकते हैं कि ऐसे संविधान के प्रछ्यापन की इच्छा के कारण निम्नलिखित उद्देश्यों में से एक या अधिक हो सकते हैं।

(१) नागरिकों की अपने अधिकारों को जब उनके लिए कोई खतरा उपस्थित हो मुरक्कित रखने और शामन के बार्यों पर ग्रनित्रध लगाने की इच्छा।

(२) शामिनों की अथवा अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने के हेतु शामन की शामन की विद्यमान व्यवस्था को, जो कि तब नह अनिश्चित रूप में हो, निश्चिन रूप दे देने की इच्छा जिसमें भविष्य में मनमानी वार्ष्यवाहियों की सम्भावना न रहे।

(3) नया राज्य रथापित वरन योना की शासन के दाने वा हृप स्थायी और प्रजा को बाधगम्भी बनाने की इच्छा।

(4) अब तब पृथक् रहन वाल ममुदाया की, जो अब भी कुछ अधिकारों और हितों को पृथक् हृप से अपन पाप ग्यना चाहत है प्रभावपूर्ण सयुक्त कार्य-वाही सुनिश्चित करन की इच्छा।

उसी विद्वान् का फिर अनुसरण करत हुए हम यह भी कह सकत है कि दस्तावेजी संविधान का निम्ननियित नाम सम्भव तरीका में से विसी एक से उद्भव हो सकता है।

(1) 'वाई राजा अपनी प्रजा का स्वयं का तथा अपन उत्तराधिकारिया का नियमित तथा साविधानिक रीति संशोधन वरन के तथा पूर्व के कुण्डलयोग के बजंन के लिए बननवढ़ करन के लिए संविधान प्रदान कर सकता है।' इसका उदाहरण सन् 1814 में फ्रांस म अठारहवें नुई द्वारा जारी किया गया फ्रांसीसी चार्टर है, जिसका सन् 1830 म नुई फ्रिलिप द्वारा कुछ परिवर्तनों के साथ पुनर्नवीकरण किया गया था। सन् 1848 का साईंनिया का संविधान और सन् 1850 का प्रश्ना का संविधान भी ऐसे ही उदाहरण है।

(2) ऐसे संविधान एक ऐसे राष्ट्र द्वारा भी अस्तित्व में लाए जा सकते हैं जो शासन के पुराने हृप को नष्ट कर एक नए हृप का मृजन करता है, जैसा सन् 1790 से आगे फ्रांसीसी गणतन्त्रों ने तथा अमरीका के सयुक्तराज्य के प्रारम्भिक तेरह राज्यों ने किया।

(3) ऐसे संविधान एक नय समुदाय द्वारा, जो कि अब तक राष्ट्रीय राज्य नहीं रहा है, ऐसे समय में सृजित किए जा सकत है, जब कि वह औपचारिक हृप में स्व-शासित राज्य का हृप धारण करता है। इसके उदाहरण स्पष्ट हृप से वे राज्य हैं जो कि योरोप में प्रधम विश्ववृद्धि के पश्चात् अस्तित्व में आए, जैसे पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया।

(4) अत मे ऐसे संविधानों की उत्तरि शिखित हृप से गठित स्व-शासी समुदायों वो मजबूती ने साथ समर्थित वरन वाले व्यवन के द्वारा भी होती है। ऐसी प्रक्रिया के द्वारा राज्यों का एक समोग गाव संघराज्य बन जाता है और उस संविधान का, जिसके आधार गर ऐसा परिवर्तन होता है, अनम्य हाना अनिवार्य ही है। ऐसी प्रक्रिया से उत्तरो अमरीका का शिखित कॉनफोडरेशन, जैसा कि वह सन् 1783 में निटेन से पृथक् होने के समय विद्यमान था, बदलकर सन् 1789 में संघराज्य बन गया, जैसा कि वह आज है। विद्यमान रिव्ट्जरलेंड गणतन्त्र इसका दूसरा उदाहरण है। इसी भावि आधुनिक जर्मन साम्नाज्य भी इसका एक उदाहरण है, जिसकी सन् 1815 के जर्मनी के कॉनफोडरेशन से अमिक हृप से सन् 1871 मे सृष्टि हुई।

आजवल बेवल एक अर्थात् ब्रिटेन के संविधान वे सिवाय प्रत्येक महत्वपूर्ण संविधान इसी काटि का है। परन्तु कई संविधान इस अर्थ में ब्रिटिश संविधान के समान हैं कि उनमें संशोधन के लिए संविधान में निर्धारित किसी विषेष प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना साधारण विधि निर्माण पद्धति से ही परिवर्तन निया जा सकता है। इस भाँति लिखित और अलिखित संविधानों के बीच में बतापा गया अन्तर तीन तरह से घ्रम में डालने वाला है। प्रथमतः वह हमें यह सुझाव देकर गुमराह करता है कि अलिखित संविधान में विकास का एकमात्र आधार रुढ़ि तथा पूरबदृष्टात् का दर है, और लिखित संविधान में अलिखित प्रथाओं की कोई गुजारण नहीं है। परन्तु जैसा हम कह चुके हैं, इस प्रकार के रूप में कोई भी संविधान न तो लिखित ही है और न अलिखित। यदि हम 'नम्य संविधान' पद का प्रयोग करे और यदि उस समय हमारा तात्पर्य ऐसे संविधान से हो जिसमें उस स्थापी रखने के लिए किसी भी लिखित विधि का अस्तित्व न हो तो हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि आज सासार में ऐसे नम्य संविधान का एक भी उदाहरण मौजूद नहीं है। जब भी हम, उदाहरण वे लिए ब्रिटेन के संविधान की उसे अलिखित संविधान कहकर चर्चा करते हैं तो हमारा एक धरण के लिए भी यह मनलब नहीं होता कि उसमें किसी संविधि का समावेश ही नहीं है, वयोंकि जैसा हम बताएं ऐसी बहुत-सी संविधियां हैं। इस सम्बन्ध में ब्रिटिश संविधान के विषय में जो कुछ भी हम कह सकते हैं वह यही है कि दूसरी की अपेक्षा उसमें रुढ़िया और परम्पराएँ अधिक हैं, और समस्त अन्य संविधानों के विषय में भी हम यह वह सकते हैं कि उनमें से कोई भी रुढ़िया तथा परम्पराओं से अप्रभावित नहीं रहा है।

द्वितीय, लिखित तथा अलिखित संविधान म अन्तर इस कारण भी भ्रामक है कि उससे यह उपलक्षित होता है कि सिवाय उन विधियों के, जो कि संविधान वह जाने वाले एक दस्तावेज में एक साथ समाविष्ट कर दी जाती हैं, संविधान की अन्य कोई भी विधियाँ नहीं हो सकती। यदि ऐसा कोई दस्तावेज विद्यमान नहीं है तो इस तर्क का आशय यही है कि संविधान की काई विधि नहीं है। टोक-बिल न यही उपलक्षित विषय था। उसन सन् 1834 में सिवाय था, परन्तु यदि वह बीसवीं शताब्दी में लिखना तो भी वह सम्भवत यही बहना, क्योंकि इस भव्यवर्ती काल में उसके तर्क में परिवर्तन लाने वाली कोई भी बान नहीं हुई, ब्रिटिश संविधान बहलाने वाला बाज भी कोई दस्तावेज नहीं है। यह सच है कि टोक-बिल के काल से आज तक ब्रिटेन में संविधान का रूपान्तर बरने वाली अनेक विधिया पारित हुई है, परन्तु, जैसा एक अवच्छिन लेखवां न वहा है, यह बहना नि सन् 1911 के समदीय अधिनियम के पारित हो जाने के समय से ब्रिटिश संविधान आशिक रूप से नियित संविधान है, उन बहुसंख्यक विधियों की उपेक्षा बरना है जिनसे उस

समय से पूर्व संविधान का रूप देने में गहापता प्राप्त हुई थी। यह वह सन् 1911 से आज तक अशत लिखित है तो वह उस समय से पूर्व भी अशत लिखित था।

तृतीय, यह अतर इसलिए भी गुप्तराह करने वाला है कि इसके द्वारा हम यह विश्वास करने लगते हैं कि विधि अनिवार्यता लिखित रूप में हानी चाहिए। परन्तु यह बात निश्चय ही असत्य है। यदि हम ऐसे किसी संविधान को बता भी सके, जो पूरणरूप से रूढ़ि के आधार पर ही विनियत हुआ था, तो भी हम यह बलपूर्वक कह सकते हैं कि उसमें विधि भी थी, क्योंकि रूढ़ि में भी विधि वा बल विद्यमान हा राकता है और इसके अतिरिक्त, यह बात भी है कि विधि विस्तीर्णी प्रक्रिया से गुजर विना भी लिखी हुई हा सकती है।

2 विधि का स्वरूप

अपन विषय-प्रबोध सम्बन्धी अध्याय में हमने विधि के तीन प्रकारों का उल्लेख किया है। प्रथम, सामाजिक आचारों के एवं अभ्यासों का वह निकाव है, जिसे हम रूढ़ि कहते हैं और जो किसी भी औपचारिक वंधिक प्रक्रिया से अछूती है। इनमें से बहुत-सी, आधुनिक परिस्थितिया में, प्राचीन काल की वसीयत के रूप में विद्यमान है, परन्तु वे आधुनिक पश्चिमीय राज्यों जैसे अति सम्य समाजों में नैतिकता तथा शिष्टाचार के नियम मात्र हैं। तृतीय, विधियों की ऐसी औपचारिक कोटि है, जो संविधि-रूप में लिखी तो नहीं गई है, परन्तु उचित रूप से गठित न्यायालयों में विधि के रूप में पूर्णरूप से प्रवर्तित होती है। यह वादजन्य विधि या न्यायाधीश निर्मित विधि है और इगलैंड में वह विधि का बड़ा पुर्ज है जिसे हम देश विधि (Common law) के रूप में जानते हैं। तृतीय, संविधि कहनाने वाली वे लिखित विधियां हैं जो कि विधानमंडल अथवा संसद द्वारा उचित रूप से पारित होती हैं।

विधि की इन तीनों शाखाओं का अन्तिम बल शाति और उन्नति के लिए समाज की इच्छा है, क्योंकि, जैसा कि हम पहले भी जार दें चुके हैं, राज्य बोवल राजनीतिक रूप से संगठित समाज है, और समाज यो अपने राजनीतिक अस्तित्व को जितनी अधिक चेतना होती है, वह अपने उद्देश्यों के सरकारण तथा उन्नति के लिए शासन के उपकरण का उतना ही अधिक जान-बूझकर प्रयोग करता है, और उन उपकरणों के दुष्प्रयोग को भी अधिक रोकता है। विधि के निर्मित संगठित समुदाय को (यह याद रखना चाहिए कि हमारी राज्य की परिभाषाओं में से एक यह थी) आगे बढ़ना चाहिए, परन्तु वह यह भी जानता है कि उसे ऐसा अधिक शीघ्रता से नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि समाज के दो पहलू होते हैं निश्चल अथवा स्थिर और गतिशील। यह एक ऐसा सत्य है जिस पर ऑफिस कॉम्प्लेक्स के इस सिद्धांत में जोर दिया गया है कि “उन्नति व्यवस्था का विकास

है। शासन का प्रधान समस्या यही है कि व्यवस्था का चार पहुँचाए बिना प्रगति बस बी जाय। इम भानि तीना प्रवार की विधिया परस्पर एवं दूसर पर प्रभाव डानती है। उन्हरण के निए यदि रुढ़ि अत्यन शोष्ट्रता स विवसित होना निष्ठाई दती है तो यायाधाश निर्मित विधि या सविधि इसक प्रकाह बा राम सकता है। यदि यायपारिका का बाइ नियम नामन व विश्व दिखाई दता है तो उस नियम का पनटन क निए विधानमडल का आह्वान विया जा सकता है। यदि विधानमडल के नियम समाज के भत का निराम बरत है तो लाक्ष्मत विधानमडल का उस बदलन या निरस्त बरत वो विवग बर सकता है या उस मानन स इनकर करक एसी विधि का निर्जीव बना सकता है।

यहा बात विधि की दस शाखा पर भी नाम हानी है जा राज्य व गठन का प्रायक्ष रूप स प्रभावित बरता है जिसस हमारा यही विशेष रूप स सम्बाध है और जा सामाजितया माविधानिक विधि कहलाता है। समस्त राज्या भ विधि की यह शाखा विद्यमान है और विधि निर्माण का तीनो पद्धतिया का—समाज भी स्त्रिया अवदा रिकाजा यायाधीशा के नियमा विधानमडल के अधिनियमा का उसका रखना भ निर्मित मावाओ भ उपयोग विया जाता है। जहा तक प्रथम दा पद्धतिया का सम्बाध है विभिन्न मविधाना भ बेवर मावा का ही अन्तर है क्योंकि एसा बोई सविधान नहा है जिमय एस रिकाज न हा जिनकी स्वापना विधि के जाधार पर न हृकर रुढ़ि के जाधार पर होना है और न एसा ही काई सविधान है जिसक विकास म यायात्रा के नियमा न कुछन-कुछ भाग न लिया हो। समुक्तराज्य जमराका या फास म इस प्रकार सविधान क विकास का प्रभावित बरत वान नियम कम हूए भ और गिटन म जरिन। जहा तक नि दीमर प्रकार ज्यात वान्तविक नविधि का सम्बाध है सविधाना म बवर मावा का ही नहा बक्कि प्रकार वा भी भद है। यही हम माविधानिक विधि शब्द व दा अर्यो क बाच भद कर नना चाहिए। अपन विस्तृत जय म इमका तात्पर्य एसी विसी भी सविधि या नियम विधि स है जा कि मविधान का प्रभावित बरती है। सीमित अव म दममे तात्पर्य कवल उम विधि स है जा कि सविधान बहुतान वान दस्तावज भ और सविधान म वित्तन या सशाधन बरत क निए मूल सविधान भ निर्धारित किमी विशेष प्रविया स जा पारित विधिया म ममा विष्ट है।

अब यह स्पष्ट है कि गिटन के सविधान क समान गर अन्तावजा मविधान म एग सीमित अव म बाइ माविधानिक विधि नना है। यह भी प्रायक्ष ही है कि एस विसा भी दम्नावजा मविधान भ जा अपन सशाधन के सम्बाध म बाई भा विशेष गत नियारित नहा बरता—और विमवा उन्हरण ममातिना द्वारा निर्जीव बना निए जान समूक का शूल इष्टाविष्ट सविधान है—इस अव म बाद भा सशाधन

साविधानिक विधि नहीं होती। अतः, मुख्य अन्तर ता उनमें परिवर्तन करने वीं पद्धतियों का बीच है। कोई भी प्रेक्षक विसी ऐसे सविधान के सम्बन्ध में जिसकी जड़े प्रिटन के सविधान के सदृश पुरानी है। यह आशा नहीं करेगा कि वह दस्तावेजी रूप का हा, क्योंकि शासन के पुराने रूप अनिवार्यत अस्थिर तथा अनिश्चिन प्रकार के होते थे, और रुढ़ि वीं सत्रिता पर समय-समय पर विधि का वाध वाध दिया जाता था। कोई यह आशा नहीं कर सकता कि ऐसा समाज जो अपन प्रयोजनों की मिल्हि के लिए अधे नीं तरह भट्टन रहा हो, दस्तावेजी सविधान के सदृश अत्यन्त परिष्कृत उपकरण की रचना कर सकता है। ऐसा उपकरण बहुत आगे चलकर विकसित हुआ आर, जैसा कि हम नहीं जुने हैं, वह उन्नत राजनीतिक चतना की अभिव्यक्ति है, जिसे विसी भाति अथवा उपद्रव ने द्वारा आकस्मिक तथा पूर्णरूप में प्रकट होने वा अवसर प्राप्त होता है। परन्तु यदि विसी राजनीतिक समाज को एक ही समय तथा एक दस्तावेज में इस प्रकार वीं आकस्मिक और पूर्ण अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं हुई तो उससे उसके शासन का उपकरण की प्रामाणिकता किसी भी भाति कम नहीं हो जाती और साधारण विधियों के रूप में पारित उसके साविधानिक परिवर्तन विलकुल वैसे ही स्थायी होते हैं मानो वे दस्तावेज में उल्लिखित प्रक्रिया विशेष के द्वारा पारित निए गए हों।

यही बात ऐसे सविधान के बारे में भी सत्य है जिसमें दस्तावेज के हा में होते हुए भी विधि-निर्माण की साधारण प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तन हो सकते हैं और जिसमें इस प्रयोजन के लिए किसी साधन विशेष की व्यवस्था नहीं होती। यह, जैसा कि हम लिख चुके हैं, उन पद्धतियों के अनुसार जिनके द्वारा साविधानिक विधि का अधिनियमन होता है, सविधानों के वर्गीकरण का एक साधन है। अनेक सविधानों में यह उल्लिखित रहता है कि इस बोटि वीं विधि (सविधान-सम्बन्धी) विधि-निर्माण के साधारण कार्य में प्रस्तुत पद्धति से भिन्न पद्धति के द्वारा पारित होनी चाहिए। ऐसे सविधान अन्य होते हैं। दूसरे सविधान ऐसा बोई भेद नहीं करते। उन सविधानों के अधीन जो निकाय विसी भाति के विधि-निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है वह समस्त भाति की विधि के निर्माण के लिए, चाहे पहुँच सविधान विधि हो अथवा अन्य प्रकार का, उत्तरदायो होता है। ये सविधान नम्य होते हैं और जो बात उस राज्य द्वे, जिसका ऐसा सविधान होता है, विकिष्टता प्रकट नहीं है, वह उसकी संसद की असीमित सत्ता है।

3 नम्य संविधान का वास्तविक स्वरूप

इस भाति नम्य सविधान की कसीटी सशोधन की पद्धति से सम्बद्ध है। यदि सविधानिक विधिया के पारित बरने की पद्धति ऐसी साधारण विधियों को,

जो कि साविधानिक स्वरूप की न हा, परित्यक्त करने की पद्धति के समान हो सके संविधान नमनीय है। प्रत्यक्त आधुनिक संविधानी राज्य में, जैसा कि हम कह चुके हैं, विटिंग संसद् के अनुस्य ही, उचित रूप से गठित विधानमण्डल होता है, और संसद की असीमित सत्ता से तात्पर्य यही है कि राज्य में ऐसी और कोई शक्ति नहीं है, जो संसद के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर सके अथवा उसके निर्णयों का अतिक्रमण कर सके। सभी संसदों को यह असीमित सत्ता प्राप्त नहीं होती। इस बात पर हम सधीय राज्यों के मम्बन्ध में जोर दे चुके हैं। परन्तु प्रतिनिधित्व विधानसभाओं पर इस भाति का निर्वन्धन केवल सधीय राज्यों में ही नहीं दिखाई देगा। बहुत-में एकात्मक राज्यों में भी संविधान का विशिष्ट गरिमा बाला दस्तावेज समझा जाता है जिसमें किसी विशेष साधन के द्वारा ही, जो कि साधारण विधि निर्माण प्रक्रिया से बहुत अधिक जटिल होता है, परिवर्तन हो सकता है, अथवा उसे उच्चतर दायित्व वाली विधि माना जाता है जिसमें परिवर्तन करने के लिए विधानमण्डल के कार्य पर वैध निर्वन्धन आरोपित रहते हैं।

जनमय संविधानों वाले राज्यों में माविधानिक संशोधन की मोटे तीर से चार पद्धतियां प्रचलित हैं। प्रथम, विशिष्ट निवन्धनों के अधीन विधानमण्डल के द्वारा, दूसरे, जनमत-सम्बन्ध के अध्ययन से जनना के द्वारा, तीसरे, सधीय राज्यों की विशिष्ट पद्धति के द्वारा जिसके अनुमार संघनिर्मात्रों द्वारा इसाइया गया भौमिका तक प्रयोग के लिए आमतित किसी विशेष नम्मेलन के द्वारा। हम इनके मम्बन्ध में अगले अध्याय में विस्तारपूर्वक विचार करेंगे। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि नम्य संविधान वाले राज्य में इस भाति के कई भी निर्वन्धन नहीं होते। अपनी पुस्तक 'दी गवर्नेंट ऑफ़ इंग्लैण्ड' की भूमिका में महान अमरीकी लेखक ए. सॉरेस लॉविल न कहा है कि नम्य और अनम्य संविधान में बहुत कम अन्तर हो सकता है, और यह भैंद समय के प्रवाह के माय धूमिल होता जाता है। उसका कथन है कि उन देशों से जो अपने आधारभूत संविधानों को माधारण विधायी प्रतियोगी से बदल सकते हैं, हम धीरे धीरे अनजान ही उन देशों तक जा पहुँचते हैं जहाँ माविधानिक और विधिनिर्मात्री शक्तियां वास्तविक रूप में विभिन्न हाथा म हैं।

इस अग्राही पर सेवक का यह कथन है कि संविधानों का नम्य और अनम्य संविधानों में वर्णित विचित्र भी बास्तविक नहीं है। फिर भी वह बास्तविक है। यदि हम एड और यूनाइटेड विंगडम के पूर्णतया नम्य संविधान और दूसरी अग्र भूमिकाओं के अत्यन्त अनम्य मंकिधान को लेकर आधुनिक जगत् में संविधानों के परिवर्तन की बहानी हुई कठिनाइया वे विषय में चिनते वरें तो क्या यह वह भवनों द्वारा होगा कि हमें विभाजनबारी रेखा कहीं नहीं मिलती? निश्चय ही यह रेखा वही स्थित है जहाँ विधानमण्डल पर, संविधान-विधि के मम्बन्ध में

वार्षिक परते रामय, खालायटे समना आरभ हो जाता है। इस रेया में एक और ऐसे राज्य है जिनकी सासदे, पश्चिम वे दस्तावेजी सविधान में आधार पर स्थापित होती है, इस विषय में अनिवार्यता है। दूसरी ओर वे राज्य हैं जिनकी सासदे असीमित नहीं है। दूसरे प्रकार वे राज्य जो मूँची बेलजियम जैसे राज्य से प्रारंभ होती है जहाँ साविधानिक प्रस्थापनाआ (Propositi) पर विनाश करते रामय सदस्या की एक विशेष गणपूर्ति की उपस्थिति आवश्यक होती है और उनके विधि रूप म पारित किए जाने के लिए एक विशेष यहूमत की अपेक्षा की जाती है। यह अवस्था आगे बढ़कर उस स्थिति तां पहुँच जाती है जब वि साधारण विधानमठल को स्पत ही साविधानिक अधिनियम पारित परन का अधिकार नहीं होता। इसका उदाहरण सायुक्तराज्य है।

अत , नम्य सविधान का वास्तविक रूपरूप साप्त है। नम्यता और अनम्यता यर्गीकरण का पूर्णतया वैध आधार है यद्यपि वास्तव में सहया अनम्य सविधान की ही अधिक है। वास्तव में महत्वपूर्ण आधुनिक राज्या में बेवल दो राज्य ही ऐसे हैं, जहाँ साविधानिक प्रयोजना के लिए कोई भी विशेष प्रतिया निर्धारित नहीं है। ये प्रेट-ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के राज्य हैं। अत , उन दोना में नम्य सविधान है। उनकी सासदे इस विषय में इसी धैर्य अडचन के बिना वार्षिक पर सवती है। यूनाइटेड किंगडम के समान जिन देशों में कोई भी दस्तावेजी सविधान नहीं होता वहीं समाद अपनी पृथक् विधियों में से किसी दो या सबको ही निरस्त कर सवती है, विसी भी प्रथागत रुदि वो समाप्त करने के लिए विधि निर्माण कर सवती है और यदि वह चाहे तो शासन का बिलकुल ही नया तथा पूर्ण उपकरण स्थापित कर सवती है। यह ठीक है कि ऐसी अनेक गम्भीर घातें हैं जिनके पारण वह ऐसे विषयों में शहूत आगे नहीं बड़ना चाहती, परन्तु ऐसे वार्षिक के लिए कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है। परन्तु जहाँ दस्तावेजी सविधान प्रचलित है, जैसा कि अब विचाराधीन अन्य राज्यों में है, वहीं या तो सविधान में उल्लिखित सशोधन की विधि सप्ट रूप से साधारण विधानमठल को जैसा वह चाहे बैसा करने वो स्वतन्त्र छोड़ देती है जैसा न्यूजीलैंड में,¹ अथवा सविधान वो बदलने के लिए क्या बिदा जाय इसके विषय में उसमे कोई शर्त ही नहीं होती जैसा पहले इटली में था। अत , प्रिटेन की भाँति ही न्यूजीलैंड में इस विषय में विधानमठल सर्वोच्च है। अब हम प्रिटेन और न्यूजीलैंड के नम्य सविधानों का सूझम परीक्षण करेंगे और अगले अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण अनम्य सविधानों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।

1 सन् 1956 में पारित निर्याचन-अधिनियम (Electoral Act) के कारण इस पूर्ण रूपरूप से कुछ कमी आ गई है।

4 ख्रेट ग्रिटेन के नम्य संविधान का विकास

त्रिटिंग संविधान कहुन पुगना है परन्तु उसकी आयु के भव्यन्ध में कभी-कभी अतिशयाकिन भी जानी है। उदाहरणात्मक, जात्र ख्रेट ग्रिटेन में उम शासन का प्राय काई जरूर नहीं रह गया है जो अफ़्रीक महान के भव्य में प्रचलित था और यदि भगवान्नार्थी ही त्रिटिंग स्वाधीनना का बदल माना जाय तो इन देश में शासन के प्रचलित मिलाना म स प्रतुर थान ही ऐस हाग जिनका उद्गम उभय हुआ है। वास्तव म त्रिटिंग संविधान वी पुरानना पर बने दना आयद एवं अनुपश्चन स्थल पर जार दना है क्याकि इम मविधान की विशिष्ट जटिल उसकी पुरानना में उनी नहीं है जिनकी नम्यना म है जिसके बिना प्राचान संविधान नाम भी वहुन पहुन उमी नरह लूप हा जाना जैस तथ्य-न्य में वह वहुन-कृष्ण अग्ना में लूप हा गया है। टगर्लड क गाज़ क प्रारम्भिक विशेषाधिकार ज्ञानिक्या के दौरान म व्याकारिक रूप म लूप हा गए है और व जात्र के बल शब्दा के रूप म ही विद्यमान रह गए हैं। गूनाइटेड किंगडम नाममात्र म एवं राजनव्र है और इस नाममात्राद (Nominalism) का प्रयाग अत्यन्त नवीनतम संविधानों के शब्दा म भी विद्या जाना है जिनका यदि इस ज्ञानिक अग्र ग्रहण करे, तो यिनकुल निरथव और जाज की जवस्याप्रा क बिन्दुन ही अस्तित्व होगा। त्रिटिंग संविधान की काद और एमी विशिष्टना नहीं है जैसी कि यह शब्द और भाव की जमगति है, क्याकि इम विशिष्टना के कारण ही एमी महान् सकट के बिना परिवर्तन और अधिक हिमा के बिना विवाग सम्भव हा सका है और इस ही पर्ही का संविधान समाज के स्थायित्व की अभिव्यक्त बरन वानी हस्तिवादी भावना का कुछित एवं बिना अपन का जाज क समाज की गतिशील आवश्यकताओं के जनु-रूप दान मका है।

त्रिटिंग संविधान क बिकाम की कहानी परिवर्तित हाव वानी आवश्यकताओं के साथ अनुकूलता स्थापित बखल के निरन्तर प्रथला की गया है। यह अनुकूलन का जायं दा प्रत्वार से, लृद्धि तका विधि न ढारा, हुना है। इन दाना नहया य सावधानों के भाव भेद वरना चक्रिं, हाताकि इन दाना का यहुधा 'संविधान विधि' जीर्णक क अन्तर्व भाव-भाव रखा जाना है। इनम प्रथम तत्व (मठि) पारिभादित दृष्टि म विधि नहीं है, क्याकि यह उन नियमों और वाचारों से बना है, जो राष्ट्र क सांविधानिक जीवन म भजनी के भाव जम हुए ता हैं परन्तु विन्दे न्यायात्रप परिष्का क निष गामन जान पर मान्द नहीं करें। दूपरा तत्व वास्तविक विधि है, जो निष्क्रिय भीन तत्वा का भना हुना है, यथा (1) त्रिवित व्यवसा देश विधि (Common Law), (2) नविधि (Statutes), (3)

मधिया (Treaties)। हमने इम दिकाम के विषय पर अध्याय 2 में कुछ प्रकाश डाला है। हम यहाँ पर महान गाविधानित दृष्टिकोणार मट्टवंड के द्वारा मुजाहे द्वारा पाच युगों से इग नस्य गविधान के विकास का सक्षिप्त रूप में वर्णन करेंगे। ये युग निम्नलिखित हैं— (1) प्राचीनतम बात में प्रथम एडवर्ड की मृत्यु (मन् 1307) तक, (2) प्रथम एन्ड्रियारेय की मृत्यु तक (मन् 1307-1603), (3) नृतीय विलियम की मृत्यु तक (मन् 1603-1702) (4) ऐंड्रेटन के मुद्धार अधिनियम के पास ज्ञान तक (मन् 1884-85) और (5) आज तक।

(1) नार्मनों की विजय (मन् 1066) के पश्चात प्रथम विलियम जोर उमड़े उत्तराधिकारिया के अधीन मामतावाद के (जो कि उत्तर घटना से पूर्व ही विद्यमान था) व्यवस्थित हा जाने के कारण यागन की आम्न-गेवगनीय पद्धतियों में पर्याप्त परिवर्तन हुआ। नार्मन-फ्रेन नामा के तत्कालीन प्राधान्य के अनुकूल बन जर बहुत-सी पुरानी सम्पादें बायम ग्रही हालांकि उनके नाम बदल गए। इम युग की मवसे बड़ी विलियट्टा राजा के हाथा में यामन का बेन्द्रीयरण थी, जिसमें विघटन की आर बार्य बरने वाली मामतावादी प्रबृत्ति आनुपानिक रूप में तिर्यक हो गई। मन् 1066 से इम सम्पूर्ण युग के दौरान राजा और मामता के बीच में एक समर्पण चलता रहा। एक निर्वल राजा के द्वारा धारित मुकुट के विरह पहले इन सामताके विराघ ने जैमा कि स्टोपेन्सन के शामनराल में हुआ, विल-कूल अव्यवस्था उत्पन्न बर दी, परन्तु बाद में उस विरोध ने अधिक नियमित रूप धारण तिया जैमा कि जॉन के समय के मेम्माकार्टा नहे जाने वाले प्रतेक से प्रबन्ध होता है। तीम वर्ष पहले यामन डी मॉन्टफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत उदाहरण के अनुसार मन् 1295 में प्रथम एडवर्ड द्वारा समद बो आमतिन बरना राजा और सामनों के पारस्परिक संघर्ष की एक आगे की मजिल थी, क्योंकि इम घटना से राजा के भलाहकारों भे मामान्यजना का सम्मिलित किया जाना प्रारम्भ हो गया। इसना अमर यह हुआ कि ससद में अब तक जो धार्मिक एवं लौदिक सामतों का संबंधित प्रभाव था उसनो संगुलित बरने के लिए एक दूसरा प्रभाव आ गया, हालांकि लोक-मदन (Commons) की स्थापना भा मूल उद्देश्य यह नहीं बल्कि अतिरिक्त धनराशि का अनुदान प्राप्त करना ही था।

(2) अपने काल (सन् 1307-1603) के प्रथम भाग में समदीय प्रयोग मग हो गया। लक्कास्टरवशीय राजत्व का (सन् 1399-1461), जिसका कोई रक्तामूलक अधिकार नहीं था, अपने चिरस्थायित्व के लिए इम सस्था पर ही व्यवस्थित रहना पड़ा। यह सस्था पाठ्ट हेनरी के शासनकाल में अनेक भाति की कठिनाइयों से बीच में बुरी तरह से कुरुक्षत हो गई। इग शासनकाल में सामतावाद पुन बगावत बर उठा और उसने गुलाबों के युद्धों में अराजतता का अपना अतिम

खेल खुलकर खेला। ट्यूडर वंश (सन् 1485-1603) के अधीन पिर व्यवस्था काथम हुई। यद्यपि उनका राजतंत्र निर्गुणशावादी था, परन्तु वह साविधानिक रूपों के आवरण में छिपा हुआ था। ट्यूडर काल की सारभूत साविधानिक बात थी—यदा-नदा संसद् का आमव्रण। यह जानना उतना आवश्यक नहीं है कि इस समय में संसद् ने बदा बिया, जिनमा इम बात को ध्यान में रखना वि-वह कायम रही। इससे ही इगलैंड में संसदीय शासन के रिवाज का वास्तविक प्रारम्भ हुआ। संसद के प्रथोग के द्वारा ट्यूडरों ने स्टुअर्ट काल के दौरान राजा और संसद के बीच होने वाले सघर्ष वा अनजाने ही आधार तैयार कर दिया। ट्यूडर काल के अत तब निर्गुणशावादी राजतंत्र की आवश्यकता समाप्त हो चुकी थी और उस युग में संसद का न्यूनाधिक अविच्छिन्न अस्तित्व अर्गामी युग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ।

(3) स्टुअर्ट काल में राजा और संसद के बीच के विवाद का मुँह दे द्वारा निर्णय हुआ। प्रथम जेम्स के शासनकाल के सघर्षों और उनके पुत्र के समय के पृहट्यूँ के पश्चात् ब्रिटिश राज्य ने कुछ समय तक (कॉमनवेल्ह सन् 1649-1660) ऐसी देखी जैसी कि इससे पूर्व उसने कभी नहीं देखी थी और जो उसे पिर कभी नहीं देखनी थी। यह बात थी दस्तावेजी संविधानों का एक सिल-सिला। पुनर्स्थापन (Restoration) से पुराने संसदीय रूपों का पुनर्जीवन हुआ, परन्तु अब संसद उन अधिकारों के लिए दावे कर रही थी जो उसे सन् 1688-89 की भ्राति के फलस्वरूप प्राप्त होने थे। इस भ्राति के फलस्वरूप द्वितीय जेम्स राज्यव्युत्त हुआ और अधिकारों का विधेयक (Bill of Rights) प्राप्त हुआ जिसने वास्तव में राजा के ऊपर संसद की सर्वोच्चता कायम की, हालांकि औपचारिक रूप में राज्य की प्रभुता संसद सहित राजा के हाथों में ही बनी रही। अधिकारों का विधेयक उन अनेकानेक संविधियों में से प्रथम था जिनसे आज संविधान की लिखित विधि निर्मित हुई है। उस समय से विभी भी राजा के लिए उस भ्राति वार्य करना जैसा कि स्टुअर्टों ने किया, वे वर रिवाजी तौर से ही अनाविधानिक नहीं, वरच संविधीय रूप से भी अवैध है। अधिकारों के विधेयक के पश्चात् व्यवस्था अधिनियम (Act of Settlement) आया, जिसने राजा पर संसद की विजय को मुस्तक्क कर दिया।

(4) अगले युग (सन् 1702-1885) में साविधानिक प्रयाओं का अस्तत असाधारण विकास हुआ। ये प्रयाएं इन काल में लिखित रूप में तो नहीं भिलती परन्तु वे वर्तमान शासन व्यवस्था का आधार बनी हुई हैं। यहीं से मत्रिमडन-प्रणाली (जिसके विपय में हम आगे वे एक अध्याय में विचार करेंगे) और आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की पूर्णहपेण स्थापना हुई। इसमें से कुछ संविधान सम्बन्धी प्रयाओं, कुछ अनिखित विधियों, और कुछ संविधीय विधियों से सम्बद्ध हैं।

सविधान की विधि को सशोधित करने वाली सविधियों में से, जो कि इस काल में पारित हुई, यद्यमें अधिक महत्वपूर्ण मन् 1716 का सन्दर्भर्पाय अधिनियम, और उन्नीमवी शताब्दी के मुधार अधिनियम (मन् 1832, 1867, 1872, 1884, 1885) थे, जिनका मताधिसार, मतपत्र और स्थाना के वितरण पर प्रभाव पड़ा। अन्त में, इस काल में उन सविधियों के भी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण मिलते हैं, जिन्हें हमने सधियाँ कहा है और जो स्वाटलैंड आयरलैंड और वनियम उपनिवेशा (जिनके विषय में हम एकात्मक राज्य के अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं) के साथ भी हुई थी।

(5) अतिम युग हमारे समय ना ही है। इस काल का गहान् माविधानिक अधिनियम सन् 1911 का ससद अधिनियम (Parliament Act) है, जिसकी उत्पत्ति लॉयड जॉर्ज के मन् 1909 के बजट की लॉड-भारा अस्वीकृति पर गमद् के दोनों सदनों के बीच हुए विवाद में हुई। ब्रिटेन के सविधान की नम्यता और ब्रिटिश ससद् की असीमित सत्ता इस विवाद और उसके उपरान निमित सविधि से अधिक अच्छी प्रकार और विसी बात से प्रकट नहीं होती। ससद् के एक अधिनियम मात्र में ही दोनों सदनों के बीच के सम्बन्धों में पर्याप्त परिवर्तन हो गया। लॉड-भारा अपने अधिकारों के मूलभूत परिसीमन से महसूत हो गई, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विधिनिर्माण की रुद्धिगत प्रक्रिया का प्रयोग किया गया। इससे भी अधिक, इस घटना से 'रुद्धियों एवं प्रयोगों' का अन्तत सविधान की विधि पर अवलम्बन' स्पष्ट होता है। सन् 1909 के पूर्व सदा ही सविधान की एक प्रथा के रूप में यह माना जाता रहा कि लाई लोग धन-विधेयम में सशोधन नहीं करेंगे और न उसे अस्वीकृत ही बरेंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो इस भय के विशद् प्रथा को शक्तिशाली बनाने के लिए सविधि की आवश्यकता हुई। इसी काल का सन् 1949 का समद् अधिनियम भी है जिसने मूल अधिनियम द्वारा स्थापित प्रक्रिया की सहायता से सन् 1911 के अधिनियम में सशोधन किया। इस काल की अन्य बड़ी सविधिया सन् 1918 का जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act), जिसने स्त्रियों को बहुत बड़ी सम्मति में भवितव्य का अधिकार दिया, और सन् 1928 का अधिनियम है, जिसने स्त्रियों को उन्हीं शर्तों पर भवितव्य का अधिकार दिया जो कि पुरुषों को प्राप्त है। इनके विषय में हम बाद में विस्तारपूर्वक विचार करेंगे।

5 व्यवहार में ब्रिटिश संविधान

युगों के इस सम्बन्धे विकास से उस सविधान का उद्गम हुआ है जिसके अधीन आज ब्रिटेन शासित हो रहा है। अब भी रानी नाम के लिए सर्वोच्च है। वह नायगात्र के लिए विधिप्रदात्री, न्यायाधीश, तथा सशस्त्र सेना की प्रधान सेनापति

उत्तरदायी नहीं ठहराई जा सकती। अन्ततः, इस वचन का उसके विलक्षुल शास्त्रिक अर्थ में ग्रहण किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि रानी कोई अपराध करती है (डायसी प्रधानमन्त्री को गोली से मार देने के उदाहरण प्रस्तुत करता है) तो विधि में ऐसी कोई प्रतिया नहीं है जिसके द्वारा उस पर गुवाहाटी चलाया जासके। इस वचन का यह भी तात्पर्य है कि काई भी विसी अनुचित कार्य के समर्थन में रानी के आदेश का आश्रय नहीं ले सकता। यह विधि है परन्तु लिखित नहीं है।

(2) राजा या रानी के द्वारा किए गए प्रत्यक्ष कार्य के लिए काई-न-कोई व्यक्ति वैधिक रूप में उत्तरदायी है।

मत्रिया का उत्तरदायित्व इन तथ्यों का परिणाम है कि रानी काई बुटि नहीं पर मृत्यु, न्यायालय किसी भी कार्य को राजा या रानी के द्वारा किए गए कार्य के रूप में मान्य नहीं करेगा, और किसी भी अधिनियम को मुद्रावित करने वाला भवी ही उसके लिए जबाबदार होता है।

संविधीय विधि (Statute laws) पर अवलम्बित नियमों में निम्नलिखित अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं—

(1) “राजा या रानी में ऐसी कोई जकिन नहीं है कि वह विधि के पासन के घर्तव्य की उपेक्षा कर सके।”

यह अधिनारो के विधेयक (विल ऑफ राइट्स) में निश्चित रूप से उल्लिखित किया गया है। व्यवहार में इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी सरकार जो संविधि-महिता में लिखित विधि की गान्यता को मानने से इनकार करती है, अवैध रूप से कार्य करती है।

(2) लोक-सदन द्वारा दो विधिक सदों में पारित और हर बार लॉड सदन द्वारा अस्वीकृत विधेयक (वशतें कि इस क्रिया में एक वर्ष पूरा हो गया हो और बाबजूद इसके कि उस वालावधि में सामग्र्य निर्वाचन हो चुका हो) रानी के पास हस्ताक्षर के लिए सीधा भेज दिया जाता है। लोक सदन द्वारा एक बार पारित और लॉड सदन द्वारा अस्वीकृत धन-विधेयक एक महीन के व्यतीत होने के पश्चात् विधि बन जाता है (लोक-सदन का अध्यक्ष यह निश्चित करता है कि कौन-सा विधेयक धन विधेयक है)। सन् 1949 के ससद् अधिनियम में विलम्बन नियोग-धिकार (Suspensive veto) के काल को निर्धारित किया गया है। इस अधिनियम ने, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, सन् 1911 के ससद् अधिनियम में संशोधन किया है, जिसमें तीन विधिक सदों तथा दो बयों के अल्पतम काल की अवश्यकता रखी गई थी। सन् 1911 के अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वेल्स की चर्च को सन् 1920 में अवस्थापित किया गया और सन् 1949 के रागद् अधिनियम के अधीन लोहा तथा इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण सन्

1951 में कर लिया गया, हालांकि दो वर्ष बाद वह निरस्त कर दिया गया था।

(3) मन् 1911 के समद अधिनियम ने अनुमार समद् को पाच वर्ष तक कार्य कर चुकने के पश्चात अनिवार्य रूप से भग लिया जाना नहीं।

इन बातों से हम यह देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान कितना नम्य है। इन हृदिया इन अलिखित विधियों और इन संविधियों में से कोई भी ऐसी नहीं है जिस समद का अधिनियम उन्मूलित या निरस्त कर सकता हो। यद्यपि हृदियन विकास चिन्हाल से होता था रहा है तो भी यह सत्य है कि समद सर्वोच्च है और कोई भी न्यायाधीश अथवा विधि-सहिता किमी भी वस्तु को उसकी संविधियों से उच्चतर करार नहीं दे सकती। ब्रिटिश समद् की सर्वोच्चता का इसमें बड़ा कार्ड भी दृष्टात नहीं हो सकता कि जब इसमें पहली बार मन् 1911 के अधिनियम के अधीन—अर्थात् मन् 1915 में (अनिन समद् मन् 1910 में निर्वाचित हुई थी) —अपन-आपका भग बरने को वहा लिया तो इसने अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए एक अधिनियम पारित कर दिया। यही बात मन् 1940 में भी हुई। कार्यकाल की ये वृद्धिया, निःसदेह, पुढ़ो के कारण हुई, परन्तु उन्हें करने के लिए समद को किन्हीं विशेष शक्तियों की आवश्यकता नहीं हुई, और न उसने अपने से परे किमी न्यायाधिकरण में आकर्ता ही की। इसी भावि की एक कार्यकाल-वृद्धि मन् 1715 के जेवेंवाइट विद्रोहसम्बन्धी संकट के ममय में हुई थी। ऐसा मन् 1716 में हुआ था जब कि तत्कालीन विद्यमान समद् के, जो कि मन् 1694 के विवर्णीय अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्वाचित की गई थी, कार्यकाल वा बढ़ाने के लिए मञ्ज-वर्णीय अधिनियम पारित किया गया था।

फिर भी, ब्रिटिश संविधान नम्य होना हुए भी, एक ऐसे आदर्श के रूप में ग्रहण किया गया है जिस पर अनक अनम्य संविधानों की स्थापना हुई है। ब्रिटेन में राजनीतिक सम्पाद अनुभव के आधार पर अस्तित्व में आई और उनका विशिष्ट स्थायित्व इनी बारण है कि उनका विकास मूलम मिहालों की अपेक्षा अनुभव के आधार पर हुआ है। उन राज्यों वी सम्पादों के अध्ययन में ही, जिन्होंने अपनी सम्पादों को ब्रिटेन के नम्यने पर आधारित किया है, इस प्रकार वा उत्तर दिया जा सकता है कि वया उस प्रकार वी सरकार दो जिमका थुगों के अनुभव में विकास हुआ है तो ऐसे समुदाय की नई आवश्यकताओं के अनुचून वनाया जा सकता है जिसकी अप्रत्याशितरूप में उद्दित स्वतंत्रता अवस्थात् ही एक पूर्णरूप में विकसित राजनीतिक संविधान वी अपेक्षा करती है।

6 न्यूजीलैंड का नमनोय संविधान

ब्रिटिश न्यूजीलैंड के अधीन एक अपन-जामी डर्फिलियनों ने, ऐकान न्यूजीलैंड संविधान ही नम्य है। बास्तव में एक अर्थ में कुछ वर्ष पहले तब ब्रिटिश स्व-जामी

डामिनियना के सविधान, बिना किसी अपवाद के, अनम्य था। चूंकि इनमें से प्रत्येक को सविधान मूल रूप में वेस्टमिस्टर में स्थित साम्राज्यव राजद के द्वारा अर्थात् यूनाइटेड किंगडम की संसद के अधिनियम द्वारा प्रदान विद्या गया था, अतः उस सविधान में ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। परन्तु मन 1931¹ के कुछ समय पूर्व से यह नियेधायिकार व्यवहार में प्रभावी नहीं था और न्यूजीलैंड के लिए ता मन 1947 में वह उम वर्ष के सविधान (मशोधन) अधिनियम के द्वारा विशिष्ट रूप से हटा दिया गया था।

यह हम देख ही चुक हैं कि न्यूजीलैंड का विद्यमान सविधान विस प्रकार अरितत्व में आया और निम प्रकार मधीय आधार पर प्रारम्भ होकर मन 1876 में प्रातीय भरकारा को समाप्त करके वह निश्चित रूप से एकात्मक राज्य बन गया। न्यूजीलैंड का सविधान दस्तावेज के रूप में मन 1852 के अधिनियम में, जिसका शीर्षक न्यूजीलैंड उपनिवेश का प्रनिनिधिक सविधान प्रदान करने के लिए अधिनियम है मिनाना है। इस अधिनियम के अनुच्छेद 68 में यह यहां गया है —

‘उन गामान्य मभा (अर्थात् इस अधिनियम के द्वारा स्थापित न्यूजीलैंड के विधानमडल) के लिए किसी भी अधिनियम या अधिनियमों द्वारा सम्य-समय पर इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबन्धों को बदल देना विधिमगत होगा।’

इसमे “हर मेजस्टी (मस्त्राजी) के प्रामाद के सम्बन्ध में भी तक परन्तुक (Proviso) जोड़ा गया है जो आज प्रभावी नहीं है, जैसा कि हम देख ही चुके हैं।

मूल अधिनियम में पर्याप्त परिवर्तन हो चुका है, परन्तु यह विधि निर्माण की मामान्य प्रक्रिया द्वारा ही हुआ है यहां तक कि मन 1876 का अधिनियम, जिसने प्रातीय भरकारा को समाप्त किया और न्यूजीलैंड को एकात्मक राज्य बनाया, इस दिशा में सविधान में सशोधन करने के लिए न्यूजीलैंड की संसद के द्वारा पारित एक साधारण सविधि ही था। इसी भावि वह अधिनियम भी एक साधारण सविधि ही था जिगने मन 1951 में द्वितीय सदन ने समाप्त किया। तभी से मूल अधिनियम को एक विवेकपूर्ण और उदार अधिनियम समझा जाता रहा है जिसने राष्ट्रीयता की बलवती मांग को स्वीकार कर केवल स्वतत्त्व ही प्रदान नहीं की, बल्कि अपनी भाषा के द्वारा सविधान के सशोधन के लिए प्रपतिशील समाज की आवश्यनताओं के उपयुक्त पद्धति वी व्यवस्था बर दी।

¹ वेस्टमिस्टर १ सविधि का वर्ण। पीछे पृष्ठ 83 देखिये।

मन 1956 मे एक निर्वाचन-अधिनियम के पारित होने से न्यूजीलैंड के सविधान मे कुछ अनम्यना आगई मालूम होती है। इस अधिनियम मे एक उपचरन्थ रखा गया है जिसमे अनुसार सविधान के कुछ खण्डो का निरसन लोक-ममा के 75 प्रतिशत बहुमत या जनमत समझ के बिना नहीं किया जा सकता। इन खण्डो का मम्बन्ध प्रतिनिधि-आयोग (Representative Commission) के समर्थन एवं उससे सम्बन्धित निर्देश, निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या, मतदान के लिये आवश्यक आयु गुप्त मतदान तथा सम्पद के कार्यकाल से है। किन्तु यह अधिनियम सामान्य विधायी प्रतिया द्वारा पारित हुआ था और वास्तव मे इन 'रक्षित खण्डो' की व्यवस्था से सम्बद्ध की बैध शक्तियों मे कोई कमी नहीं आती क्योंकि (जैसा न्यूजीलैंड की ऑफिशियल ईयरबुक, 1961 मे कहा गया है) "यह नई व्यवस्था वैधिक दृष्टि से इस अर्थ मे प्रभावी नहीं है कि बाद की समट् को इसका निरसन करने मे इसके कारण कोई रुक्षवट नहीं पैदा होती क्योंकि एक सम्पद अपनी उत्तरवर्ती समदो को बाध्य नहीं कर सकती।" फिर भी (जैसा ईयरबुक मे आगे लिखा है) "इस नये उपचरन्थ मे सम्बद्ध के दोनो दलो का यह एकमत करार लेखवद्ध किया गया है कि कुछ उपचरन्थ जासन-व्यवस्था मे मूलभूत स्वरूप बे है और बहुमत माल की मनक के अनुसार उनमे परिवर्तन नहीं होना चाहिये। इस दृष्टि से रक्षित खण्डो की सृष्टि करने वाला यह उपचरन्थ एक ऐसी औपचारिक प्रवा आरभ करता है जिसकी मानविधानिक दृष्टि से उपेक्षा नहीं की जा सकती।"

इन भाति न्यूजीलैंड का सविधान नये सविधानों मे एक अनुपम सविधान है। जब कि दूनाइटेड किंगडम का सविधान, जैसा कि हम देख चुके हैं, गैर-इम्प्रावेंजी है, जिसका किसी विशेष प्रतिया के बिना ही संशोधन किया जा सकता है न्यूजीलैंड वा सविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमे संशोधन के माध्यनो के विषय मे उल्लेख है किन्तु जो इस मम्बन्ध मे सामान्य विधानमङ्गल को (उपर्युक्त अपवाद को छोड़कर) स्पष्टत खोचक रहते देता है।

अनन्य संविधान

१. सांविधानिक विधि-निर्माण के लिए विशेष पत्र

जहा नम्य संविधान का विशिष्ट लक्षण उग गया की जिसे हि वह लाग होता है, सासद् की असीमित गता है वहा अनन्य संविधान का विशिष्ट लक्षण विधानमंडल की शक्ति पर उगो वाहर की शक्ति के द्वारा आरोपित मर्यादा है। जब कुछ ऐसी विधिया होती है, जिन्हे विधानमंडल गामान्य पद्धति से अधिनियमित नहीं कर सकता तो यह स्पष्ट है हि वह विधानमंडल सर्वोच्च नहीं है। ऐसी अवस्था में साधारण विधानमण्डल की विधि से भी बड़ी एक विधि होती है और यही संविधान की विधि है, जा, जैसा हम इह चुने हैं उच्चतर दायित्व की ऐसी विधि है जिसका नम्य संविधान में बोई स्थान नहीं है। इन दो प्राचीरा की विधियों के भेद को गमनने का मरमें मरल तरीका यह गमनना है वि अनन्य संविधान गामान्यता किम भानि अस्तित्व में आए है। अधिकांश अवस्थाओं में वे संविधान समाधृती जाने वाली एक विशेष मभा के निष्कर्ष एक फलस्वरूप उत्पन्न हुए है। इस सभा का कार्य साधारण विधि का निर्माण करना न छोड़र शासन के एक ऐसे उपकरण की व्यवस्था करना हाता है जिसकी सीमा के भीतर साधारण विधि-निर्माण का कार्य हो।

मविधान मभा, यह जानते हुए वि उगका विषयन हा जाएगा और वह विधि-निर्माण का वास्तविक कार्य अन्य रिमी मभा के लिए छोट देगी, उगो विधान में, जिसका वह प्रश्नापन करती है, भावी कार्य के मध्यन्द में यथासभव अधिकांश-अधिकांश पथ-प्रदर्शन कारों का मभावेश करने की चेष्टा करती है। यदि वह संविधान को अपने ही अधिनियम द्वारा परिवर्तित करने की शक्ति को साधारण विधानमंडल के धोनाधिनार से अलग रखना चाहती है, जैसा वह सामान्यता चाहती भी है, और क्योंकि वह समस्त भावी आवस्मिताओं का पूर्वानुभान नहीं कर सकती, इसलिए उसे मशोधन की रिमी विशेष पद्धति की अवस्था परती होती है। तथोप में, वह भविष्य में विचार करने के लिए ऐसे विषयों के उपस्थित होने की अवस्था में, संविधान-सभा के मुलनिर्माण की व्यवस्था करने का प्रयत्न करती है, जाहे वह सभा कुछ निर्बन्धनों के अधीन कार्य करते हुए साधारण

प्रभावी नहीं है, की। दूसरे प्रवार वा निर्वन्धन वह है जिसमें विधानमंडल को भग किए जान और उस विशिष्ट प्रश्न पर माध्यारण निर्वाचन की आवश्यकता होती है, जिससे नया विधानमंडल उम्म प्रत्याक्ष के पक्ष में जनता से आदेश प्राप्त होने के कारण गार हप में जहा तक कि उम्म प्रस्ताव का मम्बन्ध है, एवं संविधान सभा ही बन जाता है। यह अनिरिक्त निर्वन्धन वैत्तिक्यम्, हालंड, डेनमार्क तथा नार्वे में (इन सभी देशों में निर्वाचन के बाद संजातन पारित वरन के लिये दो-तिहाई समदीय वट्टमत की आवश्यकता हानी है) और स्वीडन में नागू हाना है। यह भी कहा जा सकता है कि विसी हद नक प्रिटेन में भी यही बात है क्याकि यह अमम्भाव्य है कि संविधान में विसी नलिकारी परिवर्तन के लिए काई आधुनिक प्रश्न। मन भव तक काई प्रस्ताव करगा जब तक पहस जनता से इस सम्बन्ध में अपील न कर देगा। इस प्रकार की अपील समदीय विधेयक (Parliament Bill) के पारित किए जान से पूर्व मन 1910 भ दा वार की गई थी। परन्तु निश्चय ही यह नहीं कहा जा सकता कि प्रिटेन संविधान विधि अथवा संविधान की प्रधाएँ ऐसी अपेक्षा करती है। उदाहरणस्वरूप मन् 1928 में, समद् ने एक नवीन भावाधिकार अधिनियम पास किया और लाई-सभा के सुधार पर विचारितमांश किया, यद्यपि इन प्रश्नों में से काई भी प्रश्न गन् 1924 के निर्वाचन के समय जिसमें उम्म भवद् का निर्वाचन हुआ था, विवादग्रन्थ नहीं था। पुन अभी मन 1948 में लाई-सभा के निलम्बनकारी नियोजाधिकार के काल वो दा वर्य से बम वरके एक वर्य बनाने वाला विधेयक लोक-सदन के द्वारा पारित किया गया था, जिसे इसके गुण-दोष कुछ भी हो, तोन वर्य गूढ़ हुए साधारण निर्वाचन में इसके लिए कोई स्पष्ट आदेश जनता में प्राप्त नहीं हुआ था।

विधानमंडल के द्वारा सांविधानिक परिवर्तन की तीसरी फलति वह है जिसमें सम्बन्ध राज में अर्थात् जिसमें दोनों राजन एक सदन के रूप में बैठते हैं, वट्टमत की अपेक्षा होती है। इसका उदाहरण दक्षिणी अफ्रीका है।

(2) दूसरी योजना वह है जिसमें लोक-सभा (Popular Vote), जनमत-संग्रह (Referendum)या लोक निर्वाचन (Plebiscite)की आवश्यकता होती है। इस युक्ति का प्रयोग फ्राम में व्राति के द्वारान में और किर लुई नेपोलियन के द्वारा और जर्मनी में हिट्लर के द्वारा किया गया था। प्रिटेन में इसका कभी भी प्रयोग नहीं किया गया, हालांकि समद् विधेयक पर, जो अत में मन् 1911 में विधि बन गया, होने वाले विवाद से उत्पन्न गत्यावगोथ से पार पाने के लिए इसका सुधार दिया गया था। यह प्रणाली स्विट्जरलैंड, आस्ट्रेलिया, आयर, इटली, फ्रान्स (पचम गणतत में कुछ अध्यक्षीय प्रान्त को (Presidential Provisus)के साथ) और डेनमार्क (पहले ही उल्लिखित समदीय नियतण के अतिरिक्त) में है।

(3) तीसरी पद्धति सघो की विशिष्ट पद्धति है। निसन्देह ऐसा कोई भी सघ नहीं है जिसका संविधान किसी-न-किसी रूप में, संघनिर्माणी इवाइयो की आधी से अधिक या सभी वी संहमनि की अपेक्षा नहीं करता। प्रस्तावित विधेश्वर पर मतदान या तो जनता द्वारा या सम्बन्धित राज्यों के विधानमंडलों द्वारा हो सकता है। स्विटजरलैंड और बास्ट्रेलिया में जनमत संग्रह का प्रयोग होता है। यूनाइटेड स्टेट में इसी भी प्रस्तावित सशोधन के लिये तीन-चौथाई राज्यों के विधानमंडलों अथवा विशेष सम्मेलनों (जिनका नीचे (4) में उल्लेख किया गया है) के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।

(4) अब ने वह पद्धति है, जिसमें सांविधानिक सशोधन के निमित्त एक विशिष्ट सभा वी तदर्थं रचना होती है। जैसा कि हम कह चुके हैं, एक अर्थ में ऐसा तब होता है जबकि विधानमंडल किसी विशेष निर्बन्धन के अधीन संविधान में सशोधन करते हैं, और अधिक स्पष्टतया तब जब कि दोनों मदनों का संयुक्त सळ होता है। परन्तु कुछ अवस्थाओं में यह सम्मेलन किसी भी अन्य निकाय से विलकुल विभिन्न होता है। उदाहरण के लिए अमरीकी संघ के कुछ राज्यों में राज्य के संविधान के सम्बन्ध में यह पद्धति उपयोग में आती है, और ऐसी पद्धति की संघ के संविधान में,—यदि सधीय वाप्रेस ऐसा प्रस्ताव करे, अनुमति है। यह पद्धति लैटिन-अमरीका के वित्तिय राज्यों के संविधानों में भी है।

इस तरह मोटे तौर से सांविधानिक सशोधनों की दो पद्धतियां हैं जिनका अनम्य संविधानों वाले राज्यों में अधिक प्रयोग होता है। पहली पद्धति विशेष निर्बन्धनों के अधीन विधानमंडल द्वारा सशोधन पद्धति है, और दूसरी विशेष प्रस्ताव पर जबना द्वारा। अन्य दो पद्धतियों में से एक सधीय राज्यों की विशिष्ट पद्धति है, परन्तु फिर भी वह संवैधानिक नहीं है, और दूसरी पद्धति साधारणतया बेवल अनुजातमक है। अब हम अनम्य संविधानों वाले अधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से कुछ वी सांविधानिक सशोधन-पद्धति का अधिक विस्तार के साथ विश्लेषण करेंगे।

2 फ्रांसीसी गणतंत्र का अनम्य संविधान

फ्रांसीसियों ने 1875 में तृतीय गणतंत्र की स्थापना से पूर्व वे अस्ती धर्यों के दौरान में संविधान-निर्माण में अद्भुत प्रयोग किए थे। संविधान-निर्माण व्यावहारिक राजनीति की एक शाखा है जिसमें संसार ने फ्रांसीसियों वी सर्वोत्तम बलावर के रूप में देखा था, जो अपने ही शाधिकारियों में से एक ने शब्द में, संविधान की कल्पना एक ऐसी दार्शनिक वृति वी रूप में बरने के अभ्यस्त थे जिसमें प्रत्येक बात को एक मिदान से निकाला जाता है, उन्हें लिए संविधान बला वी एक ऐसी वृति थी जिसका तभ मत्था जिमकी समरूपना पूर्ण होनी चाहिए, यह एक

ऐसा बैज्ञानिक उपकरण था जिसकी योजना इतनी यथार्थ हो, जिसका इसपात इतना उत्तम और मजबूत हो कि उसमें साधारण से साधारण अवरोध भी असम्भव हो जाए। इस राजनीतिक पटुना के प्रयोग में फ्रासीसियों ने एक शताब्दी से भी कम समय में एक दर्जन से अधिक संविधान बना डाले थे। परन्तु वे परिस्थितियाँ, जिनमें फ्रासीसी जमिन युद्ध में फ्रासीसी पराजय के पश्चात् तृतीय गणतंत्र गठित हुआ था ऐसी थी जिनमें फ्रासीसी राजमर्मज पूर्ण दस्तावेज वी इस परम्परा से विचलित हो गए और नए शासन की स्थापना जुलाई सन् 1875 में पारित तीन पृथक् विधियों द्वारा पर हुई।

उस गमय संविधान निर्गताभा की वस्तुनिक आशा यह थी कि नया संविधान अधिक नहीं चलेगा, क्योंकि उनमें से अधिकांश जरा भी गणतंत्रवादी नहीं बरत्त राजतंत्रवादी थे। यद्यपि गणतंत्र की निश्चिन्त स्पष्ट से स्थापना सन् 1875 तक नहीं हुई थी, तथापि उसका जन्म वास्तव में तृतीय नेपोलियन और उसकी सेना के सेडान में बनी बनाए जाने के पश्चात् मितवर सन् 1870 में ही हो चुका था। पाच महीनों तक जमिनों पा जी तोड़कर मूकावला बरते के पश्चात् पेरिस का पतन हो गया और एक सधि हुई, और पबंरी सन् 1871 में यह निश्चिन्त बरते के लिए कि क्या युद्ध जारी रखा जाए, नावंशीकिक पुरुष-मताधिकार ने हारा एक राष्ट्रीय सभा का निर्वाचन हुआ। परन्तु उसने इसमें भी अधिक कार्य किया और शाति स्थापना करते हुए फाम पर अगले चार वर्षों तक राज्य किया तथा भग होने से पूर्व गणतंत्रीय संविधान यास कर दिया। यह सभा संविधान-सभा बन गई, क्योंकि उसमें विभिन्न भांति के राजतंत्रवादियों की सब्द्या गणतंत्रवादियों से कही अधिक थी और उन्हें दूसरे निर्वाचित में अपनी शक्ति के छिन जाने का ढर था। परन्तु, जैरा कि वियर (Thiers) ने, जो इस सभा का प्रमुख व्यक्ति था और जो गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति बनने वाला था, कहा था, सिहासन एक था, परन्तु उस पर आसीन होने के लिये तीन दावेदार थे। इन तीनों दावेदारों (अर्थात् बूरबो और औरलिए राजवशो तथा कुच्यात बोनापाट फरिवार के बेंजो) के समर्थकों ने, आपस में एकता प्राप्त करने में असफल होकर अपने भत्तभेदों को भूलाकर एक समझौता कर लिया और 'लडिवादी गणतंत्र' की स्थापना के लिए राजी हो गए। उन्होंने आशा भी कि उससे भविष्य पूर्णहृष से सुरक्षित हो जाएगा। अधिक उस गणतंत्रवादी इस गणतंत्र से राजी हो गए क्योंकि उन्हे आशा थी कि इसे एक आतिकारी दिशा में परिवर्तित किया जा सकेगा। राजतंत्रवादी गणतंत्र कहलाने वाले इस राष्ट्रपति-शासन से इस वास्ते सहमत हो गए कि उन्हे उपरात में राष्ट्रपति को ही राजा या सन्नाट में बदल देने की आशा थी।

गण् 1875 की इन तीन विधियों का, जो कि उक्त संविधान का आधार थी, सामान्य प्रभाव दो सदनो—सिनेट और प्रतिनिधि-सभा—के एक विधानमंडल

से ही स्वीकार किया जाता था तो उसे जनमत-राप्रह के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक था और तब उसके अग्रीकरण के लिए उसके पक्ष में मतदान बरने वाले लोगों का बहुमत अपेक्षित था।

पचम फेझन गणतन के संविधान ने, जो 28 सिन्हावर 1958 को जनमत संघर हारा अग्रीकृत और 4 अक्टूबर 1958 को प्रभ्यापित हुआ, नई परिस्थिति के अनुकूल अनेक परिवर्तन किय और प्राप्तिग्रह रूप में उच्च मदन का नाम किर से मिनेट रख दिया परन्तु अबर (lower) मदन का नाम (जैसा चतुर्थ गणतन के में था) भगवन एसेम्बली ही रहत दिया। यह नाम तृतीय गणतन में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र का था। इस संविधान में संयुक्त सत्र का बायेस के रूप में एक साथ बैठना (Meeting in Congress) कहा गया है। कार्यपालिका विभाग में जा महत्वपूर्ण परिवर्तन किय गय उनके विषय में आगे (ग्यारहवें अध्याय में) बहुत कुछ लिखा जायगा। यहाँ तो हम संविधान के अनुच्छेद 89 में उल्लिखित संशोधन की परिवर्तित पढ़ति का बर्णन करना है। इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान में संशोधन के लिय पहल बरन का विधिकार प्रधान मंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति को तथा संसद् के सदस्यों का है। प्रस्तावित संशोधन को समाविष्ट करने वाला सरकारी या सरकारी विधेयक अभिन्न रूप में दाना सदनों हारा पारित होना चाहिये। जनमत संघर हारा अनुमोदित होने पर ही संशोधन निश्चित रूप धारण करता है। फिर भी, यदि गणतन का राष्ट्रपति उसे बायेस के रूप में संयोजित संसद् के ममक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय करता है तो उस पर जनमत संघर ही आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में जिनम भत पड़े उनके तीन बटे पांच बहुमत से स्वीकृत होन पर ही संशोधन अनुमोदित माना जाता है। इस अनुच्छेद में आगे कहा गया है—जब देश की अखण्डता बनने में हो तो संशोधन की प्रक्रिया काम में नहीं लानी चाहिये। 'इसके साथ ही पिछले दो संविधानों गे विद्यमान यह परन्तु कभी जोड़ा गया है कि 'शासन के गणतनीय रूप का संशोधन नहीं हो सकेगा।'

3 इटली के गणतन का अनम्य संविधान

सन् 1947 में प्रभ्यापित इटालियन गणतन का संविधान पूर्ववर्ती राजतन के संविधान के सदृश ही है, क्योंकि यह भी दस्तावेज के रूप में ही परन्तु अपनी अनम्यता के बारण उससे बिलकुल भिन्न है। इसमें कोई सन्देह नहीं प्रतीत होता कि सन् 1848 के मूल सार्डीनियन संविधान के निर्माताओं का आशय उसे अतिम संविधान बनाना था और इसी कारण उसमें उसके संशोधन की पद्धतियों के विषय में कोई भी निर्देश नहीं था। किन्तु चूंकि वह सम्पूर्ण इटली में लागू हुआ और द्रुत विकास एवं परिवर्तन के काल में नियान्वित हुआ, इसलिए उसे नई परिभ्रतियों

के अनुरूप बनाने के लिए कुछ साधन निकातना स्पष्ट आवश्यक हो गया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संशोधन के विषय में मूल सविधान-निमित्तियों के मौत का यह अब माना गया विभागी प्रतिपादा द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं। उनीभवी शताब्दी के अन्तिम चतुर्थ शताब्दी के जिम्मेदार इटालियन राजमंडलों का यही मन् था। उदाहरणस्वरूप, उदारदलीय प्रधानमंत्री किसी न सविधि की अस्पृश्यता का स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मन् 1881 में कहा कि इटली की समद् 'सदा सविधान-निर्मात्री' है। उनीभवी शताब्दी के अन्त की आरएक अन्य अधिकारी न लिखा कि "इटली में आज समद् की सर्व-प्रक्रियता का गिरावंट प्रेट्रिटेन की अपेक्षा किसी तरह से भी कम मुद्रृढ़ नहीं है।"

हमरे अन्दों में, फार्मिस्ट-पूर्व इटली में साधारण और सविधानी विधिनिर्माण में ग्रिटेन के समान कोई अतर नहीं था। सविधान के मूल पाठ के परिवर्तन पर वृद्धा वाद-विवाद तो होता, परन्तु काई परिवर्तन वास्तव में किया नहीं गया। समदे प्रभावपूर्ण साविधानिक परिवर्तन करने वाली सविधिया पारित करती रही, परन्तु उन्होंने सविधान के भजमूल में कोई परिवर्तन नहीं किया यहाँ तक कि उसमें कोई धाराएँ भी नहीं जाती। ऐसे अधिनियमों के उदाहरण न्यायपालिका के सगठन को विनियमित करने वाली विधि, पोप को गार्डी देन वाली विधि और भनाधिवार तथा निर्वाचन-क्षेत्रों के स्वरूप और आकार में समयन्यमय पर परिवर्तन करने वाली अनेक विधियां हैं। बाम्बो भं इटली का पुराना सविधान डटना नम्य था विभागी अपन अधिनायकतत्र के प्रारम्भिक वर्षों में उसे लोडे बिना अपनी इच्छा के अनुमार घोड़ने में समर्थ हो सका, यद्यपि वाद में जब उसन निगम राज्य¹ का अनिम रूप से सगठन तिया ता निश्चिन रूप में उसन उसे तोड़-मरेडहर ऐसा बना दिया था वह पहचाना भी नहीं जा सकता था।

इसके विपरीत नये इटालियन गणतत्र का सविधान स्पष्ट गद्दों में संशोधन की पद्धति को निर्धारित करता है, और यद्यपि संशोधन के विषय का निरूपण करने वाली सविधान की धारा उनकी पूर्ण नहीं है जिनकी कि फार्मीसी गणतत्र के सविधान की धारा है, तद्यपि संशोधन-सम्बन्धी इटली की पद्धति भी प्राप्त की पद्धति से विलक्ष मिलनी-जुलनी ही है। अनुच्छेद 138 में कहा गया है कि साविधानिक संघाधन की प्रतिया में निर्वाचित गण तथा समद् (प्रतिनिधि-सदन और गिरेटर-सदन) दोना शामिल हो सकते हैं। सविधानी संघाधन की विधि प्रत्येक सदन में दो बाचनों में पारित होनी चाहिए, उन दाना के बीच में तीन महीन में कम का अन्त नहीं होना चाहिए और द्वितीय बाचन में प्रत्येक सदन के सदस्यों का निरपेक्ष वृद्धमन उसके पक्ष में होना चाहिए। यदि उम्में

¹ अम्माय 15 देखिये।

प्रवाशन के लीन महीना वे अन्दर जनमत सप्रह के लिय वाई माग दाना में से किसी भी सदन के पचमांश मदस्या वे द्वारा अवया 500 000 मतदाताओं वे द्वारा अयवा छह प्रादेशिक परिपदा वे द्वारा वो जाती हैं तो इग विधि वा जनमत सप्रह के निय प्रस्तुत वरना पड़ता है। परन्तु यदि विधि के द्वितीय वाचा म प्रत्यक्ष रदन वे दो निहाई गदत्या वे बहुमत वा इसे अनुमोदन प्राप्त हा जाता है तो यह शर्त नागू नहीं होती।

४ आयर तथा दक्षिणी अफ्रीका मे साविधानिक संशोधन

अब हम आयरलैंड के गणतन्त्र (आयर) और दक्षिणी अफ्रीका के जो फ्राम्झ और इटरी के समान अनम्य सविधान थाले प्रकात्मक राज्य है नाविधानिक संशोधन की प्रतियाओं का अध्ययन करेंगे। उन्हे हम सुविधापूर्वक एवं साथ ही ले भवते है वयोवि दोनों पुराने विटिण स्वशासी डॉमिनियन रहे हैं जो गणतन्त्र बनने पर कांभनवेल्व रो अनग हो गय।

(१) आयर (आयरलैंड का गणतन्त्र) — आयर, जिस नाम मे दक्षिणी आयरलैंड सन् १९३७ से पुकारा जाता है, सन् १९२२ मे आयरिश की स्टेट के नाम से उस सधि के फलस्वरूप स्थापित हुआ जा दमन एवं गृहयुद्ध जन्य विनाश वे वाद प्रेट विटेन और आयरलैंड के सम्बन्धित भाग के बीच हुई थी। इस इस सधि के फलस्वरूप दक्षिणी आयरलैंड वो स्वशासी डॉमिनियन वा पद प्राप्त हुआ और दो सदनों (डेल आयरीन और सीनेट) के विधानमठन वी तथा उगवे प्रति उत्तरदायी वायंपातिवा वी स्थापना हुई जा नाममात्र नो मुवट द्वारा नियुक्त एवं गवर्नर-जनरल के हाथों मे थी, हालाकि जैसा पहले कहा जा चुका है, सन् १९३७ के सविधान ने गवर्नर जनरल के पद का समाप्त कर दिया और वाद मे सन् १९४८ के अधिनियम से आयर एवं स्वतन्त्र गणतन्त्र बन गया। मूल सविधान के अनुच्छेद ५० मे संशोधन वी पद्धति वा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है परन्तु उसमे पहुँ भी कहा गया है कि सविधान मे निर्धारित व्यवस्थाएँ प्रब्लापन वी सारीख से आठ तर्फ तक प्रभावी नहीं होगी। उसमे निर्धारित संशोधन वी पद्धति सार रूप मे सन् १९३७ के सविधान मे उल्लिखित पद्धति के समान ही है और आजकल वही प्रबर्तनशील है। तथ मविधान के अनुच्छेद ४६ (२) मे कहा गया है कि 'इस सविधान मे संशोधन के लिय प्रत्येक प्रस्ताव का सूक्षपात प्रतिनिधि गभा (डेल आयरीन) मे एवं विधेयक के रूप मे होगा और ओरियेक्टास (सप्तद) के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने या पारित हुआ समसा जाने पर जनता के निर्णय के निय जनमत सप्रह के विषय मे उस समय प्रभावी विधि के अनुसार जनमत सप्रह के निय प्रस्तुत किया जायगा।' इसके साथ ही अनुच्छेद ४७ (१) मे वहा गया है कि जनता के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया हुआ प्रत्येक

प्रस्ताव जनमत संग्रह में प्रस्ताव के पथ में बहुमत होने पर अनुमोदित समझा जायगा।

(2) दक्षिणी अफ्रीका—उच्चीसवीं शताब्दी में विद्यमान आल-डच शत्रुता से, जिसका चरम रूप 1899-1902 के युद्ध में प्रकट हुआ, उत्पन्न समस्याओं का भागधान, 1909 में पारित साउथ अफ्रीका एकट द्वारा 1910 में चार प्रान्तों के सघ (यूनियन) की स्थापना द्वारा किया गया था। जैसा हम देख चुके हैं, यह देखने में ही सघ था, वास्तव में नहीं, क्योंकि यद्यपि प्रान्तों की जक्तियाँ उल्लिखित थीं परन्तु वे स्थानीय मत्ताओं की शक्तिया से विलकुल भिन्न नहीं थीं और वे उन्हें अपने अधिकार में नहीं, सघ की समद्वय इच्छा से प्राप्त थीं। समद्वय प्रान्तीय परिषद के किसी भी अध्यादेश का, समद्वय के किसी अधिनियम के विरह होने की हालत में, अमान्य करार दे सकती थीं।

संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका अधिनियम के खण्ड 152 में निश्चित रूप से निर्धारित थी। उगमे कहा गया था कि सघ की समद्वय सामान्य विधायी प्रक्रिया से अधिनियम के तीन प्रकार के उपबन्धों को छोड़ किन्तु उपबन्धों को निरसित या परिवर्तित कर सकती है। वे तीन प्रकार के उपबन्ध निम्नालिखित हैं—(अ) जिनका मम्बन्ध भघ में देशी निवासियों के अधिकारों से है, (आ) जिनके द्वारा डच और अंग्रेजी भाषाओं भी समानता स्थापित की गई है और (इ) वे उपबन्ध जो उक्त खण्ड के माथे अनुसूची के रूप में जुड़े हुए हैं और जिनका मम्बन्ध मूल निवासियों के प्रदेशों के प्रशासन में है। ऐसे प्रदेश चमूटोलैंड, वेगुआनालैंड और स्वाजीलैंड हैं जो मुकुट द्वारा नियुक्त हाइ कमिशनर के अधीन प्रशासित शाही प्रदेश (Imperial Lands) बने हुए हैं। (अ) और (आ) में उल्लिखित उपबन्ध, परन्तु (इ) में उल्लिखित उपबन्ध नहीं, जिन पर सघ गवर्नर की बोई मत्ता नहीं है, केवल सधीय समद्वय द्वारा पारित विधेयक द्वारा ही परिवर्तित किये जा सकते थे। इनके लिये आवश्यक था कि समद्वय के दोनों सदन एक समय बैठें और तीसरे वाचन में दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बम से बम दो-तिहाई सदस्य महमन हो। दक्षिणी अफ्रीका के यूनियन के मविधान की ऐसी अनम्यता थी।

मन् 1961 के अधिनियम के, जिनके द्वारा गणतन्त्र की स्थापना हुई, खण्ड 118 में संशोधन की पढ़नि पहले जैसी ही बनी हुई है। रगीन निवासियों के अधिकार तो विशिष्ट विधियों के अधीन हैं। परन्तु अन्यथा इस खण्ड में यह बात दोहराई गई है कि गणतन्त्र की समद्वय 'विधि के द्वारा उस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध का निरसित या परिवर्तित कर सकती है' (अर्थात् साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा), केवल डच और अंग्रेजी भाषाओं की स्थापना करने वाले उपबन्ध वो उम्मीद यह सत्ता नागू नहीं होती। इसी प्रकार समद्वय इस खण्ड को भी सामान्य

विद्यार्थी प्रक्रिया में विभिन्न नहीं कर सकती, उसके लिये दोनों सदनों के मध्यका मत्र में दो-निहाई वटुमत की आवश्यकता होती है। इन बातों में दक्षिणी जमीनों के गणतन का सविधान अनम्य है। शेष बातों में वह नम्य है।

5 कर्नाटा और ऑस्ट्रेलिया में अनम्य सविधान

इस खण्ड में इस दो भागों के विटिंग न्यूगामी डामिनियनों के अनम्य सविधानों पर विचार करेंगे। वे दाना मध्य गम्य हैं ताकि दोनों की गधीय व्यवस्था भिन्न प्रकार की है, परन्तु उचित कर्नाटा के सविधान नी अनम्यता मुख्यतः उसके गधीय व्यवस्था पर निर्भए है अस्ट्रेलिया के सविधान में उसके मध्य के विभिन्न रूप में आवश्यक रूप में उत्पन्न निर्देशनों के अनिवार्य मर्गीयता की प्रक्रिया एवं प्रभाव द्वारा करने और भी निर्वन्धन है।

(1) कर्नाटा का डामिनियन—कर्नाटा के डामिनियन की स्थापना जैसा हम देख चुके हैं, मन् 1867 में विटिंग नौर्थ अमेरिका अधिनियम के द्वारा हुई थी जो आरम्भ में चार प्रान्तों के मध्य को लागू हुआ था। अब प्रान्तों की स्थापना बढ़ कर दस हो गई है। यह अधिनियम, बाद के संगोष्ठनों महिने आम तौर पर कर्नाटा का सविधान कहा जाता है, हालांकि, व्यापक अर्थ में, सविधान में कुछ विटिंग पालमिण्ट द्वारा तथा अन्य कर्नाटा की पालमिण्ट द्वारा पारित गाविधानिक प्रभाववाली कुछ अन्य विधियाँ तथा बालक्रम में विभिन्न कुछ प्रयाएँ गाव विधियाँ भी जामिल हैं। मन् 1867 के विटिंग नौर्थ अमेरिका एकट के द्वारा विद्यार्थी एवं कार्यपालिका मत्ताएँ डामिनियन की सरकार तथा प्रान्तों की सरकारों के बीच विभक्त की गई थी। अनम्य रूप में प्रान्तों का सौपी यह शक्तियाँ स्पष्ट रूप में उल्लिखित की गई थी और इस तरह नक्ति शक्तियाँ मध्य नक्तार के पास रही। अब कर्नाटा में मामान्य विधि और सविधान विधि में एक मात्र अन्तर यही है कि मामान्य विधि का मम्बन्ध तो उन मध्य बातों से है जिनका प्रान्तीय विधिनिर्माण की परिधि के अन्दर स्पष्ट उल्लेख नहीं है और सविधान विधि का मम्बन्ध इस अधिकार-विभाजन में मूलभूत परिवर्तन से है।

मल विटिंग नौर्थ अमेरिका एकट में कर्नाटा में स्थित किसी भी विद्यार्थी मत्ता द्वारा उसके मणोप्रन के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। मणोप्रन डामिनियन भी समद् के दोनों सदनों के संघोषण पर केवल वेस्टमिन्स्टर में स्थित पालमिण्ट द्वारा ही किया जा सकता था। परन्तु व्यवहार में, मन् 1931 में वेस्टमिन्स्टर की सविधि (Statute of Westminster) के अधिनियमित हो जाने पर वह निर्वन्धन प्रभावहीन हो गया। फिर भी, मन् 1949 में विटिंग नौर्थ-अमेरिका एकट के मणोप्रन से कर्नाटा की समद् को प्रान्तों की विद्यार्थी मत्ताएँ और प्रान्तीय विधानसभाओं के अधिकारा एवं विंगेंडिकेशनों में मम्बन्धित बातों

को छोड़ अन्य सभी बातों में संविधान में सशोधन करने का अधिकार मिल गया। अत इस्पट है कि व्यवहार में, संविधानिक सशोधन के मामले में कनाडा की संसद पर एकमात्र निर्वन्धन यह है कि वह प्रान्तों को संविधान द्वारा स्पष्ट रूप में प्रदत्त शक्तियों में उनकी अनुमति के बिना हेरफेर नहीं कर सकती।

मिछने कुछ वर्षों में कनाडा में डॉमिनियन भरकार के प्रान्तीय विधान-मण्डलों के साथ सम्बन्धों के विषय में काफी विवाद चला है। सन् 1950 में इस विषय में संविधान के सशोधन की पढ़नि पर विचार करने के लिये एक संयुक्त अमेरिकन बुलाया गया था। उसने विवाद यस्ता मुद्दों को कुछ स्पष्ट करने में कुछ प्रगति तो की पर वह ऐसा भाई सूत नहीं ढूँढ सका जिसे सभी सरकारें स्वीकार कर सकती। सन् 1960 में फिर ऐसा ही प्रयत्न आरम्भ हुआ जबकि इस प्रयत्न पर फिर से विचार करने के लिये अटार्नी-जनरलों का एक सम्मलन अमरिन्द किया गया परन्तु सन् 1962 के अन्त तक भी उसका कार्य पूरा नहीं हुआ था। इन सद बातों में ध्यान देने योग्य भृत्यपूर्ण बात यह है कि यदि प्रान्त एक बार डॉमिनियन सरकार के साथ अपने सम्बन्धों में परिवर्तन बरने के लिये सहमत हो जाय तो ऐसा परिवर्तन कनाडा की संसद की मामान्य विधायी प्रतिया द्वारा ही हो सकेगा। इस प्रकार द्वापि राज्य के सघीय स्वरूप के कारण कनाडा का संविधान नम्य नहीं कहा जा सकता, तथापि वह आधुनिक सघीय राज्यों के संविधानों में सभवत् कम से कम अनम्य है।

(2) आस्ट्रेलिया की कामनवेत्त्वा—जैसा कि हम देख चुके हैं, आस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ का संविधान पूर्णरूप से सघीहृत राज्य का संविधान है। इसकी स्थापना सन् 1900 के संसद अधिनियम के द्वारा हुई जा सन् 1901 में प्रवर्तित हुआ। यह सधे छह राज्यों (आस्ट्रेलिया द्वीप के पाच खड़ा और टम्पानिया) से बना है, जिसमें से प्रत्यक्ष का सजीव वैयकिक अस्तित्व है। उनके अधिकारों की बड़ी सुनिश्चितता से भुक्ता की गई है, क्योंकि संविधान में सघीय मत्ता की शक्तिया की भूची दी गई है। सघीय सत्ता में दो सदनों का विधानमण्डल और उसके अधिन उत्तरदायी एक कार्यपालिका है और वह नाममात्र के लिए मुकुट द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल के अधीन है। संविधान में अवशिष्ट अविन्यास राज्यों के पास ३२ दी गई है, जिनमें से प्रत्यक्ष नाममात्र के लिए गवर्नर के अधीन है जिसकी नियुक्ति कॉमनवेल्थ सरकार द्वारा न हावर मुकुट द्वारा हाती है।

संविधान के अतिम बध्याय (8) में सशोधन के माध्यन कनाएँ गए हैं। भग्नाधन का प्रस्ताव करनवाली प्रत्यक्ष विधि नोना सदनों के द्वारा पारित होन पर प्रत्यक्ष राज्य के प्रतिनिधि-मदन के निर्वाचिका के समक्ष उनके मन के लिए प्रस्तुत वीं जानी चाहिए। अथवा यदि ऐसी कोई विधि एक मदन के द्वारा पारित ही गई हो और दूसरे के द्वारा अव्योकृत की गई हो और पुन उभी मदन के द्वारा

तीन महीना के अवसरान के पश्चात अथवा अगले सप्ताह में पारित की गई हो तो गवर्नर-जनरल उस सदन वे, जो इस पर आपत्ति करता है, संशोधन के सहित या उसके बिना ही उसे जनमत सप्रह के लिए प्रस्तुत कर सकता है। यदि तब वह अधिकाश राज्यों में निर्वाचिकों वे बहुमत से और मतदान बरने वाले समस्त निर्वाचिकों के बहुमत के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह विधि बन जाता है। परन्तु यदि संशोधन में किसी राज्य की सीमाओं के परिवर्तन का या प्रत्येक सदन के सदस्यों के उसके अनुपात में कभी बरने वा या संविधान के अधीन उसके पृथक अधिकारों में किसी विस्म का परिवर्तन करने का प्रस्ताव लिया जाता है तो प्रस्तावित संशोधन को, उल्लिखित शर्तों की पूति के अलावा उस विशिष्ट राज्य में मतदान बरने वाले निर्वाचिकों के बहुमत का अनुगोदन भी प्राप्त होना चाहिए।

सन् 1900 से अभी तक केवल चौबीस संविधानक प्रस्ताव जनमत सप्रह के लिये प्रस्तुत किये गये हैं और उनमें से केवल चार को ही आवश्यक बहुमत प्राप्त हो सका है। सन् 1937 और 1946 के बीच तीन बार प्रस्तावित परिवर्तनों को समस्त बामनवेल्थ के जनमत सप्रह में तो सभी राज्यों को मिलाकर बहुमत प्राप्त हो गया परन्तु वे अस्वीकृत हो गय क्याकि छ राज्यों में से केवल तीन राज्यों में ही राज्य वा आवश्यक बहुमत प्राप्त हो सका था। इस बारण माविधानिक पुनर्निरोक्षण के लिय समुक्त समिति (Joint Committee on Constitutional Review)न, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है¹ अपनी सन् 1958 की रिपोर्ट में यह मुद्रान दिया (जिसका सन् 1959 की रिपोर्ट में समर्थन भी किया गया था) कि भविष्य में यदि जनमत सप्रह में सभी राज्यों को मिलाकर बहुमत प्रस्तावित संशोधन के पक्ष में हो तो उसके अनुगोदन के लिय छ में से केवल तीन (आधे से अधिक नहीं) राज्यों में ही बहुमत पर्याप्त होना चाहिये। बिन्तु, जैसा पहले बता चुके हैं, सन् 1962 के अन्त तक समुक्त समिति बी रिपोर्ट पर बोर्ड कार्यवाही नहीं हो पाई थी। तिस पर भी, यदि प्रस्तावित गुणार अग्रीकृत भी हो जाता है, औस्ट्रेलिया का संविधान समार ने मर्दाधिक अनम्य संविधानों में से एक बना रहेगा, क्योंकि यह केवल सधीय राज्य की मर्यादाओं में बद्ध हुआ नहीं है, अपितु उसका संशोधन जनमत सप्रह के प्रयोग से सुरक्षित है।

6 स्विट्जरलैंड के संविधान की अनम्यता

स्विट्जरलैंड का वर्तमान संविधान, जैसा कि हम कह चुके हैं, सन् 1874 में अस्तित्व में आया था। इसके सधीय स्वरूप की हम पहले ही विवेचना नहीं कुके हैं। यहा पर हमें उसके संशोधन की पढ़ति वा ही अवलोकन करना है।

¹ पृष्ठ 118 देखिये

किंग गाए, च्यारहवें और चारहवें मणाधन तमग मन् 1798 और 1804 मे अंगीकृत हुए। इन मणाधनों के उपरात तमग मन् 1865, 1868 और 1870 मे हस्तियों के उद्धारविषयक तीन मणाधनों के अंगीरण वे पूर्व तब दक्षिण वर्ष किना मणाधन के बनीत हो गए। तब रा बेबन आठ मणाधन हुए हैं जिनमे पहले दो गन 1913 मे और अंतिम गन 1961 मे हुआ (अनुच्छेद 23 किंगड़े हाग कारम्पिया थेब (District of Columbia) का नियमिता का 1964 मे गण्डुपति के निर्वाचन मे मनदान की यायता प्राप्त हुई)। इम भानि 170 वर्षों मे बेबन तर्ईम मारियानिक मणाधन पाम हो और उनमे मे पर (मन् 1933 इस्तीगवे) न ता बास्टर म एक पहल के मणाधन (मन् 1918 अंगीरहवे) का किमन मञ्चनियध म्यापिन किया था नियमित किया। ये तथ्य गिर उरते हैं कि इम मणिधन न जा विद्यमान दम्नामजी सविधानों मे प्राचीनतम है, अनम्यता हाल हुआ भी उल्लेखनीय रक्तीकेपन का परिचय दिया है और यह गर मूल्य रूप मे गर्वान्व न्यायालय के नियमों के द्वारा हुआ है जो कि मणिधन का व्याख्यानार्थ है। माथ ही इम उम्मी जरूरिय के दोगन मणिजा के विकास के द्वारा भी व्यवहार मे बुद्ध मात्रा मे उम मीमा तर परिचन हुआ है जहा तर कि यह मणिधन की भाषा मे अमगति उत्तरात किंग किना भव्यत हो गया है। किंग बान वर न्य यहा जार दना चाहत है, उह यह है कि मयुक्तनगरज्य के विद्यमानमडन (मायेम) के पाम मारियानिक मणाधनों का अनी आर मे पारित करन की जक्किन नहीं है, वह बेबन मणिधन मे नियमित मणाधन-न्यव का चारित वर्ग के पर तरीके के स्वयं मे मणाधनों का बेबन प्रस्ताव कर मरता है।

इम अनियम अनम्यता के किंग मणिधनों की स्थानाना का इतिहास उत्तरदागी है। मन् 1775 तर आज के मयुक्तनगरज्य के पूर्वी ममुद्री तट पर बहुतने पृथक् त्रिटिंग उभनिवेश अे किनमे मे प्राचीनतम उपनिषेष मी 170 वर्ष मे अधिक तुराना नहीं था। उन मरवी गणनीनिक सम्पाद्या मे गूताधिक भाषा मे अपन मूल प्रदेश मे, जो उन्हें ऐसे बन्धन मे जड़े हुए था किमे के अन मे अमहनीय जारिया बन्धन यमदान लगे थे, मम्बन्ध त्रिन्देद करन की प्रवृत्ति थी। इन 13 उपनिषेष के कार्ड एवं-मे गणनीनिक हिन नहीं थे। उन्हाने पृथक् गृहर ही आनी-अपनी मस्थानों का विकास किया था, हातारि उनम आश्विर एवना की आर एवं अमाल प्राप्ति नियमान थी। ग्रेट त्रिटेन के दिन हृथियार उठाने मे भैक्की रसन के त्रिए किम यान ने उन्हे प्रतित किया वह पाना के त्रिए कोई नियवयात्मक प्रवृत्ति नहीं थी बहिर् पर अमहनीय बाहु जाधिपत्य मे मुख्य प्राप्त करने की नियमात्मक प्रेरणा थी। पृथक् त्रिटेन के उपग्रह वे जर्वे मे स्वाधीनता की घोषणा मे यह यान यहा स्थानों के साथ प्राप्त होती है। इन प्राप्तों मे कहा गया है, ये मयुक्तन उपनिषेष स्वतन्त्र और स्वाधीन राज्य है, और अधिकारम्बन्ध उन्हे

ऐसा ही होना चाहिए।” इसमें मामान्य भग्कार से मन्त्रन्दृश रखने वाला कोई भी शब्द नहीं है, और जब मन् 1781 में युद्ध कास्तिविक्ट रूप में समाप्त हो गया, तब एक लम्बा आन्दरिक मघर्ष इस विषय पर छिड़ गया कि संयोग के सविधान का बौन-मा रूप होना चाहिए। यह एक ऐसा मघर्ष था जो मन् 1783 की संधि के पश्चात भी, जिसके द्वारा अमरीकियों वो उनकी स्वतन्त्रता और प्रभुता ओपरारिक रूप से प्राप्त हुई जारी रहा।

मन् 1781 के कॉनफेरेशन के अनुच्छेद, जिनके अधीन संयुक्तराज्य अगले आठ वर्ष तक शामिल रहे, सार-हण में “अन्तर्राष्ट्रीय अभिमपथ से शायद ही कुछ अधिक थे और कॉनफेरेशन भी केन्द्रीय मत्ता की अपनी खुद की कोई प्रभाववाही इच्छा नहीं थी। अपनी वैयक्तिक स्वतन्त्रता के प्रति राज्यों के मोह के कारण वे किसी भी केन्द्रीय मत्ता को ऐसी बार्यपालिकाजित प्रदान करने से ढरते थे जो उन्हें अन्त अपने समस्त अधिकारों में वचित कर देती। अन्न में, मई मन् 1787 में किलारेलिया में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसने एक ऐसे सविधान के निर्माण विषया जो “मृजन की अपेक्षा चयन का परिणाम था।” यह बात प्रस्तावना में पर्याप्त रूप से स्पष्ट है, इसमें कहा गया है —

“हम संयुक्तराज्य के लोग अधिक पूर्ण मध्य बनाने, व्याय की स्थापना करने, आनंदित जाति सुनिश्चित करने, मामान्य रक्ता की अवस्था करने, सामान्य कल्याण का वर्द्धन करन और अपने तथा अपनी भावी पीढ़ियों के लिए स्वतन्त्रता का बरदान सुरक्षित करने के निमित्त, संयुक्तराज्य अमरीका के लिए इस सविधान को आदिष्ट तथा स्थापित करते हैं।”

इसका प्राथमिक उद्देश्य राज्यों के अधिकारों की सुरक्षा और इसके माय ही मधुका बार्यवाही के लाभ प्राप्त करना था। इन हेतु यह सविधान, जो मन् 1789 में प्रभावी हुआ, भावधानी के माय उन जटिलियों को परिगणित करता है जिनका प्रयोग मामान्य अर्थात् स्वीय मत्ता ढाग किया जा सकता है। जिन जटिलियों का बर्णन नहीं है, वे राज्यों के धारा नहु जानी हैं। उसमें जामन के तीन प्रमृद्ध विभागों की स्थापना हुई, जो ये हैं —

(1) कार्यपालिका—राष्ट्रपति, जिसका निर्वाचन निश्चिन रूप से निर्धारित नियमों के अनुमार चार बयों के लिए होना है।

(2) विधानमंडल—सिनेट और प्रतिनिधि-मदन नाम के दो मदनों से निर्मित वार्षिक (महामध्या)।

(3) न्यायपालिका—न्यायाधीशों का एक मर्वोच्च न्यायालय जिसे शासन के इस उपर्याप्ति (निधिधान) के निर्वाचन की शक्ति दी गई है।

यह एक मनस्तोना या जिसे राज्या न इस बारण स्वीकार कर लिया वि इसके द्वारा समस्त राज्यों को, उनके क्षेत्रफल तथा जनसंख्या का लिहाज लिए

विना, सिनेट में समान प्रतिनिधित्व अर्थात् प्रत्येक राज्य के लिए दो प्रतिनिधियों की गारंटी प्राप्त है, जब कि प्रतिनिधि-मदन में विभिन्न राज्यों के मदस्यों की सल्ला उनकी जनसत्त्वा के अनुपात में रखी गई है। वह महान् शक्ति जिमका राज्यों ने त्याग किया—सधि तथा युद्ध करने का अधिकार—मध्येष में, राजनीतिक शक्ति थी। परन्तु जहा युद्ध की धोषणा का सम्पूर्ण काग्रेम द्वारा अनुमोदन होना चाहिए वहा सधि करने के लिए सिनेट का, अर्थात् उम मदन का जिममें मव राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, अनुभमर्यन आवश्यक है। काग्रेम को तीन-चौन-मी जिकाया प्राप्ता है इसके स्पष्ट निष्पत्ति के बाद संविधान में इनके व्योरों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। उसका सबध इन्होंने बात से ही है कि वे दिया करे, न कि वे उसे कीसे करेंगे। संविधान केवल इस प्रणाली के महान् आधारों को ही प्रस्तुत करता है, परन्तु इस दिग्गज में वह पूर्ण है और दुर्घटयोग में मुरक्किन भी है, क्योंकि उममें संविधान को सशोधित करने के साथनों को निश्चित तथा स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया है।

सशोधन दो तरीकों में से किसी एक से प्रस्तावित किए जा सकते हैं (क) या तो काग्रेस के प्रत्येक सदन वे समस्त मदस्यों (मात्र उपस्थित मदस्य नहीं) के दो-तिहाई सदस्य सहमत हो कि कुछ सशोधन आवश्यक हैं, या (ख) काग्रेस, दो-तिहाई राज्यों के विधानमंडलों द्वारा सशोधनों के लिए प्रारंभना किए जाने पर, उन पर विचार करने के लिए एक विशेष मम्पेलन आमतित करेंगी। यह द्व्यान रखना चाहिए कि इन शर्तों का सम्बन्ध केवल सशोधनों के प्रस्तावों से ही है। सशोधनों का इस भाति प्रस्ताव हो जाने पर उन पर राज्यों के तीन-चौथाई का सहमत होना आवश्यक है। ऐसा अनुभमर्यन प्राप्त होने पर सशोधन संविधान का अग बन जाता है।

इस प्रकार अमरीकी संघ में संविधीय विधि तथा संविधान विधि के बीच एक अत्यन्त निश्चित भेद है। संविधान विधि की मह विशिष्ट प्रक्रिया बड़ी जटिल है, उसे चालित करना कठिन है, और उसे सफल परिणाम तक ले जाना तो और भी कठिन है। राज्यों की सल्ला, जो कि प्रारम्भ में तेरह थी, बढ़कर आज पचास हो गई है। अत समय की मति ने और सयुक्तराज्य की विस्मयकारी बृद्धि ने सशोधन को और भी अधिक कठिन बना दिया है, क्योंकि आज कोई भी राज्यों की सामने, जैसा कि हम देख चुके हैं, अपने पृथक्-पृथक् राज्यों में, जिनमें प्रत्येक का अपना भविधान है, अपने राजनीतिक क्रियाकलाप के लिए संविधान में निर्धारित द्वारों के अतिरिक्त अन्य द्वार भी खुले हुए हैं।

४ जर्मन संविधानों की अनम्यता

सन् 1949 में परिचमी जर्मनी में संविधानी शासन की पुन स्थापना हो जाने के कारण इस अव्याय के उपराहार के रूप में वर्तमान संघीय गणतन्त्र पर

दृष्टिपात करने के पहले-पहले के संविधानों के अनम्य स्वरूप की ओर सकेत करना भाभदायक होगा। वेमर गणतन्त्र का संविधान, जैसा हम देख चुके हैं, सन् 1919 में प्रभापित हुआ था। सम्पूर्ण जर्मनी में राजतन्त्र के उन्मूलन के अलावा गणतन्त्रीय संविधान जर्मन साम्राज्य के, जिसे प्रथम विश्वयुद्ध ने पलट दिया, संविधान से कई बातों में भिन्न था। जर्मन साम्राज्य में, जिसकी स्थापना फ्रास-प्रशा युद्ध की सफलता पर सन् 1871 में हुई थी, संविधान का सघबत स्वरूप, उच्च सदन या बड़ेस्टाट में सबसे अधिक स्पष्ट था। उच्च सदन, जैसा कि हम देख चुके हैं, बास्तव में ऐसे विभिन्न राज्यों से जिनका उस सभा ने अ-समान रूप से प्रतिनिधित्व था, अए हुए राजदूतों का सदन था। उसमें सब्रह छोटे राज्यों का एक-एक सदस्य था। कोई भी प्रस्तावित संविधानिक सशोधन उच्च सदन में चौदह मतों से अस्वीकार किया जा सकता था। इस भानि इन छोटे राज्यों के प्रतिनिधि (अथवा दूत) मिलकर किसी भी ऐसे परिवर्तन को रोक सकते थे जो साम्राज्य में उनकी स्थिति के लिए हानिकारी हो सकता था, अथवा प्रशा ही, जिसके अपने सब्रह स्थान थे, किसी ऐसे वर्तिवर्तन को रोक सकता था।

जर्मनी में प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् परिस्थिति विलकुल ही भिन्न थी क्योंकि राइखस्टाट अर्थात् अवर सदन, का ऐसा बास्तविक अस्तित्व और बल था जो पूर्व में उसे प्राप्त नहीं था, क्याकि पुराने साम्राज्यिक संविधान के अधीन किसी भी संविधानिक सशोधन पर राइखस्टाट विचार नहीं कर सकती थी। सशोधन की पद्धति (वेमर संविधान के जनुल्लेद 76 के अनुसार) निम्न प्रकार थी थी। इसमें कहा गया है कि संविधान में अधिनियमन द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, परन्तु तभी जब यि सशोधन राइखस्टाट की गणपूर्ति अर्थात् दा-निहाई सदस्यों के दा-तिहाई बहुमत से और राइखस्टाट (पहले का बड़ेस्टाट) में ढाले गए मतों के दा-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त यदि भतदान बरने वालों वा दशभाष जनता के सामने प्रस्तुत बरने के लिये स्वयं ही सशोधन वा प्रस्ताव करता तो उसे उसके समझ प्रस्तुत करना पड़ता था और भतदाताओं वा बहुमत उसके पक्ष या विपक्ष में निश्चय कर सकता था। यदि राइखस्टाट में अप्रवर्यक बहुमत नहीं हो पाता और वह दो सम्पादक के भीतर सशोधन वा जनता के समझ प्रस्तुत बरन की मद्द करता, तो सशोधन को वर्णित रीनि से जनता के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना पड़ता था।

इस भानि वेमर संविधान के अधीन जर्मनी में सशोधन जनमत सब्रह के बिना साधारण विधायी पद्धतियों द्वारा सदनों में बहुमतविधियक वित्तिय निवन्धनों के अधीन पारित किया जा सकता था, परन्तु या तो उच्च सदन या जनता प्रमाण समय और मन्त्रा वे निवन्धनों के अधीन जनमत सप्राप्त वी प्रतिया को चालू न रखते थे।

सधीय गणतंत्र का सविधान भी, जो प्राविधिक दृष्टि से मूल विधि कहलाता है, और जिसके अधीन पश्चिमी जम्नी पर सन् 1949 से जास्त हो रहा है, समसदीय दृष्टिकोण से उतना ही अनम्य है क्योंकि इसमें भी सशोथन के लिए दाना सदना में दो-तिहाई मता की आवश्यकता है, यद्यपि इसमें सामान्य सशोथन प्रक्रिया के सम्बन्ध में जनमत संघटन के उपयाग के लिए बाई निर्देश नहीं है। यह सविधान बेबल ऐसी विधि हारा ही सशोथन हा मनना है जो कि मूल विधि के पाठ को स्पष्ट रूप से बदलता या बद्धित करता हा। परन्तु उसमें ऐसी विसी सशोथन की गुजारण नहीं है जो कि मध्य के लैंडर (राज्य) में मगठन का, अधिनियमन में लैंडर (राज्य) के मूल सहयोग का या सविधान में निर्धारित मानव अधिकारों में सम्बन्धित मूल सिद्धाता को और गणराज्य के लाभतात्मक, सामाजिक और सधीय स्वरूप को प्रभावित करता हा। अधिकार-सविधि (Occupation Statute) अनुच्छेद 5 के हारा एक और निवन्धन अधिरापित किया गया था, जिसमें किसी भी सशोथन के लिए अधिकारी शक्तिया की स्पष्ट सम्मति की आवश्यकता अनिवाय रखी गई थी। परन्तु यह निवन्धन अपन आप ही सन् 1955 में समाप्त हा गया जब पश्चिमी जम्नी का पूर्ण प्रभुत्व के अधिकार पुन ग्राप्त हा गय।



8

विधानमंडल

। मनाधिकार और निर्वाचन-क्षत्र

१ विषय-प्रवेश

हम प्रथम अध्याय में बता चुके हैं कि शासन के कृत्य विधायक कार्यपालक और न्यायपालक अर्थात् नभज विप्रियों के निर्माण, उन्हे वार्यान्वित करने, और निर्माण के पश्चात् उन्हें प्रवर्तन से सबधित तीन विभागों में विभाजित किए जाने चाहिए। आधुनिक शासन में विधिनिर्माण के कार्य का महत्व लोकतंत्र वीं प्रगति के अनुपान में बहुत अधिक बढ़ गया है। विधिनिर्माण, जिस हृषि में हम उसे आज समझते हैं, वास्तव में जगेश्वराचून नवीन वस्तु है। प्रारंभ में राजनीतिक समाज में विधायी और कार्यपालिका-सदस्यी दोनों में कोई अन्तर नहीं था। शासन जिन विधियों को आवश्यक समझता था उनकी धोषणा करता था और उनका नियान्वित करता था। उदाहरण के तौर पर, ब्रिटेन में समद् के प्रारंभिक दिनों में उमका निर्वाचित अर्थ अर्थात् लोक-मंदन विधिनिर्माण के कर्तव्य को टालने का प्रयत्न करता था और उसे वास्तविक हृषि में राजा और उमकी परिषद् के हाथों में छाड़ देना चाहता था जो कि उसे मदा से बचने आए थे। जैसा हम पहले बता चुके हैं, लाल-मंदन का प्रारंभिक काम विधिनिर्माण नहीं बल्कि धन का अनुदान था। विनु विधिनिर्माण वीं आधुनिक धारणा ने, जो जन-समूह वीं, जिसके मामूलिक हिन में आजकल अधिकतर विधिया पारित वीं जाती है, बहुती हुई राजनीतिक चेतना में पैदा होनी ई, विधिनिर्माण करने वाली सम्झा का एक विलक्षण ही नया जननाविका महत्व प्रदान कर दिया है और इसके माय ही यह प्रश्न भी उपस्थित कर दिया है कि उन सम्झों में नागरिकों वीं यक्षिय मम्मति के माय काम कराने का मर्वोत्तम उपाय क्या होगा। अब आधुनिक विधानमंडलों के अध्ययन के अन्तर्गत उन्हें निर्वाचन वीं पद्धतियों, द्वितीय मंदनों के स्वरूप एव उनकी ज्ञातिया में तथा विधान-कार्य पर कुछ राज्यों में प्रयोग में आने वाले प्रत्यक्षलाल-नियत्रणों का अध्ययन भी अवशिष्ट है। इस अध्याय में हम आधुनिक निर्वाचन-प्रणालियों का मनाधिकार और निर्वाचन-ओत्र इन दो बातों के दृष्टिकोण में अध्ययन करेंगे।

2 राजनीतिक लोकतंत्र का विकास

लोकतंत्र से हमारा तात्पर्य "शासन के उस स्वरूप से है जिसमें राज्य की शासन-शक्ति बंध स्थग से समस्त समुदाय के मदस्यों में, न कि किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों में, निहित होती है।" निर्वाचनसंवधी प्रणाली के अध्ययन के प्रारंभ में ही इस तथ्य पर जार देना आवश्यक है क्योंकि कभी-कभी लोकतंत्र को 'वर्गों के विपरीत जनना' का शासन समझा जाता है। वास्तव में यूनानी भाषा में शब्द 'डिमास' का, जिससे डिमार्टेसी (लोकतंत्र) शब्द वी व्युत्पत्ति हुई है, प्रयोग यूनानियों द्वारा समर्पित रूप में जनता का नहीं, बल्कि 'अल्पजन' से भिन्न 'बहु-जन' का, वर्णन करने में किया जाना था और, जैसा हम पहले बना चुके हैं, अरस्तु ने लोकतंत्र को भरीबों के शासन के रूप में परिभासित किया है, क्याकि अनिवार्यत मरीच ही बहुसंख्यक वर्ग में होता था। किन्तु यहां पर हम 'लोकतंत्र' शब्द का प्रयोग संपूर्ण समुदाय की बहुसंख्या के शासन के अर्थ में करते हैं, जिसके अन्तर्गत 'वर्ग' और 'बहुजन' (यदि ऐसा अन्तर अब भी कोई अर्थ रखता है) दोनों हैं। क्योंकि हम यह निर्धारित करने के लिये कि विसी राजनीतिक समाज थी, जिसमें सब लोगों का एकमत नहीं है, इच्छा क्या मानी जा सकती है अभी तक केवल इसी पढ़ति का खोज पाये हैं। यह इच्छा प्रतिनिधियों के निर्वाचन के द्वारा अभिव्यक्त की जाती है। इस लोकतंत्रात्मक पढ़नि का विकास आधुनिक काल में राष्ट्रीय राज्य की परिधि के अन्दर हुआ है जिसमें प्रनिनिधिक-प्रणाली की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र की प्रगति मताधिकार के निरन्तर विस्तार से और निर्वाचन-दोकानों के आवार-प्रकार और विनाश के सबध में इस आज्ञा से किए गए अनेक प्रयोगों के द्वारा हुई है कि निर्वाचकों के भत्ता का सर्वोधिक प्रनिनिधित्व करने वाले विधानमङ्गल की रचना हो सके।

यह विकास विलकूल ही आधुनिक है क्योंकि यद्यपि प्राचीन काल में लोकतंत्र विद्यमान थे—विशेषकर यूनान में और कुछ हृद तत्त्व रोम के गणराज्य में भी—किन्तु आधुनिक काल की लोकतंत्रात्मक प्रवृत्ति का निष्पत्ति करने वाले तत्त्व उस समय विद्यमान नहीं थे। सक्षेप में, ये तत्त्व धार्मिक विचार, अमूर्त सिद्धात्, समानता का समर्थन करने वाली सामाजिक और राजनीतिक अवस्थाएं और कूशासन के प्रति असन्तोष हैं। जहाँ तब इनमें से कोई भी बान, प्राचीन काल में विद्यमान थी, वह आधुनिक युग के कारणों से विलकूल भिन्न कारणों से उत्पन्न हुई थी। इस सबध में मध्ययुग के बारे में कहा जा सकता है कि इटली के कुछ मध्ययुगीन नगरों में समानता के कुछ घुंडले प्रयत्नों को छोड़कर उस युग में कही भी लोकतंत्रीय राजनीति में किसी भी प्रकार वी अभिरचि नहीं थी। यह परिस्थिति पुनर्स्थान तक बनी रही जिसके फलस्वरूप आधुनिक युग का आरम्भ

हुआ। घ्यात रहे कि संवत्सर और ऐसे गणनावीय उत्पाह को एक ही बात नहीं समझना चाहिए, जैसा उत्पाह हिंदूजरलैड के बानरेडरेशन के प्रारंभिक दिनों में, पा 14 वरे तथा 15 वीं शनाविद्यों में, ब्रिटेन में राजा वरे थैली भरने में सहायता देन के लिए ससद में साधारण जनना के कुछ लोगों को शामिल करने समय देखा गया था, क्योंकि ऐसी बातें तो कुलीनत्व और निरकुशत्व में भी आसानी से हो सकती हैं।

धर्मसुधार अन्दाजित के पश्चात् ही धार्मिक विचार राजनीतिक अधिकारों के प्रनिपादन में प्रयुक्त होने लगे, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने वा एक-मात्र साधन राजनीतिक अधिकार ही समझे जाने लगे। इसका क्षर्वत्तम उदाहरण ब्रिटेन में स्टुअर्ट काल में राजा के साथ हुए संघर्ष में मिलता है। धार्मिक अधिकारों के उपभोग के प्रयत्न से ही न्यू इंग्लैंड उपनिवेशों को स्थापित हुई और चालसे प्रथम के शासनकाल का गृहयुद्ध उतना ही राजनीतिक सिद्धान्तों का युद्ध भी था जितना वह धार्मिक सिद्धान्तों का युद्ध था। अठारहवीं शताब्दी के इतिहास में अमूर्त सिद्धान्त ने महत्वपूर्ण योग दिया जिसके प्रभाग अमरीकी और फ्रांसीसी आतिथों के दस्तावेज़ है। स्वतंत्रता की घोषणा तथा मानव के अधिकारों की घोषणा के रचयिता जब यह प्रनिपादन कर रहे थे कि सब मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और सशान हैं तब वे प्राचीन काल से ईमाई सन्तों की तरह हिंदूर की दृष्टि में सब मनुष्य की समानता वा अधिकार्थन मात्र न करते हुए बास्तव में व्यावहारिक राजनीति के भवन की नीव ढालन का प्रयत्न कर रहे थे। समानता के निर्दान्त का मनाधिकार पर बड़ा प्रबल प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसका मर्वाधिक स्पष्ट प्रयोग एक व्यक्ति, एवं मत' के आदर्श की प्राप्ति के प्रयास में विद्या गया था।

उत्तीर्णवीं शताब्दी में भौतिक फरिष्ठातियों में सुधार और जन-शिक्षा के प्रगति के फलस्वरूप मानवीय स्थिति भताधिकार के दिस्तार के अनुकूल हो गई। पाश्चात्य उदारवाद की यह मान्यता थी कि "नागरिकों का सिद्धान्तहृषि में निर्दोष समाज विद्यमान है जिसके मदस्यों के बीच मतदान के सबध में कोई भेदभाव नहीं हो सकता।" इसके अतिरिक्त, संसदीय प्रणाली स्वयं भी निर्वाचकों के क्षेत्र को बढ़ाव दी और अप्रसर हो रही थी, क्योंकि राजनेता, समर्थकों की अधिकाधिक सख्ती वा प्रतिनिधित्व करने के इच्छुक थे। उदाहरणार्थ, डिजरेली के सन् 1867 के सुधार विधेयक सब के पक्ष में जोई विशेष जन-आन्दोलन नहीं हुआ जिसे स्वयं डिजरेली वे दल ने ही 'अधेरे में छलाग' कहा था, जिन्होंने राजनीतिक स्थिति और भाषामाजिक दानावरण न 'निवासी मत' (Lodger vote) की स्थापना की सभायोचित धना दिया था। अलं में, कुशामन के प्रति असनोप भी मदा ही भर्ताधिकार के विस्तार का एक फलदायक आधार रहा है। यह सच है कि मनाधिकार-विस्तार से मदा ही वह अवस्था पैदा नहीं हुई जिसका विभाव उसके

समर्थकों को खटकता था, किन्तु एक बार सप्तद् का भन प्राप्त होने पर, जहा कि शिकायते प्रकाश में लाई जा सकती थी, (शातिवारियों से भिन्न) राजनीतिवासुधारकादियों की दृष्टि अपने समाज की परिस्थितियों को मुधारने के साधन के रूप में, सदा अनिवार्यत निर्वाचनसंबंधी मुधार की ओर ही रही है। सन् 1837 स 1848 तक ब्रिटेन में चार्टिस्टों, एन्ड्रेकरण से पूर्व इटालियना, जार्नालीन रूम में उदारवादिया और प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व के दिना में आस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य के पीड़ित अल्पसंख्यकों न ऐसा ही किया था।

अब समस्त विद्यमान समिधानी राज्यों का विशिष्ट सक्षण बड़ा व्यापक मताधिकार है। पुराने राज्यों ने निर्वाचनसंबंधी मुधार चिए हैं जिनके पलस्वरूप वयस्क अधिकार पुरुष गताधिकार स्थापित हो गया है और नए राज्यों में स समझा सभी ने अपने समिधानों में विसी प्रकार के लिंगभेद के बिना सार्वजनीक मताधिकार प्रदान करन वाली धारा सम्मिलित की है। इस प्रगति के साथ, प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात निर्वाचन-क्षेत्रों से सबधिन समस्ताएं पैदा हुईं। औद्योगिक प्रगति से और अब तक प्रतिनिधित्व से विचित क्षेत्रों में वसे हुए लोगों वा मताधिकार प्राप्त होने से उत्पन्न सप्तद् के स्थानों के पुर्वावनरण वे प्रश्न के अतिरिक्त इन परिवर्तनों से उत्पन्न नए अल्पसंख्यक वर्गों के उदय से एक नई समस्या भी पैदा हो गई है। इन वर्गों ने ऐसे मुधारों की मांग की है जिनसे निर्वाचित सभा या सभाओं में उनकी आवाज दो भी मुन जाने वा आश्वासन प्राप्त हो। इस प्रश्न की उप्रता का अन्दाज किसी ऐसे राज्य के, जिम्म इस प्रकार वा मुधार नहीं हुआ है, किसी भी निर्वाचित के परिणामों में मता और स्थानों के तुलनात्मक आवंडो को देखन से लगाया जा सकता है। इस समस्या को तुरन्त सुलझाने की आवश्यकता का अनुभव करते हुए बहुत-से राज्यों ने निर्वाचन-क्षेत्र संबंधी मुधार किए हैं और अन्य राज्यों में अभी केवल इस दोग को जिसे सभी लोग प्रतिनिधिक प्रणाली की वर्मजोरी स्वीकार करते हैं, दूर बरने के सम्भव उपाय खोजने के प्रयत्न हो रहे हैं।

3 मताधिकार और तत्सम्बन्धी अन्य प्रश्न

मताधिकार की दृष्टि से हम यह बह सकते हैं कि राज्य दो वर्गों में अर्थात् सशर्त वयस्क-मताधिकार वाले और लिंगभेद के बिना वयस्क-मताधिकार वाले राज्यों में विभाजित चिए जा सकते हैं, हालांकि इस निरपेक्ष विभाजन को संशोधित करना कभी-कभी आवश्यक हो जाता है। कुछ समय पूर्व तक कुछ राज्यों में पुरुष-मतदाताओं के लिए भी कठिनपम अहृताएं आवश्यक होती थीं और कुछ अन्य राज्यों में, जिन्होंने पुरुषों को प्रतिबन्ध रहित मताधिकार प्रदान किया था, केवल ऐसी स्थिति थी, जो कुछ शर्तें पूरी करती थीं, मताधिकार प्राप्त था। कुछ और राज्यों

के विरह कोई किंसगत दलील दियाई नहीं देती। वास्तव में स्त्रियों का मताधिकार तो लोकतत्त्व के तर्क में निहित है और उसे प्राप्तिभियों न चुनुंगे गणराज्य के संविधान में स्वीकार कर लिय और उसे पचम गणतत्त्व के संविधान में भी मान्य किया है। सक्षेप में 'मनप्य के अधिकारा' और मानव जाति के अधिकारों के बीच विभेद करना कठिन है, योगोप ने वाहर के बल पुरुष-मताधिकार वाले संविधानी राज्यों की सद्या वयस्व मताधिकार वाले राज्यों से कम है। ब्रिटेन की सभी स्व शामिल डामिनियनों में स्त्रियों को गताधिकार प्राप्त है।

मताधिकार की आयु अलग अलग राज्यों में अलग-अलग है। अधिकारांश राज्यों में, जैसे, उदाहरणार्थ ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स कान्स इटली ऐनमार्क और नार्वे में वह इक्कीस वर्ष है दक्षिणी अफ्रीका (1960 से) सोवियन रूम और यूगोस्लाविया में अठारह तथा स्विटजरलैंड और जापान में बीम वर्ष। बुल्गराज्य मतदान को अनिवार्य बनाते हैं या बनाने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु यह चाल व्यापक रूप में प्रचलित नहीं है। गुप्त मतदान, वर्म से कम सिद्धान्त रूप में, सभी संविधानी राज्यों में मान्य है। इस मन्बन्ध में इनिहाम की दृष्टि से रोचक बात यह है कि प्रेट ब्रिटेनमें, 1948 तक, जब तिनि विश्वविद्यालयों के स्थान गमाप्त नहीं दिये गये, विश्वविद्यालय के स्नातकों वो अपने मतपत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे और उन पर साक्षी के भी हस्ताक्षर आवश्यक थ।

वयस्क मताधिकार वाले राज्यों में ब्रिटेन, मन् 1918 और 1928 के दौरान में, बीच की स्थिति में था। मन् 1832, 1867 और 1884-85 में किए गए निर्वाचनसंबंधी सुधारों के द्वारा पुरुष-मताधिकार की प्रणाली का आरम्भ किया गया, किन्तु इनके अन्तर्गत अहंताओं की विभिन्नता थीं जो मन् 1918 में जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा समाप्त कर दी गई। इस अधिनियम से सनदीय मताधिकार इक्कीस वर्ष की आयु के प्रत्येक ऐसे पुरुष को प्राप्त हो गया जिसमें कोई वैध अनहंता न हो, जो किसी निर्वाचन-भेद में छह महीन तक रह चुका हो या जो कम-से-कम दस पौंड वार्षिक मूल्य की भूमि या स्थान पर कब्जा रखता हो। इसी अधिनियम के द्वारा स्त्रियों के मताधिकार के सिद्धान्त को भी व्यापक मान्यता प्राप्त हुई, हालांकि यह मान्यता सम्पूर्ण नहीं थी। तीस वर्ष से अधिक आयु वाली स्त्रियों को, यदि ने निर्वाचनों की पत्तियों के रूप में या पाच पौंड वार्षिक मूल्य वी भूमि या स्थान में दण्डकार के रूप में स्थानीय शायन के लिए निर्वाचित हो, सनदीय मताधिकार प्रदान किया गया। दूसरे शब्दों में, इस अधिनियम ने स्त्रियों के संघ में 'निवासी मत' के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए भी तीस वर्ष से अधिक की आयु वाली स्त्रियों को निवास मात्र की अहंता से वचित कर दिया।

मन् 1918 के अधिनियम के अनुरार ऐसे पुरुषों को, जिनका निवास की अहंता के अतिरिक्त कम-से-कम दस पौंड वार्षिक मूल्य के अन्य स्थान या भूमि

पर स्वामी या किराएँदार के रूप में बताया है, और विश्वविद्यालयों के (स्वी और पुर्ण) स्नातकों को छोड़कर सरकार निए बहुत मतदान (Plural voting) ममाल्य बर दिया। इन दोनों बगों को एक द्विनीय मत प्रदान किया गया किन्तु वोई भी अधिक दो में अधिक मत नहीं दे सकता। इस अधिनियम का मामाल्य प्रभाव यह हुआ कि पुर्ण-मनदानाओं की संख्या 8,357,000 से बढ़कर 10,449,820 हो गई और रजिस्टर में 2,831,580 स्त्रियों के नाम जुड़ गए। यह अनुभव किया गया कि यदि स्त्रियों को भी उन्हीं शर्तों पर मताधिकार दे दिया जाए तिन पर पुर्णा को प्राप्त है तो स्त्री-निवाचियों की संख्या पुर्णा में कही अधिक हो जाएगी और अधिकार-ममालना की निरतर मात्रा के बापी लवे ममय तक पूरी न दिए जान का जायद यही कारण था। किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध में पूर्व, जब कि स्त्री-मताधिकार बादालन पूर जार पर था, तिन बात का डर ममाला जाना था अब वह डर नहीं रहा। डर इन बात का था कि यदि यह मुश्किल किया गया तो समझीय प्रणाली में उथन-गम्भीर हो जाएगी। किन्तु अब यह भय नहीं रहा वरोंटि यह नहीं बहा जा सकता था कि स्त्रियों को अधिक मताधिकार प्रदान करन का राजनीतिक जक्कियों के मलुक्तन पर कोई बहुत अधिक प्रभाव हुआ है। इस निरतर मात्रा को और इसके विरोध में कियों युक्ति के अभाव को देखने हुए ग्रिटिंग भरकार न मन् 1927 म मन् 1918 के अधिनियम को विस्तारित करने की मभावनाओं की जान मभीरता के मात्र आरम्भ कर दी और माधारणान्या यह धारणा हा गई थी कि स्त्रियों और पुरुषों के लिए ममान जर्नाल निर्धारित करने के और मताधिकार की नत्वारीन दो उम्रों के बीच काई बाय—यथा पच्चीम वर्ष—निर्वाचन करने मममीने वा मार्य निकार किया जाएगा। किन्तु मन् 1928 में एक विशेषक प्रमुख किया गया जिमडा डेंजर स्त्रियों को दीक उन्हीं शर्तों पर मताधिकार देना था तिन पर पुर्णों को मताधिकार प्राप्त था और यह विशेषक मन् 1929 के माधारण निर्वाचन के निए अधिनियम भी बन गया। विशेषक को प्रमुख करने के ममय का यह मुजाव कि मममन नए मवदानाओं, स्त्रियों और पुरुषों की मवदान आदृ पच्चीम वर्ष के बापी जाए, केवल एक मजो़ूरत के स्पष्ट में ममने आया और वह महज ही अस्वीकार हो गया। इस अधिनियम के पन्नवस्प ग्रिटिंग में मवदानाओं की कुल संख्या 26,750,000 अर्थात् 12,250,000 पुरुष और 14,500,000 स्त्रियों हो गई।

ग्रिटिंग म प्रथम मुश्किल अधिनियम में नेत्र अनिम मुश्किल अधिनियम तर, मताधिकार के विस्तार के विकाम की, जाच करने हुए हम देखने हैं कि मन् 1832 के मुश्किल-अधिनियम में पूर्व निर्वाचियों की संख्या 435,391 थी और उम मुश्किल ने निर्वाचियों के रजिस्टर में 217,386 मवदानाओं के नाम जोड़ दिए। मन् 1867 के अधिनियम में पन्नवस्प वित्रभान निर्वाचियों की 1,056,659 थी

संघ्या में 938,427 मनदाना और जुड़ गए। मन् 1884 के अधिनियम ने 1,762,087 नाम और जोड़ दिए और मन् 1918 में 13,000,000 नए मनदाना रजिस्टर लिए गए। मन् 1928 के अधिनियम वे अधीन 5,240,000 स्त्रियों को मताधिकार दिया गया। जब इस बात को बहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए विनिर्वाचनसभाधी मुधार की वस्त्र परम्परागत पद्धतियों से मिश्र वेवल मात्र मताधिकार के विनाश की प्रक्रिया फ्रिटेन में उम सीगा तक पहुँच चुकी है जहां तक कि सभव है। लोकनवीय मुधार के अन्य गम्भव तरीके भी हैं जिन पर हम बाद में विचार करेंगे।

फ्रिटेन की ही तरह अमरीका में भी स्त्रियों को मताधिकार, स्त्रियों द्वारा लम्बे असे तक किए गए आनंदोलन के फलस्वरूप, प्रदान किया गया। अमरीका में सभीय मताधिकार तीन विभिन्न प्रकार के पदों—अर्थात् प्रतिनिधि, मिनेटर और राष्ट्रपति—के निर्वाचनों में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इन निर्वाचनों के लिए मूल सविष्यन ने कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किए थे। प्रति-निधियों के सबध में उनमें वेवल यही कहा गया था कि वे विभिन्न राज्यों की जनता द्वारा प्रत्येक दूसरे वर्ष निर्वाचित होंगे और प्रत्येक राज्य में निर्वाचिकों की अहंताएं वही होंगी जो राज्य के विधानमंडल की बहुसंख्यक शाखा के लिए अपेक्षित होगी।” रिनेट, “प्रत्येक राज्य से दो मिनेटरों से जा कि उमके विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होंगे, गठिन” होगी। राष्ट्रपति ने निर्वाचन के सबध में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक राज्य “ऐमी शीति से जैसी कि उमका विधानमंडल निर्देशित करे” आवश्यक सदृश में निर्वाचिकों की नियुक्ति करेगा। स्पष्ट है कि उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं में वरण की पद्धति के बारे वी बातें वैयक्तिक रूप से प्रत्येक राज्य पर छोड़ दी गई थीं। किन्तु संविधान पे लागू किए जाने वे पश्चात् भे बुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए गए हैं जिनका मनदान पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। मर्वप्रथम, निर्वाचकों ने, उस गद के लिए उनकी योग्यता के आधार पर नहीं वैनिक उम्मीदवार विशेष का समर्थन करने के लिए बननबढ़ होने वे बारण निर्वाचित करने की प्रवा के विकास के साथ, अर्थात् राष्ट्रपति के चुनाव वे प्रभावत जनता का कार्य बन जाने के साथ, मतदान राष्ट्रपति के निर्वाचन का एक महत्व-पूर्ण अग बन गया। दूसरे, भवहृते साविधानिक सशोधन (सन् 1913) के द्वारा सिनेटरों का लोक-निर्वाचन सब राज्यों वे लिए अनिवार्य कर दिया गया। इस समोधन में यह भी उल्लेख किया गया कि ‘प्रत्येक राज्य में निर्वाचिकों की योग्यताएं वही होंगी जो राज्य-विधानमंडल की बहुसंख्यक शाखा के निर्वाचिकों के लिए अपेक्षित है।’

अतएव, सन् 1913 के अत मे अमरीका मे स्थिति यह थी कि जिस व्यक्ति को किसी राज्य मे अवर सदन के निर्वाचन के लिए मताधिकार था उसको कायेन

क्षेत्रों में जनसंख्या के शीघ्रतापूर्वक घटते-बढ़ते रहने के कारण स्थानों का निरंतर पुनर्वितरण आवश्यक रहता था। किन्तु विस्तारशील औद्योगिक युग में अधिकांश अवस्थाओं में यह सम्भव नहीं था कि जनसंख्या को अधिकतर बढ़ा और हेरफेर के साथ-साथ इस व्यवस्था में जल्दी-जल्दी पुनर्वितरण किया जा सके। एवं नमदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में क्षेत्रिक विभाजन की इस प्रणाली के विरुद्ध बेबल यही आपत्ति नहीं थी। इन्हीं और उससे अधिक उपर, समस्या थीं मतदान की ऐसी प्रणाली ढड़ना जिससे निर्वाचन प्रतिनिधियों से ऐसी गमा का निर्माण हो सके जिसमें निर्वाचन-क्षेत्र के मत का सतुलग पर्याप्त रूप से प्रतिबिम्बित हो।

एक लगदस्य निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली आजकल अपेक्षाकृत रूप ही महत्वपूर्ण राज्यों में प्रचलित है। ऐसे राज्यों के ब्रिटेन न्यूजीलैंड, कनाडा और सयुक्त राज्य उदाहरण हैं। क्रिटेन में एक या दो के सिवाय समस्त निर्वाचन-क्षेत्रों से एक सदस्य निर्वाचित किया जाता है और किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र में दो से अधिक सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते। सभी पुनर्वितरण अधिनियम ने इस प्रणाली को बनाए रखा है। उदाहरण के तौर पर, दिसम्बर सन् 1910 का लोक-सदन का चुनाव 643 निर्वाचन-क्षेत्रों से हुआ जिनमें से केवल 27 निर्वाचन-क्षेत्रों से (जिनमें तीन विश्वविद्यालय निर्वाचन-क्षेत्र भी सम्मिलित थे) दो-दो सदस्यों का निर्वाचन हुआ। गन् 1918, 1928 और 1944 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम ने इस अवस्था में कोई मोत्तिक परिवर्तन नहीं किया यद्यपि स्थानों की संख्या घटती-बढ़ती रही और गन् 1948 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम ने विश्वविद्यालय के स्थानों और बहुल मतदान के अन्य समस्त अवशेषों को समाप्त कर दिया। सयुक्तराज्य में मिनेट तथा प्रतिनिधि-मदन दोनों के समस्त निर्वाचन-क्षेत्र एकलसदस्य निर्वाचन-क्षेत्र हैं। अतएव, ये ही वे दो देश हैं जिनमें निर्वाचन-क्षेत्र सबधीं सुधार पर अत्यंत बन दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों में से किसी विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन-प्रणाली से निर्वाचिकों के विचारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रतिविम्बित करने वा उद्देश्य प्राप्त हो सका है।

वास्तविकता तो यह है कि इससे कम-से-न्यूम ब्रिटेन में स्पष्टत बहुत ही विषय परिस्थिति उत्पन्न हो गई है; क्योंकि इसके द्वारा यह सुनिश्चित नहीं हो सका है कि देश का बहुसंख्यक दल लोक-सदन में बहुमत प्राप्त कर सकेगा, जब कि यह सम्भव हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा अल्पसंख्यक दल अपर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करे। उदाहरणस्वरूप, सन् 1922 के सामान्य निर्वाचन में अनुदार दल को 296 स्थान और 5,381,433 मत, मजदूर दल को 138 स्थान और 4,237,490 मत, और उदार दल को 53 स्थान और 2,621,168 मत, प्राप्त हुए। इसका यह अर्थ हुआ कि अनुदार दल को प्रति स्थान के लिए 18,180 मत, मजदूर दल को प्रति स्थान के लिए 30,706 मत, और उदार दल को प्रति

बाद के निर्वाचन में यही स्थिति रही। मन् 1959 के सामान्य निर्वाचन में सरकारी दल (अनुदार) को रान् 1955 के निर्वाचन में प्राप्त मतों से अधिक मत मिले परन्तु कुनूर मतों का, जिनकी संख्या में बढ़ि हो गई थी, कम भाग मिला (1955 में 49.8 प्रतिशत और 1959 में 49.4 प्रतिशत)। मन् 1959 के निर्वाचन में जिनन मत पड़ उनके आधे भी कम मत प्राप्त करने पर भी मतालूट दल का लाव सभा में बहमत 60 स्थाना (1955 में) से बढ़कर 100 स्थान (1959 में) हो गया। उसी 1959 में निर्वाचन में नार्लीमेण्ट के 80 सदस्य (47 अनुदार, 31 मजदूर और 2 उदार) उनके दो या अधिक विरोधियों + जिनने मत प्राप्त किय थे उनसे भी कम मत प्राप्त कर निर्वाचित हुए। इसरे शब्दों में उगा निर्वाचन के परिणामस्वरूप 80 निर्वाचित-अंगें दो से बहा के मतदाताओं की अल्पसंख्या के प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे।¹ अन्त में 1964 के सामान्य निर्वाचन में मजदूर दल न 12,205,576 मत से 317 स्थान प्राप्त किये और अनुदार दल न 12,002,407 मत से 303 स्थान परन्तु उदार दल नो 30,93,316 मत प्राप्त होने हुए भी केवल 9 स्थान मिले।

कर्नाटा और न्यूजीलैंड में भी इसी प्रकार में उदाहरण मिलते हैं। कर्नाटा में 1949 के नामान्य निर्वाचन में उदार दल दो कुल डाले गये मतों के आधे मत मिले परन्तु उसने 73.5 प्रतिशत स्थान प्राप्त किये जब कि अनुदार दल को 30 प्रतिशत मत प्राप्त करने पर भी केवल 15.5 प्रतिशत स्थान ही मिल गये। मन् 1958 में स्थिति इलट गई। उस बर्ष अनुदार दल ने 54 प्रतिशत मतों पर 79 प्रतिशत स्थान प्राप्त किये जब कि उदार दल को 33 प्रतिशत मतों पर केवल 18 प्रतिशत स्थान मिले। न्यूजीलैंड में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के एक सामान्य निर्वाचन में, जिसमें दोनों प्रमुख दलों ने मिलकर 99 प्रतिशत प्राप्त किये थे, एक दल (गेफनलिस्ट) को 54 प्रतिशत प्राप्त हुए थे पर उसे 63 प्रतिशत स्थान मिले थे।²

संयुक्त राज्य में द्विवर्षीय वाप्रेसी निर्वाचनों में दाले गये मतों और प्राप्त हुए स्थानों के बीच विवरण उतनी नहीं है जितनी यूनाइटेड किंगडम में लोक सभा के निर्वाचनों में दिखाई देती है। परन्तु दोनों देशों में, निर्वाचन के सम्बन्ध में एक बात समान है, दोनों ही देशों में कुछ दोनों के निर्वाचन-शेक्षरों में सनदाताओं के ऐसे मुदृङ समूह हैं जिनकी दलनिष्ठा कमशी नहीं बदलती।

1. ये अक लन्दन की रालेक्टोरल रिफार्म सोसायटी द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका से लिये गये हैं।
2. ये अक Lakeman and Lambert *Voting in Democracies* निये से गये हैं।

दोनों देशों में हर निर्वाचन में ये ममूल मपल रहते हैं और इन तरह बड़े विस्तृत क्षेत्रों में दूसरे निर्वाचकों को अपने प्रतिनिधि चुनने की आशा नहीं रहती। निर्वाचन-पद्धति वा यह प्रभाव समुक्त राज्य में अधिक स्पष्ट है जहाँ 'ठोग दक्षिण' (Solid South) एवं लोकतांत्रिक गढ़ है और उत्तर में भी ऐसे बड़े-बड़े क्षेत्र हैं जहाँ गणराजीय दल वा एकाधिकार भी उत्तरा ही भजबूत है।

दोनों देशों में सभी दन इस प्रणाली से उत्पन्न अन्यायों के प्रति जागरूक हैं किन्तु उन्हें जिम प्रकार दूर किया जाए यह प्रश्न विवादास्पद है। मन् 1909-10 में इगलैंड में 'निर्वाचन-मुद्धार पर एक राजनीय आयोग' ने इस प्रश्न पर विचार किया किन्तु परिवर्तन के लिए उसने जो एकमात्र व्यावहारिक मिपारिक प्रस्तुति वी थी वह अगीकार नहीं की गई। तत्पश्चात् सन् 1916-17 में एवं समृद्ध-अध्यक्ष ममेलत हुआ परन्तु उसकी मिपारिकों भी दबा दी गई। संयुक्त राज्य में एक काफी बड़ी और प्रभावपूर्ण सत्या ने इन विरोधों को दूर करने के लिए प्रयत्न किया है, किन्तु इन प्रयत्नों को कभी भी सरकारी ममर्येन या मान्यता प्राप्त नहीं हुई। सामान्यतया जिस मुद्धार का मुझाव दिया जाता है वह 'आनु-पालिक निर्वाचन-पद्धति' के नाम से जात है। अतएव, इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार करना आवश्यक है।

5 बहुसंदर्शक निर्वाचन-क्षेत्र

बहुत-से राज्यों ने अब 'आनुपालिक निर्वाचन-प्रणाली' को या तो अपनी विशुमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में यमिमलित कर लिया है या उसे एक नए संविधान का अधिक्षम अग बना लिया है। किन्तु अपने-आपमें इस शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं है क्योंकि इसके अनेक रूप है। बास्तविकता तो यह है कि इसके उन्ने ही रूप है जितने राज्यों ने इसे अपनाया है और सेंडलिक दृष्टि से लो और भी अधिक, परन्तु सभी विभिन्न रूपों में कम-जैसे-कम एक बाल मिलती है जो मतदान की इस पद्धति के लिए निश्चय ही अनिवार्य है और जो यह है कि आनुपालिक प्रतिनिधित्व वी कोई भी प्रणाली एवं व्यवस्था निर्वाचन-क्षेत्र के आधार पर क्रियान्वित नहीं की जा सकती। आनुपालिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अधीन किसी निर्वाचन-क्षेत्र में किसी भी उम्मीदवार वा उद्देश्य सामान्य अर्थ में बहुमत प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक नियन्त मक्का (Quota) में मत प्राप्त करना है। मगर भाषा में यह नियन्त सम्भा किसी निर्वाचन में दिए गए कुल मतों को निर्वाचित किए जाने वाले स्थानों की सम्भा में विभाजित करने में प्राप्त मतों की सहाया है। इस प्रणाली वा मतसे भरने रूप है जिसे फास में 'जनरल टिकट (Scrutin de Liste or general ticket)' (जो अमरीका की एवं व्यवस्था निर्वाचन-क्षेत्र में 'टिकट द्वारा मनदान' की प्रणाली में मिलता है) कहा जाता है। कानून में

फान्म के पिछों चारीम-पचाम वर्ष का निर्वाचनीय इतिहास आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली के स्पाल्नरों का एक रोक्य उदाहरण है। काम में सन् 1919 की एक निर्वाचन विधि के फलस्वरूप डिपार्टमेंट (Department) निर्वाचन-थेव्र बन गए जब कि इसमें पहले एरानडाइजमेंट (Arrondissement) निर्वाचन के थेव्र थे। एरानडाइजमेंट एवं फलस्वरूप निर्वाचन-थेव्र हाना था। नई विधि के अनुसार यह हुआ कि डिपार्टमेंट के निर्वाचक उनमें मदम्या न रिए मन देने थे जिनमें इन उम डिपार्टमेंट में स्थान हाना था (अर्थात् एरानडाइजमेंटों की स्थान के बराबर)। उम्मीदवार अकेले या भग जान वाले स्थाना वी स्थान के बराबर स्थाना तक वी सूची या टिक्ट में मिलकर निर्वाचन के लिए खड़े हो सकते थे, और अधिकतर उम्मीदवार निर्वाचन के लिए ऐसी ही सूचिया के द्वारा अपने का पेश करत था। बहुमत प्राप्त बरन वाला उम्मीदवार निर्वाचन हो जाता था और यूनि नाधारण मनदाता मम्पूण सूची के पक्ष में मनदान बरना था इमलिए व्यावहारिक स्पष्ट में इसका अर्थ यह हुआ कि गामान्यनया मवये बटा दल गम्पूण डिपार्टमेंट में पूरी वाजी मार लेना था। अनेक फ्रेंच प्रणाली न उम मध्य तक फलस्वरूपका को प्रतिनिधित्व प्रदान करने में कोई मफलना प्राप्त नहीं की थी।

विन्तु मन् 1919 की विधि न पह भी उम्पन्धित किया था कि यदि निर्वाचक बहुमत प्राप्त न हो सका तो स्थानों को उन उम्मीदवारों में बाट दिया जाए जिन्होंने मता वी नियन स्थाया (अर्थात् स्थानों की स्थाया में मता की स्थाया के विभाजन में प्राप्त स्थाया) प्राप्त की हो। प्रत्यक्ष सूची का भाग, 'ओमत' (अर्थात् उमके मव उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त सम्पन्न मतों का उमके उम्मीदवारों की स्थाया से विभाजित करने पर प्राप्त भरकार) में नियन स्थाया का भाग देने से प्राप्त स्थाया द्वारा निश्चित हाना था। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि किसी डिपार्टमेंट की जनस्थान 450,000 है, उमके रजिस्टर में मनदानाओं की स्थान 100,000 है, और इनमें से 78,000 ने वास्तव में मनदान किया और निर्वाचन-थेव्र ने छह सदस्य निर्वाचित किय। ऐसी स्थिति में नियन स्थाया 78,000 को छह में विभाजित करके प्राप्त हुई स्थाया अर्थात् 13,000 हुई। प्रत्येक दल ने इम भागफल के अनुसार स्थान प्राप्त किए। इम-प्रकार, 40,000 मत प्राप्त करने वाले दल को तीन स्थान, 30,000 मत प्राप्त करने वाले दल को दो स्थान मिले। इमके आगे भी यही अम जारी रहा और यदि कोई स्थान शेष रहा तो वह सर्वोच्च ओमत वाले दल को मिला।

सन् 1919 की प्रणाली अच्छी तरह नहीं चली और जुलाई सन् 1927 में फाम में फिर से एकलस्वरूप निर्वाचन-थेव्र की प्रणाली (Scrutin d'Arrondissement) आगम्य हो गई। विन्तु नविधान-मता के निर्वाचनों में, जिनमें सन् 1946 में जनमत सम्रह के लिए प्रस्तुत सविधान तैयार किया, सामान्य टिक्ट

(Scrutin de Liste) जैसी एक प्रणाली पर अपनाई गई। इसका कहरण यह था कि जनता का अपने उम्मीदवारों का, तीन मूल्य दला (समाजवादी, साम्पदवादी और ऐम आर पी) का अनुपानिक प्रतिनिधित्व मुनिश्चित करने के लिए आविष्कृत एक व्यवस्था के अर्धान समूहों में मत देना था।

जून, सन 1951 के सामान्य निर्वाचन के लिए एक और भी जटिल प्रणाली का आविष्कार किया गया जिसका प्रयोग जन घार वामपक्षियों और घार दक्षिण-पक्षियों दोनों का शक्ति से अपवर्जित करना था। परिस क्षेत्र के निवाय, जहा कि आनुपातिक निर्वाचन की विस्तृद प्रणाली काम में आई, नई विधि से दलों और समूहों का ऐसी अवस्था में जब कि बहुल सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र में कोई भी एक दल 51 प्रतिशत मत प्राप्त न कर सके, मिलकर ब्लॉक (Bloc) बनाने की अनुमति मिल नहीं। उस अवस्था में यदि ब्लॉक का बहुमत होना था तो वह सब स्थान ले लता था और दूसरों का कोई स्थान नहीं मिलते थे। ब्लॉक बनाने वाले दलों में स्थानों का विभाजन अनुपात के अनुसार होता था। यदि कोई भी दल या ब्लॉक बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता था तो स्थानों की बाट सीधे आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा की जाती थी। पचम गणतङ्ग में एकलन्मदस्य निर्वाचन-क्षेत्र पुनर प्रचलित हो गय है।

जिस प्रणाली का सामान्यनाया अनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ सम्बन्ध है उसमें एकलन्मदस्य मत समाविष्ट है और उसे अवसर हेतु प्रणाली' भी कहते हैं, क्याकि इसका सर्वप्रथम मुझाव एक अगरज यामस हेपर ने 'प्रतिनिधित्व वा यन्त्र' (The Machinery of Representation) (1857) नामक पुस्तिका में दिया था और अपने बाद के एक ग्रन्थ 'प्रतिनिधियों का निर्वाचन' (1859) में उसका विस्तृत विवेचन किया था। जॉन ट्रुअर्ट मिल न अपनी पुस्तक 'प्रातिनिधिक शासन' (Representative Government) (1861) में उसका समर्थन किया और पञ्चान्वती सुधारकों ने भी उसे स्वीकार किया और उसमें कुछ परिवर्तन भी किए। बहुसदस्य निर्वाचन-क्षेत्र के मिछात को समझ लेने पर यह प्रणाली बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। कल्पना कीजिए कि आप चार विद्यमान एकलन्मदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों को मिलकर एक निर्वाचन-क्षेत्र बना लेते हैं तब उम्मीदवारों को नियमण बहुमत प्राप्त करने के बायां केवल निश्चित संख्या (Quota) अर्थात कुल मतदान की संख्या को भरे जानेवाले स्थानों की संख्या से विभाजित करन से प्राप्त महया प्राप्त करनी आवश्यक होगी। इनद्वारा उम्मीदवारों के लिए ब्रम्मानुसार अपने अधिमान (Preference) को प्रबढ़ करता है। उसका केवल एक ही प्रभावी मत हाना है, किन्तु वह जिस व्यक्ति का निर्वाचित होना मव्वमें अधिक प्रमाण वरता है उसके अनिवार्य अन्य उम्मीदवारों के नामों के आगे भी एक महया लिख मव्वना है जिससे कि वह

निवाचन-शोत के लिए निश्चिन सदस्यों की सदया तक यह सबैन दे सके कि वह उस उम्मीदवार के बाद जिसे वह पसन्द करता है, जिन-विन उम्मीदवारों का निर्वाचिन किया जाना पसन्द करेगा। इम प्रकार यदि उम्मीदवार दस हो और स्थान चार हो तो मनदाना अपना अधिमान व्यवन बरने के लिए चार नामों के आगे 1, 2, 3, 4 संघयाएं दे सकता है। यदि पर्याप्त उम्मीदवारों द्वारा विषय संघ्या में मन प्राप्त न जिए जाने के कारण नव स्थान न भरे जा सके तो अन्य स्थान उन मनदाताओं के जो सकल उम्मीदवार या उम्मीदवारों के लिए मन दे सके हैं और जिन्हे उन मनों की अब आवश्यकता नहीं रही, द्विनीय अधिमान और नदुपरान्न सूनीय अधिमान के अनुसार भरे जाने हैं। यह कम उस ममत तक जारी रखा जाना है जब तक विं सब स्थान नहीं भर जाने। जिन्हुंने मनों का स्थानान्वयन दूसरी तरह भी किया जा सकता है। यदि सकल उम्मीदवार या उम्मीदवारों के अतिरिक्त मनों को अन्य उम्मीदवारों को देने भी पर्याप्त उम्मीदवार विशिष्ट संघ्या तक नहीं पहुँच पाते हैं तो सबसे बाम संघ्या बाले उम्मीदवार का (या यदि आवश्यक हो तो एक से अधिक का) नाम हटाकर उमके या उनसे मन अधिमानों के अनुसार अन्य उम्मीदवारों को दे दिए जाने हैं। इस प्रकार मनदाना जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक पसन्द करता है वह तो नहीं चुना जाना परन्तु किर भी वह अपने दूसरे या तीसरे या चौथे नम्बर के उम्मीदवार के निर्वाचन में महायक हो सकता है।

हाल ही के वर्षों में किसी-न-किसी रूप में आनुपातिक निर्वाचन-प्रणाली व्यापक रूप में स्वीकार कर ली गई है। स्वयं धौमन हेयर तो जिसी भी सम्पूर्ण देश को एक विशाल निर्वाचन-शेत्र बना देना। किन्तु अमत में अव्यावहारिक समसकर यह योजना छोड़ दी गई है, हालाकि बुँद अर्थों में इटली में मुसोलिनी की निर्वाचन-सम्बन्धी विधियों में यही भिद्दान समाधिष्ठ था यद्यपि वहाँ उमके समर्पणों का भाग दलों वा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने से विलकृत भिन्न था। अगरेजी भाषा-भाषी जिन देशों ने इम प्रणाली को अनीकार किया है उनके निवाचनों में सामान्यनया एकल सत्रमणीय मन का प्रयोग किया जाता है। योरोप महाद्वीप के अधिकतर राज्यों में जिसी-न-किसी प्रकार का 'टिकट द्वारा मतदान' अपनाया जा चुका है जिससे कि इन देशों में उम्मीदवार, केवल मात्र बहुमन-निवाचन के विट्ठ अनेक प्रकार की सुरक्षाओं के साथ, अपने-आपको निर्वाचन के लिए भूचियों में प्रस्तुत करते हैं। प्रेट डिलेन में मन् 1948 के जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के स्थानों वे समाप्त कर दिए जाने तक कुछ विश्वविद्यालयों के लिए संसद के गदरयों के निर्वाचन के लिए सन् 1918 से एकल सत्रमणीय मन का प्रयोग किया जाता था। नन्हे आंक इगलैंड की राष्ट्रीय सभा के लिए, तथा उत्तरी आयरलैंड में सीनेट के लिए एकल सत्रमणीय मन का अब

भी प्रयोग होता है। विद्यि कामनवेत्त्व के देशों में एकल मतमणीय मत की पहचान आस्ट्रेलिया और भारतवर्ष में काम आती है, आस्ट्रेलिया में कामनवेत्त्व की सीनट के लिय, न्यू साउथ वेल्स में विधान-परिषद् (उच्च मदन) और टस-मानिया में हाउस ऑफ एसम्बली (अबर सदन) के लिय तथा भारतवर्ष के गणतन्त्र में निर्वाचन मण्डलों (Electoral colleges) द्वारा विभिन्न निवाचनों में। आपरलैंड के गणतन्त्र में उसका समदृ के दोनों सदनों के निर्वाचन में और दक्षिणी अफ्रीका में सीनट के निर्वाचन में प्रयोग होता है। समुक्त राज्य में बानुपानिक निवाचन बहल कुछ नगरों में ही होता है। इनमें में भी कई में, उदाहरणार्थ न्यूजार्सी में, कुछ वर्षों तक प्रयोग करने के बाद उसका परित्याग कर दिया गया। एकल सक्रमणीय मत का प्रयोग अब भी समुक्त राज्य में पांच नगर पारदर्शी (City Councils) के निर्वाचनों में होता है।

पश्चिमी और उत्तरी भृष्टांशीय योरोप के अधिकार संविधानों राज्यों में आनुपानिक निर्वाचन का कोई न कोई रूप ग्रहण कर रखा है। बास्तव में, उनमें से कुछ न तो उत्तीर्णी जनान्वयी में ही उसका आभ बर दिया था और प्रथम विश्वयुद्ध के बाद बनने वाले सभी नये राज्यों ने उसे अपने-जपने संविधानों में स्थान दिया है। आज तक उसका प्रयोग वैल्जियम में प्रतिनिधि मदन के मदम्यों के निर्वाचन के लिय तथा सीनट के उन मदम्यों के निर्वाचन के लिय होता है जिनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, डेनमार्क में पोलिटिंग (एक मदनी समदृ) के चुनावों के लिय, नार्वे में बवर मदन के लिय (जो स्वयं अपन मदम्या में में चुनुर्थाश का निर्वाचन बर उच्च मदन का निर्माण करता है), स्वीडेन और नेदरलैंड में दोनों सदनों के लिय और फिनलैंड में उम्बी एवं मदनी समदृ के लिय इम पहचान का प्रयोग होता है। इटली में भी गणनकीय संविधान के अधीन प्रतिनिधि मदन के निर्वाचन के लिय यह पहचान प्रयोग में लाई जाती है। मधीय राज्यों में म्विट्जरलैंड राष्ट्रीय परिषद् (National Council) तथा अधिकार कॉन्ट्र करिपिदो के निर्वाचन के लिय आनुपानिक निर्वाचन का प्रयोग करता है और पश्चिमी जर्मनी में 1949 को मूल विधि के अधीन मधीय सत्ता तथा राज्या (Lauder) ने उसे अग्रीकार किया है—सधीय सत्ता ने कुण्डेम्टाग (बवर मदन) और राज्यों ने अपने विधानमदनों के निर्वाचन के लिय।

इम मम्बन्द्य में एक अन्य मिदान का भी उन्नेस्व विया जाना चाहिए जिसे 'द्वितीय मनदान' (Second Ballot) कहते हैं। यह निरपक्ष बहुमत धाप्त बर का एक तरीका है। ज्यो-ज्या निर्वाचन का जोर बढ़ा जा रहा है, त्यो-त्यो निर्वाचनों में भाग लेने वाले गामनोनिक दलों की मस्त्या म वृद्धि होने की प्रवृत्ति दिखाई द रही है। परिणामम्बहुप, पुराने दो दारों के उम्मीदवारों के मध्यपे के बनाये अप्रिक्कर एट ऐड्डा जाता है कि द्वितीय मनदान निर्वाचन-क्रेत्र में तीन, चार,

गांधी या कभी-कभी छह उम्मीदवार भी मैदान में उतर आते हैं। यदि इस परिस्थिति में कोई एक उम्मीदवार पूर्ण बहुमत द्वारा निर्वाचित नहीं होता, तो कुछ राज्यों में दूसरी बार निर्वाचन विधा जाता है जो सामान्यतया प्रयत्न निर्वाचन में सबसे अधिक मत प्राप्त करनवाले दो उम्मीदवारों के बीच होता है। उदाहरण के तौर पर, जब कभी भी काम फिर से एकत्र मत निर्वाचन क्षेत्र नी आर लोटा है, उम्मत द्वितीय मतदान के निष्ठात वा अपनाया है। बिन्दु भारतव में द्वितीय मतदान पद्धति में ऐसी बाई बात नहीं है जो कि एक ही निर्वाचन द्वारा प्राप्त नहीं बो जा सकती। बास्तव म ऐसी निर्वाचन प्रणालिया भी है जिनके द्वारा द्वितीय मतदान बो असुविधा के लिए ही उगत उद्देश्य प्राप्त हा सकत है। ऐसा उस प्रणाली के द्वारा होता है जो सामान्यतया वैकल्पिक मतदान (Alternative vote) कहलाती है। इस प्रणाली के अधीन यतदाता मतपत्र में अपना द्वितीय अधिमत भी व्यक्त करता है, जिसे उस समय काम में लाते हैं जब कि पहली गिनती में कोई भी उम्मीदवार पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता और जब कि वह उम्मीदवार, जिसे मतदाता सबसे अधिक चाहता है, सर्वाधिक मत प्राप्त करन वाले पहले दो में से एक नहीं होता। उदाहरणार्थ, यह प्रणाली आस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय निर्वाचनों के लिए और कुछ पृथक् राज्यों के निर्वाचनों के लिए भी प्रचलित है।

येट ग्रिटेन में आनुपातिक निर्वाचन के समर्थकों के प्रयत्नों वा सरकारी आयोगों में वेन्ड्रित करने के दो बड़े प्रयाम हुए हैं। पहला बार सन् 1909-10 के राजवीय आयोग न वेबल एक निश्चयपूर्ण सिफारिश की। सिफारिश यह थी कि मतपत्र पर एक वैकल्पिक मत भी दिया जाना चाहिए, सत्रमणीय मत के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि द्वितीय मत के उद्देश्य—अर्थात् निरपेक्ष बहुमत—प्राप्त करने के लिए जैसा कि ऊपर आस्ट्रेलिया के राज्यों में बताया गया है, बिन्दु यह मामूली सिफारिश भी निरर्थक ही सिद्ध हुई। दूसरी बार सन् 1916-17 के अध्यक्षीय सम्मेलन (Speaker's Conference) ने यह सिफारिश की कि आशिक परीक्षण के रूप में लोकसभा के एक-तिहाई स्थानों के लिए सत्रमणीय मत के सिद्धात बो अपनाया जाए। इसे भी सगद ने अस्वीकार कर दिया और (सन् 1948 के अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के स्थानों के समाप्त वर दिए जाने के बाद से) अब ग्रिटेन में आनुपातिक निर्वाचन वा एकमात्र रूप, जैसा कि हम देख चुके हैं, वर्तमान इंडिया की राष्ट्रीय सभा के, और उत्तरी अमेरिका के सदसय के निर्वाचनों में सत्रमणीय मत के सिद्धात के प्रयोग में ही विद्यमान है।

6 सिद्धान्त और व्यवहार में आनुपातिक निर्वाचन

आनुपातिक निर्वाचन के सिद्धात के पक्ष और विरोध में बहुत-कुछ कहा जा सकता है। जहा तक सिद्धात का सबध है, सभी बाते उसके पक्ष में है, बिन्दु

व्यवहार में ऐसी बात नहीं है। इसमें सदैह नहीं कि आनुपातिक निर्वाचन की वास्तविक प्रणाली से सिद्धात और व्यवहार दोनों दृष्टियों से वह बात होती है जो वह बरना चाहती है। तिस्सदैह इस प्रणाली के द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और वे आपत्तियाँ भी दूर हा जाती हैं जो सामान्य बहुमत-निर्वाचन के विश्व हमने देखी हैं। यही कारण है कि हाल के वर्षों में अनेक सविधानी राज्यों में इस सिद्धात को अधिकारिक समर्थन मिलता रहा है। जिन्तु उसको अपनाने-बाले अधिकतर देश उसे केवल बातों तक ही सीमित रखते हैं। विशेष रूप से भ्राता में ऐसा हुआ है जहा वह उसके समर्थकों का मुहूर बन्द बाले के लिए एक समझौता मात्र रहा है। कुछ अन्य राज्यों में भी प्रथम विश्वयुद्ध के समाप्त होने पर इसका समारम्भ किया गया, किन्तु वहा भी (यह आशका है) उसका समारम्भ केवल सधियों की उन धाराओं का पालन करने के लिए ही किया गया था जिनका उद्देश्य अ-राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गुरुकथा करना था।

व्यावहारिक आपत्तिया बहुत-सी है,—कुछ साधारण भूत्व की और कुछ बहुत गम्भीर। यह सच है कि आनुपातिक निर्वाचन के द्वारा अल्पसंख्यकों वो प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है जिन्तु इससे यह डर भी हो जाता है कि समाज में अल्पसंख्यकों वे दृष्टिकोण से ही विचार होने लगे और अवधित उम्मीदवार खड़े होने लगे। ऐसी बातें सदस्य सामाजिक जीवन के लिए वास्तव में हार्निकारक हो सकती हैं। उदाहरणस्वरूप, यह सम्भव हो सकता है कि जुआदानी और सूदखोरी जैसे समाज-विरोधी कार्यों करनेवाले लोगों के इतने निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के प्रलम्बरूप, एक माथ मिल कर, प्रतिनिधित्व प्राप्त कर जें। निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार स्वयं ही एक खनरा है, क्योंकि इससे उम्मीदवार या सदस्य और निर्वाचक वे बीच व्यक्तिगत सम्पर्क अनिवार्यत नष्ट हो जाता है, और क्योंकि इससे उम्मीदवारों की सह्या इतनी बढ़ सकती है कि निर्वाचक को अपना उम्मीदवार प्रसद करने में परेशानी हो (उदाहरण के तौर पर, बेलजियम में द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व सबसे बड़े निर्वाचन-क्षेत्र से 22 मदस्य निर्वाचित हुए)। इसके अतिरिक्त, तीसरी बात यह है कि सञ्चरणीय मत का सिद्धात मतदाताओं के लिए भ्रातिजनन और मतगणना के कार्य में इतना जटिल हो सकता है कि उससे निर्वाचक मतदाताना करनेवाले अधिकारी की बृप्ता पर निभंग हो जाए, किन्तु यह, कम-से-कम उन देशों में जहा सामान्यतया अच्छी राजनीतिक चेतना है, एक ऐसी आपत्ति है जो मतदाता का उस अधिकारी पर पूर्ण विश्वास होने वी अवस्था में दूर हो सकती है। परन्तु इस अडचन के मुश्किले में इससे एक लाभ भी होता है जो यह है कि एकलसत्रमणीय मत का प्रयोग स्वयं हो राजनीतिक शिक्षा है, क्योंकि निर्वाचक के लिए अपना अधिमान व्यस्त बरना तब तक असम्भव है जब तक कि वह गम्भीरनायूवंक विचार न करे, जिन्तु यदि केवल दा उम्मीदवारों में

से एक बोही निर्वाचित करना हो तो फिर सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में यह पुराना सैद्धांतिक ताकं कि उससे दल के अन्तर्गत गुट (काक्स Caucus) समाप्त हो जाएगे, व्यवहार में विलक्षुल ही गलत सिद्ध हुआ है। ऐसी व्यवस्था में ता दल का यत्र और भी शक्तिशाली हाना है। निर्वाचन-क्षेत्र का जिनना अधिक विस्तार होता है, अद्यम वागदार भी उतनी ही अधिक प्रभावशाली हो जाती है। दूसरे नेतृय की सचाई इट्ली में भूसारिनी की निर्वाचन-विधियों के अधीन स्पष्ट रूप से दख्ती गई थी। इसके विरुद्ध सबसे बड़ी आपत्ति ता यह है कि दा बड़े विराधी दलों को बजाय अनेक छोटे-छोटे ममूहों का विधानमंडल में लान की इसकी प्रवृत्ति से शासन अस्थिर हो जाता है, अनक दलों की उपस्थिति के फलस्वरूप दुर्बल संयुक्त मरकारें बनानी पड़ती हैं जो उनमें सम्मिलित किसी भी ममूह के बिंगड़ उठन से समाप्त हो जाती है। उदाहरणस्वरूप, अनंत्युद्ध दल में बेलजियम में आनुपातिक निर्वाचन ऐसी सूक्ष्मता से कियान्वित किया गया कि राजनीतिज्ञों का, विभिन्न प्रकार के हितों और उनके बीच एक समान नीति अभिनिश्चित करन की कठिनाई के कारण, मतिमंडल का निर्माण करने में अत्यन्त बढ़िनाई का अनुभव हुआ।

हमरी ओर, यह बात बुरी भी नहीं है कि मतिमंडल के निर्माण में विभिन्न प्रतिनिधि भावनाओं का ध्यान रखा जाए। ऐसे संयुक्त मतिमंडलों ने कुछ अवस्थाओं में जीवित रहने की उल्लेखनीय शक्ति का प्रदर्शन किया है। विशेष रूप से स्वीडेन में ऐसा हुआ जहाँ कि अनंत्युद्धदल में एक मतिमंडल दो या तीन वर्षों तक सतारूढ़ रहा। आनुपातिक निर्वाचन के इस प्रभाव से फिर यह प्रकट हुआ है कि यह प्रणाली मत्रानिकालीन कठिन अवस्था में गुजरने वाले राज्यों में अच्छी तरह से काम में लाई जा सकती है, हालांकि बेमर गणतन्त्र के अधीन जर्मनी वो इसके द्वारा मुरक्षित स्थिति में पहुंचने की आशा निश्चय ही माफल न हो सकी।

यह बात अच्छी हो या बुरी, ऐसा प्रतीत होता है कि आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली का अनिवार्य परिणाम यह है कि बड़े दलों और एकचित्त मतिमंडल की बजाय अनेक संसदीय गुट और उनके फलस्वरूप संयुक्त मतिमंडल की स्थापना होती है। यही कारण है कि यह प्रणाली ब्रिटेन में नहीं अपनाई गई जहाँ दल-प्रणाली इतनी गहरी जमी हुई है, और जहाँ, जैसा कि एक यह डिजरेन्टी ने कहा था, 'संयुक्त मतिमंडला से घृणा' की जानी है। यह बात महत्वहीन नहीं है कि जिन दो बड़े राज्यों, अर्थात् ब्रिटेन और संयुक्तराज्य ने आनुपातिक निर्वाचन की प्रणाली का अभी तक प्रयोग नहीं किया है, वे दो राज्य ही ऐसे हैं जिनमें दो बड़े विरोधी दलों की परस्परा सदा से प्रबल रही है, और जिन राज्यों ने इसे अपनाया है, वे सामान्यनामा संसदीय शासन को सभूहों के संयोग स्थापित करके ही बनाये

हूए हैं। इन्हें वार मयूक्तराज्य में अनुप्राणित निवाचन का पूण्यहृषि से अपनाने में निवाचन प्रणाली के परिवर्तन का हा ढर नहीं, बल्कि इस बात का ढर भी है कि दोनों की परम्परा वह बग में हूं जाएगी। बदाचित यही कारण है कि इन राज्यों के विद्यानमन्त्रन द्वारा प्रणाली का प्रबलता करने में विजय है।

7 प्रतिनिधिक प्रणाली से सम्बन्धित समस्याएं

प्रतिनिधिक निष्ठान व विवाद न वैदा हान वाली समस्याएँ बहुत हैं। मवस पहला समस्या तो ऐसी व्यवस्था करना है कि मनाप्रिकार प्राप्त नामिका की मरुष्या राष्ट्रीय इच्छा का भूत रूप दे सके। जिन्होंने करा इसका यह अनिवार्य निष्पत्र है कि प्रतिनिधिक शासन अवास्तविक है क्याकि अनिवार्य भावनाओंके निष्ठान वाला व्यवहार में नहीं जाना? अनेक समझदार व्यक्तिगत न बहा है और कहते हैं कि लाल-शासन का जब मिरा की गणनामात्र हो नहीं है। मन 1861 में जान घट्टअर्ट मिल न दिया था कि समान मनदान निष्ठान गठन है। यह बात लाभकारी नहीं बल्कि हानिकारी है कि दश का संविधान ज्ञान के बोलबाल की ज्ञान का भी उनकी ही राजनीतिक जिक्र का हक्कदार घायित बन। उम्हें बहना या कि प्रत्यक्ष निवाचिक वा पहले लिखन और 'निराविक' नियम के हिसाब लगान की याचना हमनी चाहिए। उम्हें अनुग्रह या कि सावनीन मनाप्रिकार में पूर्व नामजनीन शिक्षा हानी चाहिए, सभी निवाचक प्रत्यक्ष करदाना हान चाहिए चाहे कर जिनका ही कम क्या न हो, और मनदान गुप्त नहीं हाना चाहिए क्योंकि युक्त मनदान से मनाधिकार की भावना भग होनी है जिसके अनुमार मनदाना जनना का धराहरधारी है, और उम्हें काय मर्विकिन हान चाहिये।

जैसा हम देख जाएँगे में पहले वह चुक्का है, मिल के बात से आमान्यतया मुझाम न उम्हें प्रयूष माला का अनुभरण नहीं किया है, जो विं उभन निश्चित किया था। इसके विपरीत, प्रवृत्ति दूसरी ही जार रही है अथात् मनाप्रिकार वा प्रत्यक्ष, समान और सार्वजनीन वनाना, सप्तिसद्धी अहनावा का धटाना या हृताना, समदान का गुप्त बनाना, और पञ्चीकरण का भरने करना। यह सब है कि त्रिनेत्र त्रिभिर्ग स्वामी डिमिनियना मयूक्तराज्य और स्कैडिनेवियार्द दशा जैसे अधिक प्रगतिशील राज्यों में, मिल की जिभामवधी जत्ते अधिवक्तर पूरी हो गई हैं, जिन्होंने याराम के बहुत-से राज्यों न, विशेषकर दिनोंय दिश्वयुद्ध वे बाद बन हुए गया न, अपनी जनसंख्या वा एक विशाल भाग के निर्वासन हान वे धावजूद ददम्ह सनाप्रिकार बनाकर कर मिया है। जिन्होंने साक्षर, शासन की एक गढ़ति ही नहीं, बल्कि समाज की एक अवस्था भी है। प्रश्न तो बहुत दिन करा है। जो दूसे बदल गामन की पद्धति भग्नत है व प्रतिनिधिक निष्ठान का ही उम्हें

मार ममने है। जो लाग उसके यत्र की बजाय उम्मी भावना की आग अधिक छ्यान देते हैं उनके लिए शामन की प्रणाली प्राथमिक महत्व की नहीं है वर्गते ही उसके नास्तिकीय भावना की स्वच्छता गति में बाधा न पड़े। किन्तु क्या पूर्ण प्रतिनिधित्व शामन के यत्र के लिए उस भावना की मूर्च्छन्द गति में सुनिश्चित हो मर्हती है? यदि कुछ आधुनिक राज्यों के नाम का मावजनीन और समान मनाधिकार की प्रणाली आरम्भ करने से पूर्व समृद्धि और स्थापित्य की उचित अप्रस्थाआ के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती तो यह निश्चित है कि उन्हें न तो एक ऐप्राग्भिर फायद ही प्राप्त होते और न दूसरे के अनिम लाभ ही।

मनाधिकार के प्रश्न में सम्बद्ध एक अन्य नमस्या प्रतिनिधि-पद के लिए ऐसे उम्मीदवारा को प्राप्त करना है जो याप्त होने के साथ ही शुद्ध आवरण के भी हा। मनाधिकार की काई भी प्रणाली जाह वह अधिकतर निरक्षर मसाज में हा या इसी मुख्यस्थृत गट्ट म प्रचलित हो तर तक विसी प्रवार नाभप्रद नहीं हो सकती जब तब विएसे वार्य के लिए वास्तव में योग्य व्यवस्था का ढढ निकालने का कोई माध्यन नहीं मिल जाता। प्रतिनिधित्व व्यवस्था म यह आवश्यक है कि प्रतिनिधि या प्रतिनियुक्त (Deputy) की इतनी स्वतन्त्रता हो कि वह अपने-आपको मार्वजनिक मेवा में लगा सके, किन्तु ऐसी स्वतन्त्रता साधारण नागरिक वो निश्चय ही प्राप्त नहीं है। दूसर शब्द म, सगदीय उम्मीदवार अनिवार्यत पेशेवर राजनेता होना चाहिए चाह उम्मी सेवा के लिए उस कुछ दिया जाए या न दिया जाए। जावकल लगभग प्रत्येक सविधानी राज्य ने अपने विधिक्तात्त्वा को कुछ-न कुछ देने की योजना अपना ली है। इससे सभाव्य प्रतिनिधियों के वरण का थोक पर्याप्त रूप से विस्तृत हा गया है, हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि इससे दल के कॉफम (अन्तरण गुट) का कुटिल प्रभाव, जो कि सर्वोत्तम प्रवार के स्वतन्त्र प्रतिनिधि का अस्तित्व बहुत कठिन बना देता है, घट गया है। वास्तव मे ऐसा प्रतीत होता है कि दलीय यत्र राजनीतिक लान्तव के विकास मे साथ-साथ चलने वाली एक अनिवार्य बात है। इम्मी शक्ति, जैसा कि हम कह चुके हैं, आनुपानिक निर्वाचन की प्रणाली के अधीन भी घटती नहीं है।

यह नहीं भूलना चाहिए कि विधानमडल के अस्तित्व का प्रयोजन देश के मत नो प्रतिबिम्बित हरना ही नहीं, बल्कि अच्छा शासन बनाए रखना भी है। अत एव, निर्वाचनसदृशी सुधारों की जिन योजनाओं वा उद्देश्य सर्वोत्तम प्रवार का विधानमडल प्रस्तुत करना है उनको आदर्श निर्वाचन-प्रबल के कुछ न-कुछ अश या बलिदान करना ही पड़ेगा। विधानमडल मे निर्वाचिकों के मतों का प्रति विम्बित होना बेकल आशिक रूप मे ही सभव है और मदा ही बाछनीय नहीं है। निर्वाचन की कोई भी प्रणाली, जिसकी कि बल्पना की जा सकती है, अधिक-से अधिक, निर्वाचितों और निर्वाचित गभा के बीच अनुरूपता साने का एक मनमाना

प्रयास है। शरसन अन्ततः शासित किए जाने वाले समाज की अवस्थाओं में सापेक्ष होना चाहिए और जिन लोगों द्वारा वह कागू होता है उनकी विशिष्टताओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। किर भी, कुछ राज्यों में प्रतिनिधिक व्यवस्था की पर्याप्तता के सबै में कुछ सन्देह प्रकट हो रहा है और इस अविश्वास के फल स्वरूप उसके कार्य पर जनमत संग्रह और उपत्रम जैसे कुछ प्रत्यक्ष लोकतात्रीय नियन्त्रणों का प्रयोग किया जा रहा है। इनके विषय में और अधिक हम दमके अध्ययन में बताएंगे।

विधानमंडल

(२) द्वितीय सदन

। द्विसदनी सविधानवाद सम्बन्धी सामान्य विचार

आधुनिक सविधानी राज्यों के विधानमंडलों के सबध में कोई भी चर्चा, जिसमें दूसरे या उच्च सदन के स्वरूप पर विचार न हा, अपूर्ण ही रहेगी। स्व लॉर्ड व्हाइटम ने एक बार यहा था यि सविधानी इतिहास नी कोई भी शिक्षा इतनी प्रभावगाली नहीं हुई है जितनी कि दूसरे सदन ने उग्योग से सबधित शिक्षा। बड़े-बड़े राज्यों के इतिहास में एकसदनी सविधानवाद अपेक्षाकृत दुर्लभ और सामान्यतया अस्थायी रहा है, जब कि द्विसदनी सविधानवाद एक ऐसी पद्धति है जो आज के सभी महत्वपूर्ण राज्यों का एक विशिष्ट लक्षण बन गई है। यह सच है, जैसा हम पहले बढ़ना चुके हैं, कि न्यूजीलैंड, ऑनमार्क और फिनलैंड जैसे प्रगति-शील सोकलकी राज्यों में एक सदनी विधानमंडल उनके प्रयोजन के लिये पर्याप्त मिद्द हुआ है। परन्तु वे नियम जो मिद्द करने वाले अपवाद है और इस रामबन्ध में यह स्परण करना रुचिकर होगा कि टक्के के गणतन्त्र ने, जिसने 1923 में कमाल अतारुक द्वारा स्थापित होते समय एकसदनी विधानमंडल की व्यवस्था की थी। 1961 के सविधान के अन्तर्गत दो सदनो—नेशनल एसेम्बली और सिनेट—से युक्त विधानमंडल स्थापित करने का निश्चय किया।

एकसदनी पद्धति के प्रयोग सामान्यतया क्रातिकारी पुनर्निर्माण के काल में किये गय हैं, किन्तु उसके बाद होने वाली प्रतिक्रिया के काल में अध्या यदि व्हातिकारी शासन चलता रहा तो उसके दोरान में ही, दूसरे राबन की पुन स्थापना द्वारा उसका अत हो गया है, जैसा कि, उदाहरण के तौर पर, कॉम्बवेल के अधीन इगलैंड में हुआ। फ्रान्स में अठारहवी शताब्दी के अंत में और उच्चीसवी शताब्दी के मध्य में प्रथम और द्वितीय गणतन्त्रों के सविधान एकसदनी सिद्धान्त पर आधारित थे। किन्तु प्रथम गणतन्त्र में ऐसा मुख्यतया स्वयं आति के रूप्य के कारण हुआ जिससे बहुत शीघ्र ही पादरियों, सामतों और सामान्य जनों के तीन सदनों वाली व्यवस्था की दुर्बलता प्रकट हो गई थी। ऐसी बात नहीं है कि फ्रान्सीरी क्राति एक से अधिक सदनों के विरुद्ध संदानित्य युक्तियों से रहित हो। उस काल के प्रमुख एव प्रतिभा-

जानी संविधानकार एवं सेईज का, जिसका प्रथम जाति में सबद्वं संविधानी प्रयोगों के स्वरूप पर बड़ा प्रभाव पड़ा था, यह तर्क था कि यदि द्वितीय सदन प्रथम ने महमत हो तो उसका अस्तित्व निरर्थक है और यदि वह महमत नहीं हो तो वह अपकारक है। भोटे तौर पर आजकल भी द्विसदनी मिल्डल वा विरोध वरने वाले विचारकों का यही तर्क है। किन्तु दिसेदार राजमर्गजों में ऐसे विरोधी जापद ही कभी मिलते हैं। मेईज के बाद के भमय का यह निर्णय है कि उसने एक भ्रातिपूर्ण तर्क का प्रतिपादन किया है। उसके पश्चात् प्रस्तावित सभी महत्वपूर्ण संविधानों न अपन द्वारा स्थापित विचारमंडला में द्वितीय सदन को सम्मिलित किया है। पर भी, एक प्राचीन मस्त्य के मध्यमें भी जिसका विलने हुए मध्य के अनुकूल पुनर्गठन नहीं किया गया है सेईज की जालोचना उचित ही जान पड़ती है। एक ऐसे द्वितीय सदन की रचना करना राजनीतिक शिल्पी की जिजिन के बाहर नहीं है जो बैज्ञानिक पुनर्निरोक्षण के व्यापालय के हृष में बाहर करे बशर्ते कि उसे अब उस सदन के मात्र समान शक्ति दी जाए। किन्तु यदि उपरी सदन के सदस्यों का चुनाव लोकतात्रीय नियन्त्रण से परे हो तो इसका अनिवार्य परिणाम यह होगा कि ज्या-ज्यों निर्वाचक भूमि के दावे अधिक जोर पकड़ते जाएंगे त्यो-त्यो ऐसे द्वितीय सदन की शक्ति के क्षीण होने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, समान शक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और द्वितीय सदन के उत्तमादन या सुधार की माग की जाएगी, क्याकि जैमा कि गोल्डफिल रिम्य न कहा है, “यह कल्पना करना कि मत्ता महत्व-पूर्ण त्रिपया म अपने-आपका एक निर्वाल सम्प्या द्वारा नियन्त्रित होने देगी, व्यर्थ है।”

बतएव, द्वितीय सदनों के पक्ष में दी गई युक्तियाँ पर उम्मतर्कों के माथ-माय विचार करना चाहिए जिसके अनुसार उपरी सदन का सगड़न निया जाना है। ये युक्तिया इस प्रकार है कि द्वितीय सदन का अस्तित्व केवल एक सदन द्वारा ऐसे विचार के पारित किए जाने को रोकता है, जिसमें जलदवाजी की गई हो और जिस पर भलो प्रकार विचार न किया गया हो, कि केवल एक सभा के हाथों में जिसमें यह चेनना भी है कि उसे केवल अपने-आपमें परामर्श करना है, अनिवार्य शक्ति की भावना शक्ति के दुर्घट्योग एवं निरक्षणा की ओर अग्रसर कर मृत्यु का महमत होना चाहिए चाहे वह शक्ति मपूर्ण जनना हो अथवा मनदानाओं के धूम्फल का ममर्यनप्राप्त कोई गजनीतिक दर। सधीय राज्य में द्वितीय सदन के पक्ष में एक विशेष युक्ति यह है कि उसकी व्यवस्था इस प्रकार की होती है कि उसमें सधीय निदान का समावेश होता है अथवा ममल मध्य की इच्छा में पृथक् प्रत्यक् राज्य की लाक-इच्छा प्रतिष्ठित होती है।

इस अध्याय के शेष विभागों में विविन्द प्रसार के विद्यमान द्वितीय सदनों की जो विवेचना हमने की है, उसमें हम देखेंगे कि उनमें अनेक नाम हैं—शिंदेन में

हाउस ऑफ लॉड्स, स्विटजरलैंड में कौमिल ऑफ स्टेट्स (स्टेण्डरार), जर्मनी के संघीय गणतन्त्र में फेडरल कौमिल (बड़ेस्टाट), और अधिकतर अन्य राज्यों में जिनमें आस्ट्रेलिया क्नाडा, आयर, प्राम इटली, दक्षिणी अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं, मिनेट। किन्तु हम इनका वर्गीकरण इनके कामकारण के अधार पर नहीं, बल्कि उनके वास्तविक स्वरूप के आधार पर करते हैं—अर्थात् ये अनिवार्यचित (वशानुगत या नाम निर्देशित) हैं अथवा निर्वाचित (अशत या पूर्णत) हैं। किन्तु इन से ही हमारा पूरा बास नहीं चल सकता जब तक कि हम यह भी पता न चला ले कि जिस ऊपरी सदन का चुनाव मध्ये प्रकार वे लोक नियन्त्रण के बाहर हैं उराए वहा तक कोई वास्तविक शक्तिया है दूसरे अशत निर्वाचित सदन में निर्वाचित नत्य नमस्त ममूह को किस सीमा तक प्रभावित करता और शक्ति देता है, तीमरे यदि, अबर सदन के स्वतन्त्र कार्य में बाधा ढालने के लिए ऊपरी सदन की शक्ति पर्याप्त रूप से वास्तविक हो, तो दाना सदन के बीच उत्पन्न गत्यावरोध किस रीति से दूर किए जाते हैं, और जैसे, निर्वाचित द्वितीय सदन को ऐसी प्रतिष्ठा जैसी अबर सदन को प्राप्त नहीं है तिस प्रकार प्रदान की जाती है। अनिर्वाचित और निर्वाचित-को कोटियों में विभक्त करने वाला हमारा वर्गीकरण, जैसा कि हम वह चुके हैं, सर्वांगांम नहीं है, क्योंकि ये दो प्रकार भी पुन दो में विभाजित किए जा सकते हैं। अतएव, जिन द्वितीय सदनों को हमने छाटा है उनकी रचना तथा उनके वृत्त्यों का विश्लेषण हम इस क्रम से करेंगे वशानुगत, नाम निर्देशित, अशत निर्वाचित, और पूर्णत निर्वाचित। अत मे, हम स्विटजरलैंड, जर्मनी सोवियत समाजवादी गणतन्त्र सम और युगोस्लाविया की विशेष स्थितियों की चर्चा करेंगे।

2. हाउस ऑफ लॉड्स : पूर्व कालीन और वर्तमान

वशानुगत उच्च सदन आज की अपेक्षा पहले बहुत अधिक प्रचलित था। अधिकतर राज्यों में वशानुगत द्वितीय सदन, जन-वर्गों (Estates) द्वारा शासन की मध्यकालीन प्रणाली था अवशेष था। सामान्यतया ये जनवर्ग तीन—पादरी, अभिजातवर्ग और सामान्य जन—होते थे, किन्तु कुछ स्थानों में इनमें एक चौथा जनवर्ग—च्यापारी—भी शामिल होता था। कालान्तर में अधिकतर स्थानों में ये जनवर्ग दो सदनों में एकत्रित कर लिये गए, जिनमें से उच्च सदन में लाइंग और बड़े पादरी होते थे। अनेक राज्यों ने, जिनके विधानमढल इस प्रकार दो सदनों के होते थे, विभिन्न साविधानिक सशोधनों के द्वारा उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक या तो वशानुगत सदन कर सशोधित रूप वर्गीकार कर लिया, उदाहरणस्वरूप कलिप्य सदस्यों को आजीवन नाम निर्देशित करवे, जैसा सन् 1896 से लेकर 1911 वीं काति तक पुर्तगाल में हुआ (जिसके पश्चात् वह पूर्णस्वते

निर्वाचित मदन हा गया) ^१ अथवा उहांने एक पूणर्होपण निर्वाचित उच्च मदन की प्रथा का अगीकार कर लिया जैसा सन 1848 में संविधान के सशोधन के पश्चात नीदरलैंड्स में हुआ। इसके पश्चात भी आस्टिया (Heerenhaus) और हृगरी (Table of Magnates) जैसे दशों में वशानगत द्वितीय सदन चाहते रहे किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात ये भी नमाप्त हो गए ^२ और अब एकमात्र महाब्रह्म वशानगत उच्च सत्त्व ब्रिटन का हाउस ऑफ लाड न ही रह गया है।

हाउस ऑफ लाड से वा वास्तविक आरम्भ मुख्य नामता और उच्च धर्माधिकारियों के उम निकाय में पाया जाता है जो नामन राजाओं से वपं म तीन बार परिषद् के रूप में मिला करता था। यह महान या सामाजिक परिषद् कहलाना था। सामाजिक परिषद् नाम उदाहरणस्वरूप मन्नाकार्टी (महाधिकार पत्र) में जाता है। सन 1295 की आज्ञा सभन् में एडवड प्रथम ने इस निकाय में प्रत्यक्ष शायर से दो नाइट (वीरता की उपाधि प्राप्त व्यक्ति) और कुछ नगरा क्सवा एवं शहरा से निर्वाचित प्रतिनिधि सम्मिलित कर दिए। कुछ समय तक य सब नोंग एक ही स्थान पर सम्मिलित होने थे परन्तु वास्तव म उन्हें दो मन्दन थे। और सामाजिक और सरकारी विभिन्नताओं के अनिक्षिक्षण जिस पद्धति के द्वारा वे आमतिन दिए जाते थे उमसे उनकी विभिन्नता प्रचार हाती थी। सामन और धर्माधिकारी व्यक्तिगत हृप में बुलाए जाने थे जबकि सामाजिक जन गरिफ़ा के द्वारा बनाए जाते थे। शरिफा द्वारा आमत्रण वी प्रथा से ही चुनाव प्राप्तिकारी

^१ सन 1933 में पुतणाल में एक नए संविधान के द्वारा एकसदनी विधान मडल (नेशनल एसबली) को स्थापना की गई हालांकि इसके साथ ही साथ कार्पोरेटिव चैंबर नामक एक परामर्शाना निकाय की भी रचना की गई। (अध्याय 15 देखिये)।

^२ सन 1920 के संविधान के अधीन आस्टिया निर्वाचित द्वितीय सदन (बड़खाट) घाला संघीय गणतन्त्र बन गया। इस सदन में उन प्रातों के प्रतिनिधि होते थे जिनसे संघ का निर्माण हुआ था। किन्तु सन 1938 में हिटलर द्वारा आस्टिया को जमनी में मिला दिए जाने से आस्टिया को यह व्यवस्था भी उसकी अंत्य स्थापनों के साथ लुप्त हो गई। सन 1945 में जब गणतन्त्र की पुनर्स्थापना हुई तब द्विसदनी विधानमडल की पुनर्स्थापना की गई। हुगरी में सन 1920 के संविधान द्वारा एकसदनी विधानमडल की प्रतिष्ठा की गई थी। परन्तु सन 1926 में पुनर्एक उच्च सदन की स्थापना की गई जो उसके पिछले द्वितीय सदन को हो तरह का था। किन्तु यूद्धोत्तर हापरी में निसको संस्थाएँ अब शासितशालों सोवियत् प्रमाण के अधीन हैं उसकी पुनर्प्रतिष्ठा नहीं की गई।

के पद का स्वप्नात हुआ। तृतीय एडवर्ड के समय से उन्होंने अधिकेशन पूर्ण गदनों के स्थान में होने लगे। लॉड और बड़े पादरी लॉडिंग्समा में (हॉउग ऑफ लॉडिंग) और ग्राम्य एवं नागरिक धोबी के प्रतिनिधि लोगसमा (हाउग ऑफ कॉम्पनी) में एस्ट्रिन हान लगे। निम्नवर्ग के पादरियों न, जो पहले माधारण समा में उपस्थित होने थे इन मदना में उपस्थित होना बन्द कर दिया और कनवोरेशन नामक अपनी स्वयं की सभा म ही वे व्यस्त रहने लगे।

प्रथम एडवर्ड के शामन कार में प्रिटेन के इतिहास में बेवल एवं छोटी-सी अवधि में ही ऐसा विधानमंडा विद्यमान रहा जिसमें उच्च सदन का अभाव था। यह स्थिति मन् 1649 में प्रथम चाल्स पी हैट्या के तुरन्त पश्चात् पेदा हुई जबरि वहा अल्मालीन कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई थी। एसदों प्रयोग उत्त प्राति का ताविन परिणाम गा ही था जिनक एक ही प्रहार में मुकुट लार्डसभा और पादरी-मठल तोना का समाप्त बन दिया। विन्नु वामप्रेल के प्रोटेक्टोरेट के अन्त में पूर्व ही उसे लार्डसभा का पुनर्स्थापित बनने के लिए गजी बर लिया गया था हालांकि उसका हप बड़ा वरणात्मक था और उम समय में इसका अन्तित्व निरन्तर बना हुआ है।

इसका गठन परिस्थितिया के अनुसार गदस्यों की सद्या के घटने-बढ़ने से गम्य-गम्य पर परिवर्तित होता रहा है। यहां पर हमें उस विवादारपद और उत्तररहित प्रश्न का फिर नहीं उठाना चाहिए ति लॉर्डों को हाउस ऑफ लॉडिंग में बैठने का अधिकार मूलत विस आधार पर प्राप्त हुआ। इनका ही वह देना पर्याप्त है ति याद के वर्षों में बैरन पद की प्राप्ति से उच्च सदन में स्थान प्रहण बरने का अधिकार भी आपश्यक हप में प्राप्त हो जाता था और आज भी यही स्थिति है। विसी भी सामन्त-परिवार का बेवल एवं ही सदस्य लॉडिंग्समा में बैठ सकता है, हालांकि उसके पुत्र लॉड की उपाधि को धारण बर सकते हैं, विन्नु यदि उन पुत्रों में से कोई स्वयं ही बैरन बना दिया जाता है तो दूसरी बात है। बैरन-परिवार के अन्य सदस्य, चूवि ये सामन्तसभा में नहीं बैठ सकते, लोकसभा के लिए उम्मीदवारा के हप में खड़े हो सकते हैं।¹ मन् 1707 के सयोग अधिनियम (Act of

¹ इसका एक सुन्दर दृष्टात् स्वर्गीय मार्किवस ऑफ सेल्जबरी के परिवार से मिलता है। प्रारम्भ में सामन्तसभा में केवल मार्किवस ही बैठते थे जब कि उनके दो भाई लॉड ह्यू, सेसिल और लॉड रॉबर्ट सेसिल लोकसभा के लिए निर्बाचित हुए। बाद में राज्य थी सेपा करने के लिए अपने स्वयं के अधिकार के हप में इन दोनों भाइयों को सामन्त-पद प्रदान किया गया और लॉड रॉबर्ट, लॉड सेसिल ऑफ सेल्जबरी के हप में तथा लॉड ह्यू, लॉड रिवरसबुड के हप में सामन्तसभा में सम्मिलित हुए।

option) के पासिल हो जाने पर लाईमभा में स्कॉटलैंड के मोनह पीयर (Peer) और मम्मिलित हो गए। यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक नई समदू के अवसर पर स्कॉटलैंड के मम्मल पीयरों का मम्मेलन हो जो उस समदू की अवधि के लिए अपने सोनह मदस्य निर्वाचित करें। चिन्ह इम अधिनियम से पह भी व्यवस्था की गई कि भविष्य में बोई भी स्कॉटलैंड-निवासी स्कॉटलैंड का पीयर नहीं बनाया जाएगा उसे यूनाइटेड किंगडम का पीयर-च्युन मिल गड़ेगा, जिससे वह स्वत ही लाईमभा में स्थान प्राप्त कर लेगा। चूंकि किसी नई समदू के लिए स्कॉटलैंड का बोई भी पीयर अपन महूयोगियों द्वारा चुना जा भवना था, इमनिए पह भी उपवन्धित किया गया कि किन्हीं भी परिस्थितियों में वह लोकमभा के लिए निर्वाचित नहीं किया जा सकेगा। मन् 1800 के मयोग अधिनियम के द्वारा आयर-लैंड के मताईम पीयर (पादरी-मित्र) और चार विशेष भी इम सदन में सम्मिलित होने लगे। ये मताईम पीयर आयरलैंड के पीयरों द्वारा जीवन भर के लिए निर्वाचित किए जाने थे। अनेक, आयरलैंड का बोई भी पीयर जो कि लाईमभा के लिए निर्वाचित नहीं हुआ हो, लोकमभा के लिए निर्वाचित होने के लिए स्वनाम छोड़ दिया गया, हालांकि स्कॉटलैंड के सबधू में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी। इसका दृष्टान्त लॉड पामस्टन हैं। आयरलैंड सबधी ये व्यवस्थाएँ मन् 1922 में आयरिश स्वनाम राज्य की स्थापना के साथ समाप्त हो गई, और तब से आयर-लैंड में बोई चुनाव नहीं हुए। स्कॉटलैंड सबधी व्यवस्थाएँ भी प्रचलित हैं, हालांकि अब स्कॉटलैंड के लोकों में भी कम पीयर रह गये हैं।

इन बगानुगत और निर्वाचित पीयरों के अनियन्त्रित दो अविभाग (बॉटरबरी और यार्बैंक) और इक्कीम विभाग अपने पद के आधार पर और पद पर बने रहने की अवधि तक लाईमभा में मम्मिलित होते हैं। इनके अनियन्त्रित कुछ बानूनी लॉड अर्थात् नाधारण अपील के लॉड भी हैं जो वेवल जीवन भर के निए मदस्य होते हैं जब तक कि वे इस पदेन अधिकार में अलग, माधारण रीति में, पीयर नहीं बना दिए जाने जिस अवस्था में उनको उपाधि बगानुगत हो जाती है। बगानुगत पीयरों की मक्क्या की बोई मीमा नहीं है। नाममाल के लिए राजा के द्वारा चिन्ह बन्निकृत रूप में तत्कालीन मत्रिमडल के द्वारा वे इच्छानुसार बनाए जा सकते हैं। पीयर-च्युन प्रदान करने की माधारण पद्धति एक मम्मान-मूर्ची में घोषणा करता है, चिन्ह कभी-कभी यह बार्य विशेष परिस्थितियों में अन्य अवसरों पर भी किया जाना है। इनिहाम में ऐसा एक प्रमिल अवसर हुआ है जबकि हाउम ऑफ लॉड में बास्तव में एक विधि को पारिल बरने के लिए पीयर बनाए गए थे। ऐसा तब हुआ था जबकि मन् 1713 म हाउम ऑफ लाईम ने यूट्रेक्ट की मछि का अनुमम्बरन करने में दखल ले दिया था। यह मधि लोकमभा में टोरीदल के बहुमन द्वारा पारिल हो गई थी, चिन्ह लॉइनमभा में तिगदल वा बहुमन

था। सतुलन वा ठोक बरन के लिए टारी मन्त्रिमंडल न रानी एन को बारह पीयर बनाने के लिए राजी बर निया और दस प्रकार सधि का अनुमत्यन प्राप्त हो गया। इसी प्रकार ने दो अन्य सबटपूर्ण अवसरों पर ऐसी ही कार्यकाही की धमकी दी गई थी एक बार मन् 1832 के मुधार विधेयक और दूसरी बार सन् 1911 के समद्विधेयक के समझ में, जिन्हु इन दाना अवसरा पर केवल धमकी से बाहु चल गया और दाना विधेयक लाईं सभा न पारित कर दिए ज्याकि इस धमकी से लाईं सभा के मामने यह स्पष्ट हो गया था कि विधेयक का विशेष बरना निर्वर्यक है।

सन् 1911 तक हाउस ऑफ लाईंग की शक्तिया सिद्धातरूप में नोर्म सभा (हाउस ऑफ कॉमन्स) के रामान ही थी। एक रामय में तो वास्तविक रूप में भी ऐसा ही था। उदाहरणस्वरूप, मन् 1784 में समस्त मन्त्रिमंडल में, छाटा पिट ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसका प्रधानमंत्री भी था, और जो सोकसभा का मदस्य था। अन्य सब मंत्री लाईं सभा के मदस्य थे। जिन्हु इस रामय से पूर्व ही शक्ति का बेन्द्र लाईंसभा से लाईंसभा की आर सरक रहा था और उन्नीसवीं शताब्दी में मन्त्रिमंडल में अधिकार सदस्य अवर सदन से लिए जाने लगे थे। इस प्रक्रिया ने फलस्वरूप विधि निर्माण कार्य में लाईंसभा की वास्तविक शक्तिया का हांगा हाने लगा, हालानि सिद्धातरूप में उनकी बैसी ही स्थिति बनी रही जैसी कि सदा से थी। अध्याय 6 में हम बता चुके हैं कि वित्त संवधी विधेयक का सशोधित या अस्वीकार बरने में लाईं सभा की असमर्याता को मान्यना देन वाले रिवाज जो विस प्रकार सन् 1909 में धृष्टिपूर्वक तोड़ा गया था और विस प्रकार उसके फलस्वरूप सन् 1911 तथा 1949 के समद्विधिनियमों के हारा लाईं सभा की वास्तविक गोष्ठी को सविधानी रूप दिया गया था।

यहाँ इस प्रकार के मुधार के आधारा के बारे में मुझाव देने का भी प्रयत्न करना सभव नहीं है। जिन्हु लाईंसभा के इतिहास, गठन और उसकी शक्तियों की इन सक्रिय रूपरेखा से कुछ बाते स्पष्ट होती हैं, जिनका ध्यान उस पर विचार बरते समय रखना चाहिए। पहली बात यह है कि लाईंसभा की शक्तिया जैसी कि वे रासायनिक अधिनियमों के पश्चात रह गई है, अब भी कुछ परिस्थितिया में वास्तविक सिद्ध हो मजती है। निलम्बन-नियोगाधिकार, जिससे लाईं सभा किसी भी अविलीय किशेशक के पारण का एक बहुत तरफ स्थगित कर सकती है, ऐसे विधेयक के पारण का ही असानी से राक सकती है, क्योंकि उस एक बहुत ही दोषान में लोक-सभा में अनन्व परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसी अवधि के दौरान में किए गए साधारण

¹ अर्थात् जैसा कि सन् 1949 के विधेयक के अधीन होता है जिसने सन् 1911 के अधिनियम में निश्चित दो वर्ष की अवधि को घटा दिया था।

इन्हों अगुआर अब नये वेरन और गर्ड वेरना (गानूनी गाड़ों का लाइटर) उनके जीवन-बाल में लिये ही चाहा जा सकते हैं। इस प्रारंभ इस अधिकार्यम् ने बैवा एवं नद प्रसार के पीयर पद पा ही जारी नहीं रखा बता साँझे गामा में उतरके ताम्बे इतिहास में प्रवग कार मट्टिगाभा का भी स्थान दिया। इस अधिकार्यम् के अधीन १९६१ ता ११ वेरन और ७ वेरनग नियुक्त हो चुकी थीं। आनुवंशिक अधिकार को बाह्य रूप गाधना के इस प्रारंभ भग्न हो चुकन पर १९६० में अनिच्छुरा पीयर के गामो (Cue of the Reluctant Peacock) में वही गामा-रनि उत्तम हुई जिससे यह आनुवंशिक समस्या उठाए रख म गामो आई। उस बारे वाइकरउण्ट स्टेटमेट पी गृह्य हो गई और उन्होंने पुरुष एवं उत्तराधिकारी एक्टनी वेजवुड बैवा वा स्पति ही पीयर पद तभा हाउरा और लॉइंग म रखान प्राप्त हो गया। परन्तु वह १९५० से पूर्वी ब्रिस्टन से निर्वाचित होकर लारगाभा पा सदस्य चला जा रहा था। लोरगाभा ग उग्रा स्थान रित्त पोसित पर दिया गया और उस चुनाव की व्यावस्था भी गई। वेजवुड बैन न बैवन आगा पीयर पद और हाउरा और लॉइंग में आगता स्थान ही नहीं छोटा वह उस रित्त स्थान के लिये प्रत्याशी बनार खड़ा भी हुआ और पहले से भी अधिक बहुमत से निर्वाचित हुआ। इस पर पराजित प्रत्याशी ने निर्वाचित न्यायालय म गानिरा प्रस्तुत की। सन् १९६२ म न्यायाधीशा ने नियम देता हुए गाहा फि नय लाइट स्टेटमेट का निर्वाचित उचित रीति से नहीं हुआ और ऐसी स्थिति में उन्होंने गामन पराजित विरोधी का निर्वाचित पोसित परने के अधिकारित पोर्ट चारा नहीं था। वेजवुड बैवा (वह इसी लाग से पुकारा जाता रहा था) के लोरगाभा के सदस्य बन रहे थे अधिकार के लिये सप्तां दे लिये सगद् दे भीतर और बाहर दानों धेनों में सहानुभूति प्रवर्द्ध पी गई और उसारी बड़ी प्रशस्ता भी हुई और सरकार ने दोनों सदनों की एवं सदस्य प्रबन्ध समिति (Joint Select Committee) हाउरा आफ लॉइंग के गठन में गुधार सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नों पर विचार भरने के लिये नियुक्त की। आगा की जाती थी फि इस गमिती की रिपोर्ट से अन्तत मीलिया गुधार हो सकेगा योर्फा वर्तमान स्थिति से पोर्ट भी सन्तुष्ट नहीं है। एक और सो यह हालत है फि लॉइंगाभा के १०० सदस्यों में से अधिकातर सदस्य औपचारिक अवसरों में विवाह या भी भी उत्तरी बैठका में उपरिभृत नहीं होते और राजनीतिक वर्षायं गाद की गाम है फि ऐसी परिस्थिति नहीं बनी रहनी चाहिए। दूसरी ओर, जो सदस्य उसी अधिकैनों में भाग लेत है उन्होंने बाद-विचार वा स्तर वास्तव्य में बढ़ा उच्चा होता है और यह अनुमित है फि राष्ट्र के राजनीतिक जीवन में ऐसी प्रतिभा पटनाओं के गम तो प्रभावित करने में शक्तिहीन रहे। इस उच्च सदन में राष्ट्रीय साधन में लिए किर से शति-सम्भार इरने की कदा विधि हो सकती है? कदाचित् कुछ अन्य विषयमान द्वितीय सदनों के परीक्षण से हम इस प्रश्न का उत्तर इन्हें में सहायता प्राप्त होगी।

3. कनाडा का नाम निर्देशित द्वितीय सदन

दूसरे प्रकार का द्वितीय सदन, जिस पर हम विचार करेंगे, नाम निर्देशित सदस्यों से गठित होता है। वशानुगत द्वितीय सदन और इस भदन में स्पष्ट अन्तर यह है कि जहाँ वशानुगत फ़ीयर का पढ़ पिना स पुवं कंग प्राप्त होता है, जब तक कि उसका परित्याग नहीं किया जाता वहाँ नाम निर्देशित सिनेटर का पद उसकी मूल्य के साथ अथवा यदि उम पद का धारक चाहे तो उससे भी पूर्व अथवा यदि संविधान के द्वारा पद की कोई निश्चिन अधिक निर्धारित हो तो तदनुसार समाप्त हो जाता है। पूर्णरूपेण नाम निर्देशित द्वितीय सदनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वे सदन हैं जिनके सदस्य जीवन भर के लिए पद धारण करते हैं। इस प्रकार के द्वितीय सदनों में कनाडा का द्वितीय सदन सबसे अधिक दिलचरप है।

कनाडा में सिनेट का नाम निर्देशन मुकुट, गवर्नर-जनरल के द्वारा विभृत व्यावहारिक रूप में तत्त्वालीन मत्रिमडल की भवाह से, बरता है। इसकी सदस्य-संघर्षा सीमित है और चूकि कनाडा एक संघवन राज्य है, एकात्मक नहीं, अत सम्बाओं और प्रातों के बीच एक अनुपात के आधार पर सिनेटरों की नियुक्ति के मध्य में कुछ प्राइवेट प्रतिवन्ध है। यह नाम निर्देशन सिनेट कनाडा बो लागू होने वाले सभी नामिक संविधानिक अधिनियमों में सन् 1791 के पिट के अधिनियम, सन् 1840 के कनाडा अधिनियम और सन् 1867 के उत्तरी अमरीका अधिनियम में जो कनाडा के वर्तमान संविधान का आधार है विधानमडल वा एक अग रही है। इस जन्ति के अधिनियम के द्वारा 22 सदस्यों—तीनों मूल प्रान्तों से प्रत्येक के लिए नौवीम सदस्यों (इस प्रयोजन के लिए दोनों समूद्री प्रान्त एक ही माने गए थे)—की एक सिनेट का संगठन किया गया था। किन्तु डामिनियन के विस्तार और नए प्रातों के सम्मिलित किए जाने के माध्य समानता का यह सिद्धान्त चाहय नहीं रखा गया। अधिनियम में कहा गया था कि जब प्रिम एडवर्ड द्वीप संघ में सम्मिलित हो तब उसका प्रतिनिधित्व भार सिनेटरों द्वारा होना चाहिए और अन्य दोनों समूद्री प्रान्तों की सदस्य-सम्बन्ध बदलवर दस-दन हा जानी चाहिए। ऐसा हो गया है।

सन् 1871 के एक अधिनियम द्वारा कनाडा की समद् बो विसी नए प्रान्त के लिए जो बनाया जाए और डामिनियन में सम्मिलित किया जाए, नए मिनेटर सम्मिलित बरने का अधिकार दिया गया था। इसके अनियिक गवर्नर-जनरल (अर्थात् मत्रिमडल) को प्रदत्त एकमात्र जक्कि यहो है कि वह तीन में छह तक सदस्य और सम्मिलित बरना चाहता है, जो तीनों मूल प्रान्तों में से यमान रूप से निए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, छह अनियिक सदस्य निर्देशित किए जा सकते हैं।

विन्तु इससे अधिक नहीं और सभवन उनकी सम्भवा की सीमा यही रह सकती है। इन व्यवस्थाओं का परिणाम यह हुआ है कि आज कनाडा को सिनेट में 102 सदस्य हैं, किन्तु विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों की सम्प्रयोग चौबीस से जार तब है। सिनेटर का नाम निर्देशन जौवन भर के लिए किया जाता है विन्तु इसमें कुछ शर्तें होती हैं। उसकी आयु कम-मै-कम तीस वर्ष होनी चाहिए, उसे उस प्रांत का निवासी होना चाहिए जिसके लिए वह नियुक्त किया जाता है रानी की जन्मना या देशी गृह प्रजा और वर्ष से कम 4,000 डालर मूल्य की सपत्ति का स्वामी होना चाहिए। वह जब उभी चाहे त्यागपत्र दे सकता है और यदि वह लगातार दो सदीों में अनुपस्थित रहे, अपनी निष्ठा बढ़ाव दे, दिवालिया हा जाए, तिसी समीन अपराध का दोषी सिद्ध हा, या अहंताओं से बचित हो जाए ता उसे अपना स्थान रखन कर देना पड़ता है।

कनाडा की सिनेट असभव को सभव करने का प्रयत्न करती है। सविधान न वशानुगत सिद्धात के स्थान पर आजीवन नाम निर्देशन की योजना को अगीकार करते हुए सिनेट को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नमूने पर गठित बरने का प्रयत्न किया। इसके साथ ही उसने ऐसी बात करनी चाही जिसे वह बेन्दीय शक्ति द्वारा बरण की प्रणाली का रखते हुए नहीं कर सकता या—अर्थात् सभीय तत्व का बनाए रखना। ऐसा तो सब का निर्माण करने वाले राज्यों के थीच समानता के आधार पर ही किया जा सकता है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य अपने सिनेटरों का बरण स्वयं करता है। सविधान ने जो कुछ किया है वह इतना ही है कि तीनों मूल प्रांतों की चौबीस-चौबीस सदस्यों की सम्भावना बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती। विन्तु अब तीसरे मूल प्रांत में तीन—अर्थात् न्यू ब्रसिविक, नोवास्कोशिया और प्रिंस एडवर्ड द्वीप हैं, जिनमें से दो वे दस दस सिनेटर और तीसरे वे चार सिनेटर होते हैं जब कि न्यूफाउलॉन्ड सहित शेष प्रांतों में से प्रत्येक के छह सिनेटर होते हैं। इन विरोधी प्रयोजनों या असर कनाडा की सिनेट की प्रतिष्ठा पर पड़ा है जिसे न तो निर्वाचित द्वितीय सदन की जैसी शक्ति और न सोपोय तत्व को समाप्तिष्ठ परन वाले उच्च सदन वी उपोंगिता ही प्राप्त है। दस प्रकार का उच्च सदन कौसा होना चाहिए, यह हम आगे वे एक खड़ में देखेंगे।

५ अंशत निर्वाचित उच्च सदन

(क) दक्षिणी अफ्रीका में सिनेट

अशत निर्वाचित सिनेट का एक दिलगस्ता उदाहरण दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। सन् 1909 के अधिनियम द्वारा, जिसके अनुसार सन् 1910 में बर्तमान सविधान अस्तित्व में आया, पहले दस वर्षों के लिए अस्थायी व्यवस्था

की गई जिसके पश्चात् यहि दक्षिणी अफ्रीका की समदून मिनट के गठन का परिवर्तन करने के लिए काई अधिनियम पारित न हिया तो मिनट में खालीम सदस्य हानि थी। इनमें से आठ सं-परिषद गवर्नर-जनरल द्वारा नाम निर्देशित किए जाते थे सभा के चारों प्रांतों में से प्रत्यक्ष प्रान्त आठ सदस्य भजना था जिनका निर्वाचन प्रान्तीय परिषद और सभद्वारा प्रान्त में सभा की वाक्यमाला के लिए निवाचित सदस्य मिलकर करते थे। समय-समय पर मिनट की सदस्य-मण्डली में बृद्धि हर्षी रही जिसके जनुमार उम्मेद दा नाम निर्देशित सदस्य, दक्षी हिन्दा के चार प्रतिनिधि और दक्षिण परिषदमा वर्षीया से दो प्रतिनिधि और वड जान से 1950 तक कुल सदस्य संख्या 48 हो गई। उस समय में दक्षिणी अफ्रीका की जातीय भम्मम्या के बधायन-साधिधानिक प्रभाव थे और 1955 में मिनट अधिनियम के जनुमार मिनट की सरचना एवं उम्मेद निवाचन में मीटिंग परिवर्तन हो गया। सदस्य-मण्डली 48 से बढ़ाकर 89 बरे दी गई जिसमें से 19 नाम निर्देशित रहे। प्रान्ता का प्रतिनिवित्र भमान नहीं रहा और उम्मेद गम्भवन्य प्रत्यक्ष प्रान्त के मनदाताओं की संख्या से जुड़ गया और मिनटरा के निर्वाचन भी, निवाचन प्रान्तीय परिषदा में दक्षीय शक्ति के जनुपाल में नहीं, इत्यि बहुमत दल के प्रत्यक्ष मनदान द्वारा व्यवस्था हुई। सरकार के बलाद्य के अनुमार इस अधिनियम का प्रयोगन समस्त बी प्रभुना का अमदिग्ध बना दना और रखान निवाचिया के लिये पूर्वक प्रतिनिवित्र वो व्यवस्था बनाना था।

मन 1961 के अधिनियम में निम्न द्वारा गणनात्मक गठित हुआ, 28-39 खण्डों में मिनट की सरचना एक शक्तिया का बनान है। इस अधिनियम में मिनट के गठन में कई परिवर्तन हो गये परन्तु अजन नाम निर्देशित एवं अजन निर्वाचित द्विनीय सदन का भिन्नात्मक बना रहा। उम्मेद कहा गया है कि, प्रथम, प्रत्यक्ष प्रान्त में दो-दो, इस प्रकार आठ मिनटरा का नाम निर्देशित प्रेसीडेंट बरगा। नाम निर्देशित करते समय एस व्यक्तियों के बरण के महत्व का ध्यान में रखेगा जिन्हें उन प्रान्तों के बिनव लिये व नाम निर्देशित किये जायेंगे, मायला की जातकारी हो और उन दाना में बम-सेक्युरिटी एक ऐसा हो जिसे रगीन आवादी के हिन्दा का ध्यान हो। निवाचित भम्मम्या के विषय में अधिनियम में वहा गया है कि प्रत्यक्ष प्रान्त में उनके सदस्य, परन्तु जोड़ में कम नहीं निवाचित होगे जिनमें उन निवाचन-भेदों, जिनमें प्रान्त हाउस आफ एम्बेटी के निवाचन के लिये विभक्त हो तथा उन क्षेत्रों की, जिनमें प्रान्त प्रान्तीय समामदा (Councillors) के निर्वाचित के लिये विभक्त हो, सद्या के बगवर होगे। प्रत्यक्ष प्रान्त में इन मिनटरा का निर्वाचन हाउस जाइ एम्बेटी में उन प्रान्त के सदस्य तथा प्रान्तीय परिषद् के सभामद मिलकर करेंगे और निवाचन एकत्र सभ्रमणीय मन की एकत्रित से आनुपानिक निवाचन के भिन्नान के जनुमार होगा। नाम निर्देशित एवं

निर्वाचित दोनों प्रकार के सिनेटर श्वेत व्यक्ति होगे¹ जिनको आप वम से वम 30 वर्ष वी हो जा गतव्रत की सीमाओं के अन्दर वम से वम पाप वर्ष रह हा और जिनकी अवधि पाप वय की होगी (यदि इसके पहले सिनट भग न हो)।

सिनेट वित्त विधेयक वा उपचान या संगोपण नहीं बर मनना। अवित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में व्यवस्था यह है कि यदि सिनट हाउस आप एसेम्बली द्वारा प्रेपित ऐसे विन का अस्वीकार करे तो यह अस्वीकृति प्रथम संसद अधि नियम (1911) द्वारा रिटिश हाउस आफ लाड स को प्रदत्त नितम्बन नियंत्रा धिकार वे समान प्रभावी नितम्बन नियंत्राधिकार बन जाती है। यद्यन्तु इस सम्बन्ध में प्रेसीडेंस को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है जिसके द्वारा दोनों सदनों व वीन के अतिरोध को दूर किया जा सकता है क्योंकि यह दोनों सदनों वो एवं साथ (या सिनेट को हाउस आफ एसेम्बली ने भग के 120 दिन के अन्दर) भग बर सबता है ऐसी स्थिति में सिनट के सभी स्थान नाम निर्देशित एवं निर्वाचित, रिक्त हो जाते हैं।

(ब) आयर का सिनेट

सन 1937 के सविधान के अधीन आयर की सिनट वा आवार वैसा ही है जैसा कि आयरिश स्वतंत्र राज्य (सन 1922) के सविधान द्वारा स्थापित सिनट का था, किन्तु उसके निर्माण की रीति में एक बड़ा अन्तर है। पहली सिनट पूर्ण रूपेण निर्वाचित थी जब कि वर्तमान सिनट असत नाम निर्देशित है। इसके अतिरिक्त आयर की सिनेट में वृत्तिमूलक (Functional) हिना का प्रतिनिधित्व भी हाना है जब कि मूल सविधान के अनुसार यह हिन राष्ट्र के सामाजिक और जातिक जीवन की विभिन्न शाखाओं वा प्रतिनिधित्व करने वाली तद्धनिमित परियों में ही विनियुक्त थे। यह योजना अब त्याग दी गई है।

आयरिश स्वतंत्र राज्य की सिनट में साठ शदस्य होते थे जो बाहर वय तत्त्व पद धारण करत थे और जिनमे से एक चौथाई हर तीसर वर्ष भलग हो जाते थे। उनका आनुपातिक निर्वाचन के सिद्धान्त में आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होना था और समस्त राज्य एक निर्वाचन-सेत होना था। किन्तु निर्वाचन के तिए उम्मीदवार बनने को जाते थहूत बड़ी थी। सविधान में निर्धारित किया गया था कि उम्मीदवार वे ही नामिक उम्मीदवार हों मर्कें जो पैतीस वर्ष वे हो चुके हो और जिनसे राष्ट्र के सम्मान प्राप्त हुआ हो या जो विषेष अहंकारी या सफलताओं के बल पर राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हों। प्रत्यक्ष निर्वाचन से पूर्व निर्धारित योग्यता वाले नाम निर्देशित व्यक्तियों वी एक सूची तंदार को जाती थी जिसमे दिए गए नामों की सूच्या निर्वाचन किए जानवाले

¹ सन् 1930 से दक्षिणी अफ्रीका में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त है।

मदस्यों की सूच्या से निगुनी होती थी। इनमें से दो-तिहाई का नाम निर्देशन प्रतिनिधि-सभा द्वारा और एक-तिहाई का सिनेट द्वारा आनुपातिक निर्वाचन-प्रणाली के अधीन मनदान द्वारा किया जाता था। इम सूची में सिनेट के किसी ऐसे पिछले या निवृत्त होनवाले सदस्य का नाम भी जोड़ दिया जाता था जो प्रधान मंत्री का लिखित रूप में खड़े हान की अपनी इच्छा की सूचना देता था।

सन् 1922 के संविधान के अधीन सिनेट की योजना उस समय अत्यधिक संद्वातिक प्रतीत हुई। उसकी शक्तिया भी बहुत सीमित थी नूँकि वित्तीय विधि-निर्माण में उसका काई हाव नहीं था और अ-वित्तीय विधेयकों के सबध में भी उसे केवल निलबन-नियेधाधिकार प्राप्त था जो प्राय पेट्रिटेन की लॉर्डिंसभा के बैस ही अधिकार के समान था। नए संविधान द्वारा किए गए शब्दों अधिक महत्व-पूर्ण परिवर्तन मुख्य रूप से दो अनुच्छेदों में हैं। अनुच्छेद 18 के अधीन, सिनेट के साठ सदस्यों में से घ्यारह (प्रधान मंत्री द्वारा) नाम निर्देशित किए जाते हैं और उनमें से निर्वाचित होते हैं। काई भी नागरिक अर्थात् इच्छीम वर्ष का कोई भी पुण्य अथवा स्वीं जो प्रतिनिधि-मानन का सदस्य निर्वाचित होने योग्य है, मिनेट के लिए निर्वाचित होने योग्य भी है। उनमें से छह दो विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और वाकी तेंतालीम कुछ नियमों के अनुसार निर्मित उम्मीदवारा वीं सूचियों में से निर्वाचित किए जाते हैं। प्रत्येक निर्वाचित से पूर्व सस्तृति, साहित्य, वला और शिक्षा, वृषि एवं तत्त्वविद्या हितों, वैज्ञानिक, वास्तुकला और इनीनियरी में अधिकारी वर्षों की पाच सूचिया बनाई जानी है। एक सूची में से अधिक-से-अधिक घ्यारह और कम-से-कम पाच सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं। मिनेट के लिए शास्त्रारण निर्वाचन प्रनिनिधि-सभा (Dail) के विषट्टन के पश्चात् अधिक-से-अधिक नव्वे दिन में हो जाना चाहिए और प्रत्यक्ष मदस्य, यदि उसकी पहले ही भूत्यु नहीं हो जाती या वह रुपायपत्र नहीं दे देता या उसमें अनहृता पैदा नहीं हो जाती, प्रनिनिधि-सभा के साधारण निर्वाचन के मनदान दिवस से पूर्व के दिन तक पद धारण करेगा।

वृत्तिमूलक प्रनिनिधित्व भी शामिल करने के लिये निर्वाचन वीं उपर्युक्त प्रणाली के आधार म परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 19 द्वारा अनुमति दी गई है इस अनुच्छेद में यहा गया है —

“विधि विसी वृत्तिक या व्यावसायिक ममुद्याय, या मस्या पर परिपद् द्वारा भिनेट के इनमें सदस्यों के, जिनमें उस विधि द्वारा नियन किए जाए, इस मंदिधान के अनुच्छेद 18 के अधीन निर्मित उम्मीदवारों वीं तदनुस्पृही (उन वृत्तिया, व्यवसायों आदि से सम्बन्धित) सूचियों में से निर्वाचित

विए जाने वाले मदस्यों की उनकी ही सम्म्या के स्थान पर प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिये व्यवस्था बर मरनी है।

(ग) स्पेन की पुरानी सिनेट

मन् 1932 के अन्त के गणतन्त्रीय मंत्रिमंत्र वे अधीन, जिसे पारा ने ममाल्प कर दिया था परमदली मिधानमंडल की स्थापना हुई थी, पश्चात् मन् 1876 के मंदिरान के अधीन द्विमदली प्रणाली चल रही थी। मूल मंदिरान के अधीन द्वितीय मदल मिनट या जा वर्जन अधिनायक ग्राही के स्थान पर पुनर गजनव द्वी स्थापना की अवस्था में फिर से प्रवर्तित हो गया है। ऐसा हो या न हो, इन्हुंने सोने पांच पुरानी मिनट का अध्ययन इमारे तिंग गवर्स है क्योंकि यह बहु जाना है कि उमरा गठन ऐसा है जो मिट्टन में मंदिरान हाउग आए लादेंग के लिए शायद नमून का बास दे सकता है। अन की मूल मिनट में 360 मदस्य थे जिनमें में आधे अपने स्वयं के अधिकार में मिनटर (गजरुपार कुछ निश्चिन आय वाले भरदार आदि) पदन मदस्य (जैसे आर्निगण मर्वोच्च स्थायानय वा प्रधान आदि) और जीवन भर के तिंग गजा (पर्याति मंत्रिमंडल) द्वारा नाम निर्देशित मदस्य हैं ये। इन शीर्षकों के अधीन कुल मदस्य 180 में अधिक सभी भी नहीं हो सकती थी, और नाम निर्देशित मदस्य तथा शेष 180 जो तिंग निर्वाचित विए जाने थे, कुछ विशिष्ट धर्मियों में ही तिंग जा सकते थे। निर्वाचित मदस्यों पा वरण इम प्रकार होता था (1) तो आर्निगण धोका में से प्रत्यक्ष वे शास्त्रिय द्वारा एवं, (2) छह राजकीय विडलरियदों में से प्रत्यक्ष द्वारा एवं, (3) दस विश्वविद्यालयों में से प्रत्यक्ष द्वारा एवं, (4) वित्तीय आर्थिक मपाजो द्वारा पाच, (5) शेष 150 गिनेटर मैन के प्रत्येक प्रान में निर्वाचित महानों द्वारा निर्वाचित होते थे जिनमें नगरपालिका के मदस्यों और शहरी एवं नगरपालिका-प्रदर्शी में मर्वमें अधिक वर देन वालों में में वरण तिंग गए प्रतिनिधि होते थे। मिनेट का निर्वाचित भाग अबर मदल के माय विषद्विन हो जाना था, जाहे उमकी वैध अवधि पूरी हुई हो या न हुई हो। मंदिरान मैन के विधानमंडल के दोनों मदलों में वार मरकत थे। इसमें माधारण मरमों में मिनेट को कुछ अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त रहती थी, जैसी उमरों अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती थी।

5 दो एकात्मक राज्यों में निर्वाचित द्वितीय सदन

इम शीर्षक वे अन्लाईन जिन दो निर्वाचित द्वितीय मदलों का हम वर्णन करते हैं वे काम और इटरी के हैं। पाँच की मिनेट अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित है और इटरी की प्रत्यक्ष रीति में।

(क) कास

कास के सन 1875 के बाद स्थापित तीनों गणतन्त्रों—तृतीय, चतुर्थ और पचम—में से प्रत्येक के संविधान में द्विसदनी विधानमण्डल की व्यवस्था की गई थी जिसमें अबर सदन का (जिसे तृतीय गणतन्त्र में चेम्बर आफ डिपूटीज और शेष दोनों गणतन्त्रों में नेशनल एसेम्बली बहते थे) लोक-निर्वाचन द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था और उच्च सदन (जिसका नाम तृतीय गणतन्त्र में सिनेट, चतुर्थ में कौमिल ऑफ द रिपब्लिक और पचम में पुनर सिनेट था) अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होता था। तृतीय गणतन्त्र में सिनेट में 300 सदस्य होते थे जिनमें से प्रत्येक की मदस्यावधि 9 वर्ष होती थी और जिनमें से एक तिहाई सदस्यों की जगह प्रति तीन वर्ष भें नये सदस्य निर्वाचित होते थे। निर्वाचन विभिन्न डिपार्टमेंटों एवं उपनिवेशों में तदर्थं गठित निर्वाचिक-मण्डला द्वारा होता था। प्रत्यक्ष अवस्था में निर्वाचिकमण्डल में डिपार्टमेंट के डिपूटी, जनरल कौमिल—(अर्थात् स्थानीय सत्ता) के सदस्य, एवं निडिजमट की कौमिलों के सदस्य और प्रत्येक वाय्यून में कम्यून की कौमिलों से बरण किये हुए प्रत्यायुक्त (Delegates) होते थे। सदस्यों की संख्या डिपार्टमेंट की जनरलिया के आधार पर निर्धारित वी जाती थी। सिनेट की शक्तियाँ, वित्तीय विधि निर्माण को छोड़ शेष वातों में मानविकासिक दृष्टि से चेम्बर आफ डिपूटीज की शक्तिया के समान थी। विधि-निर्माण में सिनेट का बार्यं काफी महत्वपूर्ण होता था।

चतुर्थ गणतन्त्र के संविधान में अप्रत्यक्ष प्रणाली से निर्वाचित द्वितीय सदन वा गामान्य मिड्लन्ट कायग रहा परन्तु कौमिल ऑफ द रिपब्लिक की सदस्य संख्या एवं वार्यावधि सम्बन्धी च्यारे की बातें विधिनिर्माण की सामान्य प्रक्रियाओं के लिये छोड़ दी गई। सभय सभय पारित¹ विधियों के अनुसार यह व्यवस्था वी गई थी कि कौमिल ऑफ द रिपब्लिक के, एक तिहाई स्थानों (जैसा पहले होता था) की जगह अधे स्थानों के लिये नय निर्वाचन होंगे और उसकी सदस्य संख्या नेशनल एसेम्बली की सदस्य संख्या की एवं तिहाई से बढ़ और जाधी से अधिक नहीं होगी। उम्बा गठन भी पहले वी मिनेट के गठन से भिन था। अन्तिम

¹ उदाहरणार्थ, 1946 में पारित अधिनियम के अनुसार कौमिल ऑफ द रिपब्लिक की सदस्य-संख्या 315 रखी गई थी। जिसका वितरण इस प्रकार किया गया था—(1) मेट्रोपॉलिटन प्रास के प्रत्यायुक्तों द्वारा निर्वाचित 200 सदस्य, (2) नेशनल एसेम्बली द्वारा निर्वाचित 50 सदस्य, (3) अलजीरियन खेड़ों से निर्वाचित 14 सदस्य (4) डिपार्टमेंटों की जनरल कौमिलों एवं प्रादेशिक एसेम्बलियों तथा समुद्रपार के प्रेज्च प्रदेशों द्वारा निर्वाचित 31 सदस्य।

रूप में बौगिल आँफ द रिपब्लिक में 320 सदस्य होते थे। जिनमें ऐट्रोपॉलिटन फान्स के डिपार्टमेंटो के लिये निर्वाचित 200 सदस्य, नेशनल एसेम्बली द्वारा निर्वाचित 50 सदस्य शामिल थे और शेष सदस्य प्राप्त के समुद्रपार के प्रदेशों तथा बाहर निवास करने वाले फेझ नागरिकों के प्रतिनिधि होते थे। बौगिल वो सदस्यता के लिये आयु वर्ष से वर्म 35 वर्ष निर्धारित की गई थी। उसे अवित्तीय विधेयकों को पुनर स्थापित करने का अधिकार था और अबर मदन द्वारा प्रेपित किसी विधेयक पर बहम करने में उतना ही समर्प (उससे अधिक नहीं) ते गती थी जितना एसेम्बली ने उसमें लिया था।

पन्द्रम गणतन्त्र में 1958 के संविधान से सिनेट के गठन में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुए। सिनेट के गठन की व्यारे वी धानों को उल्लिखित करने वाले अध्यादेश में उन लीनों सिद्धान्तों का विचार रखा गया था जिन पर पूर्व बौगिल आँफ द रिपब्लिक आधारित थी—अर्थात् (1) सिनेट में देश के प्रादेशिक विभागों के समुदायों को उनकी सामूहिक हैमियन में प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये और (2) कलत तिनेट का अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचन होना चाहिये और (3) प्रान्स के बाहर वे फेझ नागरिक अधिवासियों को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये। प्रत्येक सिनेटर वा निर्वाचित 9 वर्ष के लिये होता था, परन्तु नये संविधान में तृतीय गणतन्त्र की प्रणाली पुनर स्वीकार की गई अर्थात् चतुर्थ गणतन्त्र में जैसे आधे सदस्य निवृत्त होते थे उनके स्थान में एक तिहाई सदस्यों के निवृत्त होने की व्यवस्था रखी गई।

पन्द्रम गणतन्त्र में स्थापित सिनेट की गदरय-सद्या पूर्व बौगिल आँफ द रिपब्लिक की सदस्य-संख्या से कुछ कम (320 के स्थान पर 307) रखी गई। इनमें से 255 स्थान ऐट्रोपॉलिटन फान्स के डिपार्टमेंटों को दिये गये, 6 प्रवासी फेझ नागरिकों के समूहों को और शेष उपनिवेशों एवं समुद्रपार के प्रदेशों को दिये गये। (समुद्रपार के प्रदेशों में अञ्जीरिया को, जो अब स्वतन्त्र हो गया है, 32 स्थान प्राप्त थे)। सिनेटरों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन निर्वाचनक-मण्डलों में मतदान की परम्परागत पद्धति द्वारा प्रत्येक डिपार्टमेंट से होता है। निर्वाचनक मण्डल में डिपार्टमेंट के डिप्यूटी (अर्थात् नेशनल एसेम्बली के सदस्य), जनरल कौमिलर (डिपार्टमेंट के), और नगरपालिका परिषदों के प्रत्यायुक्त होते हैं। प्रत्येक डिपार्टमेंट के स्थान जनसद्या के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। स्थानीय और अप्रलाश होने हुए भी ये निर्वाचन केन्द्रीय शासन राजनीतिक शक्तियों का मन्तुलन निर्धारित करने में कुछ प्रभाव डाल सकते हैं, यद्योऽपि निर्वाचक मण्डलों में मुच्यकर नगरपालिकाओं के गुद्यामुक्त होते हैं और फलत उनके मतों में नगरपालिका-परिषदों के बहुमत के राजनीतिक विनार प्रतिविम्बित होते हैं। तिन्हु वास्ताव में, सिनेट की शक्तियाँ, निरपेक्ष रूप में या नेशनल एसेम्बली

को तुलना में, पचम गणतन्त्र की अध्यक्षीय व्यवस्था में उतनी अधिक नहीं है जितनी पूर्व वे दोनों गणतन्त्रों की समझीय पद्धति में थी।

(ख) इटली

इटली के नए गणतन्त्र में समद् का द्वितीय मदन मूल संविधान के अधीन द्वितीय मदन से मौलिक रूप में भिन्न है, यथोकि पहले इटली की सिनेट नाम निर्वाचित होती थी और अब वह निर्वाचित होती है। राजतन्त्र के अधीन सिनेट भे राजवास के राजकुमार और राजा द्वारा बैवाल कुछ वर्षों में से जीवनभर के लिए नाम निर्वाचित मदस्य ही होते थे। उनमें गिरजा के धर्माधिकारी, कुछ निश्चित वर्षों तक निम्न मदन में सेवा किए हुए मदस्य, विज्ञान और माहित्य में खानिप्राप्त व्यक्ति, और वे व्यक्ति भी होते थे जिन्होंने राज्य की विशिष्ट सेवा की हो। सिनेटरों की संख्या की बोई सीमा नहीं थी और चूंच उनसी नियमित वास्तव में तत्कालीन मत्रिमङ्गल के हाथों में थी, इसलिए वभी-वभी इस शक्ति का प्रयोग सिनेट से विधिया पारित करने के लिए किया जाना था। उदाहरणम्बन्ध, मन् 1890 में एक ही समय में 25 सिनेटर नियुक्त किए गए थे। यही कारण है कि मूसोलिनी को निगम-राज्य के निर्माण के लिए सिनेट के स्वरूप में बोई राजिकारी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी जैसा उसने प्रतिनिधि-मदन में किया, क्याकि राजा ने कृपावार सिनेट को फासिस्टो से भर दिया। राजतन्त्र के अधीन इटली में सिनेट की शक्तिया कानूनी दृष्टि से प्रतिनिधि-मदन के समान थी, किन्तु व्यवहार में, नियुक्ति की पद्धति के कारण, अबर मदन द्वारा पारित किसी व्यवस्था के लिए उच्च मदन की सम्मति दबपूर्वक प्राप्त की जा सकती थी। वास्तविकता तो यह है कि फासिस्ट अधिनायकतत्र के प्रादुर्भाव से पूर्व ही सिनेट प्रतिनिधि-मदन के साथ अपनी समानता खो चुकी थी।

नए गणतन्त्रीय संविधान के द्वारा प्रतिनिधि-मदन (Chamber of Deputies) और सिनेट से युक्त समद वी स्थापना की गई है। ये दोनों मदन गणतन्त्र के राष्ट्रपति के निर्वाचन (इस समय उसमें प्रादेशिक परिषदों (Regional Councils) के प्रतिनिधि भी शामिल हो जाते हैं।) पद-ग्रहण करने समय प्रेमीटेंट के शपथ-ग्रहण और आवश्यकता होने पर उम पर महाभियाग लगाने जैसे प्रयोगों के लिए एक सयुक्त अधिवेशन में भागीदार होते हैं। सिनेटर-मदन का निर्वाचन प्रादेशिक आघार पर होता है। प्रत्येक प्रदेश का अपनी जनसंख्या के प्रनि दो लाख (या एक लाख से ऊपर किसी भिन्न (Fraction) के लिए एक सिनेटर हाना है जिसी भी प्रदेश के सिनेटरों की संख्या (ला वाले द' औस्ता La Vale D'Aosta)

¹ गणतन्त्रीय इटली के प्रादेशिक संगठन के लिए पौछे पृष्ठ 73 देखिए।

को छोड़ कर जो बहुत ही छोटा है) छह से कम नहीं होती। सिनेट सार्वजनिक एवं प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर निर्वाचित होती है और 25 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सभी नागरिक इसके निर्वाचन में मत दे सकते हैं। चालीस वर्ष से अधिक आयु वाला वोई भी निर्वाचित सिनेटर बन सकता है।

किन्तु इटली की सिनेट के गठन में निर्वाचन सिद्धान्त के दो छोटे से अपवाद हैं जिनका उद्देश्य राजनीतिक सेवाओं को पुरपृष्ठ बरना तथा राष्ट्रीय जीवन के अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करना है। इनके सम्बन्ध में सविधान में कहा गया है कि 'गणतन्त्र के पूर्वं प्रेसीडेंटों वो, यदि उन्होंने इस अधिकार का परित्याग न कर दिया हो, सिनेटर बनने का अधिकार है', और 'इटली के गणतन्त्र का राष्ट्रपति ऐसे पांच नागरिकों को जीवन भर के लिये सिनेटर नियुक्त कर सकता है जिन्हे सामाजिक, वैज्ञानिक, कला के या साहित्यक शेत्रों में विशिष्ट स्थान प्राप्त है।'

सिनेट की सामान्य अवधि 6 वर्ष की है, जबकि चेम्बर ऑफ डिप्यूटीज की 5 वर्ष है। परन्तु चेम्बर के समान सिनेट उसकी अवधि भी समाप्ति के पहले ही भग वी जा सकती है। उदाहरणार्थ 1958 में दोनों सदन एक साथ भग बर दिये गये थे और दोनों के लिये सामान्य निर्वाचन हुआ था। डिप्यूटीओं के समान सिनेटरों को भी वेतन मिलता है जो समय-समय पर विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। दोनों सदनों को विधेयकों का सूत्रपात करने के समान अधिकार हैं। यही अधिकार उपक्रम-सिद्धान्त वे आधार पर जनता को भी प्राप्त है। परन्तु विस्तृत बहुस के लिये दोनों सदनों में से दिसी भी सदनों के समक्ष आने के पहले विधेयक को परीक्षा वे लिये एक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इटली की सिनेट को शासन के विरुद्ध निन्दा अथवा अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार है। चूंकि फ्रान्स की सिनेट इस अधिकार से बचित है, यह स्पष्ट है कि गणतन्त्रीय इटली में पचम गणतन्त्र के आधीन प्रान्त की अपेक्षा दोनों सदनों की यमानता अधिक वास्तविक है।

6 दो संघीय राज्यों में निर्वाचित सिनेट

जिन दो पूर्ण सधीकृत राज्यों अर्थात् अमरीका के संयुक्तराज्य और आस्ट्रलिया की हम पहले चर्चा कर चुके हैं, उनकी सिनेटों में तीन विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। पहला, दोनों राज्यों में सिनेट में सध का निर्माण करने वाले राज्यों के प्रतिनिधि बरावर होते हैं। यह समानता एक अत्यावश्यक लक्षण है क्योंकि वास्तविक सध में वह प्रभुता, जिसका सपवद्ध होने वाली इकाइयों ने त्याग किया है।

¹ अध्याय 10 देखिए।

ऐसे निकाय के हाथों में नहीं छोड़ दी जानी चाहिए जो उनके नियन्त्रण के बाहर हो या जिसमें उनमें से किसी एक की शक्ति औरों के मुकाबले में अत्यधिक हो। दूसरे, दोना राज्य में मिनेटर पृथक् स्वप्न में मदम्य-राज्यों से और उन्हीं में निर्वाचित होते हैं। और यह निर्वाचित सघीय सत्ता वे हम्मेसेप वे विना ऐसी रीति से होता है जिसमें लोक-निर्वाचित और राज्य की दैवतिनीता दोनों वे साम्राज्य हो जाते हैं। तीसरे, मिनेटर की अवधि इस प्रकार निर्धारित होती है कि मिनेट के अन्तर्वक्ता की नियन्त्रिता मूलिकता हो जानी है। ऐसी नियन्त्रिता बमरीका में पूरी तरह प्राप्त है, हाताकि आम्डेलिया में टीक ऐसी स्थिति नहीं है। इसके कारणों का हम कभी वर्णन करेंगे। एक भवय पर मिनेट के बेवजह एक भाग के निवृत्त होने की यह पद्धति ही ऐसे राज्यों में उच्च मदन को निम्न मदन से भैंदिन करती है और उच्च मदन को जन-नियन्त्रण और जन-मन्त्रित से हटाए विना बादरणीयता से सबद्ध प्रनिष्ठा प्रदान करती है।

[क] संयुक्तराज्य

संयुक्तराज्य की मिनेट में, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, 100 मदम्य होते हैं (50 राज्यों में से प्रत्येक वे दो)। मिनेटगों की पदावधि छह वर्ष है और प्रति दो वर्ष बाद एक-निहाई मिनेटर निवृत्त होते हैं। इस प्रकार छह वर्ष की प्रत्येक अवधि में किसी एक राज्य में दो बार मिनेट सदस्यी निर्वाचित होते हैं, अर्थात् दो वर्षों की प्रत्येक अवधि के अन्त में और बाद में एक निर्वाचित नहीं होता। उदाहरण-स्वरूप, यदि न्यूयॉर्क राज्य में (मन् 1957 में प्रारम्भ होने वाली वापेग के लिए) मन् 1956 में एक मिनेटर वा निर्वाचित हुआ हो तो वह मन् 1963 तक निवृत्त नहीं होगा। इन्हिए यदि उसी राज्य न (मन् 1959 के लिए) मन् 1958 में भी एक मिनेटर निर्वाचित विया हो तो (मन् 1961 के लिए) मन् 1960 में उस राज्य में मिनेट सदस्यी चोई निर्वाचित नहीं होगा। मूल सविधान से यह व्यवस्था मूल मिनेट को गुण मनदान द्वारा तीव्र समान समूहों में विभाजित करके प्राप्त की गई, जिसमें से पहला समूह दो वर्ष के पश्चात् और दूसरा समूह चार वर्ष के पश्चात् निवृत्त होना था। इस प्रकार संयुक्तराज्य की मिनेट में मन् 1789 में अब तक किसी भी एक भवय एक-निहाई से अधिक नए मदम्य निर्वाचित नहीं हुए। यही वह नाय है जिसमें बारण उसे मदा में अपनी विशिष्ट प्रनिष्ठा प्राप्त है, टीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि अपेक्षाकृत हात की लोक-निर्वाचित की पद्धति ने उसे उसकी महान् शक्ति और स्फूर्ति प्रदान की है। प्रारम्भ में मिनेटरों का वरण प्रत्यक्ष राज्य के विभिन्नमठल द्वारा होता था, किन्तु, जैसा हम बता चुके हैं, मत्रहर्वे मशोधन (मन् 1913) द्वारा ममन्त्र यूनियन में जनता द्वारा निर्वाचित की गद्दति प्रवृत्त कर दी गई। मिनेटर कभी भी ममय और निश्चय ही

इस समय किसी भी अर्थ में अपने राज्य की सरकार वह प्रत्यायुक्त नहीं है, बल्कि राज्य के रूप में माझे मे नहीं, अपने राज्य वह प्रतिनिधित्व करता है और उसमें यह आगा वी जाती है कि वह सब अपनी शक्तिगत गति के अनुमार मत देगा। ऐसा ही होना भी चाहिए क्योंकि यह बात सहज ही सभक है कि जिसी राज्य के दो सिनेटर, अलग-अलग समयों पर निर्वाचित होने के पारण, किरोधी दल में से हो।

सयुक्तराज्य में सिनेट के पद के लिए अहंताएँ बहुत थोड़ी और मादी हैं। उन्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो कम-से-कम नीचे वर्षे तक सयुक्तराज्य का नागरिक रह चुका हो, तीस वर्षे की आयु पूरी कर चुका हो, और अपने निर्वाचित के समय उन राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व करने के लिए वह निर्वाचित किया जाता है।

सिनेट की शक्तिया बहुत अधिक हैं। स्थात् आज के विष्व में किसी भी अन्य द्वितीय सदन का प्रभाव इतना वास्तविक और प्रत्यक्ष नहीं है वेवल विदेशी मामलों जैसे सर्वाधिक स्पष्टहपेण राष्ट्रीय मामला में ही नहीं बल्कि वित्तीय मामलों सहित सधीय विधिनिर्माण के मुद्रण-सुदृढ़ वाय तक में उसका बड़ा भारी प्रभाव रखता है। वास्तव में सिनेट इतनी शक्तिशाली है कि कुछ लोग इसे ही सयुक्तराज्य में एकमात्र प्रभावपूर्ण सधीय सदन मानते हैं। निश्चय ही कोई भी ऐसी बात, जिसे करने की कायंपालिका अथवा प्रतिनिधि-गदन में वैध रूप से सामर्थ्य है, उन अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती जिनको सिनेट साविधानिक हम से धारण ही नहीं करती बल्कि जिनका वास्तविक रूप से प्रयोग भी करती है। स्थायी समितियों के द्वारा, जिनमें वह अपने-आपको विभाजित कर लेती है, सिनेट अपने समक्ष बाने वाली विभिन्न भास्त्याओं का समाधान करने और कायंपालव विभाग से, जा, जैसा कि हम बाद में बनाएंगे, विद्यानमंडल से पृथक् कार्य करता है, सम्पर्क रखने में समर्थ होती है। सिनेट की सर्वाधिक शक्तिशाली समिति विदेशी मामलों की रामिति है, क्योंकि इस विभाग में अन्तात सिनेट ही राष्ट्रपति के कार्यों पर नियन्त्रण रखती है। सधियों का अनुसमर्थन सापूर्ण काग्रेस द्वारा नहीं, बल्कि सिनेट द्वारा होता है।² और यह बात विलक्षण युक्तिसमत है, क्योंकि प्रतिनिधि-सदन में राज्यों वा-प्रतिनिधित्व अत्यधिक विभिन्न अनुपातों में है। अपरीक्षी सिनेट की राजनयिक शक्ति स्पष्टतम रूप में प्रथम विष्वगृह के अन्त में प्रकट हुई जबति उसने परिस में राष्ट्रपति विलसन के द्वारा हस्ताक्षरित राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) को प्रत्यादा और अन्य सधियों में से किसी भी शालिमवधी

² यूरोप की घोषणा का अनुसमर्थन समरत काग्रेस द्वारा किया जाना आवश्यक है।

दस्तावेज पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों को मानने से इनकार करके उसका सारा बाम ही दिलकुल समाप्त कर दिया।

[ख] आस्ट्रेलिया

अमरीका की सिनेट की तरह आस्ट्रेलिया की सिनेट भी सघीय आदर्श की प्रतीक है। यह बात इससे स्पष्ट होती है कि संविधान-निर्माण के समय द्वितीय सदन के लिए दो वैकल्पिक नाम 'राज्यों का सदन' और 'राज्य-सभा' प्रस्तुत किए गए थे। उस समय के अधिक महत्वपूर्ण राज्यों के विरोध के बावजूद समानता सुरक्षित की गई और इस प्रकार आस्ट्रेलिया की सिनेट में बॉमनबेल्य के छह राज्यों में से प्रत्येक ढारा भेजे गए दस अर्थात् कुल मिलकर साठ सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त, संविधान में यह भी उपबन्धित किया गया है कि यद्यपि सप्तद प्रत्येक राज्य के लिए सिनेटरों की संख्या बढ़ा या घटा सकती है, किन्तु उसकी कार्यवाही द्वारा राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नष्ट नहीं किया जा सकता।¹ सिनेट के लिए निर्वाचकगण ठीक वे ही हैं जो कि प्रतिनिधि-सदन के लिए हैं, किन्तु निर्वाचन-सेवा भिन्न हैं। सिनेट के निर्वाचनों के लिए समस्त राज्य ही निर्वाचन-सेवा होता है और प्रत्येक निर्वाचक के उतने ही मत होते हैं जिनमें कि स्थान भरे जाने होते हैं। सिनेटरों की पदावधि छह वर्ष है, जिनमें से आधे प्रति तीन वर्ष बाद निवृत्त होते हैं। किन्तु निवृत्त होने की इस व्यवस्था से सिनेट की निरन्तरता अनिवार्यतः सुनिश्चित नहीं होती जैसा कि अमरीका में होता है। इसका कारण यह है कि संविधान में एक अन्य उपबन्ध भी है जिसके अनुसार दोनों सदनों के बीच गत्यावरोध की अवस्था में गवर्नर-जनरल दोनों को भग कर सकता है और ऐसी अवस्था में एक संघर्ष नई सिनेट और एक संघर्ष नए प्रतिनिधि-सदन का निर्वाचन होता है। परन्तु वास्तव में, दोनों सदनों के तीव्र मतभेद के कारण ऐसा कांगमनबेल्य के इतिहास में केवल दो बार ही हुआ है, पहली बार 1914 में और दूसरी बार 1951 में।

आस्ट्रेलिया की सिनेट के काम अमरीका की सिनेट के विपरीत केवल विधि-निर्माण-संबंधी हैं और उसे वित्तीय विधेयकों के सिवाय अन्य "समस्त प्रस्तावित विधियों के संबंध में प्रतिनिधि-सदन के समान शक्तिया प्राप्त हैं।" वित्तीय विधेयकों का सूत्रपात निम्न सदन में ही हो सकता है और सिनेट उनमें सशोधन नहीं कर सकती हालांकि वह उन्हें अस्वीकृत कर सकती है। संस्थापकों ने सिनेट को जान-बूझकर एक 'राज्यों की सभा' के रूप में गठित किया था, किन्तु व्यवहार

¹ प्रत्येक राज्य के लिए सिनेटरों की मूल संख्या छह थी। सन् 1948 के अधिनियम ने उसे बढ़ाकर दस कर दिया।

वह निम्न सदन की तरह राजनीतिक आधार पर ही विभाजित होती है और उसमें भी सभी विषयों पर विचारविमर्श दल के दृष्टिकोण से होता है न कि राज्य। इसने फलस्वरूप जो दल लगातार दो साधारण निर्वाचनों में जीतता है, वह रिनेट के अधिकार स्थानों पर भी अधिकार रखता है।

७ स्विट्जरलैंड और जर्मनी में द्वितीय सदन

स्विस कॉनफ़ेडरेशन की राज्य-परिषद् (Standerat) में अमरीका और आस्ट्रेलिया की सिनेटों से बड़ी मात्रे की विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं, अतएव सधीय गणतन्त्र वे द्वितीय सदन के रूप में उसका सूधम अध्ययन आवश्यक है। इसमें अतिरिक्त, हिटलर द्वारा जर्मन राज्य के सधीय स्वरूप वे नष्ट कर दिए जाने से पूर्व वेमर गणतन्त्र के अधीन जर्मनी की साम्राज्य-परिषद् (Raichsrat) के स्वरूप और कृतयों का विश्लेषण करना भी लाभदायक होगा, क्योंकि उसका पाश्चात्य अधिगत्यकर्ता गणितयों के तत्त्वावधान में सन् 1949 में प्रवर्तित बान संविधान के अधीन जर्मनी के सधीय गणतन्त्र की सधीय परिषद् (Bundesrat) के लिए कुछ हद तक आदर्श वे रूप में प्रयोग किया गया है।

[क] स्विस कॉनफ़ेडरेशन

स्विट्जरलैंड की राज्य-परिषद् एक बात में अमरीका और आस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्ट भी समान है, क्योंकि उसमें केण्टनों (अर्थात् राज्य) को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। स्विस राज्य-परिषद् में चौथातीस सदस्य हैं अर्थात् उन्हीं केण्टनों में से प्रत्येक से दो और शेष तीन केण्टन जिन अर्द्ध-केण्टनों में विभाजित हैं, उनमें से प्रत्येक से एक-एक। किन्तु और निसी भी बात में स्विट्जरलैंड की राज्य-परिषद् अमरीका और आस्ट्रेलिया की रिनेट के समान नहीं है। संविधान में निर्वाचन और सदस्य की पदावधिसंबंधी सारी व्यावे की बातें केण्टनों पर ही छोड़ दी गई हैं। इसलिए किसी केण्टन से सदस्य एक वर्ष के लिए, किसी से दो वर्ष के लिए, किसी से तीन वर्ष के लिए और किसी-किसी से तो चार वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। अधिकतर केण्टनों में सदस्यों का निर्वाचन अब जनता द्वारा होता है, किन्तु यात केण्टनों में वे प्रत्येक केण्टन की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। किस्तु स्विस राज्य-परिषद् साधारण वर्षों में यथा वत् सधीय सदन या द्वितीय सदन नहीं है, क्योंकि यदि वह वास्तव में सधीय सदन होती तो उसका आण्डिक बाम उस सत्ता के हाथों से, जिसको कि राज्यों ने अपनी प्रभुता दी है, राज्यों के हिता की रक्खा करना होता और यदि वह सामान्य द्वितीय सदन होती तो उसे विधिनिर्माण के सबथ में पुनरीक्षण या नियेष के कुछ निश्चित कृत्य प्राप्त होते।

वास्तविकता यह है कि स्विट्जरलैंड में दोनों सदन सभी मामलों में समक्ष है। प्रत्येक संसदीय अधिकृति के प्रारम्भ पर दोनों सदनों के अध्यक्ष विधिनिर्माण-संबंधी प्रस्तावों के सूचनात के विषय पर आपस में प्रबन्ध करके निश्चय कर लेते हैं। जैसा कि हम बाद में बताएंगे, मतीण किसी भी सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं और किसी भी सदन में मतदान नहीं करते, किन्तु उनको दोनों सदनों में पूछे गए प्रश्नों का समान रूप से उत्तर देना होता है। अन्तिम बात यह है कि बुध प्रयोजनों के लिए (असाधारण नहीं) दोनों सदन एक सदन के रूप में समवेत होते हैं और मतदान करते हैं। इस प्रकार स्विट्जरलैंड का विधानमंडल स्विट्जरलैंड की वार्यपालिका वे समान ही अद्वितीय है, विश्व भर में यही एक ऐसा विधानमंडल है, जिसके उच्च सदन के कृत्य उसके अवर सदन के कृत्यों से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं हैं। सधीय विधानमंडल की सामर्थ्य के अन्तर्गत किसी भी धात के लिए दोनों सदनों वो सहमति आवश्यक है। किन्तु शासन के दोनों संघीय उपकरण—वार्यपालिका और विधानमंडल—लोक-निर्देशन के भाग्यन वे द्वारा समान रूप से राष्ट्रीय इच्छा के अधीनस्थ किए जा सकते हैं। इस विषय पर हम आगे के अध्याय में अधिक चर्चा करेंगे।

[ख] जर्मन गणराज्य

सन् 1919 के जर्मन संविधान के साठवे अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "राज्य के विधिनिर्माण और प्रशासन में जर्मन राज्यों के प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से एक परिषद् (Reichsrat) वा गठन किया जाना है। आगे यह भी कहा गया है कि परिषद् में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनके शासनों के सदस्यों द्वारा होगा। यह पुराने साम्राज्य के अधीन प्रचलित प्रणाली को जीवित रखना था, किन्तु जहा उस काल में परिषद् (Bundesrat) विधि-निर्माण का वास्तविक उपकरण थी, वहा अब परिस्थिति पूरी तरह उलट दी गई और देसर संविधान के अधीन परिषद् पर लोकसभा (Reichstag) छा गई। परिषद् को विधि-निर्णय का सूचनात बनाने की कोई शक्ति नहीं थी। यह कार्य केवल वार्यपालिका और लोकसभा के ही हाथों में था। विधि को पारित करने के लिए भी परिषद् की सम्मति आवश्यक नहीं थी, हालांकि सरकार द्वारा लोकसभा में विधेयक को प्रस्तुत करने वे लिए उसकी सम्मति आवश्यक थी। किन्तु यह सब होते हुए भी परिषद् को एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट नियेधाधिकार प्राप्त था। यदि उसे सोबसभा द्वारा पारित विधेयक पर आपत्ति होती तो उसे अवर सदन में अन्तिम मतदान वे दो संसाहों वे अन्दर सरकार के पास अपनी आपत्ति प्रस्तुत करनी होती थी। तब यदि दोनों सदन महसूत न होते तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर जनमन समझ के लिए आदेश दे सकता था। यदि वह तीन महीनों के अन्दर

ऐसा नहीं करता और यदि लोकसभा (समस्त सदन के) दो-तिहाई बहुमत से विधेयक वो स्वीकार कर लेतो तो राष्ट्रपति नो या तो उस विधि को प्रदयापित करना पड़ता था या या फिर जनता के समक्ष अपील करने का अदेश देना पड़ता था।

इस प्रकार जर्मन परिपद् निश्चित रूप से अलग-अलग राज्यों वे दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व तो करती थी, जिन्हुंने उसे पृथक्-पृथक् राज्य की प्रभावपूर्ण आवाज उठाने की शक्ति पहले वी तरह प्राप्त नहीं थी। इन्हें अतिरिक्त जहाँ वह सशब्दाद के मुख्य सिद्धान्त—अर्थात् उच्चसदन में राज्यों के समान प्रतिनिधित्व की आवश्यकता—को समाविष्ट करने में असफल रही वहाँ वह वडे राज्यों वे प्रबल प्रभाव के द्वारा छोटे राज्यों के विरुद्ध अधिका जनता डारा निर्बाचित निम्न सदन की अपेक्षा श्रेष्ठ शक्ति के बल पर समस्त राष्ट्रों के विश्व कार्य करने से भी विचित थी। किन्तु इसके साथ ही, ऐसे विधेयक के लिए जिस पर कि उसे आपत्ति हो, प्रतिनिधि-सदन के भारी और अक्षर अप्राप्य बहुमत वी सम्मति बांध बर सकने अवश्य स्वयं जनता के समक्ष अपील के लिए बाध्य बर सकने की उसे जो शक्ति दी गई थी उसके फलस्वरूप उसने द्वितीय सदन के योग्य गौरव प्राप्त कर लिया और वास्तविक प्रभुताधारक जनता का अपने प्रतिनिधियों पर अतिम नियन्त्रण मुरक्खित कर दिया।

ग्रन् 1949 के बाँन संविधान के अधीन सघीय (Bundesrat) में, पहले वी परिपद् के समान ही, राष्ट्रनिर्माता विभिन्न राज्यों की सारकारों के प्रतिनिधि होते हैं और वेमर गणतंत्र के समान ही इन प्रतिनिधियों की सख्त राज्य की जनसंख्या वे अनुसार विभिन्न होती है। इस प्रकार साठ लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य के छह, साठ लाख से कम किन्तु बीस लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश के चार, और बीस लाख से कम जनसंख्या वाले प्रदेश के तीन सदस्य होते हैं। सघीय परिपद् जर्मनी के सघीय गणतंत्र में जितना महत्वपूर्ण भाग ले सकेगी, यह बात उन राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर है जिनके विषय में किसी प्रकार वी भविष्यवाणी करना कठिन है।

४ सोवियत समाजवादी गणतंत्रसंघ और युगोस्लाविया के सघीय गणराज्य की विशेष स्थितियाँ

यद्यपि सोवियत समाजवादी गणतंत्रसंघ और युगोस्लाविया के सघीय लोकगणतंत्र का निर्माण सामान्यतया पाश्चात्य नमूनो के आधार पर नहीं हुआ है, फिर भी सघीय राज्यों के रूप में वे कुछ हद तक पश्चिमी प्रभावों के छहणी हैं और इन दोनों देशों में से प्रथम के द्वितीय सघीय राज्य के स्वरूपों और कृत्यों की उन द्वितीय सदनों के स्वरूपों एवं कृत्यों से, जो साधारणतया साविधानिक संगठन

माने जाते हैं और जिन पर हम विचार कर चुके हैं, तुलना बड़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगी।

सोवियत समाजवादी गणतन्त्रसंघ के स्टालिन संविधान (सन् 1936) के अध्याय 3 में संघ में राज्यशक्ति के सर्वोच्च उपकरणों की चर्चा की गई है। मुख्य उपकरण सर्वोच्च परिषद् (Supreme Soviet) है जो संघ की पुरानी सोवियत महासभा के स्थान पर बनी है। सर्वोच्च परिषद् में, संघ-परिषद् (Soviet of the Union) और राष्ट्र-परिषद् (Soviet of Nationalities) नाम के दो सदन होते हैं। इनमें से पहले सदन के सदस्य सोवियत समाजवादी गणतन्त्रसंघ के नागरिकों द्वारा, प्रति 300,000 के लिए एक प्रतिनिधि के आधार पर, निर्वाचित किए जाते हैं, और इस प्रकार उसमें 600 सदस्य होते हैं। दूसरे सदन के सदस्य संघ के गणतन्त्रों के आधार पर मतदान करते हुए नागरिकों द्वारा सापेक्ष सम्भालो में नियुक्त किए जाते हैं—दोनों परिषदें चार वर्ष के लिए निर्वाचित होती हैं। इनकी विधि-निर्माण-संबंधी शक्तिया समान है और किसी भी विधि के अनुमोदन के लिए प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत पर्याप्त होता है। इनके अधिवेशन सर्वोच्च परिषद् (Supreme Soviet) के अध्यक्ष-मण्डल (Presidium) द्वारा (साधारणतया) एक वर्ष में दो बार बुलाए जाते हैं और विशेष प्रयोजनों के लिए असाधारण अधिवेशन भी किए जा सकते हैं।

यूगोस्लाविया के संघीय लोकगणतन्त्र (सन् 1946) के संविधान के अध्याय 7 में, जो अट्ठाईस अनुच्छेदों वाला एक लम्बा अध्याय है, राज्यसत्ता के सर्वोच्च संघीय उपकरणों की चर्चा की गई है। संघीय संसद् को गणतन्त्र की लोकसभा (People's Assembly) कहा गया है और उसमें दो सदन हैं अबर सदन—संघीय परिषद् (Federal Council), और उच्च सदन—राष्ट्र-परिषद् (Council of Nationalities) संघीय परिषद् का निर्वाचन प्रति 50,000 निवासियों के लिए एक प्रतिनिधि के आधार पर होता था। राष्ट्र-परिषद् का निर्वाचन विभिन्न गणतन्त्रों (प्रत्येक से तीस डिग्री), स्वायत्त प्रांतों (प्रत्येक से बीस डिग्री), और प्रदेशों (प्रत्येक से पन्द्रह डिग्री) के नागरिकों द्वारा किया जाता था। दोनों सदन चार वर्ष के लिए निर्वाचित होते थे और दोनों को समान अधिकार प्राप्त थे। साधारणतया दोनों सदनों की बैठकें अलग-अलग होती थीं, किन्तु संविधान में नियन विशेष अवसरों पर जैसे कार्यपालिका के, जो रूस के अध्यक्ष-मण्डल के समान है, निर्वाचित और संविधान में किसी सशोधन की घोषणा के लिए उनका संयुक्त अधिवेशन भी होता था।

¹ अर्थात् 1947 के संघोधन के अनुसार संघ के प्रत्येक गणतन्त्र (Union Republic) से 25 डिग्री, प्रत्येक स्वायत्त गणतन्त्र (Autonomous Republic) से 11 और प्रत्येक स्वशासी प्रदेश (Autonomous Region) से 5 डिग्री।

सयुक्त अधिवेशन मे निर्णय बहुमत द्वारा होते हैं किन्तु तभी जबकि प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत विद्यमान हो। विधेयक किसी भी सदन भे प्रस्तुत किये जा सकते हैं, और वहाँ पारित होने के उपराह दूसरे सदन को भेजे जाते हैं यदि अन्य सदन किसी विधेयक को पारित नहीं करता तो दोनों सदनों की समान सूच्या बाली समन्वयकारी समिति (Co-ordinating Committee) को भेजा जाता है। यदि इस समिति को रिपोर्ट पर भी समझौता नहीं होता, तब दोनों ही सदन भग करके नवीन निर्वाचन होते हैं।¹

सोवियत रूस और यूगोस्लाविया के द्वितीय सदन के इस सक्षिप्त वृत्तात से स्पष्ट है कि समसामयिक विश्व मे सर्वाधिक प्रातिकारी परिस्थितियों के अधीन स्थापित सधीय राज्यों मे भी द्वितीय सदन वा कार्य महत्वपूर्ण समझा जाता है। हो सकता है कि इन दोनों राज्यों मे राजनीतिक व्यवहार उन उच्च साविधानिक उद्देश्यों से जो कि कागज पर प्रकट किए गए हैं, पूरी तरह मेल न खाता हो किन्तु भविष्य के लिए यह बात शायद महत्वपूर्ण है कि कम-से-कम उद्देश्य तो लेख मे विद्यमान है।

९ निष्कर्ष

यह विश्लेषण, जो कि बहुत-कुछ विस्तृत और कदाचित् विलम्ब प्रतीत हुआ हो, किर भी बहुत सक्षिप्त है, क्योंकि इसमे अनेक रोचक बातों अनियार्यत छोड़ दी गई है। हमारा मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी का ध्यान उन मुख्य विषयों की ओर आकर्षित करना रहा है, जो उन द्वितीय सदनों के, जो कि विश्लेषण के योग्य हैं, साविधानिक कृत्यों पर बल देते हैं। ऐसे विश्लेषण से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष इस प्रकार हैं —प्रथम, आज बहुत कम राज्य एक सदनी विधानमंडल से सतुष्ट हैं, द्वितीय, द्वितीय सदन का निर्वाचन जितना ही लोक-नियन्त्रण से दूर रहता है उतना ही वह सदन राजनीति की वास्तविकताओं से विलग हो जाता है और शक्ति खो देता है, तृतीय, ऐसी अवस्था मे यह भावना पाई जाती है कि द्वितीय सदन को निष्क्रिय न होने दिया जाए, बल्कि उसे सुधार के हारा किर से सजीव बनाया जाए, और चतुर्थ, सधीय प्रणाली के सफल सञ्चालन के लिए वास्तविक शक्ति दासा द्वितीय सदन आवश्यक है, हालांकि कुछ हाल ही मे उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए, विशेष रूप से आस्ट्रेलिया के तथावाद के सबध मे, यह कथन कुछ रक्कों के सहित ही किया जा सकता है। तुलनात्मक राजनीति के किसी भी विद्यार्थी के लिए निष्पत्त ही इन प्रश्नों का बड़ा महत्व है, और ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉंड्रेस के सम्भाव्य सशोधित रूप के बारे मे विचार करते समय ब्रिटेन के नागरिक के लिए इनका विशेष महत्व है।

¹ अध्याय 5 देखियेगा।

10

विधानमंडल

[३] प्रत्यक्ष लोक नियन्त्रण

१. प्रचलित प्रथा को पृष्ठ सूमि

तब्बे का तर्कारा है कि पिछले दो अध्यायों में विधानमंडला का जो विष्लेषण किया गया है उसके बाद हम विधानमंडला के कार्य पर उन प्रथाओं का भी विवेचन कर जिन्हें हम अधिक प्रयुक्त पदावली के अभाव में प्रत्यक्ष लोक-नियन्त्रण (Direct popular checks) वह सकत हैं, क्योंकि सारे रूप में ये अति-लोकतात्त्वीय प्रथाएँ विधान प्रक्रिया को सदनों से बाहर उन सदनों के सूचिकर्ता निर्वाचिका तक पहुँचा देती हैं और इस प्रकार विधानमंडला के कार्य को और कभी-कभी विधायकों के कार्यकाल को भी परिसीमित करती है। आजवल विभिन्न राज्यों में ऐसी तीन प्रथाएँ हैं जिनके द्वारा जनता विधि निर्माण के कार्य में भाग लेती है। वे हैं— जनमत सप्रह (Referendum), उपक्रम (Initiative) और प्रत्याह्वान (Recall) उनमें से सबसे अधिक प्रयुक्त होनेवाली प्रथा जनमत सप्रह की है जिसका उल्लेख हमने कुछ राज्यों में भाविधानिक सशोधन में किया है। अब हम सामान्य विधि निर्माण में भी उसके प्रयोग का वर्णन करेंगे। उपक्रम ऐसी प्रतिया है जिसके द्वारा निर्वाचिकों को भाविधान द्वारा सामान्य विधियों या सविधान वे सशोधन का या दोनों का सुवर्पात करने की अनुमति प्राप्त होती है। प्रत्याह्वान से असन्तुष्ट निर्वाचिकों को निर्वाचिना के मध्य-काल में पहुँच प्रस्ताव करने का अधिकार प्राप्त होता है कि उनका प्रतिनिधि हटा दिया जाय और उसके स्थान पर ऐसा व्यक्ति रखा जाय जो लोक-इच्छा के अधिक अनुकूल हो।

जनमत सप्रह (Referendum) का जो सोनकिंद्रेश (Plebiscite) भी वहा जाता है, जैसा समझा जाता है उससे भी लम्बा इतिहान है। रोम के गण-सत्रीय युग में प्लेबिसिटम् (Plebiscitum) से व्याथार्थ में उम विधि का थागय था जो कामिटिया द्विव्यूग अर्थात् लोगों अर्थात् माधारणजना (Plebs) की सभा में पारित हुई हो, फिर भी इससे आधुनिक कानून में जनता के मत के लिये अपील के अर्थ में व्यक्ति भाषा के शब्द प्लेबिसिट का प्रयोग समूचित मालूम होता है। परन्तु पिछले कुछ वर्षों से प्लेबिसिट शब्द अप्रचलित हो गया है और उसकी जगह

रेफरेंडम शब्द का प्रयोग होता है जिसे अब फ्रेंच लोग भी पसन्द करने लगे हैं। (वास्तव में, पचम गणताव के सविधान में इस शब्द का बहुवचन में प्रयोग हुआ है —les Referendums)। जिन दिनों श्रेयम नेपोलियन ने शासन के तत्कालीन यद्य परी प्रवचना करने के साधन के रूप में शक्ति प्राप्त करने के त्रै में इसका कई बार प्रयोग किया था उन दिनों इस प्रथा को प्लेविसिट की बहते थे। उसके भातीजे तृतीय नेपोलियन ने भी इसी प्रकार प्लेविसिट द्वारा पहले 1848 में द्वितीय गणताव के प्रेसिडेंट के पद के लिये निर्वाचन कराया, 1851 में विप्लव द्वारा गणताव का अन्त (Coup d'état) इसी विधि से किया, अगले वर्ष द्वितीय साम्राज्य का अनुमोदन प्राप्त किया और अन्त में 1870 में साम्राज्य के 'उदारीकरण' के लिये भी, जिसके साथ एमिलो ओलिविए वा नाम जुड़ा हुआ है, अनुमोदन प्राप्त किया।

सोलनिदेश (प्लेविसिट) का ऐसा ही दुरप्रयोग, जो दोनों नेपोलियनों द्वी चालों में स्पष्ट दिखाई देता था, जर्मनी में हिट्लर के सत्तारोहण के प्रथलों में भी दिखाई देता है, क्योंकि हिट्लर ने अपने राजनीतिक कार्यों के लिए कार्य होने के बाद में जनता की अनुमति प्राप्त करने के लिए ऐसे लोरनिदेश या जनमत समझो वा वई बार अयोजन किया। प्रथम जनमत समझ जर्मनी द्वारा राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) और निःश्वाकरण सम्मेलन के परिणाम के लिए जनता का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये नवम्बर 1932 में हुआ। द्वितीय जनमत समझ अगस्त सन् 1934 में हुआ, जिसमें हिटलर गी की मृत्यु के उपराता चामलर और राष्ट्रपति दोनों पदों को पश्चात्र में (अपने में) शामिल कर लेने के हिट्लर के कार्य का अनुमोदन करने की राष्ट्र से माग की गई थी। इन दोनों अवसरों पर 90 प्रतिशत से भी अधिक भर्त हिट्लर के पक्ष में प्राप्त हुए। इन जनगतों के परिणामों के आधार पर ही नाजियों ना यह दावा था कि हिट्लर की विजय बलपूर्वक शक्ति हथियाने से नहीं हुई बल्कि जनता के बैध मत के परिणामस्वरूप हुई, और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि इसके द्वारा जर्मनों ने नाजी निरकुशतत के बैध रूप प्रदान कर दिया और चार वर्ष के बाद जब, सन् 1938 में, जर्मनों और आस्ट्रियनों ने 99 प्रतिशत से भी अधिक मत के द्वारा आस्ट्रिया के जर्मनी के साथ सम्बोधन का अनुमोदन किया, तब भी इस तर्क में कोई दुर्बलता नहीं आई।

अलग-अलग समय पर लोवनिदेश (प्लेविसिट) का अधिक उचित प्रयोग इटली के एकीकरण की आरभिक अवस्थाओं में हुआ था। सन् 1859 में पारमा, मोदीना और टुस्कनी की छत्रियों (इमूरो द्वारा शासित राज्यों) की जनता ने साइटिनिया के राज्य में अपने विलय के पक्ष में भारी बहुमत से निर्णय किया था और 1860 में दोनों सिसिलियों (Two Sicilies) ने भी ऐसा ही किया था। ताँये और स्वीडन के पृथक्करण के लिये भी 1905 में इसका प्रयोग हुआ था।

उस अवसर पर नॉर्वे की संसद् (Storting) ने 1814 से संदिग्ध रूप में प्रबत्त-भान एक ही राजा के अधीन स्वीडन के साथ सम्पोग के अन्त की घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और नॉर्वे की जनता ने लोक निर्देश द्वारा एक विशाल बहुमत से इस निर्णय का अनुमोदन किया।

प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् भी जनता के उन छोटे-छोटे समूहों के द्वारा, जो महायुद्ध के फलस्वरूप मुक्ति प्राप्त करने पर भी अपनी पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की स्थापना में असमर्थ थे, राजनीतिक भविष्य को निश्चित करने के लिए लोक-निर्देश के साधन का अवाध रूप से प्रयोग किया गया था। यह उस आत्मनिर्णय की मार्ग का तार्किक परिणाम था जो युद्ध विराम के दिनों में राष्ट्रपति विल्सन के शाति कार्यक्रम का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अग थी। उसके कथनानुसार यदि सम्मिलन (Annexations) नहीं किया जाना था तो यह अनिवार्य था कि कुछ जनसमूह, जिनके लिए अपने-आपको प्रभुत्व सम्पन्न राज्यों के रूप में स्थापित करना सम्भव नहीं था, जो कई समूहों के सम्बन्ध में सत्य भी था स्थिय इस बात का निर्णय करे कि उन्हें किस राज्य से सम्बद्ध किया जाए। उदाहरणस्वरूप इलेस्विंग को, जो कि पहले प्रश्ना का अग था, यह निश्चित करना था कि वह उसकी अधीनता में रहना चाहता है या डेनमार्क की अधीनता में, ऐलेन्स्टीन को, जो कि पहले जर्मन था, पूर्वी प्रश्ना और पोलैंड में से, दक्षिणी साइ-लेशिया को, जो कि पहले प्रशियन था, जर्मनी और पोलैंड के बीच में से, और बलेगनपुर्ट नामक जिले को आस्ट्रिया तथा यूगोस्लाविया के बीच में से किसी एक के पक्ष में निश्चय करना था। इन सबके सबध में लोकनिर्देश लिए गए और दक्षिणी साइलेशिया के सिवाय, जिसका विभाजन बाद में पच-निर्णय के द्वारा जर्मनी और पोलैंड के बीच में विद्या गया, लोकनिर्देश में निर्णयों को बड़ी शक्तियों ने मान लिया।

ऐसे जनभत से राजनीतिक निष्ठा के ताकालिक प्रश्नों का समाधान भले ही हो गया हो, परन्तु उससे बास्तव में योरोप के नए अववा अभिवृद्धि राज्यों में अल्पसंख्यकों की समस्या हल नहीं हो सकी। इस सम्बन्ध में लोकनिर्देश ने उसी तरह वी कमजोरी दिखाई जैसी कि हम पहले फासीसी लोकनिर्देश के सम्बन्ध में देख चुके हैं। मतदान हो जाने के पश्चात् यह प्रतीत होता था कि जनता वो इस भाँति वी गई व्यवस्था वा सदैव वे लिए समर्थन करते रहना चाहिए। राजनय के द्वारा एक बार लोकनिर्णय वा प्रबन्ध भले ही कर लिया जाए, विन्तु इस बात वी पक्षी व्यवस्था जिस प्रकार हो सकती थी कि जिस राज्य में अल्पसंख्यक-वर्ग सम्मिलित हुए हो उसम उन्हें मूल नागरिकों के साथ अधिकारी वी समानता प्राप्त होती रहेगी। निस्तदेह अल्पसंख्यकों की समस्या प्रथम विश्वयुद्ध के द्वारा छोड़ी हुई अद्यन्त विषम हाजरीतिक समस्याओं से प्रभुत्व भी और इसको हल न

पर सरने के बारण योरोप और प्रिंस ने वही हानि उठानी परी। उस समय सोसाइटी देश ही आत्मनिर्णय का एक आदर्श उपररण और सोसाइटी के लिए विश्व का निरापद बनाने का सुनिश्चित गाथन प्रतीत हाना था। परन्तु यास्तव में उनके परिणामों को ऐसे विरकुश शामाज़ के आवश्यक ने विहृत पर दिया जिनके स्वयं इन पदनि का प्रयोग अपनी निरकुशता को वैधानिक रूप देने के लिए दिया था।

2 अंतंमान से जनमत संप्रह

आजकल जनमत संप्रह का प्रयोग कुछ नये मरिधानों में और पुराने सविधानों की धाराओं के सामोधन में होता है। जैसा हमने कहा है, उसका प्रयोग एक या दोनों प्रयोजनों के लिये अर्थात् साविधानिक सामोधनों के अनुभोदन और सामान्य विधान की लोक-न्यौतीति के लिये हो सकता है। पुछ राविधानों में जनमत संप्रह इनमें से इसी एक या दोनों के लिये अनियार्थ है, अन्य सविधानों में वैनलिया है कि वह कुछ प्रकार की बातों के लिये, जाहे वे साविधानिक बोटी की ही या सामान्य विधि-निर्माण सम्बन्धी हो, अनियार्थ और अन्य बातों में वैनलिया हो सकता है।

जैसा हम पहले देख चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया, हेन्मार्क, आयर, फ्रान्स, इटली, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड (हालाति वही इगवा प्रयोग बहुत ही सीमित ढंग से होता है), और यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ व्यक्तिगत राज्यों में जनमत संप्रह का प्रयोग साविधानिक सामोधन के लिये होता है। जर्मनी के बेयर गणतन्त्र के सविधान में भी उत्तरी व्यवस्था थी, परन्तु जर्मनी के राष्ट्रीय गणतन्त्र (1949) की मूल विधि में जनमत संप्रह का एकमात्र निर्देश अनुच्छेद 29 में है जिसका सम्बन्ध मूल विधि के अग्रीकार के समय निर्धारित विभिन्न राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से है। उसमें कहा गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को भूमि का अन्तरण सम्बन्धित राज्य में और सम्पूर्ण राष्ट्रीय गणतन्त्र में जनमत संप्रह में जनता के वहुमत के बिना नहीं हो सकेगा।

आजाल सामान्य विधि-निर्माण के लिये जनमत संप्रह कई राज्यों में जिनमें इटली, फ्रान्स, स्विट्जरलैंड और सायुक्त राज्य के कुछ व्यक्तिगत राज्य भी शामिल हैं, साविधानिक व्यवहार का भरा है। आयर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सविधानों में भी इसकी व्यवस्था है, हालाति विद्युते दोनों राज्यों में इसका प्रयोग अंतंमान शताब्दिया में बहुत ही अच हुआ है।

इटली के गणतन्त्र में, 1947 के सविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, 500,000 मतदाता या पाँच प्रादेशिक परिषदों की सीमा पर (वित्तीय विधियों या सधियों को छाड़) इसी भी विधि के पूर्ण या भागिर निरान या निर्णय

करने के लिये जनमत सप्रह होना है। यदि बहुमत पक्ष में हो तो प्रस्ताव अनुमोदित हो जाता है, वशर्ने हि जो मनदाता उम्में भाग लेने के अधिकारी है उनकी बहुमत सम्भव बतान वर्ते। पचम गणतंत्र के संविधान (1952) के अवीन जनमत सप्रह की अवस्थाएँ इसी तरह से सीमित की गई हैं। ये मर्यादाएँ जनुल्लैंड 11 में दी गई हैं जो इस प्रकार है—

'संसदीय सदनों के दौरान म गरकार के प्रस्ताव या दानों मदनों के संयुक्त प्रस्ताव पर, जिसका प्रकाशन सरकारी गजट (Journal official) में हो चुका हो, गणतंत्र वा प्रेमीडेण्ट किसी ऐसे विधेयक को जनमत सप्रह के लिये प्रस्तुत कर सकता है, जिसका सम्बन्ध मरकारी मताओं के सम्बन्ध, जिसमें ममाज (अर्थात् मेट्रोपॉलिटन फ्रान्स और उसके समुदपार के प्रदेश) के करार का अनुमोदन आवश्यक हो या जो ऐसी सधि के अनुममर्थन को प्राधिकृत करने की व्यवस्था बरता हा जिसका, संविधान का उल्लंघन न करते हुए बर्तमान संस्थाओं के बार्य पर प्रभाव पड़ता हो।'

सिवट्जर्लैंड में संघीय विधानमंडल द्वारा पारित समस्त विधियों और स्वीकृत प्रस्तावों के लिए लोड निवेशन अनिवार्य होता है यदि उसकी माग या तो 30,000 नागरिकों द्वारा या किन्हीं भी आठ केष्टनों (प्रातों) के विधान मंडल द्वारा बीं जाए, और यदि संघीय विधानमंडल उस प्रस्ताव को 'अत्यावश्यक' पोषित न कर द। यदि जनमत सप्रह होता है और जनता का बहुमत प्रस्तुत विधि के विरोध में हो, तो वह विधि प्रभावशून्य हो जाती है। इसी भावि, आठ केष्टनों में सभी विधिया, अनिवार्य रूप से, जनमत सप्रह के लिए प्रस्तुत बीं जानी चाहिए। यह अनिवार्य जनमत सप्रह कहनाना है। अन्य मात केष्टनों में, यदि नागरिकों की एक निश्चिन संख्या (जो कि विभिन्न केष्टनों में विभिन्न है) जनमत सप्रह की माग करे, तो जनमत सप्रह होना ही चाहिए। यह बैकलिपक जनमत सप्रह है। तीन अन्य केष्टनों म यह व्यवस्था है कि विशिष्ट प्रकार की तुल विधिया तों किसी भी दणा म, और अन्य विधिया नागरिकों की संख्या के एक निश्चिन अनुपान द्वारा माग होने पर जनता के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ती है। योप केष्टना के अधिकार में जनगट्या इनी रूप है कि वहा प्रत्यक्ष लोकतंत्र बर्तमान है (अर्थात् वहा समस्त जनता गे ही विधानमंडल का निर्माण होता है) और ऐसी अवस्थाओं में, निश्चय ही, जनमत सप्रह बनावश्यक होगा।

गयुक्तराज्य में संघीय विधियों में किसी भी प्रयोजन के लिए जनमत सप्रह का प्रयोग भी विया जाता, परन्तु उसके अनेक राज्यों में, पिछों वर्षों में जनमत सप्रह और माय ही लोकोपक्रम तथा प्रत्याहान का प्रयोग विया जाने लगा है। जनमत सप्रह, एक रूप में, अमरीकी राज्यों म बोई नर्स बात नहीं है, क्योंकि गणतंत्र के प्रारम्भिक दिनों में राज्यों के संविधानों का विधिनियमन प्राय लोकमन

से हुआ था, और विधानमंडल अथवा विशिष्ट मम्मेलन द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को जनना के गमदा प्रस्तुत करने की प्रया तब से ही चालू रही है। परन्तु बाद के कपों में इस पढ़ति का अधिक विकास हुआ है और अनेक राज्यों में ऐसी व्यवस्था की जा चुकी है जिसके अधीन नायरिकों की एक निर्दिष्ट मह्या (जो कि निर्वाचिकों के पात्र से दम प्रतिशत तक होती है) यह माम कर सकती है कि विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम जनना को स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए प्रमुख विषय जाए। यह व्यवस्था सामान्य रूप से आरेगान, कोलारेडो और केलीफॉर्निया जैसे पाइवात्य राज्यों में है हालांकि मेसन्टेटस सदृश पुरान राज्य न भी इस व्यवस्था और इसके साथ ही लोकोपक्रम का भी अग्रीकार किया है। स्विट्जरलैंड के भारत, यूनाइटेड स्टेट्स में भी अधिकांश राज्य, विधानमंडल द्वारा अत्यावश्यक ममत्वे जाने वाले अधिनियमों को जनमन सम्रह की प्रक्रिया से मुक्त कर देते हैं। इस गतिका प्राय दुरुपयोग हो सकता है और अत्यावश्यकता का टप्पा दृढ़ विना किसी औचित्य के जिसी भी विधि पर उसे सार्व-अस्वीकृति की मम्भावना से बचाने के लिय लगा दिया जाना है।

3 उपक्रम और प्रत्याह्रान

उपक्रम, जिसका उद्देश्य जनना को ऐसी विधि का मूल्यपान करने या उसे प्रस्तावित करने की शक्ति प्रदान करना है जिस पर विधानमंडल को विचार करना ही चाहिए, विधानवाद की परिधि के अन्दर जनमन सम्रह में भी वहाँ अतिसोत्तरीय प्रया का विकास है। यह आवश्यक है कि उपक्रम का अध्ययन जनमन सम्रह से पृथक् किया जाए, क्योंकि यद्यपि इन दोनों का संदानिक मूलांगार एक ही है तो भी जिन परिस्थितियों में इनका प्रयोग होना है, वे विभिन्न हैं, क्याकि, जैसा एक विद्वान् का मत है, जहा जनमन सम्रह विधानमंडल के अनुचित कामों के अभिशाप से जनना की रक्खा करता है, वहा उपक्रम उसके कार्य न करने के अभिशाप का उपचार है। 'जनमन सम्रह' के पश्च म दी जाने वाली युक्तिया के अलावा उपक्रम के लिए यह युक्ति भी दी जानी है कि विधानमंडल उपयुक्त रूप से जनना के दृष्टिकोण का प्रनिनिधित्व नहीं करने हैं और चूंकि जनमन सम्रह का सम्बन्ध केवल विधानमंडल द्वारा लिए गए प्रस्तावों में ही है, इनलिए केवल उससे वुराइयों के खिलाफ पर्याप्त गारंटी नहीं प्राप्त होती। परन्तु हम बीमान्त्री उपक्रम और जनमन सम्रह दोनों को माथ-माय बाग करते हुए देखते हैं जिसम जनना द्वारा उपक्रमित प्रस्ताव, विधानमंडल के द्वारा पारित हो जाने के पश्चात् अग्रिम अनुमोदन के लिए उसके पाम बापम आने हैं। समार में ऐसा कोई देग नहीं है, जहा जनमन सम्रह के विना उपक्रम विद्यमान हो।

स्विट्जरलैंड में, जैसा कि हम बता चुके हैं, जनमत संग्रह का प्रयोग साविधानिक सशोधनों, विधियों और प्रस्तावों के लिए बैण्टन के तथा सभीय दोनों मामलों में किया जाता है, वहां लोकोपक्रम का भी दोनों में प्रयोग होता है, परन्तु वह सभीय मामलों में इतना पूर्ण नहीं है जितना कि बैण्टन के मामलों में। जैसा हम देख चुके हैं, कॉनफ़ेडरेशन में कोई भी 50,000 नागरिक सभीय सविधान के सशोधन अथवा पूर्ण परिशोधन का प्रस्ताव कर सकते हैं। कैण्टनों (प्रांतों) में लोकोपक्रम के प्रयोग के लिए विनियम और भी व्यापक हैं और उनके अन्तर्गत केवल साविधानिक विषय ही नहीं बरच साधारण विधिया और प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं। जेनेवा के सिवाय (जिसके सविधान का प्रत्येक पद्धति वर्षों में अपने-आप ही परिशोधन होता है) समस्त बैण्टनों में नागरिकों की एक निर्दिष्ट संख्या, जो विभिन्न बैण्टनों में विभिन्न है, या तो सविधान के सामान्य परिशोधन को माग कर सकती है अथवा विशिष्ट सशोधनों का प्रस्ताव कर सकती है। इसके अलावा, सब से छोटे तीन के सिवाय समस्त बैण्टनों में नागरिकों की एक निर्दिष्ट संख्या या तो पूर्णरूप से तैयार किए गए मसीदे के रूप में एक नई विधि या प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है, या कैण्टन की परिपद् द्वारा मसीदा तैयार करने के लिए किसी विधि या प्रस्ताव का सिद्धान्त प्रस्तुत कर सकती है। पहली दशा में विधेयक सीधे ही जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, दूसरी दशा में परिपद् जनमत संग्रह द्वारा जनता से पूछती है विवरण विधेयक का मसीदा तैयार करने का काम हाथ में लिया जाए, और, यदि वह सहमत हो जाती है तो, विधेयक तैयार करके जनता के अनुमोदन या अस्वीकृति के लिए अतिम रूप से उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

सयुक्तराज्य भे उपक्रम का प्रयोग उतने राज्य नहीं करते जिन्हें जनमत संग्रह का वरते हैं। कुछ राज्यों में उपक्रम विधियों के लिए और अन्य राज्यों में साविधानिक सशोधनों के लिए प्रचलित है। उपक्रम की व्यवस्था के अधीन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले नागरिकों की संख्या किसी भी सम्बन्धित राज्य के निर्वाचितों की पाच से लेकर पन्द्रह प्रतिशत तक होती है, परन्तु कुछ राज्यों में एक विशिष्ट संख्या निर्दिष्ट है। उन राज्यों में जो उपक्रम का प्रयोग साविधानिक तथा साधारण दोनों विधियों के लिए करते हैं, प्रतिया के सम्बन्ध में वोई भी अन्तर नहीं है। फलस्वरूप, प्राय साधारण विधियों को साविधानिक सशोधनों के रूप में रखा जाता है, और इस भावि, यदि वे पारित हो जाती हैं, तो वे बाद में विधान-मंडल की मामूली कार्यवाही से निरस्त नहीं की जा सकती।

वेमर गणतान्त्र के अधीन जर्मनी के सविधान में उपक्रम के सिद्धान्त को स्थापित करने वाली एक मार्क की धारा (73) थी। उसमें कहा गया था कि यदि भतदान के अधिकारी व्यक्तियों का दगमाश किसी विधेयक के (जिसका मसीदा पूरी तरह तैयार किया हुआ होता चाहिए) पेश किए जाने के लिए निवेदन नरता है,

तो सरकार वो उरो राइबरटाग में प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि राइबरटाग उसे पारित बर देती थी तो विधि वो यिना विसी अन्य कार्यवाही के प्रश्नापित बर दिया जाता था किन्तु यदि वह वह इसे पारित नहीं बरती थी तो विधेयक को जनमत राष्ट्रह के लिए प्रस्तुत बरना पड़ता था। उपत्रम का एक इसी प्रकार वा उदाहरण इटली के गणतन्त्र वे नए सविधान में है। उस सविधान वे अनुच्छेद 71 वे अनु सार कोई भी पचास हजार निर्वाचक उचित रूप से तैयार किया हुआ और भी विधेयक विचार के लिए प्रस्तुत बर सबते हैं।

प्रतिनिधियों या अन्य निर्वाचित पदाधिकारियों का प्रत्याह्रान आधुनिक राजनीति में अभिनव जनशक्ति है, हासारि यह विलकुल ही नई पद्धति नहीं है। उदाहरणस्वरूप फ्रांसीसी क्रान्ति वे दौरान में असतोपजनक प्रतिनिधि वे उसके निर्वाचिकों द्वारा हटाए जाने के लिए व्यवस्था करने वा एक सुन्नाव दिया गया था, यद्यपि वह कलीभूत नहीं हुआ था। परन्तु वर्तमान समय में समुक्तराज्य के कुछ राज्यों में ही इसका पूर्णरूप से प्रयोग हुआ है। उदाहरण के तौर पर ऑरिगान राज्य वी विधि में यह व्यवस्था है कि यदि निर्विष्ट सख्ता में नागरिक विसी निर्वाचित पदाधिकारी की चाह वह विधानमडल का हो या कार्यपालिका का पदच्युति वी माग करते हुए आवेदनपत्र प्रस्तुत बरे, तो दस विषय पर जनमत लिया जाएगा और यदि मतदान में बहुमत उस अधिकारी के विरुद्ध हो, तो वह वदच्युत निया जाएगा और उसके पद वी अवधि वे शेष भाग वे लिए उसके स्थान की पूर्ति वे लिए नया निर्वाचित होगा। इस प्रक्रिया को अन्य अमरीकी राज्यों ने भी अगीकार दिया है और उसे प्रायः सफलता प्राप्त हुई है, यद्यपि विधानमडल के सदस्यों के मामले में वह बहुत कम सफल हुई है। अन्य राज्यों में इसका प्रयोग और भी व्यापक है तथा यह न्यायाधीशों वो भी लागू वी गई है जो निर्वाचित होते हैं, यहा तक कि एक राज्य (कोलोरेडो) में तो न्यायाधीशों वे निर्णयों के सम्बन्ध में भी इसका प्रयोग निया जाता है। इन्तु न्यायाधीशों वे निर्णय के सम्बन्ध में यह प्रयोग अराधिधानिक घोषित कर दिया गया था। जनमत राष्ट्रह और उपक्रम वी भाति प्रत्याह्रान भी, साधारण रूप से, पश्चिमी अमरीकी राज्यों तक में सीमित है।

सासार में किसी भी अन्य राष्ट्र ने प्रत्याह्रान को इस रूप में नहीं अपनाया है। यह सत्य है कि रूसी सोवियत गणतन्त्र के मूल सविधान में इसकी व्यवस्था थी, परन्तु सोवियत रूस के सन् 1936 के सविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। स्विटजरलैंड में एक योजना है जो व्यवहार में प्रत्याह्रान से कुछ मिलती-जुलती है। यहाँ के सात केष्टनों में जनता एक विशिष्ट बहुमत वे द्वारा यह माग बर राकती है कि केष्टन की विधानसभा का उसकी अवधि वी समाप्ति के पूर्व ही विषट्टन और पुनर्निर्वाचन किया जाए।

४ इन साधनों के पक्ष और विपक्ष में दलीलें

जनमत सप्रह, उपक्रम और प्रस्तावना के, उन राज्यों में, जिनमें इनका प्रयोग हुआ है, प्रयोग से हम दिन निष्पक्षों पर पढ़ते हैं? प्रथम, जनमत सप्रह विधानमंडला की, जो अपने निर्वाचकों द्वारा दिए गए आदेश की उपेक्षा करते हुए कार्य करते हैं, नुटियों को छोड़ करता है। द्वितीय, यह निर्वाचितों और निर्वाचकों के बीच एक लाभदायक और स्वस्य मामूल काप्रम रखता है जो कभी-कभी ही होने वाले सामान्य निर्वाचनों द्वारा सर्वदा मुनिश्चिन्तन नहीं होता है। तृतीय इससे यह सुनिश्चित हा जाता है कि ऐसी बोई भी विधि जो लोक-भावना के विरुद्ध हो पारित नहीं होगी। उपक्रम के पक्ष में भी यही तर्क दिए जा सकते हैं, परन्तु उनके उपयोग के लिए एक कारण और भी है। जनमत सप्रह से विधान-मंडल द्वारा विचारित विषयों पर ही लोगों को भनवान करने की अनुकूल प्राप्त होती है। परन्तु उसमें प्रतिनिधि-सम्बन्ध से स्वतंत्र रूप में जनता के प्रस्तावों के लिए कोई अवकाश नहीं मिलता। यह तर्क दिया जाता है कि यदि जनता किसी विधि का अनुमोदन या अनुमोदन करने के लिए ममर्य है तो वह स्वयं ही प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए भी समर्थ क्यों नहीं मझही जाती? यही बात प्रस्तावना के मम्बन्ध में भी है। यदि लोगों को प्रतिनिधि चुनने की शक्ति दी गई है तो उन्हें उसे हटाने का भी अधिकार क्यों न दिया जाए? यदि उनके मत में वह अपने वर्तन्यपालन में असफल हो तो क्या यह अधिकार पहले अधिकार में उपलब्धित नहीं है?

दूसरी ओर, इन माध्यनों के उपयोग के विरुद्ध कई तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जहाँ तक जनमत सप्रह की बान है, यदि वडे राज्य में उसका वारदात प्रयोग किया जाए, तो ममव है कि इससे विधियों के प्रत्यापन में इनका विलम्ब हो जाए, जिसमें समाज उन लोगों से बचिन रह जाएगा, जिनके लिए उन विधियों का निर्माण किया गया है, अथवा वे बुरादेह, जिनको दूर करना विधियों का आशय है, चाहूँ रहेगी। दूसरी ओरपि यह है कि मध्यन औदोगिक समाज में इस बान की मभावना रहेगी कि वे विभिन्न मन, जो प्रम्नुत विधियों के मध्यध्य में इसके बारण प्रवृट किए जा सकें, अन्त में एक-दूसरे को निष्कल कर देंगे, और इस भावन मध्यन प्रगतिशील विधि-निर्माण पूर्णनया निर्यक हो जाएगा। इसके साथ ही, आधुनिक परिस्थितियों में, विधि निर्माण इननी उच्च सीमा तक एक विशिष्ट विषय बन गया है कि एक सुविज्ञ नागरिक भी जनता के विचार के लिए प्रस्तुत समस्त विधेयों को वे व्योरों को समझने की आज्ञा नहीं कर सकता, जिन पर विधानमंडल में सावधानी के साथ विचार विभर्ण हो चुका होना है। फूर्म्बहूप, इसमें या तो अज्ञान प्रतिष्ठित होगा या उदानीनना उत्पन्न होगी जिसमें यह मारी योजना

ही बेकार हो जाएगी। इनके अतिरिक्त उपक्रम के विश्व अन्य आपत्तिया भी हैं। एवं लेखक का कथन है कि "यह लोगों के सामने ऐसे विधेयक प्रस्तुत करता है, जो समसीय अलोचना भी कठोरी पर नहीं कर से गए है। ऐसी स्थिति में यदि उनका मसौदा असावधानी से या अव्यवस्थित रूप से तैयार किया गया हो, और यदि उन्हें अधिनियम बना दिया जाए, तो वे विधि में उलझन और अनिष्टितता उत्पन्न कर देंगे और मुकदमेवाजी को बढ़ावा मिलेगा।" इसके अतिरिक्त उपक्रम से विचारहीन नेताओं अथवा अप्ट गुटों को ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिससे वे जनसमूह के अग्रान और उसकी गैरजिम्मेदारी का अनुचित लाभ उठावर राज्य को भारी हानि पहुंचा सकेंगे।

उपक्रम के सम्बन्ध में ये आपत्तिया और भी अधिक शब्द बन जाती हैं जब कि उनका प्रयोग साविधानिक विधि के सम्बन्ध में किया जाता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं सविधान एक मूलभूत वस्तु होता है, और उसमें केवल बड़े विचार-विमर्श के पश्चात् ही परिवर्तन करना चाहिए। यदि वह जनता के द्वारा तैयार किए गए मसौदे और मतदान के द्वारा जोड़े गए विधियों का सकलन बन जाता है, तो वह अपने सारभूत रूप को यो बैठेगा और अव्यावहार्य उपबन्धों का एक ज़मेला बन जाएगा। ऐसी परिस्थिति सभवतया पहले अराजकता को और फिर निरकुशबाद को जन्म देगी, और उस स्थिति में यह लोकप्रिय साधन अपने लक्ष्य को ही निष्पत्ति कर देगा। साविधानिक प्रणयों के लिए उपक्रम की अपेक्षा जनमत सम्बन्ध अधिक उपयुक्त है तथा इसका एक और अच्छा उपयोगी प्रयोग उन गत्यावरोधों को दूर करने के लिए हो सकता है, जो द्विसदनी विधानमंडलों में सदनों के बीच उत्पन्न हो जाते हैं, इगलैंड में सन् 1909 में जब लॉंड-समा ने बजट को पारित करने से इनकार कर दिया और सकट उत्पन्न हो गया, उस समय एक बार इसका प्रस्ताव किया गया था, हालांकि वह स्वीकृत नहीं हुआ।¹

प्रत्याह्रान के सम्बन्ध में आपत्तिया बहुत है। अमरीका में ऐसे उदाहरण हैं जिनमें इसने अच्छा और राज्य के हित में काम किया है, परन्तु इसके विरोधी यह कहते हैं कि इससे कर्मचारियों में भीखता तथा दासत्व की भावना उत्पन्न होती है। यदि विधान-निर्माताओं पर इसका प्रयोग किया जाए तो यह खतरा है कि प्रतिनिधि प्रत्यायुक्त मात्र बनकर रह जाएंगा, वह किसी भी सत्रिय तथा कपटपूर्ण गुट के

¹ यिहेन में जनमत सम्बन्ध के एक रूप का प्रयोग कभी कभी रथानीय समस्पाओं पर जनमत को अभिव्यक्ति के लिये किया गया है। उदाहरणार्थ, ऐसा १९६१ में चेल्स में हुआ था जब कि जनता ने काउण्टियों और काउण्टीबरो (County boroughs) के सम्बन्ध में रविवार के दिन मधुशालाओं को खुले रखने के प्रश्न पर मतदान किया था।

द्वूपित प्रहरों का शिकार बन जाएगा और इससे लोकसेवा की भावना बदले व्यक्ति सार्वजनिक जीवन से हट जाएगे। यदि इसका प्रयोग कार्यपालिका पर किया जाए तो इससे निषिद्ध ही सत्ता निर्वाल हो जाएगी और श्रेष्ठ व्यक्ति सरकारी पद प्रहण नहीं करेंगे। न्यायाधीशों के सम्बन्ध में तो इसके प्रयोग करने का कोई औचित्य ही नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनका क्षेत्र शासन के अन्य दो विभागों से अधिक विशिष्ट है। यदि प्रत्याह्रान वा प्रयोग न्यायाधीशों के सम्बन्ध में किया जाए तो वे जनसमूह की मनक के शिकार बन जाएंगे और इससे उनकी पदावशि वो वह सुरक्षा समाप्त हो जाएगी, जो, जैसा हम कह चुके हैं, राज्य के कल्याण के लिए आवश्यक है।

अपने अध्ययन के इस अंश से हमारा यह निष्कर्ष निकलता है कि सम्यता की बत्तेमान अवस्था में साविधानिक लोकतंत्र ने जितना भार बहु सहन कर सकता है उससे वही अधिक भार ले लिया है। लॉर्ड ब्राइटन ने ठीक ही कहा है कि "नायरिक वर्तन्य के स्तर को ऊचा उठाना सस्थाना में परिवर्तन करने की अपेक्षा अधिक कठिन और लम्बा कार्य है।" राजनीतिक सस्थानों ने उपयोगिता तथा उनका स्थायित्व उस समझ की स्थिति पर निर्भर है जिसे वे जागू होती हैं और यह बात महत्वपूर्ण है कि सस्थाए उनको शियान्वित करनेवाली जनता की सामर्थ्य से आगे नहीं होनी चाहिए।

संसदीय कार्यपालिका

१ कार्यपालिका : हृष्ट और वास्तविक

आधुनिक शासन-व्यवस्था में विधि निर्माण का अत्यधिक महत्व है, फिर भी उसमें कार्यपालिका द्वारा आचारित होने की प्रवृत्ति प्रतीत होती है। इसके दो कारण हैं पहला यह कि आधुनिक कार्यपालिका का सम्बन्ध केवल विधियों को कार्यान्वित करने से ही नहीं किन्तु अनेक अवस्थाओं में विधानमंडल द्वारा स्वीकृत की जाने वाली नीति का मूलपात करने से भी रहता है, और दूसरा यह कि समिक्षिकावादी विद्यान, जिसकी कि हम इससे चर्चा कर चुके हैं, इतना अधिक होता है कि विधियों के पारण पर विधानमंडल का नियन्त्रण होने के बावजूद विधियों को कार्यान्वित करने वाली के हाथों में अपने विवेक से काम करने की काफी शक्ति छोड़ देना आवश्यक होता है। इस प्रकार लोकतंत्र के विकास ने आधुनिक सविधानी राज्यों में एक विरोधाभास पैदा कर दिया है—जनता द्वारा, जिसकी आवश्यकता के लिए विधि-निर्माण अपेक्षित है, निर्वाचित विधानमंडल द्वारा पारित विधियाँ जिनी बढ़ती जा रही हैं, इस प्रकार बनाई गई विधियों को कार्यान्वित करने में अनियक्ति कार्यपालिका शक्ति का धोत्र भी उतना ही बढ़ता जा रहा है।

अतः, कार्यपालिका आधुनिक सविधानी राज्य में कई बातों में शासन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विभाग है, और वहाँ एक और शासन की शक्तियों को सीमित करने और शासितों के अधिकारों को सरक्षित करने के प्रयत्न में सविधान-वाद ने कार्यपालिका-शास्त्रा को परिभासित किया है और उचित सीमाओं के अन्दर रखा है, वहाँ दूसरी ओर लोकतंत्र के विकास ने कार्यपालिकासम्बद्धी कर्तव्यों और उनका निष्पादन करने वाले पदाधिकारियों एवं विभागों की सक्षमता को बढ़ाव अधिक बढ़ा दिया है। अज्ञ के साधारण सविधानी राज्य में कार्यपालिका की शक्तियों को सक्षेप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है—

(१) राजनविक शक्ति—विदेशी भागलों के सचालन से संबंधित।

(२) प्रशासनिक शक्ति—विधियों के निष्पादन और शासन के सचालन से संबंधित।

- (3) सैनिक शक्ति—युद्ध-सचालन और सशस्त्र बल के संगठन से संबंधित।
- (4) व्यायिक शक्ति—सिद्धदोष अपराधियों को प्रदिलम्बन, क्षमा आदि के दान से संबंधित।
- (5) विधान शक्ति—विवेयकों के प्राप्ति बनाने और विधि के रूप में उनको पारित कराने से संबंधित।

जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, 'कार्यपालिका' शब्द वा प्रयोग दो अर्थों में विद्या जाता है। पहले अर्थात् व्यापक अर्थ में, इसका तात्पर्य मन्त्रियों, अन्सैनिक सचा, पुलिस, यहाँ तक ति सशस्त्र सेनाओं के भी सम्पूर्ण निकाय से है। दूसरे अर्थात् सचीण अर्थ में, इसका तात्पर्य कार्यपालिका विभाग के सर्वोच्च अधिकारी से है। वर्तमान और अगले बध्याय में हमारा सम्बन्ध कार्यपालिका के इस द्वितीय अर्थ से ही रहेगा। हमको केवल नाम से ही भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, जिसके आधार पर कार्यपालिकाओं को अक्सर वशानुगत और निर्वाचित इन दो बगों में विभाजित किया जाता है। जिसके आधार पर राज्यों को एकत्री और गणतन्त्रों में विभाजित किया जाता है। जैसा कि हम वह चुके हैं, इससे कोई बात स्पष्ट नहीं होती। हमको तो इससे आगे बढ़कर यह पूछना चाहिए कि क्या वशानुगत कार्यपालिका अथवा निर्वाचित कार्यपालिका वास्तविक है या केवल नाममत्त? प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व वर्तिपय योरोपीय राज्य—उदाहरणार्थ जर्मनी, आस्ट्रिया हंगरी और रूस—ऐसे थे जिनमें विभिन्न कोटि की निरकुश शक्तियों वाली वास्तविक वशानुगत कार्यपालिकाएं विद्यमान थीं। बिन्दु ये सब वशानुगत कार्यपालिकाएं युद्ध के फलस्वरूप समाप्त हो गईं और आज वास्तविकता यह है कि पाश्चात्य विश्व में नाममात्र वशानुगत कार्यपालिकाएं होते हुए भी वास्तविक वशानुगत कार्यपालिका का कहीं नाम निशान भी नहीं है।

बिन्दु एक और तथ्य की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। निर्वाचित कार्यपालिकाएं अपने वास्तविक स्वरूप को एक बाहरी आवरण के द्वारे छिपा भी सकती हैं और जिस प्रकार कि आज सभी पाश्चात्य एकत्री में राजा कहीं भी वास्तविक कार्यपालक नहीं है उसी प्रकार कुछ गणतन्त्रों में भी राष्ट्रपति वास्तविक नहीं बल्कि नाममात्र कार्यपालक होता है। विद्यमान संविधानी राज्यों में सचीण अर्थ में, अर्थात् कार्यपालिका विभाग के सर्वोच्च अधिकारी व अर्थ में, कार्यपालिकाएं केवल दो प्रकार की हैं—एक तो वह जो सम्बद्ध द्वारा नियतित होती है अर्थात् सासदीय कार्यपालिका, और दूसरी वह जो सम्बद्ध नियन्त्रण से परे होती है अर्थात् असासदीय अथवा स्थायी कार्यपालिका। यह आवश्यक है कि विद्यार्थी किसी राज्य के नाम या उसकी परम्परा के आधार पर स्थिर कार्यपालिका के स्वरूप मात्र से ही भ्रम में न पड़ जाए। उसे तो कार्यपालिका के वास्तविक कार्य

को गभीरता से देखना चाहिए जिससे यह पता लग सके कि वह वास्तव में इन दो प्रकारों में से किस प्रकार की है।

2 शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त

शासन के तीन विभागो—विधानमङ्गल, कार्यपालिका और न्यायपालिका—का अस्तित्व कृत्या के विशिष्टीकरण की एक सामान्य प्रक्रिया के पालस्वरूप हुआ है। यह विशिष्टीकरण वीं प्रक्रिया सम्यता की प्रगति, उसके कार्यक्षेत्र की वृद्धि और उसके उपकरणों की बढ़ती हुई जटिलता के साथ ही मिदान्त और व्यवहार की समस्त शाखाओं में दृष्टिगोचर होती है। प्रारम्भ में राजा ही विधि का निर्माण, निष्पादक और निर्णयक था। किन्तु एकत्र वीं इन शक्तियों वो दूसरों को सौंपने की प्रवृत्ति का अनिवार्य विकास हुआ और उसका परिणाम इस त्रिविधि विभाजन में प्रकट हुआ। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रभुत्व का विभाजन नहीं होता। यह तो राज्य के बड़ते हुए वायं को निपटाने के लिए एक मुविधाजनक साधन भावत है। कृत्या का विशिष्टीकरण एक सीधी-मादी आवश्यकता थी और उसके परिणामस्वरूप प्रत्यापोत्तर (Delegation) एक सीधा-मादा तथ्य था। किन्तु जब राजा की शक्ति निष्पत्ति वीं जाने लगी और साक्षिधानिक विचारों का प्रचार होने लगा तो इस सीधो-मादे तथ्य ने एक मिदान्त का रूप धारण कर लिया—इस मिदान्त का कि स्वतन्त्रता का आधार इन कृत्यों के मुविधाजनक विशिष्टीकरण में ही नहीं, बल्कि विभिन्न दायों में सौंपकर इनमें पूर्ण विभेद स्थापित करने में है। शासन के विकास वीं एक साधारण प्रक्रिया में स्वतन्त्रता और अधिकारों वे एक मिदान्त का दर्शन करने का यही समोग है जिसने कठिपक सविधानों को अजीब तरह से मोड़ दिया है और संसदीय एवं अ-संसदीय कार्यपालिकाओं के बीच का आधुनिक भेद प्रस्तुत कर दिया है।

शक्तियों के पृथक्करण के इस मिदान्त के भावुभाव के मम्बन्ध में सबसे विचित्र बात यह है कि प्रारम्भ में इसे विटिंश सविधान की स्थिरता के विशेष आधार के रूप में प्रत्युत किया गया था जो कि विलकूल ही असत्य है और जो उम पर विलकूल भी लागू नहीं होता। मह धारणा सबसे पहले सन् 1748 में प्रकाशित मॉन्टेस्यू की पुस्तक 'स्पिरिट ऑफ़ लॉज' में प्रकट हुई थी, जिसमें लेखक ने विटिंश सविधान का सार प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। उमका निष्कर्ष यह था कि "जब विधायी और कार्यपालिका शक्तिया एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय में समूक्त होती हैं तब स्वतन्त्रता नहीं हो सकती, क्योंकि इस बात का खतरा बना रहता है कि वही राजा या सिनेट कठोर विधिया बनाएंगे और कठोरतापूर्वक उनको त्रियान्वित करेंगे।" विटेन के सविधान के बारे में यह विचित्र विचार इस फ्रांसीसी विचारक तक ही सीमित नहीं था, क्योंकि उसके लगभग थीस वर्ष

पश्चात् अगरेज विधि विशेषज्ञ ब्लेकस्टन ने अपनी पुस्तक 'कमेटरीज थॉन दी लॉज थॉफ इगलेंड' (सन् 1765) में लगभग उसी प्रकार के विचार प्रकट किए। इस लेखक ने बहा है 'जहाँ कही भी विधियों का निर्माण करने और उनको कार्यान्वित करने का अधिकार एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय में निहित हाना है वहा लोक-स्वतन्त्रता नहीं हो सकती।'

यह विचारधारा अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के राजनीतिक दर्शन का निश्चिन अग बन गई और त्रानि युग के प्राचीनी संविधानों में समाविष्ट की गई। मॉण्टेस्वयू और ब्लेकस्टन के सिद्धान्त को अमेरीकन संविधान के निर्माणाओं ने भी अपनाया और व्यवहार में लिया, क्योंकि उस समय वे बास्तव में विवास करते थे कि वे निर्दिश संविधान के एक उत्तम लक्षण का अनुकरण कर रहे हैं। ब्रिटेन की वर्तमान कार्यपालिका-प्रणाली का उस समय तक पूर्णरूपेण विकास नहीं हो पाया था और अब वह अपनी गुप्त शक्ति की ऐसी व्याख्या की सम्भावना से दूर हृष्ट गया है। किन्तु फिर भी यह उस भावना की, जो कि उस समय निर्दिश संविधान के विकास में निहित थी, मिथ्या धारणा ही थी। फिर भी इस धारणा की जड़ें इतनी पवर्ती हो चुकी थीं कि वे सन् 1867 में बाल्टर बेजहाट की महान् पुस्तक 'दी इगलिश कॉस्टीट्यूशन' के प्रकाशन के पश्चात् ही समाप्त हो सकी।

किसी भी संविधानी राज्य के धारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें विधायी और कार्यपालिका हृत्य विलकुल एक ही व्यक्ति या निकाय के हाथों में है, क्योंकि, जैसा हम पहले धना लिये हैं, कार्यपालिका सदा ही विधानमंडल से छाटी सस्ता होती है। किन्तु शक्तियाँ के पृथक्करण का गिरावट इस भेद की आर सबेत नहीं करता। इस सिद्धान्त के प्रयाग का वेचल यही मनलब नहीं होता कि कार्यपालिका और विधानमंडल अलग-अलग निकाय होंगे, बल्कि यह भी होता है कि ये दोनों एक-दूसरे से विलकुल ही पृथक् होंगे जिसमें कि एक का दूसरे पर कोई नियन्त्रण न रहे। जिस किसी राज्य न इस सिद्धान्त को व्यवहार में पूरी तरह अपनाया है और वनाए रखा है उसमें कार्यपालिका विधानमंडल के नियन्त्रण से विलकुल ही मुक्त होती है। ऐसी कार्यपालिका को हम 'अन्समदीय' या 'स्वायी' कहते हैं। इस प्रकार वी कार्यपालिका अब भी संयुक्तराज्य में विद्यमान है, जिसके संविधान में हम विषय में भारम्भ ने अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। किन्तु फ्रांस ने जिम्मन, जैसा कि हम कह चुके हैं, हम सिद्धान्त को त्रानि से उत्पन्न अपने प्रथम संविधाना में अगीकार किया, बाद में ब्रिटेन की कार्यपालिका-प्रणाली को अपना लिया और यह दान शाम के तृतीय एवं चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में प्रकट थी। और बहुत बड़े हृषान्तर के माय पचम गणतंत्र में भी विद्यमान है। यह ऐसी प्रणाली है जिसमें मन्त्रिमंडल, अपने, विस्तार, के लिए, तर्ज, विधानमंडल,

पर, जिसका कि वह एक अग है, निभंर करता है, और कार्यपालिका में सदस्य विधानमंडल के भी सदस्य होते हैं।

इस प्रणाली को, जो राधारणतया मन्त्रिमंडलीय (बेविनट) प्रणाली' के नाम से जात है, उसके मोटे रूप में अधिकाश योरोपीय राज्यों ने अपना लिया है और यह बात नगर्ण है कि वे एकत्र कहलाते हैं या गणतन्त्र। ब्रिटेन के नये और पुराने स्व-शासी डायरिनियना का भी यह विशिष्ट लक्षण है। दूसरी ओर अ-सासदीय प्रणाली सयुक्तराज्य और उसके सविधान के आधार पर अपने सविधान बनाने वाले सैटिन-अमरीकी गणतन्त्र की विशिष्टता है। वर्तमान और अगले अध्याय में आधुनिक विश्व के कुछ प्रमुख राज्यों की उनकी कार्यपालिका प्रणालियों की दृष्टि से विवेचना की जाएगी। हमारा प्रयाजन इस बात का पता लगाना है कि उन राज्यों में प्रणाली सासदीय है या अ-सासदीय हालानि एक या दो अनिश्चित उदाहरण भी है और उन पर भी हम विचार करेंगे।

3 ब्रिटेन में मन्त्रिमंडलीय प्रणाली का इतिहास और उसका वर्तमान स्वरूप

ब्रिटेन में मन्त्रिमंडलीय प्रणाली के विवास का इतिहास शासन-विज्ञान के समस्त क्षेत्र में सबसे अधिक लाभदायक अध्ययन है। यह प्रणाली, जिसका समार वे विभिन्न भागों के अन्य राज्यों के दस्तावेजी सविधानों में व्यापक रूप से अनुकरण किया गया है, सन् 1937 तक ब्रिटेन की विधि को बिलफुल ही अज्ञात थी, क्योंकि तब तक यह साविधानिक या अन्य प्रकार के किसी वैध दस्तावेज में नहीं पाई जाती थी। किन्तु उस वय राजा के मन्त्रिगण अधिनियम' (Ministers of the Crown Act) पारित किया गया, जिसके अनुसार मन्त्रियों के वेतनों में वृद्धि हुई और स्थिरता आई तथा विधिसहिता में पहली बार 'केबिनेट' और 'केबिनेट मंत्री', ये शब्द सम्मिलित किए गए तथा प्रधानमंत्री को वैध हैसियत प्राप्त हुई। इस अधिनियम के अनुसार प्रधानमंत्री का वेतन 10,000 पौंड प्रति वर्ष निश्चित हुआ जब कि तब तक उसे प्रधानमंत्री के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता था। उस समय तक 5,000 पौंड प्रति वर्ष का जो वेतन उसे मिलता था वह उसे कोप के प्रथम अध्यक्ष (First Lord of the Treasury) के वर्तम्य-रहित पद अथवा किसी अन्य पद के बल पर मिलता था, जिसे वह धारण करता हो। इस अधिनियम ने 2,000 पौंड प्रति वर्ष वेतन सहित विरोधी दल के नेता का स्थान भी सरकारी तौर पर निश्चित कर दिया है। इस सम्बन्ध से कि मन्त्रिमंडल और प्रधानमंत्री की साविधानिक स्थिति को विकास की तीन भाताब्दियों से अधिक समय तक वैध आधार नहीं मिला, ब्रिटिश सविधान के उस रुद्धिगत या परम्परागत तत्व की शक्ति प्रकट होती है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अतः इस

राजनीतिक प्रतियोगियों के विपरीत में, जिसका प्रभाव इनका मार्गदर्शक रहा है, जानकारी प्राप्त करना तुलनात्मक राजनीति के विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

आधुनिक इंडिया में उद्भव का बालपोल (मन् 1721-42) के अपील हिंग दल की प्रधानता में मम्बन्ड जोड़ा जाता है। यद्यपि यह सच है कि इस प्रणाली में उन कुछ निश्चिल लक्षों का, जो तब में बहुत माध्यरण विराम के साथ उम्मीद विशेषताएं उन हैं, उसी मध्यम मम्बेश हृत्रा, किन्तु इस प्रणाली के बास्तविक लारभ के लिए हमेह उम कान में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। पिछले विभाग में हम बना चुके हैं कि राज्य की प्रारम्भिक जबस्या में राजा ही विधि का निर्माता उमका नियादिक और निर्णयक होना था, अर्थात् उसके पद में राज्य के तीना विभाग अर्थात् विधानमठल, कार्यपालिका और न्यायालिका समाविष्ट थे। इस विविध बंजर्म में राजा को महानना देने के लिए इग्लैश में प्रथम विलियम के अधीन महापरिषद् (Great Council) का मण्डन किया गया। इस निवाय म ही इटेन की आधुनिक मस्याओं के बीज विद्यमान थे, क्योंकि इटेन की बुतमान भासन-व्यवस्था का मम्बले प्रभावी मण्डन—मम्बद, मविमठल और न्यायालय—परिवर्तन और विकास की प्राप्त अदृश्य जबस्याओं में हांकर दर्शी स प्रमुखित हुआ है। किन्तु महापरिषद् की बैठक माध्यरणनया एवं वर्ष म बैबल तीन बार होनी थी, जब उसमें से एक ऐसे म विशेष निकाय का, जिसकी लगानार बैठकें होनी रहे, विभिन्न होना स्वामाविक्ष ही था। इस निवाय में कॉटरवरी और यार्क वार्चेनिया, मुख्य न्यायप्रिवारी (Justiccear), कोण्ठधन और चामलर जैसे राज्य के कुछ उच्च पदाधिकारी होने थे और उसका नाम 'स्थापी परिषद्' था। किन्तु यह भी राजा के माध्यमिष्ट मम्बई के प्रयाजन के लिए बहुत बड़ा निष्ठ हृत्रा और पाल होती (मन् 1422-61) के जासनकाल में इसके स्थान पर पालदा (Councillors) की एक अन्य अनरण मम्बिनि आ गई जो प्रिवी कौमिल बहुताई और भागन की मुख्य कार्यपालिका बन गई।

ट्यूडर कान म इस कौमिल का पुनर्गठन हृत्रा और इसने बहुत-नी मनमानी शक्तिया धारण कर ली। इसके जाकार म भी उत्तरोत्तर वृद्धि होने रहने के कारण जब उमकी प्रभावी शक्ति उमकी भी एक अन्य अनरण मम्बिनि के हाथों म बद्दो गई तो उसके द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग और भी विभिन्न निरुपण हो गया। इस विभिन्न 'आनगिर परिषद्' (Interior Council) की (यह नाम उसे मैकलि ने दिया है) बैठक राजा के माध्यरण परिषद्-भवन में नहीं, बल्कि उस प्रशोदन के लिए पृथक् स्थल में निर्धारित एक छोटे बमर या 'इविनेट' में होनी थी। यह म्यन्ति प्रथम चाल्म (मन् 1625-49) में जामनकाल तक उत्तर म हो चुकी थी। अब यदि हम यह बना मर्दे लिंग राजा के विशेषाधिकार बन म मम्बद के हाथा में चर्चे गए तो हम यह भी बना मर्दे लिंग रिंग में

कार्यपालिका अनु में किस प्रकार संसदीय कार्यपालिका बन गई। यह महान् पर्सिवल तंत्र में भोटे तौर से तीन प्रक्रमों में हुआ। पहला प्रक्रम प्रथम चालस के शासनकाल में घटित सन् 1642 का महान् विद्रोह था। यह सिद्ध करने के लिए कि इस संघर्ष में राजदू के प्रति मतियों के उत्तरदायित्व का प्रश्न किस प्रकार समाविष्ट था, विद्रोह के पूर्व के वर्षों में संशोधन संघर्षों को टालने के अनेक प्रयत्नों में से एक के रूप में राजा के रामकथा प्रस्तुत विए गए महान् विरोध (Grand Remonstrance) नामक वस्तावेज से एक अण उद्भूत करना बाफी होगा। इसमें यह प्रार्थना वीर गई है—

“परमधेट्ट अपने महान् एव सोबत्यायों में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करने और विष्वासयुक्त स्थानों में अपने निवाट ऐसे व्यक्तियों को लेने की कृपा करेगे जिन पर विष्वास करने के लिए आपकी समझ दें पाम आधार हो।”

समझ विजयी हुई और राजा ना वध बर दिया गया, किन्तु उसके पुत्र द्वितीय चालस के अधीन एकत्र के पुनर्स्थापन से कुछ पुरानी बुराइया फिर लौट आई और विद्वामान कार्यपालिका प्रणाली के विकास का दूसरा प्रक्रम सन् 1688 की काति के रूप में आ पहुचा। तृतीय विलियम (सन् 1689-1702) और एन (सन् 1702-14) के शासनकालों में मत्रिमडल (केविनेट), विधि में अनात होते हुए भी, वास्तव में “राज्य में एकमात्र सर्वोच्च परामर्शदाती परिपद् एव कार्यपालिका सत्ता” बन गया। किन्तु तब भी राजा इस मडल का अध्यक्ष था। उसे राजा की शक्ति से विलकुल बाहर करने और एक मन्त्री-प्रधान मन्त्री-को उसका अध्यक्ष बनाने के लिए एक और अवसर भी आवश्यकता थी। यह कार्य एन की मृत्यु पर हेनोबर वश के उत्तराधिकारी बन जाने के साथों से सम्पन्न हुआ। धर्म के मुकाबले में राष्ट्रीयता का त्याग करते हुए अंगरेजों ने अगरेज योगोत्तिक (द्वितीय जैम्स के पुत्र) के स्थान पर एक जर्मन प्रोटेस्टेंट को पसन्द किया। प्रथम जॉर्ज और द्वितीय जॉर्ज अंगरेजों बोलने में अतामर्यं थे और इसलिए उन्होंने मत्रिमडल की बैठकों में भाग लेने की प्रथा को विलकुल ही छोड़ दिया। इसके फलस्वरूप मत्रिमडल की अध्यक्षता मुख्यमंत्री को प्राप्त हो गई।

अतः, मत्रिमडल के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करना और प्रधानमंत्री के पद के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करना एक ही बात नहीं है। किन्तु वालपोल के समय में ये दोनों बातें मिल गई हैं। उसके लम्बे प्रशासन में मत्रिमडल को उसका मूलभूत स्वरूप प्राप्त हुआ और सन् 1742 में वालपोल के पतन और उसके फलस्वरूप हिंगड़ के कमज़ोर पड़ जाने के बाद की जिसका फायदा उठाते हुए जॉर्ज तृतीय ने राजकीय विशेषाधिकारों को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न किया, अस्पष्ट अवधि के बाद अठारहवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मत्रिमडल ने फिर से स्थायी रूप ग्रहण कर लिया। एच. डो. ट्रैल ने मत्रिमडल की राजनीतिक

सकल्पना को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए वहा है कि वह एक ऐसा निकाय है, जिसमें आवश्यक रूप से ऐसे व्यक्ति होते हैं—

"(क) जो विधानमंडल के सदस्य हो ,

"(ख) जिनके राजनीतिक विवाद समान हो और जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल से चुने गये हो ,

"(ग) जो एकीकृत नीति पर चले ,

(घ) जिनका समान उत्तरदायित्व हो जो सत्रद्वारा निन्दा की जाने की अवस्था में सामूहिक त्यागपत्र द्वारा व्यक्त होता है ;

'(ङ) जो समान रूप से एक प्रधान मंत्री की अधीनता स्वीकार करते हो।'

इन संक्षणा का और भी संक्षेप में हम तीन शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं— समरूपता, एकता और एक प्रधान के प्रति समान निष्ठा।

इस कार्यपालिका प्रणाली का सार यह है कि, अतिम विश्लेषण में, मन्त्रिमंडल सत्रद्वारा एक समिति है जिसमें लोकतंत्र की प्रगति के साथ-साथ लोकसभा की समिति वन जाने की प्रवृत्ति है।¹ कार्यपालिका पर सत्रद्वारा प्राधान्य के ऐतिहासिक विकास का दल प्रणाली के विकास से सम्बन्ध है। अभी कुछ पहले तक इन दो विकासों में से किसी का भी संविधान की विधि से कोई सम्बन्ध नहीं था। जैसा हम पहले कह चुके हैं, मन्त्रिमंडल सन् 1937 से पूर्व ट्रिटेन की विधियों में उस रूप में वही भी वर्णित नहीं था और आज भी कोई भी व्यक्ति कौसिल का सदस्य हुए विना मन्त्रिमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, जिसमें से, जैसा कि हम बता चुके हैं, मन्त्रिमंडल का विकास हुआ है। राजा द्वारा प्रिवी कौसिल का दुर्घट्योग ही सत्रद्वारा के प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमंडल के विकास का वास्तविक कारण था। मॉन्टेस्वयू और ब्लेकस्टन के कथनानुसार विधायी और कार्यपालिका कृत्यों के पूर्णतम पृथक्करण के द्वारा स्वतंत्रता के उद्देश्य की प्राप्ति की बात तो दूर रही, ट्रिटेन के इतिहास न इसके विपरीत यह सिद्ध किया है कि स्वतंत्रता इनके निवट सम्बन्ध से ही सुनिश्चित हो सकती है। ट्रिटेन के इतिहास की एक छोटी अवधि में विधि वहा के संविधान के इस प्रथागत विकास की सम्पूर्ण भावना के विरुद्ध रही। सन् 1701 के एक ऑफ सेटिलमेंट की एक घारा के अनुसार

¹ वास्तव में मिनिस्टर्स अफ द काउन एक्ट (1937) से लॉड-सभा के लिये भवियों को न्यूनतम आनुपातिक संख्या निर्धारित हो गई है। इस व्यवस्था का सामान्य प्रमाद यह है कि कम से कम तीन विमाणाध्यक्ष मंत्री लाइं-सभा के सदस्य होने चाहिए।

कोई भी पदधारी लोकसभा में नहीं बैठ सकता था। छह वर्ष बाद यह धारा निरस्त कर दी गई जिन्हुंने तो इस धारा के सम्मिलित वरने के समय और न उसका निरसन करने के समय ही राजमर्मन इस बात को समझ सकते थे कि शासनयद के भविष्य पर इसका क्या और कितना प्रभाव होगा। मत्रिमडलीय प्रणाली का प्रादुर्भाव तभी हो गया था जब कि राजकीय विशेषाधिकार पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुए थे और एक आफ सेटिलमेट की उपर्युक्त धारा वा प्रयोजन यह था कि कार्यपालिकाखल्य वृहत्तर निकाय—प्रिवी कौसिल वो—पुनः सौप दिए जाए। यह अनुमान था कि कौसिल वे सदस्यों को लाकर सभा से हटा लेने से अच्छ संसदीय व्यवस्था के द्वारा राजा की पड़्यत्र बरने की शक्ति घट जाएगी।

निरसन अधिनियम—सन् 1707 के प्लेस एकट—ने संविधान को इस खतरे से तो बचा लिया, किन्तु उसके धारा दो दिशाओं से प्रभावी बनी रही। प्रथम, धारा वा जो भाग शेष रहा उसके एक अंश के अनुसार कोई भी पदधारी सरकारी अनुबंधों को धारण नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मत्रिमडल के किसी भी सदस्य को ऐसे अनुबंधों से सम्बन्धित विसी बाम्पनी में विसी भी प्रकार की मत्रिय दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। द्वितीय, उन्नत धारा स्थायी अ-सैनिक रोका पर अब भी लागू होती है जिसका कोई भी रादस्य सदाद में नहीं बैठ सकता। प्रिवी कौसिल विधि की दृष्टि से विद्यमान है, किन्तु अब उसकी कोई भी राजनीतिक शक्ति नहीं है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, मत्रिमडल का सदस्य पद ग्रहण करने पर प्रिवी कौसिल का शपथप्राप्त सदस्य होना चाहिए, किन्तु एक बार प्रिवी कौसिल का सदस्य हो जाने पर वह सदा ही उसका सदस्य बना रहता है। फलस्वरूप प्रिवी कौसिल में तत्कालीन मती ही नहीं, बल्कि और सदस्यों के साथ-साथ सभी भूतपूर्व मती भी होते हैं, अतएव वह पुरुषों और आजकल कभी-नभी स्त्रियों का भी एक बहुत बड़ा निवाय होती है, जिसका प्रत्येक सदस्य सम्मानित सदस्य (राइट ऑनरेबुल) की उपाधि से विभूषित होता है।

इस प्रकार, ब्रिटेन में मत्रिमडल का जीवन सदाद की सद्भावना पर निर्भर है जिसका अर्थ आधुनिक अवस्थाओं में लोकसभा का विश्वास है। इसका मतलब यह हुआ कि अतिम नियवण निर्वाचकगण के हाथों में है। जैसा कि वाल्टर बेजहॉट ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ बताया है, मत्रिमडल एक जीव है, जिन्हुंने अन्य जीवों के विपरीत, उसमें अपने अच्छा अर्थात् लोकसभा को नष्ट करने की शक्ति है, क्योंकि यदि लोकसभा में मत्रिमडल की हार हो जाए तो वह स्थागपत्र देने के स्थान पर रानी पो उस सभा वो, जिस पर वह स्वयं निर्भर है, भग बरने के लिए परामर्श दे सकता है। तब इस बात का निर्णय निर्वाचकगण बरते हैं कि वह दल

जिसके मत्रिमडल ने अगील की है वहुमन प्राप्त करेगा या नहीं।¹ इससे यह पना चल जाना है कि मत्रिमडलीय शासन की स्थिरता किस अनिवार्य स्पष्ट में दर-प्रणाली पर निर्भर है। ब्रिटेन के इतिहास में ऐसे अवमरो पर, जब कि सरकार को लोकममा के, अपन दल में पृथक्, अन्य भागों की महायाता पर निर्भर रहना पड़ा है, उसका अभिन्नत्व बदा ही अनिश्चित रहा है, जैसा कि, उदाहरणस्वरूप, मन् 1924 म मजदूर सरकार के सामने में और एक बार फिर मन् 1929-31 के दौरान मिठ टूटा।²

यदि यह दत प्रणाली का उम्मी एकाध्यता प्रदान बरती है तो ग्रामन मत्री की स्थिति में उमड़ा दृष्टां प्राप्त होती है। वास्तव में सारहृष्ट में इगलैंड भ मत्रिमडल मत्रिनि की विषया एक व्यक्तिक वा शासन अधिक है। उस व्यक्तिक वो साक्षममा के समक्ष सयुक्त मत्रिमडल के समर्थन के साथ पहुचना चाहती है। किन्तु यह सयुक्त मार्चा स्वयं उम्मे उपर निर्भर है। मत्रिगण एक माथ ही पद ग्रहण करते हैं और एक साथ ही पदत्पाल करते हैं, किन्तु यदि मत्रिमडल में भवनमेद हो तो तो प्रधानमत्री को यह शक्ति होती है कि वह या तो भवनमेद रखनेवाले मत्रियों को व्यक्तिगत स्पष्ट से त्यागपत्र देने वे लिए वाध्य करे या समस्त मत्रियों के महिन स्वयं भी त्यागपत्र दे दे। यही तरीका है जिससे इगलैंड में मत्रिमडलीय प्रणाली दत-ग्रामाली के माय अविच्छिन्न स्पष्ट से गुथी हुई है। ऐसे राज्यों में जहा मत्रिमडलीय प्रणाली को जपनाया गया है, किन्तु उम्मो वन देने वाली शक्तिशाली दल प्रणाली—अर्थात् निर्वाचित ममा में समर्थन करने वाले ठोम वहुमन—का अभाव है, वहा शासन कभी भी उनका स्थिर नहीं होना और वह अवश्या, जिसे मत्रिमडलीय सकृद कहा जाता है, इग रैड की अपदा वहुन अधिक थाती रहती है।

¹ किन्तु इस विषय पर एस० एस० एमरो की पुस्तक 'पॉट्स औन दि कास्टी-ट्यूप्लान' (मन् 1947) देखिए। इसमे लेखक ने इस बात से इनकार किया है कि "राजनीतिक शक्ति नागरिक को ओर से विधानमडल के द्वारा एक कार्यपालिका को, जो कि उस विधानमडल पर निर्भर है, सौंपी जाती है।" लेखक का बहुता है कि ब्रिटेन की व्यवस्था "मुकुट और राष्ट्र का संयोग" है। इसमे प्रथम को मत्रिमडल और मत्रिमूह में प्रतिनिधित्व प्राप्त है जो कि शासन और मूल्यपात्र बरते हैं; दूसरे को ससद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है जिसका काम आलोचना बरना और सम्मति प्रदान करना है।

² अतिम वर्ष में प्रधान मत्री रेमजे भेड़डॉनेल्ड अपने पद की रक्षा तभी कर सका जब कि उसने अपने अनुयायियों के विशाल वहुमत को छोड़ दिया और मूल्यत अनुदार दल के सदस्यों को मिलाइए एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की।

सक्षेप में, ब्रिटिश कार्यपालिका-प्रणाली की उल्लेखनीय घाते ये हैं—वह अपने अस्तित्व के लिए निर्बाचित सदन के बहुमत के समर्थन पर निर्भर रहती है, उसके (राष्ट्रीय सर्कट की अवस्थाओं को छोड़) सदस्य एवं ही दल में से लिए जाते हैं, प्रधान मंत्री की स्थिति उसे दृढ़ बनाती है, सन् 1937 में 'राजा वे मंत्री अधिनियम' के पारण तक मतिमंडल और प्रधानमंत्री वे पद की विधि में कोई चर्चा नहीं थी और उस सम्मान पाया जिसना विधि में गदा से उल्लेख या अर्थात् प्रियी कौसिल का, जिसमें कि पिछले और बत्तमान सभी मतिमंडल के सदस्य होते हैं, अब कोई वास्तविक राजनीतिक महत्व नहीं है। इस विकास ने मुकुट के पुराने विशेषाधिकार बिलकुल ही समाप्त कर दिए हैं और वे विशेषाधिकार समस्त नायपालिका-शक्ति वे सहित विधानमंडल के नियन्त्रण के अधीन हो गये हैं।

4 डॉमिनियन पद और केविनेट शासन

वालान्तर में सम्बोध कार्यपालिका का सिदान्त, जैसा वह ब्रिटेन में विकसित हुआ था, उसके कुछ उपनिवेशों में प्रवर्तित किया गया जब उत्तरदायी शासन के प्रदान स्वरूप उन्हे डॉमिनियन पद प्राप्त हुआ। उत्तरदायी शासन वा अर्थ सहार हप में उन उपनिवेशों में, जिनमें कार्यपालिका-वृहत् पहले हाइड्रिक सरकार के हाथों में थे, मतिमंडलीय प्रणाली को लागू करना ही है। उत्तरदायी शासन पा अर्थ बेचल यही नहीं है कि जिस डॉमिनियन में उसका प्रयोग किया जाता है वह अपने हितों से सम्बन्ध मामलों में विधानसभाधी स्वतंत्रता वा उपभोग करेगा बल्कि यह भी है कि उसकी कार्यपालिका जनता के निर्बाचित प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्यक्षत एवं पूर्णरूपेण नियक्ति होगी। इस प्रकार, प्रत्येक रब शासी डॉमिनियन में भी ठीक बैसा ही हुआ है जैसा कि ब्रिटेन में, अन्तर केवल यही रहा है कि वहाँ यह विकास बहुत थोड़े समय में हो गया। पुरानी व्यवस्था के अधीन उपनिवेश वा गवर्नर-जनरल मुकुट अर्थात् ब्रिटिश सरकार वा प्रतिनिधित्व करता था। इन्हुंने जिस प्रकार ब्रिटेन में राजा की वास्तविक राजनीतिक शक्ति सम्पद् ने प्रति उत्तरदायी मतिमंडल के विकास द्वारा प्रारंभ में रोकी और अत में नष्ट कर दी गई, उसी प्रकार उपनिवेशों में भी गवर्नर-जनरल की शक्ति, उसको निर्बाचित सभा में बहुमतप्राप्त दल से अपने परामर्शदाताओं को चुनने के लिए बाध्य करके, नष्ट कर दी गई। ऐसा हो जाने पर कार्यपालिका शक्ति वस्तुतः ब्रिटिश सरकार के हाथों से निकलकर स्वयं डॉमिनियन को प्राप्त हो गई।

ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों के बीच निरतर सबध बनाए रखने की वठिन समस्या को हल करने का यह तरीका उस सीमा से बहुत आगे बढ़ गया है जिस तक इसना आविष्कार करनेवाले जाना चाहते थे। इसका आरंभ कनाडा में सन्

1837 के विद्रोहों के फलस्वरूप हुआ जिनके पश्चात् लॉड डरहम दो गवर्नर-जनरल बनाकर कनाडा भेजा गया था। उसको बनाडा की अवस्था के बारे में रिपोर्ट देने और भविष्य में उसके ज्ञानन के लिए सुझाव प्रस्तुत करने का विशेष कार्य भार सौंपा गया था। सन् 1839 की उम्मी रिपोर्ट का छिटिंग माझाज्य के इनिटिम में बड़ा भूत्त है, क्योंकि उम्मी उत्तरदायी ज्ञानन की ओर प्रगति मम्बव बर दी। बिन्दु डरहम ने बार्यपालिका-कृत्य के सम्बन्ध में स्थानीय और माझाज्यक प्रश्नों के दीव भेद बरने का प्रयत्न किया था और कुछ ऐसे विषय निर्धारित बर दिए थे जो ग्रिटेन में स्थित प्रकार के लिए स्थानीय रूप से रक्षित होने चाहिए थे। इगलैट में उम मम्य अनेक योग्य व्यक्तियों को सदैह या नि-इम प्रकार का भेद बनाए रखना सभव होगा या नहीं और उन्हें विश्वास या नि-एक ऐसा मम्य आएगा जब कि मव जक्किया डॉमिनियनों को प्राप्त हो जाएगी। बिन्दु डरहम ने इम सन्देह और इग विश्वास को मही मिठ कर दिया है। बिन्दु डरहम की रिपोर्ट का उन आलोचकों के मतानुमार क्रियान्वित न करने के बजाय अगो-बार बरना पर्याप्त रूप में उचित मिठ हुआ है। इमका नारण यह है कि एक बार व्यावहारिक राजनीति के रूप में प्रवृण कर लिए जाने पर उत्तरदायी ज्ञानन के कारण वह सम्मन विकाम मम्बव हो सका जिसमें डॉमिनियनों को निर्वन्ध जाकिय प्राप्त हो सकी, जिसके बिना राष्ट्रमडल(कॉमनवेल्थ)कापम नहीं रह सकना था।

मन् 1840 के कनाडा अधिनियम से कनाडा में मत्रिमहानीय प्रगाली की स्थापना नहीं हुई, बिन्दु उसके बारण डरहम के उत्तराधिकारे गवर्नर-जनरलों, विशेषकर लॉड मिडेनहम और लॉड एनगिन, की राजममंजना के द्वारा उमका विकाम सभव हो गया। इन पदाधिकारियों ने विधानमडल के उन मदम्यों में से जो निम्न सदन में बहुमत दल के होने थे, बार्यपालिका परिषद् का निर्माण करना जारी बर दिया जिसके धीरे-धीरे प्रथा का रूप धारण कर लिया, और यद्यपि ग्रिटेन की प्रकार ने प्रनिक्रियावादी गवर्नर-जनरल नियुक्त करके इम विकाम को रोकने के प्रयत्न किए तथापि यह भीनि इनी मम्बत हुई कि मन् 1849 में तत्तानीन विटिंग प्रधानमन्त्री लॉड जॉन रेमल लोकमभा में यह बहने में मम्य हो सका कि—

“यदि कनाडा के वर्तमान मत्रिमडल को सोकमन और सक्षा का गमर्यन प्राप्त है तो वह पदारूप रहेगा। इसके विपरीत यदि प्राप्त की राय उसके विरुद्ध हो तो गवर्नर-जनरल अन्य मनाहकारों को नियुक्त करेगा और यह अगोकार किए गए विद्यम के अनुमार ही बार्य करेगा।”

ग्रिटेन वी सन्दू के दोनों सदनों ने बहुमत द्वारा इस नीति को स्वीकार बर तिथा और उम मम्य में अपनी बार्यपालिका पर जरने विधानमडल द्वारा नियक्त रखने के कनाडा के अधिकार पर कभी बोर्ड प्रश्न नहीं उठाया गया है। कनाडा

डॉमिनियन की स्थापना करने वाले सन् 1867 के अधिनियम ने मत्रिमठलीय प्रणाली के अस्तित्व को मान लिया जब कि उसवें म्यारहवें अनुच्छेद में यह यहां गया कि "कनाडा की सरकार वो सहायता और सलाह देने के लिए एक परिषद् होगी जो महारानी की कनाडा की प्रिवी बीमिल कहलाएगी", और व्यक्तिर में यही मत्रिमठल है।

इसी बीच उत्तरदायी शासन का सिद्धान्त न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया दें दृश्य उपनिवेशों को भी प्रदान कर दिया गया था। इस प्रकार, जब आस्ट्रेलिया वी कॉमनवेल्य की स्थापना का समय आया तब पूर्ववर्ती पूर्यक इवाइयो में पहले से ही स्वीकृत मत्रिमठलीय प्रणाली नए अधिनियम के अधीन कार्यपालिका-व्यवस्थाओं का एक आवश्यक अग बन गई। सन् 1900 में कॉमनवेल्य अधिनियम के अनुच्छेद चौमठ में कहा गया है—

"प्रथम सामान्य निर्वाचन के पश्चात् राज्य वा फोर्ड भी मत्री तीन महीने से अधिक की अवधि में लिए तब तक पद धारण नहीं पर सेवा जब तब कि वह या तो सिनेटर या प्रतिनिधि-ममा वा सदस्य न हो या न बन जाए।"

इस उद्घरण में इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्य में संसदीय कार्यपालिका है। यही बात दक्षिणी अफ्रीका में भी हुई जब 1910 में वहीं संघ वी स्थापना हुई। 1909 के साउथ अफ्रीका एकट के अनुच्छेद 14 में उपर्युक्त कॉमनवेल्य अधिनियम के अनुच्छेद 62 की प्राय अक्षर प्रत्यक्षर पुनरावृति हुई है। जब 1960 में दक्षिणी अफ्रीका गणतन्त्र बनकर त्रिटिया कॉमनवेल्य से हट गया, तब भी संसदीय कार्यपालिका वा सिद्धान्त बना रहा। सन् 1961 के अधिनियम भे जिसके द्वारा गणतन्त्र वा गठन हुआ स्पष्ट उल्लिखित है कि 'कार्यपालिका प्रेसीडेंट' ने निहित है जो कार्यपालिका परिषद् (वा केबिनेट) के परामर्श से कार्य करेगा। उसमे आगे यहा गया है कि कोई भी मत्री तब तक तीन महीने से अधिक पद धारण नहीं कर सकेगा जब तक वह सदाद के विसी भवन का सदस्य न हो या न बन जाय।

जब दक्षिणी आयर्लैंड रवशारी डॉमिनियम बना तब भी संसदीय कार्यपालिका का यही सिद्धान्त प्रस्तुपापित किया गया। यद्यपि अब आयर गणतन्त्र बन चुका है और कॉमनवेल्य छोड़ चुका है, फिर भी आयरिश फी स्टेट कॉस्टीट्यूशन अधिनियम (1922) के अनुच्छेद 51 मे केबिनेट शासन के सिद्धान्त की इतनी स्पष्ट व्याख्या हुई है कि वह यहां उद्भुत करने योग्य है। उसमे कहा गया है—

"आयरिश स्वतन्त्र राज्य की कार्यपालिका-सत्ता एतत् द्वारा राजा मे निहित धोयित की जाती है और कनाडा डॉमिनियन मे कार्यपालिका-सत्ता के प्रयोग को नियमित करने की विधि, प्रथा और साविधानिक रिवाज के अनुसार, मुकुट के प्रतिनिधि द्वारा प्रयुक्त होगी। आयरिश स्वतन्त्र राज्य के शासन

में सहायता और सलाह देने के लिए एक परिपद होगी जो कार्यपालिका परिपद कहलाएगी। कार्यपालिका परिपद, प्रतिनिधि-सदन के प्रति उत्तरदायी होगी और उसमें कम-से-कम पात्र और अधिक-से-अधिक सात मत्री होंगे जो मूकुट के प्रतिनिधि द्वारा कार्यपालिका परिपद के अध्यक्ष के नामनिर्देशन पर नियुक्त किए जाएंगे।”

इसी अवधीका के गणतन्त्र की भाँति आयडर्न के गणतन्त्र ने भी समस्याएँ कार्यपालिका के सिद्धान्त को कायम रखा है। सन् 1937 के संविधान में जो सरकारी तौर पर आयर्न ड का संविधान कहलाना है, अनेक समुचित अनुच्छेदों में यह सिद्धान्त स्पष्ट रूप में समाप्ति है। उसमें वहा गया है कि प्रेमीडेव्ट हेल आयरीन के (जिसका सरकारी अनुबाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है) नामनिर्देशन पर प्रधान मत्री की नियुक्ति, और प्रधान मत्री के नामनिर्देशन पर शासन के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगा, ‘शासन हेल आयरीन के समक्ष उत्तरदायी होगा’ और ‘शासन के सदस्यों द्वारा प्रशासित राज्य के विभागों के लिये सामूहिक रूप में उत्तरदायी होगा।’ कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के शेष डॉमिनियनों में उत्तरदायी शासन का विकास 1926 के मान्द्राज्यिक सम्मेलन के निर्णयों और 1931 को बेस्टमिस्टर संविधि के पारित होने से, जिसके द्वारा उनकी पूर्ण स्वतंत्रता मान्य हुई, पूरा हो गया। यह समझना कठिन है कि उपनिवेशों में यदि कोई दूसरी कार्यपालिका प्रणाली लागू होती तो ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल क्सेंस बना रह सकता था जो इस बड़ी तेजी से बदलनेवाले सत्तार में स्वतंत्र राष्ट्रों के समुदाय के रूप में अद्वितीय बना हुआ है।

5. क्रेडच गणतंत्र में मत्रिमंडल

तृतीय गणतन्त्र के प्रारंभिक दिनों में सर हेनरी मेन ने लिखा था कि “कोई भी ऐसा विद्यमान पदाधिकारी नहीं है जिसकी स्थिति फासीसी राष्ट्रपति से अधिक दयनीय हो। फास के पुराने राजा राज्य बरते थे और साथ ही शासन भी बरते थे। दीपर के अनुसार, मानविधानिक राजा राज्य बरता है किन्तु शासन नहीं करता। अमरीका का राष्ट्रपति शासन बरता है किन्तु राज्य नहीं करता। यह बात हेल फास के राष्ट्रपति पर ही लागू होती है कि वह न तो राज्य बरता है और न शासन ही बरता है।” यद्यपि इस क्यन की भाषा कुछ उम्म है तथापि उसमें तृतीय गणतन्त्र के राष्ट्रपति की स्थिति, जैसी कि वह भारतिक वर्षों में थी और जैसी वह सार रूप में अन्त तक बनी रही, मोटे तौर से सही रूप में व्यक्त होती है। चतुर्थ गणतन्त्र (मन् 1946) के संविधान ने भी राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियों में बोई मूल परिवर्तन नहीं किया। तब भी वास्तविक तथ्य यही था कि फास में राष्ट्रपति नाममात्र था कार्यपालिका वार्षिक वार्षिक।

वास्तविक कार्यपालिका तो एक मत्रिमडल था, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था और जो ससद् के प्रति उत्तरदायी था। राष्ट्रपति 'एक नामधारी कार्यवारी' था जिसे बड़ी-बड़ी नाममाल भक्तियाँ प्राप्त थी परन्तु जिनके प्रयोग पर एक उत्तरदायी सासदीय वेबिनेट के कार्य का वास्तविक नियन्त्रण था'। वास्तव में, इस प्रणाली के फैज़च आलोचकों की शिवायत थी कि फैज़च राष्ट्रपति वेबल 'समद् और मत्रिमडल का बैंदी' था।

तृतीय एवं चतुर्थ गणतंत्रों में प्रधानमंत्री की स्थिति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से कुछ भिन्न थी। वह मंत्रियों को नियुक्त एवं पदब्युत बर सकता था परन्तु चास्तव में फैज़च ससद् की विलक्षण दल-प्रणाली के बारण उसे बड़ी सावधानी से कार्य करना पड़ता था। ऐसा कोई सुदृढ़ दस नहीं था जो सदना में बहुमत दल बन सकता। अत केविनेट को अपनी स्थिरता के लिये सासदीय दलों के सम्पोग के समर्थन पर निर्भर रहना चाहता था। प्रधानमंत्री को उसका समर्थन तब तक मिलता था जब तब कि वह उसके विरोधी अग के मत के विषद् नहीं जाता था। अतएव, उसको सदा यहीं डर रहता था कि वही वह इस प्रवार निर्धारित संकुचित सीमा का उल्लंघन न कर जाए। यहीं बारण है कि मत्रिमडलों का परिवर्तन ब्रिटेन की अपेक्षा फ्रास में बहुत अधिक होता था। मत्रिमडलीय सबट के इस प्रश्न को और भी स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। ब्रिटेन में मत्रिमडलीय सबट का सम्बन्ध सामान्यतया विषट्टन से होता है, क्योंकि लोकसभा में प्रताजित मत्रिमडल यों तो त्यागपत्र देता है या रानी को लोक-सदन भग बरते दा परामर्श देता है। यदि वह त्यागपत्र देता है तो साधारणत यह होता है कि नए मत्रिमडल को विद्यमान लोकसभा में पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाता और तब उसे भग करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में निर्णय निर्वाचनिकागण के हाथों में होता है। ब्रिटेन में ऐसा बहुत कम हुआ है जब कि समद ने अपनी पूरी निर्धारित अवधि के अन्त तक कार्य किया हो। क्योंकि कालातर में प्रशासन की बागडोर ढोली पड़ने लगती है और उपनिर्वाचनों का निर्णय उसके प्रतिकूल होने लगता है और वह परिस्थिति के और अधिक बिगड़ने से पूर्व ही ससद को भग करने की सिफारिश बरता है। किन्तु फ्रांस में विलकुल भिन्न प्रकार का कम चलता था। तृतीय गणतंत्र के अधीन फ्रास में ससद् का कार्यकाल चार बर्ष था, और संविधान के अनुसार सिनेट की सम्मति से राष्ट्रपति इससे पहले भी ससद् को भग बर सकता था। किन्तु तृतीय गणतंत्र के इतिहास में केवल एक बार, राष्ट्रपति भेव-मेहोने के अधीन सन् 1877 में, ऐसा भौका आया जब कि निर्धारित कार्यकाल से पूर्व ससद को भग किया गया। इसे गणतंत्र विरोधी चाल, ससद को छकाने में लिए राष्ट्रपति और सिनेट के बीच एक पड़यत्र, अर्थात् दो बर्ष पूर्व निर्मित गणतंत्र को समाप्त करने और एक जनमतीय (Plebiscitary) प्रणाली स्वापित

करने के लिये पड़यत्र समझा गया। यह साधन विचारवान् गणतंत्रवादियों की दृष्टि में इतना अधिक निर्दित हो गया कि तृतीय गणतंत्र के दौरान में किरणभी इसका प्रयोग नहीं किया गया।

प्राप्त में तृतीय गणतंत्र के अधीन विसी मत्रिमडल के त्यागपत्र देने पर बेवल यही होता था कि सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए दलों का नए सिरे से संयोजन होता था और त्यागपत्र देने वाले मत्रिमडल में बोई एवं विभाग धारण करने वाला व्यक्ति नए मत्रिमडल में भी अवसर बोई अन्य विभाग धारण करता था। यदि प्राप्त में मत्रिमडल में शम्मिलित समसीय दलों में से विसी एक के उससे जल्द हो जाने के बारण मत्रिमडल के पतन के प्रत्यक्ष अवसर पर साधारण विवरित की उपलब्धता तो सभवत वहा लोकतंत्र जीवित ही नहीं रह सकता था। विन्तु प्राप्त में मत्रिमडलीय ग्रासन निस दुर्बल दल-प्रणाली पर आधारित था उसने अनेक बुराइयों को जन्म दिया और प्राप्त में समसीय बार्य-पालिका-प्रणाली वो बदनाम करने में इसका सबसे अधिक हाथ रहा। अपने उद्गमन्थान इगलैंड की तरह एक बास्तविक दल-प्रणाली पर मजबूती के साथ आधारित न होने के बारण प्राप्त में मत्रिमडल का निर्माण और पोषण सरकारी पदों के वितरण के द्वारा होता था और प्रधानमंत्री सदा मित्रों की खोज में लगा रहता था जिससे कि वह अपने आपको मत्रिमडलीय सकट से बचा सके जो हमेशा उस पर सबार रहता था। प्राप्तीसी मत्रिमडलीय प्रणाली की सबसे बड़ी आलोचना बिवाचित् यह है कि तृतीय गणतंत्र के अधीन एक मत्रिमडल का औपनीय जीवनकाल बेवल दस महीने का रहा।

चतुर्थ गणतंत्र के सविधान के निर्माण प्राप्त में समसीय व्यवस्था की मुख्यता के लिए निरतर मत्रिमडलीय सकटों से ऐका होने वाले घटते के प्रति जागरूक थे और उन्होंने उम्मेद निवारण के प्रयत्न भी किए। इस सविधान के चार अनुच्छेद मत्रिमडल पर विश्वास या उसकी निर्दा प्रकट करने के तरीका और परिणामों की व्याख्या करते हैं। ऐसे प्रश्न केवल राष्ट्रीय सभा में ही रखे और विचारे जा सकते थे, उच्च सदन में नहीं। सविधान के अधीन निर्धारित नियमों के अनुसार यदि विसी मत्रिमडल के बार्यकाल के पहले अठारह महीना के बाद विसी अठारह महीनों की अवधि में दो मत्रिमडलीय सकट पैदा होने तो मत्रिमडल सभा के अध्यक्ष से परामर्श करके सभा को भग करने का निश्चय बर सकता था, और यदि वह बैसा निश्चय करता तो गणराज्य के राष्ट्रपति का सभा भग करने की आवश्यक निवालनी पड़ती थी और साधारण निर्वाचन का आदेश देना होना था जो सभा के भग किए जाने के एक महीने के अन्दर ही हो जाना चाहिए था। इतना एहतियान बरतने पर भी चतुर्थ गणतंत्र के पहले दशक में मत्रिमडल का औगन जीवनकाल बास्तव में कम होनेर 6 महीने का ही रह गया।

चतुर्थ गणतन्त्र के प्रारम्भिक दिनों में मतिमंडल का निर्माण सभा के तीन मूल दबो—समाजवादी, माम्प्यवादी, और मसीही लोकतन्त्रवादी (Christian Democrats)¹ के समैलन द्वारा हुआ, किन्तु कुछ ही समय बाद उसके स्थान पर अन्य ग्रुप बनने लगे। कुछ भी हो, अनेक फ्रास्वासी संसदीय कार्यपालिका के गुणों पर सदेह करते हैं चाहे उसका आधार चिनना ही व्यापक बयो न हो। वे संसद द्वारा निर्वाचित और केवल नाममात्र की शक्तिया वाले राष्ट्रपति पर सिद्धान्तरूप में इस आधार पर आपत्ति करते हैं कि ऐसी प्रणाली देश में शासन की सत्ता और विदेशी में उसकी प्रतिष्ठा का दुर्बल बर देती है। वे लाग अमरीकी प्रणाली² को प्रभन्द बरते प्रतीत होते हैं जिसके द्वारा राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है और उसे वास्तविक शक्तिया प्राप्त होती है जिन पर विधानमंडल वा कोई नियन्त्रण नहीं होता। अ-संसदीय अथवा जनपत्रीय कार्यपालिका की धारणा के प्रति फ्रासीसिया का यह प्रेम बहुत पुराना है। इसका स्रोत नेपोलियनी परम्परा है। यही राजनीतिक भावना जनरल बूलाजे के उस आदोलन के पीछे भी थी, जिसके द्वारा उसने जनमतीय कार्यपालिका को पुनर्स्थापना के प्रयत्न से सन् 1886 में एक महान् सकट पैदा कर दिया था। गणराज्य की जनितन न बूलाजे पड़्यत्र को कुचल दिया, किन्तु फ्रास में संसदीय नियन्त्रण से रहित एक लोक-निर्वाचित कार्यपालिका को फिर से स्थापित करने की आशा समाप्त नहीं हुई है। मह बात उस शक्तिशाली समर्थन रोगिण होती है जो जनरल डि गॉल को प्राप्त हुआ जब उसने सन् 1947 में 'फ्रासीसी जन-संगठरोह'³ नाम का आदोलन आरम्भ किया।

यह प्रयास एक नये समदीय दल के निर्माण के लिये उतना नहीं था जितना राष्ट्रीय मत के एक व्यूह के निर्माण के लिये था जिसकी सहायता से डि गॉल ऐसे शासन की स्थापना करने की आशा करता था जिससे चतुर्थ गणतन्त्र की कमजोरियाँ दूर हो सकती। किन्तु उस समय यह व्यूह पर्याप्त भावा में सुदृढ़ नहीं बन सका और वह सक्रिय राजनीति से हट गया। उसके उपरान्त एलजीरिया की स्थिति से उतन्न 1958 के सकट में, जब डि फ़ान्स में गृह-युद्ध छिड़ने की नीबत आ चुकी थी, प्रेसीडेंट कोटो ने उसे प्रधान मंत्री का पद स्वीकार कर पुनर राजनीति में प्रवेश करने के लिये राजी कर लिया। सभा ने अच्छे बहुमत से उसे स्वीकार कर लिया और 6 महीनों के लिये आजप्ति (Decree) द्वारा शासन करने के पूरे अधिकार उसे प्रदान कर दिये। इसी बीच संसद ने उसे एक नया संविधान

¹ M R P.—Mouvement Républicain Populaire

² अगले अध्याय में वर्णित

³ Rassemblement du Peuple Français

तैयार करने का भी अधिकार दिया, जिसे जनमत संग्रह के लिये प्रस्तुत किया जाना था। तदनुसार शासन ने संविधान तैयार किया और संसद-सदस्यों की तदर्यं नियुक्त समिति ने उसपर विचार किया। सितम्बर 1958 में जनमत-संग्रह में जनता के विचाल बहुमत ने उसका अनुमोदन किया। उस दर्यं के अन्त में पहले ही नये संविधान वे अनुसार डि गॉल राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ, संयुक्त सत्र में संसद के दोनों भवनों द्वारा नहीं, जैसा पूर्व गणतांत्री में होता था, बल्कि एक ऐसे निर्वाचिकमण्डल द्वारा जिसमें सभी संसद सदस्यों के अतिरिक्त फ्रान्स तथा समुद्रपार के प्रदेशों के मेयर एवं स्थानीय परिपदों के प्रत्यायुक्त भी शामिल थे। इन सब की कुल संख्या लगभग 76000 थी।

पचम गणतांत्र के संविधान (1958) में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधान मंत्री को नियुक्त करेगा और प्रधान मंत्री के प्रत्ताव पर शासन वे अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगा (अनुच्छेद 8) और शासन सत्राद के समक्ष उत्तरदायी होगा (अनुच्छेद 20)। यहाँ तक पचम गणतांत्र में फास में संसदीय कार्यपालिका बनी रही। परन्तु पहले की कार्यपालिका से इसमें कई विभिन्नताएँ थीं। प्रथम, जैसा हमने बताया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद सदस्यों द्वारा ही नहीं, बल्कि एक निर्वाचिकमण्डल द्वारा हुआ जिसमें अन्य लोग संख्या में संसद सदस्यों से बहुत अधिक थे। द्वितीय यद्यपि केविनेट संसद वे समक्ष उत्तरदायी थी, तो भी मझी विसी भी सदन वे सदस्य नहीं हो सकते थे। इस प्रकार वे दलों के अनुशासन और निर्वाचिकों वे दबाव से बचे रहे। तृतीय, राष्ट्रपति को कार्यपालिका का संत्रिय अध्यक्ष बनाया गया और उसे विधानमण्डल पर नियन्त्रण के व्यापक अधिकार दिये गये। इन अधिकारों में संसद् को, जिसका सामान्य सत्र वर्ष में केवल साढ़े पाँच महीने का था भग करने का अधिकार भी शामिल है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि संसद में शासन की निन्दा का प्रस्ताव स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति सभा को भग कर नये निर्वाचन करा सकता है। अन्त में संविधान ने राष्ट्रपति को गणतांत्र की संस्थाओं, राष्ट्र की स्वतंत्रता, राज्य-प्रदेश की अखण्डता अथवा राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय दावितों के पालन के लिये खतरा उपस्थित होने की स्थिति का मुकाबला करने के लिये छठोर आपत्तिकालीन कार्यवाही करने का अधिकार भी दिया। इन बातों को देखते हुए इस नये शासन-नागरण को हम शक्तियों के आशिक पृथक्करण पर आधारित अर्थं राष्ट्रपति शासन प्रणाली बहुत शायद अधिक उपयुक्त होगा।

डि गॉल वे शासन के प्रथम चार वर्षों में वास्तव में, संविधान की भाषा और उसके अधीन अपनी शक्तियों की डि गॉल की व्याख्या में वर्धमान अन्तर रहा। अपनी वृद्धावस्था और श्वप्नों हृत्यां के प्रयत्नों को देखकर डिगॉल ऐसे भविष्य के बारे में सोचने लगा कि जब उसके हृत्य में सत्ता नहीं होगी। अक्टूबर

1962 में एक संकट उपस्थित हुआ जब राष्ट्रीय सभा ने शरदूलीन गति के पूर्व हि गात ने संविधान में सशोधन का प्रस्ताव करने की घायला की ताकि भावी राष्ट्रपति पा. निवाचित संविधान के अनुच्छेद 6 में निर्देशित निवाचिकारण्डरा द्वारा विय जाने के स्थान पर साधित गताधिकार होता है। उसे इस परिवर्तन की स्वीकृति, (संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुगार जिसमा सशोधन प्रतिया उल्लिखित है) परिवर्तन-सम्बन्धी प्रस्ताव का गारदे में गारदे प्रस्तुत विय दिता ही, जनमतसंघ गम्भीरी अनुच्छेद 11 का अधिग तेरे हुए 28 अक्टूबर का हारा घाल जनगत गम्भीरे द्वारा प्राप्त वरन का विचार प्रबंध किया। इस अत्याधिकार का दस्तकर राष्ट्रीय सभा ने शामल में विरुद्ध गिन्दा का प्रस्ताव पारित किया। तब राष्ट्रपति न सभा को शक कर दिया और उसका बाद हात बारे सामान्य निर्वाचित में दिगंबर का गम्भीरा वो अम्य समस्त दला का प्राप्त कुल गता स भी अधिक मत प्राप्त हुए।

इसी धीम अक्टूबर में जनमत गम्भीर व्यधाविधि गम्भीर हुआ और उसमें राष्ट्रपति के प्रस्ताव का 6। प्रतिशत मत प्राप्त हुआ। 1968 के संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचित के गिन्दाल और प्रतिया के गम्भीरित अनुच्छेद 6 और 7 का सशोधन करने के लिये एक गारकारी विधेयक तेवार किया गया। इस प्रवारा, वह अन्त में, समीय वायंपालिका को जनगतीय प्रेसीडेंसी (Plebiscitary Presidency) में परिणत परने के आन उद्देश्य में गम्भीर हुआ। सशोधित प्रतिया के अनुगार प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित व्यधाविधि दिया गया। 1969 में हुआ और दिगंबर सात वर्ष वी द्वारी अवधि के लिये निर्वाचित हुआ, ताकि इसके लिये द्वितीय मतदान की आवश्यकता नहीं।

6 इटली के गणतंत्र में संत्रिगंडसीय प्रणाली

इटली के गणतंत्र में संविधान के व्यधित गविमाइलीय उत्तराधिकृत भा. गिन्दाल पुनः प्रवर्तित किया गया है। यह गिन्दाल गन् 1818 के मार्डीनियन संविधान में निहित था और इटली राज्य की व्यधिक गतिकारी के अभीन उम्मी विकास तब तक होना रहा, जब तक कि पारिस्ट अधिनायक धारा न उसे गम्भीर नहीं कर दिया। गूल गविधान के अनुच्छेद 69 में पहा गया था कि संसिया वो राजा नियुक्त गवे एवं व्यधृत करता है; जिन्हु अनुच्छेद 67 में पहा गया था कि गविमण मगदे के प्रति उत्तराधिकारी होगे और कोई भी विधियों या गारकारी धारी-वालियों तब तक प्रभावकारी नहीं होगी जब तक कि उन गव विरों गंभीरे के हस्ताधिकार न हो। अनुच्छेद 66 में कहा गया था कि गविमण वो प्रतिनिधि गदन गा गिराट में गत देन का अधिकार नहीं होगा जब तक कि वे उनमें गें विरो एक के सदस्य न हों; जिन्हु उनको होना गदनां गें प्रवेश का अधिकार होगा और

प्रार्थना किए जाने पर उनको मुझे भी जा सकेगा। इस धारा का साधारणनया यह अर्थ लगायर गया कि प्रधानमंत्री पर यह दायित्व था कि वह किसी सदन का सदस्य न होने वाले मंत्री को या तो सिनेट का सदस्य नियुक्त करे, या उसे प्रतिनिधि-सदन में प्रथम स्थान रिक्त होने के अवसर पर उसकी सदस्यता के लिए उम्मीदवार बनाए। इस प्रकार इटली में संविधानी एकत्र वे अधीन उस मंत्रिमंडलीय प्रणाली का उदाहरण विद्यमान था जैसी ब्रिटेन में प्रचलित है।

अतः जब हम यह देखते हैं कि कासिञ्च के सत्ताहृष्ट होने तक इटली के लोगों को 50 वर्ष से भी अधिक का ऐसी सांविधानिक प्रणाली वा अनुभव था, तो हमें इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होता कि अधिनायकवाद और उसके सम्मत अनिष्ट-कर परिणामों की प्रतिक्रिया के रूप में वे सत्तादीय कार्यपालिका के सिद्धान्त की पुनरावृत्ति चाहते हो। इटली के नवीन गणतन्त्र में राष्ट्रपति सात वर्ष के लिए संसद (अर्थात् दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन) वे द्वारा निर्वाचित होता है। इस निर्वाचन में संसद के साथ प्रत्यक्ष प्रावेशिक परिषद् के तीन प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं जिनका चुनाव इस प्रवार किया जाता है कि अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व मिल सके। किन्तु राष्ट्रपति को कोई प्रत्यक्ष राजनीतिक शक्तिया प्राप्त नहीं है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 89 और 90 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसका कोई भी बार्य प्रधानमंत्री या किसी उपयुक्त मंत्री, जो उत्तरदायिक प्रहण करता है, को पुष्टि के बिना मान्य नहीं होगा और राष्ट्रपति राजद्रोह के अथवा संविधान के उल्लंघन में जिए गए कार्यों के सिवाय विस्ती बातें हैं लिए उत्तरदायी नहीं होगा। राजद्रोह और संविधान के उल्लंघन की अवस्था में उस पर संसद द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है।

नए गणतन्त्र वे संविधान के अस्त्रय तीन के पाव अनुच्छेद मंत्रिमंडल अवबा मंत्रिपरिषद् की हैसियत, उसके स्वरूप और कृत्यों की विवेचना करते हैं। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम निर्देशन करता है जो मंत्रियों के नामों वो प्रस्तुत करता है और इस प्रकार गठित मंत्रिमंडल वो अपने निर्माण के बाठ दिनों के अन्दर निरपेक्ष बहुमत द्वारा संसद् के दोनों सदनों का विश्वास प्राप्त कर सेना चाहिए। दोनों सदन शासन में अविश्वास या उसकी निर्दा का प्रस्ताव पेश करने के लिए समान रूप से सक्षम हैं। किन्तु दोनों भदनों में से किसी भी सदन में विपरीत मत के फलस्वरूप मंत्रिमंडल त्यागपत्र देने के लिये अधिक नहीं हैं। यह व्यवस्था शासन की अस्तित्वता की गुणायण को कम करने के लिये एहतियात के रूप में भी गई है। मंत्रिगण मंत्रिमंडल के कार्यों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं और प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के कार्यों के लिए उत्तरदायी है। अतएव, यह स्पष्ट है कि इटली के नवीन गणतन्त्र का राष्ट्रपति वैचल नाममात्र का बायंकारी है और बास्तविक बायंकारी तो प्रधानमंत्री और

मतिमडल है जो सप्तद के प्रति उत्तरदायी है। दूसरे शब्दों में, इटली के गणतन्त्र में सप्तदीय कार्यपालिका है और इस सम्बन्ध में उसका सविधान इटली के प्रारम्भिक सविधानी राज्य और प्रेट ग्रिटेन के सविधाना के समान ही है।

7 सप्तदीय कार्यपालिका पर दोनों विश्व युद्धों के प्रभाव

सप्तदीय कार्यपालिका, जो प्रथम विश्वयुद्ध के छिड़ने के समय परिचमी और उत्तरी पौरोप के अधिकतर साविधानी राज्यों में विद्यमान थी, युद्ध के परिणाम-स्वरूप पुनर्गठित अथवा निर्मित नए राज्यों के द्वारा सामान्यतया अपनाई गई थी। केविनेट शासन का रिहान्त जर्मनी, आर्टिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, फिनलैंड और एस्टोनिया, लटविया तथा लिथुएनिया के तीना बाल्टिक राज्यों के युद्धोत्तर सविधानों में न्यूनाधिक स्पष्ट रूप में समाविष्ट बिया गया था। युगोस्लाविया का सविधान युद्ध से पहले के सर्विया के सविधान का हपानार था और रुमानिया में युद्ध से पहले का सविधान आवश्यक परिवर्तना के साथ परिवर्धित राज्य को लागू किया गया था। परन्तु हगरी की युद्धोत्तर साविधानिक स्थिति अत्यन्त अनिश्चित थी।

ये व्यवरथाएँ युद्ध के तुरन्त बाद के बाल के आशावाद के प्रभाव में की गई थी, परन्तु अधिकतर राज्यों में, विशेषकर हिटलर द्वारा असीमित सत्ता प्रहण करने के बाद जर्मनी में बाद के वर्षों के समाजिक एवं राजनीतिक गडबड के कारण उनका धीरे धीरे मूलोच्छेदन हो गया। ऐसा, उदाहरणार्थ, पोलैंड में हुआ जहाँ 1921 के सविधान के अधीन सिनट और डायट (Diet) के सयुक्त सब द्वारा सात वर्ष के लिये निर्बाचित राष्ट्रपति अवर सदन के प्रति उत्तरदायी मतियों के द्वारा अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता था। किन्तु यह सविधान पहले से कुछ समय से निलम्बित जैसा ही था और 1935 में उसके स्थान पर एक दूसरा सविधान आगया जिसके अनुसार राष्ट्रपति को अधिनायकवृत् सत्ताएँ प्राप्त हो गईं जिनमें सिनेट के एक-तिहाई सदस्यों को नामनिर्देशित करने की सत्ता भी शामिल थी। इसके राख एक नये निवाचन कानून ने सरकारविरोधी दलों को, वास्तविक रूप में, मताधिकार से बचाया कर दिया। इस प्रकार 1939 में पोलैंड में हिटलर का दबाव आरम्भ होने तक उसकी सप्तदीय कार्यपालिका प्राय विलुप्त हो चुकी थी।

चेकोस्लोवाकिया में, 1920 के सविधान के अधीन, सप्तदीय कार्यपालिका पोलैंड वी अपेक्षा कुछ अधिक समय तक चलती रही। प्रेसीडेण्ट का निवाचन प्रतिनिधि सदन और रिनेट के सयुक्त अधियेशन द्वारा सात वर्ष के लिये होता था। एक प्रधान मंत्री और मतिमडल होता था जो प्रतिनिधि-सदन के प्रति उत्तरदायी होते थे। परन्तु इस क्रियम राज्य में अनेक राष्ट्रजातियों एवं राजनीतिक गुटों

के अस्तित्व के कारण संसदीय प्रणाली की स्थिरता बड़ी कठिनाई से बायम रही। जब चेकोस्लोवाकिया ने सितम्बर 1938 में म्यूनिख के घातक तिरंगे के पल-स्वरूप स्यूट्टेनलैंड का प्रदेश जर्मनी को सौफरा पढ़ा उस समय यह व्यवस्था अत्यन्त निवेद हो गई और अगले वर्ष मार्च में जब हिटलर ने बोहोमिया और मोरेविया के प्रान्त जर्मनी में सम्प्रसित कर लिये तो उसका अन्त हो गया।

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ये दोनों राज्य और वे अन्य राज्य जिनकी हुपने चर्चा की है, विदेशी आधिपत्य में रहे। युद्ध की समाप्ति पर उनमें से अधिकांश राज्यों की राजनीतिक स्थाएँ साम्यवादी ढांचे में ढाली गई जिसपे कार्यपालिका प्रणाली उस प्रणाली से बहुत भिन्न थी जिसे उन्होंने प्रथम विश्वयुद्ध के बाद पश्चिम से प्रहण किया था। उदाहरणार्थ, पोलैंड में 1936 के स्टालिन के संविधान पर अधारित 1952 के संविधान के अनुसार राज्य का नाम बदलकर पोलिश लोकगणराज्य रखा गया और व्यवहार में कार्यपालिका शक्ति साम्यवादी दल के नेताओं के हाथों में पहुँच गई। 1959 में एवं नया संविधान प्रख्यापित हुआ। उसकी भावाएँ साम्यवादी दस्तावेज का कोई वित्त नहीं था। उदाहरणार्थ, अनुच्छेद 15 में कहा गया था कि डायर (Sejm) अर्थात् विधानसभा 'राज्य सत्ता का सर्वोच्च अग' है और अनुच्छेद 30 में कहा गया था कि 'केविनेट शासन का सर्वोच्च कार्यकारी एवं प्रशासनिक अग' है। किन्तु दो ऐसे भी अग हैं जिनका पाइनात्य संविधानबाद से कोई सम्बन्ध नहीं है, वे हैं—प्रथम, राज्य परिषद् (Council of States) जिसके पास विधि-निर्माण में मूलभूत करने का प्रभावी अधिकार है और द्वितीय, नियवण का सर्वोच्च बोर्ड (Supreme Board of Control) जो आर्थिक नियोजन का सचालन करता है। इस पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापि पोलैंड राजनीतिक एवं विचारधारा को दृष्टि से 'माँस्कों का अत्यन्त निप्टावान एवं मेधावी मित्र' बने गया, फिर भी पोलैंड के लोगों में पश्चिम के साथ उनकी पुतानी सास्वतिक सहानुभूति बहुत कुछ बनी हुई है और उन्होंने किसी भी अन्य साम्यवादी राज्य के लोगों से अधिक सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है।

जिन राज्यों का हमने वर्णन किया है उनमें से, अन्त में, केवल तीन राज्य साम्यवादी जात से बच सके और अपनी संसदीय कार्यपालिका को पुन रूपापित कर सके। ये राज्य जर्मनी (हालांकि छिन्न रूप में), ऑस्ट्रिया और फिनलैंड थे। सन् 1949 में जर्मनी के संघीय गणतंत्र के लिये मूलविधि का प्रारूप तैयार करते समय जर्मन साविधानिह विधिता वे सामने मार्गदर्शक के रूप में 1919 वा वेमर संविधान था जिसे हिटलर ने समाप्त कर दिया था। उन्होंने इस से कम उसकी भावना को स्वीकार किया। वेमर संविधान के अधीन राष्ट्रपति का निवाचित जनता के भत द्वारा सात वर्ष के लिये होता था। बीस या इससे

अधिक आयुवाले समस्त रक्षी-भुरुओं को मताधिकार प्राप्त था। तृतीय फ्रेज्व गणतन्त्र के संविधान के समान इस संविधान ने भी राष्ट्रपति की विशद शक्तियों था उल्लेख किया था जिनका प्रयोग वास्तव में संघीय चासलर (प्रधान मंत्री) और मन्त्रिमंडल करते थे जो शासन का सचालन करते थे और राष्ट्रेस्टाटम के समक्ष उत्तरदायी थे। इस संविधान ने जर्मनी में उसके इतिहास में पहली बार संसदीय कार्यपालिका की स्थापना स्पष्ट रूप में की थी।

सन् 1949 में मूलविधि द्वारा पश्चिमी जर्मनी में संसदीय कार्यपालिका की पुनः स्थापना हुई। इस संविधान के अधीन राष्ट्रपति का निर्वाचन सान वर्ष के स्थान पर, जैसा पहले होना था, पाँच वर्ष के लिये, लोक-मतदान द्वारा वल्कि एक संघीय सम्मेलन (Federal Convention) द्वारा किया जाता था जो एक संयुक्त सभा होनी थी जिसमें बण्डेस्टाट (अबर सदन) के सदस्य और आनुपानिक निर्वाचन की पद्धति से राज्यों की प्रनिनिधिक सभाओं द्वारा निर्वाचित उत्तने ही (बण्डेस्टाट के सदस्यों के बराबर) सदस्य होते थे। परन्तु संघीय शासन चान्सलर और संघीय मन्त्रियों के हाथों में है। मूलविधि के 62-69 अनुच्छेदों में स्पष्ट उल्लेख है वि चान्सलर और कैविनेट बण्डेस्टाट के प्रति उत्तरदायी हैं और वे तभी तक पदारूढ़ रह सकते हैं जब तक उन्हें उस सदन के बहुमत का विश्वास प्राप्त रहे।

ऑस्ट्रिया के संघीय गणतन्त्र का जन्म जर्मनी के वैमर गणतन्त्र के लगभग साथ ही हुआ था परन्तु यह ऑस्ट्रिया प्रथम विश्वयुद के फलस्वरूप विघटित ऑस्ट्रियान्हगरी के साम्राज्य का छोटा सा अवशेष भाव था। उसका संविधान 1920 में प्रव्याप्त हुआ था। उसके अधीन राष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनों (Nationalrat और Bundesrat) के संयुक्त अधिवेशन में चार वर्ष के लिये होता था। वह वास्तव में कुछ कार्यपालिका-कार्य करता था परन्तु उसके अधिकांश कार्य अबर सदन (Nationalrat) के प्रति उत्तरदायी संघीय मन्त्रिमंडल द्वारा सम्पन्न होते थे। सन् 1929 में संविधान का कुछ बातों में संशोधन हुआ परन्तु उसके बाद शीघ्र ही नाजी दबाव का प्रतिरोध करने के प्रयत्नों ने तिलसिले में वह धीरे धीरे निर्बंल होना गया और 1938 में ऑस्ट्रिया के जर्मनी में सम्मिलित किये जाने के साथ समाप्त होगया।

युद्ध के बाद 1920 का संविधान, 1929 के संशोधन स्पष्ट में, नई परिस्थिति में आवश्यक कुछ परिवर्तनों सहित पुनर्जीवित किया गया और 1955 में ऑस्ट्रिया द्वारा प्रभुत्व सम्पन्न स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से यूरोप स्पष्ट में कार्यान्वित हो रहा है। इस संविधान के बनेमान स्पष्ट के बनुसार राष्ट्रपति समान एवं गुप्त मनदान द्वारा 6 वर्ष के लिये निर्वाचित होता है। कार्यपालिका सत्ता संघीय राष्ट्रपति और संघीय शासन (अर्थात् संघीय चान्सलर और उसके मन्त्रिगण) से मिलकर बनती

है। राष्ट्रपति चान्सलर की ओर उसके मुकाबले पर मदियों की नियुक्ति करता है। संविधान की भाग्य के अनुसार राष्ट्रपति केविनेट के मदियों की नियुक्ति करते में स्वतंत्र है परन्तु चूंकि सधीय चान्सलर और केविनेट के मंत्री तक अपने कार्य नहीं कर सकते जब तक उन्हें अबर सदन के बहुमत का विश्वास प्राप्त न हो, ऐसे ही व्यक्ति मंत्री बनाये जा सकते हैं जिन्हें संसद के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। केविनेट के मंत्री अपने और अपने अधिनियम कर्मचारियों के कार्यों के लिये अबर सदन के प्रति उत्तरदायी हैं। संविधान के अनुसार 'जिस मंत्री के विषद् विश्वास का प्रस्ताव स्वीकृत हो उसे पढ़ से मुक्त कर दिया जाना चाहिये' ।¹ स्पष्ट है कि आस्ट्रिया के सधीय गणतंत्र में सरकारी कार्यपालिका है।

फिनलैंड का गणतंत्र स्वतंत्र प्रभुत्वसम्पन्न राज्य के रूप में 1919 में स्थापित हुआ था जब कि बर्तमान संविधान प्रस्तावित किया गया था। सन् 1906 में, जब फिनलैंड रूसी शासन से बना हुआ था, फिनलैंड के कुछ मामलों के लिये एक-सदनी विभागनमान का निर्माण किया गया था। इस सभा का 1926 के संसद अधिनियम द्वारा व्यापारण हुआ जिसने द्वारा वह प्रणाली स्थापित हुई जिसके अनुसार फिनलैंड की बर्तमान एक-सदनी समझ का निर्वाचन होता है और उसकी कार्य-प्रणाली सम्बन्धी नियम बनाये जाते हैं। फिनलैंड के संविधान के अनुसार जो दस्तावेजी है, हालांकि वह खण्डात्मक है, राष्ट्रपति का परोक्ष रूप में, परन्तु एक असाधारण रूप में, निर्वाचन होता है। संविधान के अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि जनता 300 राष्ट्रपति-निर्वाचकों का चुनाव ले लिये हैं, अर्थात् सार्विक वयस्क मनाधिकार और निर्वाचन आनुपातिक निर्वाचन पद्धति से होगा। तीन सौ निर्वाचक गुप्त रूप में मतदान करते थे। यदि राष्ट्रपति पद के लिये किसी भी उम्मीदवार को ढाले गये मनों में से आधे प्राप्त नहीं होते तो डिलीप मतदान होना आवश्यक था। इस प्रकार निर्वाचन राष्ट्रपति को कुछ वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त थीं, परन्तु उसके अधिकाश कार्य तभी वैध समझे जा सकते थे जब उन पर किसी मंत्री के प्रतिहस्ताधर होने थे और इन मंत्री के लिये यह आवश्यक था कि वह कौसिल ऑफ स्टेट, या केविनेट, या सदस्य हो और उसे निर्वाचित सदन का विश्वास प्राप्त हो (अनुच्छेद 36 और 43)। राष्ट्रपति और कौसिल ऑफ स्टेट के बीच विवाद उपस्थित होने वे अवस्य में, अन्तिम निर्णय कौसिल का होता था परन्तु तभी तक जब तक वह संविधान के

¹ आस्ट्रिया की सरकार को प्रेस और सूचना सेवा, विधान द्वारा प्रशासित Austria : facts and figures (चतुर्थ संस्करण, 1961, अनुदित) से उद्दत।

अनुकूल कार्य करती थी। संविधान की अनिवार्यता करने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय का था। सन् 1930 के बाद फिनलैड में कुछ फासिरटो के उपद्रव हुए परन्तु ये 1932 में समाप्त हो गये और उनका केविनेट प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जब किंतु सोगो को जमंनी के साथ विनाशकारी मौती करनी पड़ी, तब भी नाजियों का फिनलैड की सरकारी कार्यपद्धति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। सन् 1944 के बाद रूसी दवाव के फलस्वरूप, कुछ सत्तावादी तत्व प्रवक्त छोड़ लगे परन्तु 1947 में उनका निराकरण कर दिया गया और संसदीय कार्यपालिका नी कार्यविधि पुनर्पूर्णरूप से स्थापित हो गई।

यहाँ जापान के विषय में भी कुछ कहना उचित होगा जहाँ अमेरिका के प्राधान्य के अधीन 1947 में प्रस्तावित संविधान के द्वारा अधिकाश में पश्चिमी नमूने पर आधारित संसदीय कार्यपालिका स्थापित की गई थी। प्राविधिक दृष्टि से नया संविधान 1889 के साम्राज्यिक संविधान के सशोधन के रूप में अगीकार किया गया था परन्तु यास्तव में उसका पूर्ण रूपान्तरण हो गया था। संग्राम बना हुआ है परन्तु बैबल 'राज्य के एव जनता की एकता के प्रतीक' के रूप में। सराद (Diet) में दो गदन हैं प्रतिनिधि-सदन (House of Representatives) और पार्यंद-सदन (House of Councillors) जिसने हाउस ऑफ नीमस का स्थान प्रहण कर लिया है। दोनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर परन्तु भिन्न प्रणालियों से निर्वाचन होता है। प्रधान मंत्री का वरण संसद में से उसके सदस्यों द्वारा होता है। वेविनेट में प्रधान मंत्री और उसके द्वारा नियुक्त ग्यारह से सोलह तक मंत्री होते हैं। कम से कम आधे मंत्री सराद में से लिये जाने चाहिये जिसके प्रति वे सामूहिक रूप में उत्तरदायी हैं।

इस प्रकार पूर्वी योरोप तथा एशिया में साम्यवादी प्रणालियों के अतिक्रमण और आद्वेरिया (स्पैन तथा पुर्तगाल) में सत्तावादी शासन के बचे रहने के बावजूद अधिकाश महत्वपूर्ण योरोपियन राज्यों में संसदीय कार्यपालिका बनी हुई है और दो प्रमुख एशियाई राज्यों—जापान और भारतवर्ष—में स्थापित की गई है। बनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में भी वह जारी है और अफ्रीका के नये स्वतंत्र राज्यों में से कुछ में स्थिर संसदीय शासन का विवरणीय आधार सिद्ध हो रहती है।

12

अ-संसदीय या स्थायी कार्यपालिका

१ सामान्य विचार

'केविनेट शासन' और 'राष्ट्रपति-शासन' इन पदों का प्रयोग प्रायः उस भेद को प्रकट करने के लिये किया जाता है जो 'संसदीय कार्यपालिका' तथा 'अ-संसदीय कार्यपालिका' के प्रयोग से प्रकट होता है, परन्तु यदि इन पदों की सावधानी के साथ परिभाषा न की जाए तो ये भ्रमात्मक हो सकते हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, हीं सबता है कि निर्वाचित राष्ट्रपति वास्तविक कार्यकारी न हो और उस दशा में कार्यपालिका वास्तव में ऐसे मतिमडल के हाथों में होती है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होता है और जो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। पुनः यह आवश्यक नहीं है कि मतिमडलीय सरकार एक व्यक्ति के शासन के विपरीत एक निकाय का ही शासन हो। जैसा कि हम बता चुके हैं, इगलेंड का मतिमडल वास्तव में प्रधान मन्त्री के द्वारा ही नियुक्त होता है और इस जर्ते के अलावा कि उसमें मतिमडल के सभस्त सदस्यों को संसद के एक या दूसरे सदन का सदस्य होना चाहिए और वे साधारणतया उसके दल के सदस्य हों, उसकी पसन्द पर कोई और निर्वन्ध नहीं है। इसके विपरीत राष्ट्रपति शासन प्रणाली में राष्ट्रपति में आवश्यक हृषि में अपने केविनेट अधिकारियों को (Cabinet Officers) जिस नाम से वे संयुक्त राज्य में पुकारे जाते हैं, चुनने की निर्वाचन स्वतंत्रता नहीं होती, वल्कि संयुक्त राज्य में कार्यपालिका के और न्यायपालिका के बड़े महत्वपूर्ण पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के लिये सचिवालय के अनुसार सिनेट के बहुमत की स्वीकृति आवश्यक होती है। कुछ भी हो, व्यक्तियों के एक निकाय में कार्यपालिका शक्ति वा वितरण बढ़ा बठिन है। कार्यपालिका शक्ति की सम्पूर्ण प्रवृत्ति एक व्यक्ति के हाथों में केन्द्रीकृत होने की ओर है, और केवल निर्वाचित प्रणाली से इस बात की मारटी नहीं मिलती कि उसका वितरण होगा। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में चूंकि मतिमडल वे अधिकार सदस्य खोक्सभा के सदस्य होते हैं, इससे यह निव्वयन निकलता है कि मतिमडल में अधिकार सदस्य में जनता वे प्रतिनिधि ही होते हैं हालांकि उसका निर्वाचन भजवी मतियों के हृषि में नहीं होता। अतएव, इस बात में मतिमडलीय और राष्ट्रपतीय शासन असदीय और अ-संसदीय कार्यपालिकाएँ एक

समान हो सकती है। ऐसे गणराज्यों के भी उदाहरण है, जैसे रिट्रॉनेंट, जहाँ वास्तव में विधानमण्डल के द्वारा ही कार्यपालिका का निर्वाचन होता है, परन्तु ऐसा निर्वाचन सासदीय अथवा अ-सासदीय कार्यपालिका दोनों में से किसी का भी अन्तर्निहित लक्षण नहीं है।

अ-सासदीय कार्यपालिका कभी-कभी स्थायी कार्यपालिका वही जाती है और इस अर्थ में यह बात तभी है कि विधानमण्डल के किसी भी कार्य से वह हटाई नहीं जा सकती। ऐसी स्थायी कार्यपालिका ऐसे राज्य में मिलेगी जहाँ एक वशानुगत कार्यपालिका वास्तव में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करती है, जैसा पूर्व जर्मन साम्राज्य (1871-1918) में होता था। परन्तु पाश्चात्य जगत में ऐसा कोई राज्य आज नहीं बचा है। एक दूसरे प्रकार की स्थायी कार्यपालिका आजकल के साम्यवादी राज्यों में दिखाई देती है जहाँ कार्यपालिका नियन्त्रण ही सासदीय नहीं है, हालांकि उसे अ-सासदीय कहने से गलत धारणाएँ बन सकती हैं। सन् 1936 के स्टालिन संविधान (1947 में संशोधित)¹ के अनुसार 'यू एस एस आर में राज्य-शक्ति या सर्वोच्च अग-यू एस एस आर की सर्वोच्च सोवियत' है (अनुच्छेद 30), परन्तु सर्वोच्च सोवियत का अध्यक्षमण्डल (Presidium) सर्वोच्च सोवियत के कभी-कभी होनेवाले सत्रों के अन्तर्काल में अध्यादेश द्वारा विधिनिर्माण कर सकता है। 'राज्य-शक्ति का सर्वोच्च अग (स्टालिन संविधान के अनुसार) यू एस एस आर की मति-परिपद—कौसिल ऑफ मिनिस्टर्स (जिसका नाम 1946 तक कौसिल ऑफ पीयुल कॉमिसार्स था) है (अनुच्छेद 64)। उसके सदस्यों की नियुक्ति सर्वोच्च सोवियत के द्वारा या सत्रों के अन्तर्काल में अध्यक्षमण्डल द्वारा होती है और सिद्धान्त में वह सर्वोच्च सोवियत या सत्रों के अन्तर्काल में अध्यक्षमण्डल के प्रति उत्तरदायी है। परन्तु वास्तव में, मति-परिपद के कार्य केवल कार्यपालिका-क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है यद्योकि उसे आज्ञानि द्वारा विधिनिर्माण की शक्ति प्राप्त है। किसी भी रिति में इन दोनों निकायों को—अध्यक्षमण्डल और मति-परिपद—को कम्यूनिस्ट पार्टी की सेप्टेंबर कमिटी के साथ घनिष्ठ रूप में मिलकर कार्य करना पड़ता है यद्योकि, जैसा स्टालिन ने स्वयं कहा था 'सर्वहारावर्ग (मजदूर वर्ग) का अधिनायक तत्व, सारत मजदूरवर्ग का पथ-प्रदर्शन करनेवाली शक्ति के रूप में कम्यूनिस्ट पार्टी का अधिनायक तत्व है।'²

¹ सन् 1961 में यू.एस.एस. आर के मतिमंडल के अध्यक्ष और सोवियत पूर्नियन की कम्यूनिस्ट पार्टी की सेप्टेंबर कमिटी के प्रथम सेप्टेंबरों निकिता खुश्चेव ने एक नये संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया था परन्तु 1964 से उसके पतन तक कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई थी।

² देखिये Leninism (1940)

परन्तु साविद्यानिक कार्यपालिका से हमारा आशय यह नहीं है। अत इष्ट है कि लोकतन्त्र के उपकरण के हप में कार्यं करनेवाली अ-संसदीय कार्यपालिका के दृष्टान्त के लिये हमें अन्यत्र देखना चाहिये।

यह लोकतन्त्रात्मक मूल्य, जो असंसदीय कार्यपालिका में निहित समझा जाता है, हमें शक्तियों के पृथक्करण के पुराने सिद्धान्त नहीं पढ़ूचा देता है। इसके लिए यह तर्क दिया जाता है कि यदि राष्ट्रपति कार्यपालिका के कृत्यों को सम्पादित करने के लिए जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो अन्य प्रयोजन के लिए निर्वाचित निवाय के द्वारा उसके कार्यपालीय कृत्य सीमित नहीं होने चाहिए। कृत्यों का ऐसा निरपेक्ष विभाजन केवल सिद्धान्तहप में ही सम्भव हो सकता है, क्योंकि कार्यपालिका के कार्य वे एक भाग का सम्बन्ध विद्यायी शक्ति की आज्ञ-प्रतिक्रिया के निष्पादन से भी होता है। परन्तु यहां कार्यपालिका अ-संसदीय होती है, वहां वे सब शक्तियां, जो कि संविधान के अनुसार कार्यपालिका की होती हैं, वास्तव में उनके पालन करने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद की होती हैं। इसके विपरीत, यहां कार्यपालिका संसदीय होती है वहां वे शक्तियां, जो कि संविधान में कार्यपालिका के लिए निर्धारित होती हैं, वास्तव में उस व्यक्ति को नहीं होती जो उनके निष्पादन के लिए वगानुगत आधार पर नियुक्त होता है या निर्वाचित द्वारा चुना जाना है।

जिन संविधानों की जब हम इस दृष्टिकोण से परीक्षा करेंगे वे पर्याप्त मात्रा में विभिन्न हैं। इनमें प्रयम अर्थात् संयुक्तराज्य का संविधान अ-संसदीय कार्यपालिका वा यथार्थ उदाहरण है, दूसरा अर्थात् स्विट्जरलैण्ड का संविधान विश्व की साविद्यानिक प्रणालियों में एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है; देखने में उसकी कार्यपालिका संसदीय है, जिन्हें व्यवहार में उसमें कृत्यों का पृथक्करण प्रदर्शित होता है। तृतीय अर्थात् तुर्की गणतन्त्र की कार्यपालिका एक नए ही प्रकार की कार्यपालिका का उदाहरण है, जिसमें संसदीय और असंसदीय दोनों प्रकार की कार्यपालिकाओं की विशेषताओं का मेल दिखाई देता है।

2 संयुक्तराज्य में सिद्धान्त का प्रयोग

अमरीका के संयुक्तराज्य में अ-संसदीय या स्थायी कार्यपालिका के सिद्धान्त वा सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। इसके संविधान के निर्माणाओं ने विधान-महल से कार्यपालिका की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त वा चरम व्यावहारिक सीमा तक प्रयोग किया। यद्यपि एक महत्वपूर्ण मामले में, जिस पर हम अभी दृष्टिपात करेंगे, वह प्रणाली, जिसे उन्होंने प्रारम्भ में स्थापित किया था, व्यावहारिक हप में हृदि और प्रथा के द्वारा पर्याप्त हयेण परिवर्तित हो गई है, किंतु भी पृथक्करण का सिद्धान्त यथार्थ बना हुआ है। संविधान में कहा गया है कि “कार्यपालिका

शक्ति अमरीका के सधुक्तराज्य के राष्ट्रपति में निहित होगी" और "समान अधिक के लिए चुने गए उप-राष्ट्रपति के साथ वह अपना पद छार बर्पं की अवधि के लिए धारण करेगा।" इन दोनों पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए प्रारम्भिक व्यवस्था सविधान के अनुच्छेद 2 के छण्ड 1 में निर्धारित की गई थी; परन्तु सन् 1804 में बारहवें संशोधन द्वारा उसका अपाकरण कर दिया गया, जिसके अनुसार राष्ट्रपति के पश्चात् अधिकतम संख्या में मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उप-राष्ट्रपति बनाने के बजाय यह व्यवस्था की गई कि इन दोनों पदों में से प्रत्येक के लिए दो पृथक् मतदान होगे।

जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, प्रारम्भिक धारा और संशोधन में की गई विस्तृत व्यवस्था पर प्रयोग बिलकुल बन्द हो गया और सविधान-निर्माताओं का यह उद्देश्य कि ये निर्वाचन प्रत्यक्ष चेन-प्रभाव से मुक्त रहें जाने चाहिए, बुरी तरह निष्फल हुआ। सविधान में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य से उतने निर्वाचक न्युन जाएंगे जितने कि प्रतिनिधि-सदन और सिनेट से उसके प्रतिनिधि हो अर्थात् काप्रेस में उस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या के बराबर। ये निर्वाचक प्रत्येक राज्य से रामबेत होकर राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति पदों के उम्मीदवारों का नाम निर्देशन करेंगे और उनके द्वारा प्राप्त मतों को सिनेट के अध्यक्ष के पास भेजेंगे, जो कि काप्रेस के दोनों सदनों की उपस्थिति में मतों को खोलकर उनकी गणना करेगा।

परन्तु व्यवहार में ऐसा बिलकुल नहीं होता। वास्तव में वे दो अवसर ही, जिन पर प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन का निर्वाचन हुआ था, ऐसे थे जिनमें यह बात हुई। उसके उपरात से तो दलीय सम्मेलन के विकास ने राष्ट्रपति के निर्वाचन को पूर्णरूपेण लोक-निर्वाचन बना दिया है। अब तो वास्तव में यह हीता है कि निर्वाचनों के लिए नियत तारीख से बहुत पहले ही विभिन्न दल अपने अधिवेशन करते हैं और उनमें से प्रत्येक दल हर एक पद के लिए उम्मीदवार चुनता है। अतएव, जब प्रत्येक राज्य के लोग निर्वाचकों का निर्वाचन करते हैं, तो वे यह भी जानते हैं कि वे राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति पद के लिए किस उम्मीदवार के लिए मतदान कर रहे हैं, और इस तरह बाद में उन्हीं निर्वाचकों का सम्मेलन औपचारिक भाव ही रह जाता है। प्रत्येक पद का वह उम्मीदवार, जिसकी किसी एक राज्य में बहुमत प्राप्त होता है, उस राज्य का उम्मीदवार होता है, और वह इस भावि उतने निर्वाचक-मत प्राप्त करता है जितने कि उस राज्य के काप्रेस सदस्य होते हैं। इसमें बहुमत की बहुलता या अल्पता का कोई विचार नहीं होता, क्योंकि निर्वाचकों वे निर्वाचन की इस पद्धति में राज्य में के समस्त मतदाताओं के उतने ही मत होते हैं, जितने कि निर्वाचक उस राज्य में से चुने जाने होते हैं।

इस भाँति इस प्रस्तुग में सम्पूर्ण राज्य निर्वाचन-क्षेत्र बन जाता है, और निर्वाचको का निर्वाचन उस उम्मीदवार वे अनुसार, जिसके लिए मत देने को वे प्रतिज्ञावद्ध होते हैं, सामूहिकरूपेण होता है।

इस योजना का व्यावहारिक रूप दो उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। हम दो राज्यों को लेते हैं, एक विशाल जनसङ्ख्या वाला राज्य न्यूयार्क और दूसरा अल्प जनसङ्ख्या वाला राज्य मेन। वल्यना बीजिए कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार क और वह है तथा उप-राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार व वीर घ हैं। 1967 की जनगणना के अनुसार न्यूयॉर्क राज्य की जनसङ्ख्या लगभग एक करोड़ सत्तर लाख है और मेन के राज्य वी लगभग दस लाख। नई जनगणना के प्रत्यक्षरूप 1961 में स्थानों का पुनर्विनरण हुआ जिसमें न्यूयॉर्क को प्रतिनिधि सभा में 41 सदस्य मिले और मेन को 21। इनमें मिनेट के दो-दो सदस्य शामिल करते से न्यूयॉर्क 43 राष्ट्रपति-निर्वाचक चुनता है और मेन 4। यदि न्यूयॉर्क राज्य को एक करोड़ सत्तर लाख व्यक्तियों के मत देने वाले भाग का अधिकांश राष्ट्रपति पद के लिए क को और उप-राष्ट्रपति पद के लिए घ को मत देता है तो कमश क और य को राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के रूप में न्यूयॉर्क राज्य के पूरे 43 में प्राप्त हो जाते हैं। इसी भाँति, यदि मेन राज्य के दस लाख भतदाताओं का अधिकांश राष्ट्रपति पद के लिए ख को और उप-राष्ट्रपति पद के लिए घ को मत देना है तो कमश ख और घ ही राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के पदों के लिए मेन राज्य के समस्त छह मतों को प्राप्त करेंगे। इससे यह समझ लेना कठिन नहीं होगा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वे लिए छोटे राज्यों की अपेक्षा बड़े राज्यों में सफलता प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण है। विसी एक उम्मीदवार के लिए वास्तव में यह सम्भव हो सकता है कि वह सघ के म्यारेह लघुतम राज्यों में सफलता प्राप्त कर ले, परन्तु उस उम्मीदवार से पराजित हो जाए जिसने न्यूयॉर्क में सफलता प्राप्त की है।

इस विशिष्ट व्यवस्था का परिणाम वह होता है कि प्रारम्भिक जन-मतों और अन्तिम परिणाम के बीच भारी अन्तर देखने में आता है। उदाहरणार्थ, राष्ट्रपति लिक्विड को ही लीजिए। सन् 1860 में उनके विलुप्त की उम्मीदवार वे और उनका निर्वाचन 180 निर्वाचक-मतों से हुआ जब कि उनके लीनो विरोधियों को प्राप्त निर्वाचक-मतों की कुल संख्या 123 थी, परन्तु वे लोग, जिन्होंने उन निर्वाचकों के लिए जो कि लिक्विड के पक्ष के थे, मत दिए, संख्या में 1,860, 000 थे, जब कि उनके विरोधियों के लिए मत देने वालों की संख्या 2,810,000 थी। दूसरे शब्दों में, लिक्विड को अपने देश के भतदाताओं के बेबते 40 प्रतिशत का ही समर्थन प्राप्त था। सन् 1912 वे एक निर्वाचन में राष्ट्रपति विलम्त को 435 निर्वाचक-मत मिले, जब कि उनके तीन विरोधियों ने मिलकर 96 मत ही

संविधान के निर्माताओं का आशय था, प्रत्यक्ष होता है), परन्तु विश्व के अद्यगम्य राज्यों में यह राज्य ही एक ऐसा उदाहरण^१ है जहा राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा होता है और वह वास्तविक कार्यकारी भी है। इन दोनों तथ्यों से मिलकर एक अ-संसदीय कार्यपालिका अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि यदि काग्रेस स्वेच्छा से राष्ट्रपति को हटा सकती (उसे केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है) तो निर्वाचिक व्यवस्था, चाहे संविधान में उल्लिखित मूल रूप में या आजकल के व्यावहारिक रूप में, विलकुल ही निरर्थक हो जाती।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ बड़ी वास्तविक हैं, हालांकि उनके प्रयोग में राष्ट्रपति के व्यक्तित्व में अनुसार न्यूनाधिकाय होता रहता है और सकृद के समय तो वे और भी अधिक हो सकती हैं। उसका कार्य तो काग्रेस द्वारा पारित की गई विधियों का निष्पादन करना होता है, किन्तु वह उनके बनाने में काग्रेस की कार्यवाहियों पर प्रभाव भी डाल सकता है और डालता है। प्रथम, वह काग्रेस को एक वार्षिक सदेश या तो स्वयं या अपने एक प्रतिनिधि के द्वारा, जो कि उसे पढ़ता है, देता है। परन्तु यदि परिस्थितियों की गंभीरतावश आवश्यक हो तो वह एक से अधिक बार भी सदेश देने के आश्रय से काग्रेस को आमतित कर सकता है। उसके इस अधिकार का विधि निर्माण पर बड़ा प्रभाव हो सकता है, विशेष रूप से उस समय जब कि उसका प्रयोग किसी सफल बल द्वारा किया जाए जो कि काग्रेस को स्वयं ही सबोधित करना पसन्द करे, जैसा कि, उदाहरणस्वरूप, बुझो विल्सन और फैंक-लिन रूजर्वेस्ट दोनों ने किया था। दूसरे, राष्ट्रपति काग्रेस के किसी सदस्य के द्वारा किसी विषय पर अपने विचारों को विधेयक वे रूप में प्रस्तुत कर सकता है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि राष्ट्रपति और उसके मन्त्रिमण्डल के पदाधिकारियों में से कोई भी न तो सिनेट के और न प्रतिनिधियदन के कार्य में ही भाग ले सकता है, और इस दृष्टि से काग्रेस को प्रधानित करने की राष्ट्रपति की शक्ति अधिकनर सदनों में दलों की स्थिति पर निर्भर रहती है। जहा राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्येक चौथे वर्ष होता है, वहा प्रतिनिधि सदन का और सिनेट के तृतीयाश का प्रत्येक दूसरे वर्ष होता है। इसलिए, जहा यह सभव है कि किसी दल की सोकशियता, जिसने किसी व्यक्तिविशेष को राष्ट्रपति के पद पर आसीन किया हो, सदनों में उसको बहुमत प्राप्त करा दे, वहा यह भी हो सकता है कि आगामी निर्वाचन पर वह राष्ट्रपति, जिसे दो वर्ष और बार्य करना है, अपना समर्थन दो दे।

पिर भी राष्ट्रपति वे पास विधिनिर्माण प्रक्रिया के दूसरे छोर पर एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है, जो सदनों में उसके दल वे अल्पमत के प्रभाव को आसानी से दूर कर सकती है। कोई भी विधेयक दोनों सदनों में पारित हो जाने के पश्चात्

^१ सन् १९६५ से फान्स को छोड़कर।

भी तब तक विधि नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दे। ऐसे हस्ताक्षर करने से वह इनकार कर सकता है (उसे दस दिनों के भीतर अपनी इनकारी की मूचना देनी चाहिए), और यदि वह ऐसा करे, तो विधेयक फिर कांग्रेस को लौटाया जाएगा, और प्रत्येक सदन में स्पष्ट दो-तिहाई बहुमत से उसका पारित होना आवश्यक होगा। जैसी कि कल्पना की जा सकती है, ऐसा बहुमत प्राप्त करना बहुत कठिन है, जब तक कि राष्ट्रपति का दल अत्यधिक अल्पसंख्यक न हो। व्यवहार में, राष्ट्रपति के द्वारा निपिछविधेयक बाद में कदाचित् ही आवश्यक बहुमत प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार राष्ट्रपति का नियेधाधिकार उसके पास एक बड़ा शक्तिशाली शस्त्र हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति स्वल्पेना और नौसेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। सर्वीय शासन की समस्त महत्वपूर्ण नियुक्तिया करना उसी का कार्य है, और विदेशी मामलों का राजालन भी उसके ही हाथ में होता है, हालांकि सिनेट कुछ नियुक्तियों पर अपनी अनुमति देने से इनकार कर सकती है, और राष्ट्रपति के द्वारा की गई संधि पर भी दो-तिहाई सिनेट के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। अत मे, युद्ध की घोषणा करने की शक्ति पूर्णरूप में कांग्रेस की है, परन्तु स्पष्टत कार्यपालिका की कार्यवाही ऐसी अवस्था उत्पन्न कर सकती है कि युद्ध अपरिहार्य हो जाए।

इस भावि, हालांकि संयुक्तराज्य में कार्यपालिका और विधानमण्डल के बीच सम्बन्ध विद्यमान रहते हैं, जिनकी घनिष्ठता दलों की शक्ति तथा राष्ट्रपति के व्यक्तित्व पर निर्भर होती है, फिर भी ये दोनों शक्तिया बिलकुल पृथक् हैं और यह बात निश्चिन्ता के साथ कही जा सकती है कि विश्व के किसी भी संविधानी राज्य में आज ऐसा कोई भी पदाधिकारी विद्यमान नहीं है, जिसकी शक्तिया इतनी विस्तृत हो जैसी कि अमरीका के संयुक्तराज्य के राष्ट्रपति की है। यदि वह पुनर्निर्वाचित होना चाहता है¹ तो वह निस्सदेह, जैसे-जैसे निर्वाचन का समय आता जाता है, दल के महान् गुटों (Caucuses) के अधीन होता जाता है, जो अमरीका की राजनीति का नियन्त्रण करते हैं; परन्तु देश के अन्य किसी राजनीतिज्ञ से अधिक नहीं। किन्तु वास्तविक रूप में अपने पद के चार बर्षों में, जब तक कि वह अ-साविधानिक रूप से कार्य नहीं करता, उसकी शक्ति सिवाय उन बातों के, जिनका हम उल्लेख कर नुकें हैं, अवाधित रहती है और उसकी स्थिति निवाद बनी रहती है। और, अत मे भी, यदि लोकमत उसके साथ

¹ कोई भी व्यक्ति दो बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता, और यदि उसने किसी दूसरे भी निर्वाचित अधिक के दो बर्ष से अधिक पूरे कर लिये हों तो केवल एक बार (वाइसवां संशोधन, 1951)

के लिए सभापतित्व के पद को धारण नहीं बार सकता। उसे अपने इस पद के बर्य म अन्य मतियों के वेतन से कुछ अधिक वेतन मिलता है। मतियों की सधीय परिपद् का यह सभापति बहुधा गणतंत्र का राष्ट्रपति बहलाता है, परन्तु अन्य मतियों दे लें उसकी प्राथमिकता 'केवल औपचारिक' भग्नता है। यह किसी भी अर्थ में मुख्य कार्यकारी नहीं है।'

इस भावि, स्विट्जरलैंड की मति-परिपद्, प्रथम दृष्टि में, अत्यत निश्चित अर्थ में संसदीय कार्यपालिका है परन्तु यदि हम उसकी कार्यवाही की अधिक गहराई से देखें तो हमें ज्ञात होगा कि व्यवहार में यह स्थायी कार्यपालिका है। सदन द्वारा निर्वाचित परिपद् दे सातों सदस्यों के लिए, चुने जाने के पूर्व, इन सदनों में से किसी एक का सदस्य होने की जरूरत नहीं है, हालांकि वे साधारणतया सदस्य होते हैं परन्तु यदि वे सदस्य हो, तो जैसे ही उनका परिपद् के लिए निर्वाचित ही जाता है, उन्हें सदन के अपने स्थान से त्यागपत्र देना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, कार्यपालिका पद पर निर्वाचित होने के साथ विधायी वृत्त्य से त्यागपत्र देना आवश्यक है। परिपद् के सदस्य अपनी चार बर्य भी अवधि के अवमान पर बहुधा पुनर्निर्वाचित हो जाते हैं, और उनमें से कुछ तो इस पद पर लगातार चार पाच बार तक रहे हैं।

परन्तु कार्यपालिका और विधानमंडल के सम्बन्ध के विषय में स्विट्जरलैंड की प्रथा अमरीकी प्रथा के बिलकुल विपरीत है। जहा समुद्रतराज्य में कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच में एवमात्र सप्तर्क राष्ट्रपति के सदेश के द्वारा ही होता है, और मतियों में से किसी को भी विधानमंडल के किसी भी सदन में आने को अनुमता नहीं होती, वहा स्विट्जरलैंड में मतिगण, विभागाध्यक्षों के रूप में, दोनों में से किसी सदन को बैठकों में उगत्थित हो सकते और बाद-विवाद में स्वतंत्रापूर्वक भाग ले सकते हैं। वास्तव में सद भी विधियों के पारण के अपने कार्य में उनके द्वारा पथप्रदर्शन की अपेक्षा करती है। परन्तु फिर भी ये मतिगण सदनों के नेता नहीं होते, उनके सेवक होते हैं। मतिमंडल का रूप दलीय नहीं होता, वह दल से पटे होता है, वह दल का काम भी नहीं करता और न सदन के विभिन्न दलों की नीति वा ही निर्धारण करता है। उसका कार्य तो विशुद्ध रूप से प्रशासकीय है। उसका सम्बन्ध मुख्य रूप से ऐसे सधीय कार्यों से होता है, जैसे राष्ट्रीय ओष का सप्रहण, अवधा रेलवे जैसे राष्ट्रीय व्यवसायों का प्रबन्ध।

स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका की सदस्ये महत्वपूर्ण विशेषता उसकी स्थिरता है। जैसा कि हम कह चुके हैं, यद्यपि मतियों का निर्वाचन सदनों के ही द्वारा होता है, परन्तु वे उन्हें निम्न सदन की अवधि के भीतर पदन्युत नहीं कर सकते और इसके साथ ही, यह प्रथा है कि यदि वे चाहे तो पुनर्निर्वाचित भी कर लिये जाते हैं। यदि राष्ट्रीय परिपद् सामान्य चार बर्य की अवधि के अन्त के पूर्व ही भग्न कर दी

जाती है, तो नई राष्ट्रीय परिपद् और राज्यपरिपद् का सर्वप्रथम बतेंव्य सधीय परिपद् का निर्वाचन करना होता है, परन्तु अवहार में भागीरणतया पिछली सधीय परिपद् के सदस्यों का ही पुनर्निर्वाचन कर लिया जाता है। इस प्रकार सधीय परिपद् का स्थापित्व और उसकी स्थिरता बेलिजियम की और कम से कम पूर्व सविधान के अधीन कानून की मत्रिमडलीय सरकार की अपेक्षा अमरीका की स्थायी कार्यपालिका से अधिक मिलतो-जुलती है। हालांकि इसका निर्वाचन सप्तद द्वारा होता है, फिर भी यह समुक्तराज्य की कार्यपालिका की अपेक्षा अधिक स्थायी है। डायसी न स्विट्जरलैंड की सधीय परिपद् को ज्वॉइष्ट स्टॉक कम्पनी के निर्देशक महल के समान बताया है और कहा है कि यदि वह सामान्य हित के लिए कुशलता के साथ काम कर रही हो तो उसे परिवर्तित करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, जिस प्रकार ऐसी ही परिस्थिति में कम्पनी वे बोर्ड की मददस्थता में परिवर्तन करन का कोई कारण नहीं होना।

यह कहा जाता है कि कार्यपालिका विभाग में एकमात्र गभीर सुधार, जो कि स्विट्जरलैंड में सुझाया गया है, यह है कि मत्रियों के निर्वाचन का अधिकार राष्ट्रीय सभा से लेकर जनता के हाथों में दे दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो वह एकमात्र कारण, जिससे हम अब तक स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को सप्तदीय कहते आए हैं, लुप्त हो जाएगा, क्योंकि ऐसी अवस्था भे वह समस्त अधिकारियों और प्रयोगनों के लिए अमरीकी अर्थ में एक स्थायी कार्यपालिका बन जाएगी, केवल यही पक्के रहेगा कि स्विट्जरलैंड का बड़ोर गणतन्त्राद अपनी कार्यपालिका का विख्यात हुआ स्वरूप बनाए रखेगा और ऐसे एक ध्यक्ति के स्थान पर, जो कि अपनी प्रसान्द का मत्रिमडल बनाए, लोक निर्वाचन के द्वारा एक निकाय का निर्वाचन करेगा। इस भावि, यह सप्तदीय कार्यपालिका जिसकी कि स्विट्जरलैंड का सविधान परिवर्तना करता है, परीक्षा किए जाने पर यारोप के सविधानी राज्यों में किसी भी अन्य कार्यपालिका वी तुलना में अपने कार्यचालन में अधिक स्थायी और असप्तदीय पाई जाती है।

4 तुर्की का रोचक उदाहरण

आधुनिक तुर्की प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व के तुर्की से अत्यन्त भिन्न है। उस युद्ध के फलस्वरूप तुर्की साम्राज्य भग हो गया था और उसके पूर्ववर्ती बाह्य प्रदेश तुर्की से भिन्न अन्य सरकारों के अधीन नए राज्यों में और सफल मिलकाराम से किसी एक के द्वारा शासित प्रादिप्त क्षेत्र (Mandates) में विभाजित हो गए। आज तुर्की एक काशी मुगाटित और लगभग राष्ट्रीय राज्य है। यह बहुत हृद तक अपने निकट पूर्वी असली प्रदेश अनातोलिया तक सीमित है और इसकी वास्तविक राजधानी अगोरा है। परन्तु इससे बढ़कर बात यह है कि वहां प्राचीन निरकुश

गत्तनत के रथान पर गणतन्त्र शासन स्थापित हो गया है; और मुस्लिम धर्म के प्रचीन प्रधान का पद—खिलाफत—का, जो कि सुल्तान में विहित था, सुल्तान पद की ही तरह अन्त हो गया है। हालाकि तुर्की के पुराने शासन को हमेशा निरक्षुत एकत्र ही समझा जाता था, फिर भी उसे सविधानी रूप देने के प्रयत्न किए गए थे। सन् 1876 में द्वितीय अब्दुलहमीद ने, योरोप की महाशक्तियों के दबाव से, एक सविधान की उद्घोषणा की थी, परन्तु यह तब तक प्रभावहीन रहा जब तक कि सन् 1908 के 'युधा तुक़ आन्दोलन' ने अब्दुलहमीद को सिहासन बन्धुत नहीं कर दिया। तब वही जाकर सविधान प्रयोग में आया। हालाकि इसके पश्चात सद वा अधिवेशन हुआ, फिर भी शासन वास्तव में निरक्षुत ही बना रहा और प्रतिनिधि-सभा (Chamber of Deputies) का वास्तव में कोई नियंत्रण नहीं था। प्रथम विश्वयुद्ध में "मृत पद वो साहायता करने के कारण" तुर्की का रोप, और शाति-जार्सा के दौरान में उसे जिस प्रकार अपमान सहन करने के लिए बाध्य किया गया था, उसका विरोध करने में सुल्तान वो असमर्पिता से चिढ़कर तुर्की ने पुनः नई वार्यावाही की। सन् 1919 में जब सुल्तान ने कुस्तुल्नु-निया में सेवरे की सधि पर हस्ताक्षर किए, तो तुर्की राष्ट्र ने उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपने नए केन्द्र अगोरा से एक ऐसे बलशाली प्रतिरोध का समठन किया कि उससे भिलराष्ट्री को दो सम्मेलनों के पश्चात् लौजा में सन् 1922-23 में नई सधि करने के लिए विश्व होना पड़ा। बाद की इस सधि से तुर्की को कुस्तुल्नु-निया और पूर्वी बेस वा प्रदेश वापस मिल गए।

इसी दौरान में सन् 1908 में पुनर्जीवित सविधान की व्यवस्थाओं के अधीन अगोरा में एक सद वा अधिवेशन हुआ और उसने सविधानिक सत्ता घटान कर ली, जिसका उसे अधिकार प्राप्त नहीं था। उसने प्रत्यक्ष रूप से आधुनिक तुर्की के थोड़े-न्ये महान् पुरुषों में से एक, मुस्तफा कमाल के, (अधीन जो बाद में कमाल अतातुर्क के रूप में प्रसिद्ध हुआ कमाल अतातुर्क जिसका अर्थ है पिता शुक्र, तुर्की की सर्वोत्तम सम्मानसूचक उपाधि है), जो एक ऐसा संनिक और राजनीतिज्ञ था, जिसकी विचारधारा परिचमी विचारों से बहुत-कुछ प्रभावित थी, कार्य किया। इस सभा ने गूल सविधान का सशोधन करके वास्तव में उसको निरस्त कर दिया और एक नया ही सविधान बना दिया। 29 अक्टूबर सन् 1923 को केवल अध्ये सदस्यों (158) की उपस्थिति में ही उसने तुर्की गणतन्त्र के राष्ट्रपति पद पर कमाल अतातुर्क को सर्वसम्मति से निर्वाचित किया।

उस सविधान के अधीन राष्ट्रपति की 'महा-राष्ट्रीय सभा' (Grand National Assembly) नामक एक सदनी विधानमंडल द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था थी और उसकी अधिक महा-राष्ट्रीय सभा की अधिक अर्थात् चार वर्ष की होती थी, परन्तु उसका पुनर्निर्वाचन भी हो सकता था। उसे एक प्रधानमंत्री और

मन्त्रिमंडल के द्वारा बार्य करता था जो सभा के प्रति उत्तरदायी थे जिसके सभापति वा चयन गणतंत्र का राष्ट्रपति करता था और जिसमें विधान-न्याय पर वह अमेरिका के राष्ट्रपति के समान ही नियंत्रणधिकार का प्रयोग कर सकता था। इन्हुंने वास्तव में, सभा में केवल एक ही दल था—पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी जिसका नेता कमाल अतातुर्क था और जो इस कारण सभा को प्रभावित कर सकता था। वास्तव में, चूंकि संविधान का कार्यान्वयन अतातुर्क के अधीन होता था, उसमें चार अध्यक्षा के पद समाविष्ट थे वह गणतंत्र का, मन्त्रिमंडल का, सभा का और सभा में एकमात्र दल का अध्यक्ष था। आधुनिक संविधानी राज्य के दिक्षास में ऐसी स्थिति का बाई पुर्वोदाहरण नहीं मिलता।

कमाल अतातुर्क के अधीन, जिसकी मृत्यु सन् 1938 में हुई, तुर्की गणतंत्र यदि अधिनायकवादी नहीं तो प्रवुद्ध निरन्तरवादी तो था ही, और इस सबव्याप्ति में उसमें कमाल अनातुर्क के उत्तराधिकारी जनरल इस्मत इनोनू के अधीन भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, हालांकि कमाल अनातुर्क के मुकाबले में उसका व्यक्तित्व कुछ भी नहीं था। दोर्येकाल तक एकदलीय सरकार ही कायम रही, जिसकी कष्टमान प्रवृत्ति समग्रवादी व्यवस्था की आर थी। इसमें परिणामस्वरूप, निर्वाचकाल में ऐसी गहन उदासीनता छा गई कि सन् 1930-39 के काल के अन्तिम वर्षों में राष्ट्रीय सभा में एक सरकारी विराधी पक्ष की अनुज्ञा देनी पड़ी। प्रारम्भ में विरोधी सदस्यों की संख्या बहुत सोमिन रखी गई थी, परन्तु वह बन्धन बाद में हटा दिया गया। इस नई स्वतंत्रता ने तुर्की के राजनीतिक जीवन को स्फूर्ति प्रदान की, जैसा कि सन् 1950 के निर्वाचन में सिद्ध हुआ, जब लोकतन्त्रवादियों ने जनगणनाकीय दल पर, जिसकी स्थापना अतातुर्क ने की थी, असाधारण विजय प्राप्त करके सभा में 434 स्थान प्राप्त कर लिए। इस पर राष्ट्रपति इनोनू ने लाकनन्नवादियों के नेता के पद में पदत्पाल कर दिया। अधिनायकवाद के आधुनिक इतिहास में यह पहला उदाहरण है जब कि अधिनायक ने लोकसभा का आदर करते हुए स्वेच्छापूर्वक उपनी शक्ति का समर्पण किया। यह निस्सदृह ही संविधानवाद की मात्र ही विजय थी।

सन् 1954 और 1957 के निर्वाचनों में डेमोक्रेट दल दो पुन विजय प्राप्त हुई परन्तु 1960 में सेना ने उसके शासन को पठाट कर राष्ट्रीय एकता समिति (Committee of National Union) नाम से एक सैनिक व्यवस्था स्थापित की। डेमोक्रेटिक दल भगवर दिया गया, उमक नेताओं पर मुक़दमा चलाया गया और उनमें से कुछ का मृत्यु घट मिता। इसी बीच, राष्ट्रीय एकता समिति ने चयनात्मक असेनिक प्रनिनियित-सभा के साथ बार्य करने हुए 1960 में एक संविधान सभा का निर्माण किया जिसने 1964 में उन्नाल अतातुर्क डार्ल निर्वित संविधान का स्थान घटाया वरने के लिये एक नये गणतंत्रीय संविधान का प्रारूप

बनाया। नये संविधान में पहले वे एक-सदनी विधानमंडल के स्थान पर ग्राहण नेशनल एसेम्बली नामक द्विसदनी विधानमंडल स्थापित करने का प्रस्ताव था जिसमें उच्च सदन सिनेट थी (जिसमें 6 वर्ष के लिये निर्वाचित 150 सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित 15 सदस्य होते थे) और अवर सदन (प्रत्यक्ष सामान्य मतदाता द्वारा निर्वाचित 450 सदस्या वी) नेशनल एसेम्बली थी। राष्ट्रपति का निर्वाचन ग्राहण नेशनल एसेम्बली वे 40 वर्षीय और इससे अधिक आयु वाले सदस्या के दो तिहाई बहुमत से सात वर्ष वी अवधि के लिये होना था। (इता अवधि का नवोन्नरण नहीं हो सकता था)। संविधान के अनुच्छेद 98 में स्पष्ट उल्लेख है कि गणराज्य का राष्ट्रपति अपने वक्तव्य से सम्बद्ध वार्यों के लिये जिम्मेदार नहीं होगा। यह जिम्मेदारी मत्री-परिषद् की थी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री था और जो ग्राहण नेशनल एसेम्बली के समक्ष उत्तरदायी था।

जनमतसंग्रह में निर्वाचियों के बहुमत द्वारा अनुमोदित हावन पर नया संविधान 1961 में प्रवर्तन में आया। याद में सामान्य निर्वाचन में, जिसमें चार दलों ने (अदिवासीय ट्रेमोकेट दल भी) भाग लिया। लिपिविवरण पीपुल्स पार्टी का अन्य दल से पृथक् रूप में बहुमत मिला परम्परा सब दलों के सम्मिलित मतों से अधिक मत उसे प्राप्त नहीं हो सके। जनरल गुस्सेल, जो सैनिक व्यवस्था के अन्तर्गत अस्थायी राज्याध्यक्ष था, नई ग्राहण नेशनल एसेम्बली द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ। उसने पूर्व राष्ट्रपति इस्मेत इनोनू को प्रधान मत्री नियुक्त किया और उसने एक संयुक्त मन्त्रिमंडल का निर्माण किया। इस प्रवार, जन्म में शायद तुर्की एवं प्रशांती संसदीय कार्यपालिका स्थापित कर सका हो।

5 संसदीय और स्थायी कार्यपालिकाओं के तुलनात्मक लाभ

आधुनिक सरार की मूल रूप से भिन्न दो प्रकार की कार्यपालिकाओं की इस विवेचना से एक-दो ऐसी बात पैदा होती हैं जिन पर बल देना आवश्यक है। प्रथम, हम देखते हैं कि जहाँ वही भी संसदीय प्रणाली है, वहाँ सामान्य रूप से इगलैंड ही इसका प्रेरक रहा है, और समस्त अन्य देशों की प्रणालियों के लिए यही आदर्श रहा है। अतएव, यह एक बड़ी रोचक बात है कि इगलैंड में कार्यपालिका मूल रूप में अ-संसदीय थी और वह नाम में जाज भी वैसी ही है, क्योंकि प्रत्येक मत्री मुकुट का सेवन होता है और अब भी उसकी नियुक्ति और पढ़च्युति नाम ही लिए उसी के द्वारा होती है। परन्तु, जैसा कि हम देख सकते हैं, वास्तव में आधुनिक लोकतंत्रीय निर्वाचक-समूह प्रधानमंत्री और लोकसभा इन दोनों का ही निर्वाचन करने लगा है, हालांकि यह भी सच है कि भावी प्रधान मत्री का निर्वाचन प्रधान मत्री के रूप में न होने पर सदसद के सदस्य वे रूप में होता है, फिर भी संविधान की परम्परा वे अनुसार यह गुनिश्चित रहता है कि बहुमत-दल का नेता ही,

वास्तव में, सरकार का प्रमुख होगा।

तब हम यह पूछ सकते हैं कि कार्यपालिका के इन प्रकारों में से लोकतन्त्र के प्रयोजना और कल्याण के लिए कौन अधिक उत्तम है। जहा तक समस्याएँ कार्यपालिका का प्रश्न है, चूंकि जहा यह वास्तविकतम् है, वहा यह दल-प्रणाली पर आधारित है, इस कारण इस बात का भय है कि कहीं यह विधानमंडल का, जो इसका सूजन करता है, दास न बन जाए। इस प्रणाली में विधानमंडल और कार्यपालिका के बीच गम्भीर सम्पर्क की सभावना तो नहीं रहती, विन्तु हो सकता है कि कार्यपालिका विधानमंडल की स्थायी इच्छा को ही नहीं, बरन् उसकी वदतती हुई और परिणामस्वरूप निर्वाचक-समूह की ओर भी अस्थिर भावनाओं को तथा उत्तेजनाओं का भी प्रतिविम्बन करन लगे। स्थायी कार्यपालिका से यही लाभ है कि उससे यह ढर नहीं रहता, क्याकि प्रथम सो कार्यपालिका की कार्यवाही के लिए बहुधा यह आवश्यक होना है कि राज्य की भलाई के निमित्त, वह निर्वाचित हो, और दूसरे समुकायज्य के राष्ट्रपति के समान पद धारण करनेवाला व्यक्ति ऐसे नियतण से मुक्त होने के पलस्वरूप वास्तविक नेता बन सकता है और इस भावि लोकतन्त्र को उसके सर्वोच्च सकृदार्थ—समूर्ध लोकतन्त्र के निष्पत्तम सदस्य के समान हो जाने के भय—से बचा सकता है।¹

फिर भी जनता द्वारा निर्वाचित स्थायी कार्यपालिका पर, जैसी समुकायराज्य में है, जनता की भावनाओं का प्रभाव विधानमंडल पर अवलम्बित कार्यपालिका की अपेक्षा स्पष्टत अधिक रहता है। इन्तु इसका एक बड़ा ताम यह है कि एक धार निर्वाचित हो जाने पर, उसे दूरबन्दी की मनका और उप-निर्वाचितों के प्रतिकर्तनशील परिणाम से काई वादा नहीं पहुँचाई जा सकती। जैसा कि हम कह चुके हैं, स्थिरता प्राप्त करने के लिए समझौते कार्यपालिका को सुस्थापित और सुनिश्चित दलीय प्रणाली की आवश्यकता होती है। फ्रिटेन की तरह, जहा पर यह स्थिति विद्यमान है वहा यह प्रणाली अच्छा काम करती है, परन्तु जहा पर ऐसा नहीं होता, उदाहरणार्थ पूर्ववाल में प्राप्त में, वहा कार्यपालिका के सगठन और उसकी नीति में वरावर परिवर्तन होने रहते हैं जो कि विसी भी प्रकार की सरकार के लिए बुरा लक्षण है। यह सत्य है कि भतुर्य फेन्च गणतन्त्र के सविधान में मत्रिमंडल के अपन अस्तित्व के प्रारम्भिक दिनों में ही अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा भग किये जाने की सभावना वे खिलाफ सरकार थे। इस प्रकार का प्रस्ताव प्राय समझौते दल के गुट जा केवल मत्रिमंडल को त्याग एवं देने के लिय विवरण करने को ही अस्थायी रूप में बन जाते हैं, वडे गैर-जिम्मेदाराना द्वा से पारित करा लेते थे। घटनाओं ने मिठ्ठ बर दिया कि यह साविधानिक उपाय

¹ उदाहरण के लिए Emile Faguet का The cult of Incompetence देखिए।

भगुर गूप्र प्रणाली की अन्तर्निहित कमज़ोरियों को निष्प्रभाव न कर सका। इसी गूप्र प्रणाली के कारण तीसरे और चौथे गणतन्त्रों के अधीन फ्रेज़च सरकारें अस्थिर रहीं और उसी के कारण पचम गणतन्त्र के नये साविधानिक प्रयोग करने पड़े।

दोनों विश्वव्युद्धों के बीच के योरोप के राजनीतिक इतिहास से यह स्पष्ट है कि एक ऐसी सासदीय कार्यपालिका का, जो सकटकाल के तनावों को सहन करने में अशक्त होती है प्रयोग अधिनायकतन्त्र की स्थापना की साविधानिकता के रूप में हो सकता है। मुसोलिनी ने प्रधान मंत्री का साविधानिक पद स्वीकृत कर राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर लेने के बाद सराद के प्रति उत्तरदायी मत्रिमठ्ल के स्थान पर अपने प्रति उत्तरदायी प्राण्ड फेसिस्ट कॉसिल स्थापित कर दी और इस प्रबार उसने प्रतिनिधि-सदन के अधिकार को समाप्त कर दिया और अन्त में उसके स्थान पर अलोकतन्त्रीय एवं दास के समान आज़ादारी फेसिओ-सदन (Chamber of Fascios) स्थापित कर उस सदन का ही अन्त कर दिया। इसी प्रकार जर्मनी में, हिट्लर ने पहले बैमर सविधान के अनुसार चान्सलर का पद भ्रहण दिया परन्तु उसके हाथों में केविनेट, जो साविधानिक दृष्टि से राइखस्टाग के प्रति उत्तरदायी थी, शीघ्र ही नेता-परिषद् (Council of Leaders) के नाम से कट्टर नातियों का एक निकाय बन गई जो केवल हिट्लर वे प्रति उत्तरदायी या और राइखस्टाग केवल एक-दलीय सम्मेलन रह गई जिसके अधिवेशन कभी-कभी हिट्लर के आग उगलने वाले भाषणों को चुपचाप मुनने मात्र के लिये होते थे। साविधानिक कार्यपालिकाओं की इसी प्रकार की दुर्गति राष्ट्रपति प्रणाली वाले राज्यों में भी हुई है जो लेटिन अमेरिकन गणराज्यों के अवान्त इतिहास में देखी जा सकती है।

इन दृष्टान्तों से मातृम होता है कि यदि नामरिक कार्यपालिका के प्रति निरन्तर सतर्क नहीं रहते, जो स्वतन्त्रता का मूल्य है, तो साविधानिक अधिकार वडी सरलता से छिन सकते हैं। यदि ऐसा सुविधित निर्वाचकों वाले प्रतिष्ठित सविधानी राज्यों में हो सकता है तो ऐसे नये राज्यों का, जो प्रत्येक भाहद्वीप में स्थापित होते जा रहे हैं और जहाँ की बहुसङ्ख्यक जनता केवल निरक्षर ही नहीं, राजनीतिक अनुभव से बिलकुल विहीन है, राजनीतिक भविष्य क्या हो सकता है? इन नये राज्यों की समस्या शासन के ऐसे अधिक से अधिक स्थिर रूप को खोजना है जो अनुभव प्राप्त करने के लिये आवश्यक अवधि में लोक-अधिकार के वर्धमान प्रयोग के अनुकूल हो। ऐसे राज्यों के शैशवकाल में स्थिरता सासदीय या अस-सदीय कार्यपालिका को द्वारा प्राप्त हो सकेगी यह प्रत्येक राज्य की पृष्ठभमि और परिस्थितियों पर निर्भर होगी। जो कुछ हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं यह यह है कि यह प्रश्न आज सर्वोपरि महत्व का है क्योंकि इसका सम्बन्ध केवल इन उदीयभान समाजों वे कल्याण से ही नहीं, विश्व वौ भावी शान्ति एवं सरकार से भी है।

क्योंकि साविधानिक सरकार का बारबार इतना जटिल होता है विप्रत्येक विभाग वे क्षेत्र का ऐसी रीति में निरूपण नहीं हो सकता वि प्रत्येक विभाग अपनी निर्दिष्ट सीमा में स्वतंत्र तथा सर्वोच्च रह सके, क्योंकि, जैसा एवं जे सास्थी का वधन है, 'शक्तियों वे पृथक्करण का तात्पर्य शक्तियों वा समान सुलग नहीं है।' एवं सच्चे साविधानिक राज्य में असदीय कार्यपालिका के होते हुए भी विधान-मण्डल को यह सुनिश्चित वर क्लेना चाहिए तथा वह ऐसा गुनिश्चित वरता भी है कि कार्यपालिका के बार्य भोटे तीर से उसकी इच्छा वो बार्यान्वित वरे। हम पह भी देख चुके हैं वि कारा मे भी, जहा शक्तियों वे पृथक्करण वा सिद्धान्त उसके प्रथम सविधान वा मूल आधार था इस सिद्धान्त मे तब से इतना परिवर्तन हो चुका है वि तृतीय और चतुर्थ गणतांत्र के सविधान मे ससदीय कार्यपालिका की प्रणाली वा सूक्ष्मपत्र हो गया जिससे कार्यपालिका विधानमण्डल का एवं भाग— वास्तविक रूप मे उसकी एवं समिति—बन गई। इसने अतिरिक्त, सरकार की विती भी अच्छी प्रणाली मे कार्यपालिका के पास रामा अथवा प्रविलम्बन के विशेषाधिकार होने चाहिए तथा होते हैं जिससे कार्यपालिका न्यायपालिका के अत्यधिक अठोर निर्णयों वो रोक रके अथवा निष्कर्त कर सके। इसने अलावा, अपनी अमता वी सीमाओं के भीतर विधानमण्डल वा यह सुनिश्चित करना हमेशा ही एवं कार्य रहा है वि यदि न्यायपालिका नी प्रवृत्ति अच्छी नीति के विरुद्ध मामूल हो तो वह प्रवृत्ति विधान द्वारा उलट दी जाए। इन उदाहरणों से इन तीन विभागों का पारस्परिक सम्बन्ध प्रवर्ट होता है।

परन्तु इस व्यापक अर्थ मे वि तीनो शक्तिया पृथक् अभिकारियों वे पास होती, समस्त आधुनिक सविधानी राज्यों वो शक्तियों वे पृथक्करण वे आदर्श के अनुरूप होना चाहिये, क्योंकि आज कही भी इसमे से एवं वृत्त का सम्पादन नरे बाला निकाय अन्य दो वृत्तों का सम्पादन /वरे बाले निकायों से अभिन्न नहीं है। जहा तक विधानमण्डल और कार्यपालिका का प्रश्न है, यह पृथक्करण अ ससदीय कार्यपालिका बाले राज्य मे स्वतंत्रता विद्यमान होता है। यह तुच्छ भावा मे उस राज्य मे भी विद्यमान है, जिसको कार्यपालिका रासदीय प्रवार की है, क्योंकि वहा कार्यपालिका विधानमण्डल का एवं भाग है, सूखन (विधानमंडल) नहीं। जहा तक कार्यपालिका और न्यायपालिका का सम्बन्ध है ऐसे एकायानोंही अपवाद हैं जिनका इस मुख्य सत्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु विभिन्न निकाय हैं। उदाहरण के लिए, इगलैंड मे, योंड चान्सियर जो(किं अपने देश पा उच्चतम न्यायिक पदाधिकारी होता है) लौंड सामाजिक अपदेश समाजति होते के अतिरिक्त मत्रिगड़ता एवं गदरस्ती होता है, योंड इसीलिए सरकार के प्रतिवर्तने के साथ उच्चतम न्यायाधिकारी को पीड़ागे शीघ्रप्रतिवर्तन होता है। इसको अतिग्रिम अमीली खोड़ाभी हूँड़ता औंप लौंड से बाहरम्या होते ही प्रेरस्तु पहुँचे तो

इम वारण ही कि हाउस ऑफ लॉइंस बाज भी अपील का अन्तिम न्यायालय बना हुआ है, और जिस मानि एक साधारण पीयर को इम न्यायिक निकाय के कार्य से कोई मनलब नहीं, इसी भांति अपीली लॉइंस भी सामान्यतया हाउस ऑफ लॉइंस के राजनीतिक कार्य में कोई भाग नहीं लेते। योहर महाद्वीप के अधिकार मत्रिमडला में भी न्यायमन्त्री हाता है, परन्तु वह हमेशा न्यायाधीश नहीं हाता। केवल सयुक्तराज्य ही ऐसा है जहा कार्यपालिका में न्यायिक निकाय का काई भी प्रतिनिधि नहीं हाता और इसी मानि न्यायपालिका में कार्यपालिका का कोई प्रतिनिधि नहीं होता। परन्तु वे अपवाद हैं, जो कि नियम को सिद्ध करते हैं और यह संविधानवाद वा एवं मूल मूल है कि न्यायपालिका को स्वयं अपने विभाग में नियन्त्रण से मुक्त होना चाहिए, हालांकि यह प्रश्न उठता है कि उम विभाग की सीमाएँ क्या हैं।

इस स्वतन्त्रता-मूल के अनुसार अधिकार न्यायाधीश संविधानिक राज्य में न्यायाधीशों वा पद स्थायी होना है, अर्थात् वे तब तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक कि वे 'सदाचारी' रहते हैं—अर्थात् विधि द्वारा उल्लिखित किसी अपराध के दोषी नहीं होने—और इसीलिए उनका पद निर्वाचन के परिणामों के फलस्वरूप परिवर्तनाधीन नहीं होना, जैसा कि शामन वे अन्य दो भागों में होना है। इसके दो बड़े अपवाद हैं एक स्विट्जरलैंड, जहा न्यायाधीशों का निर्वाचन दोनों संघीय मदनों के सयुक्त अधिकेशन के द्वारा छह वर्ष के लिए होता है (परन्तु यह भी अधिकतर उसी न्यायाधीश का बार-बार पुनर्निर्वाचित हो जाता है जिससे व्यावहारिक स्पष्ट में पद का स्थायित्व प्राप्त हो जाता है), दूसरा अपवाद सयुक्तराज्य के कुछ विभिन्न अग्रभूत राज्य है, जहा अवधि विशेष के लिए (कहीं-कहीं दो वर्ष जैसी अल्प अवधि भी होती है) लाल-निर्वाचन की प्रणाली को अपनाया गया है। जिन्हें यह वान सयुक्तराज्य की संघीय न्यायपालिका पर लागू नहीं होती, जहा कि राष्ट्रपति मिनट के परामर्श तथा स्वीकृति से न्यायाधीश को जीवनभर के लिए नियुक्त करता है।

प्रास में न्यायाधीश न्यायपालिका की उच्च परिषद् (High Council of the Judiciary) के परामर्श में नियुक्त किय जाते हैं जो न्यायाधीशों पर अनुशासनिक परिषद का भी कार्य करती है। ग्रेट ट्रिटेन में न्यायाधीश की नियुक्ति सेढ़ानिक रूप में रानी परन्तु व्यवहार में लॉइंस चान्सलर करता है, और एक ऑफ सेटिल-मेट (मन् 1201) के द्वारा यह निश्चिन विया जा चुका है कि जब तक वे सदाचारी रहें तब तक पद को धारण करने का उनका अधिकार बना रहेगा। उनको पद से हटाने का तरीका यही है कि समद के दोनों मदन उम आशय का निवेदन वरें, परन्तु इस अधिनियम के पारित होने के बाद में बाज तक ऐसा कोई निवेदन नहीं विया गया, अनेक उनके पद का स्थायित्व स्पष्ट है। सयुक्तराज्य

मेरे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश काप्रेस के समक्ष महाभियोग की प्रतिया के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं।¹

इस प्रकार यद्यपि अधिकाश मेरे कार्यपालिका या उसका कोई भाग ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तथापि सामान्यतया उनको हटाना विधानमंडल वे ही हाथों से होता है, किसी भी दशा में यह अधिकार कार्यपालिका के नियतण में नहीं है। इस भावि, अधिकाश सविधानी राज्यों मेरे जासितों के अन्तिम अधिकार दोहरे रूप से सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उन न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिनके ऊपर अधिकारों की सुरक्षा अन्तत अधिकाश मेरे अवलम्बित है, उस प्रतिया द्वारा नहीं होती जिसमे लोकतंत्र की कुछवाल चचलता प्रभावी रहती है, और चूंकि उनका कार्यकाल सुरक्षित होता है, इसलिए वे राजनीतिक आवश्यकताओं से ऊपर रहते हैं। यह बताने के उपरान्त कि न्यायपालिका अन्य दो विभागों से किन अवस्थाओं मेरे स्वतंत्र रहती है, अब हम यह देखेंगे कि न्यायपालिका (1) विधानमंडल और (2) कार्यपालिका को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है।

2 न्यायपालिका और विधानमंडल

हम यह बता चुके हैं कि विधानमंडल का कार्य विधि का निर्माण है, और न्यायपालिका वा कार्य "वैयक्तिक मामलों मेरे विद्यमान विधि के प्रयोग का निश्चय करना" है। परन्तु हम यह भी देख चुके हैं कि अनेक राज्यों मेरे न्यायाधीश अपने निर्णयों द्वारा भी वास्तव मेरे विधि का निर्माण करते हैं। यह 'निर्णय विरिं' या न्यायाधीश-निर्मित विधि फास के सदृश विशेषाधिकारयुक्त राज्यों की अपेक्षा ऐट ब्रिटेन के सदृश 'देश विधि राज्यों' का विशिष्ट लक्षण है (हालाकि यह एक आश्चर्यजनक बात है कि फास मेरे न्यायिक न्यायालयों से भिन्न रूप मेरे प्रशासकीय न्यायालय, वास्तव मेरे, इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं)।

न्यायाधीश-निर्मित विधि वा सिद्धात् पूर्वदृष्टात् के बल पर आधारित है, अर्थात् न्यायाधीशों के पूर्वनिर्णय समान भामलों मेरे पश्चात् वर्ती न्यायाधीशों वो वाय्य करने वाले समझे जाते हैं, हालाकि समय के साथ इन निर्णयों मेरे परिवर्तन होना जाता है, और पूर्व के निर्णय के बल पश्चात् वर्ती के रूप मेरे रह जाते हैं। इस भावि एखलो-सेक्सन राज्यों मेरे विधानमंडल के कार्य से विलकूल भिन्न रूप मेरे, पुरानी विधि मेरे नई विधि जोड़ दी जाती है। इस प्रकार न्यायाधीश चाहे पूर्व-दृष्टात् वा अनुसरण वाले, अथवा स्वयं उसका मृजन करे, उसे उपपुक्त रूप मेरे

¹ सन् 1937 मेरे प्रेसोडेट रूजवेल्ट ने प्रयत्न किया था कि न्यायाधीशों की निवृत्त होने की आयु 70 वर्ष निश्चिन कर दी जाए, किन्तु यह प्रयत्न असफल हुआ। वैधिएः पूर्व पृष्ठ।

विधिनिर्माण कहा जा सकता है। इसीलिए, महान् अध्रेज विधिविशेषज्ञ स्वर्गीय प्रोफेसर डॉपसी ने न्यायाधीशों को 'सारत विधिनिर्माता प्राधिकारी' कहा है। इसी प्रकार, महान् अमरीकी न्यायाधीश स्वर्गीय जस्टिस होम्स ने भी कहा था कि "न्यायाधीश विधिनिर्माण करते हैं और उन्हें करना ही चाहिए।"

इम निर्णय-विधि म सामान्य-विधि राज्या की यह महत्वपूर्ण विशिष्टता उपलक्षित है कि ऐसे राज्या में विधि सहितावद्ध नहीं होती, अर्थात् विधि की कोई ऐसी समग्रित व्यवस्था नहीं होती जिसकी किसी एक समय में ऐसी सीमा निश्चित कर दी गई हा, जिससे परे, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, न्यायाधीश कार्य नहीं कर सकते। परन्तु उन राज्यों में, जैसे अधिकाश योरोपीय राज्यों में, जहां विधि वहूत पूर्व ही सहितावद्ध हो चुकी है, न्यायाधीशों द्वारा विधि की रखना मन्त्रव नहीं है। उदाहरण के लिए फ्रान्स में ही, जहां नेपोलियन के समय से ही विधि को सहितावद्ध किया जा चुका था, न्यायाधीशों को निर्णय विधि के निर्माण के लिए स्पष्ट रूप से नियंत्रण कर दिया गया है। उनका पथप्रदर्शन करने के लिये सहिता विद्यमान है, और यदि सहिता किसी विगिष्ट मामले के सम्बन्ध में न्यायालय की दृष्टि में वृष्टिपूर्ण हा, तो न्यायाधीश निर्णय दे सकता है, परन्तु वह इनी भी रूप में भावी मामला ने वाध्य नहीं होगा। परन्तु, देश विधि प्रणाली में ऐसा निर्णय भविष्य के लिए उचित विधि समझा जाएगा। इन दोनों प्रणालियों से लाभ भी है और हानि भी। देश विधि राज्यों में पूर्वदृष्टातों की चर्चा करते समय वकील वो अपने आधार का निश्चय होता है, और वह न्यायाधीश की सनक या सहितावद्ध विधि की सदिक्ष शब्दरखना के अधीन नहीं रहता। दूसरी ओर, पूर्वनिर्णयों का सकलन इतना उलझा हुआ, भ्रमात्मक और अन्तविदोधयुक्त हो गया है कि वकीलों के लिए यह मालूम कर लेना बहुधा कठिन हो जाता है कि वास्तव में विधि क्या है। सहितावद्ध विधि वासे राज्यों में न्यायाधीश ब्रिटेन जैसे राज्यों के न्यायाधीशों की अपेक्षा एक अर्थ में अधिक स्वतंत्र है, क्योंकि उन पर पूर्वदृष्टातों का अनुश नहीं होता और जब कोई मामला विद्यमान सहिता से परे उपस्थित होता है तो वे अपना ध्यान न्याय करने पर ही बेन्द्रित कर सकते हैं, उन्हें इम बात पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रहती कि इसी बिडान् पूर्वाधिकारी के पूर्वनिर्णय का अनुमरण हो रहा है या नहीं। इसके साथ ही, ऐसे राज्यों के न्यायाधीश अधिक मर्यादित भी रहते हैं, क्योंकि वे वल विधानमढ़ल ही या तो विशेष विधियों के पारण के द्वारा या नए सहितावद्ध की अनुमति देकर विधि में परिवर्तन कर सकता है। इसके विपरीत, देश विधि वासे न्यायाधीश अपन तकी तथा निर्णयों के द्वारा नई विधि बना सकते हैं, जब तक कि उनके निर्णय माविधिक विधि के प्रतिकूल न हो। इन्हें य सब बातें किन्हीं भी न्यायाधीशों के, चाहे वे कितने ही प्रब्लेम बना न रहे हों, किन्हीं भी पूर्वनिर्णयों को, चाहे वे कितने ही अद्वेष वयों

न हो, विधि द्वारा परिवर्तित करने की अथवा वित्ती विधिसंहिता को सशोधित करने की विधानमंडल की शक्ति को प्रभावित नहीं करती, वर्तमान कि विधानमंडल सदा ही उन शक्तियों के अन्दर काम करे जो कि उसे संविधान द्वारा प्रदत्त होती है। अतः कुछ ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जिनकी हम पहले चर्चा पर चुके हैं—जैसे कि एकात्मक तथा सधीय राज्य, नस्य तथा अनन्य संविधान—न्यायपालिका और विधानमंडल के बीच के सम्बन्ध वा अध्ययन अत्यन्त लाभदायक होगा।

हम यह बता चुके हैं कि एकात्मक राज्य में केन्द्रीय विधानमंडल नेवल उन निर्बंधों के सिवाय, यदि कोई हो, जो कि संविधान द्वारा उस पर लगाए गए हो, सर्वोच्च होता है, परन्तु सधीय राज्य में सधीय विधानमंडल सीमित रहता है क्योंकि एक तो उसकी शक्तियों के साथ अमूल राज्यों वीं भी शक्तिया होती हैं और दूसरे उसका संविधान अनन्य होता है। संविधान के विषय में हम बता चुके हैं, कि जहा वह नस्य होता है वहाँ विधानमंडल की सर्वोच्चता निवापाद रहती है, परन्तु जहा वह नस्य होता है, वहाँ उसकी सर्वोच्चता, सांविधानिक विधिनिर्माण के विषय भी उसके ऊपर आरोपित निर्बंधों द्वारा मर्यादित रहती है। इन शर्तों का पालन करने में न्यायपालिका का क्या कार्य है? एकात्मक राज्यों का परीक्षण करते समय, उदाहरणार्थ इंगलैण्ड के प्रकारण में, हम देख चुके हैं कि न्यायाधीश संसद द्वारा पारित विधियों को लागू करने को बाध्य है। यदि संसद द्वारा निर्मित विधि देश विधि के प्रतिकूल है तो उस विशेष प्रकारण में देश विधि को त्याग दिया जाएगा। यह सच है कि न्यायाधीशों को किसी भी विधि के विषय में व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है, क्योंकि 'विधि द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत शक्तिया, नहीं वे कितनी भी असाधारण वयों न हो, वास्तव में कभी भी असीमित नहीं होती क्योंकि वे स्वयं अधिनियम के शब्दों द्वारा मर्यादित रहती हैं', परन्तु न्यायाधीश शब्दों से बाहर नहीं जा सकते, और यदि शब्द संसद के अधिकारों को बुरी तरह अधिव्यक्त करते हैं तो अधिनियम का प्रयोग उसे पारित करने वालों के आशय से बिलकुल भिन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त एकात्मक राज्य में यह सम्भावना कभी भी नहीं होती कि न्यायाधीशों को केन्द्रीय संसद और राज्य के अन्तर्गत अन्य निकायों के बीच के विवादों को तय करने को कहा जाए, क्योंकि ऐसे अन्य निकायों के पास उन अधिकारों के सिवाय, जो उन्हें केन्द्रीय विधानमंडल से प्राप्त होते हैं, अन्य कोई अधिकार नहीं होते।

परन्तु सधीय राज्यों में स्थित बिलकुल भिन्न होती है। उनमें से अधिकाश में न्यायपालिका की शक्ति विधानमंडलों की शक्ति को तुलना में एकात्मक राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। उदाहरणार्थ, संयुक्तराज्य में संविधान सर्वोच्च है, विधानमंडल नहीं, और इस तथ्य से न्यायपालिका को एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह विधानमंडल तथा कार्यपालिका के समकक्ष हो जाती है।

सधीय न्यायाधीश और राजीय न्यायाधीश भी, सविधान की रक्षा करना और बापेस अथवा राज्य के विधानमंडल के ऐसे प्रत्येक विधान कार्य को शून्य मानना जो सविधान से असगन हो, अपना परम वर्तमान समझते हैं। निस्तदेह वह ऐसी किसी विधि का उन्मूलन नहीं कर सकते, परन्तु वे उन में मामला में जो कि उनमें मामने आए, उसे शून्य समझने को बाध्य है। इस भाति संयुक्तराज्य में ग्रासन के न्यायिक विभाग में यूनाइटेड विगडम की न्यायपालिका की अपेक्षा बहुत अधिक सक्षमता है।

विभिन्न सधीय राज्यों में न्यायपालिका की शक्तिया बहुत अशो में विभिन्न होती है। उदाहरणार्थ, आस्ट्रेलिया में, जहां सधीय न्यायपालिका की स्थिति संयुक्तराज्य की सधीय न्यायपालिका की स्थिति से बहुत मिलती-जुलती है, कॉमनवेल्थ और राज्यों की अधिकाश शक्तिया भमवर्ती हैं, और इमें परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत साविधानिक विवादों में से अधिकाश सधीय तथा राजीय शक्तियों के बीच सीमा निर्धारण से मम्बन्धित रहते हैं। बास्तव में, इस सम्बन्ध में आस्ट्रेलिया और संयुक्तराज्य के बीच में मुख्य अन्तर यही है कि आस्ट्रेलिया का उच्च न्यायालय राज्यविधिविधक अधीला को मुन सकता है, परन्तु संयुक्तराज्य के सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा करने की शक्ति नहीं है। वेसर गणतन्त्र के अधीन जर्मनी में सविधान की व्याख्या के सम्बन्ध में सधीय न्यायाधीश की शक्तिया लगभग उतनी बड़ी नहीं थी जिन्होंने कि वे संयुक्तराज्य और आस्ट्रेलिया में हैं, क्योंकि उस सविधान के अनुसार सधीय विधि राजीय विधि का प्रत्याख्यान करती थी, परन्तु जहां यह प्रश्न उठना था कि क्या कोई राजीय विधि सधीय विधि से असंगत थी, वहा सधीय न्यायपालिका के समक्ष अधील आवश्यक होनी थी। जर्मनी के सधीय गणराज्य की मूल विधि (1949) ने सधीय विधि की इस प्रत्याख्यान-गति का निरस्त कर दिया परन्तु जैसा हम पहले बतला चुके हैं उसने एक सधीय सविधानी न्यायालय की सविधान की व्याख्या करने और सभ तथा राज्यों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के मम्बन्ध में मतभेद दूर करने के लिये स्थापना की। स्विटजरलैंड में व्याख्या करने की ऐसी बोई शक्ति विद्यमान नहीं है, और स्विटजरलैंड अपनी न्यायपालिका की इस निर्बन्धना की दृष्टि से सधराज्यों में अनुपम है।

नम्य सविधानों के विषय में हम यह बता चुके हैं कि उनके अधीन विधायी शक्ति से ऊपर न्यायपालिका की शक्ति के लिए स्थान नहीं है। फ्रेट रिटेन और न्यूजीलैंड सदृश राज्यों में सदृश वा कोई भी अधिनियम अ-साविधानिक नहीं हो सकता। अप्रम्य सविधानों वाले एकात्मक राज्यों में, ऐसे न्यायालय हो सकते हैं, जो विधानमंडल द्वारा सविधान की शर्तों का उल्लंघन किए जाने और सदृश द्वारा सविधान में निर्धारित क्षमता के आगे बढ़ जाने की अवस्था के विधानमंडलों

के अधिनियमों की असाविधानिकता पर निर्णय देने की शक्ति रखते हों। उदाहरणार्थ, इटली में एक सविधानी न्यायालय है जो गणराज्य के सविधान के अनुच्छेद 134 के अनुसार 'विधियों और विधि का प्रभाव रखने वाले अधिनियमों की वैधता से सम्बन्धित विवादों का निर्णय करता है।' इसके विपरीत फ्रान्स में सविधानी न्यायालय नहीं है, परन्तु पचम गणतंत्र के अधीन एक सविधानी परिषद् है जिसे निर्वाचनों एवं जनमनसग्रहों के अधीक्षण के अतिरिक्त सविधान के सम्बन्ध में परामर्श देने के कुछ अधिकार प्राप्त हैं। सन् 1958 के सविधान के अनुच्छेद 61 की प्रारम्भिक कठिकाओं (पेराग्राफों) में वहां गया है—

"प्रख्यापन के पहले सघटनात्मक विधियाँ (Organic Laws) और प्रयोग में आने के पहले समदीय सभाओं के विनियम सविधानी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किय जान चाहिये और वह उनकी सविधानिकता के सम्बन्ध में निर्णय देगा।"

"गणराज्य ना राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री या किसी सदन का अध्यक्ष प्रख्यापन के पहले विधियों को सविधानी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।"

परन्तु निर्णय देने के बाद परिषद्, स्थिति को नियमित करने के लिये आवश्यक बदल उठाने वा कार्य सरकार या संसद के लिये छोड़ देती है।

उपर्युक्त बातों से निकलने वाले निष्कर्षों को सक्षिप्त करते हुए हम सकते हैं कि समस्त साविधानिक राज्यों में न्यायिक निकाय की हैसियत ऐसी है कि वह बेतुके और मनमाने हस्तांशेष से मुक्त होता है और उसकी अवधि सुरक्षित रहती है जिससे कि वह आगे विवेक के विरुद्ध कार्य करने की आशका के अधीन नहीं रहता; सधीय राज्यों के सिवाय अधिकार राज्यों में सरकार का न्यायिक विभाग विधान विभाग के द्वारा पारित विधियों के आरोपित करने को बाध्य होता है, और अधिकार सधीय राज्यों में उसे या तो सधीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि को, जिसे वह उसकी साविधानिक क्षमता के परे समझता है, आरोपित करने से इनकार करने वी, अथवा, उन मामलों में जहां सधीय और राज्य के विधानमंडलों में विरोध होता है, निर्णय करने की शक्ति होती है। न्यायपालिका थीर वार्यपालिका के बीच का सम्बन्ध ऐसी सरलता से व्यक्त नहीं किया जा सकता, जैसा कि अब हम देखेंगे।

3 विधि का शासन

पिछले एक अध्याय में हम बता चुके हैं कि आम्ल-सेवसन कहलाने वाले राज्यों—अर्थात् यूनाइटेड विंगडम, ब्रिटिश इव-पासी डमिनियन लेखा सम्युक्त-राज्य—के नागरिक जिन आधारभूत वानूनी सुरक्षाओं का उपायोग करते हैं, उनमें से एक 'विधि के शासन' वा सिद्धान्त है। महाविजेपन डायसी ने कहा है कि इससे निसी भी ब्रिटेन निवासी वा वात्यार्थ वेवल यही नहीं है कि हमसे कोई भी व्यक्ति

विधि से ऊपर नहीं है, परन्तु यह भी है (जो कि एक भिन्न बात है) कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका पद या उसकी अवस्था कुछ भी हो, राज्य की साधारण विधि के अधीन है और साधारण न्यायालयों के द्वेषाधिकार के अन्तर्गत है।" यह वास्तव में ऐसा अधिकार नहीं है जो सामान्य रूप में समस्त आधुनिक संविधानी राज्यों के नागरिकों को प्राप्त हो, जैसा कि हम इस तथा अगले छड़ में बताएंगे। हमने इस अधिकार का लाभ उठाने वाले राज्यों तथा शेष राज्यों में पहली प्रकार के राज्यों को 'देश विधि राज्य' और दूसरे प्रकार के राज्यों को 'विशेषाधिकारयुक्त राज्य' कहकर घेद किया है। इन दोनों प्रकार के राज्यों के परीक्षण में हम ब्रिटेन को प्रथम प्रकार के और पास को द्वितीय प्रकार के उदाहरण के रूप में लेते हैं।

विधि का शासन ड्रिटिश संविधान के मूल में स्थित है, इस वारण नहीं कि संविधान द्वारा इसकी गारंटी दी गई है (जैसे कि प्राय अधिकार दस्तावेजा में सुनिश्चित निए जाते हैं), बल्कि इस वारण वि संविधान का अस्तित्व विकास इसकी अविरल मान्यता के आधार पर हुआ है। जैसा कि डेयसी का वर्णन है, "वे नियम जो कि अन्य राज्यों में स्वाभाविकता साविधानिक सहिताओं के अग होते हैं, अपेक्षी भाषाभाषी राज्यों में व्यक्तियों के न्यायालयों द्वारा परिभाषित और प्रवर्त्तित अधिकारों के स्रोत न होकर उनके परिणाम होते हैं।" अतः, विधि का शासन न्यायपालिका को कार्यपालिका की ओर से बेवल हस्तक्षेप से ही स्वतन्त्र नहीं रखता बल्कि उसके व्यक्तिगत सदस्यों के सम्बन्ध में उसे निश्चित वरिष्ठता प्रदान करता है, क्योंकि "प्रधानमन्त्री से लेकर पुलिस के मिपाही तक अधिकारों के संग्रहक (कलेक्टर) तक प्रत्येक अधिकारी वैध औचित्य के बिना किए गए प्रत्येक वार्य के लिए उसी भाति उत्तरदायी हैं जैसे कि कोई भी अन्य नागरिक।" इगलैंड में कर्मचारीण न्यायालय के सामने लाय जा सकते हैं और उन्हें अपनी वैध हैसियत में, परन्तु वैध सत्ता की सीमा से बाहर, जैसे गए कार्यों के लिए दड़ दिया जा सकता है अथवा उनसे हरजाना लिया जा सकता है। यह बात अत्यन्त प्राचीन काल से अप्रेजों के अधिकारों में उपलब्धित थी। महाधि-कार-न्यून (मेमाकार्टी) (सन् 1215) में यह बात मोटे तीर से मीजूद है; अधिकार-न्याचिका (पिटोशन थॉक राइट्स) (सन् 1628) में और बन्दी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम (हैमियर कॉर्पस एक्ट) (सन् 1679) में यह बात और भी अधिक स्पष्ट है। इसको बारधार प्रतिपादित करने का वारण यह था कि पुर्ववाल में राजा ने हमेशा देश विधि के प्रतिकूल—अर्थात् न्यायाधीशों के नियंत्रों के विवरीत—एक वायरलरी विशेषाधिकार को हस्तगत बरने जर्यवा न्यायाधीशों के कार्यकाल को अपनी इच्छा पर अवलम्बित करने का प्रयत्न बिया था। ट्रिप्पुटर काल में यह विशेषाधिकार, जिसका वि राजा समय-समय पर दोबा चरता रहा, राजा के हाथों में रहने दिया गया, परन्तु स्टुअर्ट राजाओं के

उसके दुरुपयोगों के विरोध में सदाचार अपने परम्परागत अधिकारों की रक्षा में आवाज़ बुलाकर बरने लगी। तृतीय जार्ज ने राजा के विशेषाधिकारों को पुनः प्राप्त बरने के लिए अन्तिम प्रयत्न किए, परन्तु फिर भी विधि के शासन की स्थापना असंदिग्ध है से हो गई जब वि सन् 1763 में जॉन विल्सन ने, जिसने वि अपने कद 'दि नॉर्थ ब्रिटेन' में राजा के भाषण की आलाचना की थी, सामान्य वारदात पर अपने दोषपूर्ण बन्दोबरण के कारण गृहमंडी से हरजाने के स्थान में 1,000 पौंड प्राप्त किए। इस गामले में, एक सामान्य नागरिक वो सरकारी बर्मंचारी की ओर से लिए गए मनमाने कार्य के विलाफ रक्षण ही प्राप्त नहीं हुआ बल्कि उस सरकारी बर्मंचारी ने साधारण विधि की प्रतियाओं के विरुद्ध अपने वो पूर्णहेतु अरकित पाया, भल ही वह विशुद्ध है स अपनी शारीरी ऐसियत में या राज्य के हित में कार्य बरता हुआ समझा गया हो।

अतएव, उन राज्यों में, जिनमें विधि का शासन है, ऐसे मामलों में जो देश विधि, सदाचार निर्मित विधि और (अन्तम् सविधान) के अधीन जो इसे एक विभिन्न शाखा बना देते हैं} साधारणतर विधि के अधीन पैदा हो, वैयक्तिक अधिकारों के अन्तिम सरदार न्यायाधीश हो होते हैं। कोई भी ऐसी बात, जिसे स्वयं वायंपालिका वर सरकारी है, राजनीय बर्मंचारिया द्वारा विधि के उल्लंघन के प्रति न्यायालयों के रूप वो प्रभावित नहीं कर सकती। यह तत्व है कि निसी भी कानून क्तिपय अधिकार, जो तब विद्यमान हा, सदाचार के अधिनियम द्वारा निराकृत हो सकते हैं (ऐसा अधिनियम वायंपालिका की प्रेरणा से ही पारित हो सकता है और सम्भवतया होता है), और तब इस प्रसार निर्मित विधि का प्रवर्तन करना न्यायाधीश का वर्त्तन्व होगा। यह भी हो सकता है कि ऐसी विधि विधि विधिय मामलों में वायंपालिका के कार्यों पर नियन्त्रण रखने की शक्ति से न्यायाधीशों को विचित कर दे। परन्तु असली बात यह है कि ऐसी विधि के पारित होने के पश्चात् ही, और तब भी वैयक्तिक विधि में बताए गए कार्यों के विशिष्ट वर्ग के सम्बन्ध में ही, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यम हो सकती है। विधि के शासन के ऐसे हपान्तरों के विषय में हम इस अध्याय के अन्तिम छठ में विचार करेंगे।

जैसा कि हम प्रवठ कर चुके हैं, विधि का शासन अपेक्षे ब्रिटेन में ही नहीं यक्कि स्व-शासी डॉमिनियनों और सायुक्तराज्य के अतिरिक्त वैलजियम में तथा बम्नसे-कम कागजी रूप में तो लैटिन-अमरीका के अधिकारण राज्यों में भी विद्यमान है। इन समस्त राज्यों में विधि का शासन सविधान के अन्तर्गत है, परन्तु उन राज्यों बीच में महान्-तम अस्तर है क्योंकि उनमें से कुछ एकोत्तम और कुछ सधीय राज्य हैं, उनमें सबसे अन्तम् सविधान नहीं हैं और उनमें से कुछ में सरादीय और शैय में अ नारादीय वायंपालिकाएँ हैं। आगले-काल राज्यों में विधि का शासन इस राज्य है कि उनका मूल स्रोत एवं ही अर्थात् इगलेंड है। वैलजियम में इसका

विद्यमान होना इस सम्बन्ध में योरोप के महाद्वीप में अनुपम बात है, और इसका बारण यह है कि उसकी स्वतंत्र सत्ता की, जो कि अतिम रूप में सन् 1839 में प्राप्त की गई थी, स्वापना के सबटम्य बोल में उस पर इगलैंड का बड़ा प्रभाव रहा। लैटिन-अमरीकी राज्यों में इसके अस्तित्व का कारण यह है कि इन राज्यों ने उन लैटिन राज्यों की, जिनसे उनका उद्गम हुआ, परम्पराओं को जीवित रखने की अपेक्षा सम्युक्तराज्य का अनुकरण किया। समस्त अन्य राज्यों में विधि के शासन के अस्तित्व का कारण स्पष्ट है। भूमडल के विभिन्न भागों में बसने के लिए जाने वाले मूल अप्रेज अपने साथ आगले देश विधि की परम्परा का भी ते गए, और यह तथ्य उनके संविधानों के प्रद्यापित हान से बहुत पहले से ही उनके सामाजिक जीवन का एक अंश था। इस भाँति जहा महाद्वीपीय राज्यों ने, जो इस विधि के शासन के विषय में कुछ भी नहीं जानते थे, अपने संविधानों के द्वारा व्यक्ति के अधिकारों को प्राप्त किया वहा इन मूल आगल डार्मिनियनों को अपने इन अधिकारों के सरदान वी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। इस प्रबार इन बाद में उत्तिलिखित राज्यों में से प्रत्यक्ष में संविधान ने विधि के शासन को प्रभावित नहीं किया, और यदि किया तो उसे और भी अधिक सशक्त कर दिया है, जैसा कि, उदाहरण के रूप में, सम्युक्तराज्य में हुआ जहा संविधान में निक्षयपूर्वक उल्लेख किया गया है कि संविधान के अधीन उत्पन्न होने वाले विधि सम्बन्धी तथा न्याय (Equity) सम्बन्धी सभी मामलों में न्यायिक शक्ति लागू होगी।

अब हम यह परीक्षण करेंगे कि उन राज्यों में जहा विधि का शासन लागू नहीं होता—अर्थात् जिन्हें हमने विशेषाधिकारयुक्त राज्य कहा है—एवं विशेष प्रकार की विधि राज्य के कमचारियों के उनके शासकीय कर्तव्यों के निष्पादन में किस भाँति रक्खा करती है।

4 प्रशासनिक विधि

अप्रेजी भाषा में प्रशासनिक विधि (एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ) पद का प्रयोग फ्रांसीसी पद *Droit Administratif* के अनुवाद के रूप में होता है। असल में, इस फ्रांसीसी पद का अप्रेजी में पदार्थ अनुवाद नहीं हो सकता है। जैसा कि डायरी ने कहा है, अप्रेजी में इसके सञ्चे पर्याय के अभाव का कारण स्वयं इस बत्तु को न मानना ही है। इस विषय में फ्रांसीसी अधिकारियों की भाषा ऐसे तथ्य का विनाश करती है जिससे एक अप्रेज विनकुल ही अनजान है। एक अधिकारी के अनुसार प्रशासनिक विधि नियमों का वह तमूह है जो सामान्य नागरिक के प्रति प्रशासकीय प्राधिकारी के सम्बन्धी को विनियमित करता है और राजकीय पदाधिकारियों की स्थिति को तथा राज्य के प्रतिनिधियों के रूप में इन बमंचारियों के साथ व्यवहार में सामान्य नार्गिला के अधिकारों तथा दायित्वों को और उस

प्रक्रिया को जिसने द्वारा ये अधिकार और दायित्व कार्यान्वित किए जाते हैं, निर्धारित करता है। सक्षेप में हम नहीं सकते हैं कि फ़ास में सार्वजनिक (Public) तथा वैयक्तिक (Private) विधि में अन्तर है और न्यायपालिका पर विधि वे इस विभाजन का प्रभाव यह हुआ है कि सामान्य न्यायालय शासन वे वार्यपालिका सम्बन्धी (या प्रशासकीय) विभाग के कार्यों से उत्पन्न भासलों में वार्यवाही करने वे लिए सशम नहीं हैं, चाहे वे मामले राजकीय कर्मचारियों वे अधिकारों और दायित्वों के धारे में हो या ऐसे कर्मचारियों के साथ, सम्बन्धों के प्रसग में नागरिक के अधिकारों या दायित्वों के धारे में हो।

इस प्रणाली का प्रभाव "प्रशासन को स्वयं अपने आचरण वा स्वच्छद निर्णयक" बनाना है। यह प्रणाली फ़ासीसी इतिहास में निहित है। अठारहवीं शताब्दी में राजकीय प्रशासन और न्यायालयों वे बीच बार-बार ऐसे विवाद उठते रहे कि भारत के समय तक तो अच्छे शासन को हानि पहुंचानेवाले न्यायालयों में हस्तक्षेप को शका वी दृष्टि से देखा जाने लगा, और जनकारी वे पृथक्करण वे सिद्धान्त के प्रभाव में शातिकाल के विभिन्न सविधानों ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के कृत्या वो विलकुल पृथक् कर दिया तथा न्यायालयों वो ऐसा बोई भी कार्य करने का नियेद बर दिया जो कि वार्यपालिका के धोर में हस्तक्षेप करता था। नेपोलियन ने इस अन्तर को कायम रखा और कुछ परिवर्तन वे साथ वह आज भी विद्यमान हैं।

इस भारत कास में न्यायालय वे दो विभिन्न रूप उत्पन्न हो गए न्यायिक न्यायालय और प्रशासनिक न्यायालय। पहले प्रकार वे न्यायालय वे सामने अपराधिक मामले तथा वैयक्तिक विधि के मामले अर्थात् नागरिकों के बीच के मामले आते थे। दूसरे प्रकार के न्यायालय के सामने सार्वजनिक विधि के मामले अर्थात् शासन और उसके कर्मचारियों के बीच या सामान्य नागरिक और सरकारी कर्मचारियों के बीच के मामले आते थे। इससे प्रकट होता है कि सामान्य नागरिक को राजकीय कर्मचारी के मुकाबले में सरकार प्राप्त नहीं था। बिन्दु फ़ास की इस प्रारंभिक स्थिति में कुछ परिवर्तन हो गए हैं, और इस विषय पर खांखिल के दूर कथन को कि "सरकार सर्वदा स्वतन्त्र है और यदि वह चाहे तो साधारण न्यायालयों के किसी प्रकार के ठर के बिना विधि का अतिश्रमण बर सकती है" पूर्णरूपेण स्वीकार नहीं किया जा सकता। सन् 1872 में फ़ास में एक स्वतन्त्र विवाद न्यायालय (Conflict Court) स्थापित किया गया, जो राजेहास्यद भासलों में यह तय बरता था कि कोई मामला न्यायिक विभाग वे धोत्ताधिकार के अन्तर्भूत है या प्रशासनिक विभाग वे, ताकि न तो न्यायिक न्यायालय स्वयं अपनी सत्ता से प्रशासन का अतिश्रमण बर सके और न प्रशासनिक न्यायालय ही प्रशासनिक न्यायिक न्यायालय पर हावी हो सके। निष्पक्षता सुनिश्चित करने वे लिए विवाद

न्यायालय में नो सदस्य रखे गए, जिनमें से तीन का चुनाव उच्चतम न्यायिक न्यायालय (Court of Cassation) द्वारा, तीन का उच्चतम प्रशासकीय न्यायालय (Council of State) द्वारा होता था, और ये छह मिलकर अन्य दो को चुनते थे, और नबा सदस्य स्वयं न्यायमन्त्री होता था (जो कि मत्रिमठल का सदस्य था) और जो अध्यक्ष के रूप में कार्य करता था। ये आठ सदस्य तीन साल तक अपने पद पर रहते थे, परन्तु पुनः चुने जाने के योग्य थे और साधारणतया दुबारा चुन भी लिये जाते थे। न्यायमन्त्री की अवधि, नि सदैह, उस मत्रिमठल की ही अवधि होती थी जिसमें वह मन्त्री होता था।

प्रशासनिक विधि की यह प्रणाली, जैसा कि हम इह चुके हैं, योरोप महाद्वीप के अधिकांश राज्यों में अगीकृत की जा चुकी है और उनकी न्यायपालिकाएँ इस सम्बन्ध में न्यूनाधिक रूप में प्रासीसी नमूने के ही सदृश हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी में उन पृथक् राज्यों में से प्रत्येक में जिन्होंने मिलकर साम्राज्य का निर्णय किया था, सरकारी सेवकों की रक्षा के लिए प्रशासकीय विधि पहले से ही मौजूद थी और सन् 1871 के साम्राज्यिक संविधान वे अधीन तत्त्वालीत उच्चसदन को ही साम्राज्य की मुख्य प्रशासकीय परिपद बनाया गया था। डेमर गणराज्य के संविधान के अधीन भी प्रशासनिक और न्यायिक न्यायालयों के बीच का अन्तर कायम रखा गया। सधीय गणराज्य के मूल विधि (1956 में संशोधित) में भी यह अन्तर कायम रखा गया है। उसके अनुच्छेद 96(3) में कहा गया है कि 'सघ सधीय नागरिक सेवको एवं सधीय न्यायाधीशों के विश्व अनुशासनिक कारबाई के लिये अनुशासनिक न्यायालय स्थापित कर सकता है।' स्टिट्जर-लैड में भी यह अन्तर किया गया है, परन्तु वहाँ न्यायपालिका, विधानमठल और कार्यपालिका के, पूर्णतया अधीनस्थ हैं और प्रशासकीय क्षेत्राधिकार सधीय परिपद (कार्यपालिका) के ही हाथ में हैं जिसके विश्व अपेक्ष सधीय सभा (विधानमठल) के समक्ष होती है। इटली में भी प्रशासकीय और न्यायिक न्यायालयों में परम्परागत रूप में भेद किया गया है, परन्तु वहाँ वह भेद ऐसा तीव्र नहीं है जैसा क्षास में है।

5 दोनों प्रणालियों के अधीन न्यायपालिकाओं की तुलना

यदि हम इन दोनों बास्तुनी प्रणालियों का जैसा कि वे थी और जैसी आज हैं, मुक्तम परीक्षण करें तो हम उनकी ऊपरी विभिन्नताओं के साथ ही उनकी कुछ भीलिक समानताओं से उतने ही प्रभावित होते हैं। समय के प्रवाह और साविधानिक नियन्त्रणों की प्रगति के कारण महाद्वीपीय राज्यों वे प्रशासनिक न्यायालय, विशेषकर प्राप्ति में, अपनी पूर्व की निरक्षता का अधिकरण खो चुके हैं। उदाहरणार्थ, नेपोलियन वे अधीन प्रशासकीय मामलों में निर्णय करने के लिए राज्य-परिपद

की शक्तिया लगभग निरुद्धा-सी ही थी, और सन् 1830 और 1848 की लोकतंत्रीय दिग्गज में भ्रातियों के होते हुए भी वायंपालिका की विधि की साधारण प्रक्रियाओं से प्राप्त उन्मुक्ति लगभग अलूटी ही रही। परन्तु, द्वितीय राष्ट्राज्य (सन् 1852-71) के पतन के पश्चात् और दृष्टीय गणतंत्र के अस्तित्व के दौरान (सन् 1852-71) के पतन के पश्चात् और दृष्टीय गणतंत्र के अस्तित्व के दौरान में बहुत-बुद्धि परिवर्तन हुआ। जैसा कि हम बता चुके हैं, विवाद न्यायपालिका में साधारण न्यायपालिका और प्रशासनिक न्यायपालिका वा समान ह्य में प्रतिनिधित्व था, हालांकि इस बारा रो कि उसका अध्यक्ष तत्वालीन शासन वा एक सदस्य होता था वायंपालिका के हिता की रथा सुनिश्चित हो गई।

आगल प्रणाली वो भी ऐनिहसिक दृष्टि से देखन पर हमें पता चलता है कि सोनहवी और सदहवी शताव्दिया में प्रचलित विचार ऐसे नहीं थे जो कि विधि की प्रशासनिक प्रणाली से मिलती-जुलती प्रणाली की स्थापना के बिलकुल ही विरुद्ध है। ट्यूबर और स्टुअट शासन को उन व्यक्तियों वा समर्थन प्राप्त था जो वह प्रतिपादित करने को तैयार थे कि प्रशासन को विवेक की शक्ति प्राप्त है जिस पर किसी भी न्यायालय का नियन्त्रण नहीं हो सकता। उदाहरणस्वरूप, रुडार नेम्बर, वैसिल आँफ दि नॉर्थ, कोट आँक हाई कमीशन जैसे न्यायालय समस्त आशयों और प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक न्यायालय ही थे, जो पूर्णतया समस्त आशयों और प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक न्यायालय ही थे, जो पूर्णतया वायंपालिका के हाथा में थे और उन दिना वायंपालिका वास्तव में राजा ही था। सर प्रासिस बेकन जैसे विधिविशेषज्ञ, यदि उन्हे अपनी नीति का अनुरागण करने दिया जाता तो, साधारण विधि से भिन्न प्रशासनिक विधि की इंगलैंड में स्थापना करने में सफल हो जाते। परन्तु उनका उद्देश्य गृहयुद्ध में रुडुओं की पराजय से और विधि के समक्ष रागता के सिद्धान्त के प्रति परम्परागत निष्ठा की विजय के फलस्वरूप, जिसकी पुष्टि सन् 1688 की भ्राति रो उत्पन्न साविधिक व्यवस्थाओं द्वारा हुई, असफल हो गया।

हम मह पहले बता चुके हैं कि राष्ट्रीय बीमा जैसी नई सामाजिक रोकाओं वो स्थापित करने वाले समर्थितादी विधान की प्रगति से ब्रिटेन में शासन की कार्यपालिका शाखा वो नई शक्ति प्राप्त हो रही है। आधुनिक सौकरत्तन में ऐसा होना अनिवार्य ही है। ब्रिटेन और सयुक्तराज्य जैसे महान् औद्योगिक समाजों के विधानमंडल, जिनके ऊपर सामाजिक विधिनिर्माण का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ भार आरोपित है, ऐसी विधियों वा निर्माण नहीं कर सकते जिनमें व्यौरे की सभी बातें आ जाएं और जिनमें उनके प्रवर्तन के दौरान में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक व्यवस्था आवस्थिता वा सामना करने के लिए व्यवस्था हो। इसका परिणाम यह होता है कि "प्रशासनीय समस्याएँ न्यायिक कर्तव्यों को स्वयं ग्रहण करने को ही नहीं बल्कि उन्हें ऐसी रीति से निष्पादित करने को भी विवेष होते हैं कि न्यायालय उनके पालन की छातबीन न पर सकें।" उदाहरणस्वरूप, इंगलैंड में यह निश्चय

हो चुका है कि यदि विधिभिंग में कोई विशिष्ट पद्धति नहीं दी गई हो तो इसके निष्पादन से सबूद्ध सरकारी विभाग, न्यायालय) के हस्तक्षेप वे बिना, जिस प्रक्रिया को वह सर्वोत्तम समझे उसे अगीकार कर सकता है। अथवा जहां कोई पद्धति निर्धारित होती है, वहां भी बहुधा उसका परिणाम व्यायालिका को न्यायिक हस्तक्षेप से वास्तविक स्वतंत्रता ही होता है। उदाहरणस्वरूप, राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, सन् 1911 ने (यह इसी प्रकार की अनेक विधियों वी शृंखला में प्रथम था जिन्होंने अत मे सन् 1948 मे प्रभावी होने वाले व्यापक अधिनियम का रूप धारण किया), सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे बीमा आयुक्तों के एक निकाय की स्थापना की, जिसे विनियमों के बनाने की शक्ति तथा न्यायिक सत्ता प्राप्त थी। इस अधिनियम वे अधीन किसी भी विवादग्रस्त दावे का निर्णय आयुक्तों द्वारा होता था, जिसकी अपील निर्देशियों (Repercées) के न्यायालय के तथा अनिम अपील एक पञ्च (Umpire) के समक्ष होती थी। इस भावि साधारण न्यायालयों का अपवर्जन कर दिया गया था और कोई भी आयुक्त या निर्देशी या पञ्च न्यायाधीश नहीं होता था। इसी प्रकार संयुक्तराज्य मे उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया जा चुका है कि “समस्त आप्रवासन-सम्बन्धी मामलों मे अम सचिव (सेक्रेटरी ऑफ लेवर) के निर्णय अतिम हावे।”

इस प्रकार का विधान विशिष्ट प्रशासकीय ज्ञान की अपेक्षा चारता है और सामान्य न्यायाधीश ऐसे ज्ञान का दावा नहीं कर सकते, अत उपर्युक्त परिस्थितिया अनिवार्य है। इसके अनिरिक्त, प्रशासन द्वारा सम्पादित राज्य के कार्यव्यों के विस्तार वे कारण उस विभाग को ऐसी ज़किया प्रदान करना आवश्यक हो जाता है जिनसे नाना प्रकार के दावों को निपटाने और निर्णय देने मे शीघ्रता की जा सके। विधि के शासन की दुर्बलता, उसकी स्थूलता वे कारण, सकटकालीन अवस्थाओं मे भी दृष्टिगोचर होती है जैसा कि दो विश्वयुद्धों के दौरान मे हुआ, जब कि ब्रिटेन मे प्रतिरक्षासम्बन्धी विनियमों के अधीन, न्यायालिका से परे, अनेक नए न्यायालयों की स्थापना की गई। “निरन्तर विस्तारशील कार्यपालिका के अतिक्रामक स्वभाव” की यह अभिव्यक्ति स्पष्ट ही एक खतरा है, और यदि सम्बधानी से निगरानी नहीं की जाएगी तो उसने निश्चय ही स्वतंत्रता के लिये खतरा उपस्थित हो जाएगा। एक महान् अप्रेज न्यायाधीश स्कर्गेय लॉड सेन्ट्री के कथनानुसार “विशेषाधिकारों वे मुए से निवालकर भवियों के विनियमों की खंडक मे पड़ना वास्तव मे विचित्र बात होगी।”

इसके विपरीत, उन राज्यों मे जहां प्रशासनिक और न्यायिक विधि वे दोना विभागों वे बीच वे अन्तर को स्वीकार किया जाता है, वहां वे बीच राजकीय पदाधिकारी वे लिए ही रखण की व्यवस्था नहीं है वल्ति साधारण नागरिक वे लिए भी है, और वह भी जानता है कि राजकीय पदाधिकारी के मुकाबले मे उसकी

स्थिति बया है। वर्मने-कम द्वितीय विश्वपुद्र के प्रारंभ होने तक फास में प्रशासनिक न्यायालय में न्याय प्राप्त करना सस्ता था और वह शीघ्र प्राप्त भी हो जाता था, प्रतिया भी सरल थी और ऐसे मामलों में फासीसी उसी भाँति इसे पसन्द करते थे जैसे कि कोई सैनिक, सैनिक न्यायालय की सीधी सथा शीघ्रकारी पद्धतियों को पसन्द करता है, हालांकि इससे वह जूरी द्वारा विचार का सरक्षण थोड़ता है। आधुनिक परिस्थितियों में प्रशासनिक विधि वाले राज्य के नागरिक को प्राप्त रक्षण की कमी को बढ़ाकर बताना आसान है। किन्तु फास में राजकीय पदाधिकारी के 'सेवा के दोष' और 'वैयक्तिक दोष' के बीच जो अत्यन्त स्पष्ट भेद किया जाता है वह नागरिक को अत्यधिक शातवीय जोश के बुरे परिणाम से बचाता है, और इसके ताथ ही राजकीय पदाधिकारी के लिए भी राज्य के एक कुशल सेवक के रूप में कार्य करने में ढरने का अधिक कारण नहीं रहता।

इस भाँति यह स्पष्ट है कि लोक विधि वाले राज्यों में आधुनिक सामाजिक विधान के विस्तार के कारण विधि के शासन वो शिथिल करना ही होगा। विभागों के अध्यक्षों को न्यायिक शक्तिया प्रदान करने से नागरिकों को एक प्रकार की प्रशासनिक विधि की हानिया तो सहन करनी पड़ती है, परन्तु धातिपूर्ति के रूप में इस विधि सथा न्यायिक विधि के बीच वे मान्य अन्तर के समकारी साथ उसे प्राप्त नहीं हैं। अतः, विटेन ये प्रशासनिक प्रवृत्ति के आलोचकों द्वारा सुधार के दो मार्ग सुझाए गए हैं। पहला सुझाव यह है कि प्रशासनिक न्यायालयों को, जहा कही भी उनका होना आवश्यक हो, पूर्णरूप से न्यायिक बना देना चाहिए और उन्हें हर प्रकार से कार्यपालिका से स्वतंत्र कर देना चाहिए अर्थात् ऐसे प्रयोजनों के लिए इन भाँति के विशेष न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए जिनके न्यायाधीश सम्बन्धित विधय के विशेषज्ञ हों। दूसरा सुझाव यह है कि कुछ मामलों में प्रशासनिक न्यायालयों या मती के निर्णय तो न्यायिक न्यायालय के समक्ष अपील की व्यवस्था होनी चाहिए। इस भाँति वैयक्तिक स्वाधीनता के लिए उपस्थित खतरे को, जो विधि के शासन की इन आधुनिक परिस्थिमाओं में छिपा रहता है, कम किया जा सकता है।


बत, निष्कर्ष यह हुआ कि वैधिक अभियूति और ऐतिहासिक विकास में भेद होते हुए भी, सविधानी राज्यों में आजकल न्यायिक विभाग के माध्यम से नागरिकों को प्राप्त अन्तिम अधिकारी के सम्बन्ध में पहले जैसा अन्तर नहीं रहा। सभी सविधानी राज्य न्यायाधीश को दलबन्दी की भावना के उत्तार-चढ़ाव से परे रखकर और अपराध या भ्रष्टाचार की अवस्था में उसके हटाए जाने को असम्भव बनाए बिना उसनी पदावधि सुरक्षित करते हुए उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित कर लेते हैं। लोक विधि पर आधारित विधि प्रणालियों वाले राज्यों में विधि का शासन कार्यपालिका वो अन्य समस्त निकायों की बराबरी में रखता है तथा उसे

उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी बनता है और कार्यपालिका सम्बन्धी हृतयों की सफाई में राज्य के हित की बहुत स्वीकार नहीं करता। विशेषाधिकार वाले राज्यों में, जहाँ प्रशासनिक विधि होती है, राजकीय कर्मचारी को प्रशासनिक न्यायालय द्वे सामने उत्तरदायी ठहराकर कार्यपालिका को कुछ सीमा तक साधारण न्याय की प्रक्रियाओं से ऊपर स्थान दिया जाता है। परन्तु आधुनिक परिस्थितियों में समटिवादी विधान की आवश्यकताओं के कारण विधि के शासन की प्रणाली को कुछ हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि इस तरह के विधान के अन्तर्गत पदाधिकारियों को कुछ ऐसी निरपेक्ष शक्तिया देनी पड़ती हैं जो व्यवहार में सरकारी विभाग के अध्यक्षों को विधि के परे बर देती हैं, हालांकि वह बात वही तक लागू होती है जहाँ तक कि सम्बन्धित विधि उसकी इजाजत देती है। दूसरी ओर, विशेषाधिकार वाले राज्यों में, यद्यपि एक विशेष प्रक्रिया राजकीय पदाधिकारी का रक्षण करती है परन्तु वह निर्बन्धनों से इतनी ज़कड़ दी गई है कि साधारण नागरिकों को उसके सम्बन्ध में जरा भी शिकायत नहीं रहती है।

सामान्यतया, हम यह कह सकते हैं कि लोक विधि वाले राज्यों में उन राज्यों की अपेक्षा जहाँ विधि सहितावद होती है और जहाँ प्रशासनिक विधि होती है, विधिवाद (Legalism) का अधिक बातावरण रहता है। इसका कारण यह है कि लोक विधि वाले राज्यों में न्यायाधीश विधि का निर्माण बर सबते हैं, जब कि प्रशासनिक विधि वाले राज्यों में सहिता इस विषय में न्यायाधीशों पर प्रतिबन्ध लगाती है और प्रशासनिक न्यायालयों में, जहाँ न्यायाधीश कार्यपालिका वे निर्देशन के अधीन बास्तव में विधि बनाते हैं, निर्णय के लिए एक विस्तृत छेक छोड़ देती है। इसका परिणाम यह होता है कि विशेषाधिकार वाले राज्यों में एक प्रबार का न्यायिक विधान होता रहता है जिसे सहितावद नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि न्यायशास्त्र (Jursprudence) (अर्थात् पूर्वदृष्टात् के आधार पर विधि) सामान्य विधि वाले राज्यों का विशिष्ट लक्षण है और राजनीतिक निर्णयों का (न्यायिक निर्णयों से भिन्न) विशेषाधिकार वाले राज्यों में अधिक विस्तृत छेक है। इस प्रश्न का उत्तर देना असान नहीं है कि न्यायाधीशों और राजनीतिज्ञों में कौन लोकतन्त्रीय अधिकारों का अचल रक्षक है। जो कुछ हम कह सकते हैं वह इतना ही है कि लोकतन्त्रीय अधिकारों का परिरक्षण अन्त में जनता का कार्य है और इन अधिकारों के सरकार में जनता की सहायता के लिये आधुनिक संविधानी राज्यों में न्यायाधीशों एवं राजनेताओं दोनों की आवश्यकता है।

नृतीय खण्ड

राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता



उदीयमान राष्ट्रोयता

१. विषय-प्रवेश

अमीं तक हम राज्यों की आन्तरिक सरचना और सगठन पर विचार करते रहे हैं परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों तथा उन्हें जटिल बनाने वाली अवस्थाओं पर कुछ विचार किये गिना मानविधानिक राजनीति का बोई भी तुलनात्मक अध्ययन पूरा नहीं हागा। वास्तव में जब हम राज्यों के परराष्ट्र-सम्बन्धों पर विचार करते हैं तो हम समसामयिक राजनीतिक सगठन के अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष की ओर अप्रभाव होते हैं। स्पष्ट है कि आधुनिक परिस्थितियों में विसी भी राष्ट्र के लिये दूसरे राष्ट्रों से मन्दन्य स्थापित किये गिना अपने बल्याण के लिये प्रयत्न करना चाहिये है। क्याकि इनना ही नहीं है कि राज्य जाजकल आधिक दृष्टि से अन्योन्याधिन है, किसी भी समय उनके बीच संघर्ष छिड़ जाने पर उनकी समस्त आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्था घटाई में पड़ जाती है।

इसलिये प्रत्येक राष्ट्र का भावी बल्याण अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की समस्या के समाधान पर निर्भर है। अन्त परराष्ट्र-सम्बन्ध के क्षेत्र में राज्यों के आचरण का विनियोगन करने के बास्तविक या गमाव्य तरीकों का अध्ययन उनके आन्तरिक राजनीतिक सविधानों के अध्ययन का स्वाभाविक परिणाम है।

बीमबी शताङ्की की वैज्ञानिक एवं औद्योगिक (Technological) आन्त नियन्त्रित दूरियों कम करती जा रही है और विश्व के देशों को एक दूसरे के उत्तरोत्तर घनिष्ठ मम्पर्क में लाती जा रही है। परन्तु इस घनिष्ठ मम्पर्क से जावश्यक हम में अन्तर्राष्ट्रीय भास्तव्य उत्पन्न नहीं होता। वास्तव में, इस युग की तरह नीरी प्रगति ने ऐसी स्थिति उत्पन्न करदी है कि विसी दूरस्य स्थान में होनेवाली बोई स्थानीय गड़बड़ तुरन्त विश्वभर में तनाव पैदा कर सकती है जिससे सम्पर्कों का अनिवार्य हो घनरे में पड़ सकता है। सक्षेप में, विश्व का राजनीतिक सगठन विश्व की तरफ़ीनी प्रगति के साथ-साथ नहीं चलता और विज्ञान की जो शक्ति एकीकरण करने वाली होनी चाहिये वह सत्तारे के राष्ट्रों की पुरानी राष्ट्रीय संवलनाओं के प्रति वनी हुई निष्ठा के कारण निष्पत्त हो रही है।

इस जटिल स्थिति के लिये दोनों विश्वायुद्ध मूल्यकर उत्तरदायी है क्याकि

जहाँ उनके कारण विज्ञान एवं भौद्योगिकी की बड़ी तेजी से प्रगति हुई वहाँ उन्होंने बड़े-बड़े साम्राज्य नष्ट कर दिया, अधीन लोगों को मुक्त किया और पहले के माम्राज्यों की राजनीतिक एवं आर्थिक अवस्था को निर्वाल कर दिया। पुरानी विश्व व्यवस्था के इन विघटन वें, विशेष कर छित्रीय विश्ववृद्ध के बाद, बड़े दूर-गामी परिणाम हुए। एक ओर नये स्थापित राज्यों के लोग, जैसे वे परतवता से निकलकर स्वतंत्रता में प्रवेश करते हैं, एक नये प्रकार की राष्ट्रीयता से प्रेरित होते हैं। दूसरी ओर, पश्चिमी योरोपीय राज्य, अपने समुद्रपार के साम्राज्यों को खोकर, आर्थिक सयोग के मार्ग से, ऐसे राजनीतिक सघबाद की ओर बढ़ रहे हैं जो राष्ट्रीयता की पुरानी सबलपत्रा का विरोधी है। ये राष्ट्रीयतावादी एवं आर्थिक समस्याएँ उन समस्याओं में से हैं जिन्हे राष्ट्रों की, यदि उन्हें विश्व-नियंत्रण की कोई सतोषजनक योजना खोजनी है, हल करना ही होगा। संपुर्ण राष्ट्र के सम्बन्ध का अध्ययन करने वें पहले इन समस्याओं पर गहराई से ध्यान देना लाभकारी होगा क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पर इनका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है।

2 मध्य-पूर्व में राष्ट्रीयता

हम देख चुके हैं कि प्रथम विश्ववृद्ध के फलस्वरूप आस्त्रिया-हूगरी का साम्राज्य भग हो गया और योरोप में अनेक नये राज्य बने। ऑटोमन (तुर्की) साम्राज्य के विनाश का भी मध्यपूर्व पर इसी प्रकार का विघटनकारी प्रभाव पड़ा, जहाँ नवीन तुर्की और अरब प्रदेशों में एक प्रबल राष्ट्रवादी भावना उदित हुई। स्मरण रहे कि तुर्की गणराज्य बन गया था और तबू एशिया (Asia Minor) तक ही सीमित रह गया था, वेवल इस्ताम्बूल और उसके आसपास का छोटासा प्रदेश ही उसके पास योरोप में बचा था। अरब प्रदेश, जो पहले ऑटोमन साम्राज्य के अन्तर्गत थे, तुर्की वे नियंत्रण से भ्रुत कर दिय गये और उनके पृथक् अस्तित्व को मान्यता प्राप्त हुई, हालांकि कुछ समय वे लिये वे राष्ट्र-संघ के प्रादेशों (Mandates) के अधीन रखे गये। ईराक (मेसोपोटामिया), द्राम्सजोर्डान (बाद में इसका नाम जोर्डान रह गया) और पेलेस्टाइन वे प्रादेश ब्रिटेन के पास थे और सीरिया एवं लेबेनान वे फ्रान्स के पास। वर्धमान राष्ट्रीय भावना वे कारण प्रादेशप्राप्त राज्यों को उन पर नियंत्रण रखने में कुछ कठिनाई हुई। ब्रिटेन ने अन्त में 1932 में ईराक छोड़ दिया। जोर्डान भे वह अधिक समय तक रहा आया और उसे स्वतंत्रता 1946 के पहले नहीं मिल सकी। फ्रान्स ने सीरिया और लेबेनान की स्वतंत्रता 1941 में स्वीकार करली। हेजाज, जो 1916 तक तुर्की साम्राज्य का एक भाग था, बाद में नेज्द की जानीर में शामिल कर दिया गया जिसके फलस्वरूप सऊदी अरब वे राज्य का निर्माण हुआ जिसकी प्रभुता 1932 में मान्य हुई। यमन का सलान अरब राज्य भी स्वतंत्र हो गया।

ब्रिटिश प्रादेश के अधीन पेलेस्टाइन में एक विशिष्ट समस्या घड़ी हो गई क्योंकि यहाँ राष्ट्रीयता ने बड़ा प्रचण्ड रूप धारण किया। मन् 1917-18 में अरब सेनाओं तथा यहूदी स्वप्रोवेन्ट-सेना की सहायता से अप्रेजो ने तुंबों से पेलेस्टाइन विजय कर लिया था। नवम्बर 1917 में ब्रिटिश सरकार ने बालफोर-घोषणा निकाली थी जिसने द्वारा पेलेस्टाइन में यहूदी राष्ट्रभूमि की स्थापना के लिये मूलिधा देने का बचन दिया गया था। इस प्रदेश में अरबों की सम्बा यहूदियों से बहुत अधिक थी। अत इस निर्णय को कार्यान्वित करने से दोनों सेनाओं में बड़ा सम्बा उत्तेजनापूर्ण मुद्द छिड़ गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद स्थिति और भी बिंगड़ गई जब कि अरब्द्य विस्थापित यहूदियों ने पेलेस्टाइन में शरण मारी। प्रादेश के अधीन अच्छीस वर्ष तक ब्रिटेन ने शान्ति रखने वा प्रयत्न विद्या और स्वशासन की नीव ढाली। किन्तु 1948 में ब्रिटेन ने प्रादेश को त्यागने वा निश्चय किया और वह पेलेस्टाइन छोड़ गया। इस पर यहूदियों ने, जिन्हें सासार भर के यहूदी (Zionist) सगठनों की सहायता प्राप्त थी और जो अरबों की अपेक्षा अधिक प्रगतिवान् एव सुखजित थे, तुरन्त ही तेल अबीव में इजरेल वे स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। अब अरब सेनाओं ने, जिन्होंने 1945 में अरब लीग की स्थापना कर ली थी, मिलकर इजरेल पर एक विशाल आक्रमण किया। लड़ाई जनवरी 1949 तक चलती रही जब सद्युत राष्ट्र के सरकार में युद्धविराम सन्धि पर हस्ताक्षर हुए और कई समझौते किये गये।

युद्ध विराम के समय जेहसलेम के 'प्राचीन नगर' समेत पेलेस्टाइन की पूर्वी पट्टी जोड़ने के अरब राज्य की सेनाओं के अधिकार में बनी हुई थी और दक्षिण-पश्चिम में मिश्र औ सेनाएँ गाजा की पट्टी पर अधिकार किये हुए थी। इस प्रकार इजरेल के गणराज्य के हाथों में अधिकांश पेलेस्टाइन, जिसका क्षेत्रफल 8 000 वर्गमील के लगभग था, रहा। अब गणराज्य का विधिवत गटन हुआ जिसके लिये एक निर्वाचित राष्ट्रपति और एक निर्वाचित विधानसभा के प्रति उत्तरदायी प्रधानमंत्री की घ्यवस्था की गई। बाद में (1960 में) राजधानी तेल अबीव से हटा कर जेहसलेम के नये नगर' में स्थापित की गई। सन् 1950 में विधान-सभा ने एक विधि पारित की जिसके द्वारा यहूदी घोषणा की गई कि 'प्रथेक यहूदी को जो इजरेल में बसना चाहता है आपकाती-बीता (Visa) प्रदान विद्या जायगा।' इसका परिणाम यह हुआ कि कोई चालीस विभिन्न देशों से हजारों यहूदी आपवासियों की बाड़ आगई और 1960 तक इजरेल की जनसंख्या बीस साल से भी अधिक हो गई जिसमें 90 प्रतिशत यहूदी थे। अन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि युद्ध विराम घ्यवस्था के होते हुए भी इजरेल के प्रति अरबों की शब्दुता में कोई कमी नहीं आई और सद्युत राष्ट्र के निरन्तर प्रयत्नों के बावजूद, 1962

के अन्त तक यहूदी इजरेल और उनके अरब पड़ोसियों के बीच कोई स्थायी सम्झौतों पर हस्ताक्षर नहीं हो सके।

मिस्र (Egypt) भी विसी समय प्राचीन अँटोमन साम्राज्य का एक अग्रणी और पूर्वों की ओर स्थित अरब प्रदेशों के समान दोनों विश्वयुद्धों के पश्चात्तर हप्त उसने ब्रमागत रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की। परन्तु मिस्र में इन घटनाओं की पृष्ठभूमि उसके पूर्वी पड़ोसियों की पृष्ठभूमि से भिन्न थी। सन् 1882 में ब्रिटेन ने मिस्र पर अधिकार कर लिया था और वहाँ अनौपचारिक रूप में सरक्षित राज्य की स्थापना करदी थी, हालांकि तुर्की का अधिराज्यत्व मान्य बना रहा। सन् 1883 में ब्रिटेन ने वहाँ एक प्रतिनिधित्व सभा स्थापित की जिसकी शक्तियों में 1913 में बहस्ती वृद्धि की गई। बिन्तु 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध के छिड़ने के कुछ ही समय बाद ब्रिटेन ने औपचारिक रूप में सरक्षित राज्य की घोषणा की, तुर्की के अधिकार राज्यत्व को समाप्त कर दिया और प्रतिनिधि सभा को निलम्बित कर दिया। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद मिस्री राष्ट्रीयतावादी लोग (वफद Wafd) अधिकाधिक उग्र होने लगे। सन् 1922 में ब्रिटेन का सरक्षण समाप्त हुआ, एक संविधानी राजतंत्र की स्थापना हुई और खेदिव (मुल्लान) फुआद (Fuad) बादशाह घोषित किया गया। नये संविधान के अधीन बादशाह को एक दिसदनी समसद के प्रति उत्तरदायी प्रधानमंत्री के द्वारा कार्य करना था। समसद का उच्च सदन आकृतिक रूप में नामनिर्देशित और आशिक रूप में निर्वाचित सीनेट था और अबर सदन निर्वाचित प्रतिनिधि-सदन (Chamber of Deputies)।

सन् 1936 की एग्लो-इजिप्टियन संधि के द्वारा ब्रिटिश अधिकार का अन्त हो गया, केवल सूडान और स्वेज नहर के लिये कुछ सैनिक सुरक्षण बने रहे। कुछ ही दिनों में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ जान पर मिस्र एक महत्वपूर्ण सामरिक बेन्द्र बन गया और ब्रिटिश सेनाएँ वापस लौट आईं। युद्ध के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध, जिसकी सेनाएँ सूडान और नहर के अचल में बनी हुई थीं और राजतंत्र के विरुद्ध राष्ट्रीय भावना भड़क उठीं। सन् 1952-53 में एक सैनिक राज्यविप्लव (Military Coup d'etat) ने राजतंत्र का अन्त कर गणराज्य की स्थापना की। सन् 1953 में सूडान के विपय में समझौता हो गया (जिसे अपने राजनीतिक भविष्य का स्वयं निर्णय करना था और जो 1956 में एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया)। सन् 1954 में स्वेज नहर समझौते के द्वारा ब्रिटेन न बीम महीनों के अन्दर नहर के अचल से समस्त ब्रिटिश सेना हटा लेने का घब्बन दिया। सन् 1956 में जब सब ब्रिटिश सेनाएँ हट गई तो कर्नल नासिर ने, जो एक जनमत सम्प्रह में, जिसमें वह अवेला ही उम्मीदवार था, राष्ट्रपति चुना गया था, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर लिया और इस प्रकार एक अन्तर्राष्ट्रीय सबट खड़ा कर दिया जिसमें से वह अरब संसार का स्व-प्रोप्रिय नेता बनकर मामले आया।

यद्यपि मिस्र यथार्थ में अरब राज्य नहीं है क्योंकि उसकी मिश्र आवादी में अरबों का सद्व्यय को दृष्टि से दूमरा नम्बर है, हिंर भी वह अपने आपको अरब राज्य मानता है और यद्यपि वह मध्यपूर्व की भौगोलिक सीमाओं में नहीं पड़ता, फिर भी वह इस प्रदेश की जटिल राजनीति में बुरी तरह उसका हुआ है। वास्तव में दो प्रकार के अरब राष्ट्रीयतावाद आपस में टकरा रहे हैं। एक ओर प्रत्येक गृथक राज्य का सद्व्यय राष्ट्रीयतावाद है और दूसरी ओर विशद राष्ट्रीयतावाद है जिसका प्रनिनिधि अरब लीग है। नामिर ने इसी विशद राष्ट्रीयतावाद से लाभ ढान का प्रयत्न किया है। वह 1958 में सीरिया को मिश्र के साथ मिलाकर संयुक्त अरब गणराज्य का निर्माण करने के लिये राजी करके इस दिशा में अग्रसर हुआ। परन्तु योजना नफाल नहीं हुई। सन् 1961 में सध टूट गया और नामिर की प्रनिष्ठा को बड़ा घक्का लगा। अरब लीग विसी समय राज्यों के गियिल सघोग से कुछ अधिक बगना चाहता था परन्तु 1953 और 1958 के बीच लिव्या, सूडान, मोरक्को और ट्यूनिशिया और 1962 में एल्जीरिया को शामिल करके अफ्रीका में पश्चिम और दक्षिण की ओर अपना विस्तार कर लेने के कारण वह सभाव बहुत दूर चली गई है। आज राम्यवादी पूर्व और लोकतन्त्रवादी पश्चिम के प्रभावों के बीच उद्घिन अवस्था में यह दूए में अरब राज्य निस्सदेह सरार में विभीभक्तिरी तत्व बने हुए हैं और यदि एक प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता स्थापित करनी है तो पहले उनकी समस्या से जूझना और से हल करना पड़ेगा।

3. एशिया से परावर्तन

मिस्र और मध्यपूर्व में युद्धोत्तर काल की राजनीतिक घटनाओं से भी अधिक भावें की देख घटनाएँ हैं जो एशिया के अन्य भागों तथा अफ्रीका में घट रही हैं। वे भी एक नये राष्ट्रीयतावाद से प्रेरित हैं और उनका भी अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कम महत्व नहीं है। अफ्रो-एशियाई राष्ट्रीयतावाद की लट्टी हुई लहर ने उन पराधीन लोगों को वहां कर उस स्थिति में पहुँचा दिया जहां वे राजनीतिक स्वतन्त्रता की मांग बरने लगे क्याकि अपने आर्थिक साधनों पर अपना ही नियन्त्रण रखने, जीवन के उच्च मान प्राप्त करने तथा अपनी सकृदार्थता का व्यापक प्रसार करने का उन्हें यही एकमात्र अपरिहार्य अवस्था दिखाई देती थी। स्वतन्त्रता की प्राप्ति पश्चिमी योरीय की साम्राज्यिक शतियों की समुद्रपार के प्रदेशों पर अपना नियन्त्रण कायम रखने की असमर्थता में कारण सम्भव हो सकी थी। इसने परिषामस्वरूप एशिया और अफ्रीका से इन शतियों का जो परावर्तन हुआ उसके फलस्वरूप ऐसे परिवर्तन हुए जिनको हम निस्सदेह औपनिवेशिक कान्ति कह सकते हैं।

इस विष्वव से सम्बन्धित योरोपीय शक्तियाँ थे थी—ब्रिटेन और प्रान्त, एशिया और अफ्रीका दोनों म, नदरलैंड एशिया मे और बेलिजियम अफ्रीका मे। जर्मनी तो पहले से ही बर्साई बी संघ द्वारा अपन उपनिवेशो से बचित किया जा चुका था। इटली दो द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अफ्रीका मे अपने उपनिवेशो से बचित होना पड़ा और पुर्तगाल, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद भी, समुद्रपार की विशेषकर अफ्रीका म, प्रजा की स्वतन्त्रता की मांग का विरोध करता रहा है परन्तु यह विरोध अन्त मे निष्पत्त हो गया।

(अ) ब्रिटेन और भारतवर्ष

विश्व शक्ति-सन्तुलन म इस युद्धोत्तर परिवर्तन के स्वरूप और उसकी शक्ति को समझनेवाला पहला साम्राज्य ब्रिटेन था जो स्वाभाविक रूप मे सबसे अधिक प्रसङ्ग हुआ था और ब्रिटेन दे तथ्यो वा मुकाबला करने के निश्चय से प्रभावित होनेवाले उसके समुद्रपार के प्रदेशो मे प्रथम भारतवर्ष था। भारत दे अग्रेजो का प्रारम्भिक इतिहास ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा राजनीतिक उत्तरदायित्वो दे ग्रहण और धीरे-धीरे उनके अवरेजी सरकार के हाथो मे पढ़ूचने की गया है। अग्रेज सरकार द्वारा सन् 1600 मे प्रदान किए गए आजापद्र (चार्टर) दे अधीन विशुद्ध वाणिज्यिक संस्था के रूप मे आरम्भ होकर ईस्ट इंडिया कम्पनी दो उन बड़ी बड़ी राजनीतिक कठिनाइयो का मुकाबला करना पड़ा जो मुगल साम्राज्य के विश्वान तथा कासीसीदो के विशुद्ध प्राधान्य के लिए सधर्ये के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। सप्त वर्षीय युद्ध (सन् 1756-1763) मे कासीसी शक्ति के नष्ट हो जाने के पश्चात् ब्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप करने को बाध्य होना पड़ा और दो अधिनियम—नैंये का रेम्लेटिंग एकट (सन् 1773) और पिट का इंडिया एकट (सन् 1784)—एक के बाद एक शोधता से पास किए गए। इन दोनों अधिनियमो ने भारत के उन भागो के शासन की, जो उन दिनों तक आम्ल प्रभुत्वता के अधीन आ चुके थे, व्यवस्था बत्ते वा प्रयत्न किया और भारत दे गवर्नर-जनरल के पद की स्थापना कम्पनी के सेवक की बजाय राजनीति पदाधिकारी के रूप मे की। पिट के अधिनियम ने लम्दन म एक घोड़ आफ बटोल की स्थापना की, जो इंडिया आमिर का प्रारम्भिक रूप था।

यह अधिनियम सत्तर वर्ष से अधिक काल तक जारी रहा, जब सन् 1857 म भारतीय गदर के कारण इसका निरसन और आगामी वर्ष मे एक नए अधिनियम का पारण आवश्यक हो गया। उस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कम्पनी दो समाप्त कर दिया, रानी विटोरिया को भारत की प्रमुख उद्योगित किया (सम्राजी की उपाधि सन् 1877 तक धारण नहीं की गई थी), भारत के संघिव

(सेकेटरी ऑफ स्टेट फौर इंडिया) का एक पृथक् पद निर्धारित किया और यह भी व्यवस्था की कि लन्दन स्थित इंडिया ऑफिस के बोर्ड का एक भारतीय व्यक्ति के लिए और व्यवस्था भी सदस्य हो। बाद में एक अधिनियम की मुहूर्य घातें विटिश भारत की सरकार का आधार बनी रही, हालांकि उसमें समय-समय पर पारित अनेक विधियों द्वारा सशोधन लिए गए जिनका उद्देश्य धीरे-धीरे एक कम निरकृश शासन का विकास करना था। आगे चलते विटिश भारत के गवर्नर-जनरल और विभिन्न प्रातों के, जिनमें विटिश भारत विभाजित किया गया था, गवर्नरों को विधिनिर्माण और प्रशासन तक के कार्य में सहायता के लिए भारतीय समाज के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए क्षेत्र से व्यक्ति लिए जाने लगे। सन् 1861, 1892, 1909, और प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान में, भारतीय परिपद् अधिनियमों (इंडियन कौन्सिल एक्ट्स) के द्वारा आणिक रूप की प्रतिनिधि-समाजों के माध्यम से भारतीयों द्वारा अपने देश के शासन के कार्य में वाइसराय की परिपद् और प्रातीय गवर्नरों की परिपदों दोनों में ही भाग लेने की प्रथा क्रमिक रूप से विकसित हुई। इन व्यवस्थाओं ने वाइसराय लॉर्ड चेम्पफोर्ड और राज्यसचिव (सेकेटरी ऑफ स्टेट) एडविन मॉटेर्स की सलाह से पारित 1919 के भारत शासन अधिनियम (गवर्नर-मेट ऑफ इंडिया एक्ट) का रूप धारण किया।

इस अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया था कि ब्रिटेन का उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों का उत्तरोत्तर अधिक सहयोग प्राप्त करना तथा साम्राज्य के अभिन्न भाग के रूप में विटिश भारत में स्व-शासी स्थानों का क्रमिक विकास करना और भारत के प्रातों को भारत सरकार से अधिकाधिक ऐसे स्वतंत्र अधिकार देना है, जिसमें उसके उत्तरदायित्वों का सम्पूर्ण निर्वाह भी होता रहे। केन्द्रीय सरकार के लिये इस अधिनियम द्वारा एक उच्च सदन की स्थापना की गई, जो कि राज्य-परिपद् (कौन्सिल ऑफ स्टेट) कहलाया और जिसमें साठ सदस्य थे, जिनमें से कुछ निर्वाचित होते थे और शेष नाम-निर्देशित (इनमें बीस से अधिक सरकारी सदस्य नहीं हो सकते थे)। इसी अधिनियम द्वारा 140 राज्यों की एक विधानसभा (लेजिस्लेटिव असेवली) की स्थापना की गई, जिसके सौ सदस्य निर्वाचित होते थे और शेष नाम-निर्देशित (जिनमें से छब्बीस से अधिक सरकारी नहीं हो सकते थे)। परिपद् की अवधि प्राचं बढ़ों की तथा विधानसभा की अवधि तीन बर्षों की थी, परन्तु उनमें से कोई भी अधिवा दोनों ही इससे पूर्व ही वाइसराय के द्वारा विमिट की जा सकती थी। पहले तो उनकी शक्तियां कुछ नाम मात्र थीं। कार्यपालिका परिपद्, जो वास्तविक सत्ता थी और जिसके साथ गवर्नर-जनरल वार्ष करता था, उनके प्रति उत्तरदायी नहीं थी, परन्तु उनका प्रत्येक सदस्य राज्य-परिपद् अधिवा विधानसभा में अनिवार्य रूप से स्थान ग्रहण करता

था। साधारण विधान दोनो सदनों द्वारा होता था जिसमें वित्तसंबंधी कुछ विषय भी थे। परन्तु चाइसराय किसी भी ऐसे अधिनियम को बना सकता था, जिसके विषय में वे अपनी अनुमति देने से इनकार करते, और, साथ ही, वह किसी भी ऐसे अधिनियम को जिसे वे बनाते, निपिछ बर सकता था।

सन् 1919 के अधिनियम ने वास्तविक स्व-शासन का सूचनात उन अठ मुख्य प्रातों में किया, जिनमें से हर एक में गवर्नर उन विषयों का प्रशासन करता था, जो गवर्नर-जनरल के हाथों में नहीं होते थे। इन प्रातों में से हर एक में उत्तर-दायी सरकार का वह सिद्धान्त (हालांकि अपूर्ण रूप में) अपनाया गया जो कि उन डॉमिनियनों में चालू था जिनके संविधानों का हम अध्ययन कर चुके हैं। हर एक प्रात में एक गवर्नर, एक कार्यपालिका परिषद् और एक विधानपरिषद् होती थी। हर एक विधानपरिषद् के सदस्यों के बम-सेन्कम 20 प्रतिशत निर्वाचित होते थे (यह सब्ज्या हर एक प्रात में विभिन्न थी, बगाल में 125 थी तो अमम में 53 ही थी), और शेष सदस्य नाम निर्वाचित होते थे। परिषद् की अवधि, यदि वह पहले ही विधानित न कर दी जाती, तीन वर्ष की थी। प्रात के विषय दो प्रकारों में विभक्त होते थे रक्षित और हस्तातरित। इनमें से प्रथम प्रकार के विषयों का प्रशासन गवर्नर और कार्यपालिका परिषद् के द्वारा होता था, परन्तु दूसरे प्रकार के विषयों का प्रशासन गवर्नर ऐसे मतियों के परामर्श से करता था जो विधानपरिषद् के निर्वाचित सदस्यों में से लिए जाते थे और उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। इस अधिनियम की अवधि दस वर्ष की थी, उसके उपरान्त उसके कार्यान्वयन का इस दृष्टि से पुनरीक्षण होता था कि उसे प्रगतिशील दिशा में किस भाँति परिवर्तित किया जा सकता है।

इगलैड के उदार विचारों कम्ले पुरुषों सथा महिलाओं वो सन् 1919 के भारत शासन अधिनियम में एक ऐसे बीज के अस्तित्व का दर्शन हुआ, जो अन्त में उत्तरदायी संघीय सरकार के मनोरम पूँज के रूप में प्रस्तुटित हो सकता था। यह सत्य है कि गवर्नर-जनरल की शक्तिया बहुत बड़ी बनी रही, परन्तु तत्कालीन परिस्थितियों में उसे एक पूर्णतया निर्वाचित विधानमंडल के प्रति पूर्ण उत्तर-दायित्व की स्थिति में रखना, जो स्व शासी डॉमिनियनों में उत्तरदायी सरकार वा सार है, खतरनाक होता। परन्तु भारत उन डॉमिनियनों से बहुत भिन्न था और है। यह केवल देश माल वी नहीं वल्कि एक महाद्वीप है, जिसमें उस समय चालीस करोड़ से अधिक ऐसे लोग रहते हैं जो सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक विरोध की दबदब में फ़से हुए हैं। उसकी जनता का विशाल समूदाय अणिशित था, तथा उसमें से कुछ अपूर्ण थे, जो जाति-प्रणाली वे अधीन गनुभ्य से हीन

समझे जाने रहे हैं।¹ अत उसमें उन आवश्यन तत्वों का अभाव था, जिनसे एक राष्ट्रीय राज्य का निर्माण होता है।

तो भी विटिंग सरकार सन् 1919 के अधिनियम के पारण से दस वर्षों के भीतर स्थिति का पुनरीक्षण करने के अपन वचन को पूरा करने को तत्पर थी, और सन् 1928 में इस पुनरीक्षण की सभावनाओं की जीवंत करने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा गया। उक्त जायोग के प्रतिवेदा और उसके उपग्रहन होने काले विचार विमण के कानून्यत्व पर एक विशाल जन-समूह के न्य शासन के धोर में एक नए साइमन प्रयास का समारम्भ हुआ, जो उस समय सतार के इन्हीं समय में अत्यन्त साहस्रपूर्ण राजनीतिक प्रयाग प्रतीत हाता था। भारत और ब्रिटेन में मात वर्षों के विचार विमण के पश्चात् सन् 1935 में एक नया भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। यह एक घन छाँट हुए नगरग 100 पट्टा का विशाल दस्तावेज़ था। एक आर इम अधिनियम ने एक विनुत ही नवीन प्रयोग का सूक्ष्मपत्र किया, अथात अखिलभारतीय सघ का सिद्धान्त। दूसरी ओर, प्रातों के समय में, इससे उन राजनीतिक अधिकारों और शक्तियों के विभास और विस्तार की व्यवस्था हुई जा सन् 1919 के अधिनियम के अधीन पहले ही प्रदान किए जा चुके तथा प्रयुक्त हा चुके थे। यह अधिनियम, जहां तर वि उसका सम्बन्ध प्रातीय स्वायत्त शासन से था, सन् 1937 के अप्रैल में प्रदत्तंनशील हुआ। जिन प्रातों को स्वायत्त शासन प्रदान किया गया था, वे गवर्नर के प्रात कहलाए (ये उस समय घारह थे)। वे दो वर्गों में विभक्त किए गए। एक वर्ग मद्रास, बम्बई, बगाल, सयुक्तप्रान, विहार और उसम का था, और दूसरा वर्ग शेष पाच प्रातों का था। उपर्युक्त छह प्रातों में दो सदन थे एक विधानपरिषद् और दूसरी विधानसभा, और शेष में केवल एक विधानसभा थी। इनमें से हर एक में गवर्नर राजा ना प्रतिनिधित्व करता था और उसकी सहायता और परामर्श के लिए एक मत्रिपरिषद् थी जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थी। गवर्नर को अपने ऐसे मत्री भूने होते थे जिन्हें उसके विचार में विधानमंडल का समर्थन मिलने दी जायना हो। उसकी उन विषयों के सिवाय, जिनके लिए वह स्वयं सीधे उत्तरदायी था, जैसे कि प्रात की सुरक्षा अथवा गवर्नर-बनरेल से प्राप्त वे आदेश, जो वि उसके मत्रिगण के विचारों से मेल न आते हों, समस्त प्रातीय मामलों में मत्रियों ना परामर्श लेना होता था।

इस अधिनियम में यह निर्धारित किया गया था कि प्रातीय विधानसभाएं

¹ सन् 1950 के भारतसम्बन्ध के सविधान के अधीन अस्पृश्यता को समाप्त किया जा चुका है और उसके निरन्तर व्यवहार को दबनीय कर दिया गया है।

विस भाति समर्थित वीं जाएगी और निर्बाचकगण कौन होगे। मुख्यतया सपत्ति पर आधारित वित्तपद्य अहेंताओं से युक्त इक्वीट अवदा इससे अधिक वर्षों की आयु के नर और नारियों का मताधिकार प्रदान किया गया था और प्रत्येक प्रात में निवाचिन-क्षेत्रों की इस भानि व्यवस्था की गई थी कि विभिन्न प्रजातियों, जातियों और विशेष हितों को प्रतिनिधित्व मिल सके। इस भाति भारत के तीस करोड़ से अधिक देशवासियों को, जिनमें चालीस लाख से अधिक स्त्रियां भी थीं मताधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के अधीन प्रथम सामाज्य निर्बाचन सन् 1937 में हुआ, और निर्बाचकगणों की विशाल बहुसंख्या अशिक्षित होते हुए भी निवाचिन से जनता में भारी उत्तमाह उत्पन्न हुआ और पचास प्रतिशत से भी अधिक मतदाताओं ने भतदान किया। यह एक ऐसा अनुपात था जो योरोपीय राज्यों के कुछ निवाचिनों के अनुपात से अधिक था।

स्पष्ट है कि यह योजना सन् 1919 के अधिनियम बाली योजना में बहुत दूरगामी थी। यह उस व्यवस्था के बहुत समीप थी जो डॉमिनियनों में प्रयुक्त उत्तरदायी सरकार के नाम से जात है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जहां सन् 1919 के अधिनियम के अधीन शक्तिया रक्षित तथा हस्तातरित में विभाजित थी, और केवल हृस्तातरित शक्तियां ही उत्तरदायी मतियों के अधिकार में थीं, वहां सन् 1935 के अधिनियम में इन शक्तियों का छोटा बहुत बढ़ गया और उनमें उन विषयों के अतिरिक्त जो गवर्नर के विवेक के लिए सुरक्षित थे, सभी अन्य विषय सम्मिलित हो गए। अतएव, यह स्पष्ट है कि डरहम रिपोर्ट¹ के कलहस्वरूप सन् 1840 के पश्चात बनाडा मं जैसी मत्रिमडलीय सरकार विद्यमान थी, वैमी ही मत्रिमडलीय सरकार का प्रारम्भिक रूप यहां स्थापित हो गया, जो सहानुभूतिपूर्ण गवर्नरों की सहायता एवं पद्ध-प्रदर्शन से तथा विद्यानमडल के दलों की सीखने और सहयोग करने की तैयारी होने पर धीरे-धीरे पूर्ण उत्तरदायी शासन के रूप में विवित हो सकता था।

भारतीय सघ का विचार विलकुल नवा था। इस अधिनियम के अधीन अखिल भारतीय सघ में, गवर्नरों के प्रात, कमिशनरों के प्रात (अपर उल्लिखित घाराहं प्रातों के अतिरिक्त विटिश भारत के अन्य भाग) और इससे सम्मिलित होने में सहमत देशी रियासतें होनी थीं। इस सघ का जन्म राजकीय उद्घोषणा हारा सूचित दिए जाने वाले दिन होना था और इरादा समस्त देशी राज्यों की समूर्ण प्रजा के आधे से अन्यून का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के ज्ञासकों के, जो सधीय विद्यानमडल में आधे से अन्यून स्थानों के अधिकारी होते, इसमें सम्मिलित होने के लिए राजी होते ही इस सधीय योजना का समारभ बर देने का था।

¹ पूर्व के पृष्ठ 239 240 देखिए।

इस अधिनियम के अधीन संघ-सरकार में गवर्नर-जनरल और दो भवनों, अर्पात् राजा-परिषद् और विधानसभा, वाला विधानमङ्गल होना था। उच्च सदन में विटिश भारत के 156 प्रतिनिधि, जिनमें से अधिकाश वा निर्वाचन लगभग 100,000 व्यक्तियों वे निर्वाचित-मङ्गल के द्वारा होना था, और देशी राज्यों के शासकों द्वारा नाम निर्देशित 104 से अनधिक प्रतिनिधि होते थे। विधानसभा में प्रातीय विधानमङ्गली द्वारा चुने हुए विटिश भारत के 250 प्रति-निधि और देशी राज्यों के 125 से अनधिक प्रतिनिधि होने थे और हर एक राज्य या राज्यों के बांग के लिए स्थानी का बटवारा उनकी अपनी जनसंख्या के अनुपात में होना था। निम्न सदन के निर्वाचन के लिए मताधिकार, जहाँ तक कि विटिश भारत के प्रतिनिधियों से सम्बन्ध था, बास्तविक रूप से प्रातीय विधान मङ्गलों के ही समान था, वैबल शैक्षणिक योग्यता ही बढ़ा दी गई थी। इस भाति मताधिकार प्राप्त करनेवाले भारतीयों की संख्या अनेक लाख नर-नारियों तक पहुंच गई थी।

इस संघ की कार्यपालिका-शक्ति का प्रयोग सम्मान के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर-जनरल के द्वारा होना था, जिसकी सहायता और परामर्श के लिए एक मतिपरिषद् थी जो विधानमङ्गल के प्रति उत्तरदायी थी। परन्तु कुछ विभाग—यथा प्रतिरक्षा, वैदेशिक कार्य तथा चर्च-प्रशासन—गवर्नर-जनरल के वैयक्तिक नियन्त्रण में रहने थे। इसके अतिरिक्त आन्तरिक शाति को बनारा, वित्तीय स्थिरता, अल्पसंख्यकों के हित, देशी राज्यों के अधिकारों के संरक्षण और वाणिज्यिक भेदभाव के निवारण जैसे विषयों के सम्बन्ध में “विशेष उत्तरदायित्व” के निर्वाह का भार भी गवर्नर-जनरल पर था; परन्तु इन मामलों में भी मतिपरिषद् से परामर्श करने से वह तभी इनकार वार सकता था, जब वह अनुभव करता कि ऐसा करना रामान्य हित के विरुद्ध होगा। शेष विषयों के सम्बन्ध में, सन् 1935 के अधिनियम के अधीन, भारत ने संघीय राज्य में सामान्य अर्थ में मतिमङ्गलीय सरकार को ही काम करना था।

इस भाति आयोजित संघीय प्रणाली की पृष्ठभूमि उत्तर पृष्ठभूमि से विलकुल विभिन्न थी, जिसपर अन्य संघ, जैसा हम पहले देख चुके हैं, साधारणतया आधारित हुए हैं। व्योक्ति संघबद्ध की जानेवाली इकाइयों के बल आने इतिहास और भौजूदा स्वरूप में ही विलकुल विभिन्न नहीं थी, वरच वे साम्राज्यिक सरकार के साथ अपने संघ में भी विलकुल भिन्न थी और जब कि रिटिश भारत के प्रातों की वैबल वे ही शक्तिया और कार्य थे जो उन्हें दिए गए थे, देशी राज्यों के ऊपर साम्राज्यिक शक्ति का नियन्त्रण साधारणनाया बाह्य संघधो तक ही सीमित था। बारतव में, अखिलभारतीय संघ का अभिप्राय ऐसे उपमहाद्वीप का समर्थन था, जो उदाहरणार्थ योरोप के महाद्वीप की तुलना में भी प्रजाति, इतिहास, भाषा, सहृति और धर्म में अधिक बहुरूपी था।

क्रिटिश भारत ने स्व-शासी डॉमिनियन बनाने की योजना तथा सन् 1935 के अधिनियम में परिवर्तित अखिलभारतीय संघ की स्थापना को कार्यान्वित होना नहीं बदा था। महायुद्ध ने पश्चात् यह योजना पुरानी पड़ गई तथा उसके स्थान पर और भी अधिक दूरगामी व्यवस्था की माग होने लगी जो वास्तव में पूर्ण स्वाधीनता से कम में सन्तुष्ट नहीं हो सकती थी। यह माग हमेशा ही भारत के उत्तर राष्ट्रवादियों के दिमाग में रही थी, जिन्होंने प्रारम्भ से ही सन् 1935 के अधिनियम वे द्वारा स्वापित प्रातीय विधानसभा ओं का वहिष्कार विद्या था और द्वितीय विश्वयुद्ध के बारण, जिससे एशिया भर में राष्ट्रीयता का एक नया उपान आया, वह और भी अधिक प्रबल हो गई।

यह देखकर नि सन् 1935 की योजना विछड़ चुकी है, क्रिटिश सरकार ने सन् 1946 में भारत को एक बैंकिंट निशन भेजा, जिसने तीन महीनों तक भारत के समस्त दलों के नेताओं के साथ परामर्श करके सिफारिश की कि भारत का भावी संविधान ऐसी संविधान-सभा द्वारा निर्मित विद्या जाना चाहिए जिसमें क्रिटिश भारत और देशी राज्यों के समस्त समुदायों एवं हितों के प्रतिनिधि हों। क्रिटेन के इस नए रूप के फलस्वरूप केन्द्र में एक अन्तर्रिम सरकार वा निर्माण हुआ, जिसमें मुख्य समुदायों के राजनीतिक नेता सम्मिलित थे और जो विद्यमान संविधान के अन्तर्गत विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करती थी। इस प्रवार, प्रारम्भ में भारतीय लोग भारतीय सरकारी थे, जो कि समस्त प्रातीय के विधानमंडलों के विरुद्ध उत्तरदायी थी, रचालन में सहयोग देने को तत्पर दिखाई दिए। परन्तु शीघ्र ही दो मुख्य भारतीय दलों—हिन्दू (कांग्रेस दल) और मुस्लिम (मुस्लिम लीग) के बीच एक आधारभूत अन्तर प्रवर्ट हुआ। मुस्लिम लीग ने अपने वो अन्तर्रिम सरकार से पृथक् बर लिया और घोषणा की कि वे देश के विभाजन और पृथक् मुस्लिम राज्य (पाकिस्तान) के निर्माण से कम विसी भी बात वो स्वीकार नहीं करेंगे ताकि उन धोन्ना में जहा पर कि वे बहुसंख्यक हैं, मुसलमानों की स्वतंत्रता मुनिश्वत हा जाए। इस पर फैंरी सन् 1947 में इगलैण्ड के प्रधान मंत्री ने हाउस ऑफ वैंग्नर में यह घोषणा की कि क्रिटिश सरकार वा यह निश्चिन इरादा है कि वह “जून सन् 1948 के पूर्व ही उत्तरदायी भारतीयों को शक्ति हस्ताक्षरित करने के लिए आवश्यक बदल उठाएगी।”

इस घोषणा का परिणाम यह हुआ कि भारतीय नेताओं ने अपने भत्तभेदों को निपटाने में शीघ्रना की, परन्तु इसका पूर्णतया अप्रत्याशित परिणाम निकला। उन्हान पूर्ण स्वाधीनता के विचार को छोड़ दिया और इसके स्थान पर वे इस बात पर राजी हो गए कि देश को अगरेजी ताज़ वे अधीन दो स्व-शासी डॉमिनियनों (भारत और पाकिस्तान) में विभाजित बार लिया जाए। क्रिटेन की समझ ने तुरंत ही आवश्यक विधान पारित बर दिया और अगस्त सन् 1947 में ही

दोनों डॉमिनियनों की स्थापना हो गई। अब तात्कालिन प्रश्न यह था कि इस भारतीय शोधता से सूचित राज्यों में, जो सविधान से रहित थे, विस भारतीय सविधान-निक प्रक्रिया को प्रारम्भ किया जाए। उस समय बैल दो सविधान-सभाएँ थीं, जिनमें एक सन् 1946 के केविनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के अधीन भारत के लिए स्थापित सभा थी और दूसरी वह सभा थी जिसकी मुख्यतामानों ने उस समय रचना की थी जब उन्होंने संयुक्त भारत के सृजन में हिन्दुओं के साथ राह्योग न बरना निश्चिन चिया था। इस बठिनाई को इस भारतीय हून चिया गया कि दोनों नए डॉमिनियनों वे वास्ते सन् 1935 के भारतीय अधिनियम को आवश्यक परिवर्तनों के साथ अस्थायी तीर पर मूल सविधान के रूप में अगीकार कर लिया गया और दोनों सविधान-सभाओं को संसदों का पद प्रदान कर दिया गया।

भारतीय सविधान-सभा ने जो कि भारत डॉमिनियन की अस्थायी संसद बन चुकी थी, नए सविधान पर विचार करने से अधिक समय नहीं लगाया और नए सविधान का भस्तौदा नवम्बर सन् 1948 में सभा में प्रत्युत चर दिया गया। सन् 1949 के शरत्काल में भारत ने गणतन्त्र बनने का आशय घोषित किया, हालांकि साथ ही उसने ड्रिटिश राष्ट्रमंडल वा मैट्रिय बने रहने की इच्छा भी अभिव्यक्त की, जिस पर ड्रिटिश संसद ने कोई आपत्ति नहीं दी। फलस्वरूप, नवम्बर सन् 1949 में जब नया सविधान अनुमोदित हुआ और जनवरी सन् 1950 में प्रभावशील हुआ, तो वह राजा वा प्रिनिपिलित करनेवाले गवर्नर-जनरल से पुनर्न स्वशासी डॉमिनियन को लागू न होकर निर्वाचित राष्ट्रपति से पुनर्न एक स्वतंत्र गणतन्त्र को लागू हुआ। पूर्व सविधान सभा का भव्यक्ष संवैसमिति से गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ और गवर्नर-जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। उसी दिन से ड्रिटिश राष्ट्रमंडल वा नया स्वरूप बन गया क्योंकि भारतवर्य के उसके सदस्य बने रहने से उसने सदस्यों में प्रथम बार एक गणराज्य भी शामिल हो गया था।

भारत के गणराज्य में चौदह राज्य और 6 संघीय प्रदेश (Union Territories) हैं।¹ प्रत्येक राज्य में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक राज्यपाल और एक एकन्नदिनी या द्विसदिनी विधानमंडल होता है जिसकी शक्तियाँ सविधान में परिभासित हैं। संघीय विधानमंडल में एक द्वितीय सदन है, जो राज्यसभा कहलाता है और एक अबर सदन है जो सोकासभा कहलाता है। राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, जिनमें से बारह नामनिवैशित हैं और दोप का निर्वाचन आनुपातिक है से विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों द्वारा होता है, हालांकि जहाँ द्विसदिनी विधानमंडल

¹ आनकल राज्यों की संख्या 17 और संघीय प्रदेशों में संख्या 10 है।

है वहां केवल निम्न सदन के द्वारा ही होता है। यह एक स्थायी निवाय है जिसका विषयट नहीं होता, और इसके एक तिहाई सदस्य अमरीकी सिनेटरों के समान प्रति दूसरे बर्पे पदमुक्त हो जाते हैं। लोकसभा में 520 से अधिक सदस्य हैं जो इक्वीप बर्पे और उससे अधिक आयु के स्त्री और पुरुष मतदाताओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। ऐसे निर्वाचिकों वी सच्चा 18 करोड़ के लगभग अवया सम्पूर्ण जनसत्त्वा वी लगभग आधी है। इस सदन खो अवधि पांच बर्पे है।

राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति (जो अमरीका के उप-राष्ट्रपति के समान ही राज्यसभा का पदेन सभापति है) कार्यपालिका के नाममान्त्र अव्यक्त हैं। राष्ट्रपति वा निर्वाचित सधीय तथा राज्यीय विधानमंडलों के समस्त सदस्यों से निर्भित निर्वाचित मंडल के द्वारा होता है। उसकी अवधि पांच बर्पे वी होती है, परन्तु उसका पुनर्निर्वाचित भी हो सकता है। वह प्रधानमंडल के माध्यम से चार्य करता है जो निर्वाचित विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हैं। सधीय सद् का प्रथम सामान्य निर्वाचित सन् 1952 में हुआ था। समस्त देश के कुल 18 करोड़ मतदाताओं में से 10 करोड़ 70 साल वी मतदाताओं ने उसमें मतदान किया। सन् 1957 के द्वितीय निर्वाचित में यह सच्चा और भी बड़ी थी।

भारत के गणराज्य का सधीय स्वरूप सधीय सरकार और राज्यीय सरकारों के बीच शक्ति वितरण में स्पष्ट दिखाई देता है। वे संविधान की सप्तम अनु-सूची में हीन सर्वांगपूर्ण सूचियो—(1) सध-सूची, (2) राज्य-सूची और (3) समवर्ती सूची—में परिणित है। सध की अखिलभारतीय महत्व के विषयों (सूची में उनकी सच्चा 97 है) पर विधि-निर्माण का एकान्तिक अधिकार है। उनमें प्रतिरक्षा, परराष्ट्र-सम्बन्धीय मामले, सचार, रेलवे, मुद्रा, वैकिंग, वीमा और सेंगाशुल्क शामिल हैं। राज्य-सूची में 66 विषय हैं जिनमें, उदाहरणार्थ, मुलिस और मार्बजनिक व्यवस्था, न्याय (राज्य में), स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि और विद्युत शक्ति शामिल हैं। समवर्ती सूची (47 विषय) में वे सब विषय हैं जिनमें सध एवं राज्यों का समान हित है। संविधान ने सध सरकार और राज्यों के बीच उपस्थित होने वाले विवादों के निपटारे के लिये एक लर्वैच न्यायालय वी स्थापना भी बी है।

पांचिस्तानी संविधान सभा ने 1956 में जाकर अन्तिम रूप में संविधान प्रस्तुत किया। उसके अनुसार डॉमिनियन एक स्वतंत्र सधीय गणराज्य बन गया, परन्तु वह भी, भारत के समान, ड्रिटिंश राष्ट्र-मण्डल का सदस्य बना रहा।

पांचिस्तान का सधीय स्वरूप भारत के स्वरूप से कम स्पष्ट है, मुख्यकर इस वारण कि उसका प्रदेश दो भागो—पश्चिमी पांचिस्तान और पूर्वी पांचिस्तान—में विभक्त है जो बीच में भारत के उत्तरी राज्यों की उपस्थिति के कारण एक दूसरे से ५० हजार मील दूर हैं। सन् 1956 के संविधान वे अनुमार, इसी वारण पांचिस्तान

गणराज्य दो प्रान्तो—पश्चिमी पवित्रस्तान और पूर्वी पवित्रस्तान में विभक्त दिया गया। समस्त गणराज्य के लिये नेशनल एक्सेम्बली नामक 156 सदस्योंवाला एक एकन्सदनी विधानमण्डल होना था। इसने सदस्यों में से आधे प्रत्येक प्रान्त में तोकतत्वीय पद्धति से निर्वाचित होने थे। दोनों प्रान्तों में भी प्रान्तीय सभा के नाम से लोकतत्वीय पद्धति से निर्वाचित एवं एक एकन्सदनी विधानमण्डल होना था। गणराज्य के राष्ट्रपति वा निर्वाचित 5 वर्ष की अवधि के लिये राष्ट्रीय और प्रान्तीय सभाओं द्वारा होना था। जिन विधयों के सम्बन्ध में विधि निर्माण वा एकान्तिक अधिकार राष्ट्रीय सभा का था वे सविधान की तीसरी अनुसूची में एक लम्बी सर्वगांपूर्ण सूची में परिगणित दिये गये थे। जबशिष्ट विषय, जैसे वे रहे, प्रान्तों को मिले। सविधान ने एक राष्ट्रोंच्च न्यायालय वी भी स्थापना वी जिसका धोकाधिकार उन विवादों में था जो सरकारों में से एक और दूसरी सरकारों में से एक या दोनों के 'बीच' उपस्थित हो।

परन्तु सविधान कार्यान्वयन नहीं हो सका। सन् 1958 में उसका निराकरण कर दिया गया और गणराज्य की विनिवेदनिकतयों के अधिक अनुबूल नये सविधान के प्रस्तावन तत्व के लिये देश में मार्शल व्हाँ जारी कर दिया गया। सन् 1960 में 'एक ऐसे लाकतब वो प्र पा। उरने जा निरन्नर बदलनेवाली परिस्थितियों के अनुबूल हो और न्याय, समानता एवं सहिष्पुता के इस्लामी सिद्धान्तों पर आधारित हो, राष्ट्रीय एवन्ता वो सुदृढ़ बरने और एक सुदृढ़ स्थायी शासन प्रणाली सुनिश्चित बरने के लिये सर्वोत्तम उपाय सुझाने के लिये' एक सविधान-आयोग की गियुक्ति की गई। उसको रिपोर्ट 1961 में पेश हुई जिसमें आयोग ने सिफारिश की कि नेशनल तथा प्रान्तीय विधानमण्डल कायम रखे जाय और शक्तिभाजन इस प्रकार विद्या जाय कि 'राष्ट्रित' शक्तियाँ प्रान्तों वो प्राप्त हो। उसने यह भी सिफारिश की कि सर्वोच्च न्यायालय को महायका के लिये 'इस्लामी विचारधारा की एक परामर्शदात्री परिपद' वी स्थापना की जाय। रिपोर्ट में अमरीकी नमूने के राष्ट्रपति पद सहित एक असरदीय कार्यपालिका स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया। इसके अतिरिक्त उसका एक सुझाव यह भी था कि नई सूचीतभीय (पिरामिड) निर्वाचित प्रणाली आरम्भ की जाय जिसके अनुसार राष्ट्रपति थीर संसद सदस्य 'बुनियादी तोकतत्वों के, जिनका निर्वाचित साधिक वपस्क मतधिकार द्वारा होगा, निर्वाचित सदस्यों रो निर्मित निर्वाचितमण्डल द्वारा निर्वाचित दिये जाय'। परन्तु जहाँ पिछला सविधान असफल रहा, वही इन सिद्धान्तों के अनुसार प्रस्तावित सविधान सफल होगा, यह समय ही बतायेगा।

भारतवर्ष ने विषय को समाप्त बरने के पहले इस बात का उल्लेख किया जा गवता है कि सन् 1948 में सीलोन एक ब्रिटिश स्वशासी डॉमिनियन बन गया

और तभी से उसी स्थिति में बर्तमान है और उसी वर्ष ब्रिटेन चर्मा से हट गया जो एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया। सीलोन तो स्वाभाविक रूप में ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल का सदस्य बना रहा और भारतवर्ष तथा पाकिस्तान ने उसमें बने रहना पसन्द निया परन्तु चर्मा उससे अलग हो गया।

(आ) ब्रिटेन और मलाया

मलाया दक्षिण-पूर्वी एशिया का एक दूसरा भाग था जहाँ ब्रिटेन की बड़ी ज़िम्मेदारियाँ थीं। मलाया प्रायद्वीप में ब्रिटिश सरकार के अधीन नौ मलय राज्यों के अतिरिक्त पिनाग और मलाका नामक दो ब्रिटिश वस्तियाँ और सिंगापुर का उपनिवेश भी थे। इस प्रायद्वीप के पूर्व में, मुख्य कर बोनियो के इण्डोनेशियाई द्वीप में सारावाक और उत्तरी बानियो के ब्रिटिश उपनिवेश थे। हितीय विश्व-युद्ध के बाद, जब जापनियों ने पक्षायन के बाद वहाँ अराजकता छा गई, तो मलय राज्यों को पिनाग और मलाका के साथ संयुक्त करने के प्रयत्न किये गये और 1948 में उन्हें भिलाकर मलाया का संघ स्थापित किया गया। सन् 1957 में ब्रिटेन ने संघ पर से अपनी समस्त शक्तियाँ और अपना सेवाधिकार त्याग दिया और संघ ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल के अन्तर्गत एक स्वतंत्र रजत्यक्त रूप गया। उनके संविधान का, जो स्वतंत्रता दिवस पर कार्यान्वित हुआ, उद्देश्य यार्ह संघनिर्मात्री इवाइयो को एक मात्रा में स्थानीय स्वायतता सुनिश्चित करते हुए एक सुदृढ़ संघीय शासन की स्थापना करना था। संघ का सर्वोच्च अध्यक्ष मलाया राजाओं में से एक होता है जिसका निर्वाचन पाच वर्ष के निये पिनाग और मलाका के राज्यपालों के साथ नौ राजाओं का एक सम्मेलन करता है। अधिकाश प्रयोजनों के लिये वह एक प्रधान मंत्री एवं एक मन्त्रिमंडल जी सत्ताहृ से कार्य करता है जो एक डिसदनी—सीनेट और प्रतिनिधि सदन—विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ब्रिटेन के साथ सम्पर्क एक उच्च आयुक्त (High Commissioner) के हारा रहता है जो संघीय राजधानी बबालालुम्पुर में रहता है।

मूल रूप में यह संविधान मेलेशिया के संघ वो लाग किया गया जिसकी विधिवत् स्थापना सन् 1963 में मलाया संघ में सिंगापुर, सारावाक और उत्तरी बोनियो (जिसका नाम नाम सबाह रहा) को ज्ञामिल करने की गई। परन्तु मेलेशिया के समर्क्य जो 1965 में बड़ा धक्का लगा जब सिंगापुर उससे अलग हो गया। सिंगापुर के इस नदम और इण्डोनेशिया की निरन्तरित सशस्त्र शृंति के कारण प्रश्न उठता है कि सारावाक और सबाह वह तब संघ में बने रह सकेंगे।

(इ) फ्रान्स और इण्डो-चीन

एशिया में प्रान्त का मुख्य साम्राज्यिक हित इण्डोचीन में था जिसका

आरम्भ उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में तृतीय नेपालियन द्वारा कोनिन-नीन के समामेलन (साम्राज्य में गिला लेने) के साथ हुआ था। सन् 1880-89 तब फ्रेडरिक राता उन प्रदेशों में से होकर जिन्हें आजकल कम्बोडिया, वियतनाम और लाओस कहते हैं, उत्तर की ओर चीन की सीमा तक बढ़ चुकी थी। द्वितीय विश्वयुद्ध में इन प्रदेशों पर से फ्रान्स का अधिकार उठ गया और उन पर जापानियों ने अधिकार कर लिया। युद्ध के बाद फ्रान्स ने इण्डोचीन में फिर से अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न किया परन्तु साम्यवादी द्वाव, विशेषकर वियतनाम भे उत्पन्न उल्जनों के कारण वह अपनी नरा जायज न रख सका। साम्यवादियों ने साथ एक लम्बे घर्वाले युद्ध के बाद फ्रान्स हट गया और वियतनाम को दो भागों में विभक्त होड़ गया। उत्तरी भाग में साम्यवादी जासन कायम हो गया और दक्षिणी भाग में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई। लाओस और कम्बोडिया ने पठोसी राज्य साम्यवादी घुसपेठ द्वारा अपने मलोच्छेदन के भय से निरन्तर भयभीत अवस्था में सकटपूर्ण स्वतंत्रता कायम रखे रहे।

(ई) नेदरलैण्ड्स और इण्डोनेशिया

पूर्वी इण्डीज में डच सत्ता बहुत पुरानी थी। उसका आरम्भ सबहबी शताब्दी में हुआ था जब कि डच लोगों ने उन द्वीपों में बस कर धीरे-धीरे पुर्तगालियों को जो उस समय वहाँ प्रधान शक्ति थे, हटाकर उनका स्थान ग्रहण कर लिया और एक बड़ा रामृद्धिशाली बाणिज्यिक राज्यवाद स्थापित कर लिया जिसे वे नेदरलैण्ड्स इण्डिया कहते थे। इस प्रदेश का नाम आजकल इण्डोनेशिया है जिसका तात्पर्य द्वीप समूह के समस्त द्वीपों से है। डच ईस्ट इण्डीज में उत्पन्न होनेवाले राष्ट्रीयतावादी अन्दोलन ने इस नाम को 'समस्त द्वीपवासियों की एकता सुझाने के' अनुकूल समझकर ग्रहण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस समस्त प्रदेश पर जापानियों ने अधिकार कर लिया और उन्होंने, अपने ही प्रयोजन के लिये, राष्ट्रीयवादियों को प्रोत्ताहित करके 1945 में इण्डोनेशिया के गणराज्य की घोषणा कर दी। युद्ध के बाद डच लोगों ने गणराज्य को मान्यता देने से इन्कार कर उसके विश्व सैनिक कार्यवाही की। किन्तु 1948 में सयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया और नेदरलैण्ड्स की सरकार को न्यूगिनी के डच भाग को छोड़कर समस्त डच ईस्ट इण्डियन एम्पायर को इण्डोनेशिया के गणराज्य के रूप में प्रभुत्वपूर्ण स्वतंत्र राज्य स्वीकार करने के लिये राजी कर लिया। इस प्रकार नेदरलैण्ड्स ने विप्रिवत् अपना प्रभुत्व समर्पित कर दिया और 1950 में एक नया गणतंत्रीय संविधान प्रघासित किया गया जिसके द्वारा निर्वाचित प्रेसीडेण्ट-पद और एक द्वितीय विधानमंडल स्थापित हुआ।

(उ) यूनाइटेड स्टेट्स और फिलिप्पीन्स

दक्षिण-ग्रीवी एशिया पर विचार करते हुए हम फिलिप्पीन द्वीपोंओं कोर भी दृष्टिपात करना चाहिय जा भोगोलिक दृष्टि में ईस्ट इण्डियन द्वीप समूह वा उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है। यूनाइटेड स्टेट्स ने फिलिप्पीन्स को 1898 में सेने के साथ युद्ध में विजय की लूट के एक भाग के स्पष्ट में प्राप्त किया था। वहाँ के निवासियों के विराह को दबाने के बाद उसन उनके प्रति एक प्रगतिशील उदार नीति अपनाई। सन् 1907 में इन द्वीपों को एक भाग में स्वामीय स्वशासन प्रदान किया गया जिसका 1916 म विस्तार किया गया। सन् 1935 मे फिलिप्पीन्स को 'कॉमनवेल्थ हैमियन' के अधीन एक संविधान प्रदान किया गया जिसके अनुसार एक राष्ट्रपति और एक राष्ट्रीय सभा की व्यवस्था की गई, अमरीकी नांदिक अहो के लिय सुरक्षण की व्यवस्था रही और 1946 मे पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान का बचन दिया गया। उस वर्ष, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद, जिसके दौरान जापानियों ने इन द्वीपों पर अधिकार कर लिया था, अमेरिका ने अपना बचन पूरा किया और अब फिलिप्पीन्स यूनाइटेड स्टेट्स के नमूने के संविधान के अधीन एक पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य है।

४. अफ्रीका मे औपनिवेशिक क्रान्ति

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से जो परिवर्तन अफ्रीका मे हो रह हैं वे आधुनिक इन्हाम के अत्यन्त गतिशील परिवर्तनों मे से हैं। यदि हम निम्नलिखित बातों का समरण करें तो हम समझ सकेंगे कि घटनाक्रम विनी तेजी मे चला है। उनीसबों शानाई के मध्यकील तक भी अफ्रीका के जन-दर्शनी का भाग योरोपियनों को प्राप्त विवृत ज्ञान नहीं था, सन् 1885 मे अफ्रीका मे ज-दी स मूर्मि प्राप्त करने के प्रथला ने ऐसी छोन-क्षणट का स्पष्ट धारण कर रिया कि उन्हें विवश हो एक संघिय करनी पड़ी जिसके द्वारा उन्होंने महाद्वीप का आपम मे बैठवारा कर लिया और अपन-अपने प्रभावक्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित कर ली, सन् 1939 तक भी अफ्रीका मे केवल तीन स्वतंत्र राज्य थे—लिविया का गणराज्य, दक्षिणी अफ्रीका का सध तथा मिल का राज्य। युद्धात्तर, औपनिवेशिक क्रान्ति पाश्चात्य विचारों एव व्यवहार के प्रभाव, अफ्रीकी राष्ट्रीयनावाद के उदय और कुछ माझाजियक शक्तियों की उसकी मागा को स्वीकार करने की इच्छा के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम थी। जिन आन्दोलनों न अफ्रीका का राजनीतिक स्वरूप बदल डाला है उनमे सबसे महत्वपूर्ण, हालांकि नाटकीय नहीं, भाग लेन-वारी सम्बन्धित शक्ति त्रिटेन थी। इसलिये प्रान्त और वैलिंग्डम की इन बदलनों हुई अवस्थाओं की ओर वैनी प्रवृत्ति रही यह देखने के पहले हम ग्रिटिंग नीति मे स्वरूप और परिणामों का अध्ययन करेंगे।

(अ) विदिशा अफीका में परिवर्तन

अफीका के जिन प्रदेशों में ब्रिटेन की अभिरुचि रही है वे सारे महाद्वीप—पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में विखरे हुए हैं। इन प्रदेशों में, जो विभिन्न लोगों और विभिन्न परिस्थितियों में हस्तमत किये गये थे, पृष्ठभूमि, आर्थिक साधनों और राजनीतिक सभाध्यताओं एवं उनकी आवादियों के जातीय गठन से सम्बन्धित अनेक विशिष्ट भेद दिखाई देते हैं। एक बात जो इन सभी प्रदेशों के लोगों में सामान्य रूप से मिलती है वह है स्वयं अपने एवं राज्य थे गठन और उसके सफल सञ्चालन की क्षमता ने उनका अटूट विश्वास है। यह ऐसा विश्वास है जिसका तिहाज बरने में ब्रिटेन न गर्वाधिक तत्परता प्रदर्शित की है। यह बात उन साधानिक प्रयोगों से स्पष्ट हो जाती है जो उसने अफीकीयों को विधान सभाओं में, जिनकी स्थापना वह अपने अधिकांश अफीकी प्रदेशों, किसी-किसी प्रदेश में तो उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में ही, कर चुका था, राजनीतिक अनुभव प्राप्त कराने के लिये किये हैं। इन सभाओं की स्थापना का उद्देश्य पहले इवेत वासियों को वैस्टमिन्स्टर की सरकार से यथासंभव स्वतंत्र रूप में अपने आर्थिक, वैधानिक एवं प्रशासनिक मामला की व्यवस्था करने के लिये प्रोत्साहित करना था। धीरे-धीरे इन विधान-सभाओं में अफीकी प्रतिनिधि भी लिये जाने लगे यहाँ तक कि अन्त में वे बहुसंख्यक हो गये। इस प्रकार अप्रीकी जातियाँ विदिशा राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये तैयार की गई। बहुतसी जातियाँ अब तक स्वतंत्रता प्राप्त कर भी चुकी हैं।

पश्चिमी अफीका में तीन मुख्य प्रदेश गोल्डकोस्ट, नाईज़ीरिया और सियरा लियोन थे। अन्तर्युद्ध काल में, इन तीनों प्रदेशों में विधान परिषदों में अफीकियों के नवंगमन प्रतिनिधित्व के द्वारा काफी साविधानिक प्रगति हुई थी और दूसरे विश्वयुद्ध के बाद प्रगति तेज हो गई। सन् 1946 में गोल्ड कोस्ट को एक नया सविधान प्रदान किया गया जिसके द्वारा वह परिपद में अफीकी बहुमतवाला पहला उपनिवेश बन गया। सन् 1957 में वह स्वशासी डॉमिनियन के रूप में पूर्ण स्वतंत्र हो गया और उसने अपना नाम बदलकर पाना रख लिया। सन् 1960 में उसने एक गणतंत्रीय सविधान स्वीकार किया जिससे निर्वाचित राष्ट्र-पति-पद और नेशनल एसोसिएशन नामक दस महिलाओं गहित 114 सदस्यवाले एक एक-सदनी विधानमंडल की स्थापना हुई। किन्तु वह विदिशा राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा।

नाईज़ीरिया में राजनीतिक स्थिति उसके तीन—पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी प्रदेशों में, जो विकास के विभिन्न स्तर पर थे, विभक्त होने के कारण जटिल यी परन्तु सपवाद की युक्ति से यह परिणाम दूर हो गई। सन् 1945 में समस्त देश

के लिये एक विधान परिषद् की स्थापना हुई जिसमें गैर-सरकारी सदस्यों वी बहुसंख्या थी और प्रत्येक प्रदेश के लिये एक पृथक् परिषद् भी स्थापित की गई। सन् 1954 में इन तीनों प्रदेशों ने मिलकर नाइजीरिया के सघ का निर्माण किया और 1957 और 1959 के बीच प्रत्येक प्रदेश को स्थानीय स्वशासन वे अधिकार प्रदान किये गये। सन् 1960 में सघ पूर्ण स्वतंत्र राज्य और 1962 में राष्ट्र-भड़ल के अन्तर्गत एक गणराज्य बन गया। संविधान वे अनुसार संघीय संसद् में सीनेट और प्रतिनिधि-सभा है जिसके प्रति मंत्रिमण्डल उत्तरदायी है। उसके हाथों में परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रतिरक्षा, पुलिस, यातायात एवं सचार सभेत बड़ी व्यापक शक्तियाँ हैं। प्रत्येक प्रदेश में हाउस ऑफ ऐसेम्बली के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका परिषद् है और प्रादेशिक मामलों के लिये विधिनिर्माण और उनके प्रशासन के लिये एक हाउस ऑफ चीफ्स (House of Chiefs) है।

सियरा लियोन ने जो दीर्घकाल से ब्रिटेन के अधिकार में रहा, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से बड़ी त्वरित सांविधानिक प्रगति की है। सन् 1948 में एक नया संविधान द्वारा कामी अफीका प्रतिनिधित्वयुक्त एक विधान परिषद् की स्थापना हुई। सन् 1958 में परिषद् पूर्णतया निर्वाचित हो गई, उसमें केवल दो नामनिर्देशित सदस्य रह गये। गवर्नर जनरल को विधान परिषद् वे प्रति उत्तरदायी प्रधान मन्त्री और मंत्रिमण्डल परामर्श देते हैं। इस संविधान वे अधीन, 1961 में सियरा लियोन ब्रिटिश राज्यमण्डल के अन्तर्गत एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य बन गया।

पूर्वी अफीका में जिन तीन प्रदेशों पर मुख्य रूप से ध्यान देना है वे टेनगेनिङा, युगाण्डा और केन्या है। टेनगेनिङा पहले जर्मन उपनिवेश था जो प्रथम विश्वयुद्ध के बाद से राष्ट्रसंघ के प्रदेश के अधीन ब्रिटेन द्वारा शासित था और 1946 में समुक्त राष्ट्र के अधीन एक व्यस्त प्रदेश (*Trust territory*) के रूप में ब्रिटेन के पास रहा। युगाण्डा 1890 से ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश था। वहाँ के 62 लाख निवासियों में बेवल 11,000 योरोपियन हैं। केन्या में जो 1895 में ब्रिटिश अधिकार में आया और 1920 में विधिवत् उपनिवेश के रूप में साम्राज्य में शामिल कर लिया गया, पिछले जनसंख्या है और वहाँ पूर्वी अफीका के ब्रिटिश प्रदेशों में योरोपियनों का सबसे अधिक अनुपात है (65 लाख निवासियों में से 68,000)। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इनमें से प्रत्यक्ष प्रदेश के लोगों को विधान परिषद् में उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ और जब स्वशासन वे प्रश्न पर विचार करने का समय आया तो यह सुझाया गया कि इस समस्या का हल तीनों प्रदेशों का एक सघ निर्णय करने वाला जा सकता है। परन्तु इन प्रदेशों वे निवासियों के बड़े जातीय भेद थे। बेन्या में अपेक्षाकृत योरोपियन लोग अधिक संख्या में थे। अतः मुख्यकर युगाण्डा में बेन्या के साथ सब में शामिल होने के परिणाम अपावह दिखाई देते थे और इसी कारण इस पोक्झना का परित्याग करना पड़ा।

अन्त में, मई 1961 में टेनगोनिया को बाकी मात्रा में स्वशासन प्रदान विधा गया और 1962 के अन्त तक वह राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य बन गया। सन् 1964 में जेजीवार वा पूर्व निटिश सरकार प्रदेश टेनगोनिया में शामिल हो गया और उन दोनों से मिलकर एक नया राज्य बना जिसका नाम टेनजानिया वा समुक्त गणराज्य रखा गया। यूगाण्डा 1962 में स्वतंत्र हो गया और 1965 में गणराज्य बन गया। बिन्दु केन्या में जातीय विरोध, जो एक बड़ी विकट सामाजिक समस्या बनी हुई थी, और अफीवा की प्रभावित राष्ट्रीय भावना के कारण अन्य दो प्रदेशों की अपेक्षा, साविधानिक प्रगति धीमी रही। परन्तु जून 1963 में प्रगति की ओर एक बड़ा कदम उठाया गया जब कि इस उपनिवेश को पूर्ण आन्तरिक स्वशासन प्राप्त हो गया। 6 महीने बाद केन्या स्वतंत्र राज्य और दिसम्बर 1964 में गणराज्य बन गया। ये तीनों राज्य राष्ट्रमण्डल के सदस्य बने रहे।

अन्त में, मध्य-अफ्रीका में तीन सलग्न प्रदेश थे—दक्षिणी रोडेशिया, उत्तरी रोडेशिया और न्यासालैंड—जिनका साविधानिक महत्व इस बात में था कि द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अनेक असमानताओं के होते हुए भी उनका एक सघ बना दिया गया था। दक्षिणी रोडेशिया अपने दोनों उत्तरवर्ती घडीसिया की अपेक्षा राजनीतिक विकास में बाकी आगे बढ़ा हुआ था। जिन प्रदेशों का सेसिल रोड़ज ने विकास किया था उनमें अधिक दक्षिणवर्ती होने के कारण उसकी ओर बहुत से योरोपीय अधिकारी आकर्षित हुए जो आजकल वहाँ की जनसंख्या के तेरहवें भाग के लगभग हैं। सन् 1923 में यह एक स्वशासी उपनिवेश बन गया था जिसमें 30 सदस्यों की एक समिति और 6 सदस्यों का एक मणिमण्डल था जो अपने अन्तर राजनीती कृतयों के लिये बेस्टगिन्स्टर में लिखत सरकार के प्रति उत्तरदायी था। उत्तरी रोडेशिया और न्यासालैंड दोनों सरकारी राज्य थे। उन दोनों में से प्रत्येक में दक्षिणी रोडेशिया की अपेक्षा योरोपीय लोगों का अनुपात बहुत कम था। इन सरकारी राज्यों में कुछ साविधानिक प्रगति हो चुकी थी। उत्तरी रोडेशिया में दस और न्यासालैंड में नौ सदस्यों की कार्यकारिणी परिपद थीं और दोनों परिपदों में दो-दो अफीकी होते थे। प्रत्येक में एक आशिक रूप में निर्वाचित विधान परिपद भी थी। उत्तरी रोडेशिया में 22 निर्वाचित सदस्यों में से 8 अफीकी होते थे, न्यासालैंड में तेरह निर्वाचित सदस्यों में से सात अफीकी थे।

इन राजनीतिक भेदों के होते हुए भी यह भावना उत्पन्न हुई कि इन हीनों प्रदेशों के साथ्यों का समुक्त रूप में विकास होना चाहिये और इस आधिक लाभ को प्राप्त करने वा सबसे मुनिषित ढंग उनका एक राजनीतिक सघ निर्माण करना है। इसलिये सन् 1953 में बड़े बादविवाद के बाद रोडेशिया और न्यासा-

लैंड का सघ स्थापित हुआ। संविधान ने यह व्यवस्था की कि गवर्नर-जनरल तीनों इकाइयों और उनमें बसनेवाली विभिन्न जातियों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व करनेवाली एक एक-सदनी फेडरल एसेम्बली के प्रति उत्तरदायी संघीय मत्रिमंडल के सहयोग से कार्य करेगा। चिन्तु दुर्भाग्यवश अफीको जनता के असन्तोष के कारण मह योजना सफल नहो हुई। सन् 1960 मे, उसी स्थान पर ही समस्या पर विचार करने के लिये सन्दर्भ से भेजे हुए एक विशिष्ट आयोग ने संघीय योजना के आमूल सशोथन की सिफारिश की, परन्तु इसके लिये कोई सूच नहीं मिल सका और 1963 मे संघ भग कर दिया गया। सन् 1964 मे ब्रिटेन ने न्यासालैंड (अब उसका नाम मलाबी हो गया) को और उत्तरी रोडेशिया (अब उसका नाम जेम्बिया हो गया) को स्वतंत्रता दे दी पर दोनों राज्य राष्ट्रमंडल मे बने रहे। जिन शर्तों पर रोडेशिया स्वतंत्र हो सकता था उन पर 1965 मे विचार चल ही रहा था कि रोडेशिया की सरकार ने स्वतंत्रता की एकपक्षीय घोषणा कर दी। यह कार्य अवैध था और ब्रिटेन ने उसे स्थीकार नहीं किया।

(आ) फ्रान्स और अल्जीरिया

उनीसकी शताब्दी से फ्रान्स ने उत्तरी, मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के बड़े विस्तृत प्रदेशों पर दक्षिणपूर्वी तरफ के निकट मैडेगास्कर के द्वीप पर अधिकार कर लिया था। अल्जीरिया का छोड़ सभी फ्रेंच उपनिवेश उत्तर कटिबन्ध मे स्थित थे। इनमे सेनिगाल, चाड, कागो, सूडान (आजकल माली), नाईजीर और गवून शामिल थे। इन प्रदेशों मे फ्रान्स ने धीरे धीरे स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था स्थापित की जिसका चतुर्थ गणतंत्र के अधीन स्थानीय विधानमंडलों की स्थापना द्वारा अधिक मात्रा मे स्वायत्त प्रदान करके विस्तार किया गया। सन् 1958 मे जनरल डिगोल ने घोषणा की कि पचम गणतंत्र के संविधान के लिये होनेवाले जनमतसंग्रह मे ये उपनिवेश फ्रेंच राज्य परिवार के सदस्य बने रहना स्वीकार करें तो उन्हें स्वतंत्रता प्रदान किये जाने पर उससे अलग हो जाने की स्वतंत्रता रहेगी। इस समझौते से सब उपनिवेश फ्रेंच राज्य परिवार मे शामिल हाने के लिये सहमत हो गय और 1960 मे स्वतंत्र गणराज्य बन गय। तब से उनमे से दो—माली और नाइजीर—ने अलग हो जाने का नियन्त्रण बर लिया है। मैडेगास्कर जो 1890 से ही फ्रेंच सरकारी प्रदेश था, 1960 मे (मलागासी के नाम से) स्वतंत्र गणराज्य घोषित कर दिया गया परन्तु एक विशिष्ट प्रतिरक्षात्मक समझौते की शर्तों के अधीन फ्रेंच राज्य परिवार का सदस्य बना रहा।

अल्जीरिया की पृष्ठभूमि और हैमियत फ्रेंच अफीकी साम्राज्य के अन्य प्रदेशों से बहुत भिन्न थी। मन् 1848 मे उसे विधिवत फ्रेंच प्रदेश घोषित किया गया था। वोरे वोरे बहुत अधिकाधिक फ्रेंच अधिवासी आकर्षित होने लगे।

जिनसे गव्या द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ तक दम लाउ नक पूँछ गई थी। वे अल्जीरिया को फान्य का ही भाग मानते थे और उसे इसी हृषि में बनाए रखने के लिये दृढ़ मतल्ल थे। युद्ध के बाद मुस्लिम गण्डीय आनंदोलन अत्यन्त उप्र हो गया। फ्रेंच उपनिवेशिया और मुस्लिम गण्डीयतावादियों के परस्पर विरोधी राजनीतिक उद्देश्यों का परिणाम वह आनंदवाद और रक्तपात दूआ जिसके कलमवस्था 1958 में चन्द्रुर्ध गणतंत्र का पन्ना हुआ, जबरल डिगॉल पुनर सत्ताहट हुआ और पचम गणतंत्र की स्थापना हुई। इस समस्या का हल तभी हुआ जब जनरल डिगॉल ने अल्जीरिया को अपने राजनीतिक भविष्य का स्वयं निर्णय करने का अधिकार दन का निश्चय रिया जिसका वास्तविक अर्थ यह प्रान्म वे माय महयोग महिल अल्जीरिया की स्वतंत्रता। फ्रेंच निर्वाचिकमण्डल के 91 प्रतिशत ने जनभनसप्तम में इस निर्णय का अनुमोदन दिया। तदनुसार एक अल्जीरियन अस्यायी कांगणानिका की स्थापना की गई। जिसे जुलाई 1962 में, जब राष्ट्रपति न अल्जीरिया की स्वतंत्रता की विधिवत् घोषणा की, प्रभुता हस्तान्तरित कर दी गई इसके बाद माविधानिक परीक्षा का काल आया क्योंकि, एक अधिकारी के कथनानुसार, अल्जीरियन राष्ट्र ने ऐसे विचार की लहर में स्वतंत्रता प्राप्त की है जिसे अभी व्यावहारिक राजनीति के रूप में परिणत करना है।

(इ) वेल्जियम और कौंगो

वेल्जियम का हित कौंगो में बेगित था। यह भूमध्यरेखीय जफ्रीका के मध्य में एक विशाल प्रदेश है जिसके मूल निवासियों की सभ्या एक करोड़ चालीस लाख वर्ग लकड़मा है। सन् 1880 के बाद अधिकृत मह प्रदेश पहले राजा द्वितीय लियोपोल्ड के स्वतंत्रता सास । के अन्तर्गत रखा गया था और कौंगो का राज्य कहा जाता था परन्तु 1908 में लियोपोल्ड ने अपने निरक्षण अधिकार समर्पित कर दिये और यह राज्य वेल्जियम उपनिवेश बन गया। वेल्जियम के सोग निरन्तर बढ़ती हुई सभ्या में इस देश में बनते रहे, परन्तु किसी भी सभ्य योरोपीय अधिकासियों का अनुपान एक प्रतिशत तक भी नहीं पहुँचा।

दोनों विश्वयुद्धों के बीच के बान में नगो में काफी तजनीकी प्रगति और प्राथ-मिक शिक्षा की व्यवस्था सहित कुछ सामाजिक गुणार भी हुए। परन्तु राजनीतिक अधिकार प्रदान करने में वेल्जियम की सरकार बड़ी धीमी और कृपण रही, यहाँ तक कि स्वतंत्रता के पहले यहाँ थोड़ी सी निर्वाचित नगर-परिषद् मात्र ही थी। कौंगो के लोग यह समझते थे कि ब्रिटेन और प्रान्म द्वारा शासित प्रदेशों में उनके माथी अफ्रीकियों के अधिकारों की तुलना में उनके सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार बहुत थोड़े थे। अत राजनीतिक दलों का उदय हुआ जो उनके अवस्थाओं, अधिक शक्तियों और अन्तिम स्वतंत्रता की माग करने लगे।

सन् 1959 के आरम्भ में यह असतोष भयकर दगो के रूप में भड़क उठा। तब बेल्जियम की सरकार ने मूल सुधारो की योजना घोषित की जिसका उद्देश्य काँगोलियों को स्वतंत्रता के लिये प्रशिक्षित करना था। जब इन सुधारो के लिये तैयारियाँ हो ही रही थीं बेल्जियम की सरकार ने फरवरी 1960 में यकायक घोषणा कर दी कि काँगो चार महीने बाद पूर्ण रूप में स्वतंत्र हो जायगा।

तदनुसार जून 1960 में बेल्जियम अपनी राजनीतिक कलावाजी समाप्त करके और काँगोलियों को ऐसी स्थिति में छोड़वार, जिसका वे समुक्त राष्ट्र की सेनाओं की सहायता के बिना मुकाबला नहीं कर सकते थे, काँगो से जल्दी से हट गया। राजनीतिक गुटों में सधीं 1961 तक चलता रहा जब एक अस्थायी सरकार की स्थापना हुई और सिद्धान्त के रूप में यह समझौता हुआ कि काँगो गणराज्य एक कॉनफोडरेशन का रूप धारण करे। सन् 1962 में एक संघीय साविधान का प्रारूप तैयार किया गया और प्रधान मंत्री ने उसे गणराज्य के प्रस्तावित इककीस प्रान्तों के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत किया। परन्तु साविधान सफल नहीं हुआ और अभी तक स्थिर शासन का कोई आधार प्राप्त नहीं हुआ है।

5. केरिवियन में संघीय प्रयोग

समार का एक दूसरा भाग जिस पर उदीयमान राष्ट्रीयतावाद और उपनिवेशवाद के पतन का गहरा प्रभाव पड़ा है, केरिवियन (सागर) है। समुक्त राज्य के अतिरिक्त फान्स और बेल्जियम के भी इस खेत्र में हित हैं। परन्तु साविधानिक दृष्टि से इस खेत्र के साथ ब्रिटेन का सम्बन्ध सर्वाधिक महत्व का है। ब्रिटेन ने सन् 1960 से जाताब्दी से समय-समय पर कई वेस्ट इण्डियन द्वीपों पर अधिकार कर लिया था। इनमें बेरबेंडॉस, जर्मेंका, सीवर्ड और विण्डवड़ द्वीप, ट्रिनिडाड और टोबैगो शामिल थे। इनमें से प्रत्येक में ब्रिटेन ने एक कार्यपालिका परिषद् और एक विधान परिषद् स्थापित करके धीरे-धीरे उनमें वेस्ट इण्डियन लोगों को उनके कार्य में भाग लेने के लिये स्थान दिया। द्वितीय विश्वयुद्ध के अत तक साविधानिक प्रगति, विशेषकर जर्मेंका और बेरबेंडॉस में, हो चुकी थी। उस समय तक इन दोनों उपनिवेशों में एक विधान परिषद् और एक पूर्णतया निर्वाचित विधान सभा युक्त एक द्विसदीय विधानमण्डल था। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक सभा में, अधिकतर एक सशत्त मजदूर आन्दोलन के विकास के कारण वेस्ट इण्डियनों को बहुसंख्या हो गई थी। इससे आगे बढ़कर साविधानिक कदम उस समय उठाया गया जब वेस्ट इण्डियन द्वीपों का सघ बनाने का प्रस्ताव सामने आया।

इस सभावना पर मर्व प्रथम विचार 1947 में जर्मेंका में एक सम्मेलन में हुआ था। उस समय तो उसका कोई परिणाम नहीं निकला परन्तु 1956 में लन्दन में एक

सामंजस्यमें उसपर फिर विचार हुआ और इसवार कुछ दृढ़ निर्णय किय गये। पासर्ड-वा आवश्यक समर्थकारी अधिनियम (Enabling Act) पारित किया गया और मेट एक सपरिपद रानी के आदेश (Order-in-Council) के अनुसार 1958 में वेस्ट इण्डीज के सघ (Federations of the West Indies) की स्थापना की गई। सघ वा निर्माण बरलेवाली इकाइयाँ दस उपनिवेश थे जो उपरिलिखित हीपो एवं हीप समूहों में शामिल थे जिनमें भूमि का क्षेत्रफल 8,000 वर्गमील और जनसंख्या तीस लाख से कुछ अधिक थी। सविधान के अनुसार एक द्विसदनी संघीय विधानमण्डल की स्थापना हुई-गवर्नरजनरल द्वारा नामनिर्देशित सिनेट और प्रत्येक संघनिर्मात्री इकाई की जनसंख्या की अनुपातिक संख्या में निर्वाचित प्रतिनिधि-सभा। द्विटिंश सरकार ने प्रतिरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध और आर्थिक स्थिरता के सम्बन्ध में अँडँसं इन बौसिल द्वारा विधि-निर्माण का अधिकार अपने लिये सुरक्षित रखा। शेष सब विषय संघीय सरकार के जिम्मे रहे (इस जिम्मेदारी में प्रादेशिक विधानमण्डल भी जा स्थानीय मामलों की व्यवस्था नहीं रहे, भाग लेते थे) और इस प्रयोजन के लिये गवर्नरजनरल दो परामर्शदाता देने के लिये एक प्रधान मंत्री और केबिनेट की व्यवस्था की गई जो विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी थे।

दुर्भाग्यवश, यह साहसिक संघीय प्रयोग सफल न हो सका। जमैका को सघ में प्राप्त प्रतिनिधित्व से और जो अधिकार उसे संपीड़ सत्ता को सौंपने पड़े थे उनके बलिदान से बड़ा असन्तोष रहा। सन् 1961 में जमैका ने निये गये जनमतसप्रह में सघ से हट जाने के पक्ष में निर्णय हुआ। शीघ्र ही इसी प्रकार का निर्णय ट्रिनिटाड और टोबैगो (संयुक्त) में भी हुआ। फलत इनमें से प्रत्येक प्रदेश द्विटिंश राष्ट्रपंडल के अन्तर्गत एक स्वतंत्र डॉमिनियन बन गया। इन प्रदेशों के अलग हो जाने से सघ कमज़ोर हो गया और उसके भग होने की नौबत आ गई। तब यह अनुभूति हुई कि सम्बद्ध पक्षों के लिये दो ही सभाव्य उपाय हैं- या तो सघ के अवशिष्ट सदस्य दृढ़ता के साथ मिल कर एक एकात्मक राज्य के निर्माण का निश्चय करे और उस रूप में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करे, या सब अलग-अलग हो जाये और जमैका, ट्रिनिटाड तथा टोबैगो के समान पृथक् स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयत्न करे। इस प्रयोग की असफलता उस सत्य का, जिस पर हमने पहले बल दिया है, कि एक सघ तभी सफल हो सकता है जब विं इकाइयाँ सयोग की दृष्टा करें।

6. उपनिवेशवाद और त्यासित्व

युद्धोत्तर औपनिवेशिक वान्ति के दौरान नहीं तक उसकी प्रगति हुई है, एक अरब के लगभग लोग-संसार की जनसंख्या की एक-तिहाई के लगभग-साम्राज्यिक

आधिपत्य से मुक्त हो गये हैं। जैसा हम देख चुके हैं, इस विशाल आनंदोलन के पीछे प्रेरक शक्ति एक नये प्रकार का राष्ट्रीयतावाद रहा है जिसका उद्दय ठीक उस समय हुआ जब कि प्राचीन योरोपियन राष्ट्रीयतावाद स्पष्ट रूप से निर्वाल हो रहा था। पिर भी यह बात ध्यान देने योग्य है कि बम से बम अफ्रीका में इस नये राष्ट्रीयतावाद ने दो रूप धारण किये हैं—प्रथम, सकुचित रूप जिसमें समस्त ध्यान पहले ही से निर्मित राष्ट्र-राज्य को तुरन्त मुद्रृ बनान पर लगाया गया है और द्वितीय, एवं विस्तृत आनंदोलन, जिसे अखिल-अफ्रीकीवाद (Pan-Africanism) कहते हैं, जो समस्त महाद्वीप के राज्यों के एक हो जाने का स्वप्न देखता है। बास्तव म, घाना गणराज्य के दमतावेजी सविधान (1960) में इस आदर्श का स्पष्ट शब्दा में निरूपण किया गया। सविधान के अनुच्छेद 2 में अफ्रीकी एकता वी उपलब्धि नामक शीर्पक के अन्तर्गत कहा गया है—

‘इस विश्वास में कि शीघ्र ही वह समय आएगा जब प्रभुता अफ्रीकी राज्यों एवं प्रदेशों के सघ को समर्पित होगी, जिनका समाज को घाना की समस्त प्रभुता अथवा उसका कोई भी भाग समर्पित करने की व्यवस्था बनाने का अधिकार देती है।

पुराना उपनिवेशवाद यदि मृतक नहीं तो मृतप्राय है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि सप्ताह वे अधिक उन्नत देशों को भविष्य में अल्पविकसित देशों की, जिनमें वे देश भी शामिल हैं जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करली है, सहायता के लिये कुछ बरना शेष नहीं रहा। अफ्रीकी लोग एवं अखिल-अफ्रीकी राज्य का स्वप्न देश सबसे ही परन्तु इसी ओर में जो राज्य बन गय है उनमें स्थिर सरकार स्थापित करने, अपने प्राकृतिक साधनों का विवास करने, रोग, गदारी और निरक्षरता से सघर्ष करने की आवश्यकता है। अल्पविकसित देशों की सहायता बरने के सियें ग्रिटिंग कॉलोनियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अन्तर्राष्ट्रीय कॉलम्बो प्लान एवं अनेक अमेरिकन संगठन जैसी कई एजेन्सियाँ बायं कर रही हैं। इनके अतिरिक्त सयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेन्सियाँ हैं जो सयुक्त राष्ट्र की आधिक एवं सामाजिक परिषद् के साथ (जिसका बर्णन आगे एक अध्याय में किया गया है) मिलकर कायं कर रही हैं। परन्तु यदि इन नये मुक्त लोगों के सविधानिक दावे उचित सिद्ध होते हैं तो अभी बहुत कुछ बरना शेष है।

यदि ये बातें उन लोगों के विषय में ठीक हैं जो स्वतंत्र हो चुके हैं तो उनके विषय में वे स्तरनी सत्य हांगी जिन्हें अभी अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। उनके भविष्य की सुरक्षा उन लोगों के हाथों में है जिनके सरकारण में वे रह रहे हैं। इन सब मामला में उपनिवेशवाद के पुराने विचारों के स्थान पर न्यासिता के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा होनी चाहिये। इस शिद्धान्त का प्रतिपादन राष्ट्रसभ की प्रसविदा में किया गया था जिसने प्रादेश पद्धति (Mandates System) प्रवर्तित की थी।

इस समस्या पर मयुल राष्ट्र के चार्टर मे तीन अध्याय हैं। उनमें से प्रथम अध्याय स्वशासन रहित प्रदेश सम्बन्धी घोषणा से प्रारम्भ होता है जिसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के जिन सदस्या पर उन प्रदेशों के प्रशासन का उत्तरदायित्व है जिनके साथ वो अभीतक पूर्ण स्वशासन प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें स्वीकार करना चाहिये कि 'इन प्रदेशों के निवासियों के ही हित सर्वोपरि है' और उन्हें चाहिये कि वे उनके हित की अभिवृद्धि के बनन्द्य का एक पवित्र न्याम के स्पष्ट मे ग्रहण करें।' इसी अनुच्छेद मे आगे कहा गया है कि ऐसे सदस्य तदनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक प्रदेश और उसके लोगों की विशिष्ट परिस्थितिया और प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार उनमें स्वशासन का विकास करने, उनकी राजनीतिक आकाशांशों का उचित ध्यान रखने और उनकी स्वतंत्र राजनीतिक संस्थाओं के विभिन्न विकास मे उनकी सहायता प्रदान का बायं, ग्रहण करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर मे निरूपित न्यास-गिर्दान्त न उनके दशा के अल्पाधि कार युक्त लोगों के साथ गम्भन्धों की सकलता को विश्व की सार्वजनिक विधि मे एक विलकुल ही नये स्तर पर रख दिया है। इस प्रयोजन के लिये संयुक्त राष्ट्र ने एक न्यास परिषद् (Trusteeship Council) की स्थापना की है। परन्तु इस सिद्धान्तों को व्यावहारिक स्पष्ट देने के लिये केवल उपकरण मात्र ही पर्याप्त नहीं है। अन्ततोगत्वा न्यासिता के विचार की सफलता या अनपलता एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के अस्तित्व पर, जो नेतृत्व प्रभाव डालने और मानवजाति के कल्याण एवं विश्व शान्ति के भविष्य के इस महत्वपूर्ण पक्ष पर ध्यान केन्द्रित करने से अधिक कुछ नहीं कर सकती, उतनी निर्भर नहीं है जितनी कम विकसित लोगों को स्वशासन की विभिन्न अवस्थाओं मे से गुजरते हुए अन्त मे स्वतंत्रता तक पहुँचने के लिये प्रोत्तमाहित करने की अधिक जाक्तिशाली एवं समृद्धिशाली राष्ट्रों की इच्छा पर निर्भर है।

15

राज्य का आर्थिक संगठन

1. लोकतत्व : राजनीतिक एवं आर्थिक

हमन अब तक साविधानी राज्य के राजनीतिक अवयवों की ही चर्चा की है, जिन्हें उसके आर्थिक संगठन के विषय में विचार करना अभी बाकी है, जो आधुनिक काल में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों समस्याओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यहाँ हमारा आशय आर्थिक समस्याओं का यहाँ अध्ययन करना नहीं, किन्तु वेवल यह बताना है कि साविधानी राज्य में वास्तविक आर्थिक लोकतत्व की स्थापना के लिए क्या किया गया है और क्या किया जा सकता है। आर्थिक लोकतत्व से हमारा वात्सर्य जीवन की भौतिक परिस्थितियों को राजनीतिक लोकतत्व के द्वारा नियंत्रित करने के प्रयत्न से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रयोजनों के लिए पहले से ही विचारान् अवयवों के समान आर्थिक नियन्त्रण के अवयवों के गठन से भी है। जहा तक यह साविधानिक प्रश्न से परे है—और कई दृष्टियों से उसका ऐसा होना स्वभावत् अनिवार्य है—वहा तक उसकी चर्चा हमारे खेत्र से बाहर है। किन्तु जहा तक यह व्यावहारिक साविधानिक राजनीति के कार्यक्षेत्र के था तो अन्दर है या अन्दर लाया जा सकता है वहा तक इसकी विवेचना करना हमारे लिए आवश्यक है।

आधुनिक राज्य के प्रारंभिक दिनों में शासन के आर्थिक कृत्यों को पूरी तरह भान्यता दी जाती थी और राजमर्मन् राष्ट्रीय शक्ति के लिए विद्युयों और विनियमा के द्वारा समाज के आर्थिक कार्यक्षेत्रों को नियंत्रित करना अपना कर्तव्य समझते थे। इसे 'वाणिज्य प्रणाली' (Mercantile System) कहते थे और यह इस विश्वास पर आधारित थी कि सम्पत्ति हे अन्तर्गत वेवल धन या वहूमूल्य धातुएँ ही होती हैं जिन पर अधिकार होना राष्ट्रीय शक्ति का दोहरा है। सबहबी शताब्दी से आगे पाइचात्य योरोप में यह विचारधारा सर्वमान्यता हो गई थी और उन दिनों लगभग समस्त राजनीतिक कार्य की मुख्य प्रेरक यही थी। बाह्य राजनीति में इस विचारधारा के फलस्वरूप योरोपीय और औपनिवेशिक युद्ध हुए जिनमें अठारहवीं शताब्दी व्यस्त रही और आन्तरिक राजनीति में उसके कारण व्यापार और उत्तोग पर अनेक प्रतिवन्ध लगाए गए, जिनसे कि राज्य

भारतस्तु रहा। तब शताब्दी के अन्तिम चरण में इस विचारधारा पर वह घातक प्रहार आरम्भ हुआ जिसका आरम्भ एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'राष्ट्रों की सम्पत्ति' (Wealth of Nations) में किया। उसकी इस युक्ति का प्रतिरूप, कि व्यक्ति ही अपने आर्थिक हितों का सर्वोत्तम निषयिक है, अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम और उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक दिनों के राजनीति-दर्शन में प्रकट हुआ। अमरीकी और फ्रांसीसी शातियों के सिद्धान्तवादियों और टॉमस पेन, जेरोमी बैन्यम और विलियम वॉन हम्बोल्ट जैसे प्रसिद्ध लेखकों ने अपने अलग-अलग तरीकों पर यह वल्पना की कि शासन एवं अनिवार्य बुराई है। अतएव, उन्होंने पह दत्तील दी कि व्यक्ति के मामलों में उसका हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए और सच तो यह है कि उसका एकमात्र कर्तव्य व्यक्ति को हिंसा और कपड़ से बचाना है। इन विचारकों का कहना था कि शासन तो न्याय करने का एक प्रब्र भाव है, इसलिए उसपे किसी प्रकार के भी आर्थिक कार्य विलकुल ही अनुचित हैं।

ये सिद्धान्त तत्त्वालीन परिस्थितियों के अनुरूप प्रतीत होते थे। इम्पैण्ड में औद्योगिक शाति की विश्वटनकारी शक्ति ने, जिसका गम्भीर प्रभाव उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में होने लगा था, समस्त राज्य-विनियमों को अनुपयुक्त बना दिया और नेपोलियनी गुद्द एवं लज्जनित परिस्थितियों के फलस्वस्त उत्पन्न होने वाली टोरी प्रतिक्रियावाद के पश्चात् सुधारों का युग आरम्भ हुआ जिसके परिणाम-स्वरूप उपर्युक्त समस्त विनियम समाप्त हो गए और समाज के आर्थिक त्रिपाकलाप में राज्य छारा हस्तक्षेप न करने (Laissezfaire) की नीति का समारम्भ हुआ। व्यापक रूप से यह युग सन् 1825 से 1870 तक रहा, जिसे डायसी ने 'बैन्यको व्यक्तिवाद का युग' पहा है। उन्नीसवीं शताब्दी के इस व्यक्तिवाद ने मुख्य रूप से उस राजनीतिक संविधानवाद के द्वारा विकास को प्रेरित किया जिसकी हमने इन पृष्ठों में चर्चा की है। किन्तु इस 'अट्टरतेप' नीति के प्रयोग से इस बाल में इतना अनर्थ हुआ कि अन्त में राज्य के आर्थिक कृत्यों के सम्बन्ध में एक नई धारणा का अभ्युदय हुआ और यह विश्वास दृढ़ हो गया कि सरकारों को समाज के आर्थिक हित को व्यवस्थित करने में अधिकाधिक भाग लेना चाहिए क्योंकि इन सब मामलों में समाज स्वयं ही व्यवस्था करने के अपोग्य सिद्ध हुआ है। इस प्रकार उस नीति का आरम्भ हुआ जिसे सामान्यतया 'सम्बिंधिवाद' कहते हैं। प्रथम दृष्टि में ऐसा जान पड़ता है मानो यह पहले के राजनीतिक व्यवहार की एक प्रतिक्रिया हो और पहिये ने पूरा भक्त लगा लिया हो। किन्तु यह समानता देखने में ही है, यथार्थ में नहीं, चूंकि इस नीति को केवल मानवता की भावनाओं से प्रेरणा ही नहीं मिली, जिससे निश्चय ही वाणिज्य प्रणाली का कोई सम्बन्ध नहीं था, बल्कि इसका ऐसे प्रयत्नों के प्रसाग में निरन्तर विस्तार भी हो रहा है।

जिनका उद्देश्य राज्य को ऐसी शक्तियों द्वारा (जो इसमें पहले के युग में अज्ञान थी) नष्ट हानि से बचाना है, जो राजनीतिक लोकतन्त्र को अपने-आपमें निरर्थक और जनना के वास्तविक भौतिक हितों की प्राप्ति के अयोग्य इसलिए समझती है कि वह अपन स्वरूप से ही उन आर्थिक हितों के द्वारा पहले से ही नियन्त्रित होना है कि जिनका भुकावला वेबलमान्न भनदान-व्यवस्था से नहीं किया जा सकता।

इस समिटिवाद की नीति के, जिनका मार्गरूप में तात्पर्य समृद्धाय के आर्थिक हितों के लिए राज्य के दमनकारी दल का उपयोग है, फलस्वरूप शासन के अवयवों की सम्मान बहुत बड़ गई है, क्याकि इसक परिणामस्वरूप उम्मीदें वृत्त्यों का भारी विस्तार हुआ है। यही कारण है कि आधुनिक विश्व के प्रत्यक्ष प्रगतिशील राज्य में ग्रिटेन में विधान विभाग के समान अनेक नए सरकारी विभाग जैसे वृपि, अम स्वास्थ्य खाद्य, इंधन एवं विद्युत विभाग खुल गए हैं। अब सभी राजनीतिक दल समिटिवाद को न्यूनाधिक रूप में वार्य का सिद्धान्त मानते हैं। इस विषय में संविधानवादियों में मनमेद वेबल इस बान पर है कि समिटिवादी नीति को किन हृद तक से जाना चाहिए। पुरानी विचारधारा को भाननेवाले राजनीतिक दल इस मध्यवन्ध में राज्य द्वारा कुछ हृद तक कार्यवाही किये जाने की बात को मानते हुए भी अपने मुख्य सिद्धान्तों में व्यक्तिकादी ही हैं और इस मिहान्त को मानन से इन्कार करते हैं कि राज्य को उत्पादन के साधनों का स्वामित्व प्रदूषण कर लेना चाहिए। दूसरी ओर, समाजवादियों का विश्वास है कि ऐसा किया जाना चाहिए और राज्य के संविधान में, जिस रूप में हम उस जानते हैं, मूलभूत परिवर्तन बिए किन ही ऐसा बरना भव्यता है। इसके अनिरिक्त, समाजवादियों का यह भी कहना है कि प्रदि संविधानी राज्य इस आर्थिक मार्ग को जो उत्तरोत्तर बढ़नी जाएगी और आपराधिक होनी जाएगी, पूनि वरने में असमर्थ मिह होना है तो उसका स्थान विसी अन्य प्रकार के दमनकारी सामाजिक संगठन को अदृश्य कर लेना चाहिए।

राज्य के आर्थिक संगठन का उप्रनम रूप रूप के साम्यवादी शामन के अधीन रूप के पिछलगू राज्यों में और उसमें भी अधिक लाल चीन में पाया जाता है। दास्तव में, लेनिन के मूल साक्षियन संविधान का राज्य के राजनीतिक संगठन की अपेक्षा आर्थिक संगठन से अधिक सम्बन्ध था। बिन्तु इस बारण वह कम दमनकारी नहीं था। लेनिन वे कथनानुमार म्मी त्रानि ने समाजवाद अद्वा लोकतन्त्र की स्थापना नहीं की थी, बल्कि भवेहारा वर्ग के अधिनायकत्व के द्वारा पोपिन एवं मशानिवासीन समग्रवादी राज्य की स्थापना की थी जो त्रानि के उद्देश्यों की अमिक्ष प्राप्ति के माध्यमाध्य लूप हो जायगा। लेनिन का कहना यह कि अनन्त एक ऐसा दर्गहीन समाज स्थापित हो जाएगा जिसमें किमी भी प्रकार का राज्य अनावश्यक हो जाएगा। बिन्तु स्पष्ट है कि यह जवस्या किमी तक नहीं आ पाई

है, क्योंकि इस में साम्यवादी व्यवस्था का समप्रबाद आज भी लेनिन के ममत्य से कम स्पष्ट नहीं है।

2. आर्थिक परियदों और सोवियते

जिन पाश्चात्य संविधानी राज्यों की हायने बर्बादी की है उनकी एक सामान्य बात यह है कि उनकी सभी निर्वाचन-प्रणालिया वा आधार प्रादेशिक निर्वाचन-शेत्र हैं। इसी बात को सुधारका ने अधिनत्तर राजनीतिक लोकतन्त्र की एक कमजोरी माना है और उनमें से कई का यह विचार है कि यदि इसके स्थान पर नहीं तो कम-से-कम पूरक हृप में इसके माध्य वृत्तिक या व्यावसायिक निर्वाचन क्षेत्र होने ही चाहिए। ऐसी प्रणाली के अधीन निर्वाचक आज की तरह निवास स्थान के जिले की जगह अपने व्यवसाय या वृत्ति के आधार पर मतदान करेगा। इस प्रकार इस प्रणाली के आधार पर आर्थिक हितों पर ऐसा प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाएगा जैसा ऐचल क्षेत्र विभाजन के आधार पर कभी नहीं हो सकता। इम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक तरीका यह सुझाई देता है कि द्वितीय सदन वो नया हृप देना चाहिए, जिसमें वह व्यावसायिक निर्वाचन-क्षेत्रों से रादरय लेकर राष्ट्रीय जीवन के इस पक्ष का प्रतिनिधित्व कर सके और अबर सदन में आज की तरह प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य भी पहुँचते रहें। जैसा कि हम देख चुके हैं, सन् 1937 के संविधान के अधीन आयर में इस विचार को आशिक हृप में स्वीकार किया गया था और सिनेट में वृत्तिक एवं व्यावसायिक समुदायों के प्रतिनिधियों के प्रत्यक्ष निर्वाचित की व्यवस्था वो गई थी।

इसी उद्देश्य की प्राप्ति एक और तरीके से अर्थात् आर्थिक परियदों द्वारा हो सकती है जिनकी आयरिण स्वतन्त्र राज्य (सन् 1922) के मूल संविधान के अधीन और वेमर गणतन्त्र (मन् 1919) में परीक्षा की गई थी और जैसी प्राग में चतुर्थ गणतन्त्र के संविधान के अधीन स्थापित की गई थी और जो पचम गणतन्त्र में भी बनी हुई है।

आयरिण स्वतन्त्र राज्य के संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि मसद—

“राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक जीवन की शाखाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली वृत्तिक या व्यावसायिक परियदों वो स्थापना के लिए उपचान्द्र कर सकेगी।” परन्तु बाद में इस योजना का परित्याग कर दिया गया और उसके स्थान पर उन हितों को सिनेट में प्रतिनिधित्व दिया गया।

बेगर संविधान इससे भी जागे बढ़ गया। उसके अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि भजदूरों को व्यक्तिगत व्यवसायों की भजदूर परियदों में और जार्थिक जिलों के अनुसार एकीकृत जिला भजदूर परियदों में तथा राज्य की भजदूर

परिपद में प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये। इन परिपदों को मालिका के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर, जिला आर्थिक परिपदों और राज्य की आर्थिक परिपदों का नियंत्रण बरना चाहिये।

सामाजिक और आर्थिक विधायन के विषयों से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद् में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, आर्थिक परिपद् के पास भेजने की व्यवस्था की गई थी और आर्थिक परिपद् को स्वयं भी ऐसे विधान का प्रस्ताव करने का अधिकार था। जिस समय हिटलर ने वैमर संविधान के साथ आर्थिक परिपद् को भी समाप्त कर दिया उस समय तक इस योजना ने कुछ प्रगति करती थी। सन् 1949 के सधीय संविधान में उसे स्थान नहीं मिला परन्तु 1921 में पारित एक विधि ने 'सह प्रबन्ध' (Co-Management) या 'सह-नियंत्रण' (Co-determination) के सिद्धान्त की पुष्टि की जिसके द्वारा मजदूरों को समस्त अधिक बड़े उद्योगों एवं व्यवस्थाओं के प्रबन्ध में भाग मिला और जो विशेषकर बोयले, लोहे और फौलाद के उत्पादन को लागू की गई। पश्चिमी जर्मनी के आइचर्यजनक युद्धोत्तर आर्थिक पुनर्स्थान में इस योजना ने निस्सन्देह बड़ा महत्व पूर्ण भाग लिया है।

फ्रान्स में सन् 1946 के संविधान द्वारा एक आर्थिक परिपद् की स्थापना हुई जिसका बायं आर्थिक क्षेत्र से सम्बन्धित विधियों की उन योजनाओं पर विचार करना और परामर्श देना था जो वहस के पूर्व राष्ट्रीय सभा उमके पास भेजती थी। सन् 1958 के संविधान ने भी ऐसी ही एक सभा स्थापित की और उसका नाम आर्थिक एवं सामाजिक परिपद् रखा। जिसका बायं प्रस्तावित विधेयकों पर, 'जब कभी सरकार माँगे', वफ़नी राय देना था।

इस प्रकार यह महान् समस्या हमारे सम्मुख उपस्थित होती है कि क्या राज्य की प्रभुसत्ता को इस प्रकार विभाजित करना सम्भव है। एक लेखक ने स्पष्टता-पूर्वक बहा है कि राज्यसमाजवाद और सधाधिपत्यवाद (Syndicalism) के बीच का कोई भाग नहीं है, अर्थात् प्रभुसत्ता अविभाज्य है, और इसलिए वह अपनी इच्छा या तो एक राजनीतिक अवयव के रूप में संसद् के द्वारा क्रियान्वित होगी जो आर्थिक संस्थाओं द्वारा विसी भी प्रकार का हस्तक्षेप सहन नहीं होगी, हाँ, जहा तक उसने उन्हें स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया हो, वह बात अलग है, या फिर पूर्ण शक्तियोदाली उद्योग संसद् (Parliament of Industry) द्वारा कार्य होगी जो सधाधिपत्यवाद का सार है। यही प्रश्न दो महान—एक राजनीतिक और एक आर्थिक—के सम्बन्ध में भी पैदा होता है—अर्थात्, क्या ये बास्तव में परम्पर समझ निकाय हो सकते हैं? इस प्रकार प्रश्न यह है कि क्या संविधानी राज्य स्वेच्छा से अपनी प्रभुसत्ता में एक समान सत्ता को भागीदार बना सकता है, और यदि वह हिमा के आगे आत्मसमर्पण कर देना है तो क्या फिर भी यह

विरोधी मिद्दान्त के विरह अपना लिया था, जिसे (निरन्तर नाति के मिद्दान्त को) लेनिन की मृत्यु के पश्चात् ल्रात्मकीवादियों ने अपनाया था और स्टालिन ने 'बोल्शेविज़म से असगत' घोषित किया था। बिन्तु तब से कम्यूनिस्ट रूस की आमपास के राष्ट्रों के राजनीतिक और आर्थिक सगठन को प्रभावित करने की शक्ति बहुत अधिक और इस प्रबार बढ़ गई है कि जिसकी समाजवादी राज्य के संस्थापक कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसका मुख्य कारण द्वितीय विश्वयुद्ध में उसकी विजय है। यद्यपि रूस ने इस विजय के लिए जन, धन और साधनों के रूप में भारी मौल नुकाया, बिन्तु, चाहे यह अच्छा हो या बुरा अब रूस पूर्वी योरोप के राज्यों पर हावी है जो आर्थिक पुनर्निर्माण के साधन के रूप में राजनीतिक यद्य का प्रयोग करने की अपनी आवश्यकता के सिलसिले में पाश्चात्य सविधानवाद और सोवियत् समप्रदाद के विरोधी तरीकों के बीच पसे हुए हैं।

3. निगम-राज्य

अब एक और प्रबार का राजनीतिक-आर्थिक सगठन शेष है जिसकी हमको विवेचना करनी है। यह फार्मिस्ट इटली में मुसोलिनी द्वारा और पुर्तगाल में सालाजार द्वारा स्वापित निगम राज्य का प्रयोग है। मुसोलिनी की योजना यद्यपि उसके साथ ही समाप्त हो गई और सन् 1947 के इटली के गणतन्त्र के सविधान में उसके किसी भी तत्व का समावेश नहीं किया गया है, पर भी उसकी कई बातें लोकतन्त्रवादियों द्वारा अध्ययन के अधोग्रह नहीं हैं, हालांकि उसके निर्माण में मुसोलिनी का उद्देश्य सोकतन्त्रविरोधी था। निगम राज्य उस सिद्धान्त पर आधारित था जिसे मुसोलिनी 'राष्ट्रीय सघाधिपत्यवाद' कहता था और इसमें कोई सन्देह नहीं कि राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने से पूर्व के दिनों में सघाधिपत्यवादियों के भाय उसका सहयोग इस सकल्पना के लिए उत्तरदायी था, हालांकि उसका उद्देश्य सघाधिपत्यवाद के अनुसार उद्योग के क्षेत्र में स्व-शासन की स्थापना नहीं बल्कि उद्योग का राष्ट्रीय नियन्त्रण था।

व्यावहारिक रूप में इस योजना का आरम्भ सन् 1924 में हुआ था जब कि इमारी सम्भावनाओं पर चिकार करने के लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में औद्योगिक समस्याओं को हल करने के लिए अन्य राज्यों द्वारा प्रयुक्त पद्धतियाँ—ब्रिटेन के मजदूरसंघवाद, सयुक्तराज्य की न्याम-न्यवस्था, रसी सम्पवाद में प्रयुक्त मार्क्सवादी मिद्दान्त, वेमर गणतन्त्र के सविधान के अधीन जर्मनी में स्थापित आर्थिक परिषदों और उदार लोकतन्त्रवाद—की परीक्षा की। रिपोर्ट के अनुसार इन सब पद्धतियों में एक सामान्य खराकी यह थी कि उनमें राज्य की सर्वोच्चना को क्षीण करने की प्रवृत्ति थी जिस प्रवृत्ति को कि नए निगम-राज्य को हर हालत में रोकना चाहिए। उसमें

आगे कहा गया था कि इटली के पुराने सधाधिपत्यवादी बेवल सर्वहारा वर्ग के हितों की ही उन्नति और सुरक्षा चाहते थे, जब कि पूजीपति लोग, हाथ से काम करने वाले मजदूर तथा दुदिजीवी अभिक वर्ग अपने-आपको पृथक् एवं परस्पर विरोधी और राज्य से ऊपर नहीं तो उसके बाहर के तत्व समझते थे। राष्ट्रीय फासिस्ट सधाधिपत्यवाद इन तीनों वर्गों को समान रूप से राष्ट्रीय हित वे अधीन फारके इस विरोध को समाप्त कर देगा। किन्तु यह बाबा नहीं किया गया कि राज्य में उत्पादन को स्वयं सभाल लेने की योग्यता है। समाज की आर्थिक प्रगति के लिए पूजीवाद और निजी उदाम का अस्तित्व आवश्यक समझा गया था, किन्तु उसके अधिकारों और स्वतंत्रता को भी राज्य की सर्वोच्चता के अनुकूल बनाया जाना आवश्यक समझा गया।

इस रिपोर्ट के आधार पर एक नई सधाधिपत्यीय अधिवा मजदूर सध विधि (Syndical or Trades Union Law) पारित की गई और वह अप्रैल सन् 1926 में प्रवर्तित हुई। इसके पश्चात्, जुलाई सन् 1926 में, एक आज्ञाप्ति जारी भी गई जिसने नए अधिनियम की व्यौरे वार व्यवस्थाओं की पूर्ति भी। अन्त में अप्रैल रान् 1927 में एक अम अधिकार पत्र प्रकाशित किया गया। विधि तीन शांगों में विभाजित की गई। पहले भाग से तीन प्रकार के, अर्थात् गालिको, हाथ से काम करने वालों और बौद्धिक कार्यकर्ताओं के, सिडीकेटों या सधों (Syndicates or Unions) के गठन और नियंत्रण की व्यवस्था की गई। अधिनियम के दूसरे भाग के द्वारा विशेष न्यायालय स्थापित किए गए जो 'अम न्यायालय' (Magistracy of Labour) कहलाते थे और समस्त विवादप्रस्त मामलों को उसके समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य था। अधिनियम के तीसरे भाग के द्वारा समस्त हृदत्तालों और तालाबन्दियों का नियंत्रण कर दिया गया, जिसके उल्लंघन के लिए बाठोर-सें-कठोर दड़ की व्यवस्था की गई।

जुलाई सन् 1926 की आज्ञाप्ति में कहा गया था कि अठारह वर्ष से अधिक की आयु का कोई भी व्यक्ति सिडीकेट में सम्मिलित हो सकता है, "यदि उसका नैतिक और राजनीतिक आचरण अच्छा हो।" अप्रैल सन् 1927 में जारी किये गये अम अधिकार-पत्र (Charter of Labour) में यह भी कहा गया था कि 'वृत्तिक या सिडिक सगठन स्वतंत्र हैं, किन्तु मालिकों और कर्मचारियों का वैध रूप से प्रतिनिधित्व करने का, अपनी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सामूहिक धम-सविदाएं करने का और उन पर चढ़ा आरोगित करने का अधिकार केवल राज्य के नियन्त्रणाधीन और मान्यीकृत संघ को ही है।'

इस प्रकार सन् 1927 तक नए आर्थिक सगठन की नीव अच्छी तरह और वास्तव में रख दी गई थी और ऊपरी ढाँचा बनाना ही रह गया था। इस ढाँचे का निर्माण तीन मजिलों में हुआ। प्रथम, 1926 की विधि के अधीन स्थापित

मालिकों के सिडीकेटों और नौकरों वे सिडीकेटों के बीच राष्ट्रव्यापी सम्बन्ध स्थापित करने के लिये निगम (Corporations) स्थापित किये गये। इनका गठन बाईस राष्ट्रव्यापी आर्थिक कार्यों के मालिकों और कर्मचारियों की समान सम्बन्ध से होना था। अत्येक निगम में किसी भी संस्थान में उत्पादन के क्रम से सम्बद्ध सभी लोग—अर्थात् मालिक और नौकर, वर्चे माल वे उत्पादक, उद्योगी के मालिक और मजदूर, निर्मित माल के व्यापारी, और प्रौद्योगिक एवं वैज्ञानिक विशेषज्ञ—आ जाते थे। इन बाईस निगमों की परियों नवम्बर सन् 1934 में स्थापित हुईं। निगम-राज्य की रचना में अंतिम बदल सन् 1939 में उठाया गया जब कि प्रतिनिधि-सदन को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर 'पासियों और निगमों का सदन' बना दिया गया। इसमें 682 सदस्य थे, जिनके दो तिहाई से कुछ अधिक निगमों के प्रतिनिधि होते थे, जो साधारणतया सिडी-केटों के प्रमुख अधिकारी होते थे। बाकी सदस्य फार्मस्ट पार्टी के अधिकारी होते थे। सदन के लिए विसी प्रकार का निर्वाचन नहीं होता था, अधिकतर सदस्य पदेन सदस्य होते थे, हालांकि चूची (मुसोलिनी) हारा उन सब का अनुमोदन आवश्यक था और इसका काम बेबल परामर्श देना था।

मुसोलिनी के निगम-राज्य की सफलता या असफलता को आनने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि जिस बर्यं अंतिम रूप में उसकी स्थापना हुई उसी बर्यं ऐप योरोप की तरह इटली भी हिटलर के युद्ध में क्रम गया। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वह इटली को पतन से बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मुसोलिनी वे निगम-राज्य का, दुर्बल लोकतंत्र की अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए रामबाण वे रूप में तथा दुनिया के लोकतंत्रीय राज्यों के लिए अपनी संस्थाओं के नवीकरण के लिए प्रेरणा के रूप में, स्वागत किया गया था। ये बातें सही सिद्ध नहीं हुईं, किन्तु योजना में कुछ रचनात्मक बातें अवश्य थीं। राजनीतिक लोकतंत्र की कमजोरी, जैसी हम पाश्चात्य संसार में देखते हैं, यह है कि वह समाज के आर्थिक ढांचे को अधिकतर स्वयं जरना काम करने के लिये छोड़ देता है, और अहा वडे पैमाने पर आर्थिक आयोजन का बार्य भी किया जाना है, जैसा, उदाहरणार्थ, द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् इंटेन में हुआ, वहां विद्यमान राजनीतिक अवयवों का ही प्रयोग किया जाता है। मुसोलिनी की योजना की विशेषता यह थी कि उसने आर्थिक हितों के प्रतिनिधित्व को क्रम से क्रम राष्ट्रीय सभा में पहुंचा दिया। यह सच है कि पासियों और निगमों के सदन को कोई कास्तविक विधायी शक्ति प्राप्त नहीं थी, किन्तु प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों की अपेक्षा वृत्तिक हितों के आवार पर निर्वाचित सदन को ऐसी जकिं से विचित रखना उस योजना का मार नहीं है। बास्तविक जकिं क्षेत्र इस प्रकार के किसी सङ्गठन की योजना में इसी व्यवस्था को आविष्ट करता है, और समदीय व्यवस्था के जो आविष्ट

प्रतिनिधित्व की बिलकुल ही उपेक्षा करती है, बीच का मार्ग प्राप्त हो सकता है।

दृष्टी में निगम राज्य समाप्त हो गया है, किन्तु पुर्तगाल में वह अब भी विद्यमान है, जहा वह एष्टानियो सालाजार द्वारा जो 1932 में प्रधानमन्त्री बना, विकसित एक प्रकार के अधिनायकत्व से भी सम्बद्ध है। सन् 1959 में सशोधित सन् 1933 के सविधान के अधीन राष्ट्रपति सान वर्प के लिए निर्वाचित किया जाता है और प्रधानमन्त्री सिद्धान्त की दृष्टि से उसके प्रति उत्तरदायी है। एक सौ बीस सदस्यों का एक एक-सदनी (नगरनल एसेम्बली) विधानगड़त है। इसके अन्तर्गत एक निगम-सदन (Corporative Chamber) भी है, जिसमें स्थानीय प्राधिकारियों तथा नैतिक सास्कृतिक एवं आर्थिक हितों के प्रतिनिधि होते हैं। हस्यदन वास्तव में द्वितीय सदन नहीं है, यदोंकि उसके पास कोई विधायी शक्ति नहीं है, किन्तु सविधान के अधीन यह व्यवस्था है कि सभस्त विधेयक, राष्ट्रीय सभा द्वारा उन पर अन्तिम भत दिए जाने से पूर्व, उसके पास उसकी राय के लिए भेजे जान धाहिए।

व्यवहार में होता यह है कि सारदोय उम्मीदवार केवल वही होते हैं जिन्हे सरकारी दल खड़ा करता है, और राष्ट्रीय सभा के अधिवेशनों के बीच के लम्बे विश्वामिकाल में स लाजार के निरुद्ध प्रभाव के अधीन सरकार आज्ञित के द्वारा विधान बनाती है। सालाजार के निगम-राज्य के सिद्धान्त के बारे में यह कहा जाता है कि वह मार्केंसवादी साम्यवाद और उदार लोकतन्त्रवाद के बीच सरकार वे सामान्य निरीक्षण के अधीन वृत्तिक समूहों के द्वारा एक मध्यमार्ग निकालने का प्रयत्न है। हड्डालो और लालावन्दियो का निषेध कर दिया गया है, किन्तु दूरारी और पुर्तगालियो को श्रमसंबंधी ऐसी विधिया प्राप्त है जिनका उन्होंने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया था। दूसरे शब्दों में, मजदूरसंघवाद और सामूहिक सौदे की व्यवस्था का समारम्भ किया गया है, किन्तु यह एक ऐसी अधिनायकवादी सत्ता के अधीन किया गया है जिसे पाश्चात्य योरोप के अधिकातर राज्यों के मजदूर कभी भी सहन नहीं करेंगे।

4. योरोपीय आर्थिक मण्डल

आज सलाह में राष्ट्रों की नियन्त्र वर्षमान अन्योन्याधिकारी आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक दिखाई दती है। कोई भी आधुनिक सभ्य समाज बिलकुल आत्मपर्याप्त नहीं हो सकता और कोई राज्य कितनी ही कड़ी से अपनी आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था का संगठन एवं नियन्त्रण यो न करे, वह विश्व आर्थिक शक्तियों की परस्पर निया की उपेक्षा नहीं कर सकता। कोई राज्य कहाँ तक आत्मपर्याप्त हो सकता है,

यह बात मुख्यकर उसके आकार एवं प्राकृतिक साधनों, उन साधनों के विकास के लिये उसके स्वतन्त्रीकी कौशल एवं उपकरण और उसकी राजनीतिक स्थिरता पर निर्भर है। समसामयिक समाज में जो दो राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा आत्मपर्याप्तता की अवस्थाओं के अधिक निवाट पट्टूच गये हैं वे दो महान् अति-शक्तियाँ हैं—अमेरिका का सयुक्त राज्य और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ। उनकी शक्ति इन मूल तत्वों के कारण है कि दोनों विश्वास महाद्वीपीय भू-भाग पर फैले हुए हैं जिसमें तदनुभार विश्वास एवं विविध साधन हैं, जिनका विकास करने के लिये उनके पास साधन हैं और दोनों ही राजनीतिक संघ हैं जो एक ऐसी आर्थिक इकाई हैं जिसके भीतर कोई व्यापार रोध नहीं है।

उत्तर्युक्त बातों से द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद योरोपीय आर्थिक मण्डल (European Economic Community) या सामान्य बाजार (Common Market) के उदय को समझने की कुजी मिल जाती है। दोनों विश्वयुद्धों का इकट्ठा परिणाम, जैसा हमने पहले बतलाया है, विश्व शक्ति के केन्द्रों का स्थानान्तरण और पश्चिमी योरोप को उसके पूर्ववर्ती राजनीतिक एवं आर्थिक प्राधान्य से बचित करना रहा है। पश्चिमी योरोप का द्वितीय विश्वयुद्ध के विनाशकारी प्रभावों से प्रत्युदार 1948 म आरम्भ हुआ जब यूनाइटेड स्टेट्स ने मार्शल सहायता की व्यवस्था की जिसके परिणामस्वरूप अनेक आर्थिक, राजनीतिक एवं सैनिक संगठन बने जिनमें योरोपीय आर्थिक प्रत्युदार के लिये संगठन (Organisation for European Economic Recovery) भी शामिल है जो प्रत्युदार के बायंक्रम की व्यवस्था करने के लिये निर्मित 16 राज्यों वा एक संगठन है। तब 1950 म फ्रान्स के विदेश-मंत्री रॉबर्ट शूमार्न ने 'एक ऐसे संगठन के द्वारे के अन्तर्गत, जिसमें योरोप के अन्य देश भी भाग ले सकें, जर्मनी और मार्सेल के कोयले और फौलाइट के उत्पादन को एक सामान्य उच्च सत्ता (Common High Authority) के अधीन रखने' की एक योजना प्रस्तुत की। सन् 1952 में 6 राज्यों—बेल्जियम, फ्रान्स, इटली, लुबकम्बांग, मैदरलैण्ड्स और पश्चिमी जर्मनी—ने एक सम्झौते पर हस्ताक्षर किये जिसके द्वारा योरोपीय कोयला और फौलाइट मण्डल (European Coal and Steel Community) स्थापित किया गया जिसमें इन बस्तुओं के लिये सभी सदस्य-राज्यों के बीच समस्त व्यापार रोधों को धीरे धीरे हटा देना था।

इस कोयला और फौलाइट मण्डल की सफलता से प्रभावित होकर छह राज्य उसके बायंक्रेत वा विस्तार करने का विचार करने लगे और 1957 में उन्होंने रोम की सन्धि पर हस्ताक्षर किये जिसके द्वारा योरोपीय आर्थिक मण्डल की स्थापना हुई। हस्ताक्षरकारी राज्यों ने ब्रिटिश रूप में सीमांशुलक कम करके व्यापारिक निर्वन्धन समाप्त करके, आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों में तालमेल विठाकर और एक सामान्य हृषि-नीति के लिये कार्य करके अपने राज्यों के बीच

बतंगान आर्थिक अवरोधों को दूर करने का बनन दिया। इस सम्बन्ध में जो विचार-विमर्श हुआ उसके फलस्वरूप एक दूसरी संधि से उसी वर्ष योरोपीय आणविक-शक्तिमण्डल (Curtom) की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर आर्थिक शक्ति के उत्पादन एवं न्यूक्लीयर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और उसमें समन्वय स्थापित करने के लिये आवश्यक तकनीकी एवं औद्योगिक अवस्थाओं का निर्माण करना था।

रोम की सधि वे हस्ताक्षरकर्ताओं को आशा थी कि मण्डल के सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ जायगी और अन्य योरोपीय राज्य भी उसमें सम्मिलित हो सकेंगे। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि 1959 में सात अन्य योरोपीय राज्यों ने एक शिखिल आर्थिक संगठन बनाया जिसका नाम योरोपीय निर्बाध व्यापार समुदाय (European Free Trade Association) था। उसमें ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, डेन्मार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन और स्विट्जरलैंड शामिल थे। यद्यपि इस संगठन को 'बाहरी सात' कहा जाता था तो भी वह सामान्य बाजार के 'छ' का विरोधी नहीं बल्कि पूरक ही था। ऐसा कोई अन्तर्निहित वारण नहीं था कि उनमें से कोई या सभी अन्त में योरोपीय आर्थिक मण्डल में सम्मिलित नहीं हो जायेंगे, हालांकि प्रवेश नी शर्तों की व्यारे की बाते से करना बठिन हो सकता था, जैसा ब्रिटेन के मामले में सिद्ध हुआ जिसने 1961 में प्रवेश के लिये आवेदन किया पर जिसे 1963 में 'छ' से बार्टा बन्द कर देनी पड़ी।

रोम की संधि का तात्कालिक प्रयोजन हस्ताक्षर करनेवाले राज्यों का एक सोमा कर सघ (Customs Union or Zollverein) स्थापित करना था। परन्तु संधि की भाषा में कुछ राजनीतिक उद्देश्य उपलक्षित थे जो बहुत गहरे थे। 1950 में अपनी योजना थी रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए रॉबर्ट शूमॉन ने कहा था—'कोपले और फौसाद के उत्पादन के एकत्रीकरण से योरोप के राज के निर्माण की दिशा में प्रथम बदम के रूप में आर्थिक विकास के लिये सामान्य आधारों को प्रस्तुत करने की तात्कालिक व्यवस्था होगी। यह चरम राजनीतिक लक्ष्य योरोपीय आर्थिक मण्डल के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में स्पष्ट होता रहा है। वास्तव में, उसके आर्थिक कार्यों के कुशल निपादन के लिये उसने राष्ट्रीय राज्यों की सरकारों के तीन विभागों—कार्यपालिका, विधानमण्डल और न्याय-पालिका—के अनुरूप स्थापित करली हैं। प्रथम, एक मन्त्र-परिषद् (Council of Ministers) है जिसमें प्रत्येक सदस्य राज्यों की आर्थिक नीतियों में समन्वय स्थापित करना है। द्वितीय, एक संसदीय सभा (Parliamentary Assembly) है जिसका निर्वाचन सदस्य राज्यों की समदेव विभिन्न अनुपातों में करती है और जो सामान्य विचार-विमर्श एवं नियन्त्रण के लिये एक यद्व का

काम करती है। तृतीय, एक न्यायालय है जिसमें प्रत्यक्ष सदस्य-राज्य के न्यायाधीश होते हैं और जिसका कार्य मडल-सन्धियों के प्रयोग एवं उनकी व्याख्या में विधि का सुरक्षण करता है।

स्पष्ट है कि यह समठन ऐसा है जो राजनीतिक प्रयोजनों के अनुकूल बनाया जा सकता है जैसा 1961 में फ्रेंच सरकार द्वारा प्रारूपित 'योरोपीय राज्यों के सघ' की स्थापना के निमित्त प्रस्तावित संधि में दृष्टिगोचर हुआ था। यही रामान्य बोजार का चरमलक्ष्य है। वह इनिहास में एक ऐसे आधिक सघ का प्रथम दृष्टान्त नहीं होगा जिसमें सघ-राज्य के लिये सारभूत आधार प्राप्त होता है और यदि योरोपीय आधिक मडल में से स्थायी सघ का प्रादुर्भाव हो सका तो उससे परिवर्ती योरोप दो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और इस प्रकार वह विश्व शान्ति को कायम रखने में सच्चे अर्थ में रचनात्मक योगदान करेगा।

संयुक्त राष्ट्र का चार्टर

१ अन्तर्राष्ट्रीयोपता की योजनाएँ

प्रेसीडेंट विल्सन न मई मन् १९१७ में इम की अस्थायी भरवार को प्रेपिन अपन सदेश में पह आज्ञा प्रकट की थी कि उम ममद हो रह पृथ्वे के पतनवन्मय भानव-आतृत्व का निदान केवल एक मुन्दर बिन्दु खोबला गव्ह न रहकर एक शक्तिशाली और वास्तविक नय्य हो जाए। जनवरी मन् १९१८ में विल्सन ने अपने चौदह शत्रों की घायाजा की। चौदहवें सूत्र में एक राष्ट्रमध्य बनाने अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय शानि के आदर्श को स्थायी अदबों वाली सत्या में मूर्नं स्वप देने की अर्थात् सक्षेप में, एक राज्य के अन्दर शामन और शानिनों के थीच सदगा को निहणिन वरने वाले जिन राजनीतिक सविधानों की हमने अभी परीक्षा की है उनसे समान ही विभिन्न राज्यों के थीच मदगों को समायोजित वरने वाले एवं राजनीतिक राविधान वा निर्माण करने की माग की गई थी। राष्ट्रमध्य का प्रयोग अमरकृत रहा। बिन्दु दूसरे विवरभूत के दोरान इम प्रकार के एक अन्तर्राष्ट्रीय सविधान के लिये योजनाएँ प्रन्तुन हुईं जिनके अधिक सफल होने की आज्ञा थी। इसी प्रयत्न के फलस्वरूप संयुक्त राज्य का जन्म हुआ। बिन्दु पिछले राष्ट्रमध्य की तरह संयुक्त राष्ट्रों की योजना भी अन्तर्राष्ट्रीयता की योजनाओं के मुगों में चल रहे विचार की केवल एक अवन्या है। नव तो यह है कि एकता और फार्म-चारे का आदर्श पारचात्य सम्पत्ता के मूल में निहित दो परम्पराओं, अर्थात् रोमन साक्षात्य की वास्तविक एकता तथा 'विश्व में शानि, मानवों के प्रानि वद्भाव' के प्रेरक मसीही सदेश से व्युत्पन्न होता है। इम प्रकार हम देखने हैं कि जब से राज्यों की आघुनिक प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ है तब से प्रत्येक बड़े सम्पर्क के पश्चात् मुद्रा के लिए नालिनों के निर्माण की माल वराकर होती रही है। सामान्यतया, इम माग का नार यही है कि जिन प्रकार छोटी राजनीतिक इकादयों (राज्यों) में व्याप्तिगत नानरिक गांगरेण विधि और व्यवन्या के अप्रीन होने हैं, उसी प्रकार विभिन्न राज्यों को आपन में विधि और व्यवन्या की ऐसी ही प्रणाली के अप्रीन होना चाहिए। आरम्भ में ऐसे निदान कुछ बुद्धिजीवियों की पुनर्जों के पृष्ठों से आगे नहीं बढ़े, और कई लेखक ऐसे हुए हैं जिन्होंने ऐसे दृष्टियों

की प्राप्ति के लिए बागजी योजनाएं बनाई, उदाहरणार्थ, चौदहवीं शताब्दी में पिमर शुब्राय, सोलहवीं शताब्दी में इरास्मस, सत्त्वाहवीं शताब्दी में हेनरी बॉफ नवारे, बठारहवीं शताब्दी में एवं द सेट पिमर, रसो और बाट। नेपोलियनी यूदों के पश्चात् दूसरी मिलियन आई जो बास्तविकता के अधिक ममोप थी, और जनराष्ट्रीय संगठन की व्यावहारिक योजनाएँ कुछ आदर्शवादियों तक सीमित न रहकर प्रभावशाली शक्तियों और शक्तियों के अधीन पृथ्वी गईं।

इम प्रकार योरोपीय राज्यमण्डल का प्रारंभिक हुआ। उसका आरम्भ हम के सप्ताह की प्रेरणा से, पवित्र मैत्री (Holy Alliance) के नाम से, सप्ताहों के ईमाई आनन्दव के स्प में हुआ, जिन्हु चूकि यह आनन्दिया, हम और प्रशा इन सीन शक्तियों तक ही सीमित था, अन्, वह विहृत होकर योरोप के छोटे राज्यों में उदीयमान उदारवाद को कुचलने के लिए एक यत्र मात्र बन गया। जिन्हु जिम स्प में ब्रिटेन के विदेशमन्त्री बैमलरी ने इसका जोरदार ममर्यन किया था उम स्प में यह योरोपीय राज्यमण्डल बड़ी शक्तियों के मामधिक सम्मेलनों की व्यवस्था के द्वारा शान्ति बनाए रखने का बही अधिक प्रभावपूर्ण साधन बन मवता था। यह योजना मन् 1814 से लेकर मन् 1822 तक चली, किन्तु जन्म में ब्रिटेन को इससे बलग हो जाना पड़ा, क्योंकि बेट्टरनियर इसका अपने निरकुण प्रयोजनों के निए प्रयोग करने पर तुला हुआ था और इम प्रकार बीरोना के सम्मेलन और बैनिंग के विदेशमत्ती बन जाने के साथ ही सम्मेलनों के युग का अन्त हो गया और उमके माय ही किसी-न-किसी प्रकार के योरोप का मष बनाने की यत्किञ्चिन् आज्ञा भी समाप्त हो गई। किन्तु योरोपीय राज्यमण्डल इस प्रारंभिक काल के पश्चात् भी जीवित रहा, हालांकि उमका स्वम्प बहुत कीण हो गया था और ममव-ममय पर पूर्वीय प्रश्न जैसी ममव्याओं से, विशेष स्प से सन् 1878 में, निष्ठने के लिए सम्मेलन होने रहे। किन्तु मन् 1914 के युद के आरम्भ होने से पूर्व के दिनों में जब वि दूसरी अत्यन्त आवश्यकता थी और जब वि निरस्तर राजनीतिक सघर्य चल रहा था, उसे पुनर्जीवन करना कठिन था, क्योंकि वह बिन्दुल ही निपक्ष्य हो चुका था।

इम बीच शम्खों के स्थान पर राजनय में नाम लेने की एक और बोशिश हो चुकी थी और इम बार भी यह प्रयत्न हम के एक जार वे द्वारा हुआ था। यह प्रयत्न हेंग सम्मेलनों द्वारा हुआ। मन् 1899 में 26 राज्यों के दूनों का हेंग में सम्मेलन हुआ जिमका उद्देश्य शम्खों को सीमित बरना, पुढ़े के नियमों के मानवीय बनाना, और जनराष्ट्रीय विवादों के पक्षा द्वारा मध्यस्थना एवं पञ्चनियं वे माध्यना को वपनाना आदि प्रश्ना पर विचार बरना था। इम सम्मेलन में तीन अभिमपय (Conventions) तैयार किये गये जिनका ममी दही शक्तियों न विशिष्टवंक अनुयमयन किया। दिनोंप हेंग सम्मेलन मन् 1907 में हुआ, जिनमें 54 राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इम सम्मेलन ने पहले सम्मेलन

द्वारा प्रस्तुत विधान (यदि उसे ऐसा बहा जाए) की व्याख्या वी और स्मृतिपत्रों और करारों का एक विशाल संकलन प्रस्तुत किया। हेंग सम्मेलन निस्सदेह ही भावी आनंदोलन के अप्रदूत की तरह लाभरारी रहे, किन्तु उनके नियम में प्रभाव-कारिता का अभाव था और शस्त्रों की टक्कर में उनके नियम प्रभावशून्य रहे। सधेप में, हेंग सम्मेलन का वोई संविधान नहीं था। इसके अतिरिक्त ये राष्ट्रमेलन ऐसे समय में शाति का भवन निर्मित करने का प्रयत्न कर रहे थे जब कि राजनय न एक अन्य योजना—शक्ति-संलग्न—पर विश्वास करना आरम्भ कर दिया था, जिसने अन्त में युद्ध अनिवार्य कर दिया क्यांडि उसका आधार विरोधी मैत्रिया वाली अभिशास्त्र प्रणाली थी।

प्रथम विश्वयुद्ध के पलस्वस्थ अन्तर्राष्ट्रीय याजनाओं के विकास में एक तीसरी मजिल आई। पहली मजिल में इस उद्देश्य की प्राप्ति के सारे प्रयत्न बुद्ध आदशवादियों तक तथा दूसरी में प्रमुख व्यक्तियाँ तक ही सीमित थे, जिन्हें युद्ध के कारण और जसके पश्चात आने वाली इस तीसरी मजिल में एक वास्तविक विश्व-संगठन की स्थापना प्रत्यक्ष प्रगतिशील राज्य के अधिकाधिक नागरिकों का उद्देश्य बन गया। युद्ध के उत्तराह्न के द्वीरान ऐसी योजनाएँ प्रस्तुत करने का त्रैम जोरा से चलता रहा, जिनका उद्देश्य तब तक प्रस्तुत की गई योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तुत शाति-साधना से अधिक स्थायी और प्रभावी शाति-साधन निर्मित करना था। इस प्रकार शाति के अभिन्न अंग के रूप में ऐसे साधन की स्थापना का निर्णय किया गया।

2 राष्ट्रसंघ

राष्ट्रसंघ की प्रसविदा में 26 अनुच्छेद थे और उस विजयी मिक्रोराष्ट्रा तथा जर्मनी और उसके साथ ही पराजित हुए देशों के बीच होनेवाली वर्साई की तथा अन्य संधियों में पहला स्थान दिया गया था, जिससे कि संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रत्येक राज्य संघ का समर्थन करने के लिए बाध्य था। प्रसविदा पर बारम्ब में 27 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए और वह जनवरी सन् 1920 में प्रवृत्त हुई। सन् 1921 में संघ के सदस्य राज्यों की संख्या 48 थी, और उस समय से लेकर सन् 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध के छिड़ने तक सदस्य देशों की संख्या नए राज्यों के सम्मिलित होने तथा पुरानों के अलग होने के अनुसार घटती-बढ़ती रही। उदाहरणार्थ, जर्मनी सन् 1926 म, तुर्की 1932 में, सोवियत् संघ 1934 में और मिश्र 1937 में सदस्य बने, दूसरी और जर्मनी और जापान 1933 म, इटली 1937 में, हगरी और रूस (रूस और फिल्हैड के बीच युद्ध छिड़ने पर) 1939 में संघ से अलग हो गए। प्रेसीडेंट वित्सन के समर्थन के बावजूद संयुक्तराज्य उसका सदस्य नहीं बना और उसने संधि तथा प्रसविदा दोनों को नहीं माना।

किन्तु अमरीका के सदस्य बनने से इन्वार करने के बावजूद राष्ट्रसभा भवय-समय पर 50 राज्यों अर्थात् विश्व की कुल जनसंख्या के समान 75 प्रतिशत तथा पृथ्वी के भू-बड़े के समान 65 प्रतिशत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बद्धि रहा।

प्रश्नविद्वा के अनुच्छेद 1 में सदस्यता के नियम दिए गए हैं। किमो भी पूर्णत स्व-ग्रामी राज्य या डोमिनियन को मध्य वरना सदस्य बना सकती थी, बशर्ते कि वह चिह्न गारटी दे सके। वो में लेकर नात तक के जनूच्छेदों और अनुच्छेद 14 में सघ के अवयवों की चर्चा की गई है, चूंकि ये अवयव आज के समुकाराष्ट्रसभ के अवयवों के पूर्वज हैं, अन उनकी विस्तारपूर्वक परोक्षा करना लाभदात्र होगा। राष्ट्रसभ के चार मुख्य अवयव इस प्रकार थे मध्य, परिपद्, मध्यवालय और न्यायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये जबकि मोटे तौर से शासन के तीन जावस्त्रक जगों में मिलने-जुलने थे, जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं और जो क्रियान्वयन, व्यापारिक, और न्यायपालिका कहलाते हैं। मध्य एक प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय मनद थी, हालांकि उनका नामाञ्जित्य वर्ष में बैठक एक जलवालीन जगिवेशन होता था। परिपद् की मत्रिमढ़िल से तुलना नहीं की जा सकती यद्यपि उम्बें कुछ कार्यकारी इस्य होते थे। वह तो एक प्रकार की विचार-विभाग करनेवाली सम्बा थी, जिसके विशेषज्ञ मध्य की अपेक्षा जामानी से जिए जा सकते थे। मध्यवालय काफी हद तक राज्य की असैनिक मेत्रा से मिलना-जुलना था और वह पद्धतिगतिरियों का एक स्थायी निकाय था। न्यायी न्यायालय कम-मेकम असैनिक विधि के धैत्र में राज्य की न्यायपालिका से लगभग उनका ही मिलना-जुलना था जिनका वाम्बिक या मध्यवाल्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रभाग में सम्भव हो सकता था।

मध्य में प्रदर्शन सदस्य राज्य के अधिक-में-अधिक तीन प्रतिनिधि होते थे, हालांकि इसमें भी मामले पर उम राज्य की ओर में बैठक एक प्रतिनिधि मन के महत्वा था। उनकी बैठक सात में कम-मेकम एक बार कोई तीन मणाह के लिए होती थी (आवश्यकता पड़ने पर अधिक बैठकें भी की जा सकती थीं)। मध्य में सघ के कार्यक्षेत्र के बलगंत विवरणिकों को प्रभावित करन वाले किसी भी विषय पर वहम की जा सकती थी। परिपद् में पाच न्यायी और नौ अस्थायी सदस्य होते थे (जिन्हुंने य दाना सम्भाए सघ की बदलनी हुई सदस्यता के अनुमार बदलते रहती थी)। न्यायी पाच सदस्य बड़ी शक्तियों का और अस्थायी सदस्य छोटे राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। अस्थायी सदस्यों का नीन वर्ष के लिए निर्वाचित होता था। परिपद् को बैठकें जावश्यकतानुसार कभी भी की जा सकती थी, जिन्हें व्यवहार के साझेदारों द्वारा एक वर्षे में जार किये होते थे। परिपद् को प्रतिनिधि मध्य की शक्तियों के ही समान थी, परन्तु वाम्बिक में, चूंकि उसकी बैठकें

अधिक होती थी और आमानी से हो गवर्नी थी इस कारण वह बाद में सभा के समक्ष रखे जानेवाले मामला पर विस्तारपूर्वक विचार किया करती थी।

सचिवालय, सघ में स्थायी स्थान जेनेवा में, स्थायी रूप से नियुक्त वैतनिक पदाधिकारिया का एक पूर्णत अ राजनीतिक निकाय था। महासचिव (Secretary General) समेत सचिवालय के समस्त मद्दत्य जपन-जापन राज्यों के प्रतिनिधि न होकर सघ के सेवक होते थे। प्रशासन के प्रयाजना के लिए सचिवालय तीन मुख्य शास्त्राओं में विभक्त था। विशेष कार्यों से सबद्ध अनेक उप-महासचिवा सहित सामान्य सचिवालय (General Secretariat), मूलना, परिवहन और सचार जैसे विषयों से सबध रखने वाले टेक्निकल विभाग, चित्त, पुस्तकालय और रजिस्ट्री से सबद्ध प्रशासनिक विभाग। गचिवालय के मुख्य कार्य थे, समस्त गद्य राज्यों से समान हित रखने वाले विषयों को छानबीन करना, स्थायी प्रबार के प्रतेका (documents) का निर्माण करना, और परिपद तथा सभा के समक्ष रखने के लिए प्रतिवेदन तैयार करना।

स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का सगठन प्रसविदा के अनुच्छेद 14 में दिए गए निर्देश के अनुसार किया गया था। उम्मा सविधान प्रसविदा से सलग एक लम्बे स्लेष में निर्धारित किया गया था, और वह सन् 1921 में स्थापित हुआ। इसमें 11 न्यायाधीश होते थे, जिनमें से 5 न्यायाधीश लैटिन राज्यों का, 3 जर्मन और स्कॉडिनेवियार्ड रामूह के राज्यों का, 2 लोक विधि वाले राज्यों (निटेन, प्रिटिश डॉमिनियन, और सम्मिलित होने की अवस्था में समुक्तराज्य) का प्रतिनिधित्व करते थे और एक एशिया के लिय था। प्रसविदा के अनुच्छेद 13 के अनुसार यह न्यायालय केवल ऐसे विवादों को तय करने के लिये सक्षम या जा उसके समक्ष पेश किए जाए, हालांकि वह पक्षों की प्रारंभना पर मध्यस्थता भी कर सकता था। न्यायालय का स्थायी कार्यालय सघ के मुख्य कार्यालय जेनेवा में न होकर पुराने हुग मम्मलन हारा स्थापित स्थायी न्यायालय के परम्परागत स्थान हेंगे था।

एक अन्य संस्था जो सघ के ढांचे के भाग के रूप में स्थापित की गई थी और जेनेवा में उसके अन्य अवयवों के साथ-साथ काम करती थी, अन्तर्राष्ट्रीय थम सस्था थी। ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सगठन की योजना थम अधिकार-यत (Labour Charter of Rights) से उत्पन्न हुई, जो कि सघ की प्रसविदा की तरह ही वर्साइ दी सधि का एक अग बना दिया गया था। इस प्रकार इतिहास में यह पहला अवसर था जब वि राष्ट्रीय गरकारों के द्वातों वे सम्मेलन में समस्त विश्व में थम के द्वावा और स्थायी शाति में उत्तरे सहमोरग का महत्व त्वीकार किया। सघ की सभा वी ही तरह अन्तर्राष्ट्रीय थमसस्था भी ऐसे प्रस्ताव निर्मित करने के लिए प्रत्येक वर्ष सम्बेद होती थी, जो बाद में सघ के मद्दत्य राज्यों के विचार और

अनुमोदन के लिए भेजे जाते थे। हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय अमस्या विभिन्न राज्यों के अन्तर्गत अम और उच्चोग की दिन प्रतिदिन वी समस्याओं से बहुत दूर अतीत होती थी, किंतु उसने अन्तर्राष्ट्रीय समस्या के आधिक पहलू से सबद्ध सूचना एकत्रित करने और वितरित करने का महत्वपूर्ण काम किया। वास्तव में, यह समस्या इतनी सक्रिय और रंजीद हो गई थी कि द्वितीय विश्वयुद्ध के छिड़ने पर भी उसका अस्तित्व बना रहा और सन् 1940 में अपना मुख्यालय हटाकर मॉन्ट्रीयल ले गई। युद्ध के बाद से उसका संयुक्तराष्ट्रसभ से सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है और वह अपने मूल स्थान जेनेवा में लौट आई है।

रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात् से विश्वशाति बनाए रखने के लिए विस्तीर्णी भी अन्य व्यावहारिक योजना के मुकाबले में राष्ट्रसभ के सविधान की सफलता भी आशा इस बात में थी कि उसके अवयवी की स्थायी रूप से स्थापना की गई थी, क्योंकि उसके निर्माता इस बात का अनुभव करते थे कि काति के बल अभावात्मक नहीं है, जो अन्तर्राष्ट्रीय संघों के बीच के काल में होती है, बल्कि एक भावात्मक मनोवृत्ति है जिसका विश्व के राष्ट्रों में धीरे-धीरे और प्रयत्न के साथ निर्माण करना चाहिए। सभ के सविधान ने ऐसे साधन की व्यवस्था कर दी थी, उसको कियान्वित करना राष्ट्रों के हाथों में था।

अपने जीवन के पहले दस वर्षों में राष्ट्रसभ ने अत्यन्त बहुमूल्य कार्य किया और अन्तर्राष्ट्रीय बीच-बीच और सहायता के एक साधन के रूप में उसने बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की। सन् 1923 में उसने इटली और यूनान के बीच एक विवाद का निर्णय किया, जो अन्यथा सरलता से युद्ध में परिणत हो सकता था। उसी वर्ष इसने आस्ट्रिया और हुगरी के आधिक पुनरुद्धार में ठोस सहायता की, जिनको सधियों ने पुराने 'जीर्ण-शीर्ण साम्राज्य' के अवशिष्ट भाग से और एक-दूसरे से जबरदस्ती अलग कर दिया था। इसके अतिरिक्त, सन् 1923 में सभ ने एशिया माइनर से आए शारणाधियों को लौसाँ की सधि की शर्तों के अनुसार यूनान में वसाने के जटिल कार्य का निरीक्षण किया। सन् 1925 में इसने यूनान और बलगेरिया के बीच एक सीमा सबधी झगड़े को तम किया। इसी दौरान उसने सधि के अधीन अन्य दायित्वों को भी पूरा किया, जैसे प्रादेशाधीन प्रदेशों को, जो पहले के जर्मन उपनिवेश थे, विभिन्न राज्यों में बाटना और उनकी देख-रेख

खाना, तथा डाजिंग के स्वतन्त्र नगर के जैसे अन्तर्राष्ट्रीय शासनों का समर्थन करता। इस बीच सचिवालय भी अम और स्वास्थ्य जैसे प्रश्नों के अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं से सम्बद्ध सूचना प्रक्रिया वरने और श्वेत-दास व्यापार तथा अपकारक औषधियों के कथ वित्रय को रोकने या विनियमित करने के लिए नियम बनाने के अपने कार्य में शांघाता के साथ आर्द्ध बढ़ा। सर्वोप में, राष्ट्रसभ तथ्यों वा भडार और वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में विचारधाराओं के आदान-प्रदान का अनुपम

साधन बन गया। इस कार्यक्रम में गोरोप एवं समस्त विश्व के लिए उसके अत्यधिक नाभदायक सिद्ध होने की आशा थी।

युद्ध के निकारण के लिए प्रस्तुत की गई मर्दाधिक विवादास्पद योजना अनुच्छेद 16 में प्रस्तुत की गई थी। यह इतनी महत्वपूर्ण है कि इमका पूरा उद्धरण बरना अधिक उपयुक्त होगा।

"यदि सध का कोई सदस्य 12, 13 या 15 अनुच्छेदों के अधीन प्रसविदाओं की अवहेलना करते हुए युद्ध करेगा तो वस्तुत यह नमज्ञ जाएगा कि उनके सध के समस्त अन्य सदस्य-देशों वे विरुद्ध युद्ध की कार्यवाही की है और वे सदस्य-देश इसके द्वारा यह बचत देते हैं कि वे उसके साथ समस्त व्यापारिक या वित्तीय सम्बन्ध तोड़ देंगे, अपन राज्यक्रमों में रहने वाले व्यक्तियों और प्रसविदा भग करने वाले देश के व्यक्तियों के बीच विसी भी तरह के समागम वा नियंत्रण वरेंगे, और प्रसविदा भग करनेवाले राज्य के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों जौर विभी अन्य राज्य में, चाहे वह सध का सदस्य हो या न हो, रहनेवाले व्यक्तियों वे बीच किसी भी प्रकार वा वित्तीय, वाणिज्यिक या वैष्यकिक समागम रोक देंगे।

"इस बात का नियंत्रण वि प्रसविदा का भग हुआ है या नहीं, परिपद करेगी। परिपद में इस प्रश्न पर विचार करते समय सध के उन सदस्यों के, जिन पर युद्ध करने का आरोप होगा, और, उन सदस्यों के जिनके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की गई होगी, मत नहीं माने जाएंगे।

"परिपद सध के सन सदस्यों को उस तारीख की मूलना देगी जिस तारीख से कि वह इस अनुच्छेद के अधीन आर्थिक दबाव लागू करने की सिफारिश करेगी।

"निन्तु परिपद निन्हीं विशिष्ट सदस्यों के मामले में इनमें से विसी भी कार्यवाही के प्रवर्त्तन को विसी उल्लिखित अवधि के लिए स्थगित कर सकती है यदि उसे विश्वास हो कि ऐसे स्थगन से उन उद्देश्यों की, जो पूर्व-गामी पैरा में उल्लिखित हैं, प्राप्ति में आसानी हो जाएगी या वैसा बरना ऐसे सदस्य-देशों को होने वाली असुविधा और हानि को कम करने के लिए आवश्यक है।"¹

सध के उद्देश्य की सचाई और उसकी शक्ति की वरस्तविकता को अतिरिक्त परीक्षा तब ही जब कि उसके समक्ष अपने एक सदस्य को दूरारे राष्ट्रों के आक्रमण से बचाने की समस्या उपस्थित ही है। ऐसे दो अवसर आए और इन दोनों में सध

¹ ये उद्धरण सन् 1922 में परिपद और सभा द्वारा सघोधित मूल पाठ से दिए गए हैं।

विलकूल असम्भव रहा। सबसे पहला अवसर मन् 1931 में आया जब जापान ने चीन के मचूरिया प्रान पर कब्जा कर लिया, हालांकि उस समय जापान और चीन दोनों देश सध के सदस्य थे। चीन ने सध से महत्वना वी मार्ग बी, किन्तु सध कुछ न कर सका और मचूरिया जापान के पास ही बना रहा। दूसरा अवसर सन् 1935 में आया जब कि मुसोलिनी न जर्बीसीनिया पर हमला कर दिया। ये दोनों देश सध के सदस्य ही नहीं थे बल्कि जर्बीसीनिया को सदस्य बनाने का प्रस्ताव स्वयं इटली ने किया था। हमला होने पर सध ने जर्बीसीनिया की अपील मुनी और इटली को हमलावर घोषित किया, किन्तु वह अनुच्छेद 16 के अधीन जारीक अनुशास्त्रियों को प्रवर्तित करने के प्रयत्न में विलकूल असफल हो गया। इटली द्वारा द्वियोपिया पर किए गए वलाल्कार के सम्बन्ध में कुछ न कर सकने में सध बी प्रतिष्ठा को जो ध्वना पहुँचा उससे वह कभी भी सम्पल न सका। इसके प्रश्नात् प्रसविदा को सुपारने की कुछ काशियों की गई, किन्तु दिन-प्रति-दिन विगड़नी हुई जनराष्ट्रीय स्थिति की ठोस वास्तविकताएँ के मुकाबले में, जिनके फलस्वरूप जन्म में सन् 1939 में फिर युद्ध भड़क उठा, इस सम्बन्ध में पारित प्रस्तावों का महत्व केवल संदर्भित ही रहा।

सध के और सामूहिक सुरक्षा की जिम्मेवाली को निर्मित करने के लिए उसने इतना सन् 1937 परिषम किया उम्में पनन और अवमान के कारण स्पष्ट है। अपने जारम्भ से ही सध के समक्ष सम्युक्तराज्य की सदस्यना के अभाव की अलघोंगी वाधा रही, जिसके महयोग के बिना वह कभी भी वास्तविक स्पष्ट में प्रभावी नहीं हो सकता था। इसके अतिरिक्त तीन बड़ी शक्तियों—जापान, जर्मनी और इटली—के उम्में पलग हो जाने से (हालांकि इस दीच स्पष्ट उम्में मम्मिलिन होगा था) वह अपने मूल स्पष्ट का छिनावनेव भाव, वास्तव में, युद्ध पर तुले हुए राष्ट्रों के एक गृहु के विश्व शानि चाहनेवाले राष्ट्रों का एक समूह मात्र रह गया। सध के पास धन एकत्रित करन की शक्ति नहीं थी और वह सदस्य-देशों के दान पर निर्भर रहना था। उम्में अधीन कोई सैनिक बल नहीं था और वह अपने बायदों को पूरा करने में नदस्यों की मरजों पर निर्भर रहना था। उसकी विप्रि को, अन्तिम विश्वेषण में, बेवल नैनिक सत्ता प्राप्त थी, और ज्यों ही वहे राज्य उस नैनिक सत्ता बी अवहेलना करने को तत्पर हो जाने थे त्यो ही भमस्त योजना खड़िग हो जाती थी। दूसरे शब्दों में, सध के पास प्रभुमत्तात्मन शक्ति का अभाव था, जो असुरा स्पष्ट में उम्में प्रत्येक सदस्य-देश के पास बनी हुई थी।

3 संयुक्त राष्ट्र के अवयव

संयुक्त राष्ट्र का असूच्य द्वितीय विश्वयुद्ध में भृष्टान्त जैकी (फ्रान्स) के स्पष्ट में हुआ। 'संयुक्त राष्ट्र' शब्द का जोपचारित प्रयोग पहली बार एक

अन्तर्राष्ट्रीय वरार में बिया गया। यह संयुक्त राष्ट्रों ने संयुक्त घोषणा थी, जिस पर युद्धरत 26 राष्ट्रों ने जनवरी सन् 1942 में बांशिगटन में हस्ताक्षर किए। इस बांशिगटन घोषणा पर हस्ताक्षर उठने वाले देश, इससे पहले अगस्त में ममुद्र में किए गए अर्थे एक सम्मेलन में पश्चात्, निटेन ने प्रधानमंत्री और अमरीका ने प्रेसोंडेंट ड्वारा जारी किए गए अटलाटिंग चार्टर में उल्लिखित उद्देश्यों और गिरावतों को स्वीकार करने के लिए सहमत हूए। अटलाटिंग चार्टर म आठ बातें थीं और यह घोषणा की गई थी कि अमरीका और निटेन अपना विस्तार नहीं बढ़ाते, ऐसे प्रादेशिक परिवर्तन नहीं चाहते जा सकते जब नगमुदाय की दृच्छा के अनुकूल न हो, समस्त जन-गमुदाय के अपनी दृच्छा के अनुरूप अपनी सरकारें बनाने के अधिकारों का सम्मान करते हैं इस बात का भरपूर प्रयत्न करेंगे कि सब लोग समानता के आधार पर विश्व के व्यापार में भाग ले सकें और बच्चा माल प्राप्त कर सकें, समस्त समाज में श्रमिकों के लिए अधिक अच्छा स्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, नाजी आतंक नो नष्ट करने के पश्चात् ऐसी शांति स्थापित करने की कामना रखते हैं जिससे समस्त राष्ट्रों को शांति और सुरक्षा के साथ रहने की आशा हो सके और सब लोगों द्वारा समुद्रों में बिना रोकन्टोक आने-जाने का अधिकार प्राप्त हो सके, तथा अपनी गारी शक्ति लगाकर यह प्रयत्न करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय जगड़ों का निपटाने के साथसे वे हण में आत्ममग और बलप्रयोग ना लोप हो जाए।

बांशिगटन घोषणा के पश्चात् अक्टूबर सन् 1943 में मास्को में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें रूस, संयुक्तराज्य, निटेन और चीन के प्रतिनिधियों ने मास्को घोषणा के नाम से ज्ञात एक अभिसम्य पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा के अनुच्छेद 4 में कहा गया था कि "चारों देश अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक ऐसे सामान्य अनार्टिंग संगठन की यथाशीघ्र स्थापना की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, जिसका आधार समस्त शांतिप्रिय राज्यों की प्रभुसत्तात्मक समानता का सिद्धात हो और जो ऐसे समस्त राष्ट्रों के लिए युक्त हो। लगभग एक वर्ष पश्चात् नवम्बर सन् 1944 में अमरीका में डम्बर्टन ओफिस में इन्हीं चार देशों के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में प्रस्तावित संगठन का वास्तविक ढाढ़ा अनौपचारिक रूप से तैयार किया गया और यह तथ्य किया गया कि प्रस्तावों को चार्टर के नाम से ज्ञात एक संधि का रूप दिया जाए और संगठन का नाम 'संयुक्त राष्ट्र' रखा जाए। डम्बर्टन ओफिस में निरूपित सिद्धान्त पर्वती सन् 1945 में याल्टा (त्रीमिया) में स्टालिन-रूजवेल्ट-चर्चिल वार्ता में कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार किए गए और अन्त में मूल रूप में कोई खास परिवर्तन किए गये। बिना इन्हें एक चार्टर का रूप दिया गया, जिस पर उसी बारे में अप्रैल से जून तक सम्बेद सान प्रामिल्सो सम्मेलन में गम्भीरित होने वाले

50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। (इकावनवें राष्ट्र पोलैण्ड ने अक्टूबर में हस्ताक्षर किये)।

सयुक्त राष्ट्रों का चार्टर, जो 27 जून सन् 1945 को प्रकाशित किया गया था, एक लम्बा दस्तावेज़ है, जिसमें एवं प्रस्तावना और 19 अध्यायों के अन्तर्गत 111 अनुच्छेद हैं। प्रस्तावना इस प्रकार है-

“हम सयुक्त राष्ट्रों के लोग, यूद्ध के अभिशाप से, जिसने हमारे जीवनकाल में दो बार मानव-समृद्धाय को अवर्णनीय ढुँख से सशस्त्र किया है, आने वाली पीड़ियों का बचाने के लिए, और

“मानव के मूल अधिकारों, मनुष्य के मुण्डो एवं उनकी गरिमा, तथा स्वी-पुरुषों एवं छोटेखड़े राष्ट्रों के समान अधिकारों पर विश्वास को पुन मुदृढ़ करने के लिए, और

“ऐसी परिस्थितिया स्थापित करने के लिए जिनमें सधियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्य खोतों से उत्पन्न दायित्वों के प्रति श्रद्धा बनी रहे, और

“सामाजिक प्रगति का तथा व्यापक स्वतंत्रता के अन्तर्गत जीवन-स्तर का उन्नयन करने के लिए, तथा इन उद्देश्यों वी प्राप्ति के निमित्त,

“सहनशीलता का व्यवहार करने और एक-दूसरे के साथ अच्छे प्रतोसियों की भाँति ज्ञातिपूर्वक रहने के लिए, और

“अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के हेतु अपनी शक्ति का एकीकरण करने के लिए, और

“सिद्धांतों की स्वीकृति और उपयुक्त सम्बन्धों की स्थापना द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि समान हित के प्रयोजन के अनिरिक्त अन्य किसी भी अवस्था में सशस्त्र बल का प्रयोग न होगा, और

“समस्त लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के उन्नयन के निमित्त अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का प्रयोग करने और इन उद्देश्यों वी प्राप्ति के लिए अपने प्रयत्नों का सम्पादोजन करने वा सकल्प करते हैं।

“तदनुसार हमारी सरकारें, सनप्राप्तिस्का नगर में समवेन प्रतिनिधियों के द्वारा, जिन्होंने अपनी पूरी शक्तियों को अच्छे और समुचित रूप में प्रदर्शित किया है, सयुक्त राष्ट्रों के अन्यमान चार्टर से सहमत है और एतद्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन वी स्थापना करते हैं, जो ‘सयुक्त राष्ट्र’ के नाम से जात होगा।”

अनुच्छेद 1 में समठन के चार उद्देश्य बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं— प्रभाव-पूर्ण सामूहिक उपायों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, सब लोगों के आत्मनियंत्रण और समान अधिकारों के सिद्धान्त के प्रति आस्था के आधार पर राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण सम्बन्धों का विवास करना, आर्थिक, सामाजिक, नीतिक एवं मानविक प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, और इन समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों के कार्यों में सम्बन्ध स्थापित करने के लिए केन्द्र बनाना।

अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संगठन अपने सब सदस्य-देशों की प्रभुसत्ता-त्मक समानता के निष्ठात पर आधारित है, और, ऐसी अवस्था के सिवाय जिसमें (चार्टर के अध्याय 7 में वर्णित) वाध्य करनेवाले वार्य शांति के हित में आवश्यक हो जाए अन्य किसी भी अवस्था में चार्टर की कोई वात संयुक्तराष्ट्र को ऐसे मामलों में जो सारता विसी राज्य के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत हैं, हरतक्षेत्र करने के लिए अधिकार नहीं देगी। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु छह मुख्य अवयव गठित निए जाएं जो इस प्रकार हैं— (1) महासभा, (2) सुरक्षा परिषद्, (3) आधिक और सामाजिक परिषद्, (4) न्यास परिषद्, (5) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, और (6) सचिवालय।

संयुक्त राष्ट्र के संगठन ने पिछले राष्ट्रसभ से जो कुछ ग्रहण किया है वह स्पष्ट है। जैसा हम देख चुके हैं, पिछले राष्ट्रसभ में एक सभा, एक परिषद्, एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, और एक सचिवालय था। उसमें आज के संयुक्त राष्ट्र-सभ के जिन अवयवों का अभाव था वे आधिक और सामाजिक परिषद् तथा न्यास परिषद् हैं, हालांकि एक अर्थ में ये भी उन विशिष्ट निकायों के विकसित रूप हैं जिनको पिछले राष्ट्रसभ ने या तो अनुप्रेरित किया था या विकसित किया था, अर्थात् अतर्राष्ट्रीय अमरसत्या (यद्यपि यह नई परिषद् वे साथ-साथ, जिसके कृत्य अधिक व्यापक हैं, अब भी विशेष प्रयोजनों के लिए वर्तमान है), और प्रादेशी के लिये विशिष्ट आयोग।

1. **महासभा**—महासभा, जिसके गठन और कृत्यों का अधिकार-पत्र के 9 से लेकर 22 तक अनुच्छेदों में पूरी तरह वर्णन किया गया है, शक्ति के सम्बन्ध में पिछले राष्ट्रसभ की सभा के समान ही है, हालांकि वह गठन में वैसी नहीं है। कोई भी सदस्य-राज्य अधिक-से-अधिक पाव्र प्रतिनिधि भेज सकता है, किन्तु मतदान बेबल एक ही प्रतिनिधि कर सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा के निर्णय के लिए उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों वा दो तिहाई बहुमत आवश्यक है, किन्तु साधारण मामलों पर सामान्य बहुमत पर्याप्त होता है। साधारण-तथा महासभा का वर्य में एक अधिवेशन होता है, निन्तु सुरक्षा परिषद् अथवा सदस्य-देशों के बहुसंख्या की प्रार्थना पर विशेष अधिवेशन किए जा सकते हैं। पुराने राष्ट्रसभ की सभा के समान ही वर्तमान महासभा में भी शांति और सुरक्षा बनाए रखने से सम्बन्धित किसी प्रश्न पर जो उसके समक्ष सुरक्षा परिषद् या किसी भी देश द्वारा रखा जाए जाहे वह सदस्य हो या नहीं, विचार किया जा सकता है। महासभा में शस्त्रास्त्रों से सम्बन्धित और किसी अतर्राष्ट्रीय प्रयोजन के लिए सहयोग बढ़ाने के विषय में किसी भी प्रश्न पर विचार किया जा सकता

है। महासभा, आधिक एवं सामाजिक परिषद् तथा न्यास परिषद्, दोनों ने कार्यों पर नियन्त्रण रखती है, मुरक्खा परिषद् से कापिक प्रतिवेदन लेती है तथा संस्था वे बजट को स्वीकार करती है।

2 मुरक्खा परिषद्—मुरक्खा परिषद् (अनुच्छेद 23-54) विद्युते राष्ट्र-संघ की परिषद् से व्युत्पन्न है, जिन्हें इसका कार्यक्रम अधिक विशाल और इसकी शक्तिया अधिक व्यापक हैं। इसमें ग्यारह सदस्य होते हैं जिनमें पाच, अर्थात् ब्रिटेन, संयुक्तराज्य, सोवियत रूस, फ्रांस और चीन स्थायी सदस्य हैं¹। बाकी छह सदस्य महासभा द्वारा दो वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाने हैं, जिनमें से तीन प्रत्येक वर्ष रिटायर हो जाते हैं और तुरन्त ही पुनर्निर्वाचन के पात्र नहीं होते। प्रत्येक सदस्य देश का केवल एक प्रतिनिधि और केवल एक मत ही सकता है। मुरक्खा परिषद् में प्रतिया सम्बन्धी समस्त मामलों में किसी भी निर्णय के लिए ग्यारह में से कम-से-कम सात सदस्यों का स्वीकारात्मक मत आवश्यक होता है, जिन्हें अन्य समस्त विषयों पर सात स्वीकारात्मक मतों के अन्तर्गत पांचों स्थायी सदस्यों के सम्मतिसूचक मत भी होने चाहिए, हालांकि किसी भी विवाद-सम्बन्धी निर्णय के बारे में मत देने में उस विवाद से सम्बद्ध पक्ष को भाग लेने का अधिकार नहीं है। प्रतिया सम्बन्धी विषयों से भिन्न विषयों के बारे में इम निर्वाच्यकारी धारा का प्रभाव यह होता है कि यद्यपि कोई स्थायी सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय शांति को खतरा पैदा करने वाले किसी विवाद की मुरक्खा परिषद् द्वारा वहस का नियंत्रण नहीं कर सकता, तथापि वहस के बाद की समस्त अवस्थाओं में, जैसे विवाद की जाच, परिषद् द्वारा बाह्यकारी कार्यवाही की सिफारिश और बन का बास्तविक प्रयोग आदि में, नियंत्रणकार का प्रयोग किया जा सकता है।

चार्टर द्वारा मुरक्खा परिषद् को 'अन्तर्राष्ट्रीय शानि और मुरक्खा के अस्तित्व को खतरे में डालने की सम्भावना रखने वाले' किसी विवाद पर विचार करने का उत्तरदायित्व प्राप्त हुआ है, और सदस्य देश चार्टर के अनुगार परिषद् द्वारा किए गए नियंत्रणों को स्वीकार और निष्पादित करने का दायित्व ग्रहण करते हैं। मुरक्खा परिषद् इम उद्देश्य के लिए कार्यवाही करने के लिए 'संयुक्त राष्ट्रों' से प्राप्तना कर सकती है, और संघ के सदस्य-देशों के बीच यह नियंत्रण करने के लिए, कि वे परिषद् को अपने उद्देश्य की सिफ्ट के निमित्त कितना संघर्ष देंगे, विशेष बरार किये जाएं।

अतएव यह कहा जा सकता है कि योजना का सार "समझिन प्रतिरक्षा और संयोजन कार्यवाही" है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रस्तावित उपायों में ही

¹ अस्थायी सदस्यों की संख्या अब बढ़ाकर 10 करवी गई है। इस प्रकार अब मुरक्खा परिषद् में 15 सदस्य हैं।

संयुक्तराष्ट्रों की नई योजना और पिछले राष्ट्रसभा की पुरानी योजना के बीच मूलभूत अन्तर दिखाई देता है। इम महत्वपूर्ण कार्य में सुखदा परिपद की सहायता एक सेनिक कर्मचारी समिति करेगी जिसमें परिपद के स्थायी सदस्य राज्यों के सेना-प्रमुख होंगे। सम्मिलित सेना के लिए प्रत्येक सदस्य राष्ट्र किंतु और किस प्रकार की जल, धर और वायु सेना देगा, इसके विषय में विशिष्ट प्राविधिक परामर्श देना इस समिति का कर्तव्य होगा। किन्तु नई विश्वसंस्था की कठिनाई केवल यही नहीं है कि वह उपेक्षा करने वाले राष्ट्रों पर अपना निर्णय लागू करने के लिए पर्याप्त सशस्त्र शक्ति की उपलब्धि विस प्रवार मुनिशिपता करे बल्कि यह भी है कि उस शक्ति की विस प्रवार व्यवरथा की जाए जिससे कि जहाँ कही भी घटरा पैदा हो वहाँ उससे तुरन्त ही और प्रभावपूर्ण रूप से काम लिया जा सके। इस दाहरी आवश्यकता बी पूर्ति के लिए योजना में केवल एक विश्वव्यापी संगठन की ही परिवर्तना नहीं की गई है बल्कि उसके अन्दर प्रादेशिक प्रतिरक्षा के लिए संस्थाओं और इस प्रादेशीकरण के साथ ही समस्त विश्व में संयुक्त नियन्त्रण के अधीन अड्डा की एक अविच्छिन्न भूखला स्थापित करने की भी कल्पना की गई है।

3 आर्थिक और सामाजिक परिपद—61 से लेकर 74 तर के अनुच्छेद आर्थिक और सामाजिक परिपद के स्वरूप और उसके कृत्या की विवेचना वरते हैं। इसका महासभा द्वारा निर्वाचन हाता है और उसमें 18¹ सदस्य-देश होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक मत होता है। प्रत्यक्ष वर्ष छह सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित विए जाते हैं, हालांकि निवृत्त होनेवाले सदस्य तुरन्त ही पुन निर्वाचित भी हो सकते हैं। परिपद में निर्णय, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के, साधारण बहुमत से निए जाते हैं। परिपद के अधिवेशन आवश्यक होने पर वभी भी अथवा सदस्यों की बहुसङ्ख्या की प्राप्तिना पर किए जा सकते हैं। परिपद के कृत्य बड़े व्यापक और जटिल है। उसका कर्तव्य समस्त विश्वभर में संयुक्तराष्ट्रों से सम्बन्धित समस्त आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक एवं शिक्षात्मक प्रणाली तथा स्वास्थ्य एवं सम्बद्ध विषयों का अध्ययन करना और महासभा के समक्ष उनके बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। उसे महासभा के अनुमोदन से अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को आमित करने और सदस्य-राज्यों की मांग पर विशिष्ट जाच-पंडताल बरने का अधिकार है।

राजनीति और आरक्षों से परे ऐसे बहुत कम अन्तर्राष्ट्रीय मश्न हैं, जिनसे आर्थिक और सामाजिक परिपद का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बन्ध न हो। यह यात इतनी सत्य है कि चार्टर ने इस परिपद को विभिन्न प्रसिद्धाओं द्वारा आर्थिक और सामाजिक प्रयोजनों के लिए पहले से ही स्थापित तथा संयुक्तराष्ट्रसभ

¹ यह सदस्य-संस्था बढ़ाकर 27 करदो गई है।

की कार्यवाहियों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों (एजेन्सियो) के साथ सभा के अनुमोदन से करार वरने की सत्ता प्रदान की है। इन तथाकथित विशिष्ट अभिकरणों के अन्तर्गत खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization), विश्वस्वास्थ्य संगठन (World Health Organization), संयुक्तराष्ट्र का शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), और अन्तर्राष्ट्रीय थ्रम संगठन (International Labour Organization), भी हैं। ऐसे करारों का उद्देश्य युद्ध के पश्चात् के इस विशाल धोत्र में काम करने वाले विभिन्न अभिकरणों के कार्य को समन्वित करना है। आर्थिक और सामाजिक परिपद के मानवीय कार्यक्रमों को अनिवार्यता रखने की दृष्टि से यह भी व्यवस्था की गई है कि परिपद संयुक्तराष्ट्र के विसी सदस्य-देशों के प्रतिनिधियों को अथवा पूर्वोक्त विशिष्ट अभिकरणों में से विसी वे प्रतिनिधियों को अपनी बहस आदि में मताधिकार के बिना भाग लेने वे लिए आमत्रित वर सकती हैं मा तन विशिष्ट अभिकरणों में से विसी की बहस आदि में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकती हैं।

५ न्यास परिपद—न्यास परिपद (अनुच्छेद 75-91) में सुरक्षा परिपद के पाच स्थायी सदस्य, न्यासाधीन प्रदेशों का प्रशासन करने वाले सदस्य-देश, और महासभा द्वारा तीन वर्ष के लिए निर्वाचित इतने सदस्य-देश होते हैं जिनमें पहले सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि परिपद के सदस्यों की कुल संख्या न्यासाधीन प्रदेशों का प्रशासन करने वाले संयुक्तराष्ट्र के सदस्यों और ऐसा न करने वाले सदस्यों के बीच समान रूप से विभाजित रहे। अत्येक सदस्य-देश परिपद में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए विसी विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति को निर्वाचित करता है। परिपद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है और नियंत्रण स्वस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से लिए जाते हैं। परिपद या अधिक्रेशन आवश्यकतानुसार कभी भी हो सकता है किन्तु सदस्यों को बहुसंख्या द्वारा शायेना लिए जाने पर अवश्य होता चाहिए।

न्यास परिपद का सम्बन्ध ऐसे प्रदेशों से है जो स्व-शासी नहीं हैं। इनमें पिछले राष्ट्रसंघ के प्रादेशाधीन प्रदेश या द्वितीय विश्वयुद्ध के फलस्वरूप शत्रु-देशों से पृथक् लिए गए प्रदेश अथवा ऐसे प्रदेश भी हो सकते हैं जिन्हें उनमें प्रशासन के लिए उत्तरदायी राज्य स्वेच्छा से इस परिपद को सौंप दें। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, ऐसे प्रदेशों के लिए उत्तरदायी सदस्य-राज्यों का यह नतंत्र्य है कि वे घटा के निवासियों के हितों को सर्वोपरि समझें और यथाशक्ति उनके नल्याण की वृद्धि का कालांग नहीं। न्यास-व्यवस्था है मूल उद्देश्य है जल-राष्ट्रीय शानि और सुरक्षा की वृद्धि वरना, न्यासाधीन प्रदेशों के निवासियों की

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति को बढ़ाना और स्व-सासान अथवा स्वतन्त्रता की दिशा में उनका प्रशंसित विकास करना; मानव-अधिकारों के लिए और जल्ति, लिंग, भाषा या धर्म पर आधारित किसी प्रकार के भेदभाव के बिना सबको लिए मूलभूत स्वतन्त्रताओं के प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहन देना, तथा संयुक्त राष्ट्रों के समस्त राष्ट्रयों और उनके नागरिकों के लिए सामर्जिक, आर्थिक एवं बाणिज्यिक विषयों में समान व्यवहार सुनिश्चित करना। न्यासाधीन प्रदेश का प्रशासन करने वाली भवित को महासभा के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। महासभा चाहे तो न्यास परिषद् के माध्यम से न्यासाधीन प्रदेशों को समय-समय पर पर्यंतेकाणार्थ अपने प्रतिनिधि भेजने अथवा ऐसे प्रदेशों से माचिकाएँ ग्रहण करने की व्यवस्था कर सकती है।

5 अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय—अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (अनुच्छेद 92-96) संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अवयव है। यह एक राष्ट्रिय के अनुसार कार्य करता है, जो राष्ट्रसंघ के अधीन स्थायी न्यायालय की संविधि पर आधारित है और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का एक अभिन्न भग है। किन्तु जो राज्य सदस्य नहीं है वे भी सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर महासभा के अनुमोदन से उसके पक्ष बन सकते हैं। संयुक्तराष्ट्रसंघ का प्रत्येक सदस्य किसी भी मामले में, जिसका वह एक पक्ष है, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए वज्रबद्ध है और यदि वह वैसा नहीं करता है तो सुरक्षा परिषद् निर्णय को कार्यान्वित कराने के लिए समुचित कार्यवाही कर सकती है। किन्तु चार्टर में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे सदस्य-देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से काम लेना अनिवार्य हो या जो उन्हे अपने मतभेदों को पहले से विद्यमान या भविष्य में बनाए जाने वाले अन्य न्यायाधिकारणों के समक्ष प्रस्तुत करने से रोके। महासभा या सुरक्षा परिषद् या संयुक्तराष्ट्रसंघ के अन्य अवयव अथवा कोई विशिष्ट अभिकरण न्यायालय से किसी ऐसे विधि सम्बन्धी प्रश्न पर, जो इन निकायों की कार्यवाहियों के अन्तर्गत हो, परामर्शात्मक राय देने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं।

6 सचिवालय—सचिवालय के कर्तव्यों और गठन की रूपरेखा चार्टर के 97 से लेकर 101 तक के अनुच्छेदों में दी गई है। सघ का मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी पिछले राष्ट्रसंघ के समान ही महासचिव होता है, जो सुरक्षा परिषद् वी सिफारिश पर महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। महासचिव अपनी द्वारा हेसियत में महासभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक और सामाजिक परिषद्, तथा न्यास परिषद् के सब अधिवेशनों में कार्य करता है और उसे सारे सघ के कार्य के बारे में महासभा को एक वार्षिक प्रतिवेदन देना होता है। वह किसी भी ऐसे विषय को जिससे उसकी राय में शाति और सुरक्षा को खतरा पहुँचने की सम्भावना हो, सुरक्षा परिषद् के समक्ष रख सकता है। महासचिव और उसके

कर्मचारी अन्तर्राष्ट्रीय पदाधिकारी है। वे सघ के प्रति उत्तरदायी हैं और उससे बाहर की विस्ती सत्ता से अनुदेश न तो भाग सकते हैं और न प्रहण कर सकते हैं। प्रत्यक्ष सदस्य-देश सचिवालय वे अनन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप वा सम्मान करने के लिए दबनेवाले हैं। महासचिव अपने कर्मचारियों को महासभा के विनियमों के अधीन नियुक्त करता है। इन विनियमों का उद्देश्य कार्यपटुता और ईमानदारी वा सर्वोच्च स्तर सुनिश्चित करना तथा यथासम्भव अधिक-से-अधिक व्यापक भौगोलिक बाधाएँ पर भरती करना है।

चार्टर द्वारा गठित सयुक्तराष्ट्रसघ के अवयव उपर्युक्त प्रकार के हैं। इनमें मठन में सशोधन की सम्यक् प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्यथा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सशोधन वी शर्ते चार्टर के अनुच्छेद 108 और 109 में उल्लिखित हैं। चार्टर के सशोधन सब सदस्य-देशों के लिए उसी समय प्रवर्तित हो सकते हैं जब तक महासभा के सदस्यों के दो-तिहाई मत द्वारा उनका अनुमोदन हो जाए और सुरक्षा परिषद् के सब स्थायी सदस्यों सहित सयुक्त राष्ट्र वे दो तिहाई सदस्य-देशों द्वारा अपनी-अपनी साक्षिग्रानिक प्रतियोगियों के अनुसार उनका अनुसमर्थन प्राप्त हो जाए। चार्टर पर पुनः विचार करने के प्रयोजनों के लिए समूक्त राष्ट्र का सामान्य सम्मेलन ऐसी लारीख और स्थान पर किया जा सकता है जैसा महासभा के सदस्यों वे दो तिहाई मत द्वारा तथा सुरक्षा परिषद् के विन्ही सात सदस्यों वे मत द्वारा नियत किया जाए। ऐसे सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक मत होगा। विन्तु अधिकार-पत्र को अत्यधिक स्थिर और परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुकूल न होने से बचाने के लिए यह विशेष उपबन्ध किया गया है तियदि चार्टर के प्रवर्तित होने के पश्चात् महासभा वे दबदे वार्षिक अधिवेशन से पूर्व ऐसा कोई सामान्य सम्मेलन न हुआ हो तो उसके लिए एक प्रस्ताव महासभा वे उस अधिवेशन की कार्यसूची में रखा जाना चाहिए और यदि सभा के सदस्यों वे बहुमत द्वारा तथा सुरक्षा परिषद् के साने सदस्यों के मत द्वारा निश्चय किया जाए तो सम्मेलन किया जाना चाहिए।

५. संपुष्टराष्ट्र संघ के कार्य

सन् १९४५ में द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् जटिल अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं वे कारण समार जिस बूटनीनिव जमेले में कमा हुआ था उसके बान्जूद सयुक्तराष्ट्रसघ वी स्थापना हो गई और युद्ध की समाप्ति वे कुछ ही महीनों के अन्दर उसन अपना बाम आरभ कर दिया। महासभा वा पहला अधिवेशन जनवरी और फरवरी सन् १९४६ में लदन में हुआ और उसने बहुत कुछ प्रारम्भिक बार्य किया। उसन सुरक्षा परिषद् के अस्थायी मदस्या वा चुनाव किया और अपर्यक्ष और सामाजिक परिषद् वा निर्माण भी किया। महासचिव और अन्त-

राष्ट्रीय न्यायालय के निर्वाचन के कार्य में भी उसने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, शरणार्थियों और युद्ध-अपराधियों जैसे अनेक विवट युद्धोत्तर प्रश्नों के विषय में समुचित कार्यवाही के सम्बन्ध में भी उसने धरार किए। उसने सभ वे लिए स्थायी स्थान छोड़ने के प्रश्न पर भी विचार किया और अन्त में यह निश्चय किया कि उसका स्थान समुक्तराज्य में होना चाहिए।

सुरक्षा परिषद् का पहला अधिवेशन भी जनवरी सन् 1946 में लन्दन में ही हुआ और उसके तामस युद्ध से पैदा होने वाली सबसे अधिव महत्वपूर्ण समस्याएँ तुरत ही उपस्थित हुईं। सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यों वा कार्य निर्णयिक हो गहर स्वाभाविक है। विन्तु प्रत्यक बड़ी समस्या पर प्रिटेन और अमरीका ने खस का अपने विरुद्ध पाया। चूंकि नियेधाधिकार द्वारा वोई भी स्थायी सदस्य विसी भी निर्णय बोरोक सकता है, अतएव यह सभ के अस्तित्व के लिए एक निरन्तर खतरा बना हुआ है। परन्तु योग्य नियेधाधिकार के बजे सुरक्षा परिषद् में ही प्रयुक्त हो सकता है, महासभा में नहीं जहाँ खस और उसकी नीतिया के विरुद्ध हमेशा बहुमत प्राप्त होने की सम्भावना है, इसलिए सुरक्षा परिषद् के अधिवेशनों में ही निर्णयिक सभाये होता रहता है। इस बाधा से बचने के लिये 1950 में एक साहसिक प्रयत्न किया गया जब कि महासभा ने यह निर्णय किया कि यदि सुरक्षा परिषद् शान्ति व्यवस्था सुरक्षा पे विसी मामले में वोई निर्णय करने में असमर्थ हो तो महासभा वा एक विशेष सम्मेलन बुलाया जाय जो दो-तिहाई बहुमत से सिफारिश करे।¹

यह सच है कि समुक्तराष्ट्रसभ अपने से पहले के राष्ट्रसभ ने रामान अपने समस्त सदस्य-देशों की समान प्रभुसत्ता के सिद्धात पर आधारित है और इस सीमा तक प्रत्येक सदस्य-राज्य की प्रभुसत्ता अखंड है। परन्तु, जहाँ पिछले राष्ट्र-सभ का प्रत्येक सदस्य-देश इस बात वा निर्णय सभ घरता था कि वह अनुशासित्या लागू करने के बारे में सभा या परिषद् की सिफारिश को स्वीकार करे या न करे, वहाँ समुक्तराष्ट्रसभ के चार्टर के अधीन प्रत्यक सदस्य-देश इस बात के लिए अपने-आपनों बचनबद्ध करता है कि वह सुरक्षा परिषद् द्वारा मान किए जाने पर तुरन्त ही आधिक अनुशासित्या आरोपित करेगा और अपने सशस्त्र बलों का भाग करार दें अनुसार देगा। सामूहिक सुरक्षा के इस नए उपकरण की प्रभावकारिता की परीक्षण कई बार हो चुकी है जब कि समुक्तराष्ट्र ने अप्रृक्षण के प्रतिक्रिया करके एव स्वस्था स्थापित करने के लिये सशस्त्र हस्तदोष किया है जैसे 1949 में मध्यपूर्व मे, 1950 में कोरिया मे, 1956 मे मिस्र मे, 1960 मे बागो मे और 1965 मे काश्मीर मे। कग से वग प्रत्येक अवस्था में आक्रमक राष्ट्रीयता के विरुद्ध संगठित अन्तर्राष्ट्रीयता के सिद्धान्त वा औचित्य प्रमाणित हुआ।

एव दूसरी महत्वपूर्ण बात और है जिसमे समुक्त राष्ट्र का चार्टर राष्ट्रसभ

की प्रविद्या स कामी आगे बढ़ा दूआ है। समस्त चार्टर में जनसभाओं के लिये उन्हीं ही चिन्ता उपलक्षित होती है जिन्हीं देशों की सततारों के लिये। राष्ट्र-सभा की प्रभविद्या में 'उच्च संविदाकर्ता पक्ष' की चर्चा है, जिन्हुंने समृद्ध राष्ट्रों के चार्टर का व्याख्य इन जगहों के साथ हाता है—'हम समृद्ध राष्ट्र के लोग' जो स्पष्ट ही अमरिका के मंविधान से लिये गये हैं जिसके प्रारम्भिक शब्द हैं—'हम समृद्ध राज्य के लोग'। चार्टर की समस्त प्रस्तावना म यह मानवीय भावना परिव्याप्त है और विशेषकर अनुच्छेद 13 में जिसमें वन्य वातावरण के साथ वहां गया है कि 'महामभा आर्थिक, सामाजिक, मानविक, जीवशिक एव स्वास्थ्य के धोकाएं में वन्तराण्डीय महायोग को प्रत्याहित करने और जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेद के बिना सब के लिये मानव-अधिकारा एव आगामरभूत स्वनतताओं की प्राप्ति में महायना करने के प्रयोजन के लिये अनुमध्यान भारत वर्गी और मिफारिश करें।' यही भावना समृद्ध राष्ट्र के दो महत्वपूर्ण अवयवों को—आर्थिक और सामाजिक परिषद् और न्यास परिषद्—को तथा भारत विशिष्ट एजेन्सियों—वन्दराण्डीय थरम थरण (ILO), समृद्ध राष्ट्र का जीवशिक, वैज्ञानिक एव सास्कृतिक थरण (UNESCO), विश्व स्वास्थ्य थरण (WHO) और खाद्य और कृषि थरण (FAO)—को, जो उन परिषदों के माध्य वहे सामजिक्यपूर्ण दण म बोय कर रही हैं—जनप्राणिन बरती है। मानव अधिकारों की घोषणा भी, जिमवा महामभा ने 1948 म सर्वमम्मनि से समर्थन किया था, ऐसे ही प्रयोजन में प्रेरित है।

समृद्ध राष्ट्र के कार्य वल्लविद्यमिन देशों के लोगों के कल्याण से सम्बन्धित हैं। ज्यों ज्या ये अन्यादिकारायुक्त देश परतवाना से मुक्त होकर स्वनत छोत जाने हैं, समृद्ध राष्ट्र के सदस्य वन्हे जान हैं और उमड़ विचारविमर्श में भाग लेने लगते हैं त्यो त्या समृद्ध राष्ट्र के कार्य की इस शाखा पर मार्गे अधिकाधिक मुख्यर होती जा रही है। एक बात नहीं भूलनी चाहिय कि 1945 में उन्हें जन्म के समय से समृद्ध राष्ट्र की रक्षा में बड़ा भारी परिवर्तन हो गया है। कास्तूर में, उमरी सदस्य-नाया दुगनी से भी अधिक हो गई है। 1945 में उमरे 51 सदस्य थे पर 1965 में उन्हीं मन्द्या बढ़ कर 117 हो गई।² जो 66 मदस्य बड़े हैं उनमें से 30 तर अर्द्धांश नय स्वतन्त्रा प्राप्त राज्य हैं और 11 एगिया हैं। इमें अनिरित, इन 41 अर्द्धांशों एव राज्यों में से 28 तो 1960 और 1965 के दौरान मदस्य बने हैं। इससे समृद्ध राष्ट्र में एक नये तत्व वा समावेश हो गया है जिसमें उमरे विचार विमर्श के सन्तुलन में परिवर्तन हो रहा है। यह एक ऐसी पटना है जिसका वपने जीवशिक कार्य के बग के स्थ म समृद्ध राष्ट्र को

² यह संख्या बड़ कर 127 तक पहुँच गई है।

ध्यान रखना है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की सफलता अन्त में व्यापकतम अर्थ में शिक्षा के क्षेत्र में उसके कार्य पर अधिकतर निर्भर होगी।

इसमें कोई सदैह नहीं कि संयुक्त राष्ट्र, जिसके समारभ वे समय जो बड़ी-बड़ी आशाएँ उससे की गई थी उन्हे पूरी नहीं कर सका है। परन्तु उस समय कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि सत्तार इस प्रकार विभक्त हो जायगा जिससे उसका कार्य इतना कठिन हो गया है और उसकी प्रतिष्ठा को ऐसे धातक धनके लग रहे हैं। पिछे भी, हालांकि विश्व सुरक्षा से सम्बन्धित उराके बहुत से कार्य प्रादेशिक संगठनों ने सम्हाल लिये हैं, उसका बेन्द्रीय द्वाचा अक्षुण्ण रूप में विद्यमान है। आखिर, संयुक्त राष्ट्र एक विश्व राज्य तो है नहीं, केवल 'प्रभुत्वसम्पन्न स्वतंत्र राज्यों का एवं ऐच्छिक समुदाय' है। अत उसकी सफल होने की इच्छा उसके विधायक अगों के उसे सफल बनाने के सकल्प से अधिक नहीं हो सकती। परन्तु यदि विश्व के राज्य इस न्यूक्लीय दृष्टि में विश्व शान्ति के प्रबर्तन के लिये किसी सामान्य संगठन में मिलकर कार्य करने में अन्त में व्यापक रहते हैं तो यह निश्चय है कि कोई राष्ट्रीय संविधान जीवित नहीं रह सकेगा।

संविधानवाद का भविष्य

प्रथम विश्वयुद्ध के तुरन्त पश्चात् राजनीतिक संविधानवाद का भविष्य बढ़ा उच्चल प्रतीत होना था। बास्तव में दुनिया में शायद ही कोई सभ्य राज्य हागा जिसने किसी-न किसी रूप में राष्ट्रीय लाइब्रेट्रीक संविधान को न अपना सिवा हो। किन्तु इस परिस्थिति से उत्पन्न आशावाद की भावना अनेक घटनाओं के फलस्वरूप नष्ट हो गई, क्योंकि कुछ ही सभ्य पश्चात् योरोप के बहुत-से भाग में शासन के सांविधानिक स्वरूपों के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। रूप में आतिकारी सत्ता की सफलता, जिसने उदार अस्थायी शासन को हिमात्नक रौति से नमाप्त कर दिया था, प्रतिक्रिया पर उसकी विजय से पहले ही सुनिश्चित हो चुकी थी। उसके पश्चात् इटली में फासिस्ट विद्रोह, जर्मनी में नाजी विप्लव, स्पेन में फाकों की विजय, और पोलैंड, रूमानिया, यूनान तथा पूर्वी योरोप के अन्य राज्यों में अधिनायकत्व जैसे शासनों की स्थापना हुई। किन्तु यह सब हाते हुए भी सामान्य-तया पश्चिमी राज्यों में द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मन आक्रमण तक राजनीतिक संविधानवाद चलता रहा, हालांकि फास और बेलजियम में इसका रूप बुद्ध अनिश्चित-सा रहा।

महाद्वीपीय याराप में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद वी स्थिति प्रथम विश्वयुद्ध के बाद वी स्थिति से बिलकुल भिन्न थी। बेलजियम, हॉलैंड और स्कॉडिनेविया के राज्य जर्मन आधिपत्य के दिना में निलम्बित संविधानों का पुन बाम में लान लगे। फास ने अपने चतुर्थ गणतन्त्र के संविधान में तृतीय गणतन्त्र के संविधानकी मुख्य बातें पुन स्थापित की, हालांकि उथन बाद में पचम गणतन्त्र में अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली स्थीकार कर ली। इटली न गणतान्त्रिक संविधान प्रब्लेमित करते हुए अपनी प्रणाली में से फासिस्ट विप का स्पष्टत निकाल दिया। स्कॉडिन और स्विट्जरलैंड न, जो युद्ध में तटस्थ रहे थे, अपने मूल संविधानों को बनाए रखा। पिनलैंड युद्धकालीन सङ्कटा में से अपने संविधान को अधित रूप में बचा सका और पश्चिमी जर्मनी में 1949 में सधीय गणराज्य की स्थापना के साथ मस्दीय लोकतन्त्र वा उदार हुआ। महाद्वीप के छोप भाग में संविधानवाद का भविष्य अत्यन्त अन्धकारमय था। पूर्व में, सोवियत रूप के अधिपत्य में कई राज्यों में

साम्यवादी शासन दृढ़तापूर्वक स्थापित बर दिये गये थे। दक्षिणपश्चिम में, स्पैन और पुर्तगाल में फ्रांसी और सालाजार के अधिनायकतत्र अपना प्राधान्य कायम रखे हुए थे।

लोकतत्त्वीय और सत्तावादी प्रणालियों का यह मुकाबला ग्रसार के अन्य भागों में भी दिखाई देना है, उदाहरणार्थ सुदूरपूर्व में। वहाँ जापान 1947 में सविधान वे अधीन एक सशोधित संसदीय प्रणाली प्रवर्तित किये हुए है और किलि गोन्स के गणराज्य ने, जिसे 1946 में समुक्त राज्य ने पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की थी, अमेरिका के नमूने पर राष्ट्रपति-प्रणाली स्वीकार की है। इसके साथ ही, चीन ने उग्र साम्यवादी शासन स्थापित किया है और कोरिया मनमाने ढंग से दो भागों में विभक्त बर दिया गया है। वहाँ उत्तरी भाग में साम्यवादी शासन है और दक्षिणी भाग में एक प्रवार का संसदीय शासन। एशिया और अफ्रीका के अन्य भागों में भी जहाँ योरोपीय साम्राज्यों के भमावशेषों पर नये स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हो रहा है, राजनीतिक स्थिति बड़ी उलझी हुई है। इनमें से कुछ राज्यों को जिन्होंने संसदीय सविधान प्रब्ल्यापित किये हैं, अतर्थ से ही व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उनमें से कुछ तो किसी न किसी प्रकार के अधिनायकतत्र की ओर अप्रसर होने लगे हैं। अन्य राज्यों में साम्यवाद विजयी हो चुका है और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो अपने आपको असलग्न मानते हैं परन्तु वहाँ स्थिर ज्ञातन को साम्यवाद जी उन्नति से निरन्तर खतरा बना रहता है।

इस अनिश्चित स्थिति में कम से कम एक बात स्पष्ट है और वह यह है कि राष्ट्रीय लोकतत्त्वात्मक सविधानवाद अब भी परीक्षण की अवस्था में ही चल रहा है और यदि उसे जीवित रहना है तो उसे अपने-आपको परिवर्तनशील समम और परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसा हम देख चुके हैं, राजनीतिक सविधानवाद एक अर्थ में बहुत पुराना है, किन्तु लोकतत्त्र के साधन में रूप में वह अपेक्षाकृत नया है। ब्रिटेन में भी, जो उसका जन्मस्थान है, पुराने सविधान का लोकतत्त्वीयकरण पिछले सौ वर्षों के दौरान ही हुआ है। अतएव, यह समझने का कोई कारण नहीं है कि वह परिवर्तन की सीमा पर पहुँच गया है। इसलिए, उन तरीकों की जाच करना लाभदायक होगा जिनसे वह अपनी वर्तमान दुर्बलताओं को, जो उसमें निश्चित रूप भेहै, दूर कर सके और भविष्य में अपने समक्ष निश्चय ही प्रस्तुत होनेवाली समस्याओं का समाधान बर सके। आधुनिक संसदीय प्रणालियों की रबरे अधिक रपट कमज़ोरी यह है, जैसा हम पहले बता चुके हैं, कि उनको बेन्द्रीय संस्थाओं के पास जितने वे उन्नित रूप से निभा सकती हैं उनसे अधिक काम है। इसके अतिरिक्त, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, उनके समक्ष प्रस्तुत नई समस्याएँ मुख्यतः आर्थिक हैं, क्योंकि

अधिकतर सामाजिक सुधारवादियों के कार्यक्रमों में राज्य की आर्थिक कार्यवाहियों का बहुत अधिक विस्तार परिकल्पित है। इन दो बातों के साथ-साथ हमें इस बात पर भी विचार करना है कि राजनीतिक लोकतन्त्र का यह सूत्र कि प्रत्येक नागरिक एक साना जाएगा, एक से अधिक नहीं, सामान्य राज्य में धर्मिक-समूह को सतुष्ट करने में अधिकतर असफल रहता है, हालांकि यह पद्धति उन्हीं के हित के लिए आविष्कृत मानी जाती है।

यह अतिम बात पूर्ववर्ती दोनों बातों में उलझन पैदा कर देती है, क्योंकि जहां समाज के कम उन्नत अग के आर्थिक हित के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के केन्द्रीय अवयवों को और अधिक कर्तव्य सौंदर्य दें, हालांकि उनके पास पहले से ही इन्हें अधिक कर्तव्य हैं कि वे उनका उचित रूप से निष्पादन कठिनाई से ही कर सकते हैं, वहां भूतदान की आधुनिक शणाली के अधीन गठित सरदू में धर्मिकों को वहुमतं प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव होता है और ऐसी परिस्थिति में यह सम्भव है कि हताश होकर वे अ-साविधानिक मार्गों को अपनाने के लिए बहकाए जा सकें। साविधानिक राज्य को इस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि औदोगिक धर्मिक यदि बहुमत में नहीं हैं तो भी उनका कम-से-कम ऐसा पर्याप्त बलशाली अल्पमत तो है ही जो अपनी मार्गों की पूर्ति के लिए कुछ न किए जाने पर समाज को पगु बना सकता है और राज्य में फूट पैदा कर सकता है। अत इसे यह देखना चाहिए कि इस जटिल समस्या को हल करने में सविधानवाद वया कर सकता है।

ऐसी किसी भी चर्चा के भूल में मुख्य बात राज्य की प्रभुसत्ता है। कोई भी राज्य, यदि उसे अराजकता से बचना है, प्रभुसत्तात्मक शक्तियों को अपने पास सुरक्षित रखने के लिए बाध्य है। इसके साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि स्वीं और पूर्व किसी भी समाज ने सदस्य उसके हित के लिए नहीं बल्कि स्वयं अपने हित के लिए होने हैं। राज्य को उस जन समुदाय को सतुष्ट करना चाहिए जिसके सर्वोत्तम हितों की सुरक्षा करना ही उसका प्रयोजन है (उसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं हो सकता), और वह यत्र जिसके माध्यम से राज्य कार्य करता है—अर्थात् सविधान—इस उद्देश्य को मुनिश्वित करने के योग्य बनाया जाना चाहिए। यही कारण है कि आधुनिक सविधानवाद का विकास इस धारणा के आधार पर हुआ है कि प्रभुसत्ता जनता की है। अधिकतर कातिकारियों की दलील भी यही है। बास्तव में वे मुख्य रूप से इस कारण ऋग्वादी हैं कि उनका विश्वास है कि आधुनिक राज्य-तन्त्र जनता की प्रभुसत्ता को प्रभावकारी नहीं बना सकता। इसके विपरीत, मुस्तोलिनी के अनुसार फासिस्ट तिद्धात लोक-प्रभुत्व के मन को अस्वीकार करता है जो उसके कथनानुसार जीवन की बास्तविकताओं से मिल्या मिल हो चुका है। मुस्तोलिनी ने यह भी बहा था कि “हम बैल राज्य

के प्रभुत्व के मिथात की घोषणा करते हैं जो राष्ट्र का वैध संगठन तथा उसकी ऐनिहासिक आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति है।"

शिक्षित समाज में नागरिक समूह प्रभुत्वमन्मन राज्य को स्वीकार कर सके इसके लिये राज्य को उन्हें विश्वास दिलाना चाहिये कि अपने राजनीतिक भाग्य का अन्तिम नियवण उन्हीं के हाथों में है। ऐसा होना आधुनिक समाज की जटिल अवस्थाओं में कठिन हा सकता है। विशेषकर ब्रिटेन और संयुक्त राज्य जैसे तत्कालीनी दृष्टि से उन्नत देशों में, जहाँ उद्योगपतियाँ, पूजीपतियों, तत्कालीनियों आदि के अ-राजनीतिक समुदाय सार्वजनिक कार्यों पर प्रभाव डालने की स्थिति में हैं। इन तथाकृति द्वाव-गुटों (Pressure Groups) की गतिविधि 'शक्ति के गलियारा' (Corridors of Power) में होती है। संयुक्त राज्य में, वे थोड़े से चुने हुए लोग जो इस प्रकार का दबाव डालने की अत्यन्त मुद्रु स्थिति में हैं, 'शक्तिघर विशिष्ट वर्ग' (Power Elite) कहलाते हैं। हालांकि इस आलोचना का बहुत कुछ अश निश्चय ही ठीक है, परन्तु इसमें अतिशयोक्ति हो सकती है। एक औद्योगिक समाज जो अनेक दिशाओं में अपनी शाखाएँ पैसाता रहता है, अनिवार्य रूप में नये प्रकार के नेता पंदा करता है। इसका उरावे राजनीतिक विकास पर प्रभाव अवश्य होगा, परन्तु एक स्वस्य लोकतत्व में इन नये नेताओं द्वारा शक्ति के दुष्ययोग को रोकने और इमें साथ ही सामाजिक प्रगति में उनके योगदान का सर्जनात्मक उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिये।

प्रभुसत्ता को इस प्रकार प्रयुक्त और सतुलित करना चाहिये कि वैयक्तिक अधिकारों को उससे अनुचित रूप में क्षणि न पहुँचे। इस प्रकार अधिकारों के उपमोग नो मुनिशिपल करने के लिये राज्य के अवयवों की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे यह निश्चित हो राके कि समाज के बहुजन उनको केवल समझेंगे ही नहीं, वल्कि उनके गठन और विकास में सक्रिय अभिव्यक्ति भी रखेंगे। ऐसी सक्रिय अभिव्यक्ति को मुनिशिपल करने के लिये ऐसे सुधार सहायक हो सकते हैं जैसे द्वितीय सदन का नये ढग से निर्माण और उसमें नये प्रकार का प्रनिनिधित्व, और जनमतसंग्रह, उपन्यास और प्रत्याह्रान जैसे प्रत्यक्ष लोक-नियन्त्रण का विस्तार आदि, परन्तु इन उपायों में प्रभुत्व सम्बन्धी कोई गमीर प्रश्न नहीं उठते।

यह स्वीकार कर सेना कि, अन्तिम वैध अर्थ में, प्रभुत्व अविभाज्य होती है इस बात को अस्वीकार करना नहीं है कि वह सुनभ्य भी होती है। यह बात सधीय संविधानों में जिस प्रकार शक्ति-वितरण होना है उससे कुछ एकात्मक राज्यों में सुधार का एक समव तरीका सूझता है। यदि राज्य का समस्त मूँखें इतना बड़ा है कि उसका एकमात्र विधानमंडल अपने निर्बाचितों से दूर पड़ जाता है या पनी आवादीयाले क्षेत्र के लिये विधिनिर्माण के कार्य से विधानमंडल का कार्यभार बहुत बढ़ जाता है तो यह

निश्चिन है कि जनता अपने प्रतिनिधियों की कार्यवाहियों में दिलचस्पी नहीं लेगी, विधानमण्डल का उन क्षेत्रों से सम्पर्क टूट जाएगा जिनका इस वह प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व प्रणाली अवास्तविक एवं अप्रतिष्ठित हो जाएगी और जनाविधानिक प्रकार की अन्य पद्धतियों के प्रयोग के लिए मार्ग खुल जाएगा। ब्रिटेन जैसे घनी आवादी वाले क्षेत्र को ऐसा ही खतरा है। जैसा हम बता चुके हैं, ब्रिटेन एकात्मक राज्य है। लोकतंत्रात्मक प्रणति के अनिवार्य परिणामस्वरूप दिन प्रति-दिन बहुत हुए सामाजिक विधान का केन्द्रीय विधानमण्डल पर इतना अधिक दबाव पड़ रहा है कि उसमें भरकार द्वारा प्रस्तुत वार्य के अनिरिक्त और विसी भी वार्य पर उचित रूप से विचार करने का अवसर नहीं मिला। ऐसी स्थिति में यह पूछा जा सकता है कि इतने अधिक प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने और सार्वजनिक निधि में से उनको केन्द्र देने से क्या लाभ है जब कि उनका एकमात्र और वास्तविक काम सखारी प्रस्तावों को स्वीकृत या अस्वीकृत करना भर रह गया है।

ऐसी स्थिति में सुधार का एक तरीका संघबाद का है। संघराज्यों के सर्वोत्तम उदाहरण वे हैं जो पहले से अलग-अलग अनेक समुदायों से विकसित हुए हैं। बिन्दु ऐसा बोई बाहरण नहीं है कि एकात्मक राज्य भी अपने को अनेक छोटे राजनीतिक निकायों ने इस प्रकार करो न विभाजित करते जिसमें उनके पास केन्द्रीय प्रयोजनों के लिए बेबल वे ही शक्तिया रह जाएं जो सामान्य हित के लिए आवश्यक हो। यह योजना अन्तरण (Devolution), सत्तान्तरण या बेन्द्रीकरण कहलाती है। ब्रिटेन में एक बार आयरलैंड के प्रश्न से उत्पन्न बठिनाइयों के समाधान के रूप में ऐसा सुझाव दिया गया था। उस समय 'सर्वद गृहणासन' का नाम लगा था। योजना यह थी कि इगलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड अन्न अधीन विभाजित (यह आवश्यक नहीं है कि उपर्युक्त विशिष्ट विभाजन ही हो) प्राप्त कर लेने के पश्चात् सधीय मविधानों की तरह का एक संविधान तैयार विधा जा सकता था जिसमें या तो कुछ शक्तिया इकाइयों को देवर शेप केन्द्रीय समूद्र के लिए छोड़ी जा सकती थी या फिर केन्द्रीय सत्ता के अधिकारों को स्पष्टत एवं गणन करके शेप शक्तिया इकाइयों के पास छोड़ी जा सकती थी।

इसका तात्पर्य एकात्मक राज्य से सधीय राज्य का मृजन करना है जिम दिशा में पहला कदम विकेन्द्रीकरण होगा। ऐसे सुधार का प्रभाव यह होगा कि प्रथम, ब्रिटेन के जैसे केन्द्रीय विधानमण्डल पर आजकल लक्ष्य हुआ लगभग असहनीय बोझ हृलका हा जाएगा, द्वितीय, कार्यपालिका के कार्य पर और अधिक सत्रं निरीक्षण मम्भव बनाकर नीकरणही के बनारे को कम किया जा सकेगा, और, तृतीय—

यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है—राजनीति सजीव बनाई जा सकेगी, स्थानीय विधान के ऐसे मर्ग खोले जा सकेंगे जो इस गम्य सम्भव नहीं हैं और निर्वाचिक तथा प्रतिनिधि के बीच वास्तविक एवं निरन्तर सम्पर्क स्थापित रखा जा सकेगा। यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि स्व-शासन वीं ऐसी इकाइया बेबल स्थानीय शामन की सम्याएँ नहीं होगी बल्कि बेन्द्रीय सम्पद के माथ-नाथ प्रभुसत्ता भे हिस्सा बटानेवाली कई प्रभुकत निकाय होगी। निस्सदेह इस योजना में अनम्य भविधान की आदर्शकता होगी जिसका संशोधन विसी विशेष उपकरण के ही द्वारा किया जा सकेगा और जिसकी पवित्रता अन्ततः सर्वोच्च न्यायालय जैसी विसी सत्ता के द्वारा सुरक्षित होगी।

यदि राघवाद के तरीके से प्रभुरात्ता का इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से विभाजित करना व्यावहारिक रूप में सम्भव हो तो इसके पश्चात् यह प्रश्न उठता है कि क्या उसे कार्य की दृष्टि से विभक्त करना भी सम्भव नहीं होगा? इम प्रकार की मधीय योजना समाज को प्रादेशिक इकाइयों—प्रातो या राज्यों या केण्टनों के मध्य के रूप में नहीं बल्कि आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक सभी प्रकार की स्थायों के, जिनमें स्वी-पुरुष अपने-आपको सामान्य राजनीतिक सम्पद वीं अपेक्षा और अधिक पूर्णरूप से अभिव्यक्त करते हैं, समें रूप में मानाजाएँगा। इसका अर्थ है अपने कार्यक्षेत्र के अन्दर निश्चित अधिकारों वाले अद्व-प्रभुसत्तात्मक निकायों वीं स्थापना, जो अधिकार अमरीपा और आस्ट्रेलिया जैसे सधों में सघबद्ध होने वाली इकाइयों द्वारा उपभोग किए जाने वाले वर्तमान अधिकारों वे समान होंगे, अन्तर केवल इतना ही होगा कि इन अद्व-प्रभुसत्तात्मक निकायों वे यादं राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक या धार्मिक या सामाजिक होंगे। इन नए अर्गों को समन्वित करने तथा उनमें व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य निश्चय ही विद्यमान रहेगा। किन्तु इस अवस्था में राज्य एक प्रकार से ऐसे हितों की रास्था का रूप धारण कर लेता है जिन्हे प्रत्येक नागरिक समझ सकता है। ऐसी अवस्था में प्रभुसत्ता एक नया रूप धारण करने लगती है। वह एक अचल बैध वल्पना के स्थान पर लोगों के कल्याण के लिए एक नम्य साधन बन जाती है। एक बार उसके विषय में ऐसा अनुभव हो जाने पर राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से राविधानिक विकास की सभावनाओं की कोई सीमा नहीं रहती।

वर्तीगान राज्यों के अन्तर्गत प्रभुसत्ता में आवश्यकतानुसार हेरफेर करने की सम्भावना के सम्बन्ध में जो कुछ हमने कहा है वह समान रूप रे, बल्कि और भी अधिक प्रभावपूर्ण रूप से, अन्तर्राष्ट्रीय सम्पद पर भी लागू होता है। यह स्पष्ट है कि पांच शताब्दियों के विकास के बाद प्रभुत्वसम्पन्न राज्य का जो स्वरूप है वह समकालिक आवश्यकताओं एवं अवस्थाओं से अधिकाधिक विसर्ग होता जा रहा है। कान्त और जर्मनी ने जिनमें युगो से शब्दुता चली आ रही थी, चार अन्य

राज्यों के साथ एक सीमांगुलक सघ का निर्माण वर लिया है जो राजनीतिक संघ की भी दिशा में पहला कदम है और इस प्रवृत्ति से बालग्नर में एक अधिक विस्तृत योरोपीय संघीय समाज का निर्माण अवश्य होगा। यदि योरोप में पृथक् राज्यों के एक बर्ग में सघबाद कार्यसंचयन किया जा सकता है, जैसा कह पहले से मपुत्त राज्य, बनाड़ा और आस्ट्रेलिया में कार्यान्वित हो रहा है, तो वह समारं बे नये राज्यों के बर्गों में भी स्थिर शासन वर्ष व्यवहार्य आधार मिल हो सकता है। बास्तव में, उदाहरणार्थ, अफ्रीका के अग्रदर्शी नता, अपनी जटिल राजनीतिक एवं अर्थव्यवस्थाओं के समाधान के एक तरीके के स्पष्ट उम पर विचार वर रहे हैं। यथार्थ में, सघबाद के बल एक सफल प्रादेशिक सम्गठन वी ही कुजी नहीं, बल्कि एक सर्वसाम्य विश्वसत्ता की स्थापना भी कुजी मालूम होनी है।

काई भी मही दग स मोचनबाला व्यक्ति इस बात से इच्छार नहीं करता कि उस बन्तर्गांधीय अराजकता का, जिसके फलस्वरूप दा विनाशकारी विश्वयुद्ध हुए और जा, यदि उस रोका न गया, हमारा सम्भवता का अन्त करवे ही रहेगी, एकमात्र इलाज किसी प्रकार की विश्वसत्ता की स्थापना ही है। परन्तु इस सत्ता के हप के विषय में भनभेद है। कोई इसकी ऐसे विश्वराज्य के हप में कल्पना करते हैं जिसमें ममस्त राष्ट्रीय व्यक्तित्व विलीन हो जायगा। निस्सदैह इस प्रयोजन के लिये एक चार्टर बनाना सभव है, परन्तु कोई भी ऐसा संविधान, जिसका अभिप्राप चाहे विनान ही गंभीर और जिसका हप चाहे विनान ही निर्दोष क्यों न हो, यदि वह उन लोगों की जिनके लिये वह अभिप्रेत है, इच्छा के अनुकूल न हो तो वह केवल कागज का एक टुकड़ामात्र रह जाना है। यदि बात ऐसी है तो यह निश्चिन है कि ऐसे विश्वराज्य के निर्माण में शासन का जो अत्यधिक बन्दीयवृत्त और अवैयक्तिक हप उपलक्षित है वह विलुप्त बाम नहीं देगा। वह केवल बन्तर्गांधीय युद्ध के स्थान पर गृह-युद्ध के उमी प्रवार के भवकर खतरे को उत्पन्न कर दग। और शान्ति एवं सुरक्षा की उपलब्धि के लिये इस प्रवार का बन्दीयवृत्त विश्वराज्य आवश्यक भी नहीं है।

सत्य बात यह है कि विश्व नियन्त्रण के लिये देशों का पूर्ण एकीकरण उतना आवश्यक नहीं है जिनका कृत्यों का आशिक सहमत्यवान्ध आवश्यक है। इस सहमत्यवान्ध की उपलब्धि अनर्गांधीय मामला म सघबाद वे भावनापूर्ण प्रयोग द्वारा पूर्ण हप में हो सकती है। परन्तु सघबाद प्रयत्निशील राजनीतिक सम्गठन है जिसके अभिलापानुमारी विचार द्वारा या मन्दिराप्रमाणित विवरण द्वारा इस बन्तर्गांधीय कार्य को पूरा नहीं कराया जा सकता। अन अधिक उनक राष्ट्रों को अनुकूलन की प्रक्रिया का धैर्यपूर्वक पौष्ण एवं निर्देशन करना पड़ेगा ताकि सम्पुत्तर राष्ट्र के सामूहिक निर्वन्ना मदा के लिये मिटाई जा सके। जैसा हम देख सकते हैं, वह निर्वलना यह है कि चार्टर में सदस्य-राज्यों की प्रभुता का सिद्धान्त विशिष्ट

रूप में रक्षित है। परन्तु यदि जिस रूप में हम सयुक्तराष्ट्र वो जागते हैं वह रूप कुछ समय और बना रहे तो शायद ससार के राष्ट्र, अबसर निकल जाने के पहले ही, विश्व-नागरिकता के लिये बेबल जो ही सच्ची एव स्थायी शान्ति वा एनमान असदिग्ध आधार है, जिक्षा वा एक स्थायी उपवरण वा निर्माण कर सकें।

इस प्रवार अन्तिम उद्देश्य एक अन्तर्राष्ट्रीय नहीं बर्त्ति अतिराष्ट्रीय सत्ता की स्थापना होगा, जिसको सब राष्ट्र अपनी बाह्य प्रभुता सौंप देंगे। राष्ट्रीय राज्य की प्रभुता अधिक-से-अधिक एक भ्रान्तिपूर्ण शस्त्र है। राजनीतिक अनुभव और सुख का एक ऐसा व्यापक क्षेत्र है जिसका उत्तरे विना उपभोग किया जा सकता है। सच तो यह है कि राष्ट्रीय राज्य को उतनी जरूरत प्रभुता की नहीं है जिरका बाह्य रूप गे गतलब अपने पठोसियों के प्रति अपनी इच्छानुगार व्यवहार करना है, जितनी कि स्वायत्तता वी है जिसका अर्थ अपने विशुद्ध स्थानीय मामलों पर नियन्त्रण रखने का अधिकार है। अन, निष्कर्ष के रूप में हम उचित रूप म दो बाने कह सकते हैं प्रथम यदि राष्ट्रीय लोकत्वात्मक सविधानवाद को जीवित रखना है तो हमें यह स्थीकार करन के लिए तैयार रहना चाहिए कि सोक-नज़र के अनेक रूप हो सकते हैं और उसबे आदर्श रूप को पाने के लिए कदाचित् बहुत अधिक प्रयोग आवश्यक हो, द्वितीय, राष्ट्रवाद के भले और बुरे दोनों पहलू हैं और उसको कुछ बुराइयों का स्याग करना सम्भव होना चाहिए जिससे सीमित राष्ट्रीय राज्य के माध्यम से मानव-समुदाय को लाभ प्रदान करने की उसकी शक्ति को किसी भी प्रकार कम किए जिन स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय शांति प्राप्त वी जा पके।

निवन्ध के विषय

अध्याय 1

राजनीतिक सविधान वाद का अर्थ

- 1 सामाजिक वित्तान के विभागों का बर्णन कीजिए और प्रयोग के क्षेत्र का विवेचन कीजिए।
- 2 समाज और राज्य में क्या अन्तर है ?
- 3 प्राचीन और ब्रह्मानन्द अर्थों में राज्य की परिभाषा कीजिए।
- 4 विधि कितने प्रकार की होती हैं ? आधुनिक राज्य में उनका विस्तृत प्रकार विकास हुआ है ?
- 5 'प्रभुत्व' का अर्थ और उसका मूल्य समझाइए।
- 6 शासन को राज्य का यन्त्र कहना कहा तक उपयुक्त है ?
- 7 "शासन, अतिम विश्लेषण में, सर्वाधित थल है।" यस्तमान राज्य के सदर्भार्थ में इस उक्ति का विवेचन कीजिए।
- 8 शासन के तीन वडे विभाग क्या हैं ? प्रत्येक का क्षेत्र समझाइए।
- 9 राजनीतिक सविधान क्या है ? क्या आप राजनीतिक निकाय के इवस्थ जीवन के लिए उसे आवश्यक समझते हैं ?
- 10 यह कहना कहा तक उचित है कि आधुनिक राजनीतिक सविधानवाद की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय है और उसकी युक्ति लोकतांत्रीय है ?

अध्याय 2

सविधानी राज्य की उत्पत्ति और उसका विकास

- 1 यूनानी सोमों को नगर-राज्य का विचार क्यों प्रिय था ?
- 2 रोमन साम्राज्य विस अर्थ में एक विश्वराज्य था ?
- 3 रोमन साम्राज्य के पतल और आधुनिक राज्य के उदय के बीच एक सक्रमण कालीन व्यवस्था के हृषि में 'सामन्तवाद (पृष्ठतिज्ज्ञ)' की विवेचना कीजिए।
- 4 पुनर्वस्थान के पूर्व परिचमी योरोप में क्या साविधानिक प्रगति हो चकी थी ? पुनर्वस्थान के राजनीतिक पहलुओं का कुछ बर्णन कीजिए।

- 5 'धर्मसुधार' के राजनीतिक परिणमों पर प्रकाश डालिए।
- 6 राज्य की उत्पत्ति के सिद्धात के रूप में सामाजिक सविधान के सिद्धात की समीक्षा कीजिए।
- 7 सविधानवाद के इतिहास में अमेरिका के स्वातन्त्र्य-युद्ध तथा फ्रेंच क्राति का महत्व समझाइए।
- 8 औद्योगिक शास्ति के राजनीतिक पहलुओं पर अपने विचार प्रवर्ण कीजिए।
- 9 योरोप में प्रथम विश्वयुद्ध का सर्वधानिक दिक्कास पर क्या प्रभाव पड़ा?
- 10 द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के बाल में योरोप की सर्वधानिक स्थिति पर प्रकाश डालिए।

अध्याय ३

सविधानों का वर्गीकरण

- 1 अरस्टू ने अपने समय के राजनीतिक सविधानों का किस प्रकार वर्गीकरण किया था? वह वर्गीकरण आज किस बाती में पुराना पड़ गया है? ✓
- 2 सविधानों का आधुनिक परिस्थितिओं के अनुकूल वर्गीकरण कीजिए। ✓
- 3 आधुनिक राज्यों के सम्बन्ध में युक्त 'एकात्मक' और 'संघीय' शब्दों की परिभाषा कीजिए। ✓
- 4 आधुनिक सविधानों में लिखित एवं अस्थिति सविधानों को घर्गोकृत बनने में क्या दोष है? ✓
- 5 सविधानों के सम्बन्ध में युक्त 'नम्य' और 'अनम्य' शब्दों का क्या तात्पर्य है? ✓
- 6 आधुनिक राज्य में विधानमंडल के निर्माण के सम्बन्ध में निर्वाचन-प्रव का क्या महत्व है? ✓
- 7 'मताधिकार' तथा 'निर्वाचन-' से आप क्या समझते हैं? सहस्रीय प्रतिनिधियों के निर्वाचन में वे क्या भाग लेते हैं? ✓
- 8 आधुनिक राज्य में कितने प्रकार के द्वितीय सदन विद्यमान हैं? प्रत्येक के उदाहरण दीजिए।
- 9 'संसदीय' और 'असंसदीय' अथवा 'स्थायी' साधारणिका में क्या भेद है? ✓
- 10 'विधि के शासन' से आप क्या समझते हैं? उन राज्यों की जिनमें इस 'प्रकार का शासन' होता है, अन्य राज्य की विधि व्यवस्थाओं से किस प्रकार भिन्न होती है?

अध्याय 4

एकात्मक राज्य

- 1 'प्रभुत्व' से आप क्या समझते हैं ? आन्तरिक और बाह्य प्रभुत्व में अन्तर समझाइए ।
- 2 आधुनिक राज्य के विकास में समाप्तिन (Integration) को दोनों प्रक्रियाएं समझाइए ।
- 3 'सत्तव को सर्वोच्चना की परिभाषा कीजिए । एकात्मक राज्य में यह सर्वोच्चना यहाँ तक विद्यमान रहती है ?
- 4 ग्रेट ब्रिटेन के एकात्मक राज्य के रूप में विकास पर प्रकाश डालिए ।
- 5 'ब्रिटेन के साम्राज्यवादी विकास से ब्रिटिश राज्य का एकात्मक रूप नष्ट नहीं हो सका है ।' इस उत्तिर्फति को यथायत्ता प्रभागित कीजिए ।
- 6 एकात्मक राज्य के उदाहरण के तौर पर दक्षिणी अफ्रीका के यूनियन (गणतन्त्र) की परीक्षा कीजिए ।
- 7 सन् 1931 के वेस्टमिस्टर स्टेट्यूट का महत्व समझाइए ।
- 8 फ्रांस को आधुनिक सत्त्वार्थ में एकात्मक राज्य का पूर्णतम उदाहरण बताना कहा तक युक्तियुक्त है ?
- 9 इटली के एकीकरण के विकास का अम समझाइए और बताइए कि इटली एकात्मक राज्य की जगह सघीय राज्य भी कैसे बन सकता था ?
- 10 प्रौद्योगिकी के चतुर्थ एवं प्रथम गणतन्त्र तथा इटली के गणतन्त्र में विकेन्द्रीकरण सिद्धान्त का कहा तक लिहाज रखा गया है ?

अध्याय 5

सघराज्य

- 1 बॉनफड़रेशन और सघीय राज्य में क्या भेद है ?
- 2 "सघीय राज्य, राज्यों के अधिकारों का राष्ट्रीय एकता तथा शक्ति के साथ समन्वय करने वाला एक राजनीतिक उपाय है ।" इस परिभाषा को विवेचना कीजिए ।
- 3 यह कहना किस अर्थ में सत्य है कि सच्चे सघीय राज्य में प्रभुत्व का निवास संविधान में होता है ।
- 4 'अवशिष्ट शक्तियों' से द्या जाती य है ? एक सघीय राज्य में सघीय तथा राजीय सरकारों के बीच शक्ति वितरण किस-किस प्रकार हो सकता है ?

- ✓ 5. अमरीका के राष्ट्रपतराज्य को संघीय व्यवस्था समझाइए।
- ✓ 6. स्विट्जरलैंड में संघवाद हे इतिहास पर प्रकाश डालिए और उसके बर्तमान रूप की संयुक्तराज्य के रूप से तुलना कीजिए।
7. आस्ट्रेलिया की कॉमनवेल्थ तथा कनाडा वी डोमिनियन की संघीय व्यवस्थाओं की समानताएं तथा उनके बीच समझाइए।
8. जर्मनी में संघवाद के इतिहास का वर्णन कीजिए। द्वितीय महायुद्ध के बाद के जर्मनी के संघीय गणतन्त्र में बेमर गणतन्त्र का संघीय समर्थन कहा तब स्थापित किया गया है।
9. सन् 1946 के संविधान के अधीन युगोस्लाविया के लोकगणराज्य के विधान के संघीय तत्वों की सन् 1936 के संविधान के अधीन रूप के संविधान के संघीय रूपों से तुलना कीजिए।
10. संटिन-अमरीका के कुछ राज्यों में संघवाद के अस्तित्व हे व्या कारण है? वहाँ वह राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न करने में वहाँ तक सफल हुआ है?

अध्याय 6

नम्य संविधान

1. दस्तावेजी संविधान से व्या आशय है? ऐसे संविधान का निर्माण करने का व्या प्रयोजन होता है? किस-किस ढंग से उसका निर्माण हो सकता है?
2. डॉ० टोकिल के इस कथन को कि “ब्रिटिश संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है” समीक्षा कीजिए।
3. समाज से विधि का विकास विस प्रकार होता है? उसकी शक्ति की विवाजो को शवित्र से तुलना कीजिए।
4. ‘संविधान विधि’ की परिभाषा कीजिए। वह दूसरे प्रकार की विधियों से किस प्रकार भिन्न होती है?
5. नम्य संविधान के मुख्य लक्षण समझाइए और बताइए कि वे आधुनिक समाज में इस प्रकार के किसी एक संविधान में किस प्रकार प्रकट हैं?
6. ब्रिटिश संविधान के विकास पर प्रकाश डालिए और उसके इतिहास के आधार पर रामझाइए कि उसे नम्य कहना कहाँ तक उचित है?
7. “सन् 1911 के सदाचार अधिनियम के फलस्वरूप ब्रिटिश संविधान अशालिखित संविधान बन गया है।” इसकी समीक्षा कीजिए।
8. यूनाइटेड किंगडम के बर्तमान संविधान की विधियों तथा उसको प्रथाओं में बेद समझाइए।

९. प्रिटिश राजनीतिक स्थायों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथन को सत्यतर प्रभागित कीजिए ।—“उनका विशिष्ट स्थायित्व इस कारण है कि उनका विकास सूझ सिद्धान्तों को अपेक्षा अनुभव थे आधार पर हुआ है ।”

अध्याय ७

अनम्य सविधान

- साविद्यानिक सशोधन से आप क्या समझते हैं ?
- अनम्य सविधान की पहचान आप कैसे करेंगे ? नम्य सविधान से उसका भेद कैसे चिपा जाता है ?
- अनम्य सविधानों के सशोधन में काम आनेवालों पद्धतियों को राखितार रामबाड़ीए ।
- चतुर्थ और पचम फ्रेज्च गणतन्त्रों के सविधानों की प्रत्यापना किन-किन परिस्थितियों में हुई ? उनमें से प्रत्येक की अनम्यता का वर्णन कीजिये ।
- दक्षिणी अफ्रीका में सविधान की सशोधन-पद्धति की आपर की पद्धति से तुलना कीजिए ।
- आस्ट्रेलिया और कनाडा के सविधान वित्त अर्थ से अनम्नीय हैं ?
- स्थित कॉनफोडरेशन के सविधान में सशोधन-सम्बन्धी कौन-से मुख्य विशिष्ट लक्षण हैं ?
- संयुक्तराज्य में साविद्यानिक संशोधनों का प्रस्ताव करने तथा उन्हें पारित करने की प्रक्रियाओं में अन्तर बताइए ।
- संयुक्तराज्य का सविधान आस्ट्रेलिया के सविधान की अपेक्षा किस प्रकार अधिक अनम्य है ?
- पूर्व देशर गणतन्त्र के तथा जमानी के संघीय गणतन्त्र के सविधानों के सशोधन प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए और उनमें तुलना कीजिये ।

अध्याय ८

विधानमंडल

- आधुनिक काल में राजनीतिक प्रजातन्त्र के विकास का वर्णन कीजिए ।
- “अभी कुछ पहले तक पुरुष-मताधिकार लैटिन-योरोप की विशेषता थी ।” इस कथन को विवेचना कीजिए ।

४

- ३ द्विटन में राजनीतिक मताधिकार के इतिहास पर प्रकाश डालिए। आजकल वहा क्या स्थिति है?
- ✓ संयुक्तराज्य के संविधान के उच्चोसवें संशोधन का महत्व समझाइए।
- ✓ ५ निर्वाचन-सत्र की परिभाषा कीजिए और बताइए कि आधुनिक राज्यों में उसके रूप किस प्रकार विभिन्न होते हैं?
- ६ आनुपातिक निर्वाचन के विचार का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? उसके मुख्य संक्षण समझाइए।
- ७ किसी भी योरोपीय राज्य में, जहाँ उसका प्रयोग होता हो, आनुपातिक निर्वाचन कैसे क्रियान्वित होता है, समझाइए?
- ✓ ८ आनुपातिक निर्वाचन के पश्च तथा विपक्ष में क्या तक दिए जाते हैं?
- ९ “समान मतदान सिद्धांत में ही गलत है।” जान स्टुअर्ट मिल की इस उक्ति पर विचार कीजिए।
- १० ब्रिटिश निर्वाचन प्रणाली में किस प्रकार सुधार हो सकता है?

अध्याय ९

विधानमंडल (द्वितीय सदन)

- ✓ १ आज के विश्व में द्विसदनी विधानमंडल का क्या महत्व है?
- २ ‘यह कल्पना करना कि सत्ता महत्वपूर्ण विषयों में अपने-आपको निर्वल सत्ता द्वारा नियंत्रित होने देमी व्यर्थ है।’ गोल्डबिन स्मिथ की यह बात द्वितीय सदनों के आधुनिक इतिहास को देखते हुए कहा तक धुक्तियुक्त है?
- ✓ ३ ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉडर्स के इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए और उसकी वर्तमान शक्तियों को व्याख्या कीजिए।
- ४ कनाडा में नाम निर्वैशित सिनेट का गठन किस प्रकार होता है?
- ५ स्पेन में सन 1876 के संविधान के अधीन मूल सिनेट के गठन के अध्ययन वा क्रिटेन के निवासी के लिए क्या महत्व है?
- ६ दक्षिणी अफ्रीका के विधानमंडल में नाम निर्वैशित सदस्योंकी उपस्थिति का क्या महत्व है?
- ✓ ७ यह कथन वहा तक सच है कि विश्व के द्वितीय सदनों में अमरीका को सिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली है?
- ८ अस्ट्रेलिया और आयर की सिनेटों की रचना और शक्तियों को तुलना कीजिए।

- 9 द्वितीय सदन में (1) तृतीय गणतंत्र और चतुर्थ गणतंत्र के संविधानों को तुलना में पचम गणतंत्र के अधीन प्राप्ति में, और (2) नृपतंत्र और गणतंत्र के अधीन इट्सी में जो परिवर्तन हुए हैं उनकी घटात्या कीजिए।
- 10 सोवियत् समाजवादी गणतंत्र संघ में 1947 से सशोधित सन् 1936 के संविधान के अधीन राष्ट्र-परिषद् (Soviet of Nationalities) और धूगोस्ताविया में सन् 1946 के संविधान के अधीन राष्ट्र-परिषद् (Council of Nationalities) की रचना किस प्रकार होती है? उनके स्वरूप और कृत्यों की स्विटजरलैंड की राज्य-परिषद् और जर्मनी के सधीय गणतंत्र की राज्य परिषद् (Bundesrat) के स्वरूप और कृत्यों से तुलना कीजिए।

अध्याय 10

विधान मंडल [३]

- 1 अतीत में क्रास की आन्तरिक राजनीति में लोक निर्वाचन (Plébiscite) पा जनमत संग्रह (Referendum) प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार किया गया था? वैसे ही प्रयोजनों के तिये उसका आनंदकला क्या महत्व है?
- 2 प्रथम विश्वयुद्ध के अन्त में प्रेविसिट का प्रयोग किस प्रकार किया गया था और उसका क्या प्रभाव हुआ?
- 3 एटलर ने लोकतंत्र का दुष्प्रयोग करते हुए और निरकुशतंत्र को स्वापना के रूप में जनमत-संग्रह का शताब्दी के चतुर्थ दशक में किस प्रकार प्रयोग किया?
- 4 स्विटजरलैंड में जनमत संग्रह किस प्रवार व्यवहार में सामा जाता है?
- 5 धूनाइटेड स्टेट्स में जनमत संग्रह का किरा सीमा तक योग किया जाता है?
- 6 कतिपय स्व-शासी डॉमिनियनों में जनमत संग्रह के योग को देखते हुए विटेन में उसके योग की समावना पर विचार कीजिए।
- 7 उपक्रम या क्या उद्देश्य है और जिन राज्यों में इसको अपनाया है उनसे यह उद्देश्य वहाँ तक पूरा हुआ है?
- 8 आधुनिक लोकतंत्राभक्त राज्यों में शासन के सीनों विभागों में त्याहान प्रगतियों की लाग करने से क्या लाभ या हानिया होती?
- 9 जनमत संग्रह और उपक्रम का साविधानिक सशोधनों वे सबध में योग बरने से और साधारण विधियों के सम्बन्ध में योग करने से क्या लाभ हो सकते हैं? उनकी तुलना कीजिए।

- 10 पह कहा तक सच है कि प्रत्यक्ष लोक-साधन परिवर्तयों के लाभ नाममात्र हैं न वास्तविक?

अध्याय 11

संसदीय कार्यपालिका

- ‘प्रत्येक स्वतंत्र समूदाय में महान् सर्वोपरि शक्ति’। आधुनिक राज्य में कार्यपालिका की तुलना में विधान मण्डल के सम्बन्ध में उस उक्ति की विवेचना कीजिए।
- वशानुगत अपदा निर्धारित किसी भी प्रकार की नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिकाओं का अन्तर समझाइए।
- ‘शक्तियों के पृथक्करण’ के तिद्धान्त की विवेचना कीजिए। आधुनिक राज्यों में कार्यपालिका के विकास पर उसका व्याप्रभाव पढ़ा?
- संसदीय कार्यपालिका के मुख्य लक्षण व्याप्र हैं?
- ब्रिटेन से मन्त्रिमण्डल (केबिनेट) प्रणाली के इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए।
- ब्रिटेन के चर्चमान मन्त्रिमण्डलीय शासन के मुख्य लक्षण का सर्वेष में वर्णन कीजिए।
- मन्त्रिमण्डलीय शासन के तिद्धान्त को ब्रिटेन की स्वरासी डामिनियनों पर लागू करने का महत्व समझाइए।
- प्राप्त के चर्चमान गणतंत्र की तुलना में पचम गणतंत्र की कार्यपालिका-प्रणाली में मन्त्रिमण्डल का व्याप्र महत्व है?
- इटली के नए गणतंत्र में मुसोलिनी के अधिनायकतंत्र से पूर्व की मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली को कहा तक पुनर्स्थापित किया गया है?
- जिन राज्यों ने प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली को अपनाया, उनमें से कुछ के उदाहरण दीजिए और यह बताइए कि इस सबध में उनमें द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् व्याप्र हुआ है।

अध्याय 12

अ—संसदीय या स्थायी कार्यपालिका

- “स्थायी कार्यपालिका को प्रवृत्ति लोकतंत्रीय अवधान निरकुश, किसी भी प्रकार को हो सकती है।” व्याख्या कीजिए।

2. समुक्त राज्य के संविधान ने राष्ट्रपति के निर्वाचन को जो प्रणाली प्रारम्भ में निर्धारित की थी, उसमें व्यावहारिक रूप में छाड़ी और प्रभा में या परिवर्तन कर दिए हैं ?
3. समुक्तराज्य के राष्ट्रपति वो शक्तिया बताइए । वह किस अर्थ में वास्तविक कार्यकारी है ?
4. “अमरीका का राष्ट्रपति यदि चाहे तो काप्रेस के मत के विरुद्ध भी जा सकता है ।” इस कथन को व्याख्या कीजिए ।
5. विवीण कार्यपालिका शक्ति का या तात्पर्य है ? समझाइये कि यह कार्य किसी आधुनिक राज्य की अपेक्षा स्विट्जरलैंड में किस प्रकार अधिक सफल हुआ है ।
6. आधुनिक राज्यों की कार्यपालिकाओं में स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका किस भावे में अद्वितीय है ?
7. 1923 में अन्त तक के संविधान के अधीन तुर्की गणराज्य के राष्ट्रपति की शक्तियों की 1961 के संविधान के अधीन शक्तियों से तुलना कीजिये ।
8. ग्रिटेन में मतिमहल-शासन को अमरीका के राष्ट्रपति शासन से तुलना कीजिए ।
9. कासिट्ट और नारो अधिनायकत्वों ने किन अर्थों में स्थायी कार्यपालिका वो स्थापना की ?
10. सासदीय और अन्संसदीय, इनमें से किस प्रकार वो कार्यपालिका को आप लोकप्रभुता के अधिक अनुकूल समझते हैं ?

अध्याय 13

न्यायपालिका

1. “शक्तियों के पृथक्करण का तात्पर्य शक्तियों का समान सम्बुद्धन नहीं ।” शासन के न्यायिक विभाग को अन्य दो विभागों से तुलना करते हुए उक्त कथन को विवेचना कीजिए ।
2. यह नियम वयों अच्छा समझा जाता है कि न्यायाधीश अपने पद पर तब तक रह सकते हैं जब तक कि वे ‘सदाचारो’ रहते हैं ?
3. “न्यायाधीश विधि-निर्माण करते हैं और उन्हें करना ही चाहिए ।” यह वक्ति अगत-सेवन राज्यों पर कहा तक सार्ग होती है ?
4. सामान्य एकात्मक राज्य और सामान्य संघीय राज्य की न्यायपालिकाओं की शक्तियों को तुलना कीजिए ।

- 'Rule of law'*
5. 'विधि के शासन' का क्या अर्थ है? ब्रिटेन, स्व-शासी डॉमिनियनों और संयुक्तराज्य में इसके प्रवर्तन पर प्रकाश ढालिए।
 6. "संविधान के अधीन उत्पन्न होनेवाले सभी विधि तथा न्याय सबधी मामलों में न्यायिक शक्ति लागू होगी।" संयुक्तराज्य के संविधान के इन शब्दों का क्या महत्व है?
 7. 'प्रशासनिक विधि' पद को परिभाषा कीजिए और उसके प्रवर्तन पर प्रकाश ढालिए।
 8. क्या कारण है कि ब्रिटेन में प्रशासनिक विधि को लागू करने के प्रयत्न सदा असफल रहे जब वि प्रकाश में यह प्रणाली जब भी विद्यमान है?
 9. आधुनिक सामाजिक विधान की आवश्यकता के कारण आगले-सेवता विधि-प्रणाली में प्रशासनिक विधि के तत्वों के समाविष्ट होने की सम्भावना किस प्रकार पैदा हो रही है?
 10. 'विधि के शासन' और 'प्रशासनिक विधि' के मुण्ड-दोषों की तुलना कीजिए।

अध्याय 14

उदीयमान राष्ट्रीयता

1. मध्यपूर्व की राजनीतिक स्थिति पर दोनों विश्वयुद्धों के सम्मलित परिणामों वा वर्णन कीजिये। आज उस प्रदेश के राज्यों के लिये शासन की पारिचालन साविधानिक प्रणालिया कहाँ तक उपयुक्त है?
2. मिश्र पर पूर्ववर्ती ब्रिटिश सरकार के स्वरूप वी विवेचना कीजिये और ब्रिटिश परावर्तन के बाद उस देश की साविधानिक घटनाओं का वर्णन कीजिये।
3. इजरेल के गणराज्य के उदय और उसके संविधान का कुछ वर्णन कीजिये और बाद की घटनाओं के प्रकाश में, बतलाइये कि पेलेस्टाइन में 'प्लूटी राष्ट्रभूमि' स्थापित करने का 1917 का नियंत्रण कहाँ तक बुद्धिमत्ता पूर्ण था।
4. एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रीयतावाद के उदय और इन महाद्वीपों से सामाजिक परिवर्तन के सम्मलित परिणामों को औपनिवेशिक कान्ति कहना कहाँ तक उचित है।
5. सन् 1919 और 1935 के अधिनियमों के अनुसार स्वशासन की कितनी-वितनी मात्रा भारतवर्ष पर प्रदान की गई? भारतवर्ष और पाकिस्तान के गणराज्यों को किन साविधानिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है?

- 6 मलाया में ब्रिटेन की, इण्डो-चीन में फ्रान्स की तथा इण्डोनेशिया में उच्च स्तरों को पूर्ववर्ती साम्राज्यिक स्थिति की तुलना कीजिये। प्रत्येक प्रदेश पर योरोपियन उपनिवेशी सत्ताओं के परावर्तन के बाबा राजनीतिक परिणाम हुए?
- 7 उन कदमों का बर्णन कीजिये जिनके द्वारा ब्रिटेन अब तक अपनीका से हटा है और उन पूर्ववर्ती दिलिश गौपनिवेशिक प्रदेशों नीं जो स्वतंत्र हो गये हैं या होने वाले हैं, साविधानिक स्थिति दा सक्षेप में बर्णन कीजिये।
- 8 अल्जीरिया में फ्रान्स के और कानों ने बेलियम के उपनिवेशी पद्धतियों की तुलना कीजिये। प्रत्येक अवस्था में बताइये कि उन देशों में अपनी साम्राज्यिक जिम्मेदारी किस स्थिति में छोड़ी और उसके बाबा परिणाम हुए।
- 9 देस्टइण्डीज की स्थापना के पहले के साविधानिक विवास का सक्षिप्त विवरण दीजिये। वह क्यों असफल रहा?
- 10 राजनीतिक दृष्टि से अविकसित लोगों में स्वशासन के विकास के साधन के रूप में संयुक्त राष्ट्र का न्यासित्व सिद्धान्त राष्ट्र सघ को प्रादेश पद्धति से बिन बातों में प्रगतिशील है?

अध्याय 15

राज्य का आर्थिक सगठन

1. इस क्षयन को व्याख्या कीजिए वि राजनीतिक लोकतंत्र अपने-आपमें निर्यंक है।
2. आधुनिक समविचाद के विकास पर प्रकाश डालिए और उन परिस्थितियों का बर्णन कीजिए जिनमें उसने धीरे धीरे अहस्तक्षेप की नीति का स्थान प्रहण किया।
3. आधुनिक राज्य में द्वितीय सदनों को आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व करने के प्रयत्न किस प्रकार बनाया जा सकता है?
4. जर्मनी के सन 1919 के संविधान में आर्थिक परिषदों की स्थापना के प्रस्तावों पर प्रकाश डालिए और आयरिश स्वतंत्र राज्य के और फ्रान्स के चतुर्थ एवं पचम गणतंत्रों के संविधानों में इस प्रकार के दिए गए प्रस्तावों से उनकी तुलना कीजिए।
यह कहना कहा तक सच है कि रूसी काति ने आर्थिक लोकतंत्र को उपलब्ध कर ली है?

6. "राज्य-समाजवाद और सधादिपन्थवाद के बोंब का कोई भाग नहीं नहीं है।" राजनीतिक संसद् के समकक्ष शक्तिवालों एक अधिकारित-संसद् की हथापना के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों के प्रसाग में उच्चत वर्धन पर प्रकाश दालिए।
7. मुसोलिनी द्वारा परिस्थिति नियम-राज्य की योजना की व्याख्या कीजिए और यह क्या बनाइए कि लोकनवादियों को उसमें क्या शिक्षा मिल सकती है? *
8. पुतिंगाल में सालानार की स्थिति और उसकी नियम प्रणाली पर प्रकाश दालिए। *
- इप्पा आप यह तमसते हैं कि आज के अधिकार संविधानों राज्यों में प्रचलित प्रादेशिक निर्दोषन-क्षेत्र प्रणालों के स्थान पर व्यावसायिक निर्दोषन-क्षेत्र प्रणाली को लागू करना समव है?
10. उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें योरोपीय आर्थिक मड़ल का निर्माण हुआ। उनके सम्बन्ध का वर्णन कीजिए और उस सघ के समाज्य परिषामों की विवेचना कीजिए जिससे उसमें से प्रादुर्भाव हो सकता है।

जट्याम 16

मधुक राष्ट्र का चार्टर

1. हन 1914 से पूर्व अहराष्ट्रीय सम्बन्धों के समन्वय के लिए प्रस्तुत घोष नामा के इनिहात पर प्रकाश दालिए।
2. प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् स्थापित राष्ट्रमय के अवयवों के गठन और कृत्यों की व्याख्या कीजिए।
3. राष्ट्रमय की असफलता के कारण बताइए।
4. सद्युक्तराष्ट्रसंघ के व्यववाह के स्वरूप और कृत्यों पर प्रकाश दालिए।
5. जिन परिस्थितियों में सद्युक्त राष्ट्र का चार्टर लिखा गया था उनकी उन परिस्थितियों से तुलना कीजिए जिनमें राष्ट्रसंघ की प्रसविदा संयार की गई थी और राष्ट्रसंघ के सुशक्ति से राष्ट्रों के अधिक सफल होने की समावना पर प्रकाश दालिए।
6. सद्युक्तराष्ट्र सम्बन्ध अटलाटिव चार्टर में निर्धारित सिद्धान्तों के परिपालन के लिए समूचित साधनों का निर्माण करने में वह तक सफल हुआ है?
7. यह कहना कहा लक टीक है कि राष्ट्रसंघ की प्रसविदा की अपेक्षा सद्युक्त राष्ट्र का चार्टर एक अधिक भानीय दस्तावेज है?
8. सद्युक्त राष्ट्र को सुरक्षा परिपद् की राजितपा राष्ट्रसंघ के परिषद् की शक्तियों से लिन अर्थों में बढ़ो है?

- 9 अन्तर्राष्ट्रीय स्थापात्मक का पदा महत्व है और स्थायी शानि को स्थापना में वह पदा भाग जे सकता है ?
- 10 "यदि सापुत्रताराष्ट्रसंघ के राजनीतिक अपर्दो और राजस्व बल से हम यह सीढ़ि सकते हैं कि मृत्यु से किस प्रकार बद्ध जा सकता है, तो सापुत्र राष्ट्र के शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति समठन से हम यह सीढ़ि सकते हैं कि जीवित किस प्रकार रहा जा सकता है ?" विश्व नागरिकता के विचार के लिए मूल फाठ के हृष मे उक्त वाचन को विवेचना कीजिए ।

अध्याय 17

संविधान वाद का भवित्व

- 1 'प्रमुखता अविभाज्य है,' इस कथन की व्याख्या कीजिए ।
- 2 श्रीटेन दे संविधान के सुधार के लिए अन्तरण पा विवेद्वीकरण की योजना का कहा तक उपयोग दिया जा सकता है ?
- 3 आधुनिक साविधानिक राज्य को उसने आर्थिक लाभ की दृष्टि से इस प्रकार सधीय हृष दिया जा सकता है ?
- 4 अरस्तू ये इस तिद्वान्त के प्रतीक मे कि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, आधुनिक लोकतांत्रीय विकास को विवेचना कीजिए ।
- 5 "स्वतन्त्रता और समता परस्पर चिरोदी है," इस मूल के साविधानिक राज्य के भवित्व पर प्रभाव दा विवेचना कीजिए ।
- 6 रुसो का कहा था कि मनुष्य जन्म से स्वतन्त्र है दिनु सर्वत्र जीरो से जड़डा हुआ है । यदि यह सच है तो इन जीरो को सहन करने योग्य बनाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संविधानवाद वक्ता कर सकता है ?
- 7 "शासन की प्रत्येक नई योजना मानव के राजनीतिक साधना की अनुपम अभिवृद्धि है।" राजनीतिक संविधानवादियो के लिए एक आदर्श वाचन के हृष मे इस कथन की विवेचना कीजिए ।
- 8 अरस्तू ये कथनात्मक राज्य, का आस्तत्य जीवन का समय बनाने के लिए ही नहीं वहिक जीवन को सुन्वर बनाने के लिए है । आधुनिक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक राज्य के द्वारे मे यह बात कहा नहीं सकता है ?
- 9 पदा आप राष्ट्रवाद यो विश्व राजनीतिक समठन की किसी भी वास्तविक योजना दा अनिवार्य आधार समझते हैं ?
10. राष्ट्रीय अधिदारो का ध्यान रखते हुए विश्वराज्य को स्थापना दे साधन दे हृष मे राष्ट्रीय योजना दा इकाश डालिए ।